दृष्टि The Vision

करेंट अपडेट्स

(संग्रह)

जुलाई, 2019

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोन: 8750187501
ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम **15**

- नगालैंड के स्थानीय नागरिकों का रजिस्टर (-RINN) 15
- नि:शुल्क कानूनी सहायता की गुणवत्ता 16
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की नई पहल 17
- उच्च शिक्षा में क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा 18
- भारत में गैर-संचारी रोग (NCDS) 20
- संसद द्वारा केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) विधेयक, 2019 पारित 21
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 22
- हेनले पासपोर्ट सूचकांक 23
- डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न प्रयास 23
- GER में वृद्धि का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य 26
- अतंर्राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019 27
- व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थल स्थिति विधेयक, 2019 संहिता 28
- प्रारूप मॉडल किरायेदारी अधिनियम, 2019 28
- सतलज-यमुना नहर विवाद 29
- मेघालय का जल नीति मसौदा 30
- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण बिल (संशोधन), 2019 32
- वॉश कार्यक्रम 33
- बांध सुरक्षा विधेयक 34
- विश्व में 2 करोड़ बच्चे जीवन रक्षक टीकों की पहुँच से बाहर 34
- 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल के विस्तार को मंज़ूरी 35
- भाँग के संबंध में सामाजिक हित याचिका 36
- परामर्श योजना 37
- जनजातियों की शैक्षिक स्थिति में सुधार 38
- मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019 39
- ई-पोस्टल बैलट की सफलता 40
- मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019 41
- सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिये ट्रामा केयर सेंटर 41
- सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019 42
- नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक, 2019 44
- भारत में पलायन की समस्या 45

नोट :

- आतंकी वित्तपोषण 46
- वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 47
- राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान के विलय को मंज़ूरी 49
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III 49
- भारत में संसदीय समितियाँ 50
- प्रवासियों का शहर बनते जा रहे हैं दिल्ली तथा देश के अन्य महानगर 52
- पंचायतों की क्षमता मज़बूत करने के लिये पहल 52
- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विधेयक 53
- लोकसभा ने पारित किया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 54

आर्थिक घटनाक्रम 56

- कृषि क्षेत्र में सुधार के लिये मुख्यमंत्रियों की एक समिति 56
- GM फसलों पर रोक 57
- BEPS से निपटने के लिये अंतर्राष्ट्रीय समझौता 58
- ग्लोबल वार्मिंग और भारत में रोज़गार 58
- टिड्डों को नियंत्रित करने हेतु भारत-पाक का संयुक्त कदम 59
- जम्मू-कश्मीर में होगा पहला निवेशक शिखर सम्मेलन 60
- CIC के विनियामक ढाँचे की समीक्षा के लिये कार्यदल का गठन 61
- तीसरा वैश्विक सूरजमुखी बीज सम्मेलन 62
- आदर्श स्टेशन योजना 62
- गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 64
- नए मामलों की जाँच के लिये सेबी को मिली शक्तियाँ 65
- महिला स्टार्टअप शिखर सम्मेलन 2019 65
- कृषि में महिलाओं की भागीदारी 66
- मछली पालन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम 67
- आवासीय परिसंपत्ति मूल्य निगरानी सर्वेक्षण 68
- संबंधित पार्टी लेन-देन 69
- व्हाइट लेबल एटीएम 70
- फास्टैग (FASTag) 70
- ADB ने घटाया भारत का विकास दर अनुमान 71
- भारत में काला धन और उसके निर्धारण की कठिनाइयाँ 72
- आभासी मुद्रा पर अंतर-मंत्रालयी समिति की रिपोर्ट 74
- भारत के विकास दर में 0.3% की कटौती 75
- विदेशी संप्रभु बॉण्ड 76
- ब्लूमबर्ग का न्यू इकोनॉमी ग्लोबल सर्वे 77
- आपातकालीन चीनी रिज़र्व बनाने का प्रस्ताव मंज़ूर 78
- अनुसंधान एवं विकास से संबंधित खर्च प्रणाली 79
- पवन ऊर्जा परियोजनाओं हेतु निविदा संबंधी दिशा-निर्देशों में संशोधन 80
- भारत के डिजिटल व्यापार में वृद्धि की संभावना 82

नोट :

- मॉरीशस लीक 83
- डिजिटल एवं कैशलेस अर्थव्यवस्था 83
- भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड नियम, 2016 में संशोधन 85
- लोकसभा में पारित हुआ कंपनी संशोधन विधेयक 85
- अकाउंट एग्रीगेटर मॉडल 'सहमति' 86
- सफेद चाय 87
- वॉटर स्ट्रेस इंडेक्स: विकट होती जा रही जल संकट की समस्या 88
- PTA आयात पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी 89
- रिज़र्व बैंक ने ECB नियमों को शिथिल किया 90
- स्फूर्ति योजना 90
- नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन: 2020 91
- सिल्क समग्र योजना 91
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना 92
- बायबैक टैक्स 92
- भारतमाला परियोजना 92

अंतर्राष्ट्रीय संबंध **94**

- 14वाँ G-20 शिखर सम्मेलन 94
- जापान ने फिर से शुरू किया व्हेल का वाणिज्यिक शिकार 95
- RCEP में कृषि और औषधि से संबंधी प्रावधान रद्द 96
- ईरान ने संवर्धित यूरेनियम क्षमता की तय सीमा पार की 97
- महात्मा गांधी आईटी और बायोटेक्नोलॉजी पार्क 98
- संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी (UNRWA) 98
- कश्मीर मुद्दे पर UNCHR की रिपोर्ट 100
- भारत-आसियान बैठक 101
- भारत एवं वैश्विक स्तर पर उच्च और निम्न आय वालों के मध्य असमानता 102
- द्वितीय भारत-रूस सामरिक आर्थिक वार्ता 103
- भारतीय पेशेवरों को अमेरिकी वीज़ा नीति में राहत 104
- भूटान और बांग्लादेश के मध्य भारतीय जलमार्ग से व्यापार 105
- वीज़ा मुक्त प्रवेश पर भारत-पाक सहमत 106
- चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत-अमेरिका समझौता 106
- कुलभूषण जाधव मामले पर ICJ का फैसला 107
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से जुड़ा पलाउ 110
- RCEP तथा भारत-चीन व्यापार मुद्दा 111
- अमरावती परियोजना 112
- अमेरिका का EB-5 वीज़ा 113
- रीम (चीन-कंबोडिया संधि) 114
- विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी 114
- रुसी रक्षा प्रणाली (S-400) 115

नोट :

- फसलों के लिये बायोकैप्सूल 117
- केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर 118
- ब्रॉडबैंड तैयारी सूचकांक 120
- अंटार्कटिका में कृत्रिम बर्फ की चादर 121
- रामानुजन मशीन 122
- JATAN : वर्चुअल म्यूज़ियम सॉफ्टवेयर 122
- आकाशगंगा की उत्पत्ति 123
- ब्लॉकचेन तकनीक के लाभ 124
- लाइटसैल 2 125
- वाहनों में होगा माइक्रोडॉट्स का अनिवार्य उपयोग 126
- चीन का पहला वाणिज्यिक रॉकेट 126
- सब्जियों में विषाक्त धातुओं की मौजूदगी 127
- बैटरी स्टोरेज़ संयंत्र के लिये भारत की योजनाएँ 128
- अपराधियों की पहचान के लिये आईरिस और फिंगरप्रिंट स्कैनिंग का प्रयोग 129
- 5G ट्रायल हेतु गाइडलाइन जारी 130
- UDMH रॉकेट ईंधन 132
- TOI 270 ग्रहीय प्रणाली 134
- नासा का पंच (PUNCH) मिशन 135
- सिज़ोफ्रेनिया 135
- प्लूनेट्स 136
- रोबोटिक्स के माध्यम से नए एंटीबायोटिक्स का उत्पादन 136

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी 138

- हवाई जहाज के कंट्रेल से ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि 138
- यूरोप में ग्रीष्म लहर 139
- कॉस्मिक किरणों का पृथ्वी पर प्रभाव 140
- पिघल रही है शीत कटिबंध की बर्फ 142
- मियावाकी पद्धति 142
- वन्यजीवों में इम्यूनोकॉन्ट्रासेप्टिव का उपयोग 143
- ज़िला-स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (DEIAA) 144
- वनीकरण के लिये उपलब्ध भूमि का अध्ययन 145
- बंदरगाह के समुद्री स्तर में वृद्धि 145
- पुरातात्विक स्थलों पर वार्मिंग का खतरा 147
- अपशिष्ट प्रबंधन पर CPCB के निर्देश 147
- ऑर्किड का व्यापक सर्वेक्षण 148
- संकट में भूमध्यसागरीय शार्क 150
- 12 समुद्री तट ब्लू फ्लैग प्रमाण-पत्र हेतु चयनित 150
- पर्यावरण गतिविधियों पर नासा और UNEP के बीच समझौता 151
- तंजानिया में नई प्रजाति के पौधे की खोज 152

नोट :

- जलवायु और स्वच्छ वायु संघ 153
- ब्राज़ील का ग्रीन बॉण्ड 154
- जापान व UN पर्यावरण के बीच मरकरी समझौता 155
- वॉयस ऑफ ओशियन अभियान 156
- वैश्विक जलवायु आपातकाल 157
- सोमालिया में पहला पर्यावरण पत्रकार नेटवर्क 158
- संकटग्रस्त हंगुल प्रजाति 159
- एक्रा एक्शन एजेंडा 160
- दक्षिण अफ्रीका का कार्बन टैक्स 161
- ओज़ोन प्रदूषण में वृद्धि 162
- हिमाचल प्रदेश में बंदर हिंसक जानवर घोषित 164
- 2000 वर्षों में सबसे गर्म रहा 20वीं सदी का अंत 165
- सुपरबग्स के लिये ड्रग मॉलिक्यूल 166
- केरल में हाथियों की संख्या में वृद्धि 167
- घास के मैदान जलाने से अकशेरुकी जीवों को हानि 167
- 5G के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले संभावित दुष्प्रभाव 168
- अखिल भारतीय बाघ अनुमान का चौथा चक्र- 2018 169
- अर्थ ओवरशूट डे 171
- लॉगरहेड कछुए 171

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन **173**

- सुबनसिरी बांध 173
- मानसून की भविष्यवाणी 174
- जल संकट की स्थिति 175
- असम में बाढ़ और इसका समाधान 177
- असम की बाढ़ पर उपग्रह डेटा साझा करेंगे चीन, रूस और फ्रांस 178

सामाजिक मुद्दे **180**

- ट्रांस फैट का जोखिम 180
- एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' योजना 181
- केरल में आधिकारिक तौर पर 'ट्रांसजेंडर' शब्द के प्रयोग की घोषणा 183
- भारत में आत्महत्याओं पर NCRB की रिपोर्ट 184
- विकलांग बच्चों की स्कूलों में नामांकन स्थिति 184
- देश की जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट 186
- कृषक परिवारों में आय की असमानता 186
- भारत में हाथ से मैला ढोने की कुप्रथा 187
- 'सौभाग्य' योजना 188
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन 188
- श्रीलंका को WHO ने खसरा मुक्त घोषित किया 189

नोट :

- राष्ट्रीय पोषण मिशन 189
- बच्चों से जुड़े यौन अपराधों के लिये सख्त दंडात्मक प्रावधान 190
- ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों की सुरक्षा) विधेयक 2019 191
- बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2019 192
- मध्याह्न भोजन योजना 193
- विश्व में अल्पपोषण की समस्या 194
- घटता लिंग अनुपात और प्रजनन दर 195
- रोटावायरस वैक्सीन 195
- महिलाओं में अंधापन/मोतियाबिंद का प्रभाव 197
- विश्वभर में खाद्य असुरक्षा 198
- कांगो में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल 199
- फिल्म व टेलीविज़न उद्योग में श्रम नियमों का उल्लंघन 201
- यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक , 2019 201
- मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019 202
- पॉक्सो मामलों के लिये विशेष अदालतें बनाई जाएं 203
- एड्स की वर्तमान वैश्विक स्थिति 204
- थायराइड के बढ़ते मामले 205
- प्रोजेक्ट सहारा 206
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 207
- विश्व के बच्चों में कैंसर की स्थिति 208
- सुगम्य चुनाव 208
- लक्ष्य कार्यक्रम 210
- इंटरनेट साथी 210
- नेशनल डेटा क्वालिटी फोरम 211
- ट्रांस फैट फ्री' लोगो 211
- अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना 212

कला एवं संस्कृति 213

- कैलाश मानसरोवर यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल 213
- मार्कंडेश्वर मंदिर के जीर्णोद्धार का प्रयास 214
- विश्व विरासत समिति की चिंताएँ 215
- लुप्तप्राय भाषाओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिये योजना 216
- प्रतिष्ठित पर्यटक स्थल 218
- कांगड़ा शैली 219
- दलाई लामा का उत्तराधिकारी 220
- महेश रथ यात्रा 220
- ओडिशा के रसगुल्ले को मिला GI टैग 220
- मकराना के संगमरमर 221
- बेंट' पिरामिड 222

नोट :

आंतरिक सुरक्षा **224**

- गृह मंत्रालय: 'सोशल इंजीनियरिंग' साइबर अटैक से रहे सतर्क 224
- भाभा कवच 224
- अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली (CCTNS) 225
- गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2019 227
- एकीकृत युद्ध समूह (IBG) 228

चर्चा में **229**

व्यक्ति **229**

- अमीश त्रिपाठी 229
- शेफाली जुनेजा 229
- स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि 229
- झरना धरा चौधरी 229
- बसंत कुमार बिड़ला 229
- अपर्णा कुमार 230
- अंबाती रायडू 230
- पिंगाली वैंकैया 230
- डेविड सासोली 230
- हिमा दास 231
- किरियाकोस मित्सोताकिस 231
- राहुल द्रविड़ 231
- अब्दुल सत्तार ईधी 231
- दुती चंद 231
- अंशुला कांत 232
- ए.के. सीकरी 232
- अनुसुइया उइके 232
- उर्सुला वॉन डेर लेयेन 232
- फर्नांडो कॉर्बेटो 233
- सचिन तेंदुलकर 233
- पृथु गुप्ता 233
- बोरिस जॉनसन 233
- युकिया अमानो 234
- वी.के. जौहरी 234
- अंशुला कांत 234
- इंगर एंडरसन 234
- डॉ. मुथुलक्ष्मी रेड्डी 235
- राजीव कुमार: नए वित्त सचिव 235

नोट :

स्थान **236**

- जयपुर शहर 236
- बेबीलोन 236
- मेघालय 236
- काकीनाडा होप आइलैंड 236
- माउंट एटना 237
- क्यूबा की क्रांति 237

पुरस्कार **238**

- आइसा-कर्नाटका विश्वेश्वरैया सोलर अवार्ड 238
- उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कारों 238
- सार्क फिल्म समारोह 238
- पीपल्स चॉइस अवार्ड 239
- सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार 239
- उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार, 2018 239
- संगीत नाटक अकादमी फैलोशिप एवं अकादमी पुरस्कार 240
- पाटा स्वर्ण पुरस्कार 2019 242
- पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2019 243

दिवस **244**

- डॉक्टर्स डे 244
- GST दिवस 244
- सांख्यिकी दिवस 244
- अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस 244
- चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस 245
- अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस 245
- विश्व जनसंख्या दिवस 245
- फ्राँस राष्ट्रीय दिवस 245
- नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 245
- राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 246
- अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 246
- विश्व हेपेटाइटिस दिवस 246
- केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल स्थापना दिवस 246
- कारगिल विजय दिवस 247
- विश्व युवा कौशल दिवस 247
- नेशनल मून डे 248
- आयकर दिवस 248
- विश्व जनसंख्या दिवस 248

नोट :

खेल 250

- फीफा महिला विश्व कप 250
- ICC विश्व कप क्रिकेट 250
- कोपा अमेरिका कप 2019 250
- कुंटो एथलेटिक्स 250
- विंबलडन प्रतियोगिता 251
- टोक्यो ओलंपिक 251
- डेविस कप 251

सुरक्षा 252

- नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट 252
- स्पाइस 2000 स्टैंड ऑफ वेपन सिस्टम 252
- एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग 252
- सुदर्शन कोड 252
- गरुड़-4 253
- हैंड-इन-हैंड सैन्याभ्यास 253
- INS शिवालिक' और 'सिंधुशक्ति' 253
- विमान-वाहक पोत 'विराट' 254
- राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम 254
- नौसैनिक युद्ध-अभ्यास का छठा संस्करण 255
- नई मिसाइल परीक्षण सुविधा 255
- मिशन 'रक्षा ज्ञान शक्ति' 255
- सागर मैत्री 2 256
- नाग मिसाइल 256
- सिक्यूरिटीपीडिया और CISF Tube 257
- LCU L-56' युद्धपोत 257

विविध 258

- नैनोपिथेकस ब्राउनी 258
- टिकटॉक 258
- एंटीबायोटिक प्रतिरोध 258
- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर 258
- स्वदेश दर्शन योजना 259
- एक राष्ट्र-एक कार्ड 259
- गुथी (न्यास) विधेयक 259
- जल शक्ति अभियान 260
- स्टेम सेल रजिस्ट्री 260
- अनुसूचित जाति 260
- भौगोलिक संकेतक 260

- महिला सशक्तीकरण मसौदा नीति 261
- कार्बन कैप्चर परियोजना 261
- एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इन्क्लूजन प्रोग्राम (EQUIP) 261
- भगवान जगन्नाथ रथयात्रा 262
- न्यूनतम समर्थन मूल्य 262
- स्वच्छ भारत मिशन 262
- मर्कोसुर 262
- संयुक्त राष्ट्र संस्था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट 262
- मॉडल गाँव 263
- राष्ट्रीय सुशासन केंद्र 263
- इंडियन हज इनफॉरमेशन सिस्टम 263
- भारत-रूस रणनीतिक-आर्थिक वार्ता (IRSED) 264
- भारत-आसियान त्रिगुट (Trokia) 264
- केंद्रीय कैबिनेट की बैठक 264
- राष्ट्रमंडल देश 265
- गवाह संरक्षण योजना 2018 265
- भारत की शिक्षा स्थिति 2019- दिव्यांग बच्चे रिपोर्ट 265
- सिख फॉर जस्टिस 265
- Multidimensional Poverty Index (MPI) 266
- गगनयान' 266
- इको टैक्स 266
- ऑपरेशन मिलाप 266
- बेहदीनखलम महोत्सव 267
- उत्तर प्रदेश कॉम्बेटिंग ऑफ मॉब लिंचिंग एक्ट 267
- वित्त आयोग 267
- स्टेट बैंक ने डिजिटल भुगतान पर शुल्क हटाये 267
- भारत और इटली की फास्ट ट्रैक प्रणाली 268
- ननकाना साहिब 268
- भारत-ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक व्यापार समिति (जेटको) 268
- गोडावण (Great Indian Bustard) और खरमोर (Lesser Florican) 268
- कृत्रिम त्वचा 269
- सर्वोच्च न्यायालय अतिरिक्त प्रशासनिक इमारत 269
- अनावश्यक कानून संबंधी विधेयक 269
- मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019 269
- 'बैनिंग क्रिप्टोकरेंसी एंड रेग्युलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, 2019' 270
- पीएम-कुसुम योजना 270
- यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन एचआईवी/एड्स 270
- दंड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2018 270
- प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजना 271

नोट :

- चांदीपुरा वायरस 271
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) 271
- प्रशांत क्षेत्र के लिये अलग सैन्य इकाई 272
- क्वांटम कंप्यूटर 272
- वाइन स्नेक 272
- सातवीं आर्थिक गणना 272
- मटका थिम्बक पद्धति 273
- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) 273
- केयरफॉर यू एप 273
- बायो माइनिंग तकनीक 273
- मसूरी संकल्प 274
- अरक हैवी वाटर रिएक्टर 274
- पुदुचेरी वाटर रिच मॉडल 274
- संपदा शुल्क 275
- राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन 275
- राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन 275
- भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेला 276
- तमिल योमन 276
- एल-नीनो और भारतीय मानसून 277
- जगन्नाथ रथ यात्रा 277
- सबसे लंबी विद्युतीकृत रेलवे सुरंग 277
- बांग्लादेश में नदियों को कानूनी व्यक्ति का दर्जा 277
- ओरियन कैप्सूल 278
- विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव 278
- स्टार्ट-अप के लिये डीडी चैनल 278
- सी प्रिंस 278
- गौ अभयारण्य का निजीकरण 279
- यूगव सर्वेक्षण 279
- हाथी पुनर्वास केंद्र 279
- जयपुर विश्व धरोहर स्थल में शामिल 280
- तराष्ट्रीय स्थानीय फिल्म महोत्सव 280
- उत्कर्ष 2022 280
- रोमिप्लोस्टिम 280
- ऑपरेशन थर्स्ट 281
- भारत के प्रधानमंत्रियों पर संग्रहालय 281
- Spektr-RG 281
- बिना बिजली के विलवणीकरण की प्रक्रिया 281
- कॉमन लाइनब्लू एवं डार्क सेरुलियन 282
- राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य योजना रिपोर्ट 282

नोट :

- अपोलो 11 282
- केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 283
- लीचेट ट्रीटमेंट प्लांट 283
- वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर 283
- हैंड मेड इन इंडिया 284
- अर्बन हाट 284
- महेश रथ यात्रा 284
- कोलिस्टिन एंटीबायोटिक 285
- रातापानी वन्यजीव अभयारण्य 285
- स्वदेश दर्शन योजना 286
- सारस क्रेन 286
- स्टबल कटिंग मशीन 286
- आर्टेमिस कार्यक्रम 286
- ड्रैकैना कैम्बोडियाना 287
- देशज फसलों के संरक्षण हेतु बीज बैंकर 287
- आर्थिक गणना 2019 287
- UP इन्वेस्टर्स समिट 288
- क्राइसोमालोन स्क्वैमिफेरम 288
- विश्व के सबसे छोटे बंदर का जीवाश्म 288
- प्रॉक्सी एडवाइज़रों के लिये आचार संहिता 289
- ई-गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 289
- कान सिकुल, कान हुआन 290

The Vision

नोट :

नोट :

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

नगालैंड के स्थानीय नागरिकों का रजिस्टर (-RINN)

चर्चा में क्यों ?

असम सरकार की तर्ज़ पर नगालैंड सरकार ने भी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (National Register of Citizens-NRC) तैयार करने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु

- नगालैंड के गृह आयुक्त ने स्थानीय निवासियों की पहचान के संदर्भ में नगालैंड के स्थानीय नागरिकों का रजिस्टर (Register of Indigenous Inhabitants of Nagaland-RIIN) तैयार करने हेतु एक अधिसूचना जारी की है।
- इसका लक्ष्य जाली निवास पत्रों की जाँच करना एवं भारतीय स्थानीय नागरिकों की पहचान कर एक सूची तैयार करना है।
- इस कार्य के लिये नामित टीम (Designated Teams) 10 जुलाई 2019 से शहरी एवं ग्रामीण वार्डों में सर्वेक्षण प्रारंभ करेगी तथा यह कार्य राज्य के गृह आयुक्त की निगरानी में संपन्न होगा। स्थानीय और गैर-स्थानीय लोगों के बारे में जानकारी एकत्र करने हेतु 60 दिनों की समय सीमा तय की गई है।
- इस सर्वेक्षण में ग्रामीण एवं वार्ड स्तर पर स्थानीय निवासियों संबंधी आधिकारिक रिकॉर्ड के आधार पर सूची तैयार की जाएगी। ग्राम एवं वार्ड स्तर पर इसका पर्यवेक्षण ज़िला प्रशासन द्वारा किया जाएगा।
- राज्य सरकार द्वारा सभी उपायुक्तों (Deputy Commissioners) को निम्नलिखित आदेश दिये गए हैं-
- अधिसूचना के प्रकाशन के एक सप्ताह के भीतर टीमों का नाम गठित किया जाए।
- टीमों के बारे में सभी जानकारियों को सार्वजनिक किया जाए।
- ग्राम परिषद के अध्यक्षों, ग्राम विकास बोर्ड सचिवों, वार्ड अधिकारियों,जनजातीय होहो (Tribal Hohos), चर्च अधिकारियों और गैर-सरकारी संगठनों से संवाद स्थापित किया जाए।

'होहो 'प्रत्येक नगा समूह का शीर्ष निकाय है।

- ग्रामीण एवं वार्ड स्तर पर प्रत्येक परिवार के सदस्य को मूल निवास के आधार पर सूचीबद्ध किया जाएगा और परिवार के ऐसे सदस्य, जो किसी अन्य स्थान पर रहते हैं, का उल्लेख भी सूची में किया जाएगा।
- सूची के प्रारूप में 'स्थायी निवास और वर्तमान निवास' का उल्लेख अलग-अलग किया जाएगा। अगर कही आधार नंबर उपलब्ध है तो उसे भी दर्ज़ किया जाएगा।
- ज़िला प्रशासन के पर्यवेक्षण में, ग्राम और वार्ड अधिकारियों द्वारा प्रमाणित सूची को संबंधित गाँवों और वार्डों में प्रकाशित किया जाएगा। साथ ही इस सूची पर शहरी एवं ग्रामीण अधिकारियों के अलावा संबंधित टीम के भी हस्ताक्षर होंगे।

दावे तथा आपत्तियों के लिये समय सीमा

- ये अस्थाई सूचियाँ गाँवों, वार्डों के साथ ही ज़िले और राज्य सरकार की वेबसाइटों पर भी प्रकाशित की जाएंगी। तत्पश्चात किसी भी दावे और आपत्तियों हेतु 10 अक्तूबर तक का समय दिया जाएगा।
- इसके बाद ज़िला प्रशासक आधिकारिक रिकॉर्ड और प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर दावे और आपत्तियों का निपटारा करेंगे। दावेदारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा एवं प्रत्येक निवासियों को एक विशिष्ट पहचान पत्र दिया जाएगा।
- सरकार के अनुसार, RINN की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद किसी भी स्थानीय निवासी को प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाएगा तथा राज्य के स्थानीय निवासियों से जन्म लेने वाले बच्चों को ही जन्म प्रमाण पत्र के साथ निवास प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

नोट :

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर

- NRC वह रजिस्टर है जिसमें सभी भारतीय नागरिकों का विवरण शामिल है। इसे 1951 की जनगणना के बाद तैयार किया गया था। रजिस्टर में उस जनगणना के दौरान गणना किये गए सभी व्यक्तियों के विवरण शामिल थे।
- इसमें केवल उन भारतीयों के नाम को शामिल किया जा रहा है जो कि 25 मार्च, 1971 के पहले से असम में रह रहे हैं। उसके बाद राज्य में पहुँचने वालों को बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा।
- NRC उन्हीं राज्यों में लागू होती है जहाँ से अन्य देश के नागरिक भारत में प्रवेश करते हैं। एनआरसी की रिपोर्ट ही बताती है कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन नहीं।

नि:शुल्क कानूनी सहायता की गुणवत्ता

चर्चा में क्यों?

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली (The National Law University, Delhi (NLUD) ने 'कानूनी प्रतिनिधित्व की गुणवत्ता: भारत में मुफ्त कानूनी सहायता सेवाओं का एक अनुभवजन्य विश्लेषण' (Quality of Legal Representation: An Empirical Analysis of Free Legal Aid Services in India) शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार, लोगों को मुफ्त विधिक सेवाओं पर विश्वास नहीं है।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम (Legal Service Authorities-LSA, Act)

- वर्ष 1987 मे गरीबों को नि:शुल्क और सक्षम कानूनी सेवाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम (Legal Service Authorities Act-LSA Act) को लागू किया गया था।
- इस अधिनियम ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (National Legal Service Authority-NALSA) तथा राज्य, ज़िला एवं तालुका स्तर पर अन्य कानूनी सेवा संस्थानों के गठन का मार्ग प्रशस्त किया।
- LSA अधिनियम के तहत दी जाने वाली नि:शुल्क कानूनी सेवाएँ अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, बच्चों, महिलाओं, मानव तस्करी के शिकार लगों, औद्योगिक कामगारों, हिरासत में लिये गए व्यक्तियों और गरीबों के लिये उपलब्ध हैं।

महत्त्वपूर्ण तथ्य

- राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल (Commonwealth Human Rights Initiative-CHRI) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में प्रति व्यक्ति अधिवक्ता का अनुपात अन्य देशों के मुकाबले बेहतर है।
- भारत में लगभग 1.8 मिलियन अधिवक्ता हैं यानी प्रत्येक 736 लोगों पर एक अधिवक्ता उपलब्ध हैं।
- इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि देश में लगभग 61,593 अधिवक्ता पैनल हैं जिसका तात्पर्य यह है कि प्रति 18,609 की आबादी पर एक केवल एक विधिक सलाहकार या प्रति 1,00,000 की आबादी पर पाँच विधिक सलाहकार उपलब्ध हैं।
- NALSA द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2017 से जून 2018 तक पूरे भारत में लगभग 8.22 लाख लोग विधिक सहायता सेवाओं के से लाभान्वित हुए।

मुख्य निष्कर्ष

- अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार, लगभग 75% लाभार्थियों ने मुफ्त कानूनी सहायता का विकल्प इसलिये चुना क्योंकि उनके पास निज़ी अधिवक्ता को नियुक्त करने हेतु पर्याप्त संसाधन नहीं थे, यदि उनके पास पर्याप्त संसाधन (पूंजी) उपलब्ध होते तो वे LSA की सहायता नहीं लेते एवं निज़ी अधिवक्ता ही नियुक्त करते।
- 22.6% लाभार्थियों ने यह माना है कि वे दोबारा मुफ्त कानूनी सहायता सेवाओं का विकल्प नहीं चुनेंगे।
- नि:शुल्क कानूनी सहायता सेवाओं से अवगत 60% महिलाओं ने निज़ी अधिवक्ता का चयन किया क्योंकि कानूनी सहायता प्रणाली के तहत दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता पर उनकी विश्वसनीयता कम थी एवं अपने निजी अधिवक्ता पर वे बेहतर नियंत्रण रख सकती थी।

- 56% विधिक सेवा अधिवक्ता (Legal Aid Counsel- LAC) कानूनी सहायता के मामलों पर प्रति सप्ताह औसतन 1 से 10 घंटे का समय देते हैं। इसके विपरीत, लगभग 58% LAC निजी मामलों पर प्रति सप्ताह औसतन 20 घंटे या उससे अधिक समय व्यतीत करते हैं।
- लगभग 33% न्यायिक अधिकारियों ने दावा किया है कि LAC के खिलाफ लाभार्थियों से पैसे मांगने की शिकायतें भी सामने आई हैं।
- अधिकांश न्यायिक अधिकारियों (52%) का मानना है कि LAC की तुलना में निज़ी अधिवक्ता ज़्यादा योग्य होते हैं।

संवैधानिक प्रावधान

- संविधान के अनुच्छेद 39A में प्रावधान है कि- 'राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि न्यायतंत्र इस प्रकार से काम करें कि सभी को न्याय का समान अवसर मिले एवं आर्थिक या किसी अन्य कारण से कोई नागरिक न्याय प्राप्ति से वंचित न रह जाए। इसके लिये राज्य नि:शुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा।'
- अनुच्छेद 14 और 22 (1) भी राज्य के लिये विधि के समक्ष समता सुनिश्चित करने का प्रावधान करते हैं जो सभी को न्याय के समान अवसर उपलब्ध कराने के आधार को बढ़ावा देता है।

NALSA द्वारा किये गए के प्रयास

- कानूनी सहायता की इच्छा रखने वाले लोगों के लिये वन-स्टॉप सेंटर के रूप में ज़िला स्तर पर न्यायिक सहायता कार्यालयों को आधुनिक बनाना।
- कानूनी सहायता प्राप्त मामलों के रिकॉर्ड को अद्यतन करना ताकि कानूनी सहायता प्राप्त करने वालों को उनके मामलों की प्रगति के बारे में बताया जा सके और मामलों की बेहतर निगरानी संभव हो सके।
- NALSA के जागरूकता कार्यक्रमों (जैसे डोर-टू-डोर कैंपेन) ने लोगों को कानूनी सलाह और अन्य प्रकार की कानूनी सेवाओं जैसे अनुप्रयोगों के प्रारूपण आदि के बारे में जागरूक बनाया है।

आगे की राह

- पूर्णकालिक मनोनयन: वर्तमान में LAC का अनुबंध आमतौर पर तदर्थ (Ad-Hoc) आधार पर होता है। ऐसे में लगभग 45% नियामकों का मानना है कि LAC को पूर्णकालिक बनाने से निश्चित रूप से उनकी प्रतिबद्धता के स्तर में सुधार होगा।
- मानदेय: अध्ययन में यह भी कहा गया है कि निजी मामलों की तरह ही कानूनी सहायता प्राप्ति के मामले में मानदेय निर्धारित किया जाना चाहिये, इससे LAC सहायता प्राप्त मामलों से पीछे नहीं हटेंगे या ऐसे मामलों पर सहायता प्रदान करने से इनकार नहीं करेंगे।
- पारिश्रमिक: मनोनीत अधिवक्ताओं का पारिश्रमिक प्रतिवर्ष बढ़ाया जाना चाहिये। यह उन अधिवक्ताओं के लिये महत्त्वपूर्ण कदम साबित होगा जो किशोर अपराध न्यायालयों (Juvenile Courts) में सेवारत हैं क्योंकि उन्हें अपनी निजी प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की नई पहल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission- UGC) ने देश में अनुसंधान की संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु नई पहल 'स्कीम फॉर ट्रांस- डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज़ डेवलपिंग इकॉनमी' (Scheme for Trans-disciplinary Research for India's Developing Economy- STRIDE) की घोषणा की।

STRIDE के प्रमुख उद्देश्य

- इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं में निहित प्रतिभा की पहचान करना, अनुसंधान की संस्कृति तथा नवाचार को बढ़ावा देना, क्षमता निर्माण करना, भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय विकास हेतु ट्रांस- डिसिप्लिनरी रिसर्च को बढ़ावा देना है।
- मानविकी और मानव विज्ञान के संदर्भ में विशेष ध्यान देते हुए बहु-संस्थागत नेटवर्क तथा प्रभावी रिसर्च परियोजनाओं को फण्ड प्रदान करना।

प्रमुख बिंदु

- STRIDE उन अनुसंधान परियोजनाओं को सहायता प्रदान करेगा जो सामाजिक रूप से प्रासंगिक होने के साथ ही स्थानीय रूप से आवश्यकता आधारित, राष्ट्रीय स्तर एवं विश्व स्तर पर महत्तवपूर्ण हैं।

- यह अनुसंधान क्षमता निर्माण के साथ-साथ बुनियादी व अनुप्रयुक्त तथा परिवर्तनकारी अनुसंधान का समर्थन करेगा जो समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करने के साथ राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में योगदान दे सकता है।
- यह मज़बूत नागरिक समाज के निर्माण हेतु नए विचारों, अवधारणाओं और प्रथाओं तथा विकास को समर्थन प्रदान करेगा।
- इस योजना से भारतीय भाषाओं और ज्ञान प्रणालियों के क्षेत्र में गुणवत्तायुक्त अनुसंधानों को बढ़ावा मिलेगा।
- कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में ट्रांस- डिसिप्लिनरी रिसर्च कल्चर को मज़बूत करने में सहयोग हेतु STRIDE के निम्नलिखित तीन घटक दिये गए हैं ।
  - इसके अंतर्गत विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अनुसंधान तथा नवाचार को प्रेरित करने के साथ ही युवा प्रतिभाओं की पहचान की जाएगी। स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक समस्याओं के व्यावहारिक समाधान हेतु युवा प्रतिभाओं की पहचान व समर्थन करके विविध विषयों में अनुसंधान क्षमता का निर्माण किया जाएगा। इसमें सभी विषयों पर अनुसंधान के लिये 1 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा।
  - इस योजना के तहत भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था में योगदान करने के लिये सामाजिक नवाचार के क्षेत्र में अनुसंधान की मदद से समस्या निवारण हेतु कौशल बढ़ाया जाएगा। इसके तहत विश्वविद्यालयों, सरकार, स्वैच्छिक संगठनों और उद्योगों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें सभी विषयों पर अनुसंधान करने के लिये 50 लाख - 1 करोड़ तक का अनुदान दिया जाएगा।
  - इसके तहत निधिकरण के लिये पात्र शर्तों में शामिल हैं: दर्शन, इतिहास, पुरातत्त्व, नृविज्ञान, मनोविज्ञान, स्वतंत्र कला (Liberal Art), भाषा विज्ञान, भारतीय भाषा एवं संस्कृति, भारतीय ज्ञान प्रणाली, कानून, शिक्षा, पत्रकारिता, जनसंचार, वाणिज्य, प्रबंधन, पर्यावरण और सतत विकास। इस घटक के लिये उपलब्ध अनुदान के अंतर्गत एक उच्च शैक्षिणिक संस्थान (Higher Educational Institutions- HEI) हेतु 1 करोड़ रुपए और बहु संस्थागत नेटवर्क के लिये 5 करोड़ रुपए तक है।

ट्रांस-डिसिप्लिनरी रिसर्च

- यह नए वैचारिक, सैद्धांतिक, पद्धतिगत नवाचारों के निर्माण हेतु विभिन्न विषयों के क्षेत्र में किया जाने वाला एक प्रयास है जिसमें अनुशासन-विशिष्ट दृष्टिकोणों से परे आम समस्या पर ध्यान दिया जाएगा।
- शोध में ज्ञान के सैद्धांतिक प्रयासों से हटकर व्यावहारिक उपयोग की आवश्यकता को संदर्भित किया जाएगा।
- यह अनुशासनात्मक दृष्टिकोण से परे बौद्धिक रूपरेखा की एकता पर बल देता है और विभिन्न हितधारकों को शामिल करने के लिये विषयों की सीमाओं से परे जाकर समस्याओं को हल करने का प्रयास करता है।
- यह बहु और अंतर-अनुशासनात्मक अवधारणाओं के उपयोग द्वारा नवाचार को बढ़ावा देता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

- 28 दिसंबर, 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने औपचारिक तौर पर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की नींव रखी थी।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयी शिक्षा के मापदंडों के समन्वय, निर्धारण और अनुरक्षण हेतु वर्ष 1956 में संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संगठन है।
- पात्र विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अनुदान प्रदान करने के अतिरिक्त, आयोग केंद्र और राज्य सरकारों को उच्चतर शिक्षा के विकास हेतु आवश्यक उपायों पर सुझाव भी देता है।
- इसका मुख्यालय देश की राजधानी नई दिल्ली में अवस्थित है। इसके छह क्षेत्रीय कार्यालय पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी एवं बंगलूरू में हैं।

उच्च शिक्षा में क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा

चर्चा में क्यों ?

भारत सरकार ने देश के उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिये विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्य पुस्तकों को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में उपस्थित सभी 22 भाषाओं में अनुवाद करने तथा प्रकाशित करने की घोषणा की है।

प्रमुख बिंदु

- वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग (Commission for Scientific and Technical Terminology- CSTT) की ओर से क्षेत्रीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकों के प्रकाशन हेतु अनुदान प्रदान किया जा रहा है।
- अब तक ग्यारह भारतीय भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। ये हैं-
  - असमिया
  - बंगाली
  - गुजराती
  - हिंदी
  - कन्नड़
  - मलयालम
  - मराठी
  - उड़िया
  - पंजाबी
  - तमिल
  - तेलुगू
- राष्ट्रीय अनुवाद मिशन (National Translation Mission- NTM) को मैसूर स्थित केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (Central Institute of Indian Languages- CIIL) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में निर्धारित विभिन्न विषयों की ज़्यादातर पाठ्य पुस्तकों का भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) भी देश में उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देता है साथ ही 'केंद्रीय विश्वविद्यालयों में लुप्तप्राय भाषाओं के लिये केंद्र की स्थापना' योजना के तहत नौ केंद्रीय विश्वविद्यालयों का समर्थन करता है।
- भारत में संस्कृत भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:
  - आदर्श संस्कृत महाविद्यालयों/शोध संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
  - संस्कृत पाठशाला के छात्र को कॉलेज स्तर पर मेधावी छात्रवृत्ति का पुरस्कार।
  - विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिये गैर-सरकारी संगठनों/संस्कृत के उच्च शिक्षण संस्थानों को वित्तीय सहायता।
  - सेवानिवृत्त प्रख्यात संस्कृत विद्वान शिक्षण के लिये शास्त्र चूड़ामणि (Shastra Chudamani) योजना से जुड़े हैं।
  - भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, आयुर्वेद संस्थानों, आधुनिक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में, गैर-औपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्रों की स्थापना करके संस्कृत को गैर-औपचारिक संस्कृत शिक्षा (NFSE) कार्यक्रम के माध्यम से भी पढ़ाया जाता है।
  - संस्कृत भाषा के लिये राष्ट्रपति पुरस्कार प्रतिवर्ष 16 वरिष्ठ विद्वानों और 5 युवा विद्वानों को प्रदान किया जाता है।
  - प्रकाशन के लिये वित्तीय सहायता, दुर्लभ संस्कृत की पुस्तकों का पुनर्मुद्रण।
  - अष्टादशी में संस्कृत के विकास को बनाए रखने के लिये अठारह परियोजनाएँ शामिल हैं।

केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान Central Institute of Indian Languages- CIIL

- मैसूर में स्थित केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1969 में की गई थी।
- यह भारत सरकार की भाषा नीति को तैयार करने, इसके कार्यान्वयन में सहायता करने, भाषा विश्लेषण, भाषा शिक्षा शास्त्र, भाषा प्रौद्योगिकी तथा समाज में भाषा प्रयोग के क्षेत्रों में अनुसंधान द्वारा भारतीय भाषाओं के विकास में समन्वय करने हेतु स्थापित की गई है।

- इसके अंतर्गत इनके उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिये यह बहुत से कार्यक्रमों का आयोजन करता है, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :
  - भारतीय भाषाओं का विकास
  - क्षेत्रीय भाषा केन्द्र
  - सहायता अनुदान योजना
  - राष्ट्रीय परीक्षण सेवा

भारत में गैर-संचारी रोग (NCDS)

चर्चा में क्यों ?

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (Indian Council of Medical Research- ICMR) की रिपोर्ट 'इंडिया: हेल्थ ऑफ़ द नेशंस स्टेट्स' के अनुसार, वर्ष 2016 में होने वाली कुल मौतों में गैर-संचारी रोगों का योगदान 61.8% था।

प्रमुख बिंदु

गैर-संचारी रोग ऐसी दीर्घकालिक बीमारियाँ हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं जैसे- कैंसर, मधुमेह और हृदय रोग, जबकि संचारी रोग तेज़ी से संक्रमण करते हैं तथा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अति शीघ्र फैलते हैं जैसे- मलेरिया, टायफायड, चेचक, इन्फ्लुएन्ज़ा आदि।

- रिपोर्ट के अनुसार, केरल, गोवा और तमिलनाडु में महामारी के संक्रमण अर्थात् संचारी रोगों के कारण क्षेत्र में मृत्यु के मामले कम पाए गए जबकि मातृत्व, नवजात एवं पोषण संबंधी गैर-संचारी बीमारियाँ मृतकों की संख्या में वृद्धि कर रही हैं।
- गैर-संचारी रोग के जोखिम उम्र बढ़ने, अस्वास्थ्यकर आहार, शारीरिक गतिविधि की कमी, उच्च रक्तचाप, उच्च रक्त शर्करा, उच्च कोलेस्ट्रॉल तथा अधिक वज़न आदि के कारण बढ़ रहे हैं।
- हालाँकि सार्वजनिक स्वास्थ्य का विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है, केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों में पूरक का कार्य करती है।

गैर-संचारी रोग

- गैर-संचारी रोगों को दीर्घकालिक बीमारियों के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि ये लंबे समय तक बनी रहते हैं तथा ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं।
- आमतौर पर ये रोग आनुवंशिक, शारीरिक, पर्यावरण और जीवन-शैली जैसे कारकों के संयोजन का परिणाम होते हैं।
- यह एक आम धारणा है कि बढ़ती आय के साथ आहार संबंधी व्यवहार, अनाज और अन्य कार्बोहाइड्रेट आधारित भोजन से फलों, सब्जियों, दूध, अंडे और मांस जैसे पोषक तत्त्वों से समृद्ध विकल्पों की तरफ झुक जाता है।
- ऐसे खाद्य उत्पाद ऊर्जा-गहन (Energy-dense) और वसा, शर्करा तथा नमक की उच्च मात्रा से युक्त होते हैं जो इनके उपभोक्ताओं की NCDs और मोटापे के प्रति सुभेद्यता को बढ़ाते हैं।
- गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और इन पर नियंत्रण हेतु वैश्विक कार्रवाई के तहत विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की योजना में चार मुख्य NCD शामिल किये गए हैं, जो कि निम्नलिखित हैं:
  - हृदयवाहिनी बीमारियाँ (Cardiovascular Diseases-CVD) जैसे-हार्ट अटैक एवं स्ट्रोक
  - कैंसर
  - दीर्घकालिक श्वास संबंधी बीमारियाँ
  - मधुमेह (Diabetes)
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हृदय संबंधी विकार, कैंसर और मधुमेह सहित गैर-संचारी रोग भारत में लगभग 61% मौतों का कारण बनते हैं।
- इन बीमारियों के कारण लगभग 23% लोगों पर प्री-मैच्योर (समय से पहले) मौत का खतरा बना हुआ है।

केंद्र सरकार के प्रयास

- केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission- NHM) के तहत कैंसर, मधुमेह और हृदय रोगों तथा स्ट्रोक की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य कैंसर सहित सामान्य गैर-संचारी रोगों से लोगों को सुरक्षा प्रदान करना है जिसमें स्वास्थ्य संवर्द्धन गतिविधियाँ आदि शामिल है।
- NHM के तहत गैर-संचारी रोगों जैसे- डायबिटीज़, उच्च रक्तचाप और कैंसर (ओरल, ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर) की जनसंख्या आधारित स्क्रीनिंग/जाँच शुरू की गई है।
- जनसंख्या आधारित स्क्रीनिंग के प्रमुख घटकों में समुदाय आधारित जोखिम का मूल्यांकन, परीक्षण, परामर्श आदि शामिल हैं, और सामान्य गैर-संचारी रोगों (उच्च रक्तचाप, मधुमेह, ओरल कैंसर, स्तन कैंसर और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर) के लिये 30 साल तथा उससे अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों की सहायता करना शामिल है।
- यह पहल शुरुआती निदान में मदद करेगी और गैर-संचारी रोगों के जोखिम कारकों के विषय में जागरूकता पैदा करेगी।
- कैंसर की तृतीयक देखभाल (Tertiary Care) में सुविधाओं को बढ़ाने के लिये केंद्र सरकार देश के विभिन्न हिस्सों में राज्य कैंसर संस्थानों (State Cancer Institutes- SCI)और तृतीयक देखभाल केंद्रों (Tertiary Care Centres) की स्थापना में सहायता हेतु नई योजनाएँ लागू कर रही है।
- सस्ती दवाओं तथा उपचार के लिये विश्वसनीय प्रत्यारोपण (Affordable Medicines and Reliable Implants for Treatment- AMRIT) हेतु 159 संस्थानों/अस्पतालों में दीनदयाल आउटलेट खोले गए हैं, जिनका उद्देश्य कैंसर और हृदय रोग एवं प्रत्यारोपण के रोगियों को रियायती कीमतों पर दवा उपलब्ध कराना है

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

- भारत सरकार द्वारा इस मिशन को वर्ष 2013 में प्रारंभ किया गया। इसे वर्ष 2020 तक जारी रखने की योजना है।
- इसके दो उप-मिशन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हैं।
- इस मिशन का उद्देश्य प्रजनन-मातृ-नवजात शिशु- बाल एवं किशोरावस्था स्वास्थ्य (RMNCH-A) तथा संक्रामक एवं गैर-संक्रामक रोगों के लिये ग्रामीण एवं शहरी स्वास्थ्य प्रणाली को मज़बूत बनाना शामिल है।
- इस मिशन का लक्ष्य न्यायसंगत, सस्ती एवं गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौम पहुँच सुनिश्चित करना है।

संसद द्वारा केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) विधेयक, 2019 पारित

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संसद द्वारा केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) विधेयक, 2019 [Central Educational Institutions (Reservation in Teachers' Cadre) Bill, 2019] पारित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- यह विधेयक "केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (शिक्षकों के संवर्ग में आरक्षण) अध्यादेश, 2019" को प्रतिस्थापित करेगा ।
- केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) विधेयक, 2019 विश्वविद्यालय / कॉलेज को एक इकाई के रूप में मानकर आरक्षण प्रदान करता है, जबकि इससे पूर्ववर्ती अध्यादेश में 200 यूनिट के रोस्टर के आधार पर आरक्षण दिया जाता था।
- अब विभाग / विषय को एक इकाई के रूप में नहीं माना जाएगा। इस निर्णय के निम्नलिखित प्रभाव होंगे:-
- इस विधेयक को मंज़ूरी मिलने के बाद केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में 7000 से अधिक रिक्तियों पर सीधी भर्ती प्रारंभ हो जाएगी तथा सरकारी शैक्षणिक संस्थानों (केंद्रीय और राज्य) में अध्यापक संवर्ग के लगभग 3 लाख रिक्त पदों को भरने का मार्ग भी प्रशस्त होगा ।
- यह विधेयक अनुच्छेद 14, 16 और 21 के संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करता है।

- शिक्षक संवर्ग की सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (SCs/STs/SEBCs/EWS) का पूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो पायेगा ।
- यह विधेयक आरक्षित वर्गों के योग्य एवं प्रतिभावान उम्मीदवारों को आकर्षित कर उच्च शिक्षा संस्थानों के अध्यापन मानकों में सुधार करेगा।
- शिक्षकों के संवर्ग में सीधी भर्ती में पदों के आरक्षण की इकाई 'विश्वविद्यालय / शैक्षणिक संस्थान होगा न कि विभाग।
- सरकार द्वारा अनुमोदित यह विधेयक SC/ ST/SEBC से संबंधित व्यक्तियों द्वारा लंबे समय से की जा रही मांगों को संबोधित करेगा और संविधान के अंतर्गत परिकल्पित उनके अधिकारों को भी सुनिश्चित करेगा। यह आर्थिक रूप से कमज़ोर समुदायों (EWS) के लिये 10% आरक्षण को भी सुनिश्चित करेगा।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण

संदर्भ

वर्तमान समय में देश में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (National Family Health Survey-NFHS 5) के पाँचवें संस्करण (NFHS 5- 2018-19) का आयोजन किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- NFHS-5 (2018-19) के तहत लक्षित आबादी समूहों के निश्चित आँकड़ों को सतत् विकास समूहों के साथ संरेखित करते हुए बढ़ती आयु के साथ मधुमेह, उच्च रक्तचाप तथा इसके जोखिम कारकों पर विस्तृत विचार- विमर्श किया जाएगा।
- कुछ समय पहले NFHS-5 का पुनर्गठन किया गया जिसमें विकलांगता, मलेरिया, एचबीए1सी (HbA1c) और विटामिन डी के परीक्षण के लिये DBS का संग्रह और कमर तथा कूल्हे की माप, स्कूल-पूर्व शिक्षा, मृत्यु पंजीकरण आदि शामिल हैं।
- हालाँकि NACO की सहमति से NFHS-5 से HIV परीक्षण को हटा दिया गया है। इसके अलावा शहरी और ग्रामीण आकलन ज़िला स्तर पर तथा स्लम, गैर-स्लम आकलन की सुविधा NFHS-5 में प्रदान नहीं की जाएगी।
- NFHS-5 को NFHS-4 का बेंचमार्क मानते हुए योजना बनाई गई है। इसमें मार्च, 2017 तक निर्मित नए 67 ज़िलों सहित 707 ज़िलों (2011 की जनगणना के बाद) को शामिल किया जाएगा, जबकि NFHS-4 में 640 ज़िले शामिल हैं।
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (National Family Health Survey- NFHS) के चार राउंड देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आयोजित किये जा चुके हैं, जो निम्नलिखित हैं:
  - 1992-93 (NFHS 1)
  - 1998-99 (NFHS 2)
  - 2005-06 (NFHS-3)
  - 2015-16 (NFHS-4)
- वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (Annual Health Survey- AHS) के तीन राउंड्स (2010-11, 2011-12 और 2012-13) को भारत सरकार के जनगणना आयुक्त कार्यालय के माध्यम से क्रमश: असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 284 ज़िलों के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में किया गया था।
- NFHS-1 में जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर क्षेत्र को कानून-व्यवस्था की स्थिति के कारण कवर नहीं किया गया था, वहीं सिक्किम को भी बुनियादी पैरामीटर की अनुपलब्धता के कारण इस सर्वेक्षण में शामिल नही किया गया था।
- NFHS-1, 2, 3 में दिल्ली को छोड़कर किसी अन्य केंद्रशासित प्रदेश को सर्वेक्षण में शामिल नही किया गया था क्योंकि यह सर्वेक्षण राज्यों पर केंद्रित था
- NFHS-4 में पहली बार राज्य/राष्ट्र स्तर पर आवश्यक विशेषताओं तथा राष्ट्रीय, राज्य एवं ज़िला स्तर पर परिवार कल्याण स्वास्थ्य संकेतकों के आधार पर प्रजनन क्षमता, शिशु और बाल मृत्यु के स्तर का पहली बार एकीकृत सर्वेक्षण किया गया।

हेनले पासपोर्ट सूचकांक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक (Henley Passport Index), 2019 में भारत के पासपोर्ट को 86वाँ स्थान प्राप्त हुआ है।

मुख्य बिंदु :

- इस सूचकांक में कुल 199 पासपोर्टों और 227 छोटे-बड़े देशों को शामिल किया गया है।
- इस सूचकांक में भारत का मोबिलिटी स्कोर 58 रहा। सरल शब्दों में कहें तो भारत के पासपोर्ट के साथ आप विश्व के 58 देशों में बिना किसी पूर्व वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं।
- भारत के अतिरिक्त 86वें स्थान पर मॉरिटानिया (Mauritiana) तथा साओ टोमे और प्रिंसिपे (Sao Tome and Principe) भी शामिल हैं।
- 189 के मोबिलिटी स्कोर के साथ जापान और सिंगापुर इस सूचकांक में सबसे शीर्ष स्थान पर हैं।
- इसके अतिरिक्त दक्षिण कोरिया, जर्मनी और फ़िनलैंड 187 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान परहैं।
- इस सूचकांक में सबसे निचले स्थान (109वें) पर अफ़ग़ानिस्तान है, जिसके पासपोर्ट धारक 25 देशों में बिना किसी पूर्व वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं।

अन्य भारतीय पड़ोसी देशों की रैंकिंग		
देश	रैंकिंग	स्कोर
बांग्लादेश	101	39
चीन	74	70
पाकिस्तान	106	30
नेपाल	102	38
म्यांमार	97	46
भूटान	92	52
अफ़ग़ानिस्तान	109	25

हेनले पासपोर्ट सूचकांक :

- यह सूचकांक हेनले ग्लोबल मोबिलिटी रिपोर्ट (Henley Global Mobility Report) का एक हिस्सा है जिसे इंटरनेशनल सर्वे कंपनी हेनली एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया जाता है।
- हेनले पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया के सभी पासपोर्टों की क्रमबद्ध रैंकिंग करता है और यह भी बताता है कि किसी एक विशेष देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना पूर्व वीज़ा के यात्रा कर सकता है।
- यह रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (International Air Transport Association - IATA) द्वारा जारी किये जाने वाले डेटा के आधार पर तैयार की जाती है।

डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न प्रयास

चर्चा में क्यों?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन (National Mission on Education through Information and Communication Technology-NMEICT) कार्यक्रम का संचालन कर रहा है।

प्रमुख बिंदु

इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश में सभी शिक्षार्थियों को सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली सामग्री नि:शुल्क उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न पहलें निम्नानुसार हैं:

स्वयं:

- स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स (SWAYAM) एक एकीकृत मंच है जो स्कूल (9वीं- 12वीं) से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है।
- अब तक SWAYAM पर 2769 बड़े पैमाने के ऑनलाइन कोर्सेज (Massive Open Online Courses- MOOC) बड़े पैमाने पर ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम) की पेशकश की गई है, जिसमें लगभग 1.02 करोड़ छात्रों ने विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिला लिया है।
- ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का उपयोग न केवल छात्रों द्वारा बल्कि शिक्षकों और गैर-छात्र शिक्षार्थियों द्वारा भी जीवन में कभी भी सीखने के रूप में किया जा रहा है।
- इसे swayam.gov.in पर देखा जा सकता है।
- NCERT कक्षा IX-XII तक के लिये 12 विषयों में स्कूल शिक्षा प्रणाली हेतु बड़े पैमाने पर ऑनलाइन पाठ्यक्रमों (Massive Open Online Courses- MOOCs) का मॉड्यूल विकसित कर रहा है।
- ये 12 विषय अकाउंटेंसी, व्यावसायिक अध्ययन, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, आर्थिकी, इतिहास, भूगोल, गणित, भौतिकी, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र हैं
- पहली बार में बारह पाठ्यक्रम शुरू किये गए थे इसमें विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगभग 22,000 छात्र पंजीकृत थे। दूसरी बार बीस पाठ्यक्रम शुरू किये गए जिसमें लगभग 33,000 छात्र पंजीकृत थे।

स्वयं प्रभा: SWAYAM Prabha

- यह 24X7 आधार पर देश में सभी जगह डायरेक्ट टू होम (Direct to Home- DTH) के माध्यम से 32 उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक चैनल प्रदान करने की एक पहल है।
- इसमें पाठ्यक्रम आधारित पाठ्य सामग्री होती है जो विविध विषयों को कवर करती है।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य गुणवत्ता वाले शिक्षण संसाधनों को दूरदराज़ के ऐसे क्षेत्रों तक पहुँचाना है जहाँ इंटरनेट की उपलब्धता अभी भी एक चुनौती बनी हुई है।

राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी :

- भारत की राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी (National Digital Library of India-NDL) एक एकल-खिड़की खोज सुविधा (Single-Window Search Facility) के तहत सीखने के संसाधनों के आभासी भंडार का एक ढाँचा विकसित करने की परियोजना है।
- इसके माध्यम से यहाँ 3 करोड़ से अधिक डिजिटल संसाधन उपलब्ध हैं।
- सामग्री में शिक्षा के लगभग सभी प्रमुख डोमेन और जीवनभर सीखने वाले शिक्षार्थियों के सभी प्रमुख स्तर शामिल हैं।
- लगभग 20 लाख सक्रिय उपयोगकर्त्ताओं के साथ 50 लाख से अधिक छात्रों ने इसमें अपना पंजीकरण कराया है।
- NDL एक मोबाइल एप के माध्यम से भी उपलब्ध है। इसे ndl.gov.in पर देखा जा सकता है।

स्पोकन ट्यूटोरियल: Spoken Tutorial

- छात्रों की रोजगार क्षमता को बेहतर बनाने के लिये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पर 10 मिनट के ऑडियो-वीडियो ट्यूटोरियल उपलब्ध हैं।
- यह सभी 22 भाषाओं की उपलब्धता के साथ ऑनलाइन संस्करण है जो स्वयं सीखने के लिये बनाया गया है।
- भाषाओं में C, C, Java, PHP, Python, PerL, Scilab, OpenFOAM, OpenModelica, DWSIM, LibreO आदि हैं।
- स्पोकन ट्यूटोरियल के माध्यम से बिना शिक्षक की उपस्थिति के पाठ्यक्रम को प्रभावी रूप से नए उपयोगकर्त्ता को प्रशिक्षित करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।

शिक्षा के लिये मुफ्त और मुक्त स्त्रोत सॉफ़्टवेयर (Free and Open Source Software for Education- FOSSEE)

- FOSSEE शिक्षण संस्थानों में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उपयोग को बढ़ावा देने वाली एक परियोजना है।
- यह शिक्षण सामग्री, जैसे कि स्पोकन ट्यूटोरियल्स, डॉक्यूमेंटेशन, जागरूकता कार्यक्रम, यथा कॉन्फ्रेंस, ट्रेनिंग वर्कशॉप एवं इंटर्नशिप के माध्यम से किया जाता है।
- इस परियोजना में लगभग 2,000 कॉलेज के छात्रों और शिक्षकों ने इस गतिविधि में भाग लिया है।

वर्चुअल लैब:

- इस प्रोजेक्ट का उपयोग प्राप्त ज्ञान की समझ का आकलन करने, आँकड़े एकत्र करने और सवालों के उत्तर देने के लिये पूरी तरह से इंटरैक्टिव सिमुलेशन एन्वायरनमेंट (Interactive Simulation Environment) विकसित करना है।
- महत्त्वाकांक्षी परियोजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने, वास्तविक दुनिया के वातावरण और समस्याओं से निपटने की क्षमता विकसित करने के लिये अत्याधुनिक कंप्यूटर सिमुलेशन तकनीक के साथ आभासी प्रयोगशालाओं को विकसित करना आवश्यक है।
- इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 1800 से अधिक प्रयोगों के साथ लगभग 225 ऐसी प्रयोगशालाएँ संचालित हैं और 15 लाख से अधिक छात्रों को लाभ प्रदान कर रही हैं।

ई-यंत्र:

- यह भारत में इंजीनियरिंग कॉलेजों में एम्बेडेड सिस्टम (Embedded Systems) और रोबोटिक्स (Robotics) पर प्रभावी शिक्षा को सक्षम करने की एक परियोजना है।
- शिक्षकों और छात्रों को प्रशिक्षण कार्यशालाओं के माध्यम से एम्बेडेड सिस्टम और प्रोग्रामिंग की मूल बातें सिखाई जाती हैं।
- इस पहल से पूरे भारत के 275 से अधिक कॉलेज लाभान्वित हुए हैं।
  - मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूल शिक्षा विभाग (Department of School Education) के अंतर्गत शिक्षार्थियों की ऑनलाइन संसाधनों तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिये निम्नलिखित योजनाएँ चलाई गई हैं।
- NCERT द्वारा ई- रिसोर्सेज़ (eResources जैसे ऑडियो, वीडिओ इंटरएक्टिव आदि) के रूप में विकसित अध्ययन सामग्री को वेब पोर्टल्स के माध्यम से हितधारकों के साथ साझा किया गया है। उदाहरण के लिये स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स (SWAYAM), ई- पाठशाला (ePathshala), नेशनल रिपोजिटरी ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज़ (NROER) और मोबाइल एप्लीकेशंस।
- एक वेब पोर्टल (http://epathshala.nic.in/, http://epathshala.gov.in/) और मोबाइल एप (Android, iOS और Windows) डिज़ाइन किये गए हैं। जिनका संचालन भी किया जा रहा है।
- पोर्टल में 1886 ऑडियो, 1999 वीडियो, 698 ई-पुस्तकें (ई-पब) और 504 फ्लिप पुस्तकें हैं।

त्वरित प्रतिक्रिया: Quick Response (QR)

- छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों और शिक्षकों को डिजिटल संसाधनों का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिये QR कोड बनाए गए हैं।
- QR कोड को किताबों के प्रत्येक अध्याय के साथ एनसीईआरटी की विधिवत मैपिंग eResources की मुद्रित पाठ्य पुस्तकों के साथ एकीकृत किया गया है।

  नेशनल रिपोजिटरी ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज़ (NROER)
  (http://nroer.gov.in/welcome) को NCERT द्वारा डिज़ाइन किया गया है।
- अब तक कुल 14145 फाइलें जिनमें 401 संग्रह, 2779 दस्तावेज़, 976 इंटरैक्टिव, 1664 ऑडियो, 2586 चित्र और 6140 वीडियो अपलोड किये गए हैं।
- शिक्षा में ICT (Information and Communications Technology) ICT के क्षेत्र में कई पहलें की गई हैं, जैसे छात्रों और शिक्षकों के लिये ICT पाठ्यक्रम का विकास और प्रसार, नौवीं कक्षा के लिये ICT पाठ्यपुस्तक, साइबर सुरक्षा और सुरक्षा दिशा-निर्देश, स्वयम् प्रभा डीटीएच टीवी चैनल, किशोर मंच, ऑल इंडिया ऑडियो-वीडियो उत्सव और ICT मेला, स्कूल के शिक्षकों को राष्ट्रीय ICT पुरस्कार आदि।

शिक्षा पाठ्यक्रम में सूचना व संचार तकनीक (Information and Communications Technology) छात्रों, शिक्षकों और शिक्षक शिक्षकों के लिये राष्ट्रीय स्तर पर विकसित किया गया है और देश भर में लागू किया जा रहा है।

- CBSE द्वारा डिजिटल शिक्षण पहल: सारांश (SARANSH) CBSE संबद्ध स्कूलों और अभिभावकों के लिये स्वयं समीक्षा और विश्लेषण करने का एक उपकरण है।
- यह उन्हें उपचारात्मक उपाय करने के लिये छात्रों के प्रदर्शन का विश्लेषण करने में सक्षम बनाता है।
- SARANSH स्कूलों, शिक्षकों और माता-पिता को एक-दूसरे के करीब लाता है, ताकि वे छात्रों की प्रगति की निगरानी कर सकें और उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद कर सकें।
- यह वर्तमान में मानक कक्षा IX - XII तक के लिये उपलब्ध है।

क्लासरूम सेंट्रिक डिजिटल हस्तक्षेप: A scheme Operation Digital Board (ODB)

- सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की नौवीं से बारहवीं कक्षा में स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना के लियेएक योजना ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड (Operation Digital Board) पर विचार चल रहा है।

GER में वृद्धि का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य

चर्चा में क्यों ?

भारत सरकार ने वर्ष 2024 तक सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio - GER) को 40 प्रतिशत तक बढ़ाने का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।

मुख्य बिंदु:

- विशेषज्ञों के अनुसार, इसे प्राप्त करने का एकमात्र तरीका पिछड़े ज़िलों में कॉलेज खोलना और सामाजिक तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों को अध्ययन के लिये वहाँ दाख़िला देना ही है।
- जहाँ एक ओर वर्तमान में देश का GER लगभग 25.8 प्रतिशत है, वहीं दूसरी ओर जातिगत आँकड़ों कि बात करें तो SC के लिये यह 21.8 प्रतिशत और ST के लिये यह 15.9 प्रतिशत है।
- यदि भारत की तुलना वैश्विक स्तर पर की जाए तो भारत का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है।
- ब्रिक्स राष्ट्रों की बात करें तो रूस में GER 81.8 प्रतिशत, ब्राज़ील में 50.5 प्रतिशत और चीन में 50.0 प्रतिशत है।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) ने अगले पाँच वर्षों में इस महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य की प्राप्ति के लिये 30,338 करोड़ रुपए का निवेश करने का प्रस्ताव किया है।
- इस संदर्भ में मंत्रालय द्वारा जारी किये गए दस्तावेज़ में GER को 40 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिये एक चहुँमुखी रणनीति का सुझाव दिया गया है।

सरकार की चहुंमुखी रणनीति :

- आर्थिक रूप से कमज़ोर 16 लाख युवाओं को शिक्षा से जोड़ने और आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिये 8000 समरस हॉस्टलों (Samras Hostels) का निर्माण किया जाएगा।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सहायता करने के लिये 1000 करोड़ रुपए के निवेश से फिनिशिंग स्कूलों (Finishing Schools) का निर्माण किया जाएगा।
- मंत्रालय द्वारा पिछड़े ब्लॉकों के 500 डिग्री कॉलेजों को व्यावसायिक डिग्री कॉलेज (Vocational Degree Colleges - VCD) में बदलने का भी प्रस्ताव रखा गया है।
- बिना डिजिटल पहुँच वाले ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचाना एक और बड़ी चुनौती है, जिससे निपटने के लिये सरकार वहाँ पर 'कन्वेंशनल स्टडी सेंटर' (Conventional Study Centres) स्थापित करेगी।

प्रस्तुत दस्तावेज़ से संबंधी महत्त्वपूर्ण पहलू :

- यह दस्तावेज़ 10 विशेषज्ञों द्वारा विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया है।
- विशेषज्ञों के इस समूह की अध्यक्षता गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के चांसलर हसमुख अधिया ने की थी।

अतंर्राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019

चर्चा में क्यों ?

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अतंर्राज्यीय नदियों के जल और नदी घाटी से संबंधित विवादों के न्यायिक निर्णय के लिये अतंर्राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक [Inter-State River Water disputes(Amendment) Bill] 2019 को मंज़ूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

- यह विधेयक अतंर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (Inter State River Water Disputes Act, 1956) में संशोधन का प्रावधान करता है।
- इसका उद्देश्य अतंर्राज्यीय नदी जल विवादों के न्यायिक निर्णय को सरल और कारगर बनाना और मौजूदा संस्थागत ढाँचे को मज़बूत बनाना है।

प्रभाव:

- न्यायिक निर्णय के लिये सख्त समय सीमा निर्धारण और विभिन्न बैंचों के साथ एकल न्यायाधिकरण के गठन से अतंर्राज्यीय नदियों से संबंधित विवादों तथा न्यायाधिकरण को सौंपे गए जल विवादों का तेज़ी से समाधान करने में मदद मिलेगी।
- इस विधेयक में संशोधनों से न्यायिक निर्णय में तेज़ी आएगी।

जल-विवाद न्यायाधिकरण का गठन

- जब किसी राज्य सरकार से अतंर्राज्यीय नदियों के बारे में जल विवाद के संबंध में कोई अनुरोध अतंर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत प्राप्त हो और केंद्र सरकार का यह मत हो कि बातचीत के द्वारा जल विवाद का समाधान नही हो सकता तो केंद्र सरकार जल विवाद के न्यायिक निर्णय के लिये जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन करती है।

नदी जल विवाद से जुड़े संवैधानिक प्रावधान

- अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के निपटारे हेतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 में प्रावधान है।
- अनुच्छेद 262(2) के तहत सर्वोच्च न्यायालय को इस मामले में न्यायिक पुनरावलोकन और सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया है।
- अनुच्छेद 262 संविधान के भाग 11 का हिस्सा है जो केंद्र-राज्य संबंधों पर प्रकाश डालता है।
- अनुच्छेद 262 के आलोक में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 का आगमन हुआ।
- इस अधिनियम के तहत संसद को अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के निपटारे हेतु अधिकरण बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जिसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बराबर महत्त्व रखता है।
- इस कानून में खामी यह थी कि अधिकरण के गठन और इसके फैसले देने में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई थी।
- सरकारिया आयोग (1983-88) की सिफरिशों के आधार पर 2002 में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 में संशोधन कर अधिकरण के गठन में विलंब वाली समस्या को दूर कर दिया गया।

निष्कर्ष

जल एक सीमित संसाधन है और इसकी मांग मानव सभ्यता के विकास के साथ-साथ बढ़ती ही जा रही है। घटते जल-स्रोत और बढ़ती आवश्यकता, मांग-आपूर्ति के संतुलन को बिगाड़ते हैं जिससे नदी जल विवाद पैदा होता है। देश में कई नदी जल विवाद विभिन्न राज्यों के बीच लंबे समय से चल रहे हैं, जो एक गंभीर विषय है। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के निपटारे हेतु बने नियम-कानूनों की अस्पष्टता और शिथिलता भी नदी जल विवाद के राजनीतिकरण को बढ़ावा देती है जिससे यह समस्या सुलझने की बजाय उलझती ही चली जाती है और नदी जल विवाद का कारण बनती है।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थल स्थिति विधेयक, 2019 संहिता

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थल स्थिति विधेयक, 2019 संहिता (Code on Occupational Safety, Health and Working Conditions Bill, 2019) को संसद में पेश करने की मंज़ूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

- इसके माध्यम से विधेयक में श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थल की स्थितियों से संबंधित व्यवस्थाओं को वर्तमान की तुलना में कई गुना बेहतर बनाया जा सकेगा।
- नई संहिता के माध्यम से महत्त्वपूर्ण केंद्रीय श्रम कानूनों की निम्नलिखित व्यवस्थाओं को एक साथ मिलाकर, सरल और युक्तिसंगत बनाया गया है:
  1. कारखाना अधिनियम 1948 (The Factories Act, 1948)
  2. खदान अधिनियम 1952; बंदरगाह श्रमिक (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) कानून, 1986
  3. भवन और अन्य निर्माण कार्य (रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तें) कानून 1996
  4. बागान श्रम अधिनियम 1951
  5. संविदा श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970
  6. अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक (रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम 1979
  7. श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा शर्तें और अन्य प्रावधान) अधिनियम 1955
  8. श्रमजीवी पत्रकार (निर्धारित वेतन दर) अधिनियम 1958
  9. मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961
  10. बिक्री संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) अधिनियम 1976
  11. बीड़ी और सिगार श्रमिक (रोजगार शर्तें) अधिनियम 1966
  12. सिनेमा कर्मचारी और सिनेमा थिएटर कर्मचार (अधिनियम 1981)
- नई संहिता के लागू होने के साथ ही उपरोक्त सभी अधिनियम इस संहिता में समाहित हो जाएंगे और अलग से उनका कोई अस्तित्व नहीं रह जायेगा।
- देश के कार्यबल के लिये स्वस्थ और सुरक्षित कामकाज की स्थितियाँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नई श्रम संहिता का दायरा मौजूदा बड़े औद्योगिक क्षेत्रों से बढ़ाकर उन सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों तक कर दिया गया है जहाँ 10 या उससे अधिक लोग काम करते हैं।

लाभ

- सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएँ और कार्यस्थलों में कामकाज की बेहतर स्थितियाँ श्रमिकों के कल्याण के साथ ही देश के आर्थिक विकास के लिये भी पहली शर्त है क्योंकि इनसे देश का स्वस्थ कार्यबल ज़्यादा उत्पादक होगा और कार्यस्थलों में सुरक्षा के बेहतर इंतजाम होने से दुर्घटनाओं में कमी आएगी जो कर्मचारियों के साथ ही नियोक्ताओं के लिये भी फायदेमंद होगा।

प्रारूप मॉडल किरायेदारी अधिनियम, 2019

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs) ने 'मॉडल किरायेदारी अधिनियम, 2019' ('Model Tenancy Act', 2019- MTA) का एक मसौदा तैयार किया है।

प्रमुख बिंदु

- इस प्रारूप में मालिक और किरायेदार दोनों के हितों और अधिकारों को संतुलित करने तथा परिसरों/आवासों को अनुशासित एवं कुशल तरीके से किराये पर देने में उत्तरदायी और पारदर्शी व्यवस्था बनाने का प्रावधान है।

- यह अधिनियम समाज के विभिन्न आय वर्गों के लिये किराये पर मकानों की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने में सहायता प्रदान करेगा।
- समाज के इन वर्गों में अन्य जगह पर बसे लोग, औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक, पेशेवर लोग, विद्यार्थी आदि शामिल हैं।
- इस अधिनियम का उद्देश्य गुणवत्ता संपन्न किराये के आवासों तक पहुँच को बढ़ाना है।
- यह विधेयक पूरे देश में किराये के मकानों के संदर्भ में समग्र कानूनी रूपरेखा को नया रूप देने में सहायक होगा।
- यह विधेयक देश में रिहायशी मकानों की भारी कमी की समस्या से निपटने के लिये किराये हेतु आवासों के निर्माण क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा।

प्रावधान की विशेषताएँ

- प्रारूप मॉडल किरायेदारी अधिनियम, 2019 (MTA) किराये के मकानों की वृद्धि, इस क्षेत्र में निवेश, उद्यम के अवसर तथा स्थान साझा करने की नवाचारी व्यवस्था को प्रोत्साहित करेगा।
- यह MTA भविष्य में किरायेदारी के मामले में लागू होगा। वर्तमान किरायेदारी के मामलों को यह प्रभावित नहीं करेगा।

प्रारूप मॉडल किरायेदारी अधिनियम, 2019 (MTA 2019) के प्रावधान

- इसमें शिकायतों के समाधान की व्यवस्था का प्रावधान है जिसमें किराया प्राधिकरण, किराया न्यायालय और किराया न्यायाधिकरण शामिल हैं।
- इसमें आवासीय संपत्तियों के मामले में अधिकतम दो महीने के किराये के बराबर जमानत राशि की सीमा प्रस्तावित है तथा गैर-आवासीय संपत्ति के मामले में यह सीमा कम-से-कम एक महीने के किराये के बराबर है।
- इस अधिनियम के लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति लिखित समझौता किये बिना न तो परिसर/आवास को किराये पर दे सकता है और न कोई व्यक्ति परिसर को किराये पर ले सकता है।
- यह मॉडल अधिनियम शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू होगा।
- किराया समझौता होने के दो महीने के अंदर मकान मालिक एवं किरायेदार को इस समझौते के बारे में किराया प्राधिकरण को सूचना देनी होगी तथा किराया प्राधिकरण सात दिनों के अंदर दोनों पक्षों को विशिष्ट पहचान संख्या जारी करेगा।
- किरायेदारी समझौता तथा अन्य दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करने के लिये राज्य की स्थानीय भाषा में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म स्थापित किया जाएगा।
- मॉडल अधिनियम को अंतिम रूप दिये जाने के बाद अतिशीघ्र इसे राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ साझा किया जाएगा।

निष्कर्ष

- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, देश भर में लगभग 1.1 करोड़ मकान खाली थे। इन मकानों को किराये पर उपलब्ध कराने से वर्ष 2022 तक सभी के लिये घर के विज़न को पूरा किया जा सकेगा।
- वर्तमान किराया नियंत्रण कानून के कारण किराये पर दिये जाने वाले मकानों की संख्या में वृद्धि नही हो रही है। मकान मालिकों में इस बात का डर बना रहता है कि कहीं मकान को किराये पर देने से मकान दूसरे के कब्ज़े में न चला जाए।

सतलज-यमुना नहर विवाद

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में पंजाब, हरियाणा और केंद्र सरकार को सतलज-यमुना को जोड़ने वाली नहर (Satluj-Yamuna Link Canal-SYL) से जुड़े मुद्दे को सौहार्द्रपूर्ण ढंग से हल करने को कहा है।

पृष्ठभूमि

- इस विवाद की शुरुआत 1 नवंबर, 1966 को हुए राज्य पुनर्गठन के बाद से ही शुरू हो गई थी। राज्य पुनर्गठन के चलते भौगोलिक रूप से हरियाणा राज्य तो अस्तित्व में आया लेकिन नदियों के जल के बँटवारे को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।
- समस्या समाधान के प्रयासों के क्रम में सर्वप्रथम तात्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वर्ष 1981 में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई।

- इसी समय एक अध्ययन से यह पता चला कि इन नदियों में जल की उपलब्धता 158.50 मिलियन एकड़ फीट से बढ़कर 171.50 मिलियन एकड़ फीट हो गई है।
- इस बैठक में यह समझौता हुआ कि अतिरिक्त जल पंजाब को दिया जाएगा और पंजाब सतलज यमुना नहर के अपने हिस्से के 121 किमी. का निर्माण करवाएगा।
- इस समझौते के तहत हरियाणा और पंजाब के जल विवाद संबंधी सभी विवादों को सर्वोच्च न्यायालय से वापस ले लिया गया।
- इस समझौते के तहत सतलज-यमुना नहर परियोजना का निर्माण कार्य वर्ष 1991 तक पूरा हो जाना चाहिये था, लेकिन इसी समय अकाली नेता संत हरचंद सिंह लोंगोवाल ने इस मुद्दे को धार्मिक रंग दे दिया।
- सतलज-यमुना नहर परियोजना का विरोध पूरे पंजाब में होने लगा। इसी दौरान पंजाब में उग्रवादी गतिविधियाँ शुरू हो गई और यह परियोजना बीच में ही फंस गई।
- राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस परियोजना के संदर्भ में फिर से गंभीर प्रयास किये गए और वर्ष 1985 में पंजाब समझौते (राजीव-लोंगोवाल समझौता) में इस परियोजना को भी शामिल किया गया।
- समझौते के बाद तात्कालिक मुख्यमंत्री सुरजीत सिंह बरनाला ने सतलज-यमुना नहर का कार्य भी शुरू कराया, लेकिन इसी समय उग्रवादियों ने कार्य स्थल पर ही कई मज़दूरों और इंजीनियरों की हत्या कर दी जिसके परिणामस्वरूप यह परियोजना ठप्प हो गई।
- मार्च 2016 में पंजाब सरकार ने सतलज यमुना नहर से संबंधित सभी समझौतों को रद्द करते हुए नहर निर्माण के लिये अधिग्रहीत भूमि के आवंटन को भी रद्द कर दिया।

ध्यातव्य है कि पाकिस्तान के साथ जल समझौते के तहत भारत को सतलज, रावी और ब्यास के जल के उपयोग का अधिकार मिला था।

इराडी अधिकरण (Eradi Tribunal) : सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वी. बालकृष्ण इराडी की अध्यक्षता में वर्ष 1986 में जल विवाद के समाधान के लिये इराडी अधिकरण का गठन किया गया। अधिकरण ने वर्ष 1987 में पंजाब और हरियाणा को मिलने वाले पानी के हिस्से में क्रमश: 5 मिलियन एकड़ फीट और 3.83 मिलियन एकड़ फीट की बढ़ोतरी की सिफारिश की।

पंजाब का पक्ष: पंजाब सरकार का कहना है कि पिछले तीन दशकों में जल की आपूर्ति की स्थिति खराब हो गई है। एक अध्ययन के अनुसार, राज्य के लगभग 79 प्रतिशत क्षेत्र में भूजल का अत्यधिक दोहन हुआ है, इसलिये कई क्षेत्र वर्ष 2029 के बाद सूख सकते हैं। राज्य में धान और गेहूँ की अधिक खेती होने से सिंचाई में पहले ही भूजल का अत्यधिक दोहन हो चुका है। पंजाब रिपेरियन सिद्धांत के अनुसार भी नदियों के जल पर अपना ज़्यादा अधिकार बताता है।

रिपेरियन सिद्धांत (Riparian Principle)- इस सिद्धांत के अनुसार नदी के जल पर उस राज्य या देश का अधिकार होता है, जहाँ से होकर यह बहती है

हरियाणा का पक्ष : हरियाणा के दक्षिणी भागों में, जहाँ भूमिगत जल का स्तर गिरकर 1700 फीट तक पहुँच गया है, वहाँ सिंचाई हेतु जल उपलब्ध करा पाना राज्य के लिये एक कठिन कार्य है। बढ़ती नगरीय जनसंख्या के कारण पेयजल की समस्या विकृत हो गई है।

निष्कर्ष

इस मुद्दे के राजनीतिकरण से बचते हुए सभी पक्षों के हितों को ध्यान में रख कर समाधान के प्रयास करने चाहिये। विशेषज्ञों के अनुसार सतलज-यमुना नहर से हरियाणा को जल देने के बाद राजस्थान में जलापूर्ति की समस्या हो सकती है, इसलिये इन क्षेत्रों में जल समस्या के निदान के लिये जल संरक्षण को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

मेघालय का जल नीति मसौदा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मेघालय मंत्रिमंडल ने जल के प्रयोग और राज्य में जल स्रोतों के संरक्षण एवं जल बचाव के मुद्दे का समाधान करने हेतु जल नीति के मसौदे को मंज़ूरी दी है। इस प्रकार मेघालय जल नीति को मंज़ूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

प्रमुख बिंदु

- इस नीति में जल के प्रयोग एवं आजीविका संबंधी तथा जल निकायों के संरक्षण जैसे सभी मुद्दों को रेखांकित किया गया है।
- साथ ही ग्रामीण स्तर पर जल स्वच्छता ग्राम परिषद का गठन करके इस नीति के कार्यान्वयन में सामुदायिक भागीदारी को भी सुनिश्चित किया गया है। इस नीति के माध्यम से भूजल के मुद्दे को भी संबोधित किया गया है। इसके अलावा जल में आयरन की उच्च मात्रा अथवा जल की अम्लीय गुणवत्ता की भी जाँच की जाएगी।
- यह नीति मेघालय सरकार के राज्य जल संसाधन विभाग (State Water Resources Department) ने जल निकायों के संरक्षण और रक्षा विशेषज्ञों से परामर्श करके तैयार की है।
- मेघालय एक पर्वतीय राज्य है जहाँ वर्षा तो अधिक होती है लेकिन जल संरक्षण नहीं हो पाता है।
- हाल ही में मेघालय सरकार ने जल संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु जल शक्ति मिशन भी लॉन्च किया है।

राज्य जल नीति मसौदा (Draft State Water Policy)

मेघालय में स्थित जल निकाय, जल संरक्षण के अभाव और खनन की अवैध गतिविधियों से प्रभावित है। ऐसे में यह जल नीति इस समस्या का प्रभावी समाधान साबित हो सकती है।

लक्ष्य

- एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन द्वारा वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिये सुशासन का आश्वासन देते हुए, स्वास्थ्य और आजीविका में सुधार लाना तथा इसके लिये सामुदायिक भागीदारी के साथ-साथ मेघालय के जल संसाधनों के सतत् विकास, प्रबंधन एवं उपयोग को बढ़ावा देना है।

इस नीति के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है:

A. संसाधन आधारित उद्देश्य

- जल के समान, सतत्, किफायती और कुशल आवंटन के लिये जल से जुड़े प्रावधानों को लागू करना।
- झरनों एवं जल संग्रहण निकायों को संरक्षित करना।
- आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने का प्रयास करना।
- सभी जल स्रोतों की मात्रा और गुणवत्ता को बनाए रखने हेतु 3R- रिड्यूस, रीसाइकल और रीयूज़ (पुन: उपयोग) के सिद्धांत को बढ़ावा देना जिससे इनका बचाव एवं संरक्षण सुनिश्चित हो सके।

B. प्रबंधन व क्रियांवयन आधारित उद्देश्य

- राज्य के सभी निवासियों हेतु पीने, घरेलू और स्वच्छता एवं आजीविका चलाने के लिये सुरक्षित तथा स्वच्छ जल की पहुँच सुनिश्चित करना; जल संसाधनों को एक सामान्य पूल संसाधन के रूप में पहचान दिलाना।
- जल क्षेत्र हेतु पानी के आर्थिक मूल्य को ध्यान में रखते हुए एक कुशल और प्रभावी नियामक ढाँचे की स्थापना करना।
- जल संसाधनों के विकास और प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना और समर्थन करना।
- नवीनतम उपकरणों, प्रौद्योगिकियों, गतिशील और सुलभ डेटा और जानकारियों का समुदाय और अन्य हितधारकों द्वारा उपयोग हेतु बढ़ावा देना।
- जल संबंधी हस्तक्षेप और गतिविधियों का अभिसरण सुनिश्चित करना।

मसौदा नीति के तहत अन्य प्रावधान

- जल आवंटन प्राथमिकता (Water Allocation Priority)
- परियोजना की प्लानिंग और क्रियान्वयन (Project Planning and Implementation)
- भागीदारी जल संसाधन प्रबंधन (Participatory Water Resource Management)
- जल संसाधनों के संरक्षण, दोहन और कुशल उपयोग को प्रोत्साहित करना (Conserving, Harnessing and Promoting Efficient Use Of Water Resources)
- जलवायु परिवर्तन के लिये अनुकूलन (Adaptation To Climate Change)
- जल आपूर्ति और स्वच्छता (Water Supply & Sanitation)

- बाढ़ और सूखे का प्रबंधन (Management of Flood & Drought)
- पानी की गुणवत्ता (Water Quality)
- जल शुल्क (Water Tariffs)
- अनुसंधान और क्षमता निर्माण (Research and Capacity Building)
- डाटा प्रबंधन और सूचना प्रणाली (Data Management and Information System)
- ट्रांस-बाउंड्री नदियाँ (Trans-Boundary Rivers)
- संस्थागत व्यवस्था (Institutional Arrangements)
- राज्य जल नीति हेतु कार्यान्वयन रणनीति (Implementation Strategy for The State Water Policy)

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण बिल (संशोधन), 2019

चर्चा में क्यों?

हाल ही में लोक सभा में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण बिल (संशोधन), 2019 [National Investigation Agency (Amendment) Bill, 2019] पारित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- यह विधेयक राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (National Investigation Agency-NIA) अधिनियम, 2008 में संशोधन करता है।
- यह विधेयक राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी (NIA) को अनुसूची के तहत सूचीबद्ध अपराधों की जाँच करने एवं उन पर मुकदमा चलाने की शक्ति प्रदान करता है। इसके अलावा यह संशोधन विधेयक अनुसूचित अपराधों की सुनवाई हेतु विशेष न्यायालयों की स्थापना की भी अनुमति देता है।
- NIA की स्थापना वर्ष 2009 में मुंबई आतंकवादी हमले के बाद की गई थी जिसमें 166 लोगों की मृत्यु हो गई थी।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण बिल (संशोधन), 2019 के अंतर्गत किये गए प्रावधान

1. **सूचीबद्ध अपराध (Scheduled offences)**
   - इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की एक सूची बनाई गई है जिन पर NIA जाँच कर सकती है और मुकदमा चला सकती है। इस सूची में परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (Atomic Energy Act) और गैर-कानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम, 1967 (Unlawful Activities Prevention Act) जैसे अधिनियमों के तहत सूचीबद्ध अपराध शामिल हैं।
   - यह अधिनियम NIA को निम्नलिखित अपराधों की जाँच करने की अनुमति देता है:

   (i) मानव तस्करी,
   (ii) जाली मुद्रा या बैंक नोटों से संबंधित अपराध,
   (iii) प्रतिबंधित हथियारों का निर्माण या बिक्री,
   (iv) साइबर आतंकवाद ,
   (v) विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 (Explosive Substances Act) के तहत अपराध।
2. **NIA का क्षेत्राधिकार (Jurisdiction of the NIA)**
   - NIA के अधिकारियों के पास पूरे भारतवर्ष में उपरोक्त अपराधों की जाँच करने के संबंध में अन्य पुलिस अधिकारियों के समान ही शक्तियाँ प्राप्त हैं।
   - NIA के पास भारत के बाहर घटित ऐसे अनुसूचित अपराधों, जो अंतर्राष्ट्रीय संधियों और अन्य देशों के घरेलू कानूनों के अधीन है, की जाँच करने की शक्ति होगी।
   - केंद्र सरकार, NIA को भारत में घटित सूचीबद्ध अपराध के मामलों की जाँच के सीधे निर्देश दे सकती है।
   - सूचीबद्ध अपराधों के मामले नई दिल्ली की विशेष अदालत के अधिकार क्षेत्र में आ जाएंगे।

3. **विशेष न्यायालय (Special Courts)**
   - यह अधिनियम सूचीबद्ध अपराधों की सुनवाई हेतु केंद्र सरकार को विशेष न्यायालयों का गठन करने की अनुमति देता है।
   - साथ ही इस विधेयक में यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार सूचीबद्ध अपराधों के संबंध में मुकदमा चलाने के लिये सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालयों के रूप में नामित कर सकती है।
   - यदि केंद्र सरकार किसी सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में नामित करना चाहती है तो पहले उसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना आवश्यक है, जिसके तहत सत्र न्यायालय कार्यरत होता है।
   - यदि किसी क्षेत्र के लिये एक से अधिक विशेष न्यायालय नामित किये जाते हैं, तो वरिष्ठतम न्यायाधीश इन न्यायालयों के मध्य मामलों का वितरण करेगा।
   - इसके अलावा राज्य सरकारें भी सूचीबद्ध अपराधों की सुनवाई हेतु विशेष न्यायालयों के रूप में सत्र न्यायालयों को भी नामित कर सकती हैं।

वॉश कार्यक्रम

संदर्भ

स्वास्थ्य सुविधाओं की बढ़ती संख्या के बावजूद स्वास्थ्य सूचकांकों में सुधार न होना अत्यधिक चिंताजनक है। इसका एक प्रमुख कारण स्वास्थ्य केंद्रों के आसपास अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यावरण को स्वच्छ रखने वाली सेवाओं सहित वॉश (Wate adequate, Sanitation and Hygiene-WASH) सुविधाओं का अभाव होना है। 2016 के आँकड़ो के अनुसार, 1.5 बिलियन लोगों के पास कोई सफाई सुविधा उपलब्ध नहीं है। यही स्थिति कमोबेश स्वास्थ्य केंद्रों की भी है। इसी चिंता के मद्देनज़र विश्व स्वास्थ संगठन और यूनिसेफ द्वारा वैश्विक स्तर पर वॉश कार्यक्रम की शुरुआत की गई।

प्रमुख बिंदु:

- मार्च 2019 में नई दिल्ली में संपन्न WHO की एक बैठक में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (Universal Health Coverage) के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये वॉश कार्यक्रम में सुधार की आवश्यकता की बात की गई। साथ ही दक्षिण एशिया में सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु इस कार्यक्रम के महत्त्व पर भी प्रकाश डाला गया।
- वॉश कार्यक्रम के माध्यम से स्वास्थ्य केंद्रों की गुणवत्ता में आवश्यक सुधार किया जा सकता है। साथ ही सफाई के ग्रामीण शहरी विभाजन के आँकड़ों को भी कम किया जा सकता है।
- वॉश कार्यक्रम के लिये WHO और यूनिसेफ द्वारा निर्धारित मानकों को लागू किया जाना चाहिये। साथ ही इन मानकों के समान ही राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसे मानकों का निर्धारण किया जाना चाहिये।
- इन मानकों को लागू करने के लिये स्वास्थ्य केंद्रों के डॉक्टरों, नर्सों और सफाईकर्मियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिये जिससे इन क्षेत्रों में सफाई की एक संस्कृति को विकसित किया जा सके।\

WASH रणनीति

WASH 'जल, सफाई एवं स्वच्छता' का संक्षिप्त रूप है। WASH तक सार्वभौमिक, सस्ती एवं स्थायी पहुँच अंतर्राष्ट्रीय विकास हेतु एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा है तथा सतत् विकास लक्ष्य 6 का केंद्रबिंदु है।

- स्वास्थ्य क्षेत्रों के सभी कामगारों को सूचना अभियानों के साथ-साथ संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण प्रक्रियाओं (Infection Prevention and Control Procedures-IPC) की जानकारी प्रदान की जानी चाहिये।
- वॉश संकेतकों से संबंधित डेटा को नियमित रूप से अद्यतित किया जाना चाहिये जिससे कार्यक्रम में पारदर्शिता बढ़ाई जा सके। साथ ही WHO देशों के बीच डेटा साझा करके प्राथमिक स्वास्थ्य क्षेत्र की नीतियों और परिणामों के मध्य अंतर को कम किया जा सके।
- इस संबंध में विश्व स्वास्थ्य असेम्बली में वॉश कार्यक्रम हेतु घरेलू और बाह्य निवेश को आकर्षित करने के लिये एक प्रस्ताव भी पारित किया गया है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन:

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य (Public Health) को बढ़ावा देना है।
- इसकी स्थापना 7 अप्रैल, 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा (स्विट्ज़रलैंड) में है।
- WHO संयुक्त राष्ट्र विकास समूह (United Nations Development Group) का सदस्य है।

यूनिसेफ:

- यूनिसेफ का गठन वर्ष 1946 में संयुक्त राष्ट्र के एक अंग के रूप में किया गया था।
- इसका मुख्यालय जिनेवा में है। ध्यातव्य है कि वर्तमान में 190 देश इसके सदस्य हैं।
- वस्तुत: इसका गठन द्वितीय विश्वयुद्ध से प्रभावित हुए बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करने तथा उन तक खाना और दवाएँ पहुँचाने के उद्देश्य से किया गया था।

बांध सुरक्षा विधेयक

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (Union Cabinet Committee on Economic Affairs-CCEA) द्वारा मंज़ूरी दिये जाने के बाद केंद्र सरकार अब बांध सुरक्षा विधेयक, 2019 को संसद में पेश करने की तैयार कर रही है।

मुख्य बिंदु :

- इस विधेयक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत के 5,600 बांधों को सुरक्षित बनाए रखा जाए।
- वर्ष 2010 से इस विधेयक के विभिन्न संस्करण संसद में पेश किये गए थे, परंतु राज्यों के भारी विरोध के कारण कोई भी सफलतापूर्वक पास नहीं हो पाया।
- कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और ओडिशा जैसे राज्यों ने इस विधेयक का यह कहते हुए विरोध किया था कि यह विधेयक राज्यों की, उनके बांधों को सुरक्षित रखने की, संप्रभुता पर अतिक्रमण करता है।
- CCEA ने बहुउद्देशीय परियोजना (जोकि भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है) के लिये भी 1,600 करोड़ रुपए के पूर्व-निवेश व्यय को भी मंज़ूरी दी है।

बांध सुरक्षा विधेयक

- बांध सुरक्षा विधेयक, 2018 के प्रावधानों से केंद्र और राज्यों में बांध सुरक्षा की संस्थागत व्यवस्थाओं को शक्तियाँ प्राप्त होंगी और इससे पूरे देश में मानकीकरण एवं बांध सुरक्षा व्यवस्था में सुधार करने में मदद मिलेगी।
- विधेयक में बांध सुरक्षा संबंधी सभी विषयों को शामिल किया गया है। इसमें बांध का नियमित निरीक्षण, आपात कार्य-योजना, विस्तृत सुरक्षा के लिये पर्याप्त मरम्मत और रख-रखाव कोष, इंस्ट्रूमेंटेशन तथा सुरक्षा मैनुअल शामिल हैं।
- इसमें बांध सुरक्षा का दायित्व बांध के स्वामी पर है और विफलता के लिये दंड का प्रावधान भी है।

विश्व में 2 करोड़ बच्चे जीवन रक्षक टीकों की पहुँच से बाहर

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization-WHO) तथा यूनिसेफ (Unicef) द्वारा जारी आँकड़ों से यह तथ्य सामने आया है कि वर्ष 2018 में 20 मिलियन बच्चों तक जीवन रक्षक टीके/वैक्सीन (Vaccines) की पहुँच नहीं थी।

मुख्य बिंदु

- इन संगठनों द्वारा जारी आँकड़ों से यह भी इंगित होता है कि वैश्विक टीकाकरण कवरेज़ में सुधार करके 1.5 मिलियन मौतों को रोका जा सकता है।
- वर्ष 2018 में खसरा, डिप्थीरिया तथा टिटनेस जैसी बीमारियों से बचाव के लिये जीवन रक्षक टीकाकरण से विश्व में 20 मिलियन बच्चे छूट गए।
- वर्ष 2018 में वैश्विक स्तर पर लगभग 19.4 मिलियन नवजात बच्चे DTP के टीकाकरण से वंचित थे। इन नवजातों में 60 प्रतिशत बच्चे केवल 10 देशों से थे। ये देश हैं- अंगोला, ब्राज़ील, डी.आर.कांगो., इथोपिया, भारत, इंडोनेशिया, नाइज़ीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस तथा वियतनाम।

खसरा का प्रकोप

- विश्व में टीकाकरण की पहुँच में गंभीर असमानता है। यह न सिर्फ देशों के मध्य बल्कि किसी देश के विभिन्न हिस्सों में भी विद्यमान है। यह स्थिति खसरे के प्रकोप के विश्व में फैलने का महत्त्वपूर्ण कारण है। इसमें ऐसे देश भी शामिल हैं जहाँ टीकाकरण की दर उच्च है।
- वर्ष 2018 के दौरान विश्व में 3.5 लाख खसरे के मामले सामने आए। ये आँकड़े वर्ष 2017 की तुलना में दोगुने थे। खसरा को एक संकेतक के रूप में माना जाता है जिससे यह समझने में सहायता मिलती है कि निवारक रोगों से लड़ने के लिये अभी और क्या-क्या प्रयास करने की आवश्यकता है।

"खसरा एक संक्रामक बीमारी है इसके माध्यम से विश्व के विभिन्न आर्थिक समूहों की स्वास्थ्य की स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। साथ ही यह भी समझने में सहायक है कि टीकाकरण कवरेज़ में लोगों को किस प्रकार की बाधाओं (जैसे- पहुँच, उपलब्धता, वहनीयता, आदि) का सामना करना पड़ रहा है।"

- मानव पैपीलोमा विषाणु (HPV) के टीकाकरण से संबंधित आँकड़े प्रथम बार प्रकाशित किये गए हैं। यह टीकाकरण लड़कियों को उनके जीवन के अंतिम दौर में गर्भाशय के कैंसर (Cervical Cancer) को रोकने में सहायक है। वर्ष 2018 में 90 देशों (इन देशों में विश्व की एक-तिहाई लड़कियाँ निवास करती हैं) में HPV के वैक्सीन को राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल किया गया है। किंतु यह चिंता का विषय है कि इन देशों में सिर्फ 13 ही निम्न आय वाले देश हैं जबकि इस प्रकार की बीमारी प्रमुख रूप से निम्न आय वाले देशों से ही संबंधित है।
- ऐसे रोग जिनको टीकाकरण द्वारा रोकना संभव है, के लिये टीकाकरण एक ज़रूरी माध्यम है लेकिन विश्व को ऐसी बीमारियों से सुरक्षित करने के लिये वैश्विक स्तर पर टीकाकरण की 95 प्रतिशत कवरेज़ की आवश्यकता है। किंतु विश्व के ऐसे बच्चे जो वैक्सीन कवरेज़ से अभी भी दूर हैं। इनमें से आधी जनसंख्या ऐसे समुदायों या देशों में स्थित है जो सबसे गरीब या अपने समाज में हाशिये पर स्थित है। इसमें वे देश भी शामिल हैं जो घरेलू स्तर पर हिंसा या राजनीतिक संकट का सामना कर रहे हैं। ये देश अफगानिस्तान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, डी.आर. कांगो, इथोपिया, दक्षिणी सूडान, इराक, सीरिया आदि हैं।

15वें वित्त आयोग के कार्यकाल के विस्तार को मंज़ूरी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग (Fifteenth Finance Commission-FFC) का कार्यकाल 30 नवंबर, 2019 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे वित्त आयोग सुधार कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय अनुमानों के लिये विभिन्न तुलना योग्य अनुमानों पर विचार कर सकेगा।

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 280 की धारा (1) तथा वित्त आयोग (विविध प्रावधान) अधिनियम, 1951 का उपयोग करते हुए 27 नवंबर, 2017 को 15वें आयोग का गठन किया था।
- आयोग को अपने कार्य क्षेत्र के आधार पर 1 अप्रैल, 2020 से प्रारंभ 5 वर्षों की अवधि के लिये 30 अक्तूबर, 2019 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी।
- केंद्र सरकार द्वारा पिछले 4 वर्षों में किये गए प्रमुख वित्तीय/बजट सुधारों को ध्यान में रखते हुए आयोग का गठन किया गया है।

- इन सुधारों में योजना आयोग को समाप्त करना और उसकी जगह नीति आयोग लाना, गैर-योजना तथा योजना व्यय के बीच भेद को समाप्त करना, बजट कैलेंडर को एक महीना आगे बढ़ाना और पहली फरवरी को नया वित्त वर्ष प्रारंभ होने से पहले पूर्ण बजट पारित करना, जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू करना, उधारी तथा वित्तीय घाटा उपाय के साथ नया FRBM ढाँचा बनाना शामिल है।

15वें वित्त आयोग की संरचना

- अनुच्छेद 280(1) के तहत उपबंध है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जाने वाले एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्यों से मिलकर वित्त आयोग बनेगा।
- 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2020-25 तक होगा। अभी तक 14 वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें वित्तीय वर्ष 2019-20 तक के लिये वैध हैं।

वित्त आयोग के सदस्यों हेतु अर्हताएँ

संसद द्वारा वित्त आयोग के सदस्यों की अर्हताएँ निर्धारित करने हेतु वित्त आयोग (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम,1951 पारित किया गया है। इसका अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जो सार्वजनिक तथा लोक मामलों का जानकार हो। अन्य चार सदस्यों में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की अर्हता हो या उन्हें प्रशासन व वित्तीय मामलों का या अर्थशास्त्र का विशिष्ट ज्ञान हो।

वित्त आयोग के कार्य दायित्व

- भारत के राष्ट्रपति को यह सिफारिश करना कि संघ एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध प्राप्तियों को कैसे वितरित किया जाए एवं राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन।
- अनुच्छेद 275 के तहत संचित निधि में से राज्यों को अनुदान/सहायता दी जानी चाहिये।
- राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि में संवर्द्धन के लिये आवश्यक कदमों की सिफारिश करना।
- राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त अन्य कोई विशिष्ट निर्देश, जो देश के सुदृढ़ वित्त के हित में हों।
- आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों में रखवाया जाता है।
- प्रस्तुत सिफारिशों के साथ स्पष्टीकरण ज्ञापन भी रखवाया जाता है ताकि प्रत्येक सिफारिश के संबंध में हुई कार्यवाही की जानकारी हो सके।
- वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें सलाहकारी प्रवृत्ति की होती हैं, इसे मानना या न मानना सरकार पर निर्भर करता है।

भाँग के संबंध में सामाजिक हित याचिका

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर एक सामाजिक हित याचिका (social cause litigation) में यह दावा किया गया है कि भारत में ऐसा कोई भी दस्तावेज़ मौजूद नहीं है जो यह दर्शाता हो कि भांग का सेवन मानव शरीर के लिये घातक है।

प्रमुख बिंदु

- बेंगलुरु स्थित कैनबिस एडवोकेसी समूह ग्रेट लीगलाइजेशन मूवमेंट इंडिया (Great Legalisation Movement India) ने अपनी याचिका में नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances-NDPS) अधिनियम और नियमों के विभिन्न भागों को चुनौती दी है जो भांग की खेती, कब्जे और उपयोग को अपराध की श्रेणी में शामिल करते हैं।
- दो न्यायमूर्तियों की खंडपीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें नशीली दवाओं के दुरुपयोग के मामलों पर चिंता जताते हुए इसके नियंत्रण के पहलूओं पर विस्तार से जानकारी मांगी है।
- इस समूह ने यह दावा किया कि भारत में भाँग पर प्रतिबंध वर्ष 1985 के NDPS अधिनियम के पारित होने के बाद लागू हुआ।
- साथ ही यह भी तर्क दिया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation) और भारतीय गांजा औषधि आयोग (Indian Hemp Drugs Commission-IHDC) (1894) द्वारा प्रकाशित विभिन्न वैज्ञानिक शोध-पत्र में इसके औषधीय लाभों को भी दर्शाया गया हैं।

भारतीय भाँग औषधि आयोग की रिपोर्ट (Indian Hemp Drugs Commission Report)

- उन्नीसवीं सदी के ब्रिटिश भारत में भाँग के प्रयोग से बड़ी संख्या में भारतीय लोगों के मानसिक संतुलन खोने की जानकारी मिली। इसी को ध्यान में रखकर भारतीय गांजा औषधि आयोग की स्थापना की गई।
- भाँग का व्यापक रूप से प्रयोग फार्माकोपिया के क्षेत्र में होता था तथा सरकार को इससे काफी राजस्व प्राप्त होता था। इस आयोग को भाँग के उपयोग से होने वाले सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों का निर्धारण करने का कार्य सौंपा गया, विशेष रूप से मानसिक बीमारी से संबंधित जोखिमों का।
- साथ ही याचिका में यह तर्क भी दिया गया है कि संसद द्वारा मादक पदार्थों की अवैध तस्करी एवं युवाओं में नशे की लत जैसे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस पर प्रतिबंध लगाने के लिये 23 अगस्त, 1985 को लोकसभा में NDPS विधेयक पेश किया गया, जिसे केवल चार दिनों की विधायी बहस के बाद पारित कर दिया गया। स्पष्ट रूप से इस विधेयक के संदर्भ में बहुत अधिक चर्चा अथवा अध्ययन नहीं किया गया। भाँग के गुणों और इसके उपयोग को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में और अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये।
- याचिका में तर्क दिया गया है कि सरकार भाँग के औषधीय लाभों पर ध्यान केंद्रित करने में भी असफल रही है, इसमें दर्दनाशक (analgesic) के रूप में इसके इस्तेमाल, कैंसर से लड़ने में इसकी भूमिका, मतली को कम करना तथा HIV रोगियों में भूख बढ़ाने जैसे गुण शामिल हैं। इस याचिका में कहा गया है कि IHDC के निष्कर्षों के आधार पर इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना आवश्यक नहीं है क्योंकि इसका प्रयोग दवाईयाँ बनाने में भी किया जाता है।
- इसके अलावा भाँग के अपार औद्योगिक अनुप्रयोग हैं, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, फाइबर और अन्य वस्तुओं को बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है।

भांग या गांजा या चरस

- इसका वैज्ञानिक नाम Cannabis Indica है। यह एक प्रकार का पौधा होता है जिसकी पत्तियों को पीस कर भांग तैयार की जाती है।
- भांग विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में प्रचुरता में पाई जाती है।
- भांग के पौधे 3-8 फुट ऊँचे होते हैं। इसके पत्ते एकान्तर क्रम में व्यवस्थित होते हैं।
- भांग के नर पौधे के पत्तों को सुखाकर भांग तैयार की जाती है जबकि इसके मादा पौधों की पुष्प मंजरियों को सुखाकर गांजा तैयार किया जाता है।
- भांग की शाखाओं एवं पत्तों पर जमे राल के समान पदार्थ को चरस कहा जाता है। एक समय में पहाड़ की लोक कला में भांग से निर्मित वस्त्रों की कला बहुत प्रसिद्ध थी, परंतु वर्तमान में इसका चलन कम हो गया है।
- इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया कि अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड जैसे देशों ने भाँग के औषधीय एवं औद्योगिक उपयोग को देखते हुए इसके उत्पादन एवं खेती को वैध कर दिया है।

परामर्श योजना

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission-UGC) की 'परामर्श' योजना का शुभारंभ किया है।

प्रमुख बिंदु:

- इस योजना का प्रमुख उद्देश्य उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (National Accreditation and Assessment Council-NAAC) द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों को परामर्श देना है।
- UGC की यह योजना लगभग 1000 उच्च शिक्षण संस्थाओं को लक्षित करती है।

संभावित लाभ:

- इस योजना से शिक्षण संस्थाओं की समग्र गुणवत्ता में वृद्धि होगी तथा उनके अनुसंधान, शिक्षण और सीखने की तरीकों में भी सुधार आएगा।
- यह NAAC मान्यता प्राप्त करने में भी संस्थाओं की मदद करेगा।

- यह संस्थानों में अनुसंधान सहयोग को बढ़ाने के लिये ज्ञान और सूचनाओं को साझा करने की सुविधा भी प्रदान करेगा।
- यह उन 3.6 करोड़ छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में भी मदद करेगा जो वर्तमान में भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में पंजीकृत हैं।

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (National Accreditation and Assessment Council)

- इसकी स्थापना वर्ष 1994 में UGC की एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी।
- वर्तमान में इसका मुख्यालय बंगलूरु में स्थित है।
- NAAC का प्रमुख उद्देश्य गुणवत्ता आश्वासन को HEI के कामकाज का अभिन्न अंग बनाना है।
- यह उच्च शिक्षा या इसके बाद के संस्थानों अथवा विशिष्ट शैक्षणिक कार्यक्रमों या परियोजनाओं के आवधिक मूल्यांकन और मान्यता की व्यवस्था करती है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

- 28 दिसंबर, 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने औपचारिक तौर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नींव रखी थी।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा के मापदंडों के समन्वय, निर्धारण और अनुरक्षण हेतु 1956 में संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संगठन है।
- पात्र विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अनुदान प्रदान करने के अतिरिक्त आयोग केंद्र और राज्य सरकारों को उच्चतर शिक्षा के विकास हेतु आवश्यक उपायों पर सुझाव भी देता है।
- इसका मुख्यालय देश की राजधानी नई दिल्ली में अवस्थित है। इसके छः क्षेत्रीय कार्यालय पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी एवं बंगलूरु में हैं।

जनजातियों की शैक्षिक स्थिति में सुधार

चर्चा में क्यों?

केरल के सुदूर क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातीय आबादी राज्य साक्षरता मिशन (State Literacy Mission-SLM) के अंतर्गत 100% साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करने की राह पर अग्रसर है।

प्रमुख बिंदु

- अपने प्रयासों के तहत, SLM ने प्रभावी स्कूली रणनीतियों को विकसित करने हेतु एक रूपरेखा के अंतर्गत समग्र (Samagra) के अलावा निम्नलिखित कार्यक्रम भी लागू किये हैं जिनका उद्देश्य हाशिये पर रहने वाले लोगों के मध्य निरक्षरता अंतराल को कम करना है-
  - वायनाड लिटरेसी इक्वीवैलेंसी (Wayanad Literacy Equivalency)
  - अट्टापदी लिटरेसी इक्वीवैलेंसी कार्यक्रम (Attappadi Literacy Equivalency programmes)
- इन पहलों के माध्यम से वर्ष 2020 के अंत तक वायनाड में आदिवासी लोगों के बीच 100% साक्षरता सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी।
- अब तक, साक्षरता अभियान ने वायनाड ज़िले की 2,000 बस्तियों के बीच अपनी पहुँच बनाई है।
- दूसरे चरण में SLM ने 200 आदिवासी बस्तियों में 4,371 घरों का सर्वेक्षण किया और इनमें 3,133 महिलाओं सहित 5,342 व्यक्तियों को निरक्षर पाया।
- शिक्षकों की मदद से 3,179 निवासियों जिनमें 2,590 महिलाएँ भी शामिल थीं, की साक्षरता परीक्षा ली गई और इस साक्षरता परीक्षा के दौरान उनमें प्रगति भी देखी गई।
- अब परियोजना के अंतर्गत तीसरे चरण में शेष 1,517 आवासों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, और इसमें व्यापक जन भागीदारी देखी गई है। जल्द ही यहाँ भी कक्षाएँ शुरू हो जाएंगी।

जनजातीय शिक्षा में समकालीन चिंताएँ:

- उच्च ड्रॉपआउट दर: विशेष रूप से माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक चरणों में जनजातीय छात्रों के बीच विद्यालय छोड़ने की दर बहुत अधिक है (स्कूल शिक्षा के आँकड़े, 2010-11 के अनुसार दसवीं कक्षा में 73 प्रतिशत, ग्यारहवीं कक्षा में 84 प्रतिशत और बारहवीं कक्षा में 86 प्रतिशत)।
  - RTE अधिनियम के पहले और उपरांत कार्यान्वित 'नो-डिटेंशन पॉलिसी' जनजातीय समुदाय के छात्रों को पढ़ने, लिखने और अंकगणित में बुनियादी कौशल हासिल करने का अवसर नहीं देता।
- 'कुशल' शिक्षकों की कमी: RTE अधिनियम के तहत निर्धारित पात्रता मानदंड को पूरा करने वाले शिक्षकों की कमी भी जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा के अधिकार की पूर्ति में एक बाधा है। प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी के कारण जनजातीय छात्रों की उपलब्धि का स्तर कम रहता है।
- जनजातीय छात्रों के लिये भाषायी बाधाएँ: भारत में अधिकांश जनजातीय समुदायों की अपनी मातृभाषा है, लेकिन अधिकांश राज्यों में, कक्षा शिक्षण के लिये आधिकारिक/क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग किया जाता है, जिन्हें प्राथमिक स्तर पर जनजातीय बच्चे नहीं समझ पाते।
- घुमंतू जनजातियों की शिक्षा: घुमंतू जनजातियाँ मौसम, व्यवसायों और आजीविका के अवसरों के आधार पर लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गमन करती रहती हैं। इस कारण इस समुदाय के बच्चे प्राथमिक स्तर की स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं।

सरकार द्वारा की गई पहलें

- एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय: वर्ष 2022 तक प्रत्येक आदिवासी क्षेत्र में नवोदय मॉडल पर आधारित आवासीय विद्यालय।
- राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप योजना (Rajiv Gandhi National Fellowship Scheme-RGNF): RGNF को वर्ष 2005-2006 में ST समुदाय के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिये प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लाई गई थी।
- प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएँ।
- जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र: इस योजना का उद्देश्य ST छात्रों के कौशल को उनकी योग्यता और वर्तमान बाज़ार के रुझान के आधार पर विकसित करना है।

सिफारिशें

- कोठारी आयोग (Kothari Commission) ने जनजातियों (ST) की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने पर ज़ोर दिया।
- शाशा समिति (XaXa Committee) ने शिक्षा में लैंगिक असमानता को दूर करने पर अधिक ध्यान देने की सिफारिश की।
- अभिभावकों में व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, शिविर परामर्श सत्र का आयोजन किया जाना चाहिये।
- कैरियर या नौकरी उन्मुख पाठ्यक्रम पर ज़ोर दिया जाना चाहिये।

स्थानीय शिक्षकों की भर्ती की जानी चाहिये जो आदिवासी संस्कृति और प्रथाओं को समझते हों तथा उनका सम्मान करते हों और इससे भी महत्त्वपूर्ण यह है कि वे स्थानीय भाषा से अच्छी तरह से परिचित हों।

मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को अधिक समावेशी और कुशल बनाने हेतु लोकसभा ने मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019 [The Protection of Human Rights (Amendment) Bill] पारित किया है।

प्रमुख बिंदु

- हालिया संशोधन के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त किसी ऐसे व्यक्ति को भी आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो।
- राज्य आयोग के सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 2 से 3 किया जाएगा, जिसमे एक महिला सदस्य भी होगी।
- मानवाधिकार आयोग में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और दिव्यांगजनों संबंधी मुख्य आयुक्त को भी सदस्यों के रूप में सम्मिलित किया जा सकेगा।

- राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों के कार्यकाल की अवधि को 5 वर्ष से कम करके 3 वर्ष किया जाएगा और वे पुनर्नियुक्ति के भी पात्र होंगे।

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग और मानवाधिकार न्यायालयों के गठन की व्यवस्था करता है।

संशोधन से क्या लाभ होंगे?

पेरिस सिद्धांत (Paris Principles) के आधार पर इस प्रस्तावित संशोधन से राष्ट्रीय आयोग के साथ-साथ राज्य आयोगों को भी स्वायत्तता, स्वतंत्रता, बहुलवाद और मानव अधिकारों के प्रभावी संरक्षण तथा उनका संवर्द्धन करने हेतु बल मिलेगा।

पेरिस सिद्धांत (Paris Principles)

- 20 दिसंबर, 1993 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु पेरिस सिद्धांतों को अपनाया था।
- इसने दुनिया के सभी देशों को राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाएँ स्थापित करने के लिये निर्देश दिये थे।
- पेरिस सिद्धांतों के अनुसार, मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त एवं स्वतंत्र संस्था होगी।
- यह शिक्षा, मीडिया, प्रकाशन, प्रशिक्षण आदि माध्यमों से मानव अधिकारों को भी बढ़ावा देता हैं।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission-NHRC) एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है, जिसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्तूबर, 1993 को की गई थी।
- मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
- यह संविधान द्वारा दिये गए मानवाधिकारों जैसे- जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार आदि की रक्षा करता है और उनके प्रहरी के रूप में कार्य करता है।

ई-पोस्टल बैलट की सफलता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित पोस्टल बैलट सिस्टम (Electronically Transmitted Postal Ballot System-ETPBS) के माध्यम से होने वाले मतदान में लगभग 60.14% मतदान दर्ज किया गया।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि पहली बार ऑनलाइन पंजीकरण में सक्षम एक समर्पित पोर्टल के माध्यम से डाक मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्रसंस्करित समय एवं संसाधनों की बचत करने और मानवीय त्रुटियों से बचने के लिये डाक मतपत्र भेजे गए।
- देश के बाहर दूतावासों में तैनात केंद्रीय बलों में काम करने वाले व्यक्तियों को डाक मतदाता के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उनके लिये ऑनलाइन नामांकन का प्रावधान किया जाता है।
- वर्ष 2019 के आम चुनाव में भारत के चुनाव आयोग के प्रमुख IT कार्यक्रम ETPBS का उपयोग करते हुए इलेक्ट्रॉनिक रूप से कुल 18,02,646 डाक मतपत्र भेजे गए थे। इससे कुल 10,84,266 ई-पोस्टल मत प्राप्त हुए जिन्होंने अपने नामांकन संख्या से लगभग 60.14% मतदान किया।

इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित पोस्टल बैलट सिस्टम Electronically Transmitted Postal Ballot System-ETPBS

- ETPBS पूरी तरह से एक सुरक्षित प्रणाली है, जिसमें सुरक्षा के दो चरण हैं।
- OTP और पिन के उपयोग से मतदान की गोपनीयता बनी रहती है और पोर्टल में अनूठे QR कोड के कारण डाले गए ETPB का कोई दोहराव संभव नहीं है।
- इस प्रणाली के माध्यम से डाक मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्र के बाहर कहीं से भी, इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त डाक मतपत्र पर अपना वोट डाल सकते है, जिससे मतदान का अवसर खोने की संभावना कम हो जाती है।

उद्देश्य

- ऑनलाइन प्रणाली का उद्देश्य रक्षा कार्मिकों के लिये डाक मतदाता बनने हेतु सुविधाजनक एवं उपयोग में आसान ऑनलाइन प्रणाली तैयार करना था।
- उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 में डाक मतदाता द्वारा सिर्फ 4% मतदान दर्ज किया गया था।
- भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने ETPBS के माध्यम से राष्ट्र के लिये अपना कर्तव्य निभाते हुए आदर्श वाक्य 'कोई मतदाता पीछे न छूटे' (No Voter to be Left Behind) के साथ संवैधानिक अधिकार के तहत सभी पात्र डाक मतदाताओं का सशक्तीकरण सुनिश्चित किया है।

मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019

चर्चा में क्यों?

22 जुलाई, 2019 को राज्यसभा ने मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019 [The Protection of Human Rights (Amendment) Bill] पारित कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

- हालिया संशोधन के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त किसी ऐसे व्यक्ति को भी आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो।
- राज्य आयोग के सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 2 से 3 किया जाएगा, जिसमें एक महिला सदस्य भी होगी।
- मानवाधिकार आयोग में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और दिव्यांगजनों संबंधी मुख्य आयुक्त को भी सदस्यों के रूप में सम्मिलित किया जा सकेगा।
- राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों के कार्यकाल की अवधि को 5 वर्ष से कम करके 3 वर्ष किया जाएगा और वे पुनर्नियुक्ति के भी पात्र होंगे।
- दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न अन्य संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निर्वहन किये जा रहे मानवाधिकारों संबंधी मामलों को राज्य आयोगों को प्रदत्त किया जा सके, दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में आयोग द्वारा कार्यवाही की जाएगी।

सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिये ट्रामा केयर सेंटर

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार ने 'राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रामा केयर सुविधाओं के विकास के लिये क्षमता निर्माण' (Capacity Building for Developing Trauma Care Facilities on National highways) योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रामा केयर सुविधाएँ (Trauma Care Facilities) स्थापित करने की दिशा में पहल की है।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना का समग्र उद्देश्य अखिल भारतीय स्तर पर ट्रामा केयर नेटवर्क विकसित करके सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों को कम करना है।
- इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रत्येक 100 किमी पर एक ट्रामा सेंटर स्थापित किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान, लगभग 200 ट्रामा केयर सुविधाओं (Trauma Care Facilities-TCFs) की पहचान की गई थी और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी।

विश्व स्वास्थ्य संगठन का ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ प्रोजेक्ट (WHO's Global Burden of Disease Project)

- इस परियोजना/प्रोजेक्ट के अनुसार, सड़क यातायात दुर्घटनाओं (Road Traffic Accidents-RTA) के कारण एक वर्ष में 1.27 मिलियन से अधिक मौतें होती हैं।
- सड़क यातायात के दौरान लगने वाली चोटें 5 से 44 वर्ष के लोगों की मौत के शीर्ष तीन कारणों में से एक हैं।
- ऐसा अनुमान लगाया गया है कि यदि इस मामले में कोई तत्काल कार्रवाई नहीं की जाती है तो वर्ष 2030 तक मृत्यु का पाँचवाँ प्रमुख कारण सड़क दुर्घटनाएँ होंगी, जिससे प्रति वर्ष अनुमानत: 2.4 मिलियन लोगों की मृत्यु होगी।
- पूरी दुनिया में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली कुल मौतों में से 90% से अधिक निम्न और मध्यम आय वाले देशों में होती हैं, जिनके पास दुनिया के केवल 48% वाहन हैं।
- भारत में भी आकस्मिक लगने वाली चोटें मृत्यु और रुग्णता (Morbidity) के प्रमुख कारणों में से एक है।
- यद्यपि भारत में दुनिया के कुल वाहनों का सिर्फ एक प्रतिशत ही है, लेकिन वैश्विक रूप से घटित कुल सड़क दुर्घटनाओं में से 6% भारत में घटित होती हैं।

भारत में सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति

वर्ष 2017 के दौरान भारत में कुल 4,70,975 सड़क दुर्घटनाएँ हुईं। इन दुर्घटनाओं में 4,64,910 लोग घायल हुए, जबकि 1,47,913 लोगों की मृत्यु हो गई।

- भारत में प्रत्येक 1 मिनट में एक सड़क दुर्घटना होती है तथा इन दुर्घटनाओं के कारण प्रत्येक 3.5 मिनट में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है।
- प्रत्येक एक घंटे में लगभग 17 लोगों की मौत सड़क दुर्घटना के कारण होती है।\
- सड़क दुर्घटनाओं के कारण भारत को हर साल लगभग 4.07 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है।
- भारतीय सड़कों पर प्रतिदिन 46 बच्चों की मौत हो जाती है।
- पिछले दशक में सड़क दुर्घटना के कारण 50 लाख से अधिक लोगों को गंभीर चोटें आईं या वे दुर्घटना के कारण अपंग हो गए तथा 10 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई।
- सड़क दुर्घटना के कारण होने वाली इन मौतों को 50% तक कम किया जा सकता था यदि घायलों को त्वरित सहायता मिल पाती।

सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019

चर्चा में क्यों?

हाल ही में लोकसभा ने सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019 [Right to Information (Amendment) Bill, 2019] पारित किया। इस विधेयक में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को संशोधित करने का प्रस्ताव किया गया है।

संशोधन के प्रमुख बिंदु:

- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त (Chief Information Commissioner) और सूचना आयुक्तों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, परंतु संशोधन के तहत इसे परिवर्तित करने का प्रावधान गया है। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
- नए विधेयक के तहत केंद्र और राज्य स्तर पर मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते तथा अन्य रोज़गार की शर्तें भी केंद्र सरकार द्वारा ही तय की जाएंगी।
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 यह प्रावधान करता है कि यदि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त पद पर नियुक्त होते समय उम्मीदवार किसी अन्य सरकारी नौकरी की पेंशन या अन्य सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करता है तो उस लाभ के बराबर राशि को उसके वेतन से घटा दिया जाएगा, लेकिन इस नए संशोधन विधेयक में इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

- सूचना का अधिकार (Right to Information-RTI) अधिनियम, 2005 भारत सरकार का एक अधिनियम है, जिसे नागरिकों को सूचना का अधिकार उपलब्ध कराने के लिये लागू किया गया है।

प्रमुख प्रावधान:

- इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने हेतु अनुरोध कर सकता है, यह सूचना 30 दिनों के अंदर उपलब्ध कराई जाने की व्यवस्था की गई है। यदि मांगी गई सूचना जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है तो ऐसी सूचना को 48 घंटे के भीतर ही उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
- इस अधिनियम में यह भी कहा गया है कि सभी सार्वजनिक प्राधिकरण अपने दस्तावेज़ों का संरक्षण करते हुए उन्हें कंप्यूटर में सुरक्षित रखेंगे।
- प्राप्त सूचना की विषयवस्तु के संदर्भ में असंतुष्टि, निर्धारित अवधि में सूचना प्राप्त न होने आदि जैसी स्थिति में स्थानीय से लेकर राज्य एवं केंद्रीय सूचना आयोग में अपील की जा सकती है।
- इस अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद व राज्य विधानमंडल के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) और निर्वाचन आयोग (Election Commission) जैसे संवैधानिक निकायों व उनसे संबंधित पदों को भी सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में लाया गया है।
- इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र स्तर पर एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 या 10 से कम सूचना आयुक्तों की सदस्यता वाले एक केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इसी के आधार पर राज्य में भी एक राज्य सूचना आयोग का गठन किया जाएगा।
- यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर (यहाँ जम्मू और कश्मीर सूचना का अधिकार अधिनियम प्रभावी है) को छोड़कर अन्य सभी राज्यों पर लागू होता है।
- इसके अंतर्गत सभी संवैधानिक निकाय, संसद अथवा राज्य विधानसभा के अधिनियमों द्वारा गठित संस्थान और निकाय शामिल हैं।
- ऐसे कौन से मामले है जिनमें सूचना देने से इनकार किया जा सकता है?
- राष्ट्र की संप्रभुता, एकता-अखण्डता, सामरिक हितों आदि पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली सूचनाएँ प्रकट करने की बाध्यता से मुक्ति प्रदान की गई है।

सूचना के अधिकार के समक्ष चुनौतियाँ

- सूचना के अधिकार अधिनियम के अस्तित्व में आने से सबसे बड़ा खतरा RTI कार्यकर्त्ताओं को है। इन्हें कई तरीकों से उत्पीड़ित एवं प्रताड़ित किया जाता है।
- औपनिवेशिक हितों के अनुरूप निर्मित वर्ष 1923 का सरकारी गोपनीयता अधिनियम (Official Secrets Act) RTI की राह में प्रमुख बाधा है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (Second Administrative Reform Commission) ने इस अधिनियम को खत्म करने की सिफारिश की है जिस पर पारदर्शिता के लिहाज से अमल करना आवश्यक है।
- इसके अलावा कुछ अन्य चुनौतियाँ भी विद्यमान हैं, जैसे-
  - नौकरशाही में अभिलेखों के रखने व उनके संरक्षण की व्यवस्था बहुत कमज़ोर है।
  - सूचना आयोगों को चलाने के लिये पर्याप्त अवसंरचना और कर्मियों/स्टाफ का अभाव है।
  - सूचना का अधिकार कानून के पूरक कानूनों, जैसे- 'व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम' (Whistle Blowers Protection Act) का कुशल क्रियान्वयन नहीं हो पाया है।

केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission) की संरचना

- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अध्याय-3 में केंद्रीय सूचना आयोग तथा अध्याय-4 में राज्य सूचना आयोगों (State Information Commissions- SICs) के गठन का प्रावधान है।
- इस कानून की धारा-12 में केंद्रीय सूचना आयोग के गठन, धारा-13 में सूचना आयुक्तों की पदावधि एवं सेवा शर्तें तथा धारा-14 में उन्हें पद से हटाने संबंधी प्रावधान किये गए हैं।

- केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त तथा अधिकतम 10 केंद्रीय सूचना आयुक्तों का प्रावधान है और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- ये नियुक्तियाँ प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बनी समिति की अनुशंसा पर की जाती है, जिसमें लोकसभा में विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री बतौर सदस्य होते हैं।

DoPT है इसका नोडल मंत्रालय

- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (Department of personnel & training-DoPT) सूचना का अधिकार और केंद्रीय सूचना आयोग का नोडल विभाग हैi।
- अधिकांश सार्वजनिक उपक्रमों और प्राधिकरणों को RTI अधिनियम के अंतर्गत लाया गया है।
- केंद्र सरकार के 2200 सरकारी कार्यालयों और उपक्रमों में ऑनलाइन RTI दाखिल करने और उसका जवाब देने की व्यवस्था है। ऐसा इन संस्थानों के कामकाज में अधिकतम पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए किया गया है।
- आधुनिक तकनीक के उपयोग से RTI दाखिल करने के लिये अब एक पोर्टल और एप्लीकेशन भी उपलब्ध है, जिसकी सहायता से कोई भी नागरिक अपने मोबाइल फोन से किसी भी समय, किसी भी स्थान से RTI के लिये आवेदन कर सकता है।
- राज्य सरकारों को भी RTI पोर्टल शुरू करने की व्यावहारिकता पर विचार करने को कहा गया है।
- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (National Informatics Centre- NIC) को ऑनलाइन RTI पोर्टल बनाने में राज्य सरकारों की सहायता करने को कहा गया है।

नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक, 2019

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत में मध्यस्थता के बेहतर प्रबंधन हेतु एक स्वायत्त और स्वतंत्र संस्था स्थापित करने के उद्देश्य से लोकसभा में नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (New Delhi International Arbitration Centre) विधेयक, 2019 पेश किया गया। विधेयक के प्रावधान 2 मार्च, 2019 से प्रभावी होंगे।

विधेयक की प्रमुख विशेषताएँ:

- नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (NDIAC): इस विधेयक के माध्यम से NDIAC को मध्यस्थता (Arbitration), बीच-बचाव(Mediation) और सुलह कार्यवाही की शक्तियाँ प्रदान की जाएगी।
  - यह विधेयक NDIAC को राष्ट्रीय महत्त्व का संस्थान भी घोषित करता है।
- वैकल्पिक विवाद के लिये अंतर्राष्ट्रीय केंद्र संकल्प (International Centre for Alternative Dispute Resolution-ICADR): ICADR एक पंजीकृत सोसायटी है, जो वैकल्पिक विवाद समाधान (जैसे मध्यस्थता और बीच-बचाव) आदि के संकल्पों को बढ़ावा देता है।
  - यह विधेयक मौजूदा ICADR को केंद्र सरकार को स्थानांतरित करता है। केंद्र सरकार की अधिसूचना पर ICADR के सभी अधिकार, शीर्षक और रूझान NDIAC को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।
- संरचना (Composition): विधेयक के तहत NDIAC सात सदस्यों से मिलकर बना होगा। इसकी अध्यक्षता उच्चतम या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश करेगा जिसके पास मध्यस्थता से संबंधित विशेष ज्ञान और अनुभव होना चाहिये।
  - इसके अतिरिक्त मध्यस्थता से संबंधित पैनल में मध्यस्थता का विशेष ज्ञान रखने वाले दो सदस्य, तीन नामित सदस्य (जिसमें से एक सदस्य वित्त मंत्रालय से होगा और NDIAC की देख-रेख करने वाला मुख्य कार्यकारी अधिकारी शामिल होगा) और उद्योग और वाणिज्य विभाग का एक अंशकालिक सदस्य होगा।
- अवधि और सेवानिवृति: NDIAC के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा। साथ ही ये पुनर्नियुक्ति के पात्र भी होंगे।
  - अध्यक्ष के लिये सेवानिवृत्ति की आयु 70 वर्ष की होगी जबकि अन्य सदस्यों की सेवानिवृत्ति आयु 67 वर्ष होगी।

- NDIAC के उद्देश्य और कार्य: NDIAC का मुख्य उद्देश्य अनुसंधान को बढ़ावा देना, प्रशिक्षण प्रदान करना, वैकल्पिक विवाद समाधान के मामले के लिये सम्मेलनों तथा सेमिनारों का आयोजन करना, मध्यस्थता तथा सुलह की कार्यवाही हेतु संचालन सुविधा प्रदान करना आदि है।
  - NDIAC का प्रमुख कार्य मध्यस्थता को लागत प्रभावी और पेशेवर तरीके से सुगम बनाना है।
- वित्त और लेखा परीक्षा (Audit): NDIAC के तहत एक फंड बनाया जाएगा। इसमें केंद्र से प्राप्त अनुदान, NDIAC गतिविधियों से एकत्र की गई फीस और अन्य स्रोतों से प्राप्त धन को एकत्र किया जाएगा।
- संस्थागत समर्थन: विधेयक यह स्पष्ट करता है कि NDIAC एक चैंबर की स्थापना करेगा चैम्बर मध्यस्थता से संबंधित उपरोक्त पैनल की देख-रेख करेगा।
  - भविष्य में NDIAC मध्यस्थता में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिये एक अकादमी की भी स्थापना करेगा। NDIAC अपने कार्यों का प्रबंधन करने के लिये अन्य समितियों का गठन भी कर सकती है।

भारत में पलायन की समस्या

चर्चा में क्यों?

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, उत्तर प्रदेश एवं बिहार से पलायन करने वालों की संख्या देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है।

पलायन के संदर्भ में जनगणना के प्रमुख बिंदु:

- 2011 की जनगणना के अनुसार, उत्तर प्रदेश और बिहार से लगभग 20.9 मिलियन लोग पलायन कर अन्य राज्यों में चले गए थे। 20.9 मिलियन का यह आँकड़ा देश में होने वाले कुल अंतर-राज्यीय पलायन (Inter-State Migration) का 37 प्रतिशत है।
- इसी अवधि में यह भी पाया गया कि देश के दो बड़े महानगरों दिल्ली और मुंबई की ओर पलायन करने वालों की कुल संख्या 9.9 मिलियन थी जोकि वहाँ की आबादी का लगभग एक तिहाई हिस्सा था।
- आँकड़ों के अनुसार, देश की हिंदी पट्टी (Hindi Belt) पलायन का प्रमुख केंद्र थी।

  हिंदी पट्टी उत्तर-मध्य भारत का वह क्षेत्र है जहाँ बोलचाल के लिये व्यापक तौर पर हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है।
- हिंदी पट्टी के चार प्रमुख राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में देश के कुल अंतर-राज्यीय पलायन का 50 प्रतिशत हिस्सा देखने को मिला।
- वर्ष 2001 से 2011 के मध्य बाहरी राज्यों की तुलना में स्वयं के राज्य में ही पलायन करने वाले लोगों की संख्या में भी वृद्धि हुई, जिसे अंतर-ज़िला पलायन (Inter-District Migration) के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जहाँ एक ओर वर्ष 2001 की जनगणना में अंतर-ज़िला पलायन 30 प्रतिशत था वहीं दूसरी ओर वर्ष 2011 की जनगणना में यह बढ़कर 58 प्रतिशत हो गया था।

क्या होता है पलायन?

पलायन एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोगों की आवाजाही है। यह एक छोटी या लंबी दूरी के लिये अल्पकालिक या स्थायी, स्वैच्छिक या मजबूरी वश, अंतर्देशीय या अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है।

लोग पलायन क्यों करते हैं?

- ग्रामीण इलाकों का कृषि आधार वहाँ रहने वाले सभी लोगों को रोज़गार प्रदान नहीं करता है। क्षेत्रीय विकास में असमानता लोगों को ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरित होने के लिये विवश करती है।
- शैक्षणिक सुविधाओं की कमी के कारण भी ग्रामीण लोग शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं।
- राजनीतिक अस्थिरता और अंतर-जातीय संघर्ष के कारण भी लोग अपने घरों से दूर चले जाते हैं।
- गरीबी और रोज़गार के अवसरों की कमी लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिये प्रेरित करती है।
- बेहतर स्वास्थ्य और वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने के लिये लोग बेहतर चिकित्सा सुविधाओं की तलाश में अल्पावधि के आधार पर भी पलायन करते हैं।
- भोजन की कमी, जलवायु परिवर्तन, धार्मिक उत्पीड़न, गृहयुद्ध जैसे अन्य कारक भी लोगों को आंतरिक पलायन की ओर अग्रसर करते हैं।

आतंकी वित्तपोषण

चर्चा में क्यों ?

ओसाका में आयोजित जी20 शिखर सम्मेलन (28-29 जून,2019) की पृष्ठभूमि में संपन्न ब्रिक्स (BRICS) देशों की अनौपचारिक बैठक में भारत सहित ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को पूर्ण रूप से आतंकवाद के वित्तपोषण के विरुद्ध बनाने पर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।

आतंकी वित्तपोषण (Terror financing) क्या है ?

- आतंकवादी वित्तपोषण आतंकवादी गतिविधि के लिये धन प्रदान करता है। इसमें वैध स्रोतों से प्राप्त धन जैसे कि व्यक्तिगत दान और व्यवसायों एवं धर्मार्थ संगठनों से लाभ आदि के साथ ही आपराधिक स्रोतों जैसे कि ड्रग व्यापार, हथियारों तथा अन्य सामानों की तस्करी, धोखाधड़ी, अपहरण और जबरन वसूली आदि शामिल हो सकते हैं।

भारत ने आतंकी वित्तपोषण से निपटने के लिये कई कदम उठाए है:

- भारत सरकार द्वारा आतंक के वित्तपोषण को रोकने के लिये गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (Unlawful Activities (Prevention) Act) के प्रावधानों को सशक्त कर नकली भारतीय मुद्रा का प्रचलन करने, छापने, तस्करी करने को आतंकी कार्य घोषित किया गया है।
- राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (National Investigation Agency-NIA) में एक टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी (Terror Funding and Fake Currency Cell-TFFC) सेल का गठन किया गया है जो टेरर फंडिंग और नकली मुद्रा के मामलों की जाँच करती है।
- आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के लिये राज्य पुलिस कर्मियों को नियमित रूप से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
- भारत में 'नकली भारतीय मुद्रा नोट नेटवर्क' (Fake Indian Currency Notes network-FICN) आतंकी वित्तपोषण का एक मुख्य माध्यम है। इससे निपटने के लिये गृह मंत्रालय ने FICN सहयोग समूह (FICN Coordination Group-FCORD) का गठन किया है जो नकली मुद्रा के प्रचलन से संबंधित आसूचना/सूचना (Intelligence/ Information) को राज्यों/केंद्र की सुरक्षा एजेंसियों के साथ साझा करता है।
- आतंकी वित्तपोषण संबंधी गतिविधियों में शामिल तत्त्वों पर कड़ी नज़र रखने और कानूनी कार्रवाई करने के लिये केंद्र एवं राज्यों की खुफिया तथा सुरक्षा एजेंसियाँ साथ मिलकर काम कर रही हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर नकली भारतीय मुद्रा की तस्करी को रोकने के लिये निगरानी की नवीन प्रणाली (New surveillance technology) का प्रयोग, सुरक्षा बलों की गश्त में वृद्धि, सीमा पर बाड़ लगाने (Border Fencing) जैसे उपाय किये गए हैं।
- भारत और बांग्लादेश के मध्य नकली भारतीय मुद्रा की तस्करी एवं उसके प्रचलन को रोकने के लिये समझौता ज्ञापन (Memorandum of Understanding-MoU) पर हस्ताक्षर किये गये है। इसके साथ ही नेपाल और बांग्लादेश के पुलिस अधिकारियों को भारतीय मुद्रा की तस्करी/जालसाजी के संबंध में संवेदनशील बनाने के लिये समय-समय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।
- वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (Financial Action Task Force-FATF) भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी देश को जो धनशोधन रोधी (Anti-Money Laundering-AML) उपायों तथा आतंकवाद के वित्तपोषण (Combating of Financing of Terrorism-CFT) का मुकाबला करने में रणनीतिक रूप से कमज़ोर घोषित कर निगरानी सूची में डाल सकता है।
  - निगरानी सूची में डाले जाने के बावजूद यदि कोई देश कार्रवाई न करे तो उसे 'खतरनाक देश' घोषित कर सकता है। हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्य-बल (Financial Action Task Force-FATF) ने पाकिस्तान और श्रीलंका सहित ऐसे 11 ऐसे देशों की पहचान की है।

G20 शिखर सम्मेलन, ओसाका

- हाल ही में जापान के ओसाका शहर में G-20 का 14वाँ शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में G-20 के सभी सदस्य राष्ट्रों ने हिस्सा लिया।

- G-20 सम्मेलन में मौजूदा समय में वैश्विक परिप्रेक्ष्य में उपस्थित चुनौतियों पर चिंतन किया गया। इस सम्मेलन में विभिन्न राष्ट्रों के मध्य व्यापार तनावों, जलवायु परिवर्तन, डेटा प्रवाह, आतंकवाद, भ्रष्टाचार तथा लैंगिक समानता जैसे मुद्दों पर विचार किया गया।

भारत ने इस सम्मलेन में 20 से अधिक बैठकों में हिस्सा लिया। इन बैठकों में भारत-अमेरिका-जापान, भारत-चीन-रूस तथा ब्रिक्स (BRICS) देशों के साथ बैठकें महत्त्वपूर्ण रही है।

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (Financial Action Task Force-FATF)

- वित्तीय कार्रवाई कार्य-बल वर्ष 1989 में जी-7 की पहल पर स्थापित एक अंत: सरकारी संस्था है। इसका उद्देश्य 'टेरर फंडिंग', 'ड्रग्स तस्करी' और 'हवाला कारोबार' पर नज़र रखना है। इसका मुख्यालय फ्राँस के पेरिस में है।
- वित्तीय कार्रवाई कार्य-बल किसी देश को निगरानी सूची में डाल सकता है। निगरानी सूची में डाले जाने के बावजूद यदि कोई देश कार्रवाई न करे तो उसे 'खतरनाक देश' घोषित कर सकता है।

वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नई दिल्ली में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 (Global Innovation Index 2019) में भारत को 52वाँ स्थान प्राप्त हुआ है।

थीम:

वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 की थीम है: 'Creating Healthy Lives – The Future of Medical Innovation'।

प्रमुख बिंदु

- वैश्विक नवाचार सूचकांक का यह 12वाँ संस्करण है।
- इस सूचकांक में स्विट्ज़रलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है।
- इस सूचकांक के अंतर्गत 129 देशों को शामिल किया गया है तथा 80 से अधिक संकेतकों के आधार पर देशों को रैंकिग प्रदान की गई है।
- इन संकेतकों में राजनीति, पर्यावरण, शिक्षा, अवसंरचना एवं व्यापार सुगमता को शामिल किया गया है।
- आय समूह/इनकम ग्रुप्स के आधार पर शीर्ष 3 नवाचार अर्थव्यवस्थाएँ हैं, इनमें शामिल हैं:
  - हाई इनकम: स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन और अमेरिका
  - अपर मिडिल इनकम: चीन, मलेशिया और बुल्गारिया
  - लोअर मिडिल इनकम: वियतनाम, यूक्रेन और जॉर्जिया

वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 में टॉप 20 देशों की सूची है:

रैंक	देश	रैंक	देश
1.	स्विट्ज़रलैंड	11.	कोरिया गणराज्य
2.	स्वीडन	12.	आयरलैंड
3.	अमेरिका	13.	हांगकांग
4.	नीदरलैंड	14.	चीन
5.	यूनाइटेड किंगडम	15.	जापान
6.	फिनलैंड	16.	फ्राँस
7.	डेनमार्क	17.	कनाडा

8.	सिंगापुर	18.	लक्ज़म्बर्ग
9.	जर्मनी	19.	नॉर्वे
10.	इज़राइल	20.	आइसलैंड

भारत की स्थिति

- वर्ष 2018 में भारत को 57वाँ स्थान प्राप्त हुआ था जबकि इस साल 2019 में इसे 52वाँ स्थान हासिल हुआ है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015 में भारत 81वें पायदान पर था।
- लोअर मिडिल इनकम वाले देशों में भारत चौथे पायदान पर है। पिछले पाँच सालों में भारत की रैंकिंग में निरंतर सुधार हो रहा है।
- भारत ने अपनी GDP प्रति व्यक्ति के सापेक्ष नवाचार में पिछले 9 सालों में लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है।
- इस सूचकांक के दो स्तंभों में भारत ऊपर की 50 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है जो निम्नलिखित हैं:
  - Market sophistication (33वाँ स्थान)
  - Knowledge and Technology Outputs (32वाँ स्थान)
- इनोवेशन एग्रीमेंट की गुणवत्ता में भारत 26वीं अर्थव्यवस्था में शामिल है जबकि मध्य आय वाली अर्थव्यवस्था में भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर है।

वैश्विक नवाचार सूचकांक Global Innovation Index

- GII रैंकिंग का प्रकाशन प्रत्येक वर्ष कॉर्नेल यूनिवर्सिटी इन्सीड और संयुक्त राष्ट्र के विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (विपो) तथा GII के नॉलेज भागीदारों द्वारा किया जाता है।
- इसके ज़रिये विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को नवाचार क्षमता और परिणामों के आधार पर रैंकिंग दी जाती है।
- इस सूचकांक को जारी करने का उद्देश्य:
  - नवाचार के बहुआयामी पहलुओं पर बल देना।
  - दीर्घकालिक उत्पादन में वृद्धि करने वाले उपकरण प्रदान करना।
  - बेहतर उत्पादकता और नीतियों में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिये नीतियाँ तैयार करना।

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन World Intellectual Property Organization- WIPO

- विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यह संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी एजेंसियों में से एक है।
- इसका गठन वर्ष 1967 में रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और विश्व में बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिये किया गया था।
- इसके तहत वर्तमान में 26 अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ आती हैं।
- WIPO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है।
- प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है।
- अभी 191 देश इसके सदस्य हैं, जिनमें संयुक्त राष्ट्र के 188 सदस्य देशों के अलावा कुक द्वीपसमूह, होली सी और न्यूए (Niue) शामिल हैं।
- संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश इसके सदस्य बन सकते हैं, लेकिन यह बाध्यकारी नहीं है।
- फिलिस्तीन को इसमें स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा मिला हुआ है तथा लगभग 250 NGO और अंतर-सरकारी संगठन इसकी बैठकों में बतौर आधिकारिक पर्यवेक्षक शामिल होते हैं।
- भारत वर्ष 1975 में WIPO का सदस्य बना था।

राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान के विलय को मंज़ूरी

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खनन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान (National Institute of Miners' Health-NIMH) को समाप्त करने का निर्णय लिया है। NIMH को समाप्त करके इसकी सभी संपत्तियों और देनदारियों के साथ इसका विलय/एकीकरण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान (Institute of Occupational Health-NIOH) के साथ किया जाएगा।

प्रभाव:

- NIMH का NIOH में विलय/एकीकरण से दोनों संस्थानों को सार्वजनिक धन के सक्षम प्रबंधन के साथ-साथ व्यावसायिक क्षेत्र में विशेषज्ञता बढ़ाने का अवसर मिलेगा।
- NIMH के अतिरिक्त अन्य समान उद्देश्यों वाले संगठनों के विलय पर भी विचार किया जा सकता है ताकि संचालन और लागत में कमी को प्रोत्साहित किया जा सके।

प्रमुख बिंदु:

- मंत्रिमंडल ने NIMH के सभी कर्मचारियों को समान पद और समान वेतन पर NIOH में समाहित करने की बात कही है।
- स्वशासी संस्थानों के कामकाज और कार्य प्रदर्शन की समीक्षा के संदर्भ में अन्य विषयों के साथ व्यय प्रबंधन आयोग ने सिफारिश की कि समान उद्देश्यों वाले संगठनों के विलय पर विचार किया जा सकता है और ताकि संचालन और लागत में कमी के कार्य को प्रोत्साहन मिले। इसी के अनुसार NIMH का NIOH के साथ विलय करने की सिफारिश की गई।

राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान (National Institute of Miners' Health-NIMH)

- भारत सरकार द्वारा वर्ष 1990 में NIMH की स्थापना की गई थी।
- इसे कर्नाटक सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1960 के अंतर्गत सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था।
- NIMH का पंजीकृत कार्यालय कोलार गोल्ड फील्ड, कर्नाटक और केंद्रीय प्रयोगशाला नागपुर में स्थित है।
- संस्थान व्यावसायिक स्वास्थ्य और स्वच्छता में प्रायोगिक अनुसंधान करता है।
- इसके अतिरिक्त यह अनुसंधान और विकास के माध्यम से खदानों की सुरक्षा एवं खनिकों के स्वास्थ्य की दिशा में भी प्रयास करता है।

राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान (Institute of Occupational Health-NIOH)

- NIOH की स्थापना वर्ष 1966 में व्यावसायिक स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान के रूप में की गई थी।
- NIOH का कार्य-क्षेत्र मुख्यत: व्यावसायिक स्वास्थ्य से संबंधित है जिसमें व्यावसायिक औषधि और व्यावसायिक स्वच्छता भी शामिल है।

NIOH के प्रमुख उद्देश्य :

- कार्यस्थल पर पर्यावरणीय तनावों के मूल्यांकन के लिये गहन शोध को बढ़ावा देना।
- मौलिक अनुसंधान के माध्यम से व्यावसायिक स्वास्थ्य की उच्चतम गुणवत्ता को बढ़ावा देना।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति ने पूरे देश में ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी को और मज़बूत बनाने के लिये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण (PMGSY-III) को मंज़ूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना केंद्र प्रायोजित है, जिसे लागू करने की ज़िम्मेदारी ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं राज्य सरकारों को दी गई है।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना के तीसरे चरण के तहत देश भर में सड़कों का नेटवर्क स्थापित कर रिहायशी क्षेत्रों को ग्रामीण कृषि बाजारों, उच्च माध्यमिक विद्यालयों तथा अस्पतालों को ग्रामीण क्षेत्रों की प्रमुख संपर्क सड़कों से जोड़ा जाएगा।
- इसके अंतर्गत 1,25,000 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाने की योजना है जिसकी अनुमानित लागत लगभग 80,250 करोड रुपए है।
- इससे ग्रामीण कृषि बाजारों, उच्च माध्यमिक विद्यालयों तथा अस्पतालों से आवाजाही तीव्र एवं सुविधाजनक हो जाएगी।
- PMGSY के अंतर्गत बनी सड़कों का रखरखाव ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा।
- ध्यातव्य है कि वित्तमंत्री ने वर्ष 2018-19 के बजट भाषण में PMGSY-III योजना की घोषणा की थी।

वित्तीय हिस्सेदारी

- परियोजना की अनुमानित लागत 80,250 करोड़ रुपए में से केंद्र का हिस्सा 53,800 करोड़ रुपए तथा राज्य का हिस्सा 26,450 करोड़ रुपए है।
- केंद्र एवं राज्यों के बीच निधियों की हिस्सेदारी 60:40 के अनुपात में होगी, लेकिन 8 पूर्वोत्तर राज्यों तथा तीन हिमालयी राज्यों (जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड) में ये हिस्सेदारी 90:10 के अनुपात में होगी।

योजना का क्रियान्वयन

- ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III की अवधि 2019-20 से 2024-25 तक निर्धारित की गई है।
- सड़कों का चयन आबादी, बाजार, शैक्षणिक तथा चिकित्सा सुविधाओं आदि के मानकों के आधार पर सड़क विशेष द्वारा प्राप्त किये गए अंकों में से कुल अंकों के आधार पर किया जाएगा।
- मैदानी क्षेत्रों में 150 मीटर तक लंबे पुलों का निर्माण और हिमालयी तथा पूर्वोत्तर राज्यों में 200 मीटर तक लंबे पुलों के निर्माण का प्रस्ताव है। वर्तमान प्रावधान मैदानी क्षेत्रों में 75 मीटर तथा हिमालयी एवं पूर्वोत्तर राज्यों में 100 मीटर है।
- राज्यों से PMGSY- III लॉन्च किये जाने से पहले समझौता ज्ञापन करने को कहा जाएगा, ताकि PMGSY के अंतर्गत पाँच वर्ष की निर्माण रखरखाव अवधि के बाद सड़कों के रखरखाव के लिये पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जा सके।

पृष्ठभूमि

- PMGSY दिसंबर 2000 में लॉन्च की गई थी।
- इसका उद्देश्य निर्धारित आकार (2001 की जनगणना के अनुसार, 500+मैदानी क्षेत्र तथा 250+ पूर्वोत्तर, पर्वतीय, जनजातीय और रेगिस्तानी क्षेत्र) को सभी मौसमों के अनुकूल एकल सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करना था ताकि क्षेत्र का समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास हो सके।
- सरकार द्वारा PMGSY के अंतर्गत वर्ष 2016 में चरमपंथ प्रभावित क्षेत्रों के लिये पृथक सड़क कनेक्टिविटी परियोजना लॉन्च की गई, ताकि सुरक्षा और संचार व्यवस्था की दृष्टि से गंभीर 44 जिलों में आवश्यक पुलियों तथा आड़े-तिरछे प्रतिकूल जल निकासी ढाँचे के साथ सभी मौसमों के अनुकूल रोड कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके।

भारत में संसदीय समितियाँ

चर्चा में क्यों?

17वीं लोकसभा का गठन हुए लगभग दो महीने बीत चुके हैं, परंतु अभी तक संसदीय स्थायी समितियों का गठन नहीं किया गया है, जिसके कारण संसद के वर्तमान सत्र में पेश किये गए सभी विधेयकों को बिना स्थायी समितियों की जाँच के ही पारित करना पड़ा है। स्थायी समितियों के गठन के संदर्भ में पार्टियों के बीच विचार-विमर्श का दौर अभी भी जारी है।

क्या होती हैं संसदीय समितियाँ?

- संसदीय लोकतंत्र में संसद के मुख्यत: दो कार्य होते हैं, पहला कानून बनाना और दूसरा सरकार की कार्यात्मक शाखा का निरीक्षण करना।

- संसद के इन्ही कार्यों को प्रभावी ढंग से संपन्न करने के लिये संसदीय समितियों को एक माध्यम के तौर पर प्रयोग किया जाता है।
- सैद्धांतिक तौर पर धारणा यह है कि संसदीय स्थायी समितियों में अलग-अलग दलों के सांसदों के छोटे-छोटे समूह होते हैं जिन्हें उनकी व्यक्तिगत रुचि और विशेषता के आधार पर बाँटा जाता है ताकि वे किसी विशिष्ट विषय पर विचार-विमर्श कर सकें।

कहाँ से आया संसदीय समितियों के गठन का विचार?

- भारतीय संसदीय प्रणाली की अधिकतर प्रथाएँ ब्रिटिश संसद की देन हैं और संसदीय समितियों के गठन का विचार भी वहीं से आया है।
- विश्व की पहली संसदीय समिति का गठन वर्ष 1571 में ब्रिटेन में किया गया था। भारत की बात करें तो यहाँ पहली लोक लेखा समिति का गठन अप्रैल 1950 में किया गया था।

क्यों होती है संसदीय समितियों की आवश्यकता?

- संसद में कार्य की बेहद अधिकता को देखते हुए वहाँ प्रस्तुत सभी विधेयकों पर विस्तृत चर्चा करना संभव नहीं हो पाता, अत: संसदीय समितियों का एक मंच के रूप में प्रयोग किया जाता है, जहाँ प्रस्तावित कानूनों पर चर्चा की जाती है।
- समितियों की चर्चाएँ 'बंद दरवाज़ों के भीतर' होती हैं और उसके सदस्य अपने दल के सिद्धांतों से भी बंधे नहीं होते, जिसके कारण वे किसी विषय विशेष पर खुलकर अपने विचार रख सकते हैं।
- आधुनिक युग के विस्तार के साथ नीति-निर्माण की प्रक्रिया भी काफी जटिल हो गई है और सभी नीति-निर्माताओं के लिये इन जटिलताओं की बराबरी करना तथा समस्त मानवीय क्षेत्रों तक अपने ज्ञान को विस्तारित करना संभव नहीं है।
- इसीलिये सांसदों को उनकी विशेषज्ञता और रुचि के अनुसार अलग-अलग समितियों में रखा जाता है ताकि उस विशिष्ट क्षेत्र में एक विस्तृत और बेहतर नीति का निर्माण संभव हो सके

संसदीय समितियों के प्रकार

1. स्थायी समिति

स्थायी समितियाँ अनवरत प्रकृति की होती हैं अर्थात् इनका कार्य सामान्यत: निरंतर चलता रहता है। इस प्रकार की समितियों का पुनर्गठन वार्षिक आधार पर किया जाता है।

इनमें शामिल कुछ प्रमुख समितियाँ इस प्रकार हैं :

लोक लेखा समिति
प्राक्कलन समिति
सार्वजनिक उपक्रम समिति
एस.सी. व एस.टी. समुदाय के कल्याण संबंधी समिति
कार्यमंत्रणा समिति
विशेषाधिकार समिति
विभागीय समिति

2. अस्थायी समितियाँ या तदर्थ समितियाँ

- अस्थायी समितियों का गठन किसी एक विशेष उद्देश्य के लिये किया जाता है, उदाहरण के लिये, यदि किसी एक विशिष्ट विधेयक पर चर्चा करने के लिये कोई समिति गठित की जाती है तो उसे अस्थायी समिति कहा जाएगा।
- उद्देश्य की पूर्ति हो जाने के पश्चात् संबंधित अस्थायी समिति को भी समाप्त कर दिया जाता है।

इस प्रकार की समितियों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है:

- जाँच समितियाँ: इनका निर्माण किसी तत्कालीन घटना की जाँच करने के लिये किया जाता है।
- सलाहकार समितियाँ: इनका निर्माण किसी विशेष विधेयक पर चर्चा करने के लिये किया जाता है।
- उपरोक्त के अतिरिक्त 24 विभागीय समितियाँ भी होती हैं जिनका कार्य विभाग से संबंधित विषयों पर कार्य करना होता है।

- प्रत्येक विभागीय समिति में अधिकतम 31 सदस्य होते हैं, जिसमें से 21 सदस्यों का मनोनयन स्पीकर द्वारा एवं 10 सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा के सभापति द्वारा किया जा सकता है।
- कुल 24 समितियों में से 16 लोकसभा के अंतर्गत व 8 समितियाँ राज्यसभा के अंतर्गत कार्य करती हैं।
- इन समितियों का मुख्य कार्य अनुदान संबंधी मांगों की जाँच करना एवं उन मांगों के संबंध में अपनी रिपोर्ट सौंपना होता है।

प्रवासियों का शहर बनते जा रहे हैं दिल्ली तथा देश के अन्य महानगर

चर्चा में क्यों?

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, दिल्ली में रहने वाली लगभग 38.5 प्रतिशत आबादी दिल्ली से बाहर जन्मी है।

प्रमुख बिंदु

- इस स्थिति को देखते हुए यदि दिल्ली को प्रवासियों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला चुंबक कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।
- दिल्ली की तुलना में चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता जैसे राज्यों में राज्य के बाहर जन्मे लोगों की संख्या 10 प्रतिशत से भी कम थी।
- देश के अन्य प्रमुख राज्यों, जैसे- मुंबई, बेंगलुरु और पुणे में इस प्रकार की आबादी क्रमश: 27.7, 17.3 और 10.1 प्रतिशत थी।
- मिलेनियम सिटी के रूप में जाना जाने वाला गुरुग्राम (जो दिल्ली NCR में शामिल है) भी इस सूची में दिल्ली के आस-पास ही दिखाई पड़ता है, जहाँ तक़रीबन 36 प्रतिशत आबादी का जन्म किसी अन्य स्थान पर हुआ था।
- दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, जिसमें नोएडा और ग्रेटर नोएडा शामिल हैं, में भी ऐसे प्रवासियों की संख्या लगभग 18.4 प्रतिशत के आस-पास थी।
- आँकड़ों से पता चलता है कि बड़े शहरों की ओर होने वाला अधिकतर पलायन राज्यगत (Intra-State) होता है न कि अंतर-राज्यीय (inter-State)। ऐसे में इस बात में कोई दम नहीं दिखाई देता कि महानगरों में आने वाले प्रवासी उस क्षेत्र विशेष का रोज़गार छीन रहे हैं।
- 2011 की जनगणना के आँकड़ों में यह भी पाया गया कि कई बड़े शहरों में होने वाला अंतर-राज्यीय पलायन अधिकतर अंतर-क्षेत्रीय पलायन भी होता था, क्योंकि अधिकांश प्रवासी अपने घर के आस-पास ही रहने को वरीयता देते थे।
- उदाहरण के लिये चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में आने वाले अधिकतर प्रवासी उत्तर भारत से न आकर दक्षिण भारत से आए थे और इसी तरह कोलकाता के प्रवासियों की बड़ी संख्या बिहार और झारखंड से थी।
- भारत के आई.टी. हब, बेंगलुरु की बात करें तो वहाँ की 17.3 प्रतिशत जनसंख्या का जन्म कर्नाटक से बाहर हुआ था तथा इसमें से दो-तिहाई आबादी सिर्फ आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु से आई थी।
- उपलब्ध आँकड़ों में उपरोक्त तथ्यों के कुछ अपवाद भी मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान से बड़े शहरों में होने वाले प्रवास की वज़ह से देश के लगभग हर बड़े शहर में इन तीन राज्यों के लोगों की मौजूदगी है।
- उपरोक्त तीन राज्यों (उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान) का अन्य बड़े शहरों जैसे- दिल्ली, गुरुग्राम और मुंबई में आबादी प्रतिशत क्रमश: 26, 19 और 15 है। इसके अतिरिक्त इन राज्यों के लोग पुणे और बेंगलुरु में भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं।

पंचायतों की क्षमता मज़बूत करने के लिये पहल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय जल मंत्री ने झारखंड की राजधानी राँची में जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग की क्षमता सुदृढ़ीकरण पहल (Capacity Strengthening Initiative) की शुरुआत की।

प्रमुख बिंदु

- इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारंभिक प्रशिक्षणों में 2800 क्षेत्र प्रशिक्षकों का एक समूह बनाया जाएगा जो पूरे देश में लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों तक पहुँचेंगे।

- इस पहल का प्रमुख उद्देश्य स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच से मुक्त (Open Defecation Free-ODF) गाँवों की स्थिरता सुनिश्चित करना है।
- इसके अतिरिक्त यह पहल क्षेत्र प्रशिक्षकों एवं पंचायत राज संस्थान के सदस्यों को ठोस और तरल अपशिष्ट के प्रबंधन के साथ-साथ सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल आपूर्ति की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने में सहायक होगी।

स्वच्छ भारत मिशन क्या है?

घर, समाज और देश में स्वच्छता को जीवनशैली का अंग बनाने के लिये, सार्वभौमिक साफ-सफाई का यह अभियान वर्ष 2014 में शुरू किया गया। जिसे 2 अक्तूबर, 2019 (महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती) तक पूरा कर लेना

यह वर्ष 1986 के केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, वर्ष 1999 के टोटल सेनिटेशन कैंपेन एवं वर्ष 2012 के निर्मल भारत अभियान की तुलना में परिवर्द्धित एवं सुस्पष्ट कार्यक्रम है।

यह मिशन क्यों ज़रूरी है?

- साफ-सफाई की बुनियादी सुविधा से वंचित, खुले में शौच करने वाले विश्व के लगभग 60 प्रतिशत लोग सिर्फ भारत में हैं। अन्य बीमारियों के साथ ही इस अस्वच्छता के कारण भारत उन देशों की श्रेणी में भी है, जहाँ पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की सबसे ज्यादा मौतें होती हैं।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आँकड़े बताते हैं कि देश के शहरों और कस्बों में प्रतिदिन उत्पादित होने वाला एक-तिहाई कचरा सड़कों पर ही सड़ता है। केवल चार बड़े महानगरों (दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता) में प्रतिदिन 16 बिलियन लीटर दूषित जल पैदा होता है।

इस मिशन का उद्देश्य

- भारत में खुले में शौच की समस्या को समाप्त करना अर्थात् संपूर्ण देश को खुले में शौच करने से मुक्त (ओ.डी.एफ.) घोषित करना, हर घर में शौचालय का निर्माण, जल की आपूर्ति और ठोस व तरल कचरे का उचित तरीके से प्रबंधन करना है।
- इस अभियान में सड़कों और फुटपाथों की सफाई, अनधिकृत क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाना, मैला ढोने की प्रथा का उन्मूलन करना तथा स्वच्छता से जुड़ी प्रथाओं के बारे में लोगों के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विधेयक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा ने निजी विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 पारित किया जिसका उद्देश्य राज्य के 27 निजी विश्वविद्यालयों को एक ही कानून के अंतर्गत लाना है।

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रीय एकीकरण, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक सद्भाव, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, नैतिक उन्नति और देशभक्ति को उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विधेयक के तहत विश्वविद्यालयों के उद्देश्यों में शामिल किया गया है।
- विश्वविद्यालय का निर्माण अथवा गठन करने के लिये अब एक वचन पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। वचन पत्र में ये घोषणा करनी होगी कि विश्वविद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार की देश विरोधी गतिविधियों का संचालन नहीं होने दिया जाएगा। यदि इस प्रकार के कृत्य परिसर में होते हुए पाए जाते हैं तो इनको विश्वविद्यालय निर्माण की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे मामलों में उत्तर प्रदेश सरकार आवश्यक कार्यवाही करने के लिये अधिकृत होगी।
- उत्तर प्रदेश के सभी नए निजी विश्वविद्यालय तथा पुराने 27 विश्वविद्यालय उत्तरप्रदेश निजी विश्वविद्यालय के अधिनियमों के अनुसार शासित होंगे इससे पहले सभी निजी विश्वविद्यालय भिन्न-भिन्न अधिनियमों के माध्यम से शासित होते थे।
- नई प्रणाली में शुल्क संरचना, शिक्षा की गुणवत्ता तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission-UGC) के दिशा-निर्देशों को लागू कराने में एकरूपता लाई जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के अनुभवों का उपयोग भी इस प्रणाली में किया जाएगा।

- विश्वविद्यालय में न्यूनतम 75 प्रतिशत स्थाई शिक्षकों का होना आवश्यक होगा तथा शिक्षकों गुणवत्ता की ऑनलाइन निगरानी की जाएगी।
- शहर में किसी विश्वविद्यालय के निर्माण के लिये न्यूनतम 20 एकड़ भूमि का होना आवश्यक होगा जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वविद्यालय निर्माण के लिये 50 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। मौजूदा 27 विश्वविद्यालयों को इस स्थिति में आने के लिये एक वर्ष का समय दिया जाएगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

- 28 दिसंबर, 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने औपचारिक तौर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नींव रखी थी।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयी शिक्षा के मापदंडों के समन्वय, निर्धारण और अनुरक्षण हेतु 1956 में संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संगठन है।
- पात्र विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अनुदान प्रदान करने के अतिरिक्त, आयोग केंद्र और राज्य सरकारों को उच्चतर शिक्षा के विकास हेतु आवश्यक उपायों पर सुझाव भी देता है।
- इसका मुख्यालय देश की राजधानी नई दिल्ली में अवस्थित है। इसके छः क्षेत्रीय कार्यालय पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी एवं बंगलूरू में हैं।

लोकसभा ने पारित किया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

चर्चा में क्यों?

हाल ही में लोकसभा ने उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2019 पारित किया। इस विधेयक को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के स्थान पर लाया गया है।

विधेयक के उद्देश्य

इस विधेयक का प्रमुख उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों को मज़बूत करना एवं उनके हितों की रक्षा करना है।

- यह विधेयक उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाएगा।
- इसके अतिरिक्त इस विधेयक के माध्यम से उपभोक्ताओं को त्वरित न्याय भी दिलाया जा सकेगा।

विधेयक की मुख्य

- उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2019 केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (Central Consumer Protection Authority-CCPA) के गठन का प्रस्ताव करता है। विधेयक के अनुसार, CCPA के पास निम्नलिखित अधिकार होंगे:
  - उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन और संस्थान द्वारा की गई शिकायतों की जाँच करना।
  - असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं को वापस लेना एवं उचित कार्यवाही करना।
  - भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाना।
  - भ्रामक विज्ञापनों के निर्माताओं और प्रसारकों पर जुर्माना लगाना।
- नए विधेयक में उपभोक्ताओं से संबंधित किसी भी विवाद के समाधान की प्रक्रिया को काफी सरल बनाने का प्रयास किया गया है। इसके तहत निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:
  - उपभोक्ता आयोग के आर्थिक क्षेत्राधिकार को बढ़ाया गया है;
    - ज़िला आयोग- 1 करोड़ रुपए तक
    - राज्य आयोग- 1 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए तक
    - राष्ट्रीय आयोग -10 करोड़ रुपए से अधिक के मामलों तक
  - शिकायत दाखिल करने के 21 दिनों के बाद शिकायत की स्वत: स्वीकार्यता।

- उपभोक्ता आयोग द्वारा अपने आदेशों को लागू कराने का अधिकार।
- उपभोक्ता आयोग से संपर्क करने में आसानी।
- सुनवाई के लिये वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा।

- यदि किसी उत्पाद या सेवा में दोष पाया जाता है तो उत्पाद निर्माता/विक्रेता या सेवा प्रदाता को क्षतिपूर्ति के लिये ज़िम्मेदार माना जाएगा। विधेयक के अनुसार, किसी उत्पाद में निम्नलिखित आधारों पर दोष हो सकता है:
  - उत्पाद/सेवा के निर्माण में दोष।
  - डिज़ाइन में दोष।
  - उत्पाद की घोषित विशेषताओं से वास्तविक उत्पाद का अलग होना।
  - प्रदान की जाने वाली सेवाओं का दोषपूर्ण होना।

क्यों लाभकारी है यह विधेयक?

- वर्तमान में उपभोक्ता संबंधी मामलों में न्याय पाने के लिये उपभोक्ताओं के पास मात्र उपभोक्ता आयोग ही एक विकल्प है, जिसके कारण न्याय मिलने में काफी समय लगता है। CCPA के गठन से उपभोक्ताओं को त्वरित न्याय प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

आर्थिक घटनाक्रम

कृषि क्षेत्र में सुधार के लिये मुख्यमंत्रियों की एक समिति

चर्चा में क्यों?

नीति आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है जो भारत के कृषि क्षेत्र में सुधार हेतु सुझाव देगी।

समिति में शामिल अन्य सदस्य

नीति आयोग की आधिकारिक घोषणा के अनुसार, इस समिति में देवेंद्र फड़नवीस के अतिरिक्त कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हैं।

समिति के मुख्य कार्य:

- किसानों को उनकी उपज के विपणन (Marketing) में सुधार करने के तरीकों पर सुझाव देना।
- अनुबंध कृषि के लिये मापदंड तैयार करना।
- कृषि क्षेत्र में निजी निवेशकों को आकर्षित करने और कृषि बाज़ार प्रणाली को आधुनिक बनाने पर सुझाव देना।
- इस समिति को किसानों की आय में वृद्धि करने के तरीकों पर विचार करने को भी कहा गया है।
- मुख्यमंत्रियों का यह समूह अनिवार्य वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act- ECA), 1955 के प्रावधानों की भी समीक्षा करेगा और उनमें परिवर्तन का भी सुझाव देगी ताकि कृषि क्षेत्र में निजी निवेशकों को आकर्षित किया जा सके।
- समिति कृषि निर्यात को बढ़ावा देने और कृषि तकनीक को बेहतर बनाने के उपायों पर भी सुझाव देगी।
- इसके अतिरिक्त यह समिति किसानों तक उच्च गुणवत्ता के बीजों की पहुँच को भी सुनिश्चित करेगी।

अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955

- इस अधिनियम को वर्ष 1955 में लागू किया गया था।
- यह अधिनियम सभी उपभोक्ताओं के लिये आवश्यक/अनिवार्य वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करता है।
- यह कपटी व्यापारियों से भी उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करता है।
- इस अधिनियम में अधिकांश शक्तियाँ राज्य सरकारों को प्रदान की गई है।
- अधिनियम के अनुसार, अनिवार्य वस्तुओं में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है :
  - पेट्रोलियम और उसके उत्पाद (जैसे- पेट्रोल, डीज़ल, केरोसिन आदि)
  - खाद्य सामग्री (जैसे- तेल, बीज, दालें, चीनी और चावल)
  - जूट और कपड़े
  - दवाइयाँ
  - उर्वरक

GM फसलों पर रोक

चर्चा में क्यों ?

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (Ministry of Agriculture & Farmers Welfare) द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग (Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare) ने राज्यों को BT बैंगन और HT कपास के प्रसार को नियंत्रित करने के लिये निर्देश जारी किये हैं।

प्रमुख बिंदु

- BT कपास,पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (Genetic Engineering Appraisal Committee) द्वारा वाणिज्यिक खेती के लिये अनुमोदित एकमात्र आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल है।
- इसके अतिरिक्त अन्य GM फसलों की खेती पर प्रतिबंध है। हाल ही में BT बैंगन और HT कपास की खेती के कुछ मामले महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और आंध्र प्रदेश में सामने आये हैं ।
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (Environment Protection Act 1986) के तहत वर्ष 1989 में बनाये गये सूक्ष्मजीवों, आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों से संबंधित नियमों द्वारा GM फसलों को मंज़ूरी प्रदान की जाती है।
- GM फसलों का मूल्यांकन स्वास्थ्य, पर्यावरण, भोजन पर प्रभाव के आधार पर 1989 के नियमो के तहत जैव सुरक्षा समिति और आनुवंशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाता है।

जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति

- जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MOEFCC) के अंतर्गत स्थापित किया गया है।
- इसका कार्य अनुवांशिक रूप से संशोधित सूक्ष्म जीवों और उत्पादों के कृषि में उपयोग को स्वीकृति प्रदान करना है।
- विदित हो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति आनुवंशिक रूप से संशोधित बीजों के लिये स्थापित भारत का सर्वोच्च नियामक है ।

बीटी (Bt) तथा बीटी फसलें (Bt crops) क्या हैं ?

- बेसिलस थुरिनजेनेसिस (Bacillus Thuringiensis– Bt) एक जीवाणु है जो प्राकृतिक रूप से क्रिस्टल प्रोटीन उत्पन्न करता है। यह प्रोटीन कीटों के लिये हानिकारक होता है।
- बीटी फसलों का नाम बेसिलस थुरिनजेनेसिस (bacillus thuringiensis -Bt) के नाम पर रखा गया है।
- बीटी फसलें ऐसी फसलें होती है जो बेसिलस थुरिनजेनेसिस नामक जीवाणु के समान ही विषाक्त पदार्थ उत्पन्न करती हैं ताकि फसलों का कीटों से बचाव किया जा सके।
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों और उत्पादो के लिये निम्न प्रोटोकॉल जारी किये हैं-
  - DNA सुरक्षा हेतु दिशा-निर्देश, 1990
  - संशोधित फसलो पर अनुसंधान हेतु दिशा-निर्देश, 1998
  - GM पौधों से उत्पन्न खाद्य पदार्थों के सुरक्षा मूल्यांकन के लिये दिशा-निर्देश, 2008
  - GM फसलो के सीमित क्षेत्रो में परीक्षण के लिये दिशा-निर्देश, 2008
  - जैव सुरक्षा समिति के दिशा-निर्देश, 2011
  - GM फसलो के पर्यावरण जोखिम मूल्यांकन पर दिशा-निर्देश, 2016
  - जोखिम विश्लेषण फ्रेमवर्क, 2016

BEPS से निपटने के लिये अंतर्राष्ट्रीय समझौता

चर्चा में क्यों ?

सरकार ने यह घोषणा की है कि उसने आधार क्षरण एवं लाभ हस्तांतरण (Base Erosion and Profits Shifting - BEPS) को रोकने के लिये अंतर्राष्ट्रीय समझौते की पुष्टि कर दी है।

मुख्य बिंदु :

- सरकार के इस कदम का मुख्य उद्देश्य कंपनियों को अपने लाभ को देश से बाहर ले जाने और देश की सरकार को कर राजस्व से वंचित करने से रोकना है।
- यह समझौता एक बहुपक्षीय उपकरण (Multilateral Instruments - MLI) है जिसके प्रयोग से BEPS को रोकने का प्रयास किया जाएगा।
- MLI का निर्माण सभी G20 देशों के एकजुट प्रयासों का परिणाम है। ये सभी देश कहीं न कहीं BEPS से प्रभावीत होते हैं।
- इस समझौते में भारत के अतिरिक्त 65 अन्य देशों का भी प्रतिनिधित्व है।
- MLI यह सुनिश्चित करेगा की लाभ जिस देश में कमाया जा रहा है उसी देश में उसके कर का भुगतान भी किया जा रहा है, जिससे भारत की राजस्व हानि को कम किया जा सकेगा।

आधार क्षरण एवं लाभ हस्तांतरण :

- BEPS का तात्पर्य ऐसी टैक्स प्लानिंग रणनीतियों से है जिनके तहत टैक्स नियमों में अंतर और विसंगतियों का लाभ उठाकर कम्पनियाँ अपने लाभ को किसी ऐसे स्थान या क्षेत्र में हस्तांतरित कर देती हैं जहाँ या तो टैक्स होता ही नहीं और यदि होता भी है तो बहुत कम अथवा नाम-मात्र। इन क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियाँ या तो नहीं होती हैं या मामूली आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं। ऐसे में संबंधित कंपनी द्वारा या तो कोई भी कॉरपोरेट टैक्स अदा नहीं किया जाता है अथवा मामूली कॉरपोरेट टैक्स का ही भुगतान किया जाता है।
- जून 2017 में भारत ने पेरिस स्थित OECD के मुख्यालय में आयोजित एक समारोह में आधार क्षरण एवं लाभ स्थानांतरण (BEPS) की रोकथाम हेतु कर संधि से संबंधित उपायों को लागू करने के लिये बहुपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किये थे।
- इस समझौते का उद्देश्य कृत्रिम ढंग से कर अदायगी से बचने की प्रवृत्ति पर रोक लगाना, संधि के दुरुपयोग की रोकथाम सुनिश्चित करना और विवाद निपटान की व्यवस्था को बेहतर करना है।

ग्लोबल वार्मिंग और भारत में रोज़गार

चर्चा में क्यों ?

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organisation-ILO) ने 'वर्किंग ऑन ए वार्मर प्लैनेट:द इंपैक्ट ऑफ हीट स्ट्रेस लेबर प्रोडक्टिविटी एंड डिसेंट वर्क' (Working on a Warmer Planet: The Impact of Heat Stress on Labour Productivity and Decent Work) नामक एक रिपोर्ट जारी की।

ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव

- ILO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग से विशेष रूप से कृषि और निर्माण क्षेत्रों में काम के घंटों की उत्पादकता में 5.8 प्रतिशत की कमी के कारण भारत में वर्ष 2030 तक 34 लाख पूर्णकालिक रोज़गार की उत्पादकता के बराबर श्रम का नुकसान होने की संभावना है।
- अधिक तापमान से मज़दूरों के काम करने की गति में कमी आएगी जिससे वर्ष 2030 तक कुल वैश्विक श्रम उत्पादकता में 2% तक का नुकसान होगा, जो 80 लाख पूर्णकालिक नौकरियों की उत्पादकता के बराबर है।
- जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु ठोस रणनीति न अपनाये जाने से वर्ष 2030 तक 2,400 बिलियन अमेरिकी डॉलर के संचित वैश्विक वित्तीय घाटे की आशंका है ।

- ग्लोबल वार्मिंग से दक्षिण एशिया में वर्ष 2030 तक कुल श्रम उत्पादकता के 5.3% भाग की हानि होगी, जो 43 लाख पूर्णकालिक रोज़गार की उत्पादकता के बराबर है। इस क्षेत्र में रोज़गार के 90% तक अनौपचारिक होने से स्थिति और गंभीर हो जाती है।
- भारत भी ग्लोबल वार्मिंग से विशेष रूप से प्रभावित होगा, वर्ष 1995 के कार्यशील घंटों की उत्पादकता में अभी तक 4.3% की कमी है जो वर्ष 2030 तक घटकर 5.8% होने की उम्मीद है।
- ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज़्यादा प्रभाव कृषि क्षेत्र पर होने की संभावना है लेकिन इससे विनिर्माण क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं एवं पुरुषों पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा।
- वर्ष 2030 तक राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशो की सकल घरेलू उत्पाद में कमी का अनुमान है। बढ़ते ताप के कारण थाईलैंड, कंबोडिया, भारत और पाकिस्तान की GDP में पाँच प्रतिशत से अधिक कमी होने की संभावना है।
- कार्य स्थल पर अत्यधिक गर्मी एक व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिम है और इससे हीटस्ट्रोक की संभावना रहती है, जो श्रमिकों के लिये घातक हो सकता है।
- ग्लोबल वार्मिंग से निम्न और उच्च आय वाले देशों के बीच असमानता भी बढ़ेगी ।
- यातायात, पर्यटन, खेल और आपातकालीन सेवाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

टिड्डों को नियंत्रित करने हेतु भारत-पाक का संयुक्त कदम

चर्चा में क्यों ?

टिड्डों (Locusts) की आवाजाही को रोकने और सीमा से लगे इलाकों में फ़सलों को बचाने के लिए भारत और पाकिस्तान के अधिकारी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

- दोनों देश टिड्डों की आवाजाही को रोकने और प्रतिबंधित करने के लिए खाद्य और कृषि संगठन (Food and Agricultural Organization - FAO) के माध्यम से लगातार उपग्रह डेटा सहित अन्य सूचनाओं को साझा कर रहे हैं।

खाद्य और कृषि संगठन :

- खाद्य और कृषि संगठन को 1945 में संयुक्त राष्ट्र के पहले सत्र द्वारा कनाडा के शहर क्यूबैक में बनाया गया था।
- FAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो भूख से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है।
- FAO ज्ञान और सूचना का एक स्रोत भी है, जो विकासशील देशों को आधुनिक बनाने तथा कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन में सुधार के प्रयास करता है, ताकि सभी के लिए अच्छा पोषण और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

टिड्डे (Locusts) :

- मुख्यत: टिड्डे एक प्रकार के बड़े उष्णकटिबंधीय कीड़े होते हैं जिनके पास उड़ने की अतुलनीय क्षमता होती है।
- ये व्यवहार बदलने की अपनी क्षमता में अपनी प्रजाति के अन्य कीड़ों से अलग होते हैं और ये लंबी दूरी तक पलायन करने के लिये बड़े-बड़े झुंडों का निर्माण करते हैं।
- टिड्डों की प्रजाति में रेगिस्तानी टिड्डों को सबसे खतरनाक और विनाशकारी माना जाता है।
- आमतौर पर जून और जुलाई के महीनों में इन्हें आसानी से देखा जाता है क्योंकि ये गर्मी और बारिश के मौसम में ही सक्रिय होते हैं।
- सामान्य तौर पर ये टिड्डे प्रतिदिन 150 किलोमीटर तक उड़ सकते हैं।
- यदि अच्छी बारिश होती है और परिस्थितियाँ इनके अनुकूल रहती हैं तो इनमें तेज़ी से प्रजनन करने की क्षमता भी होती है और ये तीन महीनों में 20 गुना तक बढ़ सकते हैं।
- वनस्पति के लिए खतरा : एक व्यस्क टिड्डा प्रतिदिन अपने वजन के बराबर भोजन (लगभग 2 ग्राम वनस्पति प्रतिदिन) खा सकता है जिसके कारण यह फसलों और खाद्यान्नों के लिये बड़ा खतरा बन जाते हैं।
- यदि इससे होने वाले संक्रमण को नियंत्रित न किया जाए तो इसके कारण गंभीर परिस्थियों का निर्माण हो सकता है।

- **टिड्डों को नियंत्रित करने के उपाय :**
  - इसके झुंडों द्वारा रखे गये अण्डों का विनाश।
  - इन्हें फँसाने के लिये खाई खोदना।
  - कीटनाशक का उपयोग
- सामान्यत: FAO दुनिया के सभी देशों को टिड्डों की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है और उन देशों में टिड्डों के आक्रमण की सूचना भी देता है।

भारत में टिड्डे:

- भारत में टिड्डों की निम्निखित चार प्रजातियाँ पाई जाती हैं :
  - रेगिस्तानी टिड्डे (Desert locust)
  - घुमंतू टिड्डे (Migratory locust)
  - बॉम्बे टिड्डे (Bombay Locust)
  - ट्री टिड्डे (Tree locust)
- पाकिस्तान के रास्ते भारत में प्रवेश करने वाला टिड्डों का वर्तमान समूह ईरान में उत्पन्न हुआ है।
- इन टिड्डों की आवाजाही गर्मियों में अरब सागर से चलने वाली धूल भरी हवाओं से होती है जो इन्हें पाकिस्तान के सिंध के रास्ते भारत के पश्चिमी राजस्थान में ले आती है।
- टिड्डों के इस समूह ने पाकिस्तान में काफी कहर बरपाया है, परंतु भारत की ओर से अभी तक ऐसी किसी भी स्थिति की ख़बर नहीं है।
- जोधपुर का टिड्डा चेतावनी संगठन (Locust Warning Organisation- LWO) वर्तमान में राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर ज़िलों में 13 से 16 ऐसे ही विशाल समूहों को नियंत्रित कर रहा है।

टिड्डा चेतावनी संगठन:

- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन आने वाला टिड्डा चेतावनी संगठन मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में टिड्डों की निगरानी, सर्वेक्षण और नियंत्रण के लिये ज़िम्मेदार है।
- **LWO के उद्देश्य :**
  - टिड्डों पर अनुसंधान करना।
  - राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संपर्क और समन्वय स्थापित करना।
  - टिड्डी चेतावनी संगठन (LWO) के सदस्यों को, राज्य के अधिकारियों को, BSF कर्मियों को और किसानों को इस क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करना।
  - टिड्डों के कारण बनाने वाली आपातकाल परिस्थितियों से निपटने के लिये टिड्डी नियंत्रण अभियान का आयोजन करना

जम्मू-कश्मीर में होगा पहला निवेशक शिखर सम्मेलन

चर्चा में क्यों ?

राज्य में निवेश बढ़ाने और राज्य के संबंध में चली आ रही गलत धारणाओं को समाप्त करने के उद्देश्य से जम्मू-कश्मीर इस वर्ष अपने पहले निवेशक शिखर सम्मेलन (Investor Summit) की मेज़बानी करेगा।

मुख्य बिंदु :

- जम्मू-कश्मीर का यह पहला निवेशक शिखर सम्मेलन श्रीनगर में सितंबर-अक्तूबर के मध्य आयोजित किया जाएगा।
- आयोजन से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, इस सम्मेलन में भारत के शेष राज्यों के अतिरिक्त कम-से-कम आठ अन्य देशों की भागीदारी की उम्मीद की जा रही है।

- जम्मू-कश्मीर के इस पहले शिखर सम्मेलन में उसके मुख्य क्षेत्रकों जैसे - पर्यटन, बागवानी और हस्तशिल्प आदि के अतिरिक्त बिजली और विनिर्माण क्षेत्रों पर भी ज़ोर दिया जाएगा।
- निवेश विशेषज्ञों के अनुसार, राज्य में अत्यधिक निवेश न होने का प्रमुख कारण वैश्विक स्तर पर राज्य की नकारात्मक छवि है।
- इस शिखर सम्मेलन से यह आशा की जा रही है कि यह वैश्विक पटल पर राज्य की नकारात्मक छवि को परिवर्तित करने में मदद करेगा।
- इस संदर्भ में भूमि संबंधी कानून बाधक बन रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में भूमि के स्वामित्व को नियंत्रित करने वाले कानून राज्य के बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति को राज्य में भूमि या अचल संपत्ति खरीदने की अनुमति नहीं देते हैं।
- हालाँकि वर्ष 1978 में पारित भूमि अनुदान विधेयक (the Land Grants Bill) के अनुसार, राज्य सरकार के पास बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति को राज्य में 99 वर्षों के लिये भूमि पट्टे पर देने की शक्ति है।
- राज्य सरकार इस चुनौती का सामना करने के लिये राज्य की कुछ भूमि को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में नामांकित कर सकती है और पट्टे पर दी जाने वाली भूमि की अवधि भी बढ़ा सकती है।
- लेकिन इस प्रकार के सभी सुझाव सदैव ही राज्य में आम नागरिकों की आलोचना और विरोध का शिकार रहे हैं।
- वर्तमान में जम्मू-कश्मीर राष्ट्रपति शासन के अधीन है जिसे पिछले सप्ताह संसद में वोटिंग के बाद 6 महीनों के लिये बढ़ा दिया गया है।

CIC के विनियामक ढाँचे की समीक्षा के लिये कार्यदल का गठन

चर्चा में क्यों?

कोर निवेश कंपनियों (Core Investment Companies - CIC) पर लागू होने वाले विनियामक दिशा-निर्देशों और ढाँचे की समीक्षा करने के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक कार्यदल का गठन किया है।

मुख्य बिंदु :

- RBI के अनुसार, मौजूदा ढाँचा कंपनियों के जटिल कॉर्पोरेट प्रशासन संरचना को संभालने में असमर्थ है जिसके कारण उसकी समीक्षा करने और उसमें महत्त्वपूर्ण बदलाव करने की आवश्यकता है।
- RBI द्वारा गठित इस कार्यदल की अध्यक्षता कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के पूर्व सचिव और वर्तमान में सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष तपन रे द्वारा की जाएगी।
- **कार्यदल में शामिल अन्य सदस्य :**
  - लिली वडेरा, RBI की कार्यकारी निदेशक
  - अमरजीत सिंह, SEBI के कार्यकारी निदेशक
  - टी रबीशंकर, RBI के मुख्य महाप्रबंधक
  - एच के जेना, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, भारतीय स्टेट बैंक
  - एन एस वेंकटेश, एसोसिएशन ऑफ म्युचुअल फंड के मुख्य कार्यकारी

कार्यदल के विचारार्थ विषय :

- CIC पर लागू होने वाले वर्तमान विनियामक ढाँचे की समीक्षा करना।
- तदनुसार उसमे परिवर्तन के सुझाव देना।
- CIC के पंजीकरण के लिये RBI के वर्तमान दृष्टिकोण में परिवर्तन के सुझाव देना।
- भारतीय रिज़र्व बैंक की ऑफ-विज़न निगरानी और CIC के पर्यवेक्षण को बढ़ाने के लिये उचित उपाय सुझाना।

कोर निवेश कंपनी :

- CIC एक प्रकार की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी होती है जिसका मुख्य कार्य अंशों (Shares) और प्रतिभूतियों के अधिग्रहण से लाभ कमाना होता है।

- **CIC की प्रमुख विशेषताएँ :**
  - इस प्रकार की कंपनियाँ अपनी कुल संपत्ति का कम-से-कम 90 प्रतिशत हिस्सा समता अंशों, पूर्वाधिकार अंशों, बॉण्ड्स या ऋणपत्रों में निवेश के रूप में रखती हैं।
  - इस प्रकार की कंपनियों में समता अंशों पर किया गया निवेश कुल संपत्ति के 60 प्रतिशत से कम नहीं होता है।

तीसरा वैश्विक सूरजमुखी बीज सम्मेलन

चर्चा में क्यों ?

चीन और यूक्रेन के बाद सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (Solvent Extractors' Association of India-SEA) मुंबई में 19 और 20 जुलाई, 2019 को होने वाले तीसरे इंटरनेशनल सनफ्लॉवर सीड एंड ऑयल कॉन्फ्रेंस, 2019 (International Sunflower Seed and Oil Conference-ISSOC) की मेज़बानी करेगा।

प्रमुख बिंदु

- इस सम्मेलन में दुनिया भर के उद्योग जगत के नेता, विशेषज्ञ, शोधकर्त्ता और सरकारी प्रतिनिधि शामिल होंगे।
- भारत लगभग 2.8 मिलियन टन के आयात के साथ सूरजमुखी के तेल का सबसे बड़ा आयातक देश है।
- वर्ष 2018-19 में 51.41 मिलियन टन वैश्विक सूरजमुखी के बीज, 19.45 मिलियन टन सूरजमुखी का तेल एवं 20.90 मिलियन टन सूरजमुखी से निर्मित खाद्य पदार्थों के उत्पादन का अनुमान लगाया गया है।

इंटरनेशनल सनफ्लॉवर ऑयल एसोसिएशन (International Sunflower Oil Association)

- इंटरनेशनल सनफ्लॉवर ऑयल एसोसिएशन (International Sunflower Oil Association-ISOA) की स्थापना रोम में वर्ष 2015 में चीन, यूक्रेन, रूस, हंगरी, स्पेन और अर्जेंटीना के राष्ट्रीय संघों और कंपनियों द्वारा की गई थी।

उद्देश्य

- सूरजमुखी तेल उत्पादकों, उद्योग समूहों, अकादमिक शोधकर्त्ताओं और स्थानीय सरकारों के बीच बेहतर संवाद को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना ।
- सूरजमुखी तेल के मूल्य संवर्द्धन और इसके वाणिज्यिक अनुप्रयोगों के क्षेत्र को प्रोत्साहित करना।

सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (Solvent Extractors' Association of India-SEA)

- सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (Solvent Extractors Association of India) का गठन वर्ष 1963 में विलायक निष्कर्षण उद्योग (Solvent Extraction Industry) के विकास एवं वृद्धि के उद्देश्य से किया गया था।
- यह एसोसिएशन देश में विलायक निष्कर्षण उद्योग और प्रमुख वनस्पति तेल संगठनों के लिये एक अखिल भारतीय निकाय है।

उद्देश्य

- इस एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य विलायक निष्कर्षण उद्योग (Solvent Extraction Industry) के व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देना तथा उनका संरक्षण करना है।
- भारत और विश्व में विलायक निष्कर्षण के द्वारा उत्पादित तेल और उनके उपोत्पादों (Byproducts) के उपयोग को सेमिनार/सम्मेलनआदि के माध्यम से प्रोत्साहित करना और बढ़ाना

आदर्श स्टेशन योजना

चर्चा में क्यों

आदर्श स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिये 1253 रेलवे स्टेशनों का चयन किया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- रेलवे के आधुनिकीकरण के लिये "आदर्श स्टेशन योजना" (1999 से 2008) और "आधुनिक स्टेशन योजना" (2006 से 2008) का भी क्रियान्वयन किया जा चुका है। इन योजनाओं को अब रोक दिया गया है।
- अब तक 1103 रेलवे स्टेशनों को विकसित किया जा चुका है और शेष 150 रेलवे स्टेशनों को वर्ष 2020 तक विकसित करने का लक्ष्य है।
- इस योजना में आकांक्षी ज़िलों को विशेष रूप से लक्षित किया है, अभी तक 115 ज़िलों में से 87 जिलों को रेलवे नेटवर्क से जोड़ा गया है।
- बड़े शहरों,धार्मिक स्थलों और पर्यटन स्थलों को जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
- रेलवे स्टेशन पर ओवर-ब्रिज, स्वचालित सीढ़ी, प्लेटफार्म की सतह में सुधार और शौचालय आदि व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जायेगा।

रेलवे स्टेशन के विकास के लिये स्टेशन पुनर्विकास योजना के रूप में विशेष नीति अपनाई गई है। इस योजना की नोडल एजेंसी भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (Indian Railway Station Development Corporation Limited-IRSDC) है। गांधीनगर (गुजरात) और हबीबगंज, भोपाल (मध्य प्रदेश) स्टेशन का पुनर्निर्माण इस योजना के तहत किया जा रहा है। चारबाग, लखनऊ और पुद्दुचेरी के रेलवे स्टेशनों को विकसित करने के लिये अनुबंध किया जा चुका है।

भारत में रेलवे :

भारत का रेल नेटवर्क विश्व के सबसे बड़े रेल-नेटवर्कों में से एक है। 66000 किलोमीटर के इस नेटवर्क पर देश में रोज़ लगभग 19000 ट्रेनों का संचालन किया जाता है। लगभग सवा करोड़ यात्री प्रतिदिन भारतीय रेल द्वारा यात्रा करते हैं। इसलिये रेलवे का आधुनिकीकरण के माध्यम से अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करना ज़रूरी है।

रेलवे से संबंधी चिंताएँ:

- वित्तीय- पिछले 12 वर्षों से गैर वातानुकूलित आरक्षण यात्री किराये में वृद्धि नही हुई है और इसकी जगह माल भाड़े में अत्यधिक वृद्धि की गई है जिसके परिणामस्वरूप माल भाड़े का किराया सड़क परिवहन से भी महँगा हो गया है। इस प्रकार की नीतियों से रेलवे को लगातार घाटा हो रहा है।
- पेट्रोल की ढुलाई में कमी भी रेलवे राजस्व की कमी का प्रमुख कारण है।
- प्रबंधन- भारत में रेलवे ट्रैक की क्षमता 4800-5000 टन भार वाली मालगाड़ियों के संचालन की है, परंतु इन पर 5500 टन तक भार वाली मालगाड़ियों का संचालन जारी है। इससे ट्रैक पर अनावश्यक बोझ बढ़ गया है और वे कमज़ोर हो रहे हैं। इस प्रकार के कुप्रबंधन से लगातार रेलवे को वित्तीय और अवसंरचनात्मक घाटा हो रहा है।
- सुरक्षा- सुरक्षा की लगातार गिरती स्थिति भी चिंता का कारण है रेलवे की एक रिपोर्ट के अनुसार,सेफ्टी-स्टॉफ के एक लाख पद रिक्त हैं इसके अतिरिक्त सुरक्षा की दृष्टि से रेलवे ट्रैकों और रेलवे क्रासिंग की भी स्थिति बुरी है।
- प्रशिक्षण- लोको पायलट का प्रशिक्षण अब मात्र 16 हफ्तों का कर दिया गया है, जो कि 1986 में 75 हफ्तों का हुआ करता था। तकनीकी उन्नयन व कंप्यूटरीकरण ने निश्चित तौर पर प्रशिक्षण का समय घटाया है, लेकिन कार्य-निष्पादन में गुणवत्ता की कमी अब भी पाई जाती है। इस बिंदु को कैग ने भी अपनी रिपोर्ट में गंभीरता से उठाया था।
- अवसंरचना- ज़्यादातर यात्री-रेलगाड़ियों में इंडियन कोच फैक्ट्री के भारी और पुराने कोच संचालन में हैं इससे रेलवे की गति भी धीमी हो जाती हैं, साथ ही दुर्घटना के समय जानमाल की हानि भी अधिक होती है।

उठाए गए कदम-

- रेलवे लाइनों का दोहरीकरण किया जा रहा है साथ ही माल ढुलाई के लिये विशेष फ्रेट कॉरिडोर बिछाये जा रहे है।
- नए कोच एल्युमिनियम से बनाए जा रहे हैं, जिससे कोचों का भार कम होगा साथ ही लिंग हाफमैन बुश (LBS) कोच भी बड़ी मात्रा में बनाए जा रहे है।
- सेतु भारतम् योजना से खुली रेलवे क्रासिंग की समस्या को दूर करने का सराहनीय प्रयास किया गया है, साथ ही इसरो से भी इस क्षेत्र में सहयोग लिया जा रहा है।

- भारतमाला और सागरमाला से विस्तृत अवसंरचना का निर्माण हो रहा है।
- प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिये वडोदरा में रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है।
- जापान की सहायता से बुलेट ट्रेन का निर्माण किया जा रहा है जिससे रेलवे की गति को बढ़ाया जा सके।
- स्थानीय स्तर पर भी वन्दे भारत जैसी ट्रेनों का परिचालन किया गया है जिसमे कम किराये के साथ तीव्र गति और सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं।

भारतीय रेल न केवल आवाजाही, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के लिये भी बहुत महत्त्वपूर्ण साधन है। इसलिये देश और अर्थव्यवस्था के तीव्र विकास के लिये रेलवे का आधुनिकीकरण करना अतिआवश्यक है।

गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में स्वच्छ व सतत विकास के लिये गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना हेतु इंजीनियरिंग सेवाएँ (Engineering Services on Quality Infrastructure for Clean & Sustainable Development) विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया।

प्रमुख बिंदु

- सम्मेलन में केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा रेल मंत्री ने गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया है ताकि भारत अपने उत्कृष्ट उत्पादों के लिये पहचाना जाए।
- उन्होंने कहा कि भारत को केवल तुलनात्मक और प्रतिस्पर्धात्मक लागत का लाभ ही नहीं है, बल्कि देश को अपने उत्कृष्ट उत्पादों व उत्कृष्ट सेवाओं के लिये भी पहचान मिली है।
- भारत में व्यापार के विस्तार के लिये दो प्रकार की संभावनाएँ हैं – पहला बड़े पैमाने पर निर्यात क्षमता तथा दूसरा इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी को भारत लाने की अपार संभावनाएँ।
- वाणिज्य मंत्री के अनुसार, बजट 2019-20 में वित्त मंत्री ने भारत में ढाँचागत संरचना के विस्तार के लिये रोडमैप प्रस्तुत किया है जिसमें अगले पाँच वर्षों में एक लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है साथ ही अगले 10-12 वर्षों के दौरान रेलवे के विस्तार और विकास के लिये 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है।
- यह विज़न दिखाता है कि भारत अवसंरचना में बड़े पैमाने पर निवेश का गंतव्य स्थल बन गया है।

भारत की स्थिति

- भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में सबसे तेजी से उभरने वाला देश बन गया है।
- पिछले पाँच वर्षों के दौरान सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता में 1200 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
- LED बल्व उपयोग के मामले में भारत सबसे अग्रणी देश बन गया है।
- इस वर्ष के बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिये विशेष छूट का भी उल्लेख किया गया है साथ ही दुपहिया, तिपहिया और चार पहिये वाहनों के विनिर्माण में भारत के अतिशीघ्र ही विश्व का अग्रणी देश बनने की सम्भावना व्यक्त की गई है ।

आगे की राह

- LPG सुविधा प्राप्त घरों की संख्या में दोगुनी वृद्धि का अनुमान है।
- बिजली और गैस आपूर्ति में आधुनिक प्रक्रिया अपनाने की जरूरत है, ताकि नागरिकों की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा किया जा सके।
- सभी शहरी घरों को पाइप द्वारा रसोई गैस की आपूर्ति के लिये एक राष्ट्रीय गैस ग्रिड बनाने की आवश्यकता है जिससे आपूर्ति संबंधी लागत में कमी आएगी।

नए मामलों की जाँच के लिये सेबी को मिली शक्तियाँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वित्त विधेयक (Finance Bill), 2019 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India-SEBI) को ऐसी संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान की गई है जो इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस से छेड़छाड़ करती हैं या उन्हें नष्ट कर देती हैं अथवा सेबी द्वारा मांगी गई जानकारी को प्रस्तुत करने में विफल रहती हैं।

प्रमुख बिंदु

वित्त विधेयक, 2019 के तहत सेबी अधिनियम (SEBI Act) में एक नई धारा (15HAA) जोड़ी गई है।

- इस धारा के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी जाँच में बाधा डालने या उसे प्रभावित करने के उद्देश्य से आँकड़ों के साथ छेड़छाड़ करता है तो उस पर 10 करोड़ रुपए या इस कृत्य से प्राप्त गैरकानूनी लाभ की तीन गुना राशि, जो भी अधिक हो, तक का जुर्माना लग सकता है।
- इसके अतिरिक्त यदि कोई ब्रोकर अपने ग्राहकों को सेबी द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुबंध नोट जारी नहीं करता है तो सेबी उस पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगा सकती है।
- इससे पूर्व जुर्माने की यह राशि मात्र 1 लाख रूपए ही थी।

वित्त विधेयक क्या होता है?

- वे सभी विधेयक जिनका संबंध वित्तीय मामलों से होता है, वित्त विधेयक कहलाते हैं।
- यह विधेयक भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है।
- वित्त विधेयक को केंद्रीय बजट पेश करने के तुरंत बाद लोकसभा में पेश किया जाता है।
- इस विधेयक के दो भाग होते हैं, पहले भाग में सरकार की वित्तीय नीतियों का वर्णन किया जाता है जबकि इसके दूसरे भाग में सरकार के कर बजट को प्रस्तुत किया जाता है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India)

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल, 1992 को हुई थी।
- इसका मुख्यालय मुंबई में है।
- इसके मुख्य कार्य हैं -
  - प्रतिभूतियों (Securities) में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों का संरक्षण करना।
  - प्रतिभूति बाज़ार (Securities Market) के विकास का उन्नयन करना तथा उसे विनियमित करना और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का प्रावधान करना।

महिला स्टार्टअप शिखर सम्मेलन 2019

चर्चा में क्यों?

महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केरल स्टार्टअप मिशन (Kerala Startup Mission- KSUM) 1 अगस्त को कोच्चि में महिला स्टार्टअप शिखर सम्मेलन (Women Startup Suummit) का आयोजन करेगा।

प्रमुख बिंदु:

- इस शिखर सम्मेलन का आयोजन KSUM द्वारा राष्ट्रीय महिला नेटवर्क (Indian Women Network) और भारतीय उद्योग परिसंघ (Confederation of Indian Industry-CII) के साथ मिलकर किया जाएगा।

- इस सम्मेलन की थीम "एक समावेशी उद्यमशीलता पारिस्थितिकी का विकास" (Developing an Inclusive Entrepreneurship Ecosystem) है।
  - यह सम्मेलन महिला पेशेवरों, इच्छुक उद्यमियों, कॉर्पोरेट क्षेत्र की महत्त्वपूर्ण महिलाओं और स्टार्टअप संस्थापको के लिये खुला होगा।
  - महिला स्टार्टअप शिखर सम्मेलन 2019 का उद्देश्य पेशेवर महिलाओं के अपने उद्यम को शुरू करने के लिये राज्य में एक समावेशी उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है।
  - शी लव्स टेक (She Loves Tech) के तहत चयनित 20 महिला स्टार्टअप का प्रदर्शन भी सम्मेलन में किया जाएगा।
- शी लव्स टेक (She Loves Tech) एक वैश्विक प्लेटफार्म है जो महिलाओं के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिये महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है।

कृषि में महिलाओं की भागीदारी

चर्चा में क्यों?

10वीं कृषि जनगणना (2015-16) के अनुसार कृषि में महिलाओं का परिचालन स्वामित्त्व वर्ष 2010-11 के 13% से बढ़कर वर्ष 2015-16 में 14% हो गया है।

प्रमुख बिंदु:

- भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 16% का योगदान देने वाले कृषि क्षेत्र में महिलाओं की गतिविधियाँ बढ़ रही हैं।
- कृषि क्षेत्र में सक्रिय कुल जनसंख्या में से 80% महिलाएँ कार्यरत हैं जिसमें से 33% कृषि श्रम बल और 48% स्व-नियोजित किसान के रूप में भी शामिल हैं।
- NSSO की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 18% किसान परिवारों का नेतृत्व महिलाएँ ही करती हैं।
- आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पुरुषों के प्रवास में वृद्धि के परिणामस्वरूप कृषि में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई है।

कृषि जनगणना

- इसका आयोजन कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग (Department of Agriculture, Cooperation and Farmer Welfare) द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है।
- कृषि जनसंख्या में परिचालन संपत्ति से संबंधित आँकड़ों को जनगणना के माध्यम से तैयार किया जाता है।
- पहली बार कृषि जनगणना वर्ष 1970-71 में की गई थी।

परिचालन संपत्ति (Operational Holding)

- ऐसी भूमि जो कृषि उत्पादन के लिये पूरी तरह या आंशिक रूप से उपयोग की जाती है और किसी व्यक्ति द्वारा अकेले या दूसरों के साथ मिलकर बिना स्वामित्व के भी इसका संचालन एक तकनीकी इकाई के रूप में किया जाता है, तो यह परिचालन संपत्ति कहलाती है।

महिला किसानों की चुनौतियाँ

- भूमि पर स्वामित्व का अभाव
- वित्तीय ऋण तक पहुँच का अभाव
- संसाधनों और आधुनिक उपकरणों का अभाव
- कम वेतन के साथ कार्य का अत्यधिक बोझ

सरकार के द्वारा उठाये गए कदम

- महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना
  - ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विशेष रूप से महिला किसानों के लिये एक कार्यक्रम है।

- यह दीन दयाल अंत्योदय योजना- यह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एक उप-घटक है।
- इसका उद्देश्य कृषि में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है जिससे स्थायी आजीविका का सृजन करके महिलाओं को सशक्त बनाया जा सके।
- ऐसी परियोजनाओं के लिये 60% (उत्तर पूर्वी राज्यों के लिये 90%) की वित्तीय सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।
- यह किसानों हेतु राष्ट्रीय नीति 2007 के प्रावधानों के अनुरूप है।

- सभी लाभकारी योजनाओं, कार्यक्रमों और विकास गतिविधियों के बजट आवंटन में से 30% महिला लाभार्थियों के लिये निर्धारित किया गया है।
- सरकार स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वित्त की आपूर्ति करने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है जिससे महिला किसानों के क्षमता निर्माण और विभिन्न निर्णय लेने वाले निकायों में उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके।
- कृषि में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रत्येक वर्ष के 15 अक्तूबर को महिला किसान दिवस घोषित किया है।

आगे की राह:

- नाबार्ड (NABARD) की सूक्ष्म वित्तीयन पहल के तहत बिना परिसंपत्ति के बिना भी ऋण देने की प्रक्रिया प्रोत्साहित किया जाए।
- महिलाओं के अनुकूल उपकरणों और मशीनरी के उत्पादन को निर्माताओं द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
- प्रत्येक जिले में स्थापित कृषि विज्ञान केंद्रों को अन्य सेवाओं के साथ-साथ नवीन प्रौद्योगिकी के बारे में महिला किसानों को शिक्षित और प्रशिक्षित करने का अतिरिक्त कार्य सौंपा जा सकता है।
- सरकार की प्रमुख योजनाओं जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, बीज और रोपण सामग्री पर उप-मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में महिला को केंद्रित करते हुए विशेष रणनीति और समर्पित व्यय को शामिल किया जाना चाहिये।

मछली पालन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (National Institute of Rural Development and Panchayati Raj- NIRDPR) एक नई प्रणाली विकसित कर रहा है जो मछलियों के पालन में सहायक होगा।

प्रमुख बिंदु

- NIRDPR द्वारा विकसित इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य भारतीय किसानों की आय दोगुनी करने में मदद करना है जिसमें किसान खेती के साथ-साथ आय अर्जित करने हेतु अन्य व्यवसायों को अपना सकें।
- ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क (हैदराबाद) में स्थापित बैकयार्ड री-सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (Backyard Re-circulatory Aquaculture System) राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (National Fisheries Development Board) द्वारा वित्तपोषित है।
- यह प्रणाली कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा विकसित विकसित की गई है।
- इस प्रणाली में एक तालाब में छोटे-छोटे पिंजरों में विभिन्न किस्म व आकार की मछलियों को संग्रहीत किया जाएगा। इसके अंतर्गत इन छोटे- छोटे पिंजरों में मछलियों को उच्च घनत्व (High Density) में संग्रहीत करने अथवा एक साथ अधिक संख्या में मत्स्य पालन में सहायता मिलेगी।
- मछलियों के कुछ प्रकारों/किस्मों जैसे- तिलपिया (Tilapia), पंगासियस (Pangasius), मुरेल (Murrel) और पर्लस्पॉट (Pearlspot) का इस प्रणाली के अंतर्गत पालन किया जा सकता है।
- चूँकि इस प्रणाली से बनाये गए तालाब में पानी कम होता है इसलिये मछलियों को निकालना आसान होगा।

एक्वाकल्चर प्रणाली Aquaculture System

- इस प्रणाली के तहत एक प्राकृतिक या कृत्रिम झील में, ताजे पानी वाले तालाब में या समुद्र में, उपयुक्त तकनीक और उपकरणों की आवश्यकता होती है।
- इस तरह की खेती में जलीय जंतुओं जैसे- मछली एवं मोलस्क का विकास, कृत्रिम प्रजनन तथा संग्रहण का कार्य किया जाता है।
- एक्वाकल्चर एक ही प्रजाति के जंतुओं की बड़ी मात्रा, उनके मांस या उप-उत्पादों के उत्पादन में सक्षम बनाता है।
- मत्स्य पालन इसका सर्वोत्तम उदाहरण है।

उपयोगिता

- एकीकृत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देकर किसानों की आय दोगुनी की जा सकती है। इस तरह की स्मार्ट खेती युवाओं को व्यवसाय के लिये प्रोत्साहित करेगी।
- एक्वाकल्चर प्रणाली कम पानी की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में किसानों की आय बढ़ाने में मदद कर सकता है।
- मत्स्य पालन में रुचि रखने वाले किसानों, स्वयं सहायता समूह (SHG) व युवाओं के लिये NIRDPR स्थित ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क में इस प्रणाली से संबंधित जरूरी जानकारी दिये जाने की व्यवस्था है।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान National Institute of Rural Development and Panchayati Raj- NIRDPR

- NIRDPR केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है।
- यह ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के क्षेत्र में एक शीर्ष राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र है।
- यह संस्थान प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श जैसे परस्पर क्रियाकलापों द्वारा ग्रामीण विकास के पदाधिकारियों, पंचायती राज के निर्वाचित प्रतिनिधियों , बैंकरों, गैर सरकारी संगठनों की ग्रामीण विकास की क्षमता को बढ़ाता है।
- यह संस्थान हैदराबाद (तेलंगाना) में स्थित है

आवासीय परिसंपत्ति मूल्य निगरानी सर्वेक्षण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में RBI ने आवासीय परिसंपत्ति मूल्य निगरानी सर्वेक्षण (Residential Asset Price Monitoring Survey-RAPMS) जारी किया है।

प्रमुख बिंदु :

- आवास वहनीयता की स्थिति पिछले चार वर्षों में खराब हुई है। गृह मूल्य आय अनुपात (House Price to Income- HPTI) मार्च 2015 के स्तर 56.1 से बढ़कर मार्च 2019 में 61.5 हो गया है।
- RBI द्वारा यह सर्वेक्षण 13 शहरों में चुनिंदा बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (House Finance Company-HFC) के आधार पर किया जाता है।
- मुंबई 74.4 HPTI अनुपात के साथ सबसे कम आवास वहनीयता वाला शहर रहा, वही भुवनेश्वर 54.3 HPTI अनुपात के साथ सबसे अधिक आवास वहनीय शहर रहा है।
- ऋण-आय (Loan To Income-LTI) अनुपात भी आवास वहनीयता के खराब अनुपात की पुष्टि करता है। यह मार्च 2015 के स्तर 3 से बढ़कर मार्च 2019 में 3.4 हो गया, LTI का स्तर सबसे अधिक मुंबई में (4) और सबसे कम लखनऊ में (2.7) रहा है।
- ऋण-मूल्य (Loan to Value- LTV) अनुपात भी बैंकों की बढ़ते जोखिम- सहिष्णुता (Risk-Tolerant) के कारण मार्च 2015 के स्तर 67.7% से बढ़कर मार्च 2019 में 69.6% हो गया है।

ऋण-मूल्य (Loan to Value- LTV) अनुपात ऋणदाता द्वारा परिसंपत्ति के मूल्य के प्रतिशत के रूप में प्रदान की जाने वाली ऋण राशि है।

- EMI आय (EMI-to-Income-ETI) अनुपात पिछले 2 वर्षों में स्थिर रहा है। यह मार्च 2018 में 32.2 और मार्च 2019 में 38.4 के स्तर पर रहा, इसके अतिरिक्त मुंबई, पुणे और अहमदाबाद का ETI अनुपात क्रमशः 43.3, 40.7, 43.5 के रूप में अत्यधिक रहा है।

संबंधित पार्टी लेन-देन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में इंडिगो एयरलाइंस के एक प्रमोटर ने अन्य प्रमोटर पर संबंधित पार्टी लेन-देन (Related Party Transactions-RPT) की अनियमितता का आरोप लगाया है। उल्लेखनीय है कि RPT से संबंधित विवाद भारत के उद्यम क्षेत्र में अक्सर सामने आते रहते हैं।

क्या होता है संबंधित पार्टी लेन-देन या रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन?

- संबंधित पार्टी लेन-देन (Related Party Transactions-RPT) का अभिप्राय उन लेन-देनों से होता है जो कंपनी द्वारा स्वयं से ही संबंधित किसी पार्टी के साथ किये जाते हैं।
- उदाहरण के लिये, यदि कोई कंपनी A अपने निदेशक Mr. X से कुछ सामान या सेवाएँ खरीदती है तो इसे हम RPT या रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कहेंगे।
- इसी प्रकार यदि कंपनी A, Mr. Y (जोकि Mr. X के संबंधी हैं) से कोई सामान या सेवा खरीदती है या उधार लेती है तो भी इसे RPT ही कहा जाएगा।

संबंधित पार्टी/पक्ष (Related Party) का अर्थ:

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(76) के अनुसार संबंधित पार्टी में कंपनी के निम्न पक्षों को शामिल किया जाता है:
  - कंपनी का निदेशक या उसके रिश्तेदार
  - मुख्य प्रबंधक या उसके रिश्तेदार
  - ऐसी फर्म जिसमें निदेशक या मुख्य प्रबंधक सदस्य हो
  - ऐसा व्यक्ति जो कंपनी के प्रबंधन को प्रभावित करने की क्षमता रखता हो

RPT से संबंधित जोखिम

- RPT से जुड़ा एक बड़ा जोखिम यह है कि इसका प्रयोग रिलेटेड पार्टी को अनुचित फायदा पहुँचाने के लिये किया जा सकता है, जिससे कंपनी के शेयरधारकों के हितों को नुकसान पहुँच सकता है।
- उदाहरण के लिये, यदि कंपनी A, Mr. Y (जोकि कंपनी के निदेशक Mr. X के रिश्तेदार हैं) से कार्यालय परिसर को उधार पर लेती है और Mr. X के कहने पर इस परिसर के लिये Mr. Y को बाज़ार मूल्य से अधिक का भुगतान किया जाता है, जिससे Mr. Y का फायदा होता है तो यह अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी का नुकसान होगा तथा Mr. X यानि कंपनी के निदेशक का फायदा।
- परंतु, यह आवश्यक नहीं है कि सभी मामलों में RPT जोखिमयुक्त ही हो। कभी-कभी RPT कंपनी की लेन-देन लागतों को सुरक्षित रखने और उसकी परिचालन दक्षता में सुधार करने में भी लाभकारी भूमिका निभाता है। इसी कारणवश कंपनी अधिनियम में इसे प्रतिबंधित नहीं किया गया है। हालाँकि कंपनी अधिनियम में इसके लिये कुछ सुरक्षा उपायों का निर्धारण किया गया है।

कंपनी अधिनियम द्वारा निर्धारित सुरक्षा उपाय:

- किसी भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को पूरा करने के लिये कंपनी के निदेशक मंडल (Board of Directors) और अंकेक्षक समिति (Audit Committee) से मंज़ूरी लेना आवश्यक होता है।
- यदि इस प्रकार के ट्रांजेक्शन का मूल्य एक निर्धारित सीमा से अधिक होता है तो इसके लिये कंपनी के शेयरधारकों द्वारा कंपनी की आम सभा में बहुमत से एक विशेष प्रस्ताव पारित किया जाता है।
- यदि कंपनी अधिनियम के उपरोक्त नियमों का उल्लंघन होता है तो उस ट्रांजेक्शन को अवैद्य करार दिया जा सकता है और उल्लंघनकर्त्ता को दंडित भी किया जा सकता है।

RPT का महत्त्व

- एक कंपनी में कंपनी के प्रवर्तक, निदेशक और अन्य कर्मचारियों के अतिरिक्त कई शेयरधारक शामिल होते हैं जिन्होंने अपना-अपना पैसा कंपनी में निवेश किया होता है और उनके हितों की रक्षा करना कंपनी का दायित्व होता है। परंतु, इस प्रकार के ट्रांजेक्शन से मुख्यत: कंपनी के शेयरधारियों को अप्रत्यक्ष हानि होती है और इसलिये ये ट्रांजेक्शन काफी महत्त्वपूर्ण हो जाते हैं।

व्हाइट लेबल एटीएम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में व्हाइट लेबल एटीएम (White Label ATMs-WLAs) की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) ने व्हाइट लेबल ATM संचालकों/ऑपरेटर्स (WLAOs) को RBI तथा मुद्रा कोष से थोक में नकदी खरीदने की अनुमति दी है।

- इस अनुमति से व्हाइट लेबल एटीएम को कार्यक्षमता प्राप्त होगी, क्योंकि इनमें हमेशा नकदी की कमी होती है। इन ATMs में नकदी कम होने का मुख्य कारण बैंकों द्वारा स्वस्थापित ATMs को वरीयता दिया जाना है।
- अब तक WLAs में नकदी के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी प्रायोजक बैंक की होती थी।
- WLAO को RBI से सीधे नकदी प्राप्त करने की अनुमति देकर देश भर में और अधिक WLATM खोलने के लिये प्रोत्साहित करेगा जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा

'व्हाइट लेबल ATM'

- गैर-बैंक संस्थाओं द्वारा स्वामित्व एवं संचालित ATM को 'व्हाइट लेबल एटीएम' (WLA) कहा जाता है।
- कंपनी अधिनियम 1956 के तहत भारत में शामिल गैर-बैंक संस्थाओं को WLAs के संचालन की अनुमति है।
- भुगतान और निपटान प्रणाली (Payment and Settlement Systems- PSS) अधिनियम 2007 के तहत RBI से प्राधिकरण प्राप्त करने के बाद गैर-बैंक संस्थाओं को भारत में WLAs स्थापित करने की अनुमति है।
- इस तरह की गैर-बैंक संस्थाओं का न्यूनतम नेटवर्थ 100 करोड़ रुपए होना चाहिये।
- टाटा कम्युनिकेशंस पेमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड (Tata Communications Payment Solutions Limited-TCPSL) देश में व्हाइट लेबल एटीएम खोलने के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिकृत पहली कंपनी थी। इसे 'इंडिकैश' (Indicash) नाम से लॉन्च किया गया था।
- WLAs सामान्य ATM की तरह ही होते हैं। हालाँकि WLA में नकद जमा या नकद स्वीकृति की सुविधा नहीं है।
- ये मशीनें आमतौर पर गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (Non-Banking Financial Institutions- NBFC) द्वारा लगाई जाती हैं।

ब्राउन लेबल एटीएम

- यह ATM लागत को साझा करने की अवधारणा पर आधारित है।
- जब बैंक अपने ATM संबंधी कामकाज किसी तीसरे पक्ष को सौंप देते हैं, तो उस तीसरे पक्ष द्वारा लगाए गए ATM ब्राउन लेबल ATM कहलाते हैं। इन ATM को नकदी उसी बैंक द्वारा ही मुहैया कराई जाती है।
- इस ATM पर उसी बैंक का लोगो भी लगा होता है जिसने उस तीसरे पक्ष को काम सौंपा है।

फास्टैग (FASTag)

चर्चा में क्यों ?

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस वर्ष 1 दिसंबर, 2019 से देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित टोल फ्री प्लाज़ा पर सभी लेन को 'फास्टैग लेन' (FASTag Lanes) घोषित करने का निर्णय किया है।

प्रमुख बिंदु :

- राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर निर्धारण एवं संग्रह) नियम, 2008 के अनुसार टोल प्लाज़ा में फास्टैग लेन केवल फास्टैग उपयोगकर्त्ताओं की आवाजाही के लिये आरक्षित होती है। इस नियम के अंतर्गत प्रावधान है कि गैर-फास्टैग उपयोगकर्त्ताओं द्वारा फास्टैग लेन से गुजरने पर उनसे दोहरा शुल्क वसूला जाता है।

- हालाँकि प्रत्येक टोल प्लाज़ा पर बहुत बड़े आकार (Oversized) के वाहनों के सुगम आवागमन व निगरानी के लिये एक हाइब्रिड लेन होगी जिसे समयबद्ध रूप से फास्टैग लेन में परिवर्तित किया जा सकेगा। इस लेन में भुगतान के लिये फास्टैग के अलावा अन्य माध्यम भी स्वीकार किये जाएंगे।
- उपरोक्त निर्णय डिजिटल माध्यम से त्वरित शुल्क भुगतान को बढ़ावा देने, वाहनों की सुचारू आवाजाही को सुनिश्चित करने और टोल प्लाज़ा पर लगने वाले ट्रैफिक जाम को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है।
- आर.एफ.आई.डी. (RFID) आधारित फास्टैग वाहन की विंडस्क्रीन पर लगाए जाते है। इसमें प्रीपेड भुगतान अथवा संबद्ध बचत खाते से शुल्क के सीधे भुगतान की सुविधा होती है और वाहनों को लेन-देन के लिये रुके बिना आवागमन की सुविधा मिलती है।
- वर्तमान में बिना फास्टैग वाले वाहनचालक भी फास्टैग लेन का उपयोग करते हैं जिसके कारण इस लेन में ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है और फास्टैग लगाने का उद्देश्य विफल हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप फास्टैग के माध्यम से टोल उगाही में वांछित वृद्धि नहीं हो पाती है।
- 1 दिसंबर, 2019 से इसके कार्यान्वयन के लिये सभी टोल प्लाज़ा पर आवश्यक व्यक्तियों की नियुक्ति एवं इलेक्ट्रॉनिक अवसंरचना का प्रावधान किया जाएगा।

फास्टैग क्या है ?

- फास्ट टैग एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) कार्ड होता है जिसे वाहन की विंडस्क्रीन पर लगाया जाता है।
- वाहनों को रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) कार्ड के रूप में एक रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग (Radio Frequency Tag) जारी किया जाता है।
- प्रत्येक टोल प्लाज़ा पर एक RFID रीडर लगा होता है जो एक सेंसर के रूप में कार्य करता है और रेडियो फ्रीक्वेंसी द्वारा कार्ड की वैधता एवं धनराशि की जाँच करता है।
- यदि कार्ड में धनराशि उपलब्ध है तो टोल शुल्क का भुगतान स्वत: ही कार्ड से हो जाता है और वाहन टोल पर बिना रुके वहाँ से गुज़र जाता है।

ADB ने घटाया भारत का विकास दर अनुमान

चर्चा में क्यों ?

ADB ने भारत की वर्तमान वित्तीय वर्ष (2019-2020) की विकास दर को 7.2% से घटाकर 7% रहने का अनुमान व्यक्त किया।

प्रमुख बिंदु:

- एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank- ADB) ने हाल ही में 'एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2019' (Asian Development Outlook 2019) जारी की जिसमें वर्तमान वित्तीय वर्ष में भारत की विकास दर 7% रहने की संभावना जताई गई है।
- ADB ने वर्ष 2019, 2020 में दक्षिण एशिया की विकास दर में क्रमश: 6.6% से 6.7% की वृद्धि बनी रहने की संभावना जताई है।
- वैश्विक मांग में गिरावट और घरेलू स्तर पर राजस्व में कमी की संभावना के कारण बैंक ने अप्रैल में भारत की विकास दर के अनुमान को 2019-20 के दौरान 7.6% से घटाकर 7.2% कर दिया था।
- पिछले महीने 'फिच रेटिंग्स' ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में विनिर्माण और कृषि क्षेत्रों में गिरावट के कारण भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर को 6.8% से घटाकर 6.6% कर दिया था।
- ADB ने संभावना व्यक्त की है कि कारोबारी माहौल में सुधार, बैंकों की मज़बूती और बेहतर मानसून से कृषि की स्थिति सुधरने जैसे कारकों की वज़ह से भारत की विकास दर वित्तीय वर्ष 2021 में फिर से 7.2% से अधिक हो सकती है।
- अमेरिका ने सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली (Generalized System of Preferences) के तहत भारत की व्यापार वरीयता को समाप्त कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय निर्यातों का लाभ घटकर केवल 1.8% रह गया।

सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली (Generalized System of Preferences)

- GSP विकसित देशों (सुविधा प्रदाता देश) द्वारा विकासशील देशों (सुविधा प्राप्तकर्त्ता या लाभार्थी देश) के लिये विस्तारित एक अमेरिकी अधिमान्य प्रणाली है।
- वर्ष 1974 के ट्रेड एक्ट (Trade Act) के तहत वर्ष 1976 में शुरू की गई GSP व्यवस्था के अंतर्गत विकासशील देशों को अमेरिका को निर्यात की गई कुछ सूचीबद्ध वस्तुओं पर शुल्कों से छूट मिलती है।
- GSP अमेरिका की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी व्यापार तरजीही (Business Preferential) योजना है, जिसका उद्देश्य हज़ारों उत्पादों को आयात शुल्क में छूट देकर विकासशील देशों के आर्थिक विकास में मदद करना है।
- भारत भी अब तक इसका एक लाभार्थी विकासशील देश था। ऑस्ट्रेलिया, बेलारूस, कनाडा, यूरोपीय संघ, आइसलैंड, जापान, कज़ाखस्तान, न्यूज़ीलैंड, नॉर्वे, रूसी संघ, स्विट्ज़रलैंड, तुर्की और अमेरिका GSP को प्राथमिकता देने वाले देशों में प्रमुख हैं।

एशियाई विकास बैंक

- एशियाई विकास बैंक (ADB) एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर, 1966 को हुई थी।
- ADB का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है।
- इसका उद्देश्य एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
- ADB में 67 सदस्य हैं, जिनमें से 48 एशिया-प्रशांत क्षेत्र के हैं।
- ADB में शेयरों का सबसे बड़ा अनुपात जापान का है।

भारत में काला धन और उसके निर्धारण की कठिनाइयाँ

संदर्भ

हाल ही में वित्त पर स्थाई समिति (Standing Committee on Finance) ने देश के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर काले धन से संबंधी एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें निष्कर्ष के तौर पर यह बताया गया है कि हमारे पास भारत या विदेश में उपलब्ध काले धन की मात्रा को निर्धारित करने का कोई विश्वसनीय तरीका मौजूद नहीं है।

क्या होता है काला धन?

- अर्थशास्त्र में काले धन की कोई आधिकारिक परिभाषा नहीं है, कुछ लोग इसे समानांतर अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं तो कुछ इसे काली आय, अवैध अर्थव्यवस्था और अनियमित अर्थव्यवस्था जैसे नामों से भी पुकारते हैं। यदि सरल शब्दों में इसे परिभाषित करने का प्रयास करां तो कहा जा सकता है कि संभवत: काला धन वह आय होती है जिसे कर अधिकारियों से छुपाने का प्रयास किया जाता है।
- काले धन को मुख्यत: दो श्रेणियों से प्राप्त किया जा सकता है:
  a. गैर कानूनी गतिविधियों से, और
  b. कानूनी परंतु असूचित गतिविधियों से।

उपरोक्त दोनों श्रेणियों में पहली श्रेणी ज़्यादा स्पष्ट है, क्योंकि जो आय गैर-कानूनी गतिविधियों से कमाई जाती है। वह सामान्यत: कर अधिकारियों से छुपी होती है और इसलिये उसे काला धन कहा जाता है। दूसरी श्रेणी में उस आय को सम्मिलित किया जाता है जो कमाई तो कानूनी गतिविधियों से जाती है, परंतु उसके बारे में कर अधिकारियों को सूचित नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिये मान लेते हैं कि यदि ज़मीन के एक टुकड़े को बेचा जाता है और उसका 60 प्रतिशत भुगतान चेक के माध्यम से किया जाता है तथा शेष 40 प्रतिशत भुगतान नकद, ऐसी स्थिति में यदि यह राशि प्राप्त करने वाला व्यक्ति कर विभाग को मात्र 60 प्रतिशत की ही जानकारी देता है और शेष 40 प्रतिशत को छुपा लेता है तो इसे दूसरी श्रेणी से प्राप्त काला धन कहा जाएगा। देश भर में लगभग सभी छोटी दुकानें नकद में ही व्यापार करती हैं, जिसके कारण पारदर्शी रूप से उनके लाभ की गणना करना काफी कठिन होता है।

इसे मापना इतना कठिन क्यों है?

- समिति की रिपोर्ट के अनुसार रियल एस्टेट, खनन, औषधीय, तंबाकू, फिल्म तथा टेलीविज़न कुछ ऐसे प्रमुख उद्योग हैं जहाँ काले धन की अधिकता पाई जाती है। रिपोर्ट में ज़ोर देते हुए कहा गया है कि भारत के पास काले धन का अनुमान लगाने के लिये कोई भी सटीक और विश्वसनीय पद्धति नहीं है।
- काले धन को मापने के लिये जिन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है वे मान्यताओं पर आधारित होती हैं और भारत में अभी तक इस संदर्भ में कार्यरत सभी एजेंसियों की मान्यताओं में एकरूपता नहीं आ पाई है।

प्रयोग की जाने वाली कुछ प्रमुख विधियाँ:

भारत में काले धन को मापने की दो प्रमुख विधियाँ विद्यमान हैं:

- **मौद्रिक विधि:** यह विधि भारत में काले धन को मापने की सबसे लोकप्रिय विधि है। इसके अंतर्गत यह माना जाता है कि काले धन की उपलब्धता तथा उसमें आने वाला परिवर्तन, किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मुद्रा के प्रवाह और भंडारण को प्रतिबिंबित या प्रभावित करता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि इस विधि के अंतर्गत काले धन को मापने के लिये अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह पर नज़र रखना आवश्यक है।
- **इनपुट आधारित विधि:** इस विधि के अंतर्गत यह पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कितना पैसा जनरेट किया जाना चाहिये था और असल में कितना हुआ है। इन्हीं दोनों के अंतर को काला धन कहा जाता है। उदाहरण के लिये सबसे पहले एक शहर में निर्मित सभी घरों की गणना करें और यह अनुमान लगाएँ कि इन सभी के निर्माण में कितने सीमेंट की आवश्यकता होगी, इसके बाद यह जाँच करें कि कर रिकॉर्ड के अनुसार शहर में कितना सीमेंट बेचा गया है। यदि इन दोनों के मध्य अंतर आता है तो इसका अर्थ है कि कुछ धन कर अधिकारियों से छुपाया गया है और वह काला धन है।

काले धन पर अंकुश लगाने के सरकारी प्रयास:

- **विधायी कार्यवाही:** सरकार ने पहले ही इस संदर्भ में कई कानून बनाए हैं जो अर्थव्यवस्था में काले धन पर अंकुश लगाने और आर्थिक लेन-देन की सूचना देने को अनिवार्य बनाते हैं। इसमें वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) तथा कर आरोपण अधिनियम 2015, बेनामी लेन-देन (निषेध) संशोधन अधिनियम, एवं भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, आदि शामिल हैं।

पैन रिपोर्टिंग को अनिवार्य बनाना: सरकार ने 2.5 लाख रुपए से अधिक के लेन-देन के लिये पैन (PAN) को अनिवार्य बना दिया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य कर अधिकारियों से छुपाए जाने वाले लेन-देन को नियंत्रित करना है।

आयकर विभाग की कार्यवाही: आयकर विभाग ने भी ऐसे लोगों की पहचान करना शुरू कर दिया है जो एक वित्तीय वर्ष में उच्च मूल्य के आर्थिक लेन-देन तो करते हैं, परंतु अपना रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं।

काला धन अर्थव्यवस्था के लिये किस प्रकार घातक है:

- अर्थव्यवस्था में काले धन की अधिकता से देश में एक 'समानांतर अर्थव्यवस्था' (Parallel economy) सृजित हो जाती है जिसकी पहचान एवं नियमन अत्यंत मुश्किल होता है। इस प्रकार यह समानांतर अर्थव्यवस्था देश के आर्थिक विकास को चौपट कर देती है।
- काला धन भूमिगत अर्थव्यवस्था सृजित करता है जिससे राष्ट्रीय आय एवं GDP से संबंधित आँकड़ों का सही आकलन कर पाना मुश्किल हो जाता है और अर्थव्यवस्था की गलत तस्वीर प्रस्तुत होती है। इससे नीति निर्माण में सटीकता नहीं आ पाती है।
- काले धन के सृजन के दौरान कर वंचना (Tax Evasion) होती है जिससे सरकार को राजस्व हानि होती है। परिणामस्वरूप सरकार को उच्च करारोपण एवं 'घाटे का वितपोषण' (deficit financing) का सहारा लेना पड़ता है जो अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचाता है।
- काले धन का खर्च मनोरंजन, विलासिता, भ्रष्टाचार, चुनावों के वित्त पोषण, सट्टेबाजी अथवा आपराधिक गतिविधियों में किया जाता है जिससे एक तरफ अपराध एवं भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है तो दूसरी तरफ उपयोग पैटर्न बिगड़ने से दुर्लभ संसाधनों का अपव्यय होता है।

आगे की राह:

- आयकर विभाग को आय के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में व्यय की सीमा भी निर्धारित करनी चाहिये ताकि इससे अधिक व्यय करने पर वह स्वयमेव जाँच के दायरे में आ जाए।

- शिक्षण संस्थाओं की कैपिटेशन फीस पर नज़र रखनी चाहिये। धर्मार्थ संस्थाओं के लिये वार्षिक रिटर्न अनिवार्य बनाना, इन संस्थाओं का पंजीकरण एवं विभिन्न एजेंसियों के बीच सूचना के आदान-प्रदान की व्यवस्था होनी चाहिये।
- एक मज़बूत रियल एस्टेट कानून बनाकर इस क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले काले धन पर रोक लगाई जा सकती है। (सरकार ने एक मज़बूत रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट पारित कर दिया है।)
- चुनावों में काले धन का प्रयोग रोकने के लिये व्यापक कार्य योजना बनानी चाहिये क्योंकि यहाँ काला धन खपाना काफी आसान है जो काला धन के सृजन को प्रेरित करता है। राजनीतिक दलों को 'सूचना का अधिकार' (RTI) के दायरे में लाना चाहिये एवं इनके बही-खातों की नियमित ऑडिटिंग करनी चाहिये।
- हवाला करोबार पर अंकुश लगाना चाहिये।
- आयकर विभाग के अधिकारों एवं स्वायत्तता में वृद्धि की जानी चाहिये।
- यद्यपि वर्तमान में सरकार काला धन अधिनियम, बेनामी लेनदेन (संशोधन) अधिनियम, आय घोषणा योजना, विमुद्रीकरण, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसे कदमों के माध्यम से काला धन सृजन रोकने के प्रयास कर रही है, फिर भी उपर्युक्त सुझावों पर ध्यान देकर इन प्रयासों को और गति दी जा सकती है।

आभासी मुद्रा पर अंतर-मंत्रालयी समिति की रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वित्त सचिव सुभाष गर्ग की अध्यक्षता में क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) पर गठित अंतर-मंत्रालयी समिति ने वित्त मंत्रालय के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

समिति का कार्य

- समिति का कार्य क्रिप्टोकरेंसी प्रतिबंध एवं आधिकारिक डिज़िटल मुद्रा नियमन विधेयक, 2019 (Banning of Cryptocurrency & Regulation of Official Digital Currency Bill) के मसौदे पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना था।

समिति की सिफारिशें

- समिति के अनुसार निजी क्रिप्टोकरेंसी में कोई अंतर्निहित मूल्य नहीं है। इनका कोई निर्धारित मूल्य नहीं है। निजी क्रिप्टोकरेंसी न तो मूल्य के भंडार के रूप में कार्य करती है और न ही यह विनिमय का माध्यम है।
- समिति के अनुसार शुरुआती समय से ही निजी क्रिप्टोकरेंसी की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है।
- विधेयक के मसौदे के अनुसार जो कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्रिप्टोकरेंसी को ढालता है, इसे बनाता है, रखता है, बेचता है, इसका कारोबार करता है, हस्तांतरण करता है, निपटारा करता है या जारी करता है, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा या उसे एक साल से दस साल तक की कैद या दोनों हो सकती हैं।
- समिति ने सिफारिश की है कि आधिकारिक डिज़िटल करेंसी पर विचार करने के लिये सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया जाना चाहिये। इसमें RBI, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय तथा वित्तीय सेवा विभाग के प्रतिनिधियों को शामिल किया जा सकता है। यदि सरकार द्वारा आधिकारिक डिज़िटल करेंसी को लाने का निर्णय किया जाता है तो इसके नियमन का अधिकार आर.बी.आई. के पास होना चाहिये।
- डी.एल.टी. के मुद्दे पर समिति ने सिफारिश की है कि वित्त मंत्रालय और आर.बी.आई., सेबी, IRDF, PFRDA को DLT के इस्तेमाल की पहचान करनी चाहिये। इसके लिये इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय और GST नेटवर्क द्वारा प्रौद्योगिकी सहायक की भूमिका निभाई जानी चाहिये।
- समिति ने वित्त और इससे जुड़े क्षेत्रों में DLT के प्रयोग के नियमन और इसे बढ़ावा देने के लिये विधेयक के मसौदे में एक विशेष कानून बनाने का भी प्रस्ताव पेश किया है।
- समिति के अनुसार क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) के लिये उपयोग में लाई जाने वाली तकनीक डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी (Distributed Ledger Technology-DLT) देश में वित्तीय लेन-देन, के.वाई.सी. (Know Your Customer) लागत में कमी लाने, क्रेडिट एसेट (Credit Asset) में सुधार करने के साथ-साथ अन्य वित्तीय तथा गैर-वित्तीय क्षेत्रों में भी महत्त्वपूर्ण योगदान प्रदान कर सकती है।

- समिति के अनुसार डेटा को स्थानीय स्तर पर संरक्षित रखने के लिये डेटा संरक्षण कानून में प्रस्तावित आवश्यकताओं को सावधानी से लागू किया जाना चाहिये ताकि भारतीय कंपनियों और उपभोक्ताओं पर इसका प्रतिकूल असर न पड़े। समिति ने सेबी को निर्गम जारी करने की मौजूदा व्यवस्था के विकल्प के रूप में IPO और FPO के लिये DLT के इस्तेमाल पर विचार करने का सुझाव दिया है।

डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी क्या है?

- डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी में ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल करते हुए लेन-देन और डाटा एक स्वतंत्र कंप्यूटर में रिकार्ड या स्टोर किया जाता है, जबकि परंपरागत लेजर में डाटा एक जगह केंद्रीयकृत रूप से स्टोर किया जाता है।

क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) क्या है?

- यह एक डिज़िटल या क्रिप्टोकरेंसी है जिसमें सुरक्षा के लिये क्रिप्टोग्राफी तकनीक उपयोग में लाई जाती है। इसकी सुरक्षा वैशिष्ट्य के कारण इसका जाली रूप बनाना मुश्किल है।
- इसे किसी केंद्रीय या सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी नहीं किया जाता है। अत: सैद्धांतिक रूप से यह सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त है।
- वर्ष 2009 में किसी समूह या व्यक्ति ने सतोशी नाकामोतो के छद्म नाम से 'बिटकॉइन' के नाम से पहली क्रिप्टोकरेंसी बनाई।

भारत के विकास दर में 0.3% की कटौती

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund-IMF) ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को अपडेट किया है तथा इस अपडेट में भारत की विकास दर में 0.3% अंकों की कटौती की है।

प्रमुख बिंदु

- अप्रैल 2019 में IMF ने भारत की विकास दर 7.3% रहने का अनुमान व्यक्त किया था लेकिन अब इसने वर्ष 2019- 20 में भारत की विकास दर 7% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। IMF के अनुसार, भारत के विकास दर अनुमान को कम करने का प्रमुख कारण मांग की ख़राब स्थिति है।
- इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (World Economic Outlook) की जुलाई में आई रिपोर्ट में वर्ष 2020-21 के लिये भी भारत के विकास दर अनुमान को पूर्व में जारी अनुमान 7.5% से घटाकर 7.2% कर दिया है।
- रिपोर्ट के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था में 7% की दर से वृद्धि होगी जो वर्ष 2020 में 7.2% तक पहुँच सकती है।
- दोनों वर्षों के लिये 0.3% अंकों की गिरावट अपेक्षित परिणाम से कम घरेलू मांग को दर्शाता है।
- अप्रैल 2019 में IMF ने वर्ष 2019-20 के लिये भारत के विकास दर के अनुमान को कम कर 7.3% कर दिया था जो कि इसी वर्ष जनवरी में जारी किये गए अनुमान की तुलना में 0.2 प्रतिशत अंक कम था, जबकि जनवरी, 2019 में जारी अनुमान अक्तूबर 2018 में जारी किये गए अनुमानों की तुलना में 0.1% कम था।
- वर्ष 2020-21 के लिये 7.2% की वृद्धि का अनुमान अक्तूबर, 2018 और जनवरी 2019 में किये गए पूर्वानुमान की तुलना में 0.5 प्रतिशत कम है।
- ध्यातव्य है कि वर्ष 2019-20 के लिये 7% की दर से विकास का पूर्वानुमान भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI), मुख्य आर्थिक सलाहकार (Chief Economic Adviser) तथा एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank-ADB) द्वारा जारी अनुमानों के समान ही है।
- इसके अलावा IMF ने विश्व के GDP विकास के अनुमान में भी 0.1% की कटौती की है वर्ष 2019 तथा 2020 के लिये नए अनुमान क्रमश: 3.2% तथा 3.5% हैं।
- उभरते बाजारों एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के विकास अनुमान में भी वर्ष 2019 के लिये 0.3 % तथा वर्ष 2020 के लिये 0.1 % की कमी की गई है इन दोनों वर्षों के लिये संशोधित अनुमान क्रमश: 4.1% तथा 4.7% हैं।

वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (WEO)

- वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एक सर्वेक्षण है जिसका आयोजन तथा प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund-IMF) द्वारा किया जाता है।
- यह भविष्य के चार वर्षों तक के अनुमानों के साथ निकट और मध्यम संदर्भ में वैश्विक अर्थव्यवस्था को चित्रित करता है।
- WEO पूर्वानुमान में सकल घरेलू उत्पाद, मुद्रास्फीति, चालू खाता और दुनिया भर के 180 से अधिक देशों के वित्तीय संतुलन जैसे महत्त्वपूर्ण आर्थिक संकेतक शामिल हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नज़र रखने का कार्य करती है।
- यह अपने सदस्य देशों को आर्थिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दरों को स्थिर रखने तथा आर्थिक विकास को सुगम बनाने में भी सहायता प्रदान करती है।
- IMF का मुख्यालय वाशिंगटन डी.सी. संयुक्त राज्य अमेरिका में है।
- IMF की विशेष मुद्रा SDR (Special Drawing Rights) कहलाती है।
- IMF का उद्देश्य आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना, आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना, गरीबी को कम करना, रोज़गार के नए अवसरों का सृजन करने के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना है।

विदेशी संप्रभु बॉण्ड

संदर्भ

2019-20 के बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने विदेशी संप्रभु बॉण्ड (Foreign sovereign bond) का जिक्र किया। इस बॉण्ड के माध्यम से सरकार द्वारा अपने सकल उधारियों का एक हिस्सा विदेशी बाज़ारों से प्राप्त करने का अनुमान व्यक्त किया गया है।

बॉण्ड क्या है?

- संप्रभु बॉण्ड सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ (Securities) होती है जिनके द्वारा सरकार राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) के वित्तीयन तथा अस्थायी नकदी बेमेल (Temporary Cash Mismatch) का प्रबंधन करती है।
- यह रुपए अथवा विदेशी मुद्रा (डॉलर, आदि) में भी जारी किया जा सकता है। भारत में अभी तक सरकार ने केवल घरेलू बाज़ार में स्थानीय मुद्रा (रुपया आधारित) में ही संप्रभु बॉण्ड जारी किये है। हालाँकि अब भारत सरकार द्वारा विदेशी संप्रभु बॉण्ड विदेशी मुद्रा (डॉलर) में भी जारी किये जाएंगे।
- ऐसे निवेशकों के लिये मुद्रा स्थिरता महत्त्वपूर्ण होती है जो रुपए आधारित सरकारी बॉण्ड में निवेश करने का जोखिम उठाते हैं। ऐसी स्थिति में विदेशी संप्रभु बॉण्ड एक बड़ा अंतर उत्पन्न करते हैं। विदेशी मुद्रा (अधिकतर अमेरिकी डॉलर में) में जारी सरकारी बॉण्ड में मुद्रा जोखिम निवेशक से जारीकर्त्ता (सरकार) की ओर स्थानांतरित हो जाता है। इस तरह के बॉण्ड के लेन-देन का निपटारा यूरोक्लियर (Euroclear) पर किया जा सकता है, यह दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिभूति निपटान प्रणाली है जो निवेश को विदेशी निवेशकों के लिये आसान बनाती है।

लाभ:

- अन्य उभरते बाज़ारों की तुलना में वैश्विक ऋण बाज़ार सूचकांकों (Global Debt Indices) में भारत का प्रतिनिधित्व काफी कम है। यह वैश्विक ऋण सूचकांकों में भारत के सरकारी बॉण्ड को शामिल करने की सुविधा प्रदान करता है। इससे भारत में अधिक विदेशी धन की आवक हो सकेगी।
- भारतीय संप्रभु बॉण्ड के वैश्विक बेंचमार्क (Global Benchmarks) में शामिल होने से रुपए आधारित संप्रभु बॉण्ड (Rupee Denominated Sovereign Bonds) भी खरीदारों को आकर्षित कर सकेंगे।
- जिस दर पर सरकार विदेशों से संप्रभु बॉण्ड (Foreign Sovereign Bond) द्वारा उधार लेगी, वह अन्य कॉर्पोरेट बॉण्ड के मूल्य निर्धारण के लिये एक मानदंड (Yardstick) के रूप में कार्य करेगा, जिससे भारत इंक को विदेशों से धन जुटाने में मदद मिलेगी।

हानियाँ:

- भारत द्वारा बॉण्ड के माध्यम से प्राप्त होने वाले विदेशी धन से देश के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होगी, इससे डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए का अधिमूल्यन होगा जो आयात को प्रोत्साहित (जबकि सरकार आयात को नियंत्रित करना चाहती है) करेगा जबकि निर्यात को हतोत्साहित (जबकि सरकार इसे प्रोत्साहित करना चाहती है) करेगा।
- डॉलर आधारित संप्रभु बॉण्ड वैश्विक ब्याज दरों के प्रति अधिक संवेदनशील होते है। ऐसे में यह भारतीय अर्थव्यवस्था को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते है। वर्तमान में भारतीय ऋण में विदेशी निवेशकों की भागीदारी कम है, यह सरकारी प्रतिभूति का मात्र 3.6% है, जबकि इंडोनेशिया में यह 38% और मलेशिया में 24% है। इस संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आवश्यक प्रयास किये जा रहे हैं ताकि विदेशी निवेशकों के लिये निवेश की स्थिति को और आसान बनाया जा सकें।

घरेलू बाज़ार पर प्रभाव:

- इस प्रकार का कदम घरेलू बाज़ार में सरकारी बॉण्ड के प्रतिफल (Bond Yield) को कम कर सकता है जिससे घरेलू, बचत, डाकघर जमाओं के ब्याज दरों में कमी आ सकती है।

यूरोक्लियर (Euroclear)

यूरोक्लियर एक बेल्ज़ियम-आधारित वित्तीय सेवा कंपनी (Financial Services Company) है जो प्रतिभूतियों के लेन-देन के निपटान (Settlement of Securities Transactions) के साथ-साथ इन प्रतिभूतियों की सुरक्षित और परिसंपत्ति सेवाओं (Asset Servicing) में विशेषज्ञता रखती है।

ब्लूमबर्ग का न्यू इकोनॉमी ग्लोबल सर्वे

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग के न्यू इकोनॉमी ग्लोबल सर्वे (New Economy Global Survey) के अनुसार, वर्ष 2035 तक भारत और चीन विश्व के तकनीकी नवाचार केंद्र के रूप में अमेरिका से आगे निकल जाएंगे।

प्रमुख बिंदु:

- सर्वे में भाग लेने वाले अधिकतर एशियाई लोगों का यह मानना है कि वर्ष 2035 तक एशिया में सेल्फ ड्राइविंग कार, व्यक्तिगत मोटरकार से भी सामान्य हो जाएगी।
- सर्वे में भाग लेने वाले 39 प्रतिशत लोगों का मानना है कि चीन की राजधानी बीजिंग वर्ष 2035 तक तकनीक के मामले में सबसे शीर्ष पर होगी।
- इसके अतिरिक्त सर्वे के अनुसार, विश्व के अधिकतर लोगों ने यह माना है कि यदि विश्व में आगे कोई भी विश्व युद्ध होता है तो वह साइबर युद्ध होगा।
- भाग लेने वाले 52 प्रतिशत लोगों का मानना है कि इसी अवधि में (वर्ष 2035 तक) विश्व की दस शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में नकद का प्रचलन पूर्णत: समाप्त हो जाएगा।
- सर्वे से जुड़े एक अधिकारी के अनुसार 'सर्वे से यह स्पष्ट होता है कि वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में कई बदलाव हो रहे हैं और विश्व का आर्थिक गुरुत्वाकर्षण पश्चिम से पूर्व की ओर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर करवट ले रहा है।

न्यू इकोनॉमी ग्लोबल सर्वे (New Economy Global Survey)

- यह एक ऑनलाइन सर्वे है जिसे ब्लूमबर्ग नामक कंपनी द्वारा आयोजित किया गया था।
- ब्लूमबर्ग द्वारा यह सर्वेक्षण 20 बाज़ारों के 2000 व्यावसायिक पेशेवरों के मध्य किया गया था।
- इस सर्वे में उन लोगों को शामिल किया गया था जिनकी आयु 30 से 65 वर्षों के बीच है और जो पूर्णकालिक रोज़गार में कार्यरत हैं।
- इस सर्वे के अंतर्गत लोगों से किसी एक विशिष्ट विषय पर उनकी सहमति या असहमति के बारे में पूछा गया था।

आपातकालीन चीनी रिज़र्व बनाने का प्रस्ताव मंज़ूर

चर्चा मे क्यों ?

हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति (Cabinet Committee on Economic Affairs-CCEA) द्वारा 4 मिलियन टन के आपातकालीन चीनी रिज़र्व (Sugar Reserve) बनाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई है। साथ ही यह भी तय किया गया है कि चीनी मिलें गन्ना किसानों को 275 रुपए प्रति क्विन्टल का भुगतान करेंगी।

प्रमुख बिंदु:

- एक वर्ष के लिये 40 लाख मीट्रिक टन (LMT) चीनी का सुरक्षित भंडार बनाना और इसके लिये अधिकतम 1674 करोड़ रुपए का अनुमानित खर्च करना।
  - खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा बाज़ार मूल्य एवं चीनी की उपलब्धता के आधार पर किसी भी समय वापसी/संशोधन के लिये इसकी समीक्षा की जा सकती है।
- योजना के अंतर्गत चीनी मिलों को तिमाही आधार पर प्रतिपूर्ति की जाएगी जिसे चीनी मिलों की ओर से बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान के लिये सीधे किसानों के खाते में डाल दिया जाएगा। यदि कोई पहले का भुगतान शेष होता है, तो उसे मील के खाते में जमा किया जाएगा।
- चीनी मौसम (Sugar Season) 2017-18 (अक्तूबर-सितंबर) तथा चीनी मौसम 2018-19 के दौरान चीनी के उत्पादन, उद्योग में अधिक लाभ की स्थिति एवं तरलता में कमी को देखते हुए सरकार द्वारा ये निर्णय लिये गए हैं।
  - ऐसे निर्णय लेने के पीछे सरकार का उद्देश्य चीनी मिलों की तरलता में सुधार लाना, मीलों द्वारा किसानों के बकाया गन्ना मूल्यों का भुगतान सुनिश्चित करना तथा घरेलू बाज़ार में चीनी की कीमतों को स्थिर करना है।
- सरकार द्वारा एक वर्ष के लिये (1 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2019) 30 लाख मीट्रिक टन चीनी का सुरक्षित भंडार बनाने का निर्णय ऐसा ही एक प्रयास है।
- चीनी उत्पादन मौसम 2017-2018 में घोषित सुरक्षित भंडार सब्सिडी योजना 30 जून, 2019 को समाप्त हो गई है। आगामी चीनी उत्पादन मौसम 2019-20 में मांग आपूर्ति संतुलन बनाए रखने तथा चीनी की कीमतें स्थिर रखने के लिये सरकार ने 1 अगस्त, 2019 से 31 जुलाई, 2020 तक एक वर्ष के लिये 40 लाख मीट्रिक टन चीनी का सुरक्षित भंडार बनाने का फैसला किया है।

लाभ:

- चीनी मिलों की तरलता में सुधार होगा।
- चीनी इंवेन्ट्री में कमी आएगी।
- घरेलू चीनी बाज़ार में मूल्य भावना बढ़ाकर चीनी की कीमतें स्थिर की जा सकेंगी और परिणामस्वरूप किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान समय से किया जा सकेगा।
- चीनी मिलों के गन्ना मूल्य बकायों की मंज़ूरी से सभी गन्ना उत्पादक राज्यों में चीनी मिलों को लाभ होगा।

पृष्ठभूमि:

- गौरतलब है कि भारत विश्व में ब्राज़ील के बाद चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक एवं सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है।
- देश की वार्षिक चीनी खपत का लगभग 90% हिस्सा वाणिज्यिक कार्यों जैसे कि पैकेज खाद्य पदार्थ आदि के लिये उपयोग किया जाता है।
- चीनी मिलें जिस मूल्य पर किसानों से गन्ना खरीदती हैं उसे उचित और लाभप्रद मूल्य (Fair and Remunerative Price-FRP) कहा जाता है। इसका निर्धारण कृषि लागत और मूल्य आयोग (Commission on Agricultural Costs and Prices-CACP) की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है।

आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति (Cabinet Committee on Economic Affairs-CCEA)

- यह एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है जिसका उद्देश्य आर्थिक क्षेत्र में सरकारी गतिविधियों को दिशा-निर्देश देना एवं समन्वित करना।
- इस समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।

- विभिन्न मंत्रालयों के कैबिनेट इस समिति के सदस्य होते हैं।
- इसके महत्त्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित हैं :
  - आर्थिक रूझानों की समीक्षा करना और एकीकृत नीति ढाँचे को विकसित करना।
  - छोटे और सीमांत किसानों से संबंधित ग्रामीण विकास गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा करना।
  - विनिवेश से संबंधी मुद्दों पर विचार करना।

कृषि लागत और मूल्य आयोग (Commission on Agricultural Costs and Prices-CACP)

- कृषि लागत एवं मूल्य आयोग भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। यह आयोग जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया।
- यह आयोग कृषि उत्पादों के संतुलित एवं एकीकृत मूल्य संरचना तैयार करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सलाह देता है।
- इस आयोग द्वारा 24 कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किये जाते हैं।
- इसके अतिरिक्त गन्ने के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य की जगह उचित एवं लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है। गन्ने का मूल्य निर्धारण आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

अनुसंधान एवं विकास से संबंधित खर्च प्रणाली

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अनुसंधान एवं विकास से संबंधित खर्च प्रणाली (Research & Development Expenditure Ecosystem) शीर्षक पर आधारित एक रिपोर्ट जारी की गई।

प्रमुख बिंदु:

- इस रिपोर्ट को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा संकलित किया गया।
- इस रिपोर्ट के अनुसार अनुसंधान और विकास (R&D) से संबंधित व्यय में वृद्धि सकल घरेलु उत्पाद (GDP) में वृद्धि के अनुरूप होनी चाहिये और इस व्यय को वर्ष 2022 तक GDP का 2% होना चाहिये।
- भारत का R&D में सार्वजनिक निवेश GDP के एक अंश के रूप में पिछले दो दशकों में स्थिर रहा है।
- रिपोर्ट के अनुसार यह निवेश GDP के लगभग 0.6 प्रतिशत से 0.7 प्रतिशत पर स्थिर बना हुआ है जो कि अमेरिका (2.8%), चीन (2.1%), इज़राइल (4.3%) और कोरिया (4.2%) जैसे देशों के निवेश से काफी कम है।
- रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि भारत में R&D में निवेश करने में केंद्र सरकार प्रमुख निवेशक है जबकि उन्नत देशों में निजी क्षेत्र R&D में मुख्य निवेशक है। इसलिये इस क्षेत्र के कुल व्यय में राज्य सरकार और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।
- यह रिपोर्ट राज्यों को भी केंद्र के साथ मिलकर संयुक्त रूप से सामाजिक रूप से अभिकल्पित केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं (Central Sponsored Schemes-CSS) के माध्यम से अनुसंधान और नवाचार कार्यक्रमों का संयुक्त रूप से वित्तपोषण करने का सुझाव देती है।
- रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में मौजूद कर कानून कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (Corporate Social Responsiblity-CSR) निवेश को R&D में शामिल करने के पक्षधर हैं, इस संदर्भ में R&D की गतिविधियों के प्रकार को और अधिक विस्तारित किया जाना चाहिये।
- रिपोर्ट नवीन ज्ञान में वृद्धि हेतु सुदृढ़ आधार की स्थापना के लिये तेज़ी से निवेश के साथ-साथ अविष्कार व ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था दोनों पर R&D के प्रभाव का आंकलन करने का सुझाव देती है।
- यह रिपोर्ट 30 समर्पित R&D एक्सपोर्ट्स हब बनाने के साथ-साथ क्रॉस कटिंग (Cross Cutting) थीम के साथ राष्ट्रीय हित की मेगा परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिये 5,000 करोड़ रुपए के एक कोष के निर्माण का भी समर्थन करती है।

- नवोन्मेष (Innovation) और औद्योगिक R&D के क्षेत्र में भारत का नेतृत्व सुनिश्चित करने के लिये R&D में निजी निवेश को बढ़ावा देना होगा, जो वर्तमान में GDP का मात्र 0.35% है। रिपोर्ट भारत में पंजीकृत माध्यम व बड़े उद्योगों को उनके कुल टर्नओवर के एक निश्चित भाग को R&D में निवेश करने का सुझाव देती है।

उद्देश्य

- इस रिपोर्ट का पहला उद्देश्य R&D आँकड़ों के संकलन में मौजूद खामियों को दूर करना है ताकि R&D के बारे में विश्वभर में भारत के वास्तविक दर्जे को दर्शाने हेतु अद्यतन आँकड़ों को उपलब्ध कराया जा सके।
- इसका दूसरा उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में खर्च के रुझानों और उनकी खामियों की जाँच करना है।
- इसका तीसरा उद्देश्य वर्ष 2022 तक R&D पर होने वाले खर्च के वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना तैयार करना है।

प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद (Economic Advisory Council to the Prime Minister-EAC-PM)

- प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद एक स्वतंत्र निकाय है जिसका गठन भारत सरकार को और विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक एवं संबंधित अन्य मुद्दों पर सलाह देना है। इस परिषद में उच्च ख्याति प्राप्त और श्रेष्ठ अर्थशास्त्री शामिल होते है।
- इसमें एक अध्यक्ष तथा चार सदस्य होते हैं।
- इसके सदस्यों का कार्यकाल प्रधानमंत्री के कार्यकाल के बराबर होता है।
- आमतौर पर प्रधानमंत्री द्वारा शपथ ग्रहण के बाद सलाहकार समिति के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है।
- प्रधानमंत्री द्वारा पद मुक्त होने के साथ ही सलाहकार समिति के सदस्य भी त्यागपत्र दे देते हैं।

निष्कर्ष

भारत को R&D पर राष्ट्रीय व्यय में वृद्धि करते हुए विज्ञान और अनुसंधान प्रणाली में अपनी रैंकिंग में सुधार करने के अपने प्रयासों को फिर से दोगुना करने की आवश्यकता है। R&D से संबंधित खर्च में वृद्धि GDP की वृद्धि के अनुरूप होनी चाहिये और वर्ष 2022 तक उसे GDP के कम-से-कम दो प्रतिशत तक पहुंच जाना चाहिये।

पवन ऊर्जा परियोजनाओं हेतु निविदा संबंधी दिशा-निर्देशों में संशोधन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of New and Renewable Energy-MNRE) ने पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिये निविदा संबंधी दिशा-निर्देशों में संशोधन किये हैं।

क्या है पवन उर्जा?

- गतिमान वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन उर्जा कहते हैं।
- पवन उर्जा के उत्पादन के लिये हवादार स्थानों पर पवन चक्कियों की स्थापना की जाती है। इन चक्कियों द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक उर्जा में परिवर्तित हो जाती है।
- इस यांत्रिक उर्जा को जनित्र (Dynamo) की मदद से विद्युत् ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है।
- इसका उपयोग पहली बार स्कॉटलैंड में 1887 में किया गया था।

पूर्व के नियम

- भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017 में विद्युत अधिनियम (Electricity Act) 2003 की धारा 63 के तहत पवन ऊर्जा की खरीद के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गए थे।
- इन दिशा-निर्देशों के तहत पवन ऊर्जा की खरीद हेतु लगने वाली बोली की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की रूपरेखा तैयार करने की बात कही गई थी। साथ ही इसमें प्रक्रिया के मानकीकरण, भूमिका निर्धारण तथा विभिन्न हितधारकों की ज़िम्मेदारियों जैसे पहलुओं को भी शामिल किया गया था।
- इन दिशा-निर्देशों को ग्रिड से जुड़ी पवन ऊर्जा परियोजना से पवन ऊर्जा खरीदने हेतु लगने वाली ऐसी बोलियों पर लागू करने की बात भी कही गई थी।

नवीनतम संशोधन

- पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिये भूमि अधिग्रहण की समय-सीमा सात महीने से बढ़ाकर निर्धारित कमीशनिंग तिथि, यानी 18 महीने तक कर दी गई है। यह उन राज्यों में पवन ऊर्जा परियोजना डेवलपर्स को मदद करेगा, जहाँ भूमि अधिग्रहण में अधिक समय लगता है।
- पवन ऊर्जा परियोजना की घोषित क्षमता उपयोग घटक (Capacity Utilisation Factor-CUF) के संशोधन की समीक्षा के लिये अवधि को बढ़ाकर तीन साल कर दिया गया है।
- घोषित CUF को अब वाणिज्यिक संचालन की तारीख के तीन साल के भीतर एक बार संशोधित करने की अनुमति है, जिसे पहले केवल एक वर्ष के भीतर अनुमति दी गई थी।
- न्यूनतम CUF के अनुरूप ऊर्जा में कमी पर जुर्माना, अब PPA शुल्क का 50 प्रतिशत तय किया गया है, जो कि पावर जेनरेटर द्वारा खरीदकर्ता को भुगतान की जाने वाली ऊर्जा शर्तों में कमी के लिये PPA शुल्क है।
- इसके अलावा, मध्यस्थ खरीदकर्ता द्वारा मध्यस्थ के घाटे को घटाने के बाद अंतिम खरीदकर्ता के लिये जुर्माना निर्धारित किया जाएगा।
- प्रारंभिक भाग के कमीशनिंग के मामलों में, खरीदकर्ता पूर्ण PPA शुल्क पर बिजली उत्पादन की खरीद कर सकता है।
- पवन ऊर्जा परियोजना की कमीशनिंग कार्यक्रम को PPA या PSA के कार्यान्वयन की तारीख (जो भी बाद में है) से 18 महीने की अवधि के रूप में परिभाषित किया गया है।
- दंड प्रावधानों में शर्तों को हटा दिया गया है और दंड की दर तय कर दी गई है। PPA या PSA पर हस्ताक्षर करने की तारीख से, परियोजना के कार्यान्वयन की समय सीमा शुरू करने तक, जो भी बाद में हो, पवन ऊर्जा डेवलपर्स के जोखिम को कम कर दिया गया है।

उद्देश्य

- संशोधन का उद्देश्य न केवल भूमि अधिग्रहण और CUF से संबंधित निवेश जोखिमों को कम करना है, बल्कि परियोजना की जल्द शुरूआत के लिये प्रोत्साहन प्रदान करना भी है।

यह निर्णय महत्त्वपूर्ण क्यों है?

- सरकार का यह निर्णय विकास का महत्व इसलिए है चूँकि सरकार ने 2022 तक 175 गीगावॉट स्वच्छ ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है, जिसमें 100 गीगावॉट सौर तथा 60 गीगावॉट पवन ऊर्जा शामिल है। अत: इस लक्ष्य की प्राप्ति के संदर्भ में सरकार का यह निर्णय महत्त्वपूर्ण है।
- 8 दिसंबर, 2017 को ग्रिड से जुड़ी पवन ऊर्जा परियोजनाओं (Grid Connected Wind Power Projects) से बिजली की खरीद के लिये ::शुल्क आधारित प्रतिस्पर्द्धी निविदा (Competitive Bidding) प्रक्रिया दिशा-निर्देश अधिसूचित किये गए थे।
- निविदा के अनुभव के आधार पर और हितधारकों के साथ परामर्श के बाद, पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिये इन मानक निविदा-प्रक्रिया के दिशा-निर्देशों में संशोधन किये गए।

भारत में पवन ऊर्जा की स्थिति:

- भारत में पवन ऊर्जा उद्योग की स्थापना 1980 के दशक के अंत में हुई थी। स्थापना के कई वर्षों तक यह केवल तमिलनाडु राज्य में कार्यरत रही। परंतु, पिछले एक दशक से यह देश के तकरीबन आठ अन्य राज्यों में भी प्रसारित हो गई है।
- वर्तमान में पवन ऊर्जा क्षेत्र के कुल आठ राज्यों में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के साथ-साथ राजस्थान जैस पश्चिमी राज्य भी शामिल है।
- इस क्षेत्र में बढ़ती आशावादिता की मुख्य वज़ह यह है कि केंद्र सरकार पवन ऊर्जा उत्पादकों से विद्युत की खरीद करके इसे अन्य विद्युत आपूर्तिकर्ता कंपनियों को बेचना चाहती है, ताकि देश के ऐसे गरीब क्षेत्रों तक भी विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके जिन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये महँगे संसाधनों पर निर्भर रहना पड़ता है।
- वस्तुत: देश के प्रत्येक कोने को प्रकाशमयी बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार इस दिशा में एक वास्तविक व्यापारी की भूमिका का निर्वाह कर रही है।
- गौरतलब है कि पवन ऊर्जा के क्षेत्र में 32,280 मेगावाट की क्षमता के साथ भारत का चीन, अमेरिका तथा जर्मनी के बाद विश्व में चौथा स्थान है।

- इतना ही नहीं वरन् वर्ष 2022 तक भारत की पवन ऊर्जा क्षमता को वर्तमान के स्तर से बढ़ाकर 60 गीगावाट तक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- ध्यातव्य है कि भारत की संपूर्ण ऊर्जा क्षमता में 3.2 लाख मेगावाट ऊर्जा के साथ पवन ऊर्जा का योगदान तकरीबन 10 फीसदी का है।
- इन दिशा-निर्देशों के अनुपालन से न केवल पवन ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इससे ऊर्जा के स्रोतों में भी वृद्धि होगी। इससे वे राज्य जहाँ तेज हवाएँ चलती हैं स्वयं पवन ऊर्जा खरीद के लिये बोली में भाग लेने की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त पवन ऊर्जा परियोजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये एक ऐसे विस्तृत दस्तावेज की जरूरत है, जिसमें हितधारकों यानी OEM, स्वतंत्र बिजली उत्पादकों, पवन कृषि डेवलपरों, वित्तीय संस्थानों आदि द्वारा सुरक्षित और विश्वसनीय संचालन के लिये पवन टरबाइन द्वारा संकलित संपूर्ण तकनीकी आवश्यकताओं का प्रावधान हो।

भारत के डिजिटल व्यापार में वृद्धि की संभावना

चर्चा में क्यों?

अखिल भारतीय प्रबंधन संघ (All India Management Association-AIMA) और हिनरिच फाउंडेशन (Hinrich Foundation) द्वारा किये गए शोध के अनुसार, यदि सीमा पार से डेटा का प्रवाह और भंडारण पूरी तरह से सुगम हो जाए तो वर्ष 2030 तक भारतीय डिजिटल व्यापार का आर्थिक मूल्य 512 बिलियन डॉलर हो जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- ज्ञातव्य है कि वर्तमान में भारत के डिजिटल व्यापार का आर्थिक मूल्य 35 बिलियन डॉलर है। अर्थात् यदि शोध की माने तो भारतीय डिजिटल व्यापार के आर्थिक मूल्य में कुल 14 गुना वृद्धि होगी।
- शोध के संदर्भ में जारी की गई रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि भारत भविष्य में डिजिटल व्यापार से अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसे इसकी बाधाओं को कम करने पर विचार करना चाहिये।
- भारत को डिजिटल उद्यमों पर अनुचित और अत्यधिक नौकरशाही नियमों को थोपने, सीमा पर डेटा प्रवाह को प्रतिबंधित करने और असंतुलित कॉपीराइट तथा इंटरमीडिएट लायबिलिटी (Intermediate Liability) विनियम प्रदान करने जैसे मुद्दों को हल करने की आवश्यकता है।
- रिपोर्ट के अनुसार, गोपनीयता और साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दों को हल करने के लिये भारत को मज़बूत नियामक ढाँचे या तंत्र की आवश्यकता है।
- रिपोर्ट में चेताया गया है कि विश्व के कई देश डिजिटल व्यापार को अपना रहे हैं जिसके कारण भारत के डिजिटल व्यापार अवसर कम हो सकते हैं।
- गौरतलब है कि भारतीय का डिजिटल निर्यात क्षेत्र का वर्तमान मूल्य 58 बिलियन डॉलर है और यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र है।

डिजिटल निर्यात का अभिप्राय वर्चुअल वस्तुओं (जैसे एप्लीकेशन और डिजिटल कंटेंट आदि) और डिजिटल माध्यम (जैसे ई-कॉमर्स) से भौतिक वस्तुओं के निर्यात से है।

डिजिटल व्यापार से संबंधित चुनौतियाँ

- नागरिकों की गोपनीयता की रक्षा करना और उन्हें अनुचित सामग्री से सुरक्षा प्रदान करना।
- डेटा तक तीव्र पहुँच को सक्षम बनाना।
- घरेलू डिजिटल फर्मों के विकास को बढ़ावा देना।
- स्थानीय कर तंत्र को मज़बूत करना :
  - नीति निर्माताओं के लिये यह एक महत्त्वपूर्ण विषय है क्योंकि डिजिटल व्यापार कर की चोरी को बढ़ावा देता है और अपने लाभ को किसी कम कर न्यायिक क्षेत्र (Low Tax Jurisdictions) में स्थानांतरित करने में सक्षम बनाता है।

अखिल भारतीय प्रबंधन संघ (All India Management Association-AIMA)

- AIMA दिल्ली का एक प्रसिद्ध विश्विद्यालय है जिसकी स्थापना वर्ष 1957 में की गई थी।

- पिछले छह दशकों से भी अधिक समय में AIMA ने देश में प्रबंधन क्षमता को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।
- AIMA पूरे भारत में 600 बिज़नेस स्कूलों द्वारा उपयोग किये जाने वाले प्रबंधन एप्टीट्यूड टेस्ट (Management Aptitude Test-MAT) आयोजित करता है।

मॉरीशस लीक

चर्चा में क्यों?

स्विस लीक्स, पनामा पेपर्स लीक्स और पैराडाइज़ पेपर्स के बाद मॉरीशस में 200,000 से अधिक ईमेल, अनुबंधों (Contracts) और बैंक दस्तावेज़ों के लीक होने से यह पता चला है कि विभिन्न कॉर्पोरेट सेक्टर्स ने मॉरीशस में निवेश करके भारी मात्रा में कर-चोरी की है।

प्रमुख बिंदु

- इसके अंतर्गत कई कॉर्पोरेट कंपनियों ने अपनी सहयोगी बहु-राष्ट्रीय कंपनियों को कैपिटल गेन टैक्स के अंतर्गत इसकी सुविधा पहुँचाई, जिससे भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बुरी तरह प्रभावित हुआ है।
- 18 देशों कि संयुक्त इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (International Consortium of Investigative Journalists) द्वारा एक ऑफशोर स्पेशलिस्ट फर्म Conkers Dill & Pearman द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ों का विश्लेषण किया।

Conkers Dill & Pearman क्या है?

- वर्ष 1998 में बरमूडा-निवासी वित्तीय विश्लेषक रोज़र क्रॉम्बी ने अपनी पुस्तक में कंपनी के कॉर्पोरेट और वाणिज्यिक कानून पर ज़ोर देते हुए फुल सर्विस लॉ फर्म के रूप में वर्णित किया तथा कंपनियों एवं व्यक्तियों को संपत्तियों के प्रबंधन के बारे में विश्वसनीयता पूर्वक प्रबंधन की पेशकश की।
- इस फर्म के तीन संस्थापक- जेम्स रेजिनाल्ड कॉनयेर्स (James Reginald Conyers), निकोलस बेयर्ड डिल (Nicholas Bayard Dill) और जेम्स यूजीन पियरमैन (James Eugene Pearman) बरमूडा में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और सार्वजनिक पदों पर कार्यरत थे।

डिजिटल एवं कैशलेस अर्थव्यवस्था

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय वित्त एवं कार्पोरेट कार्य राज्यमंत्री ने डिजिटल और नकदी रहित अर्थव्यवस्था पर एक सम्मेलन 'दॅ फ्यूचर ऑफ इंडियाज़ डिजिटल पेमेंट्स' (The Future of India's Digital Payments) को संबोधित किया।

प्रमुख बिंदु

- वर्तमान में भुगतान संबंधी डिजिटल पेमेंट्स के मामले में सरकार ने 'चलता है का रवैया' पीछे छोड़ दिया है और 'बदल सकता है' का दृष्टिकोण अपना लिया है। अर्थात् डिजिटल पेमेंट्स के माध्यम से तत्काल एवं त्वरित कार्रवाई करने पर ज़ोर दिया जा रहा है।
- इस माध्यम से सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थानों में भुगतान व्यवस्था के क्षेत्र में वृद्धि हुई है।
- इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य डिजिटल इंडिया और डिजिटल भुगतान के संबंध में ज़्यादा-से-ज़्यादा लोगों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की जनता तक प्रौद्योगिकी का लाभ सुनिश्चित करना था।
- इस सम्मेलन में मंदिरों में भी डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने की बात कही गई।

डिज़िटल और कैश-लेस अर्थव्यवस्था

- आर्थिक व्यवस्था का वह स्वरूप जिसमें धन का अधिकांश लेन-देन चेक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिग, मोबाइल पेमेंट तथा अन्य डिजिटल माध्यमों से किया जाता है, कैश-लेस अर्थव्यवस्था कहलाती है।

- इस व्यवस्था में नकदी (कागज़ी नोट या सिक्के) का चलन कम हो जाता है। नकदी-रहित लेन-देन में करेंसी का न्यूनतम इस्तेमाल होता है। इससे व्यवसाय स्वचालित हो जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप पारदर्शिता आती है।
- कैश-लेस अर्थव्यवस्था से गलत तरीके से लेन-देन बंद हो जाता है और इसके परिणामस्वरूप कालेधन का प्रभाव कम होता है।
- वर्तमान में देश का लगभग 95 प्रतिशत लेन-देन नकद-आधारित है जिससे एक बहुत बड़ी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है और इसकी वज़ह से सरकार को विभिन्न टैक्स लगाने और वसूलने में कठिनाई होती है।
- डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिये भारत सरकार समय-समय पर विभिन्न उपायों की घोषणा करती रहती है।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम

- भारत सरकार ने वर्ष 2015 में भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज व ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित करने के उद्देश्य से डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया था।
- यह एक विस्तृत एवं समग्र कार्यक्रम है, जिसे सभी राज्य सरकारों ने लागू किया है और इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी विभाग इसका संयोजक है।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्य

- इस कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
  - प्रत्येक नागरिक के लिये सुविधा के रूप में बुनियादी ढाँचा
  - गवर्नेंस व मांग आधारित सेवाएँ
  - नागरिकों का डिजिटल सशक्तीकरण

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के प्रमुख लक्ष्य

- इस कार्यक्रम का लक्ष्य विकास क्षेत्रों के निम्नलिखित स्तंभों के ज़रिये इस बहुप्रतीक्षित आवश्यकता को उपलब्ध कराना है:
  - ब्रॉडबैंड हाइवेज मोबाइल कनेक्टिविटी तक सर्वव्यापी पहुँच
  - पब्लिक इंटरनेट संपर्क कार्यक्रम
  - ई-गवर्नेंस--तकनीक के जरिये सरकारी सुधार
  - ई-क्रांति--सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक आपूर्ति
  - सबके लिये सूचना
  - इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन- सकल शून्य आयात का लक्ष्य
  - रोज़गार के लिये सूचना प्रौद्योगिकी
  - अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम

डिजिटल इंडिया के लक्ष्यों का मौलिक आधार देश का संचार उद्योग है जो केवल लोगों से जुड़ा ही नहीं है, बल्कि रोज़गार का भी सृजन करता है। यह ज्ञान के लिये एक उपकरण तो बन ही गया है, साथ ही राजकोष में योगदान देकर आर्थिक विकास और वित्तीय समावेशन का विस्तार करता है।

अर्थव्यवस्था और डिजिटल इंडिया

- भारत को एक ट्रिलियन डॉलर वाली डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने के लिये इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और डेटा संरक्षण नीति में बदलाव सहित कई अन्य नीतियाँ शुरू की जा रही हैं।
- विमुद्रीकरण के बाद से ही सरकार द्वारा डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी क्रम में देश में डिजिटल इंडिया, ई-गवर्नेंस जैसे मिशनों को तेज़ी से लागू किया जा रहा है।
- इस लक्ष्य को 2025 तक हासिल करने के लिये कार्ययोजना बनाई गई है।
- अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्तमान में आईटी/आईटीईएस क्षेत्र (350 अरब डॉलर) और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र (300 अरब डॉलर) से अधिकतम योगदान के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था 2025 तक 1 ट्रिलियन डालर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बन सकती है।

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड नियम, 2016 में संशोधन

चर्चा में क्यों?

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (The Insolvency and Bankruptcy Board of India-IBBI) ने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉरपोरेट्स के लिये दिवालियापन समाधान प्रक्रिया) नियम, 2016 और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (ऋण शोधन प्रक्रिया) नियम, 2016 में संशोधन किया है।

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉरपोरेट्स के लिये दिवालियापन समाधान प्रक्रिया) नियम, 2016 में हुए प्रमुख संशोधन निम्न प्रकार हैं:

- संशोधन द्वारा ऋणदाताओं की समिति (Committee of Creditors-CoC) के गठन से पूर्व तथा CoC के गठन के पश्चात् आवेदन को वापस लेने की प्रक्रिया को निश्चित किया गया है।
- संकल्प योजना को मंजूरी देते समय अथवा कॉरपोरेट देनदार के ऋण शोधन का फैसला करते समय CoC परिसमापन लागत (Lliquidation Cost) को पूरा करने में योगदान करने के लिये योजना को मंजूरी दे सकता है।

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (ऋण शोधन प्रक्रिया) नियम, 2016

- यह संशोधन कॉरपोरेट कर्ज़दार (corporate debtor) की बिक्री की प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है।
- इसके अतिरिक्त इसमें इस बात की भी व्यवस्था की गई है कि जैसे ही एक बार कॉरपोरेट देनदार की बिक्री होती है, वैसे ही ऋण शोधन की प्रक्रिया को कॉरपोरेट देनदार के विलय के बिना बंद कर दिया जाएगा।
- संशोधन के तहत यह आवश्यक है कि ऋण शोधन की प्रक्रिया शुरू होने के एक वर्ष के भीतर इसे पूरा कर लिया जाए।
- संशोधन में ऋणशोधन की प्रक्रिया में प्रत्येक कार्य के लिए एक मॉडल समय-सीमा निर्धारित की गई है। इसमें कंपनी कानून, 2013 की धारा 230 के तहत हितधारकों द्वारा प्रस्तावित किसी समझौते को पूरा करने के लिए ऋणशोधन के आदेश से अधिकतम 90 दिनों का समय निर्दिष्ट करने की व्यवस्था की गई है, जिससे ऋणशोधन की प्रक्रिया जल्द-से-जल्द खत्म होना सुनिश्चित हो सकेगा।
- संशोधन में एक हितधारकों की परामर्श समिति के गठन का भी प्रावधान किया गया है, जिसमें सुरक्षित वित्तीय ऋणदाताओं, असुरक्षित वित्तीय ऋणदाताओं, कामगारों और कर्मचारियों, सरकार, अन्य परिचालन ऋणदाताओं और शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व होगा, जो ऋणशोधन कराने वाले को बिक्री से संबंधित मामलों में सलाह देंगे। हालाँकि, इस समिति की सलाह को मानने के लिए ऋणशोधन कराने वाला बाध्य नहीं है।
- संशोधन ने एक व्यापक अनुपालन प्रमाण पत्र (Comprehensive Compliance Certificate) प्रस्तुत किया है जिसे अंतिम रिपोर्ट के साथ अधीनस्थ प्राधिकार को प्रस्तुत किया जाना है।

लोकसभा में पारित हुआ कंपनी संशोधन विधेयक

चर्चा में क्यों?

लोकसभा ने कंपनी अधिनियम (Companies Act) संशोधन विधेयक पारित कर दिया है।

संशोधन के प्रमुख बिंदु

- यदि कोई कंपनी अपने द्वारा निर्धारित कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (Corporate Social Responsibility-CSR) फंड की राशि एक निश्चित अवधि में खर्च नहीं करेगी तो वह राशि स्वयं ही एक विशेष खाते में जमा हो जाएगी।
- भारत ऐसा पहला देश है जिसने देश की सभी कंपनियों के लिये CSR की धनराशि को खर्च करना कानूनी रूप से अनिवार्य बना दिया है।
- सभी कंपनियों को एक साल में CSR को खर्च करने से संबंधित प्रस्ताव तैयार करना होगा और अगले तीन सालों में उस प्रस्ताव पर धनराशि खर्च करनी होगी।

कंपनी अधिनियम की धारा 135 के अनुसार, निम्नलिखित कंपनियों को अपने तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत हिस्सा CSR पर खर्च करना होगा :

- जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए या उससे अधिक है।
- जिनका टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे अधिक है।
- जिनका औसत लाभ 5 करोड़ या उससे अधिक है।
- इसके अतिरिक्त NCLT के भार को कम करने के लिये यह तय किया गया है कि 25 लाख तक के विवादों का निपटारा क्षेत्रीय स्तर का अधिकारी करेगा।
- इस संशोधन से पूर्व कुल 81 प्रकार के कानून उल्लंघनों को आपराधिक श्रेणी में शामिल किया जाता था, परंतु संशोधन के पश्चात् इनमें से 16 को सिविल मामलों में शामिल कर दिया गया है।

संशोधन के प्रमुख उद्देश्य :

- संशोधन का प्रमुख उद्देश्य CSR के नियमों को और अधिक सख्त बनाना है।
- इसके अतिरिक्त संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (National Company Law Tribunal-NCLT) के कार्यभार को कम करने का भी प्रयास किया जाएगा।

कंपनी अधिनियम (Companies Act)

- कंपनी अधिनियम, 2013 भारत में 30 अगस्त 2013 को लागू हुआ था।
- यह अधिनियम भारत में कंपनियों के निर्माण से लेकर उनके समापन तक सभी स्थितियों में मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है।
- कंपनी अधिनियम के तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण की स्थापना हुई है।
- कंपनी अधिनियम, 2013 ने ही 'एक व्यक्ति कंपनी' की अवधारणा की शुरुआत की।

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (National Company Law Tribunal-NCLT)

- NCLT का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 18 के तहत किया गया था।
- NCLT कंपनियों के दिवालिया होने से संबंधित कानून पर जस्टिस इराडी कमेटी की सिफारिश के आधार पर 1 जून, 2016 से काम कर रहा है।
- NCLT एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय है जो भारतीय कंपनियों से संबंधित मुद्दों पर निर्णय देता है।
- NCLT में कुल ग्यारह पीठ हैं, जिसमें नई दिल्ली में दो (एक प्रमुख) तथा अहमदाबाद, इलाहाबाद, बंगलूरू, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में एक-एक पीठ है।

अकाउंट एग्रीगेटर मॉडल 'सहमति'

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में एक अकाउंट एग्रीगेटर मॉडल 'सहमति' की शुरुआत हुई। यह नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) की श्रेणी में आता है।

प्रमुख बिंदु

- यह अकाउंट एग्रीगेटर (AA) व्यक्तिओं और छोटे कारोबारियों को उनके डिजिटल फाइनेंशियल डेटा को सुरक्षित तरीके से तीसरे पक्ष के साथ साझा करने में सहायता करेगा।
- वित्तीय नियोजन सेवाओं की मांग करने वाले उपयोगकर्त्ता म्यूचुअल फंड, बीमा, भविष्य निधि और बैंकिंग विवरण को AA एप के माध्यम से डिजिटल रूप से साझा कर सकेंगे।
- यह AA कई सेवा प्रदाताओं से डेटा संग्रहीत करेगा और उपयोगकर्त्ता की सहमति के बाद इस डेटा को वित्तीय सूचनाओं के प्रयोगकर्त्ताओं के साथ साझा करेगा।

- अकाउंट एग्रीगेटर प्रणाली को प्रोत्साहन देने के लिये 'सहमति' को गैर-लाभकारी निकाय के रूप में शुरू किया गया है।
- यह AA नवीन तकनीक एवं संस्थागत अवसंरचना में वित्तीय जानकारी प्रदाता (Financial Information Provider-FIPs) और वित्तीय जानकारी उपयोगकर्त्ताओं (Financial Information Users-FIUs) की संभावनाओं के संबंध में जागरूकता बढ़ाकर फ्रेमवर्क को अपनाने के लिये प्रेरित करेगा।
- भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, बीमा नियामक और विकास एजेंसी तथा भविष्य निधि नियामक और विकास एजेंसी पहले ही संबंधित कंपनियों/संस्थाओं को इन विनियामकों के नियंत्रण के अधीन एवं उपयोगकर्त्ता की सहमति से डेटा साझा करने की अनुमति दे चुके हैं।
- इस प्रौद्योगिकी फ्रेमवर्क को गैर-लाभकारी प्लेटफार्म iSpirt द्वारा विकसित किया गया है।

अकाउंट एग्रीगेटर (AA) क्या है?

- अकाउंट एग्रीगेटर (फाइनेंशियल डेटा एग्रीगेटर) एक वेब आधारित अथवा API आधारित प्रणाली है जो विभिन्न प्रकार के अकाउंट, जैसे- बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्रेडिट कार्ड अकाउंट आदि की सूचनाओं को संग्रहीत करती है।
- वर्ष 2016 में रिज़र्व बैंक ने अकाउंट एग्रीगेटर को NBFC की श्रेणी का दर्जा दिया।

iSpirt- Indian Software Product Industry

- यह एक गैर लाभकारी प्लेटफार्म है जो देश में सॉफ्टवेयर उत्पाद कंपनियों को बढ़ावा देने, सरकारी नीतिओं में सहयोग करने तथा सॉफ्टवेयर में निवेश को प्रोत्साहित करता है।
- वर्ष 2013 में लगभग 30 उत्पाद कंपनियों और व्यक्तियों ने iSPIRT की शुरुआत की ।

सफेद चाय

चर्चा में क्यों?

पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा के उनाकोटि ज़िले में इस साल की शुरुआत में ही 95 वर्ष पुराने गोलोकपुर टी एस्टेट (Golokpur Tea Estate) ने 10 हज़ार रुपए में एक किलोग्राम सफेद चाय (व्हाइट टी) बेचकर कीर्तिमान स्थापित किया।

सफेद चाय क्या है?

- चाय की कलियों और नई पत्तियों के आसपास के सफेद रोएं/रेशे से तैयार चाय को सफेद चाय कहा जाता है। यह दिखने में हल्के भूरे या सफेद रंग की होती है इसलिये इसे यह नाम दिया गया है।
- कई स्थानों पर इसे कम प्रसंस्करण के साथ सुखाई गईं पत्तियों से तो कहीं-कहीं पर कलियों से भी तैयार किया जाता है।
- टी बोर्ड इंडिया के अनुसार, भारत वैश्विक चाय 14% तथा देश में उत्पादित चाय का लगभग 20% निर्यात करता है।

भारत और चाय उत्पादन

- भारत दुनिया में चाय का सबसे बड़ा उपभोक्ता है।
- यह दुनिया में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
- यह दुनिया में चाय का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक देश है।

चाय उत्पादन

- असम, दार्जिलिंग, दक्षिण भारत की नीलगिरी पहाड़ियों और हिमालय की तलहटी के साथ तराई भागों में चाय की खेती और रोपण किया जाता है।

चाय की खेती के लिये अनुकूल स्थितियाँ

- जलवायु: चाय एक उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय पौधा है। यह गर्म और आर्द्र जलवायु में अच्छी तरह से वृद्धि करता है।
- तापमान: इसकी वृद्धि के लिये आदर्श तापमान 20°-30°C है।

- वर्षा: इसके लिये वर्ष भर 150-300 सेमी. औसत वर्षा की आवश्यकता होती है।
- मृदा: चाय की खेती के लिये सबसे उपयुक्त छिद्रयुक्त अम्लीय मृदा (कैल्शियम के बिना) होती है, जिसमें जल आसानी से प्रवेश कर सके।

टी बोर्ड

- टी बोर्ड वाणिज्य मंत्रालय (Ministry of Commerce) के अधीन एक सांविधिक निकाय है।
- बोर्ड के 31 सदस्यों में संसद के सदस्य, चाय उत्पादक, चाय विक्रेता, चाय ब्रोकर, उपभोक्ता व प्रधान चाय उत्पादन राज्यों से सरकार के प्रतिनिधि एवं व्यावसायिक संघ के सदस्य (अध्यक्ष सहित) शामिल होते हैं।
- प्रत्येक तीन साल में बोर्ड का पुनर्गठन किया जाता है।

कार्य

- चाय के विपणन, उत्पादन के लिये तकनीकी व आर्थिक सहायता का प्रस्तुतीकरण करना।
- निर्यात संवर्द्धन करना।
- चाय की गुणवत्ता में सुधार व चाय उत्पादन के आवर्धन के लिये अनुसंधान व विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना।
- श्रमिक कल्याण योजनाओं के माध्यम से चायरोपण श्रमिकों और उनके वार्डों तक सीमित तरीके से आर्थिक सहायता पहुँचाना।
- लघु उत्पादकों के असंगठित क्षेत्र को आर्थिक व तकनीकी सहायता देना व उन्हें प्रेरित करना।
- सांख्यिकी डेटा व प्रकाशन का संग्रह व रख-रखाव करना।

वॉटर स्ट्रेस इंडेक्स: विकट होती जा रही जल संकट की समस्या

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जारी वॉटर स्ट्रेस इंडेक्स (Water Stress Index) के अनुसार, देश के 20 बड़े शहरों में से 11 जल संकट की खतरनाक स्थिति का सामना कर रहे हैं।

भारत में जल संकट की वर्तमान स्थिति

- वर्तमान में चेन्नई जिस प्रकार के गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि निकट भविष्य में देश के अन्य राज्यों में भी भयावह जल संकट दस्तक देने वाला है।
- भारत के अधिकतर राज्य पहले से ही अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि, जल संसाधनों की कमी और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों का सामना कर रहे हैं।
- हालाँकि, चेन्नई ने संसाधनों के संरक्षण के लिये जून से ही पानी में कटौती शुरू कर दी थी, परन्तु लंबे समय तक सूखा बने रहने के कारण वहाँ के सभी प्रमुख जलाशय सूख चुके हैं।
- अब चेन्नई में पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये पास के वेल्लोर से ट्रेन के द्वारा पानी पहुँचाया जा रहा है।

क्या कहता है इंडेक्स?

- इस इंडेक्स में भारत को विश्व के 46वें सबसे अधिक जोखिमपूर्ण देश (जल संकट के संदर्भ में) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
- इससे भी अधिक चिंता का विषय यह है कि भारत के 20 बड़े शहरों में से 11 'अत्यधिक जोखिम' (Extreme Risk) वाली श्रेणी में और 7 शहर 'उच्च जोखिम' (High Risk) वाली श्रेणी में शामिल हैं।
- इंडेक्स के अनुसार, देश की राजधानी दिल्ली सहित चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, नासिक, जयपुर, अहमदाबाद और इंदौर जैसे देश के अन्य बड़े शहर 'अत्यधिक जोखिम' वाली श्रेणी में शामिल हैं।

  यह इंडेक्स घरों, उद्योगों और कृषि क्षेत्रों की जल खपत दर तथा नदियों और झीलों में उपलब्ध जल को मापता है।
  - इंडेक्स के मुताबिक, बेंगलुरु और सूरत में पानी की मांग लगातार बढ़ती जा रही है और इसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इन शहरों में जल्द ही जल संकट की स्थिति पैदा हो सकती है। इसके अतिरिक्त चेन्नई और दिल्ली भी इस संदर्भ में काफी संवेदनशील क्षेत्र हैं।

- संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक, वर्ष 2035 में दिल्ली की आबादी 28 मिलियन से बढ़कर 43 मिलियन हो जाएगी अर्थात् 52 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी, और इसी अवधि में चेन्नई की आबादी में भी 47 प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिलेगी।
- रिपोर्ट के अनुसार, देश के अत्यधिक जोखिम वाले 11 शहरों में वर्ष 2035 तक औसत जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 49 प्रतिशत होगी अर्थात् वर्ष 2035 तक इन 11 शहरों में 127 मिलियन लोग और रहने आ जाएंगे।

क्या किया जा सकता है?

- कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पानी की खपत कम कम करने वाली फसलों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। हाल ही के वर्षों में तमिलनाडु सरकार द्वारा ऐसे प्रयास किये गए हैं।
- जल उपभोग दक्षता को बढ़ाया जाना चाहिये, क्योंकि अभी तक सर्वश्रेष्ठ मामलों में भी यह 30% से भी कम है।
- जल संरक्षण हेतु जन जागरूकता अतिआवश्यक है, क्योंकि भारत जैसे देशों की अपेक्षा कम जल उपलब्धता वाले अमेरिका के कुछ क्षेत्रों में अभी तक जल संकट की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई है।

PTA आयात पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वित्त मंत्रालय ने दक्षिण कोरिया और थाईलैंड से आयात होने वाले शुद्ध PTA (Pure Terephthalic Acid) पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया है।

प्रमुख बिंदु

- वाणिज्य मंत्रालय में नियुक्त अधिकारी द्वारा सनसेट समीक्षा (Sunset Review) के आधार पर की गई सिफारिशों को लागू करते हुए राजस्व विभाग ने PTA पर 27.32 डॉलर प्रति टन एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया गया है।
- PTA पॉलिएस्टर चिप्स के निर्माण प्रयोग होने वाला प्राथमिक कच्चा माल है जो कपड़े, पैकेजिंग, साज-सामान, उपभोक्ता वस्तुओं, रेज़िन और कोटिंग आदि में प्रयोग किया जाता है।

एंटी डंपिंग शुल्क

- सामान्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय मूल्य भेदभाव की स्थिति को डंपिंग कहा जाता है, जिसमें आयात करने वाले देश में बेचे जाने पर किसी उत्पाद की कीमत निर्यातक देश के बाजार में उस उत्पाद की कीमत से कम होती है।
- एंटी-डंपिंग शुल्क डंपिंग को रोकने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था में समानता स्थापित करने के लिये लगाया जाता है।
- यह प्रवृत्ति अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिये हानिकारक होने के साथ ही उस वस्तु के घरेलू व्यापार को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है तथा यह घरेलू व्यापार को संरक्षित करने का उपाय भी नहीं है।
- WTO द्वारा एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने की अनुमति/प्रावधान है।
- एंटी-डंपिंग शुल्क लागू होने की तिथि से 5 वर्ष के लिये वैध होता है। यह अवधि पूर्ण होने पर इसे WTO के डंपिंग रोधी समझौते (Anti-Dumping Agreement) के अनुच्छेद 11.3 के अनुसार सनसेट समीक्षा के पश्चात् पाँच साल के लिये और बढ़ाया जा सकता है।

सनसेट समीक्षा (Sunset Review)

- सनसेट समीक्षा किसी कार्यक्रम या एजेंसी के अस्तित्व की निरंतरता की आवश्यकता का मूल्यांकन है। इसके द्वारा कार्यक्रम या एजेंसी की प्रभावशीलता और प्रदर्शन का आकलन किया जाता है। यह समीक्षा हर बार एक निश्चित समयावधि के बाद की जाती है।

रिज़र्व बैंक ने ECB नियमों को शिथिल किया

चर्चा में क्यों?

बाह्य वाणिज्यिक उधार (External Commercial Borrowing-ECB) के तंत्र को अधिक उदार बनाने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) ने कार्यशील पूँजी की आवश्यकता, सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों तथा ऋणों के पुनर्भुगतान आदि के लिये ECB से संबंधित नियमों को और अधिक शिथिल कर दिया है।

प्रमुख बिंदु :

- इसका उद्देश्य कॉर्पोरेट सेक्टर, मुख्यत: गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों को सस्ते और लंबी अवधि के ऋण दिलवाना है।
- RBI ने वाजिब उधारकर्त्ताओं को भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं और विदेशी सहायक कंपनियों को छोड़कर अन्य मान्यता प्राप्त उधारदाताओं से 10 वर्ष की परिपक्वता अवधि के साथ ECB जुटाने की अनुमति दी है।
- 10 वर्षों की न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि वाले ECB का प्रयोग कार्यशील पूंजीगत उद्देश्यों और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिये किया जा सकता है।
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को 10 वर्ष की परिपक्वता अवधि के लिये आगे ऋण देने (On-Lending) के उद्देश्य से भी उधार लेने की अनुमति मिल गई है।
- पूंजीगत व्यय के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिये लिया गया ECB न्यूनतम 10 वर्षों की औसत परिपक्वता अवधि के लिये लिया जा सकता है।
- इसके अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के लिये लिया गया ECB न्यूनतम 7 वर्षों की औसत परिपक्वता अवधि के लिये लिया जा सकता है।
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को आगे ऋण देने हेतु लिये गए उधार का भुगतान रुपए में करने की अनुमति भी दी गई है।

बाह्य वाणिज्यिक उधार

- यह किसी अनिवासी ऋणदाता से भारतीय इकाई द्वारा लिया गया ऋण होता है।
- इनमें से अधिकतर ऋण विदेशी वाणिज्यिक बैंक खरीदारों के क्रेडिट, आपूर्तिकर्त्ताओं के क्रेडिट, फ्लोटिंग रेट नोट्स और फिक्स्ड रेट बॉण्ड इत्यादि जैसे सुरक्षित माध्यमों (Instruments) द्वारा प्रदान किये जाते हैं।

ECB के लाभ

- यह बड़ी मात्रा में धन उधार लेने का अवसर प्रदान करता है।
- इससे प्राप्त धन अपेक्षाकृत लंबी अवधि के लिये होता है।
- घरेलू धन की तुलना में ब्याज दर भी कम होती है।
- यह विदेशी मुद्राओं के रूप में होता है। इसलिये यह मशीनरी के आयात को पूरा करने के लिये कॉर्पोरेट्स को विदेशी मुद्रा रखने में सक्षम बनाता है।

स्फूर्ति योजना

वर्ष 2019-20 के बजट के दौरान 'पारंपरिक उद्योगों के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण के लिये कोष की योजना/स्फूर्ति योजना (Scheme of Fund for Upgradation and Regeneration of Traditional Industries'- SFURTI) के तहत और अधिक साझा सुविधा केंद्रों की स्थापना करने का लक्ष्य रखा है।

- इससे पारंपरिक उद्योगों को और ज़्यादा उत्पादक, लाभप्रद एवं सतत् रोज़गार अवसरों को सृजित करने में सक्षम बनाने के लिये क्लस्टर आधारित विकास को सुविधाजनक बनाया जा सकेगा।
- इसके तहत फोकस वाले क्षेत्र या सेक्टर बाँस, शहद और खादी समूह हैं।
- 'स्फूर्ति' योजना के तहत वर्ष 2019-20 के दौरान 100 नए समूह (Cluster) स्थापित करने की परिकल्पना की गई है जिससे 50,000 कारीगर आर्थिक मूल्य श्रृंखला से जुड़ सकेंगे।

- मत्स्य पालन एवं मछुआरा समुदाय खेती-बाड़ी से काफी हद तक जुड़े हुए हैं और ये ग्रामीण भारत के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं।
- अत: मत्स्य पालन विभाग 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana-PMMSY) के ज़रिये एक सुदृढ़ मत्स्य पालन प्रबंधन रूपरेखा स्थापित किया जाएगा।
- इस योजना के ज़रिये अवसंरचना, आधुनिकीकरण, उत्पादकता, फसल कटाई उपरांत प्रबंधन और गुणवत्ता नियंत्रण आदि में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाएगा।
- किसानों की उपज के साथ-साथ सहायक गतिविधियों से प्राप्त उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु निजी उद्यमिता को आवश्यक सहयोग दिया जाएगा।
- 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे, ताकि अगले पाँच वर्षों के दौरान किसानों के लिये व्यापक उत्पादन स्तर सुनिश्चित किया जा सके।
- पशु चारे के उत्पादन और दूध की खरीद, प्रोसेसिंग एवं विपणन के लिये बुनियादी ढांचागत सुविधाओं को सृजित करके भी सहकारी समितियों के ज़रिये डेयरी को प्रोत्साहित किया जाएगा।

नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन: 2020

यह एक राष्ट्रीय मिशन दस्तावेज़ (National Mission Document) है जो देश में इलेक्ट्रिक वाहनों एवं उनके निर्माण को अपनाने के लिये रोडमैप प्रस्तुत करता है।

- यह योजना राष्ट्रीय ईंधन सुरक्षा बढ़ाने, सस्ता और पर्यावरण अनुकूल परिवहन माध्यम प्रदान करने, वैश्विक विनिर्माण नेतृत्व प्राप्त करने तथा भारतीय मोटर वाहन उद्योग को सक्षम करने के लिये डिज़ाइन की गई है।
- इसी संदर्भ में वर्ष 2015 में भारी उद्योग विभाग ने फेम इंडिया (Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid &) Electric Vehicles in India- FAME India) नामक एक योजना बनाई थी।
- फेम इंडिया योजना का प्रथम चरण शुरू में 2 साल की अवधि का था, जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल, 2015 से हुई थी, लेकिन इसे समय-समय पर बढ़ाया गया तथा इसका अंतिम विस्तार 31 मार्च 2019 तक के लिये किया गया था।
- FAME इंडिया स्कीम के पहले चरण को चार फोकस क्षेत्रों के माध्यम से लागू किया गया था-
  - (i) डिमांड क्रिएशन
  - (ii) टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म
  - (iii) पायलट प्रोजेक्ट
  - (iv) चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर

विद्युत गतिशीलता को बढ़ावा देने हेतु की गई अन्य पहल

- नई GST व्यवस्था के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों पर GST दरों में भारी छूट दी गई है।
- विद्युत मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिये 'सेवा' के रूप में विद्युत् विक्रय की अनुमति दी है। यह चार्जिंग व्यवस्था बुनियादी ढाँचे में निवेश हेतु एक बड़ा प्रोत्साहन प्रदान करेगी।
- सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने बैटरी चालित वाहनों के मामले में अधिसूचना जारी कर परमिट में छूट दी है।
- राज्य परिवहन विभागों/उपक्रमों आदि द्वारा 5000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिये प्रस्ताव आमंत्रित करना।

सिल्क समग्र योजना

भारत के केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत केंद्रीय रेशम बोर्ड के माध्यम से देश में सेरीकल्चर (रेशम पालन) के विकास के लिये वर्ष 2017-2020 के लिये 'सिल्क समग्र' (Silk Samagra) योजना लागू की गई है।

- इस योजना का उद्देश्य घरेलू रेशम की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार करना है, ताकि आयातित रेशम पर देश की निर्भरता कम हो सके।
- योजना के तहत रेशम पालन हितधारकों को उन्मुख घटकों जैसे- किसान नर्सरी का निर्माण, उन्नत शहतूत की किस्मों का रोपण, सिंचाई, ऊष्मायन (Incubation) सुविधा, पालन घरों का निर्माण, पालन उपकरण, कीटाणुशोधन एवं अन्य आवश्यक सामाग्रियों के लिये डोर-टू-डोर सेवा एजेंटों आदि द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

- कपड़ा मंत्रालय द्वारा उत्तर-पूर्व क्षेत्र में वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिये लागू नॉर्थ ईस्ट रीजन टेक्सटाइल प्रमोशन स्कीम (North East Region Textile Promotion Scheme- NERTPS) के तहत 38 सेरीकल्चर परियोजनाओं को शुरू किया गया है।
- ये परियोजनाएँ तीन व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत चिन्हित संभावित ज़िलों में लागू की गई हैं।
- इन परियोजनाओं के माध्यम से रेशम कीट पालन और संबद्ध गतिविधियों के लिये आवश्यक बुनियादी ढाँचे तथा स्थानीय लोगों को कौशल प्रदान किया जाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises- MSME) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना (International Cooperation Scheme -ICS) को लागू कर रहा है।

- इस योजना का उद्देश्य MSMEs की क्षमता बढ़ाने, अपने उत्पादों की पहुँच नए बाज़ारों तक सुनिश्चित करने, विनिर्माण क्षमता में सुधार हेतु नई तकनीकों की खोज करना है।
- इस योजना के अंतर्गत पात्र राज्य/केंद्र सरकार के संगठनों, पंजीकृत उद्योग संघों एवं सोसाइटियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों/खरीदार मेलों आदि में भाग लेने के लिये केंद्र/राज्य सरकार के प्रतिपूर्ति के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- यह योजना अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भागीदारी के माध्यम से निर्यात के नए अवसरों की खोज, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क तक पहुँच, प्रौद्योगिकी विकास, आधुनिकीकरण, बेहतर प्रतिस्पर्द्धा, बेहतर विनिर्माण के प्रति जागरूकता आदि से MSME का समर्थन करती है।

बायबैक टैक्स

वित्त मंत्रालय के अनुसार बजट 2018-19 में शेयर बायबैक पर प्रस्तावित 20 फीसद के कर को लागू करने की व्यावहारिता पर गौर किया जाएगा।

- जब कोई कंपनी अपने ही शेयर की निवेशकों से खरीद करती है तो इसे बायबैक कहा जाता है। बायबैक की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन शेयरों का अस्तित्व खत्म हो जाता है। बायबैक के लिये मुख्यत: टेंडर ऑफर या ओपन मार्केट का इस्तेमाल किया जाता है।
- कंपनी द्वारा कई कारणों से बायबैक का फैसला लिया जाता है। सबसे बड़ा कारण है कंपनी की बैलेंसशीट में अतिरिक्त नकदी का होना। कंपनी के पास बहुत अधिक नकदी का होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। इससे यह माना जाता है कि कंपनी अपनी नकदी का इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। शेयर बायबैक के माध्यम से कंपनी अपनी अतिरिक्त नकदी का प्रयोग करती है।
- भारत के आयकर अधिनियम के अनुच्छेद 115-O के तहत घरेलू कंपनी द्वारा लाभांश के रूप में घोषित, वितरित या भुगतान की गई कोई भी राशि लाभांश वितरण कर (Dividend distribution tax-DDT) के लिये कर की पात्र होगी। ये नियम केवल घरेलू कंपनी (विदेशी कंपनी नहीं) पर ही लागू है।

भारतमाला परियोजना

हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री द्वारा राज्यसभा में एक लिखित जवाब में यह जानकारी दी गई कि भारतमाला परियोजना के तहत मार्च 2019 तक कुल 225 सड़क परियोजनाओं (कुल 9,613 किलोमीटर) को मंज़ूरी दी गई।

- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017- 18 से भारतमाला कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
- भारत सरकार की यह फ्लैगशिप राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है।
- इसके अंतर्गत आर्थिक गलियारे, फीडर कॉरीडोर और इंटर कॉरीडोर, राष्ट्रीय कॉरीडोर, तटवर्ती सड़कें, बंदरगाह संपर्क सड़कें आदि का निर्माण किया जा रहा है।
- इस कार्यक्रम की अवधि वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021- 22 तक है। चरण-1 में कुल 34,800 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाना है जिसमें शामिल हैं:
  - 5,000 किलोमीटर राष्ट्रीय कॉरीडोर।
  - 9,000 किलोमीटर आर्थिक गलियारे।

- 6,000 किलोमीटर फीडर कॉरीडोर और इंटर कॉरीडोर।
- 2,000 किलोमीटर सीमावर्ती सड़कें।
- 2,000 किलोमीटर तटवर्ती सड़कें एवं बंदरगाह संपर्क सड़कें।
- 800 किलोमीटर हरित क्षेत्र एक्सप्रेस वे।
- 10,000 किलोमीटर अधूरे सड़क निर्माण कार्य।

- इसमें निर्माण कार्य करने वाली मुख्य एजेंसियाँ हैं: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग और औद्योगिक विकास निगम तथा लोक निर्माण विभाग।
- इस परियोजना का वित्तीयन ऋण फंड, बजटीय आवंटन, निजी निवेश, टोल ऑपरेटर आदि के माध्यम से किया जा रहा है।

लाभ

- पूरे देश में सड़क संपर्क में सुधार।
- आर्थिक गलियारों से कार्गो की त्वरित आवाजाही में वृद्धि।
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि।
- निवेश में तेज़ी एवं रोज़गार सृजन में वृद्धि होने की संभावना।

दृष्टि The Vision

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

14वाँ G-20 शिखर सम्मेलन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में जापान के ओसाका शहर में G-20 का 14वाँ शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में G-20 के सभी सदस्य राष्ट्रों ने हिस्सा लिया।

मुख्य बिंदु

- G-20 सम्मेलन में मौजूदा समय में वैश्विक परिप्रेक्ष्य में उपस्थित चुनौतियों पर चिंतन किया गया। इस सम्मेलन में विभिन्न राष्ट्रों के मध्य व्यापार तनावों, जलवायु परिवर्तन, डेटा प्रवाह, आतंकवाद, भ्रष्टाचार तथा लैंगिक समानता जैसे मुद्दों पर विचार किया गया।
- इस शिखर सम्मेलन में भारत ने आर्थिक अपराधियों और भगोड़ों तथा जलवायु परिवर्तन से जुड़े कोष के लिये अधिक वैश्विक सहयोग की अपेक्षा की है। ज्ञात हो कि भारत में पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक अपराधियों तथा भगोड़ों एक गंभीर मुद्दा उभर कर सामने आया है। हालाँकि इससे पूर्व पेरिस समझौते (2015) में भी जलवायु परिवर्तन कोष की स्थापना का प्रावधान किया गया था, इस कोष की सहायता से विकासशील देशों की आवश्यक मदद सुनिश्चित की जानी थी किंतु इस कोष का ठीक से क्रियांवयन नहीं किया जा सका।
- जहाँ तक बात है निर्बाध डेटा प्रवाह (Data Free Flow) की तो विकसित राष्ट्र इसके पक्ष में हैं। इसी संदर्भ में यदि डिजिटल अर्थव्यवस्था सम्मेलन (Digital Economy Summit) की बात करें तो इस सम्मेलन में विश्वास के साथ निर्बाध डेटा प्रवाह (Data Free Flow With Trust) के विचार को प्रसारित किया गया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि यह विचार भारत के डेटा-स्थानीयकरण के विचार के विपरीत है। यही कारण रहा कि भारत ने इस सम्मेलन से दूरी बनाकर अपनी नीति को पुन: स्पष्ट किया है।
- यह सम्मेलन भारत की विदेश नीति में संतुलन को इंगित करता है, जिसमें एक ओर अमेरिका के साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ करना शामिल है तो दूसरी ओर ऐसी अमेरिकी नीतियाँ जो भारत के आर्थिक हितों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं, का विभिन्न मंचों जैसे- ब्रिक्स (BRICS), विश्व व्यापार संगठन (WTO), आदि पर विरोध करना शामिल हैं।
- भारतीय प्रधानमंत्री ने डिजिटल अर्थव्यवस्था और कृत्रिम बुध्दिमत्ता पर अपने अभिभाषण में डिजिटल तकनीक के अधिकतम उपयोग के लिये '5-I' विज़न को प्रस्तुत किया। इस विजन में 5 'I' समावेशी (Inclusiveness), देशीकरण (Indigenisation), नवाचार (Innovation) अवसंरचना में निवेश (Investment in infrastructure) तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (International cooperation) का प्रतिनिधित्व करते हैं।

भारत, चीन और अमेरिका

- भारत ने 20 से अधिक बैठकों में हिस्सा लिया। इन बैठकों में भारत-अमेरिका-जापान, भारत-चीन-रूस तथा ब्रिक्स (BRICS) देशों के साथ बैठकें महत्त्वपूर्ण रही है।
- पिछले कुछ समय से भारत और चीन के साथ अमेरिका के व्यापार तनाव की खबरें चर्चा का विषय बनी हुई है। अमेरिका की भारत और चीन के साथ पृथक-पृथक द्विपक्षीय बैठकें इन तनावों के संदर्भ में किसी परिणाम पर नहीं पहुँच सकी। लेकिन ऐसी संभावना है कि ये वार्ताएँ निकट भविष्य में व्यापार को लेकर उपजे तनाव को कम करेगी। यदि ऐसा होता है तो यह वैश्विक GDP के साथ-साथ इन राष्ट्रों के भी हित में होगा।
- चीन और अमेरिका ने इस सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संयुक्त द्विपक्षीय वार्ता के संबंध में सहमति व्यक्त की है कि जब तक आपसी व्यापारिक मुद्दे सुलझ नहीं जाते हैं तब तक किसी भी प्रकार के शुल्कों में और वृद्धि नहीं की जाएगी।
- भारत और अमेरिका के मध्य ईरान, रूस, व्यापार और 5G नेटवर्क जैसे मुद्दों को लेकर विवाद बना हुआ है। ऐसे में भारत-अमेरिका के संबंधों को संकट की दृष्टि से देखा जा रहा है। हालाँकि भारत और अमेरिका ने वार्ता के माध्यम से भविष्य में इन मुद्दों को सुलझाने हेतु मिलकर कार्य करने की योजना बनाई है।

G-20 समूह

- वर्ष 1997 के वित्तीय संकट के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक मंच पर एकत्रित होना चाहिये।
- G20 समूह की स्थापना 1999 में 7 देशों-अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्राँस और इटली के विदेश मंत्रियों के नेतृत्व में की गई थी।
- G-20 का उद्देश्य वैश्विक वित्त को प्रबंधित करना था। संयुक्त राष्ट्र (United Nation), अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) तथा विश्व बैंक (World Bank) के स्टाफ स्थायी होते हैं और इनके हेड क्वार्टर भी होते हैं, जबकि G20 का न तो स्थायी स्टाफ होता है और न ही हेड क्वार्टर, यह एक फोरम मात्र है।
- इस फोरम में भारत समेत 19 देश तथा यूरोपीय संघ भी शामिल है।

G20 समूह के उद्देश्य

- वैश्विक आर्थिक स्थिरता और सतत् आर्थिक संवृद्धि हासिल करने हेतु सदस्यों के मध्य नीतिगत समन्वय स्थापित करना।
- वित्तीय विनियमन (Financial Regulations) को बढ़ावा देना जो कि जोखिम (Risk) को कम करते हैं तथा भावी वित्तीय संकट (Financial Crisis) को रोकते हैं।
- एक नया अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय आर्किटेक्चर बनाना।

जापान ने फिर से शुरू किया व्हेल का वाणिज्यिक शिकार

चर्चा में क्यों?

जापान ने 31 वर्षों के बाद एक बार फिर से व्हेल का वाणिज्यिक शिकार (Commercial Whaling) शुरू कर दिया है।

पृष्ठभूमि

- जापान ने दिसंबर 2018 में ही अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग (International Whalling Commission- IWC) की सदस्यता छोड़कर फिर से व्हेल का वाणिज्यिक शिकार शुरू करने की घोषणा की थी।
- जापान ने आधिकारिक तौर पर सदस्यता त्यागने के अपने फैसले के बारे में IWC को सूचित किया था जो 30 जून, 2019 से प्रभावी हुआ है।
- जापान ने आखिरी बार व्हेल का वाणिज्यिक शिकार वर्ष 1986 में किया था था, लेकिन शोध के उद्देश्यों से व्हेल का शिकार लगातार जारी रहा है।
- IWC से अलग होने के बाद भी जापान केवल जापान की समुद्री सीमा में ही व्हेल का शिकार कर सकेगा अन्य क्षेत्रों में नहीं।

जापान द्वारा IWC की सदस्यता त्यागने का कारण

- जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध लगाने वाली संधि का हस्ताक्षरकर्त्ता होने के बावजूद 'वैज्ञानिक अनुसंधान' के लिये एक वर्ष में सैकड़ों व्हेल पकड़ने के कारण नियमित रूप से इसकी आलोचना की जाती रही है।
- जापान ने IWC से मांग की थी कि उसे व्हेल का वाणिज्यिक शिकार फिर से शुरू करने की अनुमति दी जाए लेकिन जापान की इस मांग को व्हेल के शिकार का विरोध करने वाले देशों जिनमें ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं, के विरोध के चलते स्वीकार नहीं किया गया। जिसके बाद जापान ने IWC की सदस्यता त्यागने का निर्णय लिया था।

IWC की सदस्यता त्यागने के मायने

- व्हेल का वाणिज्यिक शिकार जापान के क्षेत्रीय जल और विशेष आर्थिक क्षेत्रों तक सीमित होगा। वह अंटार्कटिक या दक्षिणी गोलार्द्ध में शिकार नहीं करेगा।
- IWC की सदस्यता छोड़ने का मतलब है कि जापान आइसलैंड और नॉर्वे जैसे देशों में शामिल हो जाएगा जो व्हेल के वाणिज्यिक शिकार पर IWC द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का खुले तौर पर विरोध करते है।
- IWC की सदस्यता छोड़ने का तात्पर्य यह है कि IWC द्वारा वर्तमान में संरक्षित मिंक और अन्य व्हेल का जापान के तटीय क्षेत्रों में फिर से शिकार किया जा सकेगा।

- लेकिन जापान अंटार्कटिक में अपने तथाकथित वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु किये जाने वाले शिकार को जारी रखने में सक्षम नहीं होगा क्योंकि अंटार्कटिक संधि (Antarctic Treaty) के तहत इसे यह अनुसंधान जारी रखने की अनुमति IWC का सदस्य होने के कारण दी गई है।

अंटार्कटिक संधि (Antarctic Treaty)

- अंटार्कटिक संधि को वाशिंगटन संधि के नाम से भी जाना जाता है।
- इस संधि पर शुरुआत में 12 देशों- अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्राँस, जापान, न्यूज़ीलैंड, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका, तत्कालीन सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका ने वाशिंगटन में हस्ताक्षर किये गए थे। बाद में 27 अन्य देशों ने इस संधि को स्वीकार किया और 23 जून, 1961 को यह संधि प्रभाव में आई।

जापान के लिये वाणिज्यिक व्हेलिंग का महत्त्व

- जापान ने सदियों से व्हेलों का शिकार किया है और द्वितीय विश्व के बाद जब यह देश बेहद गरीबी की स्थिति का सामना कर रहा था उस समय माँस ही यहाँ के निवासियों के लिये प्रोटीन का महत्त्वपूर्ण स्रोत था।
- जापान का तर्क है कि व्हेलिंग जापान की परंपराओं का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है और IWC की सदस्यता त्यागने से मछुआरों को व्हेल का शिकार करने की अनुमति मिलेगी। इससे देश में व्हेल के वाणिज्यिक शिकार की संस्कृति को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।

अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग

- अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग (IWC) एक वैश्विक निकाय है जिसे व्हेल के संरक्षण और शिकार संबंधी प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है।
- IWC के सभी सदस्य व्हेलिंग के विनियमन पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय के (International Convention for the Regulation of Whaling) के हस्ताक्षरकर्त्ता हैं।
- यह अभिसमय एक प्रकार का कानूनी तंत्र है जिसके अंतर्गत वर्ष 1946 में IWC की स्थापना की गई थी तथा जापान वर्ष 1951 में इस संगठन का सदस्य बना था।
- वर्तमान में IWC के सदस्य देशों की संख्या 89 है।

RCEP में कृषि और औषधि से संबंधी प्रावधान रद्द

चर्चा में क्यों?

भारत और अन्य विकासशील देशो के लिये राहत के तौर पर औषधि और कृषि से संबंधित तीन हानिकारक प्रावधानों को RCEP से बाहर कर दिया गया है।

प्रावधान के रद्द होने के कारण

- भारत के नेतृत्व में RCEP देशों के पेटेंट के विस्तृत नियमों और डाटा विशिष्टता संबंधी प्रावधानों को हटाने के लिये प्रस्ताव लाया गया था क्योकि यह प्रावधान विकासशील देशो में सस्ती दवाओ के प्रसार पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के एकाधिकार की स्थापना करता है।
- इस प्रावधान के कारण विकासशील देशों की घरेलू औषधीय कंपनियां विश्व में सस्ती जीवनरक्षक दवाओं के निर्यात में पीछे रह जाती हैं। बीज और रोपण सामग्री से संबंधित कठोर बौद्धिक संपदा अधिकार नियम जो विकासशील देशों के कृषि क्षेत्र के लिये हानिकारक हैं, को भी वापस ले लिया गया है।

प्रावधान के रद्द होने से लाभ

- डाटा की विशिष्टता और पेटेंट अवधि के विस्तार जैसे प्रावधानों को हटाने से वैश्विक स्तर पर दवाओं की आपूर्ति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- नये प्रकार के पौधों की सुरक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय संघ (UPOV)

- नये प्रकार के पौधों की सुरक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय संघ (International Union for the Protection of New Varieties of Plants -UPOV) के अंतर्गत भारत ने RCEP के उच्च-स्तरीय सुरक्षा प्रावधानों को रद्द करने की बात कही थी क्योंकि ये प्रावधान WTO के मानकों के अनुरूप नहीं हैं। चूँकि UPOV 91 के प्रावधानो को अपनाना भागीदार देशो के लिये 'स्वैच्छिक' है इसलिये भारत ने इसे नहीं अपनाया है।
- UPOV 91 के प्रावधान पूरी तरह बहुर्राष्ट्रीय कंपनियो के पक्ष में है क्योंकि इसको अपनाने से किसानों के बीज संग्रहण और उपयोग की स्वतंत्रता सीमित होगी।

क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP)

- क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) एक प्रस्तावित मेगा मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement-FTA) है, जो आसियान के दस सदस्य देशों तथा छह अन्य देशों (ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूज़ीलैंड) के बीच किया जाना है।
- ज्ञातव्य है कि इन देशों का पहले से ही आसियान से मुक्त व्यापार समझौता है।
- वस्तुत: RCEP वार्ता की औपचारिक शुरुआत वर्ष 2012 में कंबोडिया में आयोजित 21वें आसियान शिखर सम्मेलन में हुई थी।
- RCEP को ट्रांस पेसिफिक पार्टनरशिप (Trans Pacific Partnership- TPP) के एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।
- RCEP के सदस्य देशों की कुल जीडीपी लगभग 21.3 ट्रिलियन डॉलर और जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 45 प्रतिशत है।
- सदस्य देश: ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्याँमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। इनके अलावा ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूज़ीलैंड सहभागी (Partner) देश हैं।

विश्व व्यापार संगठन

- विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization) विश्व में व्यापार संबंधी अवरोधों को दूर कर वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने वाला एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना वर्ष 1995 में हुई थी।
- इसका मुख्यालय जिनेवा (स्विट्ज़रलैंड) में है। वर्तमान में विश्व के 164 देश इसके सदस्य हैं।
- 29 जुलाई, 2016 को अफगानिस्तान इसका 164वाँ सदस्य बना।
- सदस्य देशों का मंत्रिस्तरीय सम्मेलन इसके निर्णयों के लिये सर्वोच्च निकाय है, जिसकी बैठक प्रत्येक दो वर्षों में आयोजित की जाती है।

निष्कर्ष: मेलबर्न में RCEP को लागू करने के संबंध में हो रही वार्ता के इस वर्ष पूर्ण होने की संभावना है। RCEP समझौते के लागू हो जाने के बाद यह विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक ब्लाक होगा जो विश्व की 50% जनसंख्या और 30% व्यापार का प्रतिनिधित्व करेगा।

ईरान ने संवर्धित यूरेनियम क्षमता की तय सीमा पार की

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ईरान ने वर्ष 2015 के समझौते के अनुसार संवर्धित यूरेनियम की तय सीमा से अधिक यूरेनियम भंडारण करने की बात को स्वीकार कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (International Atomic Energy agency- IAEA) ने भी इस तथ्य की पुष्टि की है।

मुख्य बिंदु

- ईरान के साथ P5+1 देशों ने 2015 में एक परमाणु समझौता (The Joint Comprehensive Plan of Action-JCPOA) किया था। इस समझौते में ईरान के लिये यूरेनियम भंडारण की अधिकतम सीमा तय कर दी गई थी तथा इसके बदले में ईरान पर से कुछ आर्थिक प्रतिबंधों को समाप्त एवं कुछ को निलंबित किया जाना था।
- इस समझौते में प्रासंगिक सीमा (300 किग्रा. यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड-UF6) का ईरान द्वारा अतिक्रमण किया गया है जिसकी घोषणा स्वयं ईरान ने की है।

- अमेरिका के इस समझौते से निकलने तथा ईरान पर फिर से प्रतिबंध आरोपित करने के पश्चात ईरान का यह महत्त्वपूर्ण कदम है। ध्यातव्य है कि अमेरिकी प्रतिबंधों के पश्चात् ईरान ने संवर्धित यूरेनियम में वृद्धि करने की चेतावनी दी थी।
- ईरान के कदम के पश्चात ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही हैं कि ईरान का यह फैसला यूरोपीय देशों (फ्राँस, जर्मनी, ब्रिटेन) को प्रेरित कर सकता है कि यूरोपीय देश अमेरिका पर दबाव बनाए जिससे पूर्व के समझौते पर वापस लौटा जा सके।
- ज्ञात हो कि यूरोपीय देश पहले ही अमेरिका के इस समझौते से एकतरफा बाहर निकलने के पक्ष में नहीं है तथा ईरान अमेरिका के मध्य उपजे तनाव को कम करने का प्रयास कर रहे हैं।
- ऐसा माना जा रहा है कि ईरान का यह कदम विभिन्न राष्ट्रों को चेतावनी स्वरूप उठाया गया है कि यदि अमेरिका का रुख ईरान के प्रति नरम नहीं होता और वह ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधो से ईरान को राहत नहीं देता है तो ईरान इस समझौते को तोड़ सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (International Atomic Energy Agency-IAEA)

- इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना वर्ष 1957 में परमाणु ऊर्जा तकनीक के बढ़ते उपयोग को ध्यान में रखकर की गई थी।
- वर्तमान में इसके 171 राष्ट्र सदस्य है तथा इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी विएना में है।
- इसका प्रमुख उद्देश्य परमाणु ऊर्जा का शांति के लिये उपयोग को बढ़ावा देना है। साथ ही यह परमाणु ऊर्जा के किसी भी ऐसे सैन्य उपयोग का विरोध करती है जिसमे परमाणु हथियार भी शामिल है।

महात्मा गांधी आईटी और बायोटेक्नोलॉजी पार्क

चर्चा में क्यों ?

विकास क्षमताओं का निर्माण करने के लिये भारत की सहायता से कोट डी आइवर (आइवरी कोस्ट) (Cote d'Ivoire) में महात्मा गांधी आईटी और बायो-टेक्नोलॉजी पार्क (एक समर्पित मुक्त व्यापार क्षेत्र) का उद्घाटन किया गया है।

महात्मा गांधी आईटी और बायोटेक्नोलॉजी पार्क (MGIT-BP)

- MGIT-BP परियोजना की कुल लागत लगभग 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर है और इसे भारत की सहायता से बनाया जा रहा है।
- MGIT-BP परियोजना मुख्यत: दो भागों में विभाजित है, पहले भाग में FTZ बनाने के लिये उसके आर्किटेक्चर और डिज़ाइन को शामिल किया गया है, वहीं दूसरे भाग में आईटी उद्यमों के लिये मुख्य भवन निर्माण को शामिल किया गया है।
- इस पार्क में कंप्यूटर असेंबली प्लांट सहित नेटवर्किंग लैब, मानव डीएनए लैब, डेटा स्टोरेज एरिया नेटवर्क, ऑडियो-विज़ुअल लैब और पावर जेनरेटर आदि भी शामिल हैं।

क्या होता है मुक्त-व्यापार क्षेत्र (FTZ) :

- मुक्त-व्यापार क्षेत्र (FTZ) विशेष आर्थिक क्षेत्र का ही एक वर्ग है।
- FTZ का अर्थ एक ऐसे भौगोलिक क्षेत्र से है जहाँ कुछ विशेष नियमों के तहत वस्तुओं/माल को लायाजाता है, संग्रहीत किया जाता है, निर्मित किया जाता है, पुनर्निर्मित किया जाता है और निर्यातित किया जाता है। सामान्यत: ये क्षेत्र किसी भी प्रकार के सीमा शुल्क से मुक्त होते हैं।
- आमतौर पर मुक्त व्यापार क्षेत्र का निर्माण प्रमुख बंदरगाहों, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और राष्ट्रीय सीमाओं के आसपास ही किया जाता है, जिसके कई सारे भौगोलिक फायदे होते हैं।

संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी (UNRWA)

चर्चा में क्यों ?

भारत ने वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र की फिलिस्तीन शरणार्थी एजेंसी को 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देने की पेशकश की है।

प्रमुख बिंदु

- भारत ने संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी (United Nations Relief and Works Agency-UNRWA) के मुख्य बजट में अपने वार्षिक वित्तीय योगदान को वर्ष 2016 के 1.25 मिलियन अमेरिकी डालर से चार गुना बढ़ाकर वर्ष 2018 में 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर कर दिया है।
- UNRWA में वित्तीय योगदान की प्रकृति स्वैच्छिक होने के कारण इस वर्ष UNRWA के लिये आवश्यक 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि में से केवल 200 मिलियन डॉलर ही प्राप्त हुए है। इससे फिलिस्तीनी शरणार्थियों को मूलभूत सुविधाएँ प्रदान करने में समस्या हो रही है।
- UNRWA की एक तदर्थ बैठक में 23 देशों ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिये वित्तीय सहायता देने की पेशकश की है। भारत ने सभी देशों से वित्तीय सहायता की राशि में बढ़ोत्तरी की अपील भी की है।
- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, UNRWA की गतिविधियों से शिक्षा में विशेष लाभ हुआ है साथ ही एजेंसी ने लाखों लोगों को मौलिक सेवाएँ भी प्रदान की हैं।
- संयुक्त राष्ट्र ने मौजूदा वित्तपोषण में कमी को देखते हुए सदस्य देशों से सहायता राशि बढ़ाने का आह्वान किया है।
- वर्तमान में फिलीस्तीनी शरणार्थियों की संख्या 5.4 मिलियन है जो पूरे विश्व के शरणार्थियों का 20% है।

भारत और फिलिस्तीन:

- वर्तमान में भारत, फिलिस्तीन में संस्थानों, सेवाओं और प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता निर्माण का कार्य कर रहा है। इसके अतिरिक्त फिलिस्तीनी पेशेवरों को तकनीकी और वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रहा है।
- भारत-फिलिस्तीन विकास साझेदारी के तहत पिछले पाँच वर्षों के दौरान कृषि, स्वास्थ्य देखभाल, सूचना प्रौद्योगिकी, युवा मामलों, महिला सशक्तीकरण और मीडिया के क्षेत्र में 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए हैं।
- UNRWA जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में आपातकालीन मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। UNRWA स्वास्थ्य, शिक्षा, राहत कार्य और सामाजिक सेवाओं के माध्यम से इस क्षेत्र के लोगों को मौलिक सुविधाएँ प्रदान करके उनका जीवन स्तर सुधारने का प्रयास कर रहा है।

इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष

- यूरोप में यहूदियों की जनसंख्या कम परंतु प्रभाव अधिक होने के कारण संघर्ष की स्थिति पैदा हुई। इसी दौरान वर्ष 1897 में यहूदी आंदोलन की शुरुआत हुई और वृहद् यहूदी राष्ट्र की महत्त्वाकाँक्षा लिये यहूदियों ने यूरोप से फिलिस्तीन के क्षेत्रों की ओर पलायन किया। बाल्फोर घोषणा और साइक्स-पिकॉट (Sykes-Picot Agreement) समझौते के बाद इस क्षेत्र में यहूदियों का पलायन और बढ़ा, इससे धार्मिक संघर्षों की भी शुरुआत हुई। वर्तमान में यह क्षेत्र विश्व के सबसे अशांत क्षेत्रों में से एक है।

शरणार्थी समस्या:

- वर्ष 1948 में इज़राइल के ऊपर मिस्त्र ,जॉर्डन, इराक और सीरिया ने आक्रमण कर दिया। इस घटना के बाद इज़राइल और फिलिस्तीन के बीच भी सशस्त्र संघर्ष शुरू हो गया। इन सभी घटनाओं के बाद शरणार्थी समस्या की शुरुआत हुई। 6 दिवसीय(Six Days) और योम किप्यूर के युद्धों के बाद तो शरणार्थी समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया।

इज़राइल-फिलिस्तीन विवाद के वर्तमान कारण:

- येरूशलम पर अधिकार को लेकर दोनों देशों में संघर्ष होता रहा है। इज़राइल के द्वारा वर्तमान में तेल अवीब से अपनी राजधानी येरुशलम स्थानांतरित करने का भी फिलिस्तीन द्वारा विरोध किया गया।
- शरणार्थियों के पुनर्वास को लेकर भी दोनों देशों में मतभिन्नता की स्थिति है। इज़राइल इन्हें फिलिस्तीन में पुनर्स्थापित करना चाहता है और फिलिस्तीन इन्हें वास्तविक स्थानों पर पुनर्स्थापित करने की बात कहता है।
- फिलिस्तीन, इज़राइल की प्रसारकारी नीतिओं का भी लगातार विरोध कर रहा है।

UN द्वारा उठाये गये कदम:

- वर्ष 1947 में फिलिस्तीन-इज़राइल संघर्ष पर स्थायी समिति बनाई गई।
- वर्ष 1973 में सीज़ फायर रोकने के लिये संकल्प 338 पारित किया गया।
- ओस्लो शांति समझौते, मेड्रिड शांति प्रक्रिया, कैंप डेविड सम्मेलन के माध्यम से भी इस समस्या के समाधान के समाधान के प्रयास किये गए।
- यूरोपीय संघ (EU), अमेरिका (US), संयुक्त राष्ट्र (UN) और रूस द्वारा वर्ष 2003 में एक शांति प्रस्ताव लाया गया।
- येरूशलम को राजधानी निर्धारित करने पर भी महासभा द्वारा इज़राइल की आलोचना की गई।

उपरोक्त प्रयासों के बावजूद भी आज तक इस समस्या का समाधान नही किया जा सका है।

इस मुद्दे पर भारत का दृष्टिकोण:

- भारत वर्ष 1974 में फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला गैर-इस्लामिक राष्ट्र था। भारत ने UN में फिलिस्तीन की पूर्ण सदस्यता और येरुशलम को राजधानी बनाने संबंधी प्रस्तावों का भी सदैव समर्थन किया है। वर्तमान की बदलती भू-राजनीति और कृषि के आधुनिकीकरण, हथियार, विज्ञान प्रौद्यौगिकी जैसी आवश्यकताओं के कारण भारत का झुकाव इज़राइल की तरफ हो रहा है।
- भारत को इस मुद्दे पर वैश्विक राजनीति के साथ ही साथ अरब में बड़ी संख्या में भारतीयों की संख्या और खनिज तेल आवश्यकता के मद्देनज़र अपनी नीति का निर्धारण करना चाहिये।

आगे की राह :

- दो राज्य समाधान को मूर्त रूप प्रदान किया जाये।
- इस मुद्दे पर अरब देशों के बजाय फिलिस्तीन को अपना पक्ष रखने दिया जाए साथ ही अरब-इज़राइल संघर्ष समाधान के लिये अलग से प्रयास किये जाएँ।
- वर्तमान मे शरणार्थियों के लियेबेहतर नीतियाँ और कार्यक्रम बनाये जाए।
- शरणार्थियों के कार्यक्रमों के लिये वित्त की कमी को दूर करने के लिये UN में विशेष संकल्प पारित किया जाए।

कश्मीर मुद्दे पर UNCHR की रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

हाल में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग (United Nation Commission on Human Rights- UNCHR) ने भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित कश्मीर संबंधी मुद्दे पर अपनी दूसरी रिपोर्ट जारी की।

प्रमुख बिंदु

- इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत और पाकिस्तान दोनों ही कश्मीर संबंधी मुद्दे का समाधान करने में विफल रहे हैं।
- उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने कश्मीर मुद्दे पर अपनी पहली रिपोर्ट जारी की थी जिसमें दोनों देशों द्वारा तनाव कम करने के लिये कार्रवाई करने का आग्रह किया गया था।
- इस रिपोर्ट के अनुसार, कश्मीर और पीओके में मई 2018 से अप्रैल 2019 के दौरान हताहत होने वाले नागरिकों की संख्या पिछले एक दशक से भी अधिक है।
- कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों के सदस्यों द्वारा मानवाधिकारों उल्लंघन किया जाता है जिसकी कोई भी जवाबदेहिता नहीं होती है।
- रिपोर्ट में भारत और पाकिस्तान की सरकारों को व्यापक रूप से सलाह दी गई है साथ ही मानवाधिकार परिषद (Human Rights Council- HRC) से कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों की जाँच के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग गठित करने का भी आग्रह किया गया है।

रिपोर्ट पर भारत की प्रतिक्रिया

- भारत ने इस रिपोर्ट पर राजनयिक विरोध दर्ज़ कराते हुए इसे भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन बताया है। क्योंकि इसमें सीमापार आतंकवाद के मूल मुद्दे की अनदेखी की गयी है।

- इस रिपोर्ट में वर्षों से पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित सीमापार से चलने वाले आतंकवाद तथा उससे उत्पन्न स्थितियों को नज़रअंदाज़ किया गया है।
- भारत के विदेश मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र पर आतंकवाद को वैधता प्रदान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस रिपोर्ट में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र तथा एक खुले तौर पर राज्य प्रायोजित आतंकवाद को समर्थन प्रदान करने वाले देश में कृत्रिम समानता स्थापित करने का प्रयास किया गया है।
- यह रिपोर्ट भारतीय संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ जारी 'गलत और पूर्वाग्रह से ग्रसित बयान' का हिस्सा है।
- भारत ने रिपोर्ट में जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों को 'सशस्त्र समूह' बताये जाने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए फरवरी 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में इस संगठन के शामिल होने का ज़िक्र किया जिसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी स्वीकार किया है।

जम्मू एवं कश्मीर की स्थिति

- जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है लेकिन पाकिस्तान ने इस राज्य के एक हिस्से को अवैध रूप से अपने कब्ज़े में ले रखा है।
- अवैध हिस्से में तथाकथित 'आजाद कश्मीर' और 'गिलगित-बाल्टिस्तान' का क्षेत्र शामिल है जिसे भारत द्वारा बार-बार पाकिस्तान से इन कब्ज़े वाले क्षेत्रों को खाली करने का आह्वान किया जाता रहा है।
- रिपोर्ट में कश्मीर के इस मुद्दे को स्पष्ट नही किया गया है साथ ही भारत की मज़बूत न्यायपालिका और राष्ट्रीय मानवाधिकार तंत्र के माध्यम की जाने वाली न्यायिक प्रक्रिया को भी अनदेखा किया गया है।
- रिपोर्ट में एक 'पूर्वाग्रही मानसिकता' को दर्शाया गया है, जो 'आतंकवादी चुनौतियों के सामने सरकार द्वारा किये गए व्यापक सामाजिक-आर्थिक विकास के प्रयासों" की अनदेखी करती है।
- रिपोर्ट में भारत द्वारा भीड़ नियंत्रण के उपकरण के रूप में पेलेट-फायरिंग की गोली का उपयोग जारी रखने तथा कश्मीर में राजनीतिक कार्यकर्ताओं और नागरिक समाज के लोगों को हिरासत में लेने के कारण विभिन्न कानूनों की आलोचना की गई है।

भारत-आसियान बैठक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत-आसियान त्रिगुट (Troika) व्यापार मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई।

प्रमुख बिंदु

- बैठक का उद्देश्य वर्तमान में जारी क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (Regional Comprehensive Economic Partnership- RCEP) पर अनौपचारिक विचार- विमर्श करना था।
- भारत में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी को अपनी एक्ट ईस्ट नीति (Act East Policy) के विस्तार के रूप में माना जाता है जिसमें सभी क्षेत्र में आर्थिक विकास एवं स्थायित्व के लिये व्यापक संभावनाएँ हैं।
- विशेषज्ञ स्तर पर क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी वार्ताओं के 26वें दौर में कुछ प्रगति हुई है। ये वार्ताएँ हाल ही में मेलबर्न में संपन्न हुई तथा इस दौरान सदस्य देशों ने कुछ हद तक लचीलापन रुख अपनाते हुए सामंजस्य स्थापित किया।
- भारत ने भी इन वार्ताओं के दौरान काफी हद तक लचीला रुख दिखाया तथा कुछ महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में समुचित सामंजस्य स्थापित करने में सहायता की है।
- आने वाले समय में चीन और वियतनाम में होने वाली वार्ताओं के दौरान और ज़्यादा सामंजस्य स्थापित किये जाने की संभावना है।

भारत की स्थिति

- पिछले मुक्त व्यापार समझौतों के प्रभाव के बारे में भारतीय उद्योग जगत में आशंका और निराशावाद है।
- भारत ने वस्तुओं के मामले में जितनी रियायतें दी हैं उनके मुकाबले उसे अपेक्षाकृत कम छूट प्राप्त हुई है।
- मूल देश के प्रावधानों पर अमल नहीं करने और इस तरह के उल्लंघन की जांच एवं उन्हें सुलझाने में पूर्ण सहयोग न मिलने के कारण भारत में वस्तुओं के आयात में काफी वृद्धि देखने को मिली है।

- विभिन्न मानकों के साथ-साथ इस क्षेत्र में नियामकीय कदमों और अन्य गैर-शुल्क बाधाओं के कारण भारत-आसियान मुक्त व्यापार समझौते (ASEAN-India Free Trade Area- AIFTA) के तहत भारत द्वारा प्राथमिकता प्राप्त शुल्क दरों का उपयोग 30 प्रतिशत से कम है।

चुनौतियाँ

- भारतीय वस्तुओं के मामले में विशेषकर चीन के साथ बाज़ार पहुँच से जुड़े मुद्दे काफी जटिल हैं।
- भारतीय उद्योग जगत इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है कि क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP) महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों विशेषकर वस्तुओं और सेवाओं के मामले में संतुलित नतीजे सुनिश्चित करते हुए सभी के लिये लाभप्रद साबित होगी।

भारत एवं वैश्विक स्तर पर उच्च और निम्न आय वालों के मध्य असमानता

चर्चा में क्यों?

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organisation - ILO) द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2017 में सबसे ज़्यादा आय अर्जित करने वाले 10 प्रतिशत भारतीयों ने देश में मज़दूरी से प्राप्त आय का कुल 69 प्रतिशत हिस्सा अर्जित किया, वहीं दूसरी ओर सबसे कम आय वाले 10 प्रतिशत भारतीयों को मज़दूरी से प्राप्त आय का मात्र 0.25 प्रतिशत हिस्सा ही मिला।

मुख्य बिंदु :

- भारत में यह स्थिति वर्ष 2004 से लगातार बनी हुई है, उस समय सबसे शीर्ष पर रहने वाले लोगों ने कुल आय का 70 प्रतिशत हिस्सा अर्जित किया था और सबसे कम आय वाले 10 प्रतिशत भारतीयों का हिस्सा सिर्फ 0.30 प्रतिशत ही था।
- रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक स्तर पर सबसे कम आय वाले श्रमिकों ने प्रतिमाह 22 डॉलर की आय प्राप्त की, जबकि सबसे शीर्ष पर रहने वाले लोगों ने प्रतिमाह 7,475 डॉलर की आय प्राप्त की।
- इस प्रकार वैश्विक स्तर पर सबसे कम आय वाले लोगों में शामिल कोई श्रमिक यदि सबसे अधिक आय वाले 10 प्रतिशत लोगों में शामिल होना चाहता है तो उसे आने वाली 3 सदियों तक काम करना होगा।
- वर्ष 2004-2017 के मध्य 13 सालों में वैश्विक स्तर पर तो यह असमानता कम हुई, लेकिन भारत में यह अभी भी वैसी ही बनी हुई है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन

- यह 'संयुक्त राष्ट्र' की एक विशिष्ट एजेंसी है, जो श्रम संबंधी समस्याओं/मामलों, मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक, सामाजिक संरक्षा तथा सभी के लिये कार्य अवसर जैसे मामलों को देखती है।
- यह संयुक्त राष्ट्र की अन्य एजेंसियों से इतर एक त्रिपक्षीय एजेंसी है, अर्थात् इसके पास एक 'त्रिपक्षीय शासी संरचना' (Tripartite Governing Structure) है, जो सरकारों, नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों का (सामान्यत: 2:1:1 के अनुपात में) इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रतिनिधित्व करती है।
- यह संस्था अंतर्राष्ट्रीय श्रम क़ानूनों का उल्लंघन करने वाली संस्थाओं के खिलाफ शिकायतों को पंजीकृत तो कर सकती है, किंतु यह सरकारों पर प्रतिबंध आरोपित नहीं कर सकती है।
- इस संगठन की स्थापना प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् 'लीग ऑफ नेशन्स' (League of Nations) की एक एजेंसी के रूप में वर्ष 1919 में की गई थी। भारत इस संगठन का एक संस्थापक सदस्य है।
- इस संगठन का मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में स्थित है।
- वर्तमान में 187 देश इस संगठन के सदस्य हैं, जिनमें से 186 देश संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से हैं तथा एक अन्य दक्षिणी प्रशांत महासागर में अवस्थित 'कुक्स द्वीप' (Cook's Island) है।
- ध्यातव्य है कि वर्ष 1969 में इसे प्रतिष्ठित 'नोबेल शांति पुरस्कार' भी प्रदान किया गया था।

द्वितीय भारत-रूस सामरिक आर्थिक वार्ता

चर्चा में क्यों?

नई दिल्ली में द्वितीय 'भारत-रूस रणनीतिक आर्थिक संवाद (Second India-Russia Strategic Economic Dialogue-IRSED) का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- भारत-रूस रणनीतिक आर्थिक संवाद की दूसरी बैठक सहयोग के निम्नलिखित 6 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित थी-
  1. परिवहन अवसंरचना एवं प्रौद्योगिकियों का विकास (Development of Transport Infrastructure and Technologies)
  2. कृषि एवं कृषि-प्रसंस्करण क्षेत्र का विकास (Development of Agriculture and Agro-Processing sector)
  3. लघु एवं मझोले व्यवसाय को सहयोग (Small and Medium Business support)
  4. डिजिटल रूपांतरण एवं उद्भव (फ्रंटियर) प्रौद्योगिकियाँ (Digital Transformation and Frontier Technologies)
  5. व्यापार, बैंकिंग, वित्त एवं उद्योग क्षेत्र में सहयोग (Cooperation in Trade, Banking, Finance, and Industry)
  6. पर्यटन एवं कनेक्टिविटी (Tourism & Connectivity)
- 'भारत-रूस रणनीतिक आर्थिक संवाद' के दौरान समानांतर रूप से गोलमेज बैठकें आयोजित की गईं जिसमें सहयोग के क्षेत्रों के साथ-साथ उपर्युक्त प्रमुख क्षेत्रों में भावी वार्ताओं की ठोस रूपरेखा पर विचार-विमर्श किया गया।

परिवहन अवसंरचना एवं प्रौद्योगिकियों का विकास

- परिवहन अवसंरचना एवं प्रौद्योगिकियों के विकास पर गोलमेज बैठक में परिवहन के विभिन्न साधनों जैसे- रेलवे में रेलों की गति को अद्यतन बनाने, यात्रियों की सुरक्षा और सहूलियत, भारत और रूस के बीच दोहरे बंदरगाहों के सृजन, पोत निर्माण और नदी नौवहन, अनुसंधान एवं विकास तथा समस्त परिवहन गलियारों में लागत की पूर्वानुमेयता में सहयोग पर चर्चा की गई।

कृषि और कृषि-प्रसंस्करण

- कृषि और कृषि-प्रसंस्करण पर गोलमेज बैठक में दोनों देशों ने कृषि, मवेशी पालन और खाद्य प्रसंस्करण की गतिशील प्रकृति और सहयोग के क्षेत्र में अपार अवसरों को चिह्नित किया।
- इस दौरान की गई सिफारिशों में सहयोग के प्रयासों को सुगम बनाने के लिये दोनों देशों के कृषि मंत्रालयों के मध्य सकारात्मक संवाद स्थापित करना शामिल था।
- प्रमाणीकरण की स्वीकृति, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence-AI) आधारित फ्रंटलाइन प्रौद्योगिकियों और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने पर भी चर्चा की गई।

लघु और मझोले व्यवसायों के बीच गठबंधन और सहयोग

- भारत और रूस में लघु और मझोले व्यवसायों के बीच गठबंधन और सहयोग बढ़ाने हेतु गोलमेज बैठक में दोनों देशों के बीच प्रमुख बिंदुओं पर बातचीत करने की सिफारिश की गई।
- वित्त तक पहुँच, डिजिटल बैंकिंग, ई-मार्केट तक पहुँच और समस्त क्षेत्रों में व्यापक आधार पर सहभागिता सुनिश्चित करने पर भी चर्चा की गई।

डिजिटल रूपांतरण एवं उद्भव (फ्रंटियर) प्रौद्योगिकियाँ

- डिजिटल ट्रांसफ़ॉर्मेशन और फ्रंटियर प्रौद्योगिकियों पर हुई गोलमेज बैठक में डिजिटल स्पेस और फ्रंटियर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत और रूस के बीच सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- रूस द्वारा विकसित प्लेटफार्मों का भारत किस प्रकार लाभ उठा सकता है तथा भारत द्वारा विकसित विभिन्न प्लेटफॉर्मों का रूस किस प्रकार लाभ उठा सकता है तथा भविष्य में विभिन्न क्षेत्रों जैसे- पेमेंट प्लेटफॉर्म, संयुक्त स्टार्ट-अप व्यवस्था, जैसे-शिक्षा, निर्माण और कौशल विकास में डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की गई।

औद्योगिक व्यापार और सहयोग पर गोलमेज बैठक

- औद्योगिक व्यापार और सहयोग पर गोलमेज बैठक में ऊर्जा, वित्त और बिज़नेस टू बिज़नेस (Business to Business) सहयोग एवं भागीदारी पर चर्चा की गई।
- इसमें निवेश के अवसरों के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच जागरूकता के बढ़ने पर ज़ोर दिया गया।

पर्यटन और कनेक्टिविटी

- पर्यटन और कनेक्टिविटी पर गोलमेज बैठक में द्विपक्षीय पर्यटन बढ़ाने और आर्थिक एवं वाणिज्यिक साझेदारी के लिये प्राकृतिक मार्ग तलाशने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।
- क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार तथा सरकार और उद्योग के बीच सहयोग में सुधार लाने की दिशा में भी चर्चा की गई।

पृष्ठभूमि

- 5 अक्तूबर, 2018 को नई दिल्ली में वार्षिक भारत—रूस द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन (Annual India-Russia Bilateral Summit) के 19वें संस्करण के दौरान नीति आयोग (NITI Aayog) और रूस के आर्थिक विकास मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद IRSED की स्थापना की गई।
- 'भारत-रूस रणनीतिक आर्थिक संवाद' की प्रथम बैठक 25-26 नवंबर, 2018 को सेंट पीटर्सबर्ग में हुई थी।

निष्कर्ष

- वार्ता के दौरान हुए विचार-विमर्श के नतीजों से दोनों देशों के बीच रणनीतिक आर्थिक सहयोग बढ़ाने में मदद मिलेगी। भविष्य में संयुक्त रूप से ठोस कदम उठाने के लिये आवश्यक विचार-विमर्श के साथ-साथ विशिष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने चाहिये। साथ ही ऐसे आर्थिक संबंध स्थापित करने चाहिये जो दोनों देशों के बीच सहयोग की संभावनाओं को प्रतिबिंबित करे।

भारतीय पेशेवरों को अमेरिकी वीज़ा नीति में राहत

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने प्रत्येक देश के लिये वीज़ा से संबंधित निश्चित अधिकतम सीमा का प्रावधान हटाने के लिये एक विधेयक पारित किया है।

प्रमुख बिंदु

- वर्तमान में प्रतिवर्ष ग्रीन कार्ड की कुल संख्या में से एक देश के अधिकतम सात प्रतिशत आवेदकों को ही ग्रीन कार्ड मिलता है।
- इस विधेयक से भारत जैसे देशों के हजारों कुशल पेशेवरों को स्थायी रूप से निवास के लिये इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा।
- इस विधेयक के कानून में परिवर्तित होने के पश्चात् परिवार आधारित अप्रवासी वीज़ा (Family-based immigrant visas) की सीमा सात से बढ़ाकर 15% हो जाएगी। वहीं रोज़गार आधारित आप्रवासी वीज़ा पर लगी 7% की सीमा भी समाप्त हो जाएगी। इस बदलाव से वहाँ कार्यरत कुशल भारतीय आइटी पेशेवरों के लाभान्वित होने की उम्मीद है।
- भारतीय आईटी पेशेवर, अधिकतर H-1B वर्किंग वीज़ा पर अमेरिका जाते हैं, लेकिन मौज़ूदा आव्रजन प्रणाली की सबसे बड़ी खामी ग्रीन कार्ड या स्थायी वैधानिक निवास के आवंटन हेतु निर्धारित कोटा (7 प्रतिशत प्रति देश कोटा) के कारण बुरी तरह प्रभावित होते हैं।
- फेयरनेस फॉर हाई-स्किल्ड इमिग्रेंट्स एक्ट-2019 (Fairness for High-Skilled Immigrants Act of 2019) या एचआर 1044 (HR 1044) नामक यह विधेयक 435-सदस्यीय प्रतिनिधि सभा सदन से पास हो गया है। अब सीनेट से मंज़ूरी तथा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून में परिवर्तित हो जाएगा।

निष्कर्ष

- यह विधेयक अमेरिकी व्यापार एवं अर्थव्यवस्था के सकारात्मक विकास हेतु एक निष्पक्ष कुशल आव्रजन प्रणाली को स्थापित करने पर ज़ोर देता है।
- इस विधेयक द्वारा यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी कि स्थायी निवास की मांग करने वाले भारत और चीन जैसे देशों के लोगों को अब लंबे समय तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा।

भूटान और बांग्लादेश के मध्य भारतीय जलमार्ग से व्यापार

चर्चा में क्यों?

भूटान और बांग्लादेश के मध्य व्यापार को सहज बनाने के उद्देश्य से भारत ने ब्रह्मपुत्र नदी में आवागमन के लिये एक जलमार्ग खोला है।

प्रमुख बिंदु:

- दोनों देशों के मध्य इस जलमार्गीय व्यापार को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (Inland Waterways Authority of India-IWAI) द्वारा पूरा किया जाएगा।
- हाल ही में ऐसी पहली नौका इसी रास्ते से रवाना भी की गई है, जिसके माध्यम से भूटान से आए क्रश्ड स्टोन (Crushed Stone) को बांग्लादेश भेजा गया है और वापसी में बांग्लादेश से आने वाले जूट और चावल को भूटान को भेजा जाएगा। यह नौका असम के धुबरी रिवरपोर्ट से बांग्लादेश के नारायणगंज के लिये रवाना हुई है।
- यह प्रथम अवसर है जब किसी भारतीय जलमार्ग का उपयोग दो देशों के बीच माल-परिवहन के लिये पारगमन के रूप में किया जा रहा है।

ब्रह्मपुत्र नदी

- ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोतों के काफी समीप से निकलती है।
- इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है।
- यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है।
- नामचा बारवा शिखर (7,757 मीटर) के पास पहुँचकर यह अंग्रेजी के यू (U) अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है।
- यहाँ इसे दिहाँग के नाम से जाना जाता है तथा दिबांग, लोहित, केनुला एवं दूसरी सहायक नदियाँ इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है।
- ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो एवं बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है।
- भारतीय जहाज़रानी मंत्रालय के अनुसार, भारत के इस कदम से न केवल लगभग 30 प्रतिशत परिवहन लागत की बचत होगी, बल्कि 8-10 दिनों का समय भी बचेगा।
- इससे पूर्व भूटान और बांग्लादेश के मध्य यह व्यापार ट्रकों के माध्यम से किया जाता था। भूटान/बांग्लादेश से आने वाले ट्रकों को एक दूसरे के बॉर्डर पर पुन: लोड किया जाता था जिसमें काफी समय लगता था। इसके अतिरिक्त ट्रकों को सीमा शुल्क निकासी की लंबी-लंबी कतारों में भी रुकना पड़ता था, जिससे विलंब की अवधि और अधिक बढ़ जाती थी।
- IWAI को बांग्लादेश-भूटान के व्यापार से प्रति किलोमीटर प्रति टन 2 पैसे का उपयोगकर्त्ता शुल्क प्राप्त होगा।
- इस व्यवस्था से नौवहन क्षेत्र में एक सुनिश्चित मसौदे को बनाए रखने के लिये पूंजी निकर्षण पर बल दिया गया है।
- सरकार अंतर्देशीय जलमार्ग और तटीय नौवहन के माध्यम से अधिक मालवाहक पोत परिवहन के उपयोग को बढ़ाने के लिये विभिन्न पहल कर रही है। इन उपायों में जलमार्गों में पानी की सुनिश्चित गहराई, GPS और नदी सूचना प्रणाली जैसे नौवहन सहायक, नियमित अंतराल पर टर्मिनल पर आवश्यक मालवाहक सुविधाएँ प्रदान करना शामिल हैं।
- प्रमुख बंदरगाहों पर स्थित तटवर्ती पोतों की बर्थिंग को न्यूनतम 40% छूट और प्राथमिकता दी जा रही है।
- मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 की धारा 406 और 407 के तहत उर्वरकों, कृषि उत्पादों, मत्स्य पालन, बागवानी और पशुपालन उत्पादों, खाली कंटेनरों एवं कंटेनरों को एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक आवागमन के लिये लाइसेंस में छूट दी गई है।

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

- अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास और विनियमन हेतु भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) की स्थापना 27 अक्तूबर, 1986 को की गई।
- IWAI जहाज़रानी मंत्रालय (Ministry of Shipping) के अधीन एक सांविधिक निकाय है।

- यह जहाज़रानी मंत्रालय से प्राप्त अनुदान के माध्यम से राष्ट्रीय जलमार्गों पर अंतर्देशीय जल परिवहन अवसंरचना के विकास और अनुरक्षण का कार्य करता है।
- प्राधिकरण का मुख्यालय नोएडा (New Okhla Industrial Development Authority-NOIDA) में, क्षेत्रीय कार्यालय पटना, कोलकाता, गुवाहाटी और कोची में तथा उप-कार्यालय प्रयागराज (पूर्व में इलाहाबाद), वाराणसी, भागलपुर, रक्का और कोल्लम में हैं।
- राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के अनुसार अभी तक 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है।
- वर्ष 2018 में IWAI ने कार्गो मालिकों एवं लॉजिस्टिक्स संचालकों को जोड़ने हेतु समर्पित पोर्टल 'फोकल' (Forum of Cargo Owners and Logistics Operators-FOCAL) लॉन्च किया था जो जहाज़ों की उपलब्धता के बारे में रियल टाइम डेटा उपलब्ध कराता है।
- 2018 में IWAI ने गंगा नदी पर जलमार्ग विकास परियोजना के लिये विश्व बैंक (World Bank) के साथ एक परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किये, जिसका उद्देश्य वाराणसी से हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (गंगा नदी) पर नौवहन (Navigation) की क्षमता में वृद्धि करना है।

भारत के लिये फायदेमंद

- यह कदम भारत के साथ-साथ भूटान और बांग्लादेश के लिये भी लाभकारी होगा और पड़ोसी देशों के बीच संबंधों को मज़बूत करेगा।
- इस नवीन विकास से न केवल पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध मज़बूत बनेंगे, बल्कि यह हमारे पूर्वोत्तर राज्यों के लिये एक वैकल्पिक मार्ग भी खोलेगा, जिससे देश के अन्य हिस्सों से इन स्थानों तक माल पहुँचाना आसान और सस्ता हो जाएगा

वीज़ा मुक्त प्रवेश पर भारत-पाक सहमत

चर्चा में क्यों?

भारत और पाकिस्तान के मध्य हुई दूसरी औपचारिक वार्ता में पाकिस्तान ने करतारपुर साहिब के पवित्र गुरुद्वारे में भारतीय तीर्थयात्रियों को वर्ष भर के लिये वीज़ा मुक्त प्रवेश देने पर सहमति व्यक्त की है।

मुख्य बिंदु:

- समझौते के अनुसार, पाकिस्तान एक वर्ष की अवधि में प्रतिदिन लगभग 5,000 लोगों को प्रवेश की अनुमति देगा।
- भारत की ओर से यह आग्रह किया गया है कि इस समझौते के तहत किसी विशेष अवसर और त्योहार पर कम-से-कम 10,000 और लोगों को प्रवेश की अनुमति दी जाए।
- इसी के साथ भारत ने पाकिस्तान से इस ऐतिहासिक पहल का दुरुपयोग करने वाले खालिस्तान समर्थकों को रोकने के लिये भी कहा है।
- भारत ने इस संदर्भ में अपनी तैयारियों का जायज़ा देते हुए कहा कि भारतीय पक्ष की आधारभूत संरचना एक दिन में देश विदेश के तक़रीबन 15,000 तीर्थयात्रियों को संभालने में सक्षम है।
- इसके अतिरिक्त भारत ने पाकिस्तान से निम्नलिखित आग्रह किये हैं:
  - धर्म के लिहाज से तीर्थयात्रियों पर कोई प्रतिबंध न लगाया जाए।
  - तीर्थयात्रियों के पास अकेले या समूह में जाने का विकल्प होना चाहिये।
  - तीर्थयात्रियों के लिये लंगर एवं प्रसाद के निर्माण एवं वितरण की व्यवस्था होनी चाहिये।

चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत-अमेरिका समझौता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जीवन के लिये अति महत्त्वपूर्ण औषधियों और 3D बायोप्रिंटिंग, नई प्रौद्योगिकियों, वैज्ञानिक विचारों/सूचनाओं एवं प्रौद्योगिकियों के आदान-प्रदान तथा वैज्ञानिक अवसंरचना के संयुक्त उपयोग के क्षेत्रों में भारत-अमेरीका के बीच अंतर-संस्थागत समझौते को मंज़ूरी दे दी है।

लाभ

- इस समझौते के अंतर्गत वैज्ञानिकों एवं प्रौद्योगिकीविदों को संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सम्मेलनों, सेमिनारों आदि में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही वैज्ञानिक योग्यता तथा उत्कृष्टता के आधार पर उन्हें आवश्यक सहयोग भी उपलब्ध कराया जाएगा।
- जीवन के लिये अति महत्त्वपूर्ण औषधियों और 3D बायोप्रिंटिंग के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास में नई बौद्धिक संपदा, कार्यविधि, प्रोटोटाइप अथवा उत्पादों को विकसित किया जा सकेगा।
- इस समझौते के अंतर्गत किये गये सामान्य शैक्षणिक आदान-प्रदान से कुछ विशेष परियोजनाओं का विस्तार होगा, जिनमें से प्रत्येक के शैक्षणिक, क्लीनिकल और व्यावसायिक प्रभाव भी हो सकते है।

प्रमुख विशेषताएँ

- इस समझौते का उद्देश्य शैक्षणिक सहयोग के ज़रिये दोनों संस्थानों के अनुसंधान और शिक्षा के विस्तार में योगदान करना है।
- साझा हित के सामान्य क्षेत्र जहाँ सहयोग और ज्ञान का आदान-प्रदान किया जा सकता है, उनमें शामिल हैं:
  - प्रशिक्षण, अध्ययन एवं अनुसंधान खासतौर से 3D बायोप्रिंटिंग के क्षेत्रों के लिये विभाग/निकाय के सदस्यों और छात्रों का आदान-प्रदान।
  - संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं का निष्पादन।
  - सूचना एवं शैक्षणिक प्रकाशनों का आदान-प्रदान।

दोनों देशों के बीच मज़बूत एवं दीर्घकालिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आपसी लाभ को महत्त्व दिया जाना चाहिये। इसी संदर्भ में दिसंबर 2018 में भारत सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान श्री चित्र तिरूनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी, तिरूवनंतपुरम और अमेरिका स्थित उत्तरी कैरोलिना के इंस्टीट्यूट फॉर रिजनरेटिव मेडिसिन की ओर से वेक फोरेस्ट यूनिवर्सिटी हैल्थ साइंसेस (Wake Forest University Health Sciences on behalf of its Institute for Regenerative Medicine-WFIRM) के बीच शैक्षणिक सहयोग हेतु एक समझौता किया गया।

कुलभूषण जाधव मामले पर ICJ का फैसला

चर्चा में क्यों?

17 जुलाई, 2019 को हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में मिली मौत की सज़ा पर रोक लगाते हुए पाकिस्तान को एक बार फिर से इस फैसले पर विचार करने को कहा है।

प्रमुख बिंदु

- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इस मामले की सुनवाई करने वाले कुल 16 न्यायाधीशों में एक भारतीय और एक पाकिस्तानी न्यायाधीश भी शामिल थे। उल्लेखनीय है कि 16 में से 15 न्यायाधीशों ने भारत के पक्ष में फैसला दिया जबकि केवल एक न्यायाधीश (पाकिस्तान से) द्वारा इसका विरोध किया गया।
- मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने भी माना कि कुलभूषण जाधव को इतने दिनों तक कानूनी सहायता उपलब्ध नहीं कराना वियना संधि के अनुच्छेद 36 (1B) का उल्लंघन है।
- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत का पक्ष अधिवक्ता हरीश साल्वे ने जबकि पाकिस्तान का पक्ष खावर कुरैशी ने रखा।
- न्यायालय का आदेश
- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान को यह आदेश जारी किया है कि वह जाधव को कांसुलर एक्सेस (भारतीय राजनयिकों से मिलने की इज़ाजत) दे।
- न्यायालय ने पाकिस्तान को यह आदेश भी दिया है कि वह जाधव को दी गई सज़ा की समीक्षा करे।
- कितना बाध्यकारी है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का फैसला?

- संयुक्त राष्ट्र चार्टर (United Nations Charter) के अनुच्छेद 94 के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश न्यायालय के उस फैसले को स्वीकार करेंगे जिसमें वह स्वयं पक्षकार (Party) हैं। ऐसी स्थिति में न्यायालय का फैसला अंतिम होगा और इस पर कोई अपील नहीं की जा सकेगी। लेकिन अगर निर्णय की किसी पंक्ति या शब्द के अर्थ को लेकर किसी प्रकार की आशंका हो या उसके एक से अधिक अर्थ संभव हों तो संबंधित पक्ष द्वारा न्यायालय के समक्ष उसकी पुन: व्याख्या की अपील की जा सकती है।
- मामले से संबंधित देशों/देश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा दिये गए फैसले को लागू करने के लिये बाध्य हैं लेकिन ऐसे भी मामले देखे गए हैं जब देशों ने न्यायालय के फैसले कू मानने से इनकार किया है। उदाहरण के लिये वर्ष 1991 में निकारागुआ ने अमेरिका के खिलाफ ICJ में शिकायत की थी कि अमेरिका ने एक विद्रोही संगठन की मदद कर उसके खिलाफ छद्म युद्ध छेड़ दिया है। हालाँकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायलय ने इस मामले पर निकारागुआ के पक्ष में फैसला दिया था लेकिन अमेरिका ने वीटो पॉवर का इस्तेमाल करते हुए इसके फैसले को मानने से इनकार कर दिया था।
- ICJ के पास अपने फैसलों को लागू करने के लिये कोई प्रत्यक्ष शक्ति नहीं है ऐसे में इसके फैसले को मानने के संबंध में आशंका और भी बढ़ जाती है।

पाकिस्तान द्वारा ICJ का फैसला न मानने पर भारत के लिये विकल्प

- यदि पकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के इस फैसले को लागू करने के मामले में अनिच्छा व्यक्त करता है या फैसले को मानने से इनकार करता है तो ऐसी स्थिति में भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council-UNSC) से अपील कर सकता है कि वह पकिस्तान से इस फैसले को लागू करने को कहे।
- लेकिन चीन UNSC का स्थायी सदस्य है और भारत तथा चीन के बीच संबंधों एवं पाकिस्तान के साथ चीन की निकटता को देखते हुए ऐसा संभव है कि चीन पाकिस्तान द्वारा इस फैसले को मानने के संदर्भ में अपनी वीटो पॉवर का प्रयोग करे जैसा कि अमेरिका द्वारा निकारागुआ मामले में किया गया था।

जाधव मामले में फैसला देने वाले न्यायाधीश	
न्यायाधीश का नाम	**देश**
पीटर टॉमका	स्लोवाकिया
अब्दुलकवी अहमद यूसुफ (ICJ अध्यक्ष)	सोमालिया
शू हानकिन, (ICJ उपाध्यक्ष)	चीन
रॉनी अब्राहम	फ्राँस
दलवीर भंडारी	भारत
एंटोनियो ऑगस्टो ट्रिनडाडे	ब्राज़ील
जेम्ल रिचर्ड क्रॉफोर्ड	ऑस्ट्रेलिया
मोहम्मद बेनौना	मोरक्को
जोआन ई. डोनोह्यू	अमेरिका
जॉर्जिओ गजा	इटली
पैट्रिक लिप्टन रॉबिंसन	जमैका
जूलिया सेबुटिंडे	युगांडा
किरिल गेवोर्जिअन	रूसी संघ
तस्सदुक हुसैन गिलानी (एड-हॉक न्यायाधीश)	पाकिस्तान
नवाज़ सलाम	लेबनॉन
यूजी इवसावा	जापान

पृष्ठभूमि

- कुलभूषण जाधव महाराष्ट्र के सांगली के निवासी हैं। 3 मार्च, 2016 को पाकिस्तान ने इस बात का खुलासा किया कि उसने भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी को जासूसी के मामले में पाकिस्तान के बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया है। इसके बाद भारत ने यह तो स्वीकार किया कि कुलभूषण भारतीय नागरिक हैं लेकिन उनके जासूस होने की बात से इनकार किया। भारत सरकार के अनुसार, कुलभूषण ईरान से कानूनी तरीके से अपना कारोबार चला रहे थे और भारत द्वारा उनके अपहरण की आशंका जताई गई।
- 25 मार्च, 2016 को पकिस्तान ने भारतीय प्रशासन को प्रेस रिलीज़ के ज़रिये जाधव की गिरफ़्तारी के बारे में सूचित किया। पाकिस्तान ने एक वीडियो जारी किया जिसमें कुलभूषण को यह कहते हुए दिखाया गया कि वो वर्ष 1991 में भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे और वर्ष 2013 से रॉ के लिये काम कर रहे हैं।
- 30 मार्च, 2016 को भारतीय विदेश मंत्रालय का जवाब आया कि कुलभूषण जाधव को प्रताड़ित किया जा रहा है। 26 अप्रैल 2017 को पाकिस्तान ने जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस का भारत का निवेदन 16वीं बार खारिज कर दिया।
- 10 अप्रैल, 2017 को पाकिस्तानी सेना के जनसंपर्क विभाग (ISPR) ने एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिये सूचित किया कि जाधव को एक सैन्य अदालत ने मौत की सज़ा सुनाई है।
- कॉन्सुलर एक्सेस के 16 बार निवेदन ठुकराए जाने के बाद 8 मई, 2017 को भारत ने संयुक्त राष्ट्र में याचिका दाखिल की। भारत ने इसे विएना संधि का उल्लंघन बताया।
- 9 मई, 2017 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने जाधव की मौत की सज़ा पर सुनवाई पूरी होने तक रोक लगा दी। 17 जुलाई, 2018 को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अपना जवाब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को सौंपा। 17 अप्रैल, 2018 को ही भारत ने भी दूसरे दौर का जवाब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को सौंपा।

वियना संधि (Vienna Convention)

- स्वतंत्र और संप्रभु देशों के बीच आपसी राजनयिक संबंधों के विषय पर सर्वप्रथम वर्ष 1961 में वियना अभिसमय/कन्वेंशन हुआ। इस अभिसमय में एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संधि का प्रावधान किया गया जिसमें राजनियकों को विशेष अधिकार दिये जा सकें। इसी के आधार पर राजनियकों की सुरक्षा के लिये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का प्रावधान किया गया।
- इस संधि के तहत कोई भी मेज़बान देश अपने यहाँ रहने वाले दूसरे देशों के राजनयिकों को खास दर्जा देता है। इस संधि का ड्राफ्ट इंटरनेशनल लॉ कमीशन (International Law Commission) द्वारा तैयार किया गया था और वर्ष 1964 में यह संधि लागू हुई।
- फरवरी 2017 तक इस संधि पर विश्व के कुल 191 देश हस्ताक्षर कर चुके हैं।
- इस संधि में कुल 54 अनुच्छेद हैं।
- इस संधि में किये गए प्रमुख प्रावधानों के अनुसार कोई भी देश दूसरे देश के राजनयिकों को किसी भी कानूनी मामले में गिरफ्तार नहीं कर सकता है। साथ ही राजनयिक के ऊपर मेज़बान देश में किसी तरह का कस्टम टैक्स भी नहीं लगाया जा सकता है।
- वर्ष 1963 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस संधि के समान ही एक और संधि का प्रावधान किया जिसे 'वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस' (Vienna Convention on Consular Relations) के नाम से जाना जाता है।
- इस संधि के अनुच्छेद 31 के तहत मेज़बान देश किसी दूतावास में नहीं घुस सकता है तथा उसे दूतावास की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी भी उठानी होती है।
- संधि के अनुच्छेद 36 के तहत अगर किसी विदेशी नागरिक को कोई देश अपनी सीमा के भीतर गिरफ्तार करता है तो संबंधित देश के दूतावास को बिना किसी देरी के तुरंत इसकी सूचना देनी होगी।
- गिरफ्तार किये गए विदेशी नागरिक के आग्रह पर पुलिस को भी संबंधित दूतावास या राजनयिक को फैक्स करके इसकी सूचना देनी होगी।
- इस फैक्स में पुलिस को गिरफ्तार व्यक्ति का नाम, गिरफ्तारी की जगह और गिरफ्तारी की वजह भी बतानी होगी। यानी गिरफ्तार विदेशी नागरिक को राजनयिक पहुँच देनी होगी।
- भारत ने वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद 36 के प्रावधानों का हवाला देते हुए जाधव का मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उठाया था।

पकिस्तान द्वारा जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस न देने के पीछे तर्क

- उपर्युक्त प्रावधानों के अलावा वियना संधि में एक प्रावधान यह भी है कि जासूसी या आतंकवाद आदि जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में गिरफ्तार किये गए विदेशी नागरिक को राजनयिक पहुँच नहीं भी दी जा सकती है। विशेष रूप से उस स्थिति में जब दो देशों ने इस मामले पर आपस में कोई समझौता किया हो।
- भारत और पाकिस्तान ने वर्ष 2008 में इसी तरह का एक समझौता किया था और पाकिस्तान जाधव मामले में बार-बार इसका हवाला दे रहा है। इसी समझौते हवाला देते हुए पाकिस्तान ने जाधव को राजनयिक पहुँच देने से इनकार किया था

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय

- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग है।
- इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा 1945 में की गई थी और अप्रैल 1946 में इसने कार्य करना प्रारंभ किया था।
- इसका मुख्यालय (पीस पैलेस) हेग (नीदरलैंड) में स्थित है।
- इसके प्रशासनिक व्यय का भार संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वहन किया जाता है।
- इसकी आधिकारिक भाषाएँ अंग्रेज़ी और फ्रेंच हैं।
- ICJ में 15 जज होते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद् द्वारा नौ वर्षों के लिये चुने जाते हैं। इसकी गणपूर्ति संख्या (कोरम) 9 है।
- ICJ में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति पाने के लिये प्रत्याशी को महासभा और सुरक्षा परिषद् दोनों में ही बहुमत प्राप्त करना होता है।
- इन न्यायाधीशों की नियुक्ति उनकी राष्ट्रीयता के आधार पर न होकर उच्च नैतिक चरित्र, योग्यता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर उनकी समझ के आधार पर होती है।
- एक ही देश से दो न्यायाधीश नहीं चुने जा सकते हैं।
- ICJ में प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश डा.नगेन्द्र सिंह थे।
- संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार इसके सभी 193 सदस्य देश इस न्यायालय से न्याय पाने का अधिकार रखते हैं। हालाँकि जो देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं है वे भी यहाँ न्याय पाने के लिये अपील कर सकते हैं।
- न्यायालय द्वारा सभापति तथा उप-सभापति का निर्वाचन और रजिस्ट्रार की नियुक्ति होती है।
- मामलों पर निर्णय न्यायाधीशों के बहुमत से होता है। सभापति को निर्णायक मत देने का अधिकार है। न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है तथा इस पर पुन: अपील नहीं की जा सकती है, परंतु कुछ मामलों में पुनर्विचार किया जा सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से जुड़ा पलाउ

चर्चा में क्यों?

पलाउ (Palau) ने सतत् विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देने के भारतीय प्रयासों की सराहना करते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance-ISA) फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।

प्रमुख बिंदु:

- पलाउ, ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 76वाँ देश बन गया है।
- इस दौरान पलाउ के राष्ट्रपति टॉमी रेमेंग्साऊ (Tommy Remengesau) ने सतत् विकास की दिशा में भारतीय प्रयासों की सराहना की और ISA को सतत् ऊर्जा के लिये शुरू की गई एक महत्त्वपूर्ण पहल के रूप में परिभाषित किया।
- गौरतलब है कि पलाउ वर्ष 2020 में आयोजित होने वाले 'Our Oceans' सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस सम्मेलन के प्रमुख उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, सतत् मत्स्य पालन और समुद्री प्रदूषण जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना है।

पलाउ

- पलाउ को आधिकारिक रूप से पलाउ गणराज्य के नाम से जाना जाता है।
- 47 वर्षों तक अमेरिका द्वारा प्रशासित पलाउ को वर्ष 1994 में स्वतंत्र प्राप्त हुई थी।
- पलाउ की राजधानी का नाम ञुरूलमुड है।
- पलाउ के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ रहे समुद्री जल स्तर से वह पूरा डूब सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन:

- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा से संपन्न देशों का एक संधि आधारित अंतर-सरकारी संगठन (Treaty-Based International Intergovernmental Organization) है।
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत भारत और फ्राँस ने 30 नवंबर, 2015 को पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान की थी।
- इसका मुख्यालय गुरुग्राम (हरियाणा) में है।
- ISA के प्रमुख उद्देश्यों में 1000 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता की वैश्विक तैनाती और 2030 तक सौर ऊर्जा में निवेश के लिये लगभग $1000 बिलियन की राशि को जुटाना शामिल है।
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था।

RCEP तथा भारत-चीन व्यापार मुद्दा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (Regional Comprehensive Economic Partnership-RCEP) संधि के तहत चीन ने अपने बाज़ार को और अधिक उदार बनाने की बात कही है, लेकिन चीन के इस तरह के निर्णय से भारत के समक्ष और अधिक चुनौतियाँ उत्पन्न हो गई है।

प्रमुख बिंदु

- चीन एवं भारत के बीच विभिन्न वार्ताओं के दौरान व्यापार के लिये बहुत सी वस्तुओं पर टैरिफ समाप्त किये गए हैं। हाल ही में चीन ने और अधिक वस्तुओं पर टैरिफ समाप्त करने का प्रस्ताव दिया है।
- चीन और भारत दोनों ही RCEP के सदस्य देश हैं, लेकिन भारत को RCEP के तहत टैरिफ समाप्त करने से लाभ की संभावना कम है क्योंकि पहले से ही चीन का भारत से व्यापार आधिक्य (Trade Surplus) है।
- RCEP के बहुत से भागीदार देश, जिसमें 10 सदस्य देशों वाला आसियान (ASEAN), जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड भी शामिल हैं, चीन के इस प्रस्ताव पर भारत को अतिशीघ्र निर्णय लेने के लिये दबाव बना रहे हैं।
- RCEP सदस्य देशों द्वारा इस वर्ष के अंत तक RCEP समझौता किया जा सकता है, जिसके लिये 3 सदस्यीय टीम बनाई गई है।
- यह समझौता लागू होने के बाद RCEP दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार क्षेत्र बन सकता है क्योंकि इसके अंतर्गत सदस्य देशों के रूप में इसकी हिस्सेदारी वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 25 प्रतिशत, वैश्विक व्यापार में 30 प्रतिशत, वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 26 प्रतिशत तथा कुल वैश्विक जनसंख्या का 45 प्रतिशत है।

भारत- चीन व्यापार भागीगारी

- पिछले वित्त वर्ष में चीन ने भारत को 70 बिलियन डॉलर का निर्यात किया, जबकि भारत द्वारा चीन को किया जाने वाला निर्यात 16 बिलियन डॉलर का था।
- भारत इस बात से आशंकित है कि टैरिफ उदारीकरण के बाद दोनों देशों के निर्यात में तो वृद्धि होगी, लेकिन चीन की वृद्धि भारत की तुलना में अनुपातिक रूप से बहुत अधिक होगी जिससे भारत का व्यापार घाटा बहुत बढ़ जाएगा।

भारत के समक्ष चुनौतियाँ

- वर्तमान में भारतीय उद्योग चीनी बाज़ार में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के बजाय अपने घरेलू बाज़ार से चीनी सामानों को कम करने पर अधिक केंद्रित हैं।
- भारतीय उद्योग, विशेषकर इस्पात, कपड़ा, ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग क्षेत्रों ने सरकार से पहले से ही चीन से व्यापार संबंधों को कम करने का अनुरोध किया है।
- उद्योग प्रतिनिधियों ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के साथ हाल ही में हुई बैठक में चीन से आयातित 42 प्रतिशत वस्तुओं पर करों को समाप्त करने के प्रस्ताव पर बने रहने का सुझाव दिया है।

क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (Regional Comprehensive Economic Partnership- RCEP)

क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी एक प्रस्तावित मेगा मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement-FTA) है, जो आसियान के दस सदस्य देशों तथा छह अन्य देशों (ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूज़ीलैंड) के बीच किया जाना है।

- ज्ञातव्य है कि इन देशों का पहले से ही आसियान से मुक्त व्यापार समझौता है।
- वस्तुत: RCEP वार्ता की औपचारिक शुरुआत वर्ष 2012 में कंबोडिया में आयोजित 21वें आसियान शिखर सम्मेलन में हुई थी।
- RCEP को ट्रांस पेसिफिक पार्टनरशिप (Trans Pacific Partnership- TPP) के एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।
- RCEP के सदस्य देशों की कुल जीडीपी लगभग 21.3 ट्रिलियन डॉलर और जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 45 प्रतिशत है।
- सदस्य देश: ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्याँमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। इनके अलावा ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूज़ीलैंड सहभागी (Partner) देश हैं।

अमरावती परियोजना

चर्चा में क्यों?

विश्व बैंक ने आंध्रप्रदेश की राजधानी अमरावती की अवसंरचना एवं संस्थागत सतत् विकास परियोजना के वित्तपोषण (Funding) से इंकार कर दिया है, हालाँकि इससे परियोजना के निर्माण कार्य पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा।

प्रमुख बिंदु:

- गौरतलब है कि इससे पूर्व विश्व बैंक इस परियोजना के लिये आंध्रप्रदेश सरकार को 300 मिलियन डॉलर का ऋण देने पर विचार कर रहा था।
- विश्व बैंक के अनुसार, निरीक्षण में पाया गया कि आंध्रप्रदेश के पूर्व सत्ताधारी दल ने इस परियोजना से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने वाले लोगों के हितों की रक्षा करने के लिये जो आश्वासन दिये थे, उन्हें पूरा नहीं किया गया है।
- राज्य की नई सत्ताधारी पार्टी अभी भी इस परियोजना के निर्माण कार्य को आगे बढ़ा सकती है, क्योंकि केंद्र ने भी अमरावती की परियोजना के लिये कई बार धन आवंटित किया है।
- उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार, बीते पाँच वर्षों में केंद्र ने इस परियोजना के लिये कुल 1500 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है।
- हालाँकि अभी यह विकल्प भी मौजूद है कि आंध्रप्रदेश सरकार सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करके विश्व बैंक के पास ऋण के लिये पुन: आवेदन कर सकती है।
- राज्य सरकार ने एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (Asian Infrastructure Investment Bank-AIIB) से भी 200 मिलियन डॉलर की मांग की थी, परंतु AIIB ने इस संदर्भ में अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।

अवसंरचना एवं संस्थागत सतत् विकास परियोजना:

- आंध्रप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य में कृष्णा नदी के दक्षिणी तट पर 217 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में विश्व स्तरीय राजधानी बनाने का निर्णय लिया था। इसके लिये सरकार ने लैंड पूलिंग परियोजना के तहत किसानों से 34,000 एकड़ उपजाऊ भूमि खरीदी थी।

- राजधानी शहर में एक अंतरिम सचिवालय, विधायी परिसर, अंतरिम उच्च न्यायालय भवन और 280 किलोमीटर की छह लेन की सड़कों का निर्माण पहले ही किया जा चुका है।
- पिछली सरकार का यह अनुमान था कि 10 वर्षों में इस परियोजना को पूरा करने के लिये 48,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी।

विश्व बैंक World Bank

- विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र की ऋण प्रदान करने वाली एक विशिष्ट संस्था है, इसका उद्देश्य सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं को एक वृहद वैश्विक अर्थव्यवस्था में शामिल करना तथा विकासशील देशों में गरीबी उन्मूलन के प्रयास करना है।
- यह नीति सुधार कार्यक्रमों एवं संबंधित परियोजनाओं के लिये ऋण प्रदान करता है। विश्व बैंक की सबसे विशेष बात यह है कि यह केवल विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता है।
- इसका प्रमुख उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
- इसके अंतर्गत विश्व को आर्थिक तरक्की के मार्ग पर लाने, विश्व में गरीबी को कम करने, अंतर्राष्ट्रीय निवेश को बढ़ावा देने, जैसे पक्षों पर बल दिया गया है।
- विश्व बैंक समूह का मुख्यालय वाशिंगटन डी सी (अमेरिका) में स्थित है।

अमेरिका का EB-5 वीज़ा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अमेरिका ने अपने EB-5 वीज़ा शुल्क में भारी बढ़ोतरी की है। यह शुल्क वृद्धि लक्षित रोज़गार क्षेत्र (Targeted Employment Areas-TEA) में न्यूनतम निवेश राशि में 80% की वृद्धि के कारण हुई।

प्रमुख बिंदु:

- अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (US Citizenship and Immigration Services-USCIS) की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार अमेरिका में लक्षित रोज़गार क्षेत्र में निवेश राशि को पाँच लाख डॉलर (3.5 करोड़ रुपए) से बढ़ाकर 9 लाख डॉलर (6.2 करोड़ रुपए) कर दिया गया है।
- मानक निवेश (शहरी क्षेत्रों के लिये) में यह वृद्धि 1,00,000 डॉलर (6.8 करोड़ रुपए) से बढ़कर 1,800,000 डॉलर (12 करोड़ रुपए से अधिक) हो गई है।
- वर्ष 1990 में इस वीज़ा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी।
- यह शुल्क वृद्धि इसी वर्ष 21 नवंबर से लागू होगी।
- EB-5 वीज़ा कार्यक्रम आप्रवासियों को ग्रीन कार्ड धारक बनाने व अमेरिका की स्थायी नागरिकता प्राप्त करने का तीव्र वैधानिक माध्यम है।

EB-5 के माध्यम से प्राप्त निवेश की निगरानी और विनियमन अमेरिका के आव्रजन सेवा और प्रतिभूति विनिमय आयोग (U.S. Immigration Services and Securities Exchange Commission) द्वारा किया जाता है।

भारत पर इसका प्रभाव:

- H1-B वीज़ा नियमो को कठोर किये जाने के बाद् EB-5 वीज़ा शुल्क में हुई वृद्धि का परिणाम अमेरिका के लिये किये जाने वाले वीज़ा आवेदनों में कमी के रूप में देखने को मिलेगा। प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में भारतीय नागरिकों द्वारा अमेरिकी वीज़ा के लिये आवेदन किया जाता है। इससे भारतीयों के लिये अमेरिका में उच्च शिक्षा व रोज़गार के अवसरों में भी कमी आएगी।

Targeted Employment Areas-TEA क्या है ?

TEA अमेरिका का वह क्षेत्र है जहाँ EB-5 वीज़ा आवेदनकर्त्ता को एक निश्चित धनराशि का निवेश करना होता है। TEA क्षेत्र की औसत बेरोज़गारी दर राष्ट्रीय बेरोज़गारी दर का कम-से-कम 150% होनी चाहिये।

रीम (चीन-कंबोडिया संधि)

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में चीन-कंबोडिया के मध्य एक नौसैनिक समझौता हुआ, जिसमें चीन को कंबोडिया के रीम नौसैनिक अड्डे (Ream Naval Base) का इस्तेमाल करने का अधिकार प्राप्त हो गया है। हालाँकि दोनों देशों ने इस समझौते को सार्वजनिक नहीं किया है।

प्रमुख बिंदु

- चीन इस नौसैनिक अड्डे का प्रयोग 30 वर्षों के लिये कर सकेगा और इसके बाद प्रत्येक 10 वर्षों के लिए इस समझौते का स्वत: ही नवीकरण हो जाएगा।
- समझौते के प्रारूप के अनुसार चीन इस नौसैनिक अड्डे का प्रयोग अपने नौसैनिको की तैनाती, हथियारों का भण्डारण और नौसैनिक जहाजों का लंगर डालने के लिये करेगा।
- इस समझौते से चीन की सैन्य पहुँच थाईलैंड की खाड़ी तक हो जाएगी। इससे चीन को नौसैनिक व हवाई अड्डों के एक साथ इस्तेमाल की सुविधा मिल जाएगी तथा दक्षिण चीन सागर में इसके आर्थिक हितों व क्षेत्रीय दावों को मज़बूती मिलेगी।
- साथ ही अमेरिका व उसके सहयोगियों के लिये भी यह एक चुनौती होगी तथा रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण मल्लका जलडमरूमध्य क्षेत्र में भी चीन के प्रभाव में वृद्धि होगी।
- यह दक्षिण-पूर्व एशिया में चीन का पहला समर्पित नौसैनिक अड्डा होगा और वैश्विक नेटवर्क की दृष्टि से यह चीन का दूसरा प्रमुख अड्डा होगा जिसका उपयोग सैन्य व असैन्य उद्देश्यों के लिये किया जा सकेगा है।
- इस समझौते में चीन के लोगों को हथियार और कंबोडियन पासपोर्ट ले जाने की सुविधा होगी, जबकि कंबोडियाई लोगों को रीम के 62 एकड़ चीनी भाग में प्रवेश करने के लिये चीन की अनुमति लेनी होगी।
- अमेरिका और उसके सहयोगियों की चिंता का एक अन्य कारण रीम से मात्र 40 मील की दुरी पर चीन की कंपनी द्वारा दारा सकोर (Dara Sakor) हवाई अड्डे का निर्माण किया जाना है जो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है और चीनी कंपनी ने इसे 99 साल की लीज़ पर लिया है। इस हवाईअड्डे का इस्तेमाल चीनी युद्धक विमान थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर तथा आसपास के क्षेत्र पर हमले के लिये कर सकते हैं।

कम्बोडिया में चीन के सैन्य अड्डे के रणनीतिक प्रभाव

- कम्बोडिया में चीन के सैन्य अड्डे की मौजूदगी इस क्षेत्र के और विशेष रूप से हिंद-प्रशांत क्षेत्र के शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकती है।
- चीन दक्षिण-पूर्व एशिया में वार्ताओं तथा युद्ध अभ्यासों द्वारा अपने क्षेत्रीय सुरक्षा ढाँचे को निरंतर मज़बूत कर रहा है जो इस क्षेत्र की स्थिरता के लिये चिंता का कारण बन सकता है।
- इस समझौते से दक्षिण-पूर्व एशिया की मुख्य भूमि (Main Land) पर भी तनाव व संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है क्योंकि थाईलैंड और वियतनाम, जो कि इस भू-भाग के प्रमुख देश हैं, इस क्षेत्र में चीन की मौजूदगी को लेकर चिंतित हैं। वियतनाम पूर्व में भी मेकोंग उपक्षेत्र में चीन के विकास कार्यों के प्रति चिंता जाहिर कर चुका है।
- वर्ष 2017 में चीन ने अपना पहला सैन्य अड्डा पूर्वी अफ्रीकी देश जिबूती में बनाया था, जो उसे हिंद महासागर और अफ्रीका में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की सुविधा प्रदान करता है। इसके साथ ही चीन ने दक्षिण चीन सागर में सात कृत्रिम द्वीपों का निर्माण किया है, जिनमें से तीन में हवाई पट्टियाँ भी बनाई गई हैं।

विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी

मानव एटलस पहल

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मानव शरीर के सभी ऊतकों की आणविक संरचनाओं का एक एकीकृत डेटाबेस बनाने और मानव शरीर की क्रियाविधि का एक समग्र रूप से खाका खींचने हेतु एक नई पहल 'मानव एटलस' शुरू की गई है।

प्रमुख बिंदु

- 'मानव' नामक परियोजना को जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी कंपनी पर्सिसटेंट सिस्टम (Persistent Systems) द्वारा शुरू किया गया है।
- इस वृहद परियोजना के अंतर्गत मानव ऊतकों और अंगों की आणविक जानकारियाँ अर्जित तथा एकीकृत की जाएगी जो वर्तमान में विभिन्न शोध-पत्रों में अव्यवस्थित रूप से लिखित हैं।
- यह डेटाबेस शोधकर्त्ताओं को मौजूदा कमियों को सुधारने और भविष्य में रोगों की पहचान एवं उसके निदान से जुडी परियोजनाओं में मदद करेगा।
- इस परियोजना का विचार स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की सफलता से आया। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन एक राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिता है, जिसमें बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों ने भाग लिया तथा इन विद्यार्थियों को समस्याओं का समाधान खोजने हेतु प्रोत्साहित किया गया।
- उसी तरह से 'मानव' (MANAV) जीव विज्ञान के छात्रों को जीव विज्ञान से जुड़ा साहित्य पढ़ने में,अपने कौशल को निखारने और जैविक प्रणाली के बारे में अपनी समझ को उन्नत करने में सहायता करेगी।
- इस सार्वजनिक-निजी उपक्रम में DBT और Persistent Systems क्रमश: 13 करोड़ एवं 7 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे।
- इस परियोजना को भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (Indian Institute of Science Education and Research- IISER) और पुणे स्थित नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंसेज (National Center for Cell Sciences-NCCS) द्वारा निष्पादित किया जाएगा।
- गौरतलब है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित स्वायत्त संस्थान है। NCCS भी एक स्वायत्त संगठन है, जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सहायता प्राप्त है।
- इस परियोजना के अंतर्गत संस्थान छात्रों को प्रशिक्षित करेंगे तथा डेटा प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी मंच निजी भागीदार द्वारा प्रदान किया जाएगा।
- इस परियोजना में DBT के सर्वश्रेष्ठ कॉलेजों और जैव प्रौद्योगिकी सूचना नेटवर्क प्रणाली (Biotechnology Information network system- BTIS) के छात्र और संकाय भी शामिल होंगे।
- इस परियोजना की टीम अन्य एजेंसियों जैसे कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (All India Council of Technical Education- AICTE), वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (Council of Scientific and Industrial Research- CSIR), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission- UGC) और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (Indian Council of Medical Research-ICMR) के साथ सहयोग हेतु बातचीत कर रही है।
- वर्ष 2016 में भी इसी तरह का एक मानव सेल एटलस प्रोजेक्ट (Human Cell Atlas project) वैज्ञानिकों के बीच एक सहयोगी प्रयास के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया गया था।
- इस परियोजना में सिंगल सेल जीनोमिक्स (Single Cell Genomics) जैसी तकनीकों के माध्यम से अपने सामान्य और रोग के दौरान शरीर में विभिन्न प्रकार की कोशिकीय और आणविक गतिविधियों से संबंधित डेटाबेस का निर्माण किया जाएगा।
- भारतीय परियोजना कोशिकाओं संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिये पहले से ही उपलब्ध ज्ञान के आधार पर निर्भर करती है।
- इस परियोजना के दौरान विकसित डेटा पद्धति और तकनीकी प्लेटफॉर्म को अन्य विज्ञान संबंधी परियोजनाओं जैसे-जैवविविधता, पारिस्थितिकी, पर्यावरण आदि में भी प्रयोग किया जा सकता है।

रुसी रक्षा प्रणाली (S-400)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने रूसी मिसाइल रक्षा प्रणाली [Russian missile defense system (S-400)] की पहली खेप तुर्की पहुँचने पर अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाने की आशंका जताई है।

प्रमुख बिंदु

- संयुक्त राज्य अमेरिका ने तुर्की को चेतावनी दी है कि अगर वह रूसी मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदता है तो उसे आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही तुर्की उच्च तकनीकियों से युक्त F-35 फाइटर जेट (F-35 fighter Jets) के उत्पादन संबंधी कार्यक्रमों में भी भाग नहीं ले पाएगा।
- तुर्की ने प्रतिक्रियास्वरुप अमेरिकी दबाव के सामने झुकने से इनकार करते हुए कहा है कि इस प्रणाली की खरीद राष्ट्र की संप्रभुता के हित में है तथा संप्रभुता से किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं किया जा सकता है।

S-400 रक्षा सैन्य प्रणाली

- रूस की अल्माज़ केंद्रीय डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा 1990 के दशक में विकसित यह वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली करीब 400 किलोमीटर के क्षेत्र में शत्रु के विमान, मिसाइल और यहाँ तक कि ड्रोन को नष्ट करने में सक्षम है।
- एस-400 प्रणाली एस-300 का उन्नत संस्करण है।
- यह मिसाइल प्रणाली रूस में 2007 से सेवा में है और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों में से एक मानी जाती है।
- S-400 को सतह से हवा में मार करने वाला दुनिया का सबसे सक्षम मिसाइल सिस्टम माना जाता है।
- सतह से हवा में प्रहार करने में सक्षम S-400 को रूस ने सीरिया में तैनात किया है।
- S-400 मिसाइल प्रणाली S-300 का उन्नत संस्करण है, जो इसके 400 किमी. की रेंज में आने वाली मिसाइलों एवं पाँचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को नष्ट कर सकता है। इसमें अमेरिका के सबसे उन्नत फाइटर जेट F-35 को भी गिराने की क्षमता है।
- इस प्रणाली में एक साथ तीन मिसाइलें दागी जा सकती हैं और इसके प्रत्येक चरण में 72 मिसाइलें शामिल हैं, जो 36 लक्ष्यों पर सटीकता से मार करने में सक्षम हैं।
- इस रक्षा प्रणाली से विमानों सहित क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों तथा ज़मीनी लक्ष्यों को भी निशाना बनाया जा सकता है।

भारत के संदर्भ में

- ध्यातव्य है कि अक्तूबर 2018 में भारत एवं रूस के मध्य रूसी मिसाइल रक्षा प्रणाली की खरीद हेतु 5 अरब डॉलर का समझौता हुआ था, जिस पर अमेरिका ने भारत पर भी CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act) के तहत प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है।

क्या है CAATSA?

- 2 अगस्त, 2017 को अधिनियमित और जनवरी 2018 से लागू इस कानून का उद्देश्य दंडनीय उपायों के माध्यम से ईरान, रूस और उत्तरी कोरिया की आक्रामकता का सामना करना है।
- यह अधिनियम प्राथमिक रूप से रूसी हितों, जैसे कि तेल और गैस उद्योग, रक्षा एवं सुरक्षा क्षेत्र तथा वित्तीय संस्थानों पर प्रतिबंधों से संबंधित है।
- यह अधिनियम अमेरिकी राष्ट्रपति को रूसी रक्षा और खुफिया क्षेत्रों (महत्त्वपूर्ण लेन-देन) से जुड़े व्यक्तियों पर अधिनियम में उल्लिखित 12 सूचीबद्ध प्रतिबंधों में से कम से कम पाँच लागू करने का अधिकार देता है।
- इन दो प्रतिबंधों में से एक निर्यात लाइसेंस प्रतिबंध है जिसके द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति को युद्ध, दोहरे उपयोग और परमाणु संबंधी वस्तुओं के मामले के निर्यात लाइसेंस निलंबित करने के लिए अधिकृत किया गया है।
- यह स्वीकृत व्यक्ति के इक्विटी या ऋण में अमेरिकी निवेश पर प्रतिबंध लगाता है।
- इसकी विशेषताएँ अमेरिका के थाड मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसी होंगी और इसे अंतर-महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के अलावा हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइलों और वायु रक्षा के लिये विमानों को अवरुद्ध तथा नष्ट करने के लिये डिज़ाइन किया गया है। माना जा रहा है कि यह रूसी मिसाइल रक्षा प्रणाली बेहद शक्तिशाली और मारक होगी तथा अमेरिका के अदृश्य लड़ाकू विमान F-22 और F-35 भी इसके सामने नाकाम सिद्ध होंगे।
- हालिया वर्षों में अमेरिका और भारत के सैन्य संबंधों में आए सुधार के मद्देनज़र अब अमेरिका के उस कानून के प्रावधानों से बचने के तरीके तलाशने की ज़रूरत है, जिसके तहत रूस के रक्षा अथवा खुफिया प्रतिष्ठानों से लेन-देन करने वाले देशों और कंपनियों को दंडित करने की बात कही गई है।

फसलों के लिये बायोकैप्सूल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केरल के कोझीकोड में स्थित भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान (Indian Institute of Spices Research-IISR) के शोधकर्त्ताओं ने किसानों के लिये एक बायोकैप्सूल (Biocapsules) विकसित किया है।

प्रमुख बिंदु

- इस बायोकैप्सूल में ऐसे बग (Bugs) उपस्थित हैं जो भविष्य में किसानों द्वारा खेत में बायोफर्टिलाइज़र (जैव उर्वरक) के रूप में इस्तेमाल किये जा सकते हैं।
- वर्तमान में इस तरह की कोई भी तकनीक (दुनिया भर में) व्यावसायिक रूप से उपलब्ध नहीं है।
- इस तकनीक का प्रयोग कर किसान भारी मात्रा में उपस्थित बायोफर्टिलाइज़र को सूक्ष्मजीवों के इस कैप्सूल से प्रतिस्थापित कर सकते हैं।
- कैप्सूल के माध्यम से जीवों को वितरित करने में आसानी होगी। साथ ही यह जीवों की जीवन सक्रियता को भी बढ़ाएगा। क्योंकि कैप्सूल में इन सूक्ष्मजीवों को निष्क्रिय अवस्था में बनाए रखा जाता है, इसलिये कमरे के तापमान में उनकी व्यवहार्यता खोने की कोई चिंता नहीं होती है।
- उल्लेखनीय है कि तरल-आधारित कई जैव-निरूपण (Bioformulations) सामान्य ताप पर अपनी निष्क्रियता खो देते है।
- सूक्ष्मजीवों के जैव-निरूपण पर सफलतम जाँच काफी हद तक सिर्फ प्रयोगशाला तक ही सीमित है, अभी तक ऐसा कोई भी वाणिज्यिक उत्पाद बाज़ार में उपलब्ध नहीं हैं। हालाँकि कई देशों में मालिकाना जैव-निरूपण तकनीक के पेटेंट के लिये आवेदन लंबित है।

जैव- उर्वरक Bio-fertilizer

- ये जीवित सूक्ष्मजीवों से समृद्ध होते है; बीज, मिट्टी या जीवित पौधों पर इनका छिडकाव किये जाने से मिट्टी के पोषक तत्त्वों में वृद्ध होती है।
- इसमें विभिन्न प्रकार के कवक, मूल बैक्टीरिया या अन्य सूक्ष्मजीव होते हैं जो मेजबान पौधों के साथ पारस्परिक रूप से लाभप्रद या सहजीवी संबंध बनाते हैं क्योंकि इनकी उत्पप्ति मिट्टी में होती हैं।

बायोकैप्सूल (Biocapsules) की विशेषता

- इस तकनीक से बने बायोकैप्सूल का वज़न सिर्फ एक ग्राम है, जबकि अन्य सूक्ष्मजीवों वाले पाउडर-आधारित बायोफर्टलाइज़र एक किलोग्राम तथा तरल आधारित बायोफर्टलाइज़र एक लीटर की बोतल के पैक में मौजूद होते हैं।
- इसका उपयोग किसी भी प्रकार के खेत के अनुकूल रोगाणुओं को पैक करने के लिये किया जा सकता है, जिसमें नाइट्रोजन-फिक्सिंग बैक्टीरिया, सोलूबोलिस फॉस्फेट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और कवक शामिल हैं जो रोगजनकों को नियंत्रित करने में मदद करते हैं।
- उल्लेखनीय है कि जैविक खेती के लिये पिछले कुछ वर्षों में बायोफर्टिलाइज़र और बायोस्टिमुलेंट लोकप्रिय हो गए हैं।
- लाभकारी रोगाणुओं के उपयोग से उर्वरक के उपयोग में 25 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है।
- कर्नाटक स्थित एक फर्म ने सूक्ष्मजीवों से युक्त बायोकैप्सूल विकसित किये हैं जिनका उपयोग विभिन्न बागवानी, सजावटी और मसालों की फसलों के लिये किया जा सकता है।

भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान Indian Institute of Spices Research- IISR

कोझीकोड (कालीकट) स्थित भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान (Indian Institute of Spices Research- IISR) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (Indian Council of Agricultural Research-ICAR) का एक निकाय है।

- यह मसालों पर शोध के लिये समर्पित एक प्रमुख संस्थान है।
- वर्ष 1976 में केंद्रीय बागान फसल अनुसंधान संस्थान (CPCRI) के एक क्षेत्रीय स्टेशन के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी।
- भारत में मसाला अनुसंधान के महत्त्व को देखते हुए इस अनुसंधान केंद्र को 1 जुलाई, 1995 को भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान में अपग्रेड किया गया।
- इस संस्थान की प्रयोगशाला और प्रशासनिक कार्यालय कोझीकोड ज़िला (केरल) में स्थित हैं।

पृष्ठभूमि

- मसालों पर निरंतर अनुसंधान की पहल के रूप में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) द्वारा वर्ष 1971 के दौरान केरल के कासरगोड स्थित केंद्रीय वृक्षारोपण फसल अनुसंधान संस्थान (Central Plantation Crops Research Institute- CPCRI) में अखिल भारतीय समन्वित मसालों एवं काजू सुधार परियोजना (All India Coordinated Spices and Cashew Improvement Project- AICSCIP) की शुरुआत की गई थी।
- वर्ष 1975 के दौरान केरल के कोझीकोड में ICAR द्वारा मसालों पर शोध करने के लिये CPCRI का एक क्षेत्रीय स्टेशन स्थापित किया गया।
- क्षेत्रीय स्टेशन को वर्ष 1986 में CPCRI के इलायची अनुसंधान केंद्र के साथ विलय करके राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र (NRCS) के रूप में उन्नत किया गया।
- NRCS को वर्ष 1995 के दौरान वर्तमान भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान (IISR) में और उन्नत किया गया।
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
- भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अंतर्गत कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक स्वायत्तशासी संस्था है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
- बागवानी, मात्स्यिकी और पशु विज्ञान सहित कृषि के क्षेत्र में समन्वयन, मार्गदर्शन और अनुसंधान प्रबंधन एवं शिक्षा के लिये यह परिषद भारत का एक सर्वोच्च निकाय है।
- पृष्ठभूमि- कृषि पर रॉयल कमीशन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अनुसरण करते हुए सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के तहत इसका पंजीकरण किया गया था, जबकि 16 जुलाई, 1929 को इसकी स्थापना की गई।
- पहले इसका नाम इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च (Imperial Council of Agricultural Research) था।

केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर

संदर्भ

राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 2012 (National Telecom Policy) के तहत मोबाइल हैंडसेट्स की रीप्रोग्रामिंग (Reprogramming), सुरक्षा, चोरी जैसी अन्य चिंताओं का समाधान करने के लिये एक नेशनल मोबाइल प्रॉपर्टी रजिस्ट्री (National Mobile Property Registry) की स्थापना का प्रावधान किया गया है।

पृष्ठभूमि

- इसके आधार पर संचार मंत्रालय (Ministry of Communications) के तहत दूरसंचार विभाग (Department of Telecommunications-DoT) ने मोबाइल सेवा प्रदाताओं के लिये एक केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर (Central Equipment Identity Register-CEIR) की शुरूआत की है।
- DoT ने जुलाई 2017 में CEIR को एक ज्ञापन के तहत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जारी किया था जिसका नेतृत्व भारत संचार निगम लिमिटेड (Bharat Sanchar Nigam Limited-BSNL) ने किया था।
- जनवरी 2018 में इस परियोजना को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (Centre for Development of Telematics-CDoT) को सौंप दिया गया।

केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर (Central Equipment Identity Register-CEIR) क्या है?

- वर्ष 2008 के DoT के आदेश के आधार पर, भारत में हर मोबाइल नेटवर्क प्रदाता के पास एक उपकरण पहचान रजिस्टर (Equipment Identity Register-EIR) या उसके नेटवर्क से जुड़े फोन का एक डेटाबेस (Database) होता है।
- अब ये सभी EIR एक केंद्रीय डेटाबेस CEIR के साथ समस्त जानकारियाँ साझा करेंगे। CEIR भारत में सभी नेटवर्कों से जुड़े समस्त मोबाइल फोनों की सूचनाओं का भंडारण केंद्र होगा।

- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India) के आँकड़ों के अनुसार, भारत में वर्ष 2018 के अंत तक 1,026 मिलियन से अधिक सक्रिय मोबाइल कनेक्शन थे।
- DoT के वर्ष 2017 के ज्ञापन के अनुसार, CEIR में मोबाइल उपकरण का अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान नंबर (International Mobile Equipment Identity-IMEI), हर फोन या मोबाइल ब्रॉडबैंड डिवाइस में यह विशिष्ट 15 अंकों का कोड होता है जो डिवाइस की सटीक पहचान करता है; मॉडल, संस्करण एवं अन्य जानकारियों को एकत्रित किया जाएगा।
- इससे यह भी पता चल जाएगा कि फोन को ब्लैकलिस्ट (Blacklist) किया गया है या नहीं।
- किसी भी फोन की पहचान IMEI नंबर के आधार पर की जाती है, जो मोबाइलों में बैटरी के नीचे या मोबाइल पर '* # 06 # डायल करके भी ज्ञात किया जा सकता है।
- सभी मोबाइल फोन निर्माता कंपनियाँ ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन (Global System for Mobile Communications Association) द्वारा आवंटित रेंज के आधार पर प्रत्येक मोबाइल फोन को IMEI नंबर प्रदान करती हैं एवं यदि फोन दोहरे सिम का है तो उसमें दो IMEI नंबर होते हैं।

इसका उद्देश्य

- इस तरह के केंद्रीकृत डेटाबेस उपलब्ध होने पर मोबाइल चोरी या अवैध मोबाइल फोन की पहचान करने तथा उन्हें ब्लॉक करने में मदद मिलेगी।
- वर्तमान में जब कोई ग्राहक किसी मोबाइल फोन के चोरी होने की सूचना देता है, तो मोबाइल सेवा प्रदाता अपने EIR के आधार पर फोन के IMEI को ब्लैकलिस्ट कर देते हैं जिससे कंपनी के नेटवर्क का उपयोग नहीं किया जा सकता है।
- लेकिन यदि सिम को बदल दिया जाता है, तो यह उपयोग में जारी रह सकता है। CEIR के माध्यम से सभी नेटवर्क ऑपरेटरों को यह पता चल जाएगा कि फोन को ब्लैकलिस्ट किया गया है।
- CEIR, GSMA डेटाबेस के IMEI की पहचान कर यह भी जाँच कर सकता है कि फोन प्रामाणिक है या नहीं।
- कई बार फोन संबंधी ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें एक प्रामाणिक IMEI नंबर के बजाय डुप्लिकेट IMEI नंबर या सभी 15 नंबरों के स्थान पर शून्य के साथ फोन प्रयोग किये जा रहे हैं। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि CEIR ऐसे उपभोक्ताओं की सभी सेवाओं को ब्लॉक कर सकेगा। वर्तमान में यह क्षमता केवल निजी सेवा प्रदाताओं के पास है।
- ज्ञापन में IMEI-आधारित कानूनी अवरोधन (IMEI-based lawful interception) को मज़बूत बनाने का भी उल्लेख किया गया है, जिससे कानूनी अधिकारियों को CEIR डेटा का उपयोग करने की अनुमति मिल जाएगी।

CEIR संबंधी मुद्दे

- 2010 के परामर्श पत्र में "खोए हुए/चोरी हुए मोबाइल हैंडसेट के लिए IMEI को अवरुद्ध करने से संबंधित मुद्दों" पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India-TRAI) ने CEIR के संदर्भ में एक प्रमुख मुद्दा उठाया है कि ऐसे उच्च-मूल्य वाले डेटाबेस को कौन या किसके समक्ष संग्रहीत रखना चाहिये? क्या यह अधिकार सेवा प्रदाता के पास होना चाहिये, अथवा एक तटस्थ तृतीय पक्ष के पास?
- परामर्श पत्र पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए, कई प्रमुख सेवा प्रदाताओं ने BSNL द्वारा सुझाए गए अंतर्राष्ट्रीय निकायों से लेकर ट्राई तक को तीसरे पक्ष के रूप में पसंद किया।
- मौजूदा वास्तविक IMEI नंबरों के साथ संलग्न करने के लिये चोरी किये गए या अनाधिकृत मोबाइल फोन की क्लोनिंग/प्रतिचित्रण या रिप्रोग्रामिंग करना भी एक अन्य महत्त्वपूर्ण मुद्दा है।
- क्लोन किये गए IMEI नंबर को ब्लॉक करने से त्रुटिपूर्ण रूप से वैध उपभोक्ताओं को भी ब्लॉक किया जा सकता है। जबकि क्लोन या अवैध IMEI वाले फोन की वास्तविक संख्या को कम करना मुश्किल है। वर्ष 2012 में संसद द्वारा दो मामलों में लगभग 18,000 फोन के समान IMEI नंबर का उपयोग के विषय में जानकारी दी गई थी।
- वर्ष 2015 में सरकार ने नकली IMEI नंबर वाले मोबाइल फोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया।
- DoT ने मोबाइल उपकरण पहचान संख्या में छेड़छाड़ निरोधक नियम, 2017 के तहत यह प्रावधान है कि यदि कोई उपभोक्ता फोन के IMEI नंबर के साथ छेड़छाड़ करता है या जानबूझकर ऐसे उपकरण का उपयोग करता है तो यह एक दंडनीय अपराध माना जाएगा।

ब्रॉडबैंड तैयारी सूचकांक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दूरसंचार विभाग (The Department of Telecom-DoT) और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद (Indian Council for Research on International Economic Relations-ICRIER) ने देश के राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के लिये ब्रॉडबैंड तैयारी सूचकांक (Broadband Readiness Index-BRI) तैयार करने के उद्देश्य से एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं।

प्रमुख बिंदु

- इस सूचकांक के अंतर्गत प्रथम अनुमान वर्ष 2019 में ही जारी किये जाएंगे और इसके बाद वर्ष 2022 तक इस तरह के अनुमान हर साल जारी किये जाएंगे।
- राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (National Digital Communication Policy-NDCP) 2018' में ब्रॉडकास्टिंग एवं विद्युत क्षेत्रों की मौज़ूदा परिसंपत्तियों का उपयोग कर एक सुदृढ़ डिजिटल संचार बुनियादी ढाँचा बनाने की आवश्यकता को चिह्नित किया गया है जिसमें राज्यों, स्थानीय निकायों एवं निजी क्षेत्र के सहयोगात्मक मॉडल/प्रारूप भी शामिल हैं।
- राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति में यह सिफारिश की गई है कि निवेश आकर्षित करने के साथ-साथ देश भर में मार्ग के अधिकार यानी राइट ऑफ वे (Right Of Way) से जुड़ी चुनौतियों से निपटने हेतु राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में एक BRI तैयार किया जाना चाहिये।
- यह सूचकांक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के स्तर पर अंतर्निहित डिजिटल बुनियादी ढाँचागत सुविधाओं की मौजूदा स्थिति के साथ-साथ अन्य संबंधित बातों का आकलन करेगा।
- ब्रॉडबैंड तैयारी सूचकांक के दो हिस्से होंगे। पहले हिस्से में बुनियादी ढाँचागत विकास पर फोकस किया जाएगा जो नौ पैमानों पर आधारित होगा। दूसरे हिस्से में मांग पक्ष से जुड़े पैमाने या मानदंड शामिल होंगे जिन्हें प्राथमिक सर्वेक्षणों के ज़रिये दर्ज किया जाएगा।
- इसमें कई संकेतक जैसे कि इंटरनेट कनेक्शन युक्त कंप्यूटर/लैपटॉप का उपयोग करने वाले परिवारों की संख्या (प्रतिशत में), फिक्स्ड ब्रॉडबैंड कनेक्शन (Fixed Broadband Connection) वाले परिवारों की संख्या (प्रतिशत में), कुल इंटरनेट उपयोगकर्ता या यूज़र (आबादी के प्रतिशत के रूप में) इत्यादि शामिल होंगे। प्राथमिक सर्वेक्षण वर्ष 2022 तक प्रतिवर्ष किया जाएगा।

प्रस्तावित सूचकांक में शामिल संकेतक

1. ROW और टॉवर पर राज्य की नीति की उपलब्धता (दूरसंचार विभाग के ROW नियम 2016 पर आधारित)।
2. ROW से जुड़े अधिकतर वे मामले जिनमें प्रथम आवेदन के 60 दिनों के भीतर अनुमति दे दी गई है।
3. भूमि एवं भवन के स्वामित्व वाले सभी सरकारी प्राधिकरणों में ROW मंज़ूरी के लिये एक केंद्रीकृत IT पोर्टल की उपलब्धता।
4. राज्यों द्वारा राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता 2016 (National Building Code 2016) को अपनाना।
5. फाइबर युक्त मोबाइल टॉवर (प्रतिशत में)।
6. प्रति वर्ग किलोमीटर/प्रति व्यक्ति/प्रति 100 परिवार फाइबर किलोमीटर की संख्या।
7. FTTX (PHCs सहित अस्पताल, पुलिस स्टेशन, स्कूल एवं सीएससी) से जुड़े सार्वजनिक संस्थान/कार्यालय (प्रतिशत में)।
8. ग्रिड आपूर्ति प्राप्त करने वाले टावर (प्रतिशत में) (अवधि : शहर 20 घंटे, गांव 12 घंटे)।
9. नगरनेट (NagarNet)– शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक वाई-फाई हॉट स्पॉटों की संख्या।
10. जन वाई-फाई (Jan Wi-Fi)– ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक वाई-फाई हॉट स्पॉटों की संख्या।

सूचकांक से होने वाले लाभ

- इस तरह के प्रयासों से राज्यों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से जुड़े कार्यक्रमों में निवेश आकर्षण संबंधी रणनीतिक विकल्पों को समझने में मदद मिलेगी।

- सहकारी संघवाद की भावना के अंतर्गत यह सूचकांक राज्यों को भारत के डिजिटल समावेश एवं विकास के समग्र उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक दूसरे से सीखने और संयुक्त रूप से भागीदारी करने के लिये प्रोत्साहित करेगा।
- इस अनुसंधान के तहत विकसित की गई पद्धति को अपनाने के साथ-साथ हर साल इस्तेमाल में लाया जाएगा, ताकि नई नीति के तहत वर्ष 2022 के लिये लक्ष्यों के रूप में तय किये गए विभिन्न मानदंडों पर राज्यों के प्रदर्शन का सुव्यवस्थित ढंग से आकलन किया जा सके। इसके परिणामस्वरूप राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की रैंकिंग करने के साथ-साथ उनके प्रदर्शन को सही ढंग से समझना इस कवायद का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो जाएगा।

अंटार्कटिका में कृत्रिम बर्फ की चादर

चर्चा में क्यों?

साइंस एडवांसेज़ (Science Advances) में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, यदि पश्चिमी अंटार्कटिक क्षेत्र में 'कृत्रिम बर्फ' की चादरें स्थापित की जाएँ तो वहाँ की बर्फ की चादरों को समुद्र में फिसलने से रोका जा सकता है।

प्रमुख बिंदु

- वैज्ञानिकों ने समुद्र की सतह पर पवन टर्बाइनों (Wind Turbines) का उपयोग करके 'कृत्रिम बर्फ' की चादरें स्थापित करने की परिकल्पना व्यक्त की है, ताकि वास्तविक बर्फ की चादर के भार का अनुमान लगाते हुए इसे और अधिक ढहने/फिसलने से रोका जा सके।
- वैज्ञानिकों के अनुसार, ग्लोबल वार्मिंग के कारण दक्षिणी ध्रुव पर उपस्थित बर्फ की विशाल चादरें इतनी ज़्यादा पिघल चुकी हैं कि अब ये विघटित होने की स्थिति में है, यदि ऐसा होता है तो समुद्र का जलस्तर कम-से-कम तीन मीटर (10 फीट) तक बढ़ जाएगा।
- हालाँकि सबसे ज़रूरी प्राथमिकता वर्ष 2015 के पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करते हुए आवश्यक कार्बन उत्सर्जन में तेज़ी से कटौती करना है।
- वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी की है कि यदि सभी देश पेरिस जलवायु समझौते का सही से पालन करते हैं तो भी समुद्र का जलस्तर अंततः पाँच मीटर तक बढ़ सकता है।
- फिलहाल पश्चिम अंटार्कटिक की बर्फ की चादरों में आने वाली गिरावट का असर सैकड़ों वर्षों बाद सामने आएगा लेकिन तब तक परिस्थियाँ काफी विषम हो चुकी होंगी।
- अंटार्कटिका की बर्फ पिघलने से समुद्र के जल स्तर में होने वाली वृद्धि हैम्बर्ग, शंघाई, न्यूयॉर्क और हांगकांग जैसे शहरों को जलमग्न कर देगी।
- कार्बन उत्सर्जन से ग्रीनलैंड क्षेत्र में बर्फ की चादरों के पिघलने, आर्कटिक और दुनिया भर में कम होते ग्लेशियर आने वाले समय में इस समस्या को और बढ़ा देंगे।
- वैज्ञानिकों के कंप्यूटर मॉडल आँकड़ों के अनुसार, पाइन द्वीप (Pine Island) और थवाइट्स ग्लेशियरों (Thwaites glaciers) के आस-पास 10 वर्षों में न्यूनतम 7,400 गीगाटन कृत्रिम बर्फ जमा करके वेस्ट अंटार्कटिक बर्फ की चादरों को स्थिर किया जा सकता है।

पेरिस जलवायु समझौता (Paris Agreement on Climate Change)

- इस ऐतिहासिक समझौते को वर्ष 2015 में 'जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन फ्रेमवर्क' (United Nations Framework Convention on Climate Change- UNFCCC) की 21वीं बैठक में अपनाया गया, जिसे COP21 (Conference of Parties21- COP21) के नाम से जाना जाता है। इस समझौते को वर्ष 2020 से लागू किया जाना है।
- इसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि सभी देशों द्वारा वैश्विक तापमान को औद्योगिकीकरण से पूर्व के स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ने देना है (दूसरे शब्दों में कहें तो 2 डिग्री सेल्सियस से कम ही रखना है) और 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लिये सक्रिय प्रयास करना है।
- पहली बार विकसित और विकासशील देश, दोनों ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (INDC) को प्रस्तुत किया, जो प्रत्येक देश का अपने स्तर पर स्वेच्छा से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये एक विस्तृत कार्रवाइयों का समूह है।

- पेरिस समझौते का मुख्य सार इसके 27 में से 6 अनुच्छेदों में निहित है। ये इस प्रकार हैं-
  1. 'बाज़ार तंत्र' (Market Mechanism) (A-6): यह एक देश को किसी दूसरे देश में हरित परियोजनाओं को वित्तपोषित करने और क्रेडिट खरीदने की अनुमति देता है।
  2. 'वित्त' (Finance) (A-9)
  3. 'प्रौद्योगिकी विकास और हस्तांतरण' (Technology Development and Transfer) (A-10);
  4. 'क्षमता निर्माण' Capacity Building (A-11);
  5. 'पारदर्शिता ढाँचा' (Transparency Framework) (A-13), यह प्रत्येक देश के कार्यों की रिपोर्टिंग से संबंधित है;
  6. 'ग्लोबल स्टॉक-टेक' (Global Stock-Take) (A-14), यह जलवायु परिवर्तन से लड़ने में प्रत्येक देश की प्रतिबद्धता और उसकी कार्रवाई की आवधिक समीक्षा करता है तथा उसमें सुधार की मांग करता है।

रामानुजन मशीन

चर्चा में क्यों?

इज़राइल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (Israel Institute of Technology) के वैज्ञानिकों ने भारतीय गणितज्ञ रामानुजन के नाम पर एक अवधारणा विकसित की है जिसे उन्होंने रामानुजन मशीन (Ramanujan Machine) का नाम दिया है।

प्रमुख बिंदु:

- यह एक मशीन न होकर एक कलन विधि/एल्गोरिथम (Algorithm) है जो गणित के किसी स्थिरांक के मान को क्रमागत भिन्न में परिवर्तित कर देती है जिसका मान उस स्थिरांक के बराबर होता है। उदाहरण के लिये यदि मशीन को पाई (π) इनपुट दिया जाए तो यह एक ऐसी शृंखला उत्पन्न करेगी जिसका मान पाई (π) की ओर अग्रसर होगा।
- इस मशीन का उद्देश्य अनुमानों (Conjectures) को गणित के सूत्रों के रूप में स्थापित करना है ताकि भविष्य में उन्हें गणितीय रूप से प्रमाणित किया जा सके।
- सामान्यत: एल्गोरिथम में कोई इनपुट दिया जाता है और यह समाधान (SOLUTION) उपलब्ध कराता है जबकि रामानुजन मशीन में इसकी विपरीत प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है।

अनुमान (Conjectures):

- ये ऐसे गणितीय कथन हैं जो अभी तक प्रमाणित नहीं किये जा सके हैं। हालाँकि गणित में नये अनुमान (Conjectures) दुर्लभ है।
- यह मशीन भविष्य के गणितज्ञों को प्रेरित करने का कार्य करेगी।

श्रीनिवास रामानुजन

- यह कलन विधि/एल्गोरिथम रामानुजन के जीवन की उपलब्धियों को दर्शाती है। रामानुजन इंग्लैंड में प्रवास के दौरान रॉयल सोसाइटी (Royal Society) के सदस्य बने और कैंब्रिज विश्वविद्यालय (Cambridge University) से रिसर्च में डिग्री प्राप्त की।
- रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर, 1887 को हुआ था।
- भारत में 22 दिसंबर को श्रीनिवास रामानुजन की स्मृति में 'राष्ट्रीय गणित दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

JATAN : वर्चुअल म्यूज़ियम सॉफ्टवेयर

चर्चा में क्यों?

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India- ASI) विभाग के तहत पुरातात्विक स्थल संग्रहालयों को JATAN सॉफ्टवेयर के माध्यम से डिजिटलीकृत करने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु:

- JATAN एक सॉफ्टवेयर है, जो भारतीय संग्रहालयों के लिये डिजिटल संग्रह प्रबंधन प्रणाली (Digital Collection Management System) के निर्माण को सक्षम बनता है। यह पूरे देश भर के कई राष्ट्रीय संग्रहालयों में संचालित है।
- इस सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य संग्रहालयों में संरक्षित सभी वस्तुओं की डिजिटल छाप तैयार करना और शोधकर्त्ताओं तथा इस क्षेत्र में रुचि रखने वाले अन्य लोगों को सहायता प्रदान करना है।
- यह सॉफ्टवेयर पुणे स्थित सेंटर फॉर डवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (Centre for Development of Advanced Computing-C-DAC) द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया है।
- JATAN का उपयोग करके वस्तुओं और स्मारकों की जो डिजिटल छाप बनाई जाएगी उन्हें आसानी से लोगों तक पहुँचाने के लिये JATAN सॉफ्टवेयर को राष्ट्रीय डिजिटल कोष और पोर्टल (National Digital Repository and Portal) के साथ भी एकीकृत किया जाएगा।
- C-DAC ने 'दर्शक' नामक एक मोबाइल आधारित एप्लिकेशन का भी निर्माण किया है जिसका उद्देश्य दिव्यांगजनों के मध्य संग्रहालय यात्रा के अनुभव को बेहतर बनाना है।
  - यह संग्रहालय की यात्रा करने वाले आगंतुकों को वस्तु के पास रखे क्यू.आर. (QR) कोड को स्कैन करके वस्तुओं या कलाकृतियों के बारे में सभी विवरण एकत्र करने की अनुमति देता है।

सेंटर फॉर डवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (Centre for Development of Advanced Computing-C-DAC)

- C-DAC सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास करने के लिये इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) का प्रमुख एक संगठन है।
- भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर, परम (PARAM) 8000 वर्ष 1991 में C-DAC द्वारा ही बनाया गया था।

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण

- भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासतों के पुरातत्त्वीय अनुसंधान तथा संरक्षण के लिये एक प्रमुख संगठन है।
- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्त्वीय स्थलों और अवशेषों का रखरखाव करना है।
- इसके अतिरिक्त प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्त्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के अनुसार, यह देश में सभी पुरातत्त्वीय गतिविधियों को विनियमित करता है।
- यह पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 को भी विनियमित करता है।
- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

आकाशगंगा की उत्पत्ति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में GAIA अंतरिक्ष वेधशाला के डेटा के आधार पर वैज्ञानिकों ने बताया कि हमारी आकाशगंगा (जिसमें सूर्य और अरबों अन्य तारें शामिल हैं) में लगभग 10 बिलियन वर्ष पहले एक विशाल ब्रह्मांडीय टक्कर से एक अन्य छोटी आकाशगंगा का विलय हो गया।

प्रमुख बिंदु:

- GAIA अंतरिक्ष वेधशाला द्वारा सूर्य से 6,500 प्रकाश वर्ष दूर स्थित तारों के सटीक मापन से आकाशगंगा के विलय से संबंधित जानकारी की पुष्टि हुई है।

GAIA (Global Astrometric Interferometer for Astrophysics) अंतरिक्ष वेधशाला:

- GAIA हमारी आकाशगंगा का त्रिआयामी नक्शा बनाने के लिये एक महत्त्वाकांक्षी मिशन है। इस मिशन के तहत आकाशगंगा की संरचना, गठन और विकास की प्रक्रिया का पता लगाया जाएगा।

- इस मिशन को वर्ष 2013 में यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया था।
- हमारी आकाशगंगा और बौनी आकाशगंगा के मिलन से हमारी आकाशगंगा के द्रव्यमान में लगभग एक चौथाई की वृद्धि हुई। साथ ही तारा निर्माण की 2 से 4 बिलियन वर्षों तक चलने वाले प्रक्रिया को भी गति मिली।
- 13.8 बिलियन वर्ष पहले बिग-बैंग विस्फोट के तुरंत बाद सभी प्रकार की आकाशगंगाओं का निर्माण शुरू हुआ। वर्तमान समय की तुलना में पहले आकाशगंगाओं का क्षेत्रफल कम था और इनमें तीव्रता से तारों का निर्माण हो रहा था। आकाशगंगाओं के इस प्रकार के विलय से उनके प्रसार संबंधी अवधारणा की पुष्टि की जा रही है।
- हमारी आकाशगंगा में मिलने वाली दूसरी बौनी आकाशगंगा में हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा अन्य तत्वों से निर्मित कम द्रव्यमान कुछ तारों के होने की संभावना व्यक्त की गई है। विलय की यह घटना विनाशकारी न होकर निर्माणकारी थी। इससे हमारी आकाशगंगा को एक नवीन आकार मिला।

बिग-बैंग विस्फोट सिद्धांत (Big-Bang Theory):

- यह आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत है।
- इसे विस्तारित निहारिका परिकल्पना (Expanding Universe Hypothesis) भी कहते हैं।
- इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। एडविन हब्बल (Edwin Habble) ने वर्ष 1920 में ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी प्रमाण प्रस्तुत किये थे।
- GAIA अंतरिक्ष वेधशाला द्वारा की गई आकाशगंगाओं के विलय की खोज, इस सिद्धांत के पक्ष में एक प्रमाण है।

ब्लॉकचेन तकनीक के लाभ

चर्चा में क्यों?

ब्लॉकचेन तकनीक प्राय: क्रिप्टोकरेंसी के संदर्भ में समाचारों में बनी रहती है। वर्तमान में अनेक कंपनियाँ ब्लॉकचेन तकनीक के प्रयोग की संभावनाएँ तलाश कर रही हैं।

क्या है ब्लॉकचेन तकनीक?

- ज्ञातव्य है कि जिस प्रकार हज़ारों-लाखों कंप्यूटरों को आपस में जोड़कर इंटरनेट का अविष्कार हुआ, ठीक उसी प्रकार डेटा ब्लॉकों (आँकड़ों) की लंबी श्रृंखला को जोड़कर उसे ब्लॉकचेन नाम दिया गया है।
- ब्लॉकचेन तकनीक में तीन अलग-अलग तकनीकों का समायोजन है, जिसमें इंटरनेट, पर्सनल 'की' (निजी कुंजी) की क्रिप्टोग्राफी अर्थात् जानकारी को गुप्त रखना और प्रोटोकॉल पर नियंत्रण रखना शामिल है।
- ब्लॉकचेन एक ऐसी तकनीक है जिससे बिटकॉइन तथा अन्य क्रिप्टो-करेंसियों का संचालन होता है। यदि सरल शब्दों में कहा जाए तो यह एक डिजिटल 'सार्वजनिक बही-खाता' (Public Ledger) है, जिसमें प्रत्येक लेन-देन का रिकॉर्ड दर्ज़ किया जाता है।
- ब्लॉकचेन में एक बार किसी भी लेन-देन को दर्ज करने पर इसे न तो वहाँ से हटाया जा सकता है और न ही इसमें संशोधन किया जा सकता है।
- ब्लॉकचेन के कारण लेन-देन के लिये एक विश्वसनीय तीसरी पार्टी जैसे-बैंक की आवश्यकता नहीं पड़ती।
- इसके अंतर्गत नेटवर्क से जुड़े उपकरणों (मुख्यत: कंप्यूटर की श्रृंखलाओं, जिन्हें नोड्स कहा जाता है) के द्वारा सत्यापित होने के बाद प्रत्येक लेन-देन के विवरण को बही-खाते में रिकॉर्ड किया जाता है।

कैसे कार्य करती है ब्लॉकचेन तकनीक?

- ब्लॉकचेन में प्रत्येक ब्लॉक लेन-देन का विवरण रखता है और ब्लॉक की यह श्रृंखला उत्तरोतर लंबी होती जाती है।
- मुद्रा के संदर्भ में यह तकनीक लेन-देन के स्थान, समय और मूल्य को संग्रहीत कर लेती है जिसमे किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं होता।
- इसमें पहचान योग्य सूचनाएं न्यूनतम (Minimal Identifying Information) होती हैं और प्रत्येक ब्लॉक प्रयोगकर्त्ता के विशिष्ट डिजिटल हस्ताक्षर (Unique Digital Signature) से लिंक होता है।

- प्रत्येक ब्लॉक को एक विशिष्ट कोड के माध्यम से दूसरे से अलग किया जाता है और यह कोड संख्याओं की एक श्रृंखला होती है।
- ब्लॉकचेन तकनीक में लेनदेन के सत्यापन का कार्य एक ही नेटवर्क से जुड़े बहुत सारे कंप्यूटरों को दिया जाता है जिसमे प्रत्येक कंप्यूटर के पास किसी ब्लॉक की समान कॉपी होती है। ये कंप्यूटर गणितिये सूत्रों को हल कर लेनदेन की प्रमाणिकता की जाँच करतें हैं। इससे ब्लॉकचेन आधारित लेन-देन की सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

ब्लॉकचेन तकनीक के उपयोग

- वर्ष 2017 में हार्वर्ड बिज़नेस रिव्यू (Harvard Business Review-HBR) की रिपोर्ट के अनुसार बैंक ऑफ़ अमेरिका, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जैसे संस्थान व्यापार वित्त, विदेशी मुद्रा विनियमन, सीमापारीय भुगतान और प्रतिभूति भुगतान में पेपर व मानव आधारित लेन-देन को प्रतिस्थापित करने हेतु ब्लॉक तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं।
- Ethereum जैसे एप डाटा के विकेंद्रीकरण के लिये ब्लॉकचेन तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं। यह एप उपयोगकर्त्ता को उसके डेटा पर नियंत्रण का अधिकार प्रदान करता है।
- तकनीक आधारित कंपनियां ब्लॉकचेन तकनीक का प्रयोग कर रही है। हाल ही में फेसबुक ने अपनी क्रिप्टोकरेंसी लिब्रा जारी करने की घोषणा की।

लाइटसैल 2

चर्चा में क्यों ?

प्लैनेटरी सोसायटी (Planetary Society) ने लाइटसैल प्रोजेक्ट का प्रसार करते हुए लाइटसैल 2 को तैनात किया है, जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के संचालन के माध्यम ब्रह्मांड के पार अंतरिक्ष अभियानों की क्षमता विकसित करना है।

प्रमुख बिंदु:

- वर्ष 1600 के आस-पास पहली बार जर्मन खगोल वैज्ञानिक जोहान्स केपलर (Johannes Kepler) द्वारा सूर्य के फोटॉन की ऊर्जा से अंतरिक्ष यात्रा की कल्पना की गई थी।
- वर्ष 1964 में आर्थर सी. क्लार्क (Arthur C. Clarke) ने भी इस प्रकार की संकल्पना सनजमेर (Sunjammer) नामक एक छोटी-सी कहानी में की थी।
- इस प्रकार की संकल्पनाओं को मूर्त रूप देने के लिये वर्ष 1970 के आस-पास से लाइटसैल (सौर पाल) के निर्माण के अनुसंधान पर ज़ोर दिया जाने लगा था।
- लाइटसैल प्रोजेक्ट एक गैर सरकारी संगठन प्लैनेटरी सोसायटी (Planetary Society) के तत्त्वावधान में संचालित है।
- इस प्रकार के प्रोजेक्टों के सफल होने से अंतरिक्ष अभियानों में ईंधन संबंधी समस्या को काफी हद तक दूर किया जा सकता है क्योंकि अंतरिक्ष में फोटॉन का प्रसार अनवरत रूप से हो रहा है।
- जापान की अंतरिक्ष एजेंसी JAXA ने वर्ष 2010 में पहले लाइटसैल (सौर पाल) का प्रयोग शुक्र के अन्वेषण हेतु अंतरिक्ष यान इक्रॉस (Ikaros) में किया था; लेकिन यह अभियान पूर्णत: सफल नहीं हो सका।

लाइटसैल 2:

- ऐसा अनुमान है कि लाइटसैल 2 अन्य अंतरिक्ष सेटेलाइटों की अपेक्षा ज़्यादा तीव्रता से कार्य करेगा, उदाहरण के लिये यदि नासा के वोयेजर अंतरिक्ष यान (Voyager spacecraft) को लाइट सैल के माध्यम से भेजा गया होता तो यह अपनी 40 वर्ष की यात्रा को आधे समय में ही पूरा कर लेता।

वोयेजर अंतरिक्ष यान (Voyager spacecraft): नासा द्वारा 15 सितंबर,1977 को बाह्य सोलर प्रणाली के अध्ययन के लिये वोयेजर अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया गया था।

- लाइटसैल 2 पृथ्वी के समीप की कक्षा में लॉन्च किया गया पहला लाइटसैल (सौर पाल) है। लाइटसैल 2 बॉक्सिंग रिंग के आकार का है और इसे पतली माइलर (Mylar) सामग्री से बनाया गया है।

- पृथ्वी पर प्लैनेटरी सोसायटी की इंजीनियरिंग टीम इस लाइटसैल को सूर्य से 90 डिग्री के कोण पर रखेगी।
- लाइटसैल पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए जब सबसे दूर बिंदु पर पहुँचता है तो इस सबसे दूर के बिंदु को एपोजी (Apogee) कहते हैं।
- प्राथमिक मिशन लगभग एक महीने तक चलने के बाद लाइटसैल 2 एक वर्ष तक पृथ्वी की परिक्रमा करेगा।
- लाइटसैल 2 को कभी-कभी पृथ्वी से नग्न आँखों द्वारा भी देखा जा सकेगा।

वाहनों में होगा माइक्रोडॉट्स का अनिवार्य उपयोग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सड़क परिवहन मंत्रालय ने अपने मसौदा नियमों के तहत वाहन निर्माताओं को माइक्रोडॉट्स तकनीक अपनाने के लिये कहा है। अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में इस तकनीकी का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- यह मसौदा नियम, केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 (Central Motor Vehicles Rules, 1989) में संशोधन करता है और माइक्रोडॉट्स तकनीक के प्रयोग की बात करता है।
- माइक्रोडॉट्स तकनीक में मोटर वाहनों और उसके विभिन्न पुर्जों पर स्थायी और लगभग अदृश्य डॉट्स को चिपका दिया जाता है।]
- इन माइक्रोडॉट्स को सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से ही पढ़ा जा सकता है और पराबैंगनी प्रकाश में ही पहचाना जा सकता है।
- माइक्रोडॉट्स, मोटरवाहन उद्योग मानक-155 (Automotive Industry Standard- 155) की आवश्यकताओं के अनुरूप है।
- ये मानक ऑटोमोटिव उद्योग मानक समिति के द्वारा बनाए जाते हैं। इस समिति की स्थापना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा केंद्रीय मोटर वाहन नियम- तकनीकी स्थायी समिति (Central Motor Vehicles Rules - Technical Standing Committee: CMVR-TSC) के तहत की गई है।

माइक्रोडॉट्स (Microdots) क्या होते हैं?

- माइक्रोडॉट तकनीक में वाहनों में एक विशिष्ट पहचान बनाने के लिये उन पर हजारों सूक्ष्म डॉट्स का छिड़काव कर दिया जाता है।
- माइक्रोडॉट वाहन के पंजीकृत मालिक की पहचान को निर्धारित करता है, लेकिन इन्हें नंगी आँखों से नहीं देखा जा सकता।
- ऑटोमोबाइल क्षेत्र में बनने वाली मशीनों और कलपुर्जों में मौलिकता (Originality) सुनिश्चित करने के लिये माइक्रोडॉट्स एक लोकप्रिय तकनीक है।
- दक्षिण अफ्रीका ने सितंबर 2012 से ही बेचे जाने वाले सभी नए वाहनों में इस तकनीक के प्रयोग को अनिवार्य कर दिया है।

माइक्रोडॉट्स (Microdots) की आवश्यकता क्यों?

- इसका उद्देश्य भारत में वाहन चोरी और कल-पुर्जों की चोरी को रोकना है।
- वर्ष 2016 में देशभर में लगभग 2.14 लाख वाहन चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थीं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र वाहन चोरी की मामलों में शीर्ष तीन राज्य हैं, जहाँ क्रमश: 38,644, 34,480 तथा 22,435 वाहन चोरी के मामले दर्ज किये गए।
- माइक्रोडॉट्स के माध्यम से चोरी किये गए वाहन की पहचान कर पाना आसान होगा क्योंकि इन्हें बिना तोड़-फोड़ किये मिटा पाना लगभग असंभव है।

चीन का पहला वाणिज्यिक रॉकेट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में चीन की एक प्रमुख स्टार्टअप कंपनी आई स्पेस (iSpace) ने चीन का पहला वाणिज्यिक रॉकेट लॉन्च किया जो उपग्रह को कक्षा में ले जाने में सक्षम है।

प्रमुख बिंदु

- चीन का यह कदम अंतरिक्ष के निजी उपयोग के संदर्भ में बेहद महत्त्वपूर्ण हो सकता है।
- उल्लेखनीय है कि iSpace ने 6 जुलाई, 2019 को हाइपरबोला-1 (Hyperbola-1) के सफल प्रक्षेपण की घोषणा की थी। हाइपरबोला-1 को दो उपग्रहों और पेलोड के साथ जियुकान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर (Jiuquan Satellite Launch Centre) से एक पूर्व निर्धारित कक्षा में भेजा गया।
- इससे पहले वर्ष 2018 चीन की रॉकेट निर्माता कंपनियों लैंडस्पेस (LandSpace) और वनस्पेस (OneSpace) ने इस तरह के प्रयास किये थे, लेकिन ये दोनों ही रॉकेट पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करने में असफल रहे।

हाइपरबोला-1 मिशन (Hyperbola-1 Mission)

- iSpace के अनुसार, हाइपरबोला-1 रॉकेट की ऊँचाई लगभग 68 फीट (20.8 मीटर) तथा अधिकतम व्यास लगभग 4.6 फीट (1.4 मीटर) है।
- हाइपरबोला-1 का टेकऑफ वज़न लगभग 68 हज़ार पाउंड (31 मीट्रिक टन) है।
- iSpace के अनुसार, यह रॉकेट 573 पाउंड नीतभार/पेलोड द्रव्यमान को 310 मील की ऊँचाई पर सूर्य-तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा (Sun-Synchronous Polar Orbit) तक पहुँचाने में सक्षम है।
- हाइपरबोला-1 के साथ CAS-7B क्यूबसैट (माइक्रोसेटेलाइट) भेजा गया है। यह एक Amateur Radio Mission है जिसे बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (Beijing Institute of Technology) द्वारा विकसित किया गया है।
- हाइपरबोला-1 के साथ एयरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्पेस इंजीनियरिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (Aerospace Science and Technology Space Engineering Development Co. Ltd) का एक उपग्रह भी भेजा गया है।

माइक्रोसैटेलाइट (Microsatellite) क्या है?

- माइक्रोसैटेलाइट आकार में सामान्यत: जूते के डिब्बे जैसा होता है। यह पारंपरिक रूप से बड़े उपग्रहों का छोटा संस्करण है।
- ये मौसम प्रणाली, फसलों और आपदा स्थलों आदि की निगरानी में कंपनी या संगठन की मदद करते हैं।
- इनका उपयोग अनुसंधान उद्देश्यों की पूर्ति के लिये भी किया जा सकता है।
- अधिकांश कंपनियाँ माइक्रोसैटेलाइट्स का चयन इसलिये कर रही हैं क्योंकि इनकी निर्माण लगत कम होती है और इन्हें अंतरिक्ष में भेजना अपेक्षाकृत आसान होता है।
- वर्तमान में माइक्रोसैटेलाइट्स के मामले में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का प्रभुत्त्व है।

सब्जियों में विषाक्त धातुओं की मौजूदगी

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (National Environmental Engineering Research Institute-NEERI) द्वारा किये गए एक अध्ययन के अनुसार, यमुना के बाढ़ के मैदानों में उगाई जाने वाली सब्जियों में सीसा (Lead) की मात्रा काफी अधिक पाई गई है, जिसका लंबे समय तक उपभोग किये जाने से कैंसर जैसी कई प्रकार की बीमारियाँ हो सकती हैं।

अध्ययन के निष्कर्ष

- NEERI के अध्ययन के अनुसार, सात तरह की सब्जियों- पत्तागोभी, फूलगोभी, मूली, बैंगन, धनिया, मेथी और पालक में धातु की सांद्रता की मौजूदगी का पता लगाने के लिये पूर्वी दिल्ली के तीन स्थानों से नमूने एकत्र किये गए।
- सीसे का सबसे अधिक संदूषण पूर्वी दिल्ली से एकत्र किये गए हरे धनिये (Green Coriander) में पाया गया।
- विक्रेताओं से एकत्र की गई सभी सब्जियों (पत्तागोभी को छोड़कर) में सीसे का स्तर मानक से अधिक पाया गया। पालक में सीसे का स्तर सबसे अधिक (14.1 मिलीग्राम/किग्रा.) पाया गया। सीसे के संभावित स्रोत ऑटोमोबाइल, बैटरी, पेंट, पॉलिथीन, कीटनाशक और सीसा प्रसंस्करण इकाई हैं।

- यद्यपि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India- FSSAI) द्वारा सब्जियों में सीसे की सुरक्षित सीमा 2.5 मिलीग्राम/किग्रा. निर्धारित की गई है, लेकिन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से एकत्र किये गए सब्जियों के नमूनों में सीसे का स्तर 2.8 मिलीग्राम/किग्रा. से 13.8 मिलीग्राम/किग्रा. तक पाया गया है।
- रिपोर्ट के अनुसार, सब्जियों में कैडमियम, मरकरी और निकल जैसी अन्य धातुएँ FSSAI के मानकों से कम पाई गई।
- NEERI द्वारा यह अध्ययन फ़रवरी 2019 में किया गया था। इसके निष्कर्ष मई 2019 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal-NGT) के समक्ष प्रस्तुत किये गए।

पृष्ठभूमि

- यद्यपि यमुना नदी का केवल 2% हिस्सा दिल्ली से होकर गुजरता है तथापि राजधानी के प्रदूषित जल का 70% इस नदी में गिरता है।
- वर्ष 2015 में NGT ने यह कहते हुए यमुना नदी के किनारे फ्लड प्लेन में सब्जियों और चारे की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि इन क्षेत्रों की सब्जियाँ अत्यधिक संदूषित थीं। लेकिन NGT के प्रतिबंध के बावजूद इन क्षेत्रों में सब्जियों आदि की खेती जारी है।

स्वास्थ्य पर प्रभाव

- भारी धातुओं की मौजूदगी वाले खाद्य पदार्थ लंबे समय तक खाने से मानव शरीर में कई जैविक और जैव रासायनिक प्रक्रियाएँ बाधित हो सकती हैं।
- भारी धातुओं की विषाक्तता ऊर्जा का स्तर कम कर सकती है और मस्तिष्क, फेफड़े, किडनी और यकृत संबंधी विकार उत्पन्न कर सकती है।
- यह रक्त बनने की प्रक्रिया और अन्य महत्त्वपूर्ण अंगों को भी प्रभावित कर सकते हैं।
- लंबे समय तक ये मिलावटी खाद्य पदार्थ खाने से कैंसर भी हो सकता है।
- सीसे की विषाक्तता (Lead Poisoning) से बच्चों में मानसिक विकलांगता आ सकती है।

राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग और अनुसंधान संस्थान (NEERI)

- NEERI वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (Council of Scientific & Industrial Research-CSIR) की 38 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में से एक है, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही हैं।
- इसका उद्देश्य देश में जल आपूर्ति, सीवेज निपटान, संचारी रोगों और औद्योगिक प्रदूषण एवं व्यावसायिक रोगों पर ध्यान केंद्रित करना है।
- इसका लक्ष्य सतत् पोषणीय विकास के लिये पर्यावरण विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करना है।
- CSIR भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है।

बैटरी स्टोरेज़ संयंत्र के लिये भारत की योजनाएँ

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार बैटरी उत्पादन के लिये टेस्ला शैली की कम-से-कम चार गीगाफैक्टरीज़ (Tesla-style Gigafactories) स्थापित करने के लिये लगभग 4 बिलियन डॉलर का निवेश करेगी।

प्रमुख बिंदु

- यह पहल इलेक्ट्रिक वाहनों में संक्रमण, प्रदूषण में कटौती और विदेशी तेल आयात पर निर्भरता को कम करने की सरकार की योजना का हिस्सा है।

पृष्ठभूमि

- केंद्रीय बजट 2019 में सरकार ने सौर फोटोवोल्टिक सेलों (solar Photovoltaic Cells), लिथियम भंडारण बैटरियों (Lithium Storage Batteries) और सौर इलेक्ट्रिक चार्जिंग बुनियादी ढाँचे (solar electric charging infrastructure) के लिये मेगा-विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने हेतु कर में छूट की घोषणा की है।
- नीति आयोग के अनुसार, भारत की घरेलू मांग को पूरा करने के लिये वर्ष 2025 तक 10 गीगावॉट और वर्ष 2030 तक 12 गीगावॉट की क्षमता वाली (प्रत्येक फैक्ट्री की क्षमता क्रमशः 10 गीगावॉट और 12 गीगावॉट होगी) 6 गीगाफैक्टरीज़ की आवश्यकता होगी।

इस कदम से भारत को क्या लाभ होगा?

- यह भारत की ऊर्जा आवश्कताओं को पूरा करने में मदद करेगा।
- यह भारत को एक इलेक्ट्रिक वाहन परिवेश विकसित करने में सक्षम बनाएगा।
- यह बैटरी के साथ-साथ ईंधन के आयात पर भारत की निर्भरता को कम करेगा।
- यह स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देकर प्रदूषण से निपटने में मददगार होगा और भारत को अपने अभिप्रेत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (Intended Nationally Determined Contributions-INDC) लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा।

भारत के लिये चुनौतियाँ

- परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता।
- तकनीकी बाधाएँ।
- इलेक्ट्रिक वाहन के लिये स्थिर नीति का अभाव।
- भूमि अधिग्रहण जैसे बुनियादी ढाँचे के मुद्दों का समाधान करना।

'परिवर्तनकारी गतिशीलता और बैटरी स्टोरेज पर राष्ट्रीय मिशन' (National Mission on Transformative Mobility and Battery Storage

- हाल ही में सरकार ने स्वच्छ, आपस में जुड़ी, साझा, सतत् एवं समग्र गतिशीलता पहलों को बढ़ावा देने के लिये 'परिवर्तनकारी गतिशीलता और बैटरी स्टोरेज पर राष्ट्रीय मिशन' (National Mission on Transformative Mobility and Battery Storage) भी शुरू किया है।
- इस मिशन के तहत परिवर्तनकारी गतिशीलता के साथ-साथ इलेक्ट्रिक वाहनों, इन वाहनों के कलपुर्जों और बैटरियों से जुड़े चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रमों के लिये विभिन्न रणनीतियों की सिफारिशें पेश की जाएंगी एवं इन्हें अपेक्षित गति प्रदान की जाएगी।
- भारत में गतिशीलता या आवागमन में व्यापक बदलाव लाने के लिये विभिन्न पहलों को एकीकृत करने हेतु इस मिशन के तहत मंत्रालयों/विभागों और राज्यों के महत्त्वपूर्ण हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा।

अपराधियों की पहचान के लिये आईरिस और फिंगरप्रिंट स्कैनिंग का प्रयोग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में महाराष्ट्र पुलिस ने स्वचालित मल्टी-मोडल बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली (Automated Multi-modal Biometric Identification System-AMBIS) अपनाई है। इस प्रकार की प्रणाली की शुरुआत शीघ्र ही पूरे देश में की जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- पुलिस जाँच में डिजिटल फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन प्रणाली का प्रयोग करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया है।
- महाराष्ट्र सरकार नई दिल्ली में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के साथ मिलकर AMBIS के मानकों का निर्माण करेगी, जिससे इस प्रकार की प्रणाली को अन्य प्रदेशों में भी लागू किया जा सके।

स्वचालित मल्टी-मोडल बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली (Automated Multi-modal Biometric Identification System- AMBIS)

- AMBIS इकाई में एक कंप्यूटर, एक कैमरा और आईरिस, फिंगरप्रिंट और हथेली का स्कैनर (Palm Scanner) शामिल होता है।
- इसमें अपराध के दृश्यों से उंगलियों के निशान को पकड़ने के लिये एक पोर्टेबल सिस्टम भी शामिल है।
- चेहरे की पहचान के लिये CCTV कैमरों की प्रणाली के साथ AMBIS का एकीकरण करने के बाद पुलिस की अपराधों को रोकने की दक्षता बढ़ जाएगी, साथ ही उन अपराधियों को पकड़ना आसान हो जाएगा जिनकी उंगलियों के निशान दशकों पूर्व कागज़ पर लिये जा चुके हैं।

- महाराष्ट्र राज्य के साइबर विभाग ने AMBIS को तैयार करने से पहले संघीय जाँच ब्यूरो, केंद्रीय खुफिया एजेंसी और संयुक्त राज्य अमेरिका में डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी और इंटरपोल द्वारा उपयोग किये जाने वाले मॉडल का अध्ययन किया।
- इंटरपोल के बायोमेट्रिक और चेहरे की पहचान प्रणाली को डिज़ाइन करने वाली फ्रेंच कंपनी को AMBIS स्थापित करने के लिये चुना गया है।
- यह प्रणाली यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है।
- AMBIS प्रणाली को अभी महाराष्ट्र के उन थानों में लॉन्च किया जा रहा है, जहाँ पर पहले ही अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम (Crime and Criminal Tracking Network and System-CCTNS) का बुनियादी ढाँचा मौजूद है।
- महाराष्ट्र साइबर पुलिस विभाग ने वर्ष 1950 से लेकर वर्ष 2018 तक के 6.5 लाख से अधिक कागज़ों पर दर्ज किये गए उंगलियों के निशानों को डिजिटलकृत किया है। इसका फायदा भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस प्रणाली के प्रयोग से वर्ष 2014 के बाद के 85 घरों में चोरी के मामलों का खुलासा किया जा चुका है।

महत्त्व

- इस प्रकार की प्रणाली के माध्यम से मृतक की पहचान करना आसान हो जाएगा, विशेषकर उन परिस्थितियों में जब शरीर विकृत हो चुका होता है।
- रेटिना स्कैन के माध्यम से अपराधियों की पहचान आसान हो जाएगी क्योंकि रेटिना के अंदर रक्त वाहिकाओं की संरचना विशेष प्रकार की होती है।
- CCTV फुटेज और तस्वीरों के माध्यम से भीड़ हिंसा जैसे मामलों में संदिग्धों के चेहरे की पहचान की जा सकती है।
- रेलवे स्टेशनों जैसी भीड़भाड़ वाली जगहों पर आतंकवादी हमलों के मामलों में यह प्रणाली उपलब्ध 40% सटीक जानकारी से 50%- 60% तक सटीक जानकारी जुटा सकती है।
- इस प्रकार की प्रणाली में डेटा की हानि नहीं होती, साथ डेटा की उच्च बैकअप क्षमता भी मिलती है।
- फिंगरप्रिंट डेटा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, जाँच एजेंसियों, अदालतों, अपराध विशेषज्ञों और यहाँ तक कि इंटरपोल एवं विदेशी जाँच एजेंसियों के साथ साझा किया जा सकता है।

5G ट्रायल हेतु गाइडलाइन जारी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दूरसंचार विभाग (Department of Telecommunications- DoT) द्वारा उपलब्ध सभी स्पेक्ट्रम बैंड में 5G के परीक्षण के लिये दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि दूरसंचार विभाग केवल परीक्षण के उद्देश्य से लाइसेंस जारी करेगा जिसकी वैद्यता 3 माह से 2 साल की होगी तथा यह समयावधी परीक्षण के उद्देश्य पर निर्भर करेगी।
- इस उद्देश्य के लिये विभाग द्वारा 400 मेगाहट्ज़ स्पेक्ट्रम का आवंटन किया जाएगा।
- 5G सेवाओं के परीक्षण के लिये स्पेक्ट्रम (Quantum of Spectrum) का आवंटन आवश्यकता और/अथवा प्रौद्योगिकी क्षमताओं के प्रदर्शन के अनुसार किया जा सकेगा। उदाहरण के लिये, सामान्यत: स्पेक्ट्रम का आवंटन 3.5 गीगाहट्ज़ बैंड में 100 मेगाहट्ज़ तक, जबकि 26 गीगाहट्ज़ बैंड में 400 मेगाहट्ज़ हो सकता है।
- इस वर्ष के अंत तक 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के माध्यम से वर्ष 2020 से देश में 5G सेवाओं को वाणिज्यिक रूप से शुरू करने की योजना है।
- यह लाइसेंस शोध एवं विकास, विनिर्माण, दूरसंचार परिचालक (Telecom Operator) और शिक्षा क्षेत्र से संबंधित भारतीय इकाइयों को शोध, विकास एवं प्रयोग (Experimentation) के लिये दो साल की अवधि के लिये दिया जाएगा।

5G मोबाइल नेटवर्क

- यह तकनीक नेटवर्क मोबाइल उपभोक्ताओं को इंटरनेट की उच्च स्पीड, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IOT) की क्षमता, न्यून विलंबता (Low Latency) और अन्य कई अनुप्रयोगों (Application) की सुविधा प्रदान करेगी। यह तकनीक कनेक्टिविटी और कवरेज में भी सुधार करेगी।
- मोबाइल सेवाओं के लिये इस तकनीक का प्रयोग अभी शुरुआती चरण में है।
- इस तकनीक द्वारा उपभोक्ता उच्च डाटा सामग्री को उच्च गुणवत्ता व ग्राफिक्स के साथ कुछ ही सेकंड में डाउनलोड कर सकते है।
- उपयोग की जाने वाली तकनीक: बड़ी संख्या में उपकरणों को एक साथ संचालित करने, जिनमें से कई को लंबे समय तक मोबाइल बैटरी की आवश्यकता होती है; के लिये 5G नेटवर्क LTE के उन्नत प्लेटफॉर्म (LTE Advanced Pro platform) का निर्माण करेगा।
- इसमें दो नैरोबैंड (Narrowband) तकनीकी प्लेटफार्मों का उपयोग किया जाएगा-
  - उन्नत मशीन प्रकार संचार (Enhanced Machine-Type Communication- EMTC)
  - नैरोबैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स (Narrowband Internet of Things: NB-IoT)

LTE

- यह लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन (Long-Term Evolution) का संक्षिप्त रूप है।
- LTE, 3rd जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट (3rd Generation Partnership Project- 3GPP) द्वारा विकसित एक 4G वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड (4G Wireless Communications Standard) है जिसे मोबाइल डिवाइस जैसे- स्मार्टफोन, टैबलेट, नोटबुक और वायरलेस हॉटस्पॉट को 3G की तुलना में 10 गुना स्पीड प्रदान करने के लिये विकसित किया गया है।

VoLTE

- यह वॉयस-ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन (Voice over Long Term Evolution- VoLTE) का संक्षिप्त रूप है।
- यह एक डिजिटल पैकेट वॉयस सेवा है जिसमें IMS तकनीक का उपयोग करते हुए LTE एक्सेस नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेट प्रोटोकॉल (Internet Protocol- IP) पर वितरित किया जाता है।

लेटेंसी (Latency)

यह नेटवर्किंग से संबंधित एक शब्द है। एक नोड से दूसरे नोड तक जाने में किसी डेटा पैकेट द्वारा लिये गए कुल समय को लेटेंसी कहते हैं। लेटेंसी समय अंतराल या देरी को संदर्भित करता है।

इसी वर्ष अप्रैल में दक्षिण कोरिया और अमेरिका वाणिज्यिक रूप से 5G सेवाओं को शुरू करने वाले विश्व के पहले देश बन गए हैं।

वायरलेस प्लानिंग एंड कोआर्डिनेशन (WPC)

- वर्ष 1952 में बनाया गया राष्ट्रीय रेडियो नियामक प्राधिकरण, वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन (WIRELESS PLANNING & COORDINATION- WPC) संचार मंत्रालय का एक विंग है जो देश में सभी वायरलेस उपयोगकर्ताओं (सरकारी और निजी) के लाइसेंसिंग और उनकी आवश्यकताओं सहित स्पेक्ट्रम प्रबंधन के लिये जिम्मेदार है।
- यह केंद्र सरकार के वैधानिक कार्यों का निर्वाह करता है और वायरलेस स्टेशनों की स्थापना, रखरखाव और संचालन के लिये लाइसेंस जारी करता है।
- WPC को लाइसेंसिंग और रेगुलेशन (LR), न्यू टेक्नोलॉजी ग्रुप (NTG) तथा रेडियो फ्रीक्वेंसी आवंटन की स्थायी सलाहकार समिति (SACFA) में विभाजित किया गया है।
- SACFA फ्रीक्वेंसी के आवंटन से संबंधित मुख्य मुद्दों, फ्रीक्वेंसी के आवंटन से संबंधित योजनाओं का निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर सिफारिशें करना आदि कार्य करती है।

UDMH रॉकेट ईंधन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में चंद्रयान- 2 मिशन का प्रक्षेपण GSLV MK III रॉकेट से किया गया, इस रॉकेट में अनसिमिट्रिकल डाई-मिथाइल हाइड्रोजेनाइन (Unsymmetrical Di-Methyl Hydrogenine- UDMH) ईंधन का प्रयोग किया गया।

प्रमुख बिंदु:

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने नाइट्रोजन टेट्रॉक्साइड के ऑक्सीकारक के साथ अत्यधिक विषैले और संक्षारक (Corrosive) ईंधन UDMH का इस्तेमाल किया। इसे गंदा संयोजन (Dirty Combination) भी कहा जाता है।
- विश्व के कई देश अपने अंतरिक्ष कार्यक्रमों में तरल मीथेन और केरोसीन जैसे ज़्यादा साफ-सुथरे ईधन का प्रयोग कर रहे हैं।
- तरल मीथेन का ईधन के रूप प्रयोग करने के लिये क्रायोजेनिक इंजन की आवश्यकता होगी। किसी भी गैस को तरल रूप में रखने के लिये बेहद कम तापमान की आवश्यकता होती है।

GSLV MK III:

- चंद्रयान-2 के लिये प्रयुक्त GSLV MK III इसरो द्वारा विकसित तीन-चरणों वाला भारत का सबसे शक्तिशाली प्रमोचक यान है। इसमें दो ठोस स्ट्रैप-ऑन (Solid Strap-Ons), एक कोर द्रव बूस्टर (Core Liquid Booster) और एक क्रायोजेनिक ऊपरी चरण (Cryogenic Upper Stage) शामिल है।
- GSLV MK III की विशेषताएँ:
  - ऊँचाई: 43.43 मीटर
  - व्यास: 4.0 मीटर
  - ताप कवच का व्यास: 5.0 मीटर
  - चरणों की संख्या: 3
  - उत्थापन द्रव्यमान: 640 टन
- GSLV MK III को भू-तुल्यकालिक अंतरण कक्षा (Geosynchronous Transfer Orbit- GTO) में 4 टन श्रेणी के उपग्रहों को तथा निम्न भू-कक्षा में लगभग 10 टन वज़न वहन करने हेतु डिज़ाइन किया गया है। उल्लेखनीय है कि GSLV MK III की यह क्षमता GSLV MK II से लगभग दोगुनी है।
- GSLV MK III का प्रथम विकासात्मक प्रमोचन 5 जून, 2017 को किया गया था जिसके तहत GSLV MK III-D1 की सहायता से GSAT-19 उपग्रह को भूतुल्यकालिक अंतरण कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया था।
- उल्लेखनीय है कि GSLV MK III-D2 ने 14 नवंबर, 2018 को उच्च क्षमता वाले संचार उपग्रह GSAT-29 का सफलतापूर्वक प्रमोचन किया था।

रॉकेट में प्रयुक्त होने वाले प्रणोदक (Propellant)

- प्रणोदक वह रासायनिक मिश्रण है जो रॉकेट को पृथ्वी से अंतरिक्ष की ओर धकेलता है।
- इसमें एक ईंधन और एक ऑक्सीकारक का प्रयोग किया जाता है।
- प्रणोदन के लिये ऑक्सीकारक के साथ संयुक्त होने पर ईंधन जलता है।
- ऑक्सीकारक एक एजेंट है जो ईंधन के साथ संयोजन के लिये ऑक्सीजन छोड़ता है।
- ईंधन के लिये ऑक्सीकारक के अनुपात को मिश्रण अनुपात कहते हैं।

प्रणोदक (Propellant) का वर्गीकरण

- **तरल प्रणोदक:**
  - तरल प्रणोदक रॉकेट में ईंधन और ऑक्सीकारक को अलग-अलग टैंकों में संग्रहीत किया जाता है।
  - इसके बाद पाइप, वाल्व, और टर्बोपम्प (Turbopumps) की एक प्रणाली के माध्यम से इन्हें एक दहन कक्ष में ले जा कर जलाने के बाद उत्पन्न ऊर्जा से रॉकेट लॉन्च किया जाता है।

- **तरल प्रणोदक के लाभ:**
  - तरल प्रणोदक इंजन अन्य ठोस प्रणोदकों की तुलना में अधिक कारगर होते हैं।
  - इसके प्रयोग के माध्यम से दहन कक्ष में प्रणोदक के प्रवाह को नियंत्रित कर, इंजन को दबाया (throttled) जा सकता है, साथ ही इंजन को रोका जा सकता है या फिर से शुरू किया जा सकता है।
- **तरल प्रणोदक से हानियाँ:**
  - तरल प्रणोदक के साथ मुख्य कठिनाइयाँ ऑक्सीकारक के साथ हैं; क्योंकि नाइट्रिक एसिड (Nitric Acid) और नाइट्रोजन टेट्राक्साइड (Nitrogen Tetroxide) ऑक्सीकारक बेहद विषाक्त और अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं।
  - क्रायोजेनिक प्रणोदक को कम तापमान पर संग्रहीत करने से भी इसमें प्रतिक्रिया/विषाक्तता की भी संभावना होती है।

रॉकेट में उपयोग किये जाने वाले तरल प्रणोदकों को तीन प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है-

- **पेट्रोलियम:**
  - इस प्रकार के ईंधन कच्चे तेल से परिष्कृत होते हैं तथा जटिल हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होते हैं। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन कार्बनिक के यौगिक शामिल होते हैं।
  - रॉकेट ईंधन के रूप में उपयोग किया जाने वाला पेट्रोलियम एक प्रकार का उच्च परिष्कृत केरोसीन है।
- **क्रायोजेनिक प्रणोदक:**
  - क्रायोजेनिक प्रणोदक में तरलीकृत गैसें होती हैं जिन्हें बहुत कम तापमान पर संग्रहीत किया जाता है।
  - इसमें तरल हाइड्रोजन (LH_2) को ईंधन और तरल ऑक्सीजन (LO_2 या LOX) को ऑक्सीकारक के रूप में रूप में प्रयोग किया जाता है।
  - हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रमशः -253 डिग्री सेल्सियस (-423 डिग्री फारेनहाइट) और -183 डिग्री सेल्सियस (-297 डिग्री फारेनहाइट) के तापमान पर तरल अवस्था में रहते हैं।
- **हाइपरगोलिक (Hypergolic) प्रणोदक:**
  - हाइपरगोलिक प्रणोदक और ऑक्सीकारक एक-दूसरे के संपर्क में आने के बाद सहजता से जलते हैं।
  - हाइपरगोलिक की आसानी से होने वाली शुरुआत और दोबारा शुरुआत की क्षमता इसे अंतरिक्ष यान प्रणालियों के लिये आदर्श बनाती है।
  - हाइपरगोलिक तापमान सामान्य तापमान पर तरल रहता है, इसलिये क्रायोजेनिक प्रणोदक की तरह इसके भंडारण को लेकर समस्या नहीं होती है।
  - हाइपरगोलिक अत्यधिक विषाक्त होते हैं इसलिये इनकी ठीक से देखभाल भी एक चुनौती है। हाइपरगोलिक ईंधन के रूप में आमतौर पर हाइड्रैज़िन (Hydrazine), मोनोमिथाइल-हाइड्रेज़िन (Monomethyl-Hydrazine) और अनसिमिट्रिकल डाइमिथाइल-हाइड्रेज़िन (Unsymmetrical Dimethyl-Hydrazine) इत्यादि को प्रयोग में लाया जाता है।

ठोस प्रणोदक:

- ये सभी रॉकेट डिज़ाइनों में सबसे सरल हैं। इनमें आमतौर पर स्टील का एक आवरण होता है, जो ठोस यौगिकों (ईंधन और ऑक्सीकारक) के मिश्रण से भरा होता है।
- यह तीव्र गति से जलता है और रॉकेट को धक्का (Push) देने के लिये नोज़ल (रॉकेट का निकला हुआ भाग) से गर्म गैसों को बाहर निकालता है।
- ठोस प्रणोदक दो प्रकार के होते हैं- सजातीय (Homogeneous) और समग्र (Composite)। इन दोनों का ही घनत्व अधिक होता है तथा सामान्य तापमान पर आसानी से स्थिर होते हैं।
- समग्र (Composite) प्रणोदक ज्यादातर ठोस आक्सीकारक जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम डिनिट्रामाइड, अमोनियम पेक्लोरेट या पोटेशियम नाइट्रेट आदि की कणिकाओं के मिश्रण से बने होते हैं।

ठोस प्रणोदक के लाभ:

- ठोस प्रणोदक रॉकेट को तरल प्रणोदक रॉकेट की तुलना में संग्रहीत करना आसान है। प्रणोदक घनत्व अधिक होने से आकार भी सहज रहता है।

ठोस प्रणोदक से हानियाँ:

- तरल-प्रणोदक इंजन के विपरीत ठोस प्रणोदक के मोटर बंद नहीं किये जा सकते है।
- एक बार जलने के बाद वे तब तक जलेंगे जब तक कि प्रणोदक समाप्त नहीं हो जाता है।

हाइब्रिड प्रणोदक:

- इस प्रकार के प्रणोदक में ठोस और तरल प्रणोदक इंजनों के गुण होते हैं।
- सामान्यत: ईंधन ठोस और ऑक्सीकारक तरल अवस्था में होता है।
- तरल पदार्थ को ठोस में इंजेक्ट किया जाता है, साथ ही इसका ईंधन कक्ष, दहन कक्ष का भी कार्य करता है।
- ये ठोस प्रणोदक के समान ही उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं, लेकिन ठोस प्रणोदक के विपरीत इन्हें रोका भी जा सकता है तथा फिर से चालू भी किया जा सकता है।
- निश्चित ही इस प्रकार के प्रणोदकों की गुणवत्ता अधिक विकसित होगी, लेकिन इस प्रकार की तकनीकी को विकसित कर पाना अत्यंत कठिन कार्य है।

TOI 270 ग्रहीय प्रणाली

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नासा के ट्रांज़िटिंग एक्सोप्लेनेट सर्वे सैटेलाइट ने पृथ्वी से लगभग 73 प्रकाश वर्ष दूर एक बौने तारे और ग्रहीय प्रणाली की खोज की है।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि ट्रांज़िटिंग एक्सोप्लेनेट सर्वे सैटेलाइट (Transiting Exoplanet Survey Satellite- TESS) द्वारा खोजे गए इस बौने तारे और ग्रहीय प्रणाली का नाम TOI 270 रखा गया है।
- उल्लेखनीय है कि खोजा गया बौना तारा आकार और द्रव्यमान में सूर्य से 40 प्रतिशत छोटा है। TOI 270 पिक्टर तारामंडल (Pictor Constellation) में स्थित है।
- इस प्रणाली में कुल तीन ग्रह TOI 270 b, TOI 270 c और TOI 270 d पाए गए हैं जो क्रमश: 3.4 दिन, 5.7 दिन और 11.4 दिनों में अपने तारे की परिक्रमा करते हैं।
- TOI 270b सबसे अंदरूनी ग्रह है। शोधकर्त्ताओं के अनुमानानुसार यह पृथ्वी की तुलना में लगभग 25% बड़ा और पथरीला है। यह रहने योग्य नहीं है क्योंकि यह तारे के बहुत करीब स्थित है। TOI 270b हमारे सौर मंडल के बुध ग्रह की तुलना में सूर्य के काफी करीब है।
- नासा के अनुसार, TOI 270b का तापमान केवल तारे से प्राप्त होने वाली ऊर्जा पर निर्भर है। गृह का ताप अन्य कारकों जैसे- एल्बिडो, वायुमंडल से ऊर्जा के परावर्तन आदि से प्रभावित नहीं होता है। इसका तापमान लगभग 490 डिग्री फ़ारेनहाइट (254 डिग्री सेल्सियस) दर्ज किया गया है।
- TOI 270c और TOI 270d की तुलना नेप्च्यून जैसे ग्रह से की जा सकती है क्योंकि इनके संघटकों में गैसीय तत्त्वों की बहुलता है।
- TOI 270d की सतह भी अत्यधिक गर्म है जो द्रव रूप में जल की उपस्थिति के लिये अनुकूल नहीं है।
- ये ग्रह अपने तारे की परिक्रमा इस प्रकार करते हैं जिसमे ग्रह का एक भाग ही सदैव तारे के सामने रहता है। उल्लेखनीय है कि चंद्रमा भी ठीक इसी प्रकार पृथ्वी की परिक्रमा करता है।
- इस प्रणाली के सबसे बाहरी ग्रह, TOI 270d का तापमान लगभग 150 डिग्री फ़ारेनहाइट (66 डिग्री सेल्सियस) है। जो इस प्रणाली का सबसे समशीतोष्ण ग्रह है।

ट्रांज़िटिंग एक्सोप्लेनेट सर्वे सैटेलाइट-(TESS)

- TESS सौर मंडल के बाहर के बहिर्ग्रहों और ब्रह्मांड में मानव जीवन की खोज के लिये नासा का अभियान है।
- TESS को स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट की सहायता से 18 अप्रैल, 2018 को लॉन्च किया गया था।
- TESS का लक्ष्य वायुमंडलीय अध्ययन के लिये चमकीले, चट्टानी ग्रहों, जो आस-पास के तारों की कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं, की एक सूची बनाना है। ऐसे में ग्रहों की यह खोज TESS के लिये एक बड़ी उपलब्धि है।
- TESS के कैमरे की गुणवत्ता केपलर मिशन की तुलना में 30 से 100 गुना अधिक उज्ज्वल है साथ ही यह केपलर मिशन की तुलना में 400 गुना बड़े आकाशीय क्षेत्र को कवर करता है।

नासा का पंच (PUNCH) मिशन

नासा (NASA) ने अपने PUNCH मिशन का नेतृत्व करने के लिये टेक्सास स्थित साउथवेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट (Southwest Research Institute) का चयन किया है जो सूर्य को प्रतिबिंबित करेगा।

- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स (Indian Institute of Astrophysics) के सौर भौतिक विज्ञानी दीपांकर बनर्जी को भी PUNCH मिशन के सह-अन्वेषक के रूप में चुना गया है। जो PUNCH मिशन के तहत सौर हवाओं की गति तेज़ होने के कारणों का अध्ययन करेंगे और इसके अलावा सूर्य के ध्रुवीय क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे।
- यह एक महत्त्वपूर्ण मिशन है जो सूर्य के बाहरी कोरोना (corona) से परे के क्षेत्रों की छवि बनाएगा या उन्हें प्रतिबिंबित करेगा।
- PUNCH का पूरा नाम 'Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere' है। यह सूर्य के बाहरी कोरोना से सौर हवा में कणों के संक्रमण के अध्ययन पर केंद्रित है।
- PUNCH में सूटकेस-आकार के चार सूक्ष्म सेटेलाइट शामिल होंगे जो पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे और अध्ययन करेंगे कि कोरोना, जो कि सूर्य का वातावरण है, अंतर-ग्रहीय माध्यम से किस प्रकार जुड़ा हुआ है।
- इसके अलावा PUNCH और भारतीय मिशन आदित्य (आदित्य) के संयुक्त निष्कर्षों के आधार पर सूर्य का अवलोकन करने की भी योजना बनाई जा रही है।

भारत सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिये आदित्य-एल 1 (Aditya L-1) नामक मिशन की योजना बना रहा है।

कोरोना (Corona):

- सूर्य के वर्णमंडल के वाह्य भाग को किरीट/कोरोना (Corona) कहते हैं।
- पूर्ण सूर्यग्रहण के समय यह श्वेत वर्ण का होता है।
- किरीट अत्यंत विस्तृत क्षेत्र में पाया जाता है।

सौर पवन: यह सौर कोरोनल पदार्थों की निरंतर धारा है जो सूरज से निकलती रहती है।

इंटरप्लेनेटरी मीडियम:

- यह पतले बिखरे हुए पदार्थ हैं जो ग्रहों और सौर मंडल के अन्य निकायों, साथ ही साथ बलों (जैसे, चुंबकीय और विद्युत) के बीच मौजूद होते हैं तथा अंतरिक्ष में व्याप्त रहते हैं।
- इसके भौतिक घटकों में उदासीन हाइड्रोजन, प्लाज्मा गैस शामिल होती है।

सिज़ोफ्रेनिया

हाल ही में भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने सिज़ोफ्रेनिया से संबंधित एक नए जीन (NAPRT1) की पहचान की है।

- यह जीन सिज़ोफ्रेनिया रोगियों के एक बड़े जीनोमिक डेटासेट में विटामिन बी3 चयापचय में शामिल एक एंजाइम का कूटलेखन (Encode) करता है।
- इस अध्ययन को मुख्य रूप से यूरोपीय वंश के निवासियों में किया गया जहाँ सिज़ोफ्रेनिया से ग्रस्त रोगियों की एक बड़ी संख्या रहती है।

- सिज़ोफ्रेनिया एक मानसिक विकार है जो रोगी की सोच, भाषा, धारणा तथा स्वयं की भावना को बहुत अधिक प्रभावित करता है।
- सिज़ोफ्रेनिया के मरीज वास्तविक दुनिया से कट जाते हैं। इस बीमारी से ग्रसित दो मरीजों के लक्षण हर बार एक जैसे नहीं होते। ऐसे में इस बीमारी का पता लगाना कठिन हो जाता है।

सिज़ोफ्रेनिया के कारण

- आनुवंशिक
- वायरल संक्रमण
- भ्रूण कुपोषण
- प्रारंभिक जीवन के दौरान तनाव
- जन्म के समय माता-पिता की आयु

प्रभाव

- मतिभ्रम
- भ्रम
- कम बोलना
- सूचना और निर्णय लेने की क्षमता को कम करना
- ध्यान केंद्रित करने में परेशानी या ध्यान देना आदि

सिज़ोफ्रेनिया का इलाज

- सिजोफ्रेनिया एक ऐसी स्थिति है जो सारी जिंदगी रहती है,
- सभी प्रकार के सिजोफ्रेनिया का इलाज एक ही तरीके से किया जाता है।
- बीमारी के तथ्यों, गंभीरता और लक्षणों के आधार पर इसके इलाज के तरीकों में अंतर हो सकता है।

प्लूनेट्स

हाल ही में खगोलविदों ने एक ऐसे आकाशीय पिण्ड ('प्लूनेट') की खोज की है जो एक उपग्रह है। अभी तक किसी भी ग्रह से इसके संबंध का पता नहीं चल पाया है।

- प्लेनेट + मून = प्लूनेट (Planet + moon = Ploonet)
- शोधकर्त्ताओं के अनुसार, ग्रह एवं उसके चंद्रमा के बीच की कोणीय गति के परिणामस्वरूप चंद्रमा अपने मूल ग्रह के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से बच जाता है।
- एक नए अध्ययन से पता चलता है कि गैस के विशाल भंडार वाले इन बाह्य ग्रहों के चंद्रमा अपनी स्वयं के कक्षाओं से विस्थापित हो सकते हैं।
- अध्यायांकर्त्ताओं द्वारा जारी नए मॉडल के अनुसार, जैसे ही ये बाह्य ग्रह अपने सूर्य की ओर बढ़ते हैं उनके चंद्रमाओं की परिक्रमा अक्सर बाधित होती है।
- वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार, इन गैसों (जो बाह्य ग्रहों पर उपस्थित होती हैं) को अपने पैरेंट/मूल तारों के आस-पास की कक्षाओं में मौजूद होना चाहिये जिससे चंद्रमा या ग्रहों की कार्यप्रणाली प्रभावित न हो।

रोबोटिक्स के माध्यम से नए एंटीबायोटिक्स का उत्पादन

शोधकर्त्ताओं ने रोबोटिक्स का उपयोग करके आंत में पाए जाने वाले एक सामान्य जीवाणु एस्चेरिचिया कोलाई (Escherichia coli) से एंटीबायोटिक दवाओं का एक नया वर्ग प्रस्तुत किया है, जिसे द्वितीय श्रेणी पॉलीकेटाइड्स (Class II Polyketides) के रूप में जाना जाता है।

- ये एंटीबायोटिक्स भी प्राकृतिक रूप से मिट्टी में उपस्थित बैक्टीरिया द्वारा निर्मित होते हैं और इनमें रोगाणुरोधी गुण होते हैं जो आधुनिक दवा उद्योग में संक्रामक रोगों और कैंसर से लड़ने के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
- वैज्ञानिकों के अनुसार, प्राकृतिक रूप से उत्पादित एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया के साथ काम करना मुश्किल होता है क्योंकि वे आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिये उपयोग किये जाने वाले स्वचालित रोबोट सिस्टम के असंगत होते हैं।
- यह सफलता रोगाणुरोधी प्रतिरोध के खिलाफ चल रही लड़ाई में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, क्योंकि हाल ही में विकसित स्वचालित रोबोटिक्स सिस्टम का उपयोग अब तीव्र एवं कुशल तरीके से नए एंटीबायोटिक्स बनाने में किया जा सकता है।

एंटीबायोटिक

- एक ऐसा यौगिक है, जो बैक्टीरिया (जीवाणु) को नष्ट कर देता है।
- यह बीमारी न फ़ैलने देने वाले यौगिकों का एक व्यापक समूह होता है, जिसका उपयोग कवक और प्रोटोजोवा सहित समान्य सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाने वाले बैक्टीरिया, फ़फ़ूंदी तथा अन्य परजीवीयों के कारण हुए संक्रमण को रोकने के लिये होता है।
- बैक्टीरिया पर इसके प्रभाव या कार्य के अनुसार एंटीबायोटिक्स को दो समूहों में बाँटा जाता है।
  - 'जीवाणुनाशक एजेंट'- जीवाणुओं को मारते हैं।
  - 'बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट'- जो जीवाणु के विकास को दुर्बल करते हैं।
- पेनिसिलिन जीवाणुनाशक एंटीबायोटिक है। यह जीवाणु के कोशिका दीवार या कोशिका झिल्ली पर वार करता है।
- पहला खोजा जाने वाला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है द्वितीय विश्व युद्ध में घायल हुए अमेरिकी सैनिकों के इलाज के लिये इस एंटीबायोटिक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था।
- एंटीबायोटिक्स को एंटीबैक्टीरियल के नाम से भी जाना जाता है।
- हमारे इम्यून सिस्टम यानी रोग-प्रतिरोधक तंत्र में बैक्टीरिया के कारण हुए संक्रमण को दूर करने के गुण पाए जाते हैं। लेकिन कभी-कभी बैक्टीरिया का आक्रमण इतना अधिक हो जाता है कि संक्रमण को दूर करना इम्यून सिस्टम की क्षमता के बाहर हो जाता है। ऐसे संक्रमण से बचने के लिये हमें बाहर से दवा के रूप में एंटीबायोटिक लेने की आवश्यकता होती है।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

हवाई जहाज के कंट्रेल से ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक अध्ययन से यह पता चला है कि एयरक्राफ्ट की तुलना में वायु-यानों द्वारा निकलने वाले कंट्रेल (Contrails)/(वायु-यान के धुएँ से निर्मित कृत्रिम बादल) अत्यधिक कार्बन डाइ ऑक्साइड (CO_2) उत्सर्जन करते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के लिये ज़िम्मेदार है।

प्रमुख बिंदु

- अध्ययनकर्त्ताओं के अनुसार, वायु-यानों से उत्सर्जित धुएँ के प्रभाव से होने वाला जलवायु परिवर्तन वर्ष 2006 की तुलना में वर्ष 2050 तक तीन गुना हो जाएगा। इसके निम्नलिखित कारण हैं:
- आधुनिक विमान अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में अधिक तेज़ उड़ान भरते है, जिससे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पर संवेदी बादल बनने की संभावना बढ़ जाती है।
- हवाई यातायात में वृद्धि।
- ईंधन की दक्षता में सुधार
- अध्ययन के अनुसार, वायुमंडल पर कंट्रेल बादलों के कारण पड़ने वाले दुष्प्रभाव से उत्तरी अमेरिका और यूरोप सर्वाधिक प्रभावित होगा क्योंकि ये विश्व के सबसे व्यस्त हवाई यातायात क्षेत्र हैं।
- हालांकि, एशिया में भी इसका दुष्प्रभाव पडेगा क्योंकि इस क्षेत्र में भी हवाई यातायात में वृद्धि हो रही है।
- कंट्रेल का ऊष्ण प्रभाव अल्पकालिक होता है, क्योंकि यह ऊपरी वायुमंडल में होता है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह वास्तव में यह तापान्तर पृथ्वी की सतह की तुलना में कितना है।

कंट्रेल्स

- अत्यधिक ऊंचाई पर वाष्प दबाव और तापमान बहुत कम होने के कारण जेट इंजन से निकलने वाली नम अपशिष्ट गैसें वातावरण में मिल जाती है।
- जेट विमानों से उत्सर्जित अपशिष्ट गैसों में निहित जल वाष्प, संघनित हो कर जम जाती है एवं इसी प्रक्रिया के द्वारा कंट्रेल बादलों का निर्माण होता है।
- इनमें से अधिकांश कंट्रेल बादल शीघ्र ही से लुप्त हो जाते हैं, लेकिन अनुकूल परिस्थितियों में वे घंटों तक रह सकते हैं, और जब ऐसा होता है तो वे पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित तापीय विकिरण को अवशोषित करके वातावरण को गर्म कर देते हैं।

प्रभाव

- जेट इंजन से उत्सर्जित अपशिष्ट गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, अधजला ईंधन, कालिख और कुछ धातु के कण, साथ ही जल वाष्प भी होती हैं।
- जिसमें कालिख जल वाष्प को संघनन स्थल प्रदान करती है तथा हवा में मौजूद अन्य कण अतिरिक्त सहायक की भूमिका निभाते हैं।
- एक विमान की ऊंचाई, वातावरण का तापमान और आर्द्रता, कंट्रेल की मोटाई की सीमा और अवधि में भिन्न हो सकती हैं।
- जेट कंट्रेल की प्रकृति और दृढ़ता का उपयोग मौसम की भविष्यवाणी हेतु भी किया जा सकता है।
- अत्यधिक ऊंचाई पर एक पतली, अल्पकालिक कंट्रेल कम नमी वाली हवा को इंगित करता है, जो उचित मौसम का संकेत देता है, जबकि एक मोटी, लंबे समय तक चलने कंट्रेल उच्च ऊंचाई पर आर्द्र हवा को दर्शाता है और एक तूफान का शुरुआती संकेतक हो सकता है।

महत्व

- विमानन का पहले से ही जलवायु पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है। वर्ष 2005 में, वायु यातायात ने जलवायु परिवर्तन पर मनुष्यों के प्रभाव का लगभग 5 प्रतिशत योगदान दिया है।
- प्रत्येक 15 वर्ष के अंतराल पर हवाई यातायात लगभग दोगुना हो जाता है। वायु-यानों के कंट्रेल, विमानन उद्योग के सबसे बड़े जलवायु प्रदूषक हैं।
- लेकिन विमानन क्षेत्र की जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए नीतियां CO_2 उत्सर्जन पर ध्यान केंद्रित करती हैं, परंतु कंट्रेल के प्रभाव को अनदेखा कर देती हैं।
- अत: अध्ययनकर्त्ता यह सुझाव देते है कि कंट्रेल जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारक है जिसे ध्यान में रखकर जलवायु नीतियों का निर्माण करना चाहिये।

उपाय

- क्लीनर द्वारा विमान उत्सर्जन समस्या को हल किया जा सकता है, इसकी सहायता से विमान इंजनों द्वारा उत्सर्जित कालिख कणों की संख्या को कम करके कंट्रेल में संघनित बर्फ के क्रिस्टल की संख्या घट जाती है और इसका तात्पर्य है कि कंट्रेल सिरस का जलवायु प्रभाव भी कम हो जाएगा।
- हालांकि, कालिख (Soot) के प्रभाव को कम करने से भले ही यह 90 प्रतिशत तक कम हो गया हो लेकिन कंट्रेल, वर्ष 2006 की तुलना में वर्ष 2050 में ऊष्णता को तेज़ी से बढ़ाएगा।

यूरोप में ग्रीष्म लहर

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में दक्षिणी फ्राँस, जर्मनी, चेक गणराज्य और पोलैंड में क्रमश: 45.9°C , 39.3°C, 38.9°C और 38.2°C तापमान दर्ज किया गया। इससे यूरोप में ग्रीष्म लहर (Heat Wave) की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है।

प्रमुख बिंदु

- विश्व मौसम विज्ञान संगठन (World Meteorological Organization- WMO) के अनुसार, यूरोप में हीटवेव/ग्रीष्म लहर का प्रमुख कारण अफ्रीका से प्रवाहित होने वाली गर्म हवाएँ तथा भारत, पाकिस्तान, मध्य पूर्व और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में अत्यधिक गर्मी की स्थिति है।
- मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक तापमान बढ़ने से ग्रीष्म लहर बढ़ रही है।
- वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन ग्रुप (World Weather Attribution Group) द्वारा यूरोप-वाइड हीटवेव पर किये गए अध्ययन के अनुसार, इस क्षेत्र में तापमान में वृद्धि मानवीय गतिविधियों द्वारा भी हुई है। जलवायु परिवर्तन में मानवीय गतिविधियाँ भी काफी ज़िम्मेदार हैं।
- यदि वर्तमान प्रवृत्ति जारी रही तो यूरोप में हीटवेव वर्ष 2040 तक ऐसे ही प्रत्येक वर्ष आती रहेगी तथा यदि यही प्रक्रिया निरंतर चलती रही तो वर्ष 2100 तक वहाँ का तापमान लगभग 3-5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है।

अत्यधिक तापमान का कारण

विश्व मौसम संगठन (World Meteorological Organization-WMO) के अनुसार-

1. अफ्रीका से प्रवाहित होने वाली गर्म हवाएँ यूरोप में तापमान को बढ़ा देती हैं जिनके चलते ग्रीष्म लहर की घटनाएँ हो रही हैं।
2. जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप इस प्रकार की अप्रत्याशित घटनाओं में वृद्धि हुई है।
3. ग्रीन हाउस गैसों की बढती सांद्रता के कारण भी तापमान बढ़ रहा है जो ग्रीष्म लहर की घटनाओं के लिये उत्तरदायी है ।

ग्रीष्म लहर/हीटवेव क्या है ?

- विभिन्न देशो में उनके तापमान के आधार पर हीटवेव को वर्गीकृत किया जाता है क्यों कि एक ही अक्षांश पर तापमान में भिन्नता पायी जाती है।
- WMO ने वर्ष 2016 में प्रकाशित अपने दिशा-निर्देशों में तापमान और मानवीय गतिविधियो जैसे कुछ कारको को ग्रीष्म लहर के मानक आधार के रूप में चिह्नित किया।

- भारत के मौसम विभाग ने मैदानी क्षेत्रों में 40 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी क्षेत्रों में 30 डिग्री सेल्सियस तापमान को हीटवेव के मानक के रूप में निर्धारित किया है।
- जहाँ सामान्य तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है वहाँ 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर सामान्य हीटवेव तथा 7 डिग्री सेल्सियस से अधिक तामपान बढ़ने पर गंभीर हीटवेव की घटनाएँ होती है।
- जहाँ सामान्य तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है वहाँ पर 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाने पर सामान्य हीटवेव और 6 डिग्री सेल्सियस से अधिक तामपान बढ़ने पर गंभीर हीटवेव की घटनाएँ होती है

स्वास्थ्य संबंधी दुष्परिणाम :

- WMO के अनुसार हीटवेव से लोगो का स्वास्थ्य, कृषि और पर्यावरण सबसे ज्यादा प्रभावित होगा।
- यूरोप के लोगो में तापमान सहन करने की क्षमता गर्म देशो की अपेक्षा कम होती है, उदाहरणस्वरुप 35 डिग्री सेल्सियस तापमान भारत आदि देशो के लिये सामान्य है लेकिन यूरोप में लोग इतने तापमान पर बीमार होने लगते है, बच्चे एवं बुजुर्ग विशेष रूप से इससे प्रभावित होते है।
- उच्च तापमान से थकावट, हीट स्ट्रोक (heat stroke), अंग की विफलता (Organ Failure) और सांस लेने में समस्याएँ देखने को मिल रही है।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (World Meteorological Organisation)

- यह एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसे 23 मार्च, 1950 को मौसम विज्ञान संगठन अभिसमय के अनुमोदन द्वारा स्थापित किया गया है।
- यह पृथ्वी के वायुमंडल की परिस्थिति और व्यवहार, महासागरों के साथ इसके संबंध, मौसम और परिणामस्वरूप उपलब्ध जल संसाधनों के वितरण के बारे में जानकारी देने के लिये संयुक्त राष्ट्र (UN) की आधिकारिक संस्था है।
- 191 सदस्यों वाले विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा (Geneva) में है।
- उल्लेखनीय है कि प्रतिवर्ष 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है।

कॉस्मिक किरणों का पृथ्वी पर प्रभाव

चर्चा में क्यों ?

वैज्ञानिकों द्वारा किये गए शोध के अनुसार, अंतरिक्ष से पृथ्वी पर पड़ने वाले उच्च-ऊर्जा विकिरण (High-Energy Radiation) बादलों के आवरण (Cloud Cover) में वृद्धि करके 'अम्ब्रेला इफ़ेक्ट' (Umbrella Effect) जैसी स्थिति बनाते हैं, जो पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित कर सकते हैं।

प्रमुख बिंदु

- इन उच्च-ऊर्जा विकिरण (High-Energy Radiation) को गेलेक्टिक कॉस्मिक किरणें (Galactic Cosmic Rays) भी कहा जाता है।
- वायुमंडलीय तापमान तथा वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा के साथ-साथ अंतरिक्ष के माध्यम से आने वाली कॉस्मिक किरणें भी बादल बनने की दिशा में योगदान करती हैं।
- साइंटिफिक रिपोर्ट्स जर्नल (Scientific Reports Journal) में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, गेलेक्टिक कॉस्मिक किरणें बादलों के निर्माण में वृद्धि करती हैं या वैश्विक स्तर पर बादलों के आवरण (Cloud Cover) को बढ़ा सकती हैं इससे अंततः पृथ्वी का वातावरण प्रभावित होता है।
- हालाँकि जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (Intergovernmental Panel on Climate Change- IPCC) के मौसम संबंधी आँकड़ों के आधार पर किये गए पिछले अध्ययन इस बात को सही साबित नहीं करते।
- इस अध्ययन के लिये जापान में कोबे विश्वविद्यालय के शोधकर्त्ताओं ने 7,80,000 साल पहले पृथ्वी पर हुए अंतिम भू-चुंबकीय उत्क्रमण (Geomagnetic Reversal Transition) का विश्लेषण किया।
- इस अवधि के दौरान पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति एक-चौथाई से भी कम हो गई और गेलेक्टिक कॉस्मिक किरणों में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई।

कॉस्मिक किरणें/ गेलेक्टिक कॉस्मिक किरणें

- कॉस्मिक किरणें उच्च ऊर्जा वाले कण होते हैं, जो अंतरिक्ष के वाह्य भाग में उत्पन्न होती हैं। इनकी गति लगभग प्रकाश की गति के समान होती है और पृथ्वी के चारों तरफ पाई जाती हैं।
- अधिकांश कॉस्मिक किरणें आवर्त सारणी में सबसे हल्के तत्त्वों से लेकर सबसे भारी तत्त्व तक परमाणुओं की नाभिक में होती हैं। कॉस्मिक किरणों में उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉन, पॉज़िट्रॉन और अन्य उप-परमाणु कण भी शामिल होते हैं।
- शब्द 'कॉस्मिक किरणें' आमतौर पर गेलेक्टिक कॉस्मिक किरणों को संदर्भित करता है, जो सौर प्रणाली के वाह्य स्रोतों में उत्पन्न होती हैं।

अम्ब्रेला इफ़ेक्ट 'Umbrella Effect'

- यह पर अम्ब्रेला इफ़ेक्ट पृथ्वी के शीतलन को संदर्भित करता है, क्योंकि कॉस्मिक किरणें निम्न स्तर के बादलों को बढ़ाती हैं जो सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध करती हैं जिससे यह अम्ब्रेला/छाता के रूप में कार्य करता है।

  चुंबकत्व वह प्रक्रिया है, जिसमें एक वस्तु दूसरी वस्तु पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाती है।
- सभी वस्तुएँ न्यूनाधिक मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति से प्रभावित होती हैं।
- पृथ्वी भी चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित करती है। इसे 'भू-चुंबकत्व' कहते हैं।
- पृथ्वी एक विशाल चुंबक है, जिसका अक्ष लगभग पृथ्वी के घूर्णन अक्ष पर पड़ता है। यह मुख्यत: 'द्वि-ध्रुवीय' है और पृथ्वी के आंतरिक क्रोड से उत्पन्न होता है। वहीं, शीतल ज्वालामुखी लावा, जमी हुई तलछट और प्राचीन ईंट प्रेरित चुंबकत्व का अध्ययन 'पुरा-चुंबकत्व' कहलाता है।
- 'पुरा-चुंबकत्व' शताब्दियों, सहस्त्राब्दियों और युगों पूर्व के भू-चुंबकीय परिवर्तनों की जानकारी प्रदान करता है।
- शोधकर्त्ताओं ने अपने अध्ययन में वार्षिक औसत तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट तथा जापान में ओसाका खाड़ी में तलछट से वार्षिक तापमान में वृद्धि के प्रमाण भी प्राप्त किये।
- शोधकर्त्ताओं के अनुसार, वर्तमान में जलवायु परिवर्तन की घटनाओं में वृद्धि के साथ ग्लोबल वार्मिंग में गेलेक्टिक कॉस्मिक किरणों की भूमिका को समझना महत्त्वपूर्ण हो सकता है।
- यह जलवायु पर बादलों के प्रभाव का अध्ययन करने का अवसर प्रदान करता है।

निष्कर्ष

- जब गेलेक्टिक कॉस्मिक किरणें बढ़ती हैं, तब निम्न बादल बनते हैं और जब कॉस्मिक किरणें कम हो जाती हैं तो बादल वैसे ही रहते हैं, जलवायु में परिवर्तन होने का कारण अपोज़िट- अम्ब्रेला इफ़ेक्ट (Opposite-Umbrella Effect) हो सकता है।
- वर्तमान के ग्लोबल वार्मिंग के साथ-साथ मध्ययुगीन काल की गर्म अवधि का अध्ययन करने में गेलेक्टिक कॉस्मिक किरणों के कारण उत्पन्न अम्ब्रेला इफ़ेक्ट अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल Intergovernmental Panel on Climate Change- IPCC

- जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैज्ञानिक आकलन करने हेतु संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है जिसमें 195 सदस्य देश हैं।
- इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) और विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) द्वारा वर्ष 1988 में स्थापित किया गया था।
- इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, उसके प्रभाव और भविष्य के संभावित जोखिमों के साथ-साथ अनुकूलन तथा जलवायु परिवर्तन को कम करने हेतु नीति निर्माताओं को रणनीति बनाने के लिये नियमित वैज्ञानिक आकलन प्रदान करना है।
- IPCC आकलन सभी स्तरों पर सरकारों को वैज्ञानिक सूचनाएँ प्रदान करता है जिसका इस्तेमाल जलवायु के प्रति उदार नीति विकसित करने के लिये किया जा सकता है।
- IPCC आकलन जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

पिघल रही है शीत कटिबंध की बर्फ

चर्चा में क्यों?

वैज्ञानिक एजेंसियों द्वारा जारी नए आँकड़ों के अनुसार, ग्लोबल वार्मिंग के कारण आर्कटिक और अंटार्कटिक के आसपास की बर्फ तेज़ी से पिघल रही है।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि यह परिघटना शीत कटिबंध (Frigid Zone) पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के बारे में जलवायु वैज्ञानिकों की चेतावनी को सही साबित करती है।
- जलवायु वैज्ञानिक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से चरम मौसमी घटनाओं की बारंबारता में वृद्धि, जलवायु परिवर्तनशीलता और जलवायु पैटर्न की अस्थिरता की चेतावनी देते रहे हैं।
- यूएस नेशनल स्नो एंड आइस डेटा सेंटर (US National Snow and Ice Data Center) के एक अध्ययन के अनुसार, आर्कटिक महासागर में जून 2016 के बाद वर्तमान में दूसरी सबसे कम बर्फ की मात्रा दर्ज की गई है।
- अध्ययन में यह भी कहा गया कि आर्कटिक महासागर की समुद्री सतह का तापमान चुक्सी सागर (Chukchi Sea) के तापमान से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। साथ ही लाप्तेव सागर (Laptev Sea) और कारा सागर (Kara Sea) में जल की मात्रा बैफिन खाड़ी और दक्षिण-पूर्वी ग्रीनलैंड तट की अपेक्षा बढ़ रही है।
- विश्व मौसम संगठन (WMO) के अनुसार, अंटार्कटिक और आर्कटिक समुद्री बर्फ की मात्रा रिकॉर्ड स्तर पर कम हुई है।
- नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के अध्ययन के अनुसार, वर्ष 1970 से वर्ष 2014 तक बर्फ की मात्रा में बढ़ोतरी देखी गई, जबकि वर्ष 2014 से वर्ष 2017 के बीच बर्फ की मात्रा में कमी आने लगी।
- आर्कटिक महासागर के गर्म होने से उत्तरी गोलार्द्ध में पछुवा और जेट स्ट्रीम भी प्रभावित होगी। इससे मौसमी पैटर्न में बदलाव के साथ चरम मौसमी घटनाओं की आवृत्ति में वृद्धि होगी और जलवायु में अस्थिरता बढ़ जाएगी।
- IPCC ने अपनी रिपोर्ट में भी 21वीं सदी के अंत तक आर्कटिक महासागर के तापमान में 8 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान व्यक्त किया है।

शीत कटिबंध

- 66 डिग्री के ऊपर की अक्षांशीय स्थिति को शीत कटिबंध या फ्रिज़िड ज़ोन (Frigid Zone) कहते हैं।
- शीत कटिबंध क्षेत्र में सूर्य की किरणें क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाती है। इसलिये यहाँ का औसत तापमान काफी कम रहता है और बर्फ की उपस्थिति भी वर्ष के महीनों तक बनी रहती है।
- वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग के कारण इस क्षेत्र की बर्फ तेज़ी से पिघल रही है जिसके परिणामस्वरूप चरम मौसमी घटनाओं की बारंबारता बढ़ रही है साथ ही जलवायु अध्ययनों में दीर्घकालिक जलवायु अस्थिरता का भी अनुमान व्यक्त किया जा रहा है।
- अमेरिका, कनाडा, आइसलैंड, नार्वे, फिनलैंड, स्वीडन, रूस इत्यादि देश फ्रिज़िड ज़ोन में स्थित हैं।

मियावाकी पद्धति

चर्चा में क्यों?

तेलंगाना सरकार ने जापानी वृक्षारोपण 'मियावाकी पद्धति' (Miyawaki method) की तर्ज़ पर तेलंगानाकु हरिता हरम (Telanganaku Haritha Haaram- TKHH) योजना की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है।

प्रमुख बिंदु

- मियावाकी पद्यति के प्रणेता जापानी वनस्पति वैज्ञानिक अकीरा मियावाकी (Akira Miyawaki) हैं। इस पद्यति से बहुत कम समय में जंगलों को घने जंगलों में परिवर्तित किया जा सकता है।
- इस योजना ने घरों के आगे अथवा पीछे खाली पड़े स्थान (Backyards) को छोटे बागानों में बदलकर शहरी वनीकरण की अवधारणा में क्रांति ला दी है।
- इस पद्धति में देशी प्रजाति के पौधे एक दूसरे के समीप लगाए जाते हैं, जो कम स्थान घेरने के साथ ही अन्य पौधों की वृद्धि में भी सहायक होते हैं।
- सघनता की वजह से ये पौधे सूर्य की रौशनी को धरती पर आने से रोकते हैं, जिससे धरती पर खरपतवार नहीं उग पाता है। तीन वर्षों के पश्चात् इन पौधों को देखभाल की आवश्यकता नही होती है।
- पौधे की वृद्धि 10 गुना तेज़ी से होती है जिसके परिणामस्वरूप वृक्षारोपण सामान्य स्थिति से 30 गुना अधिक सघन होता है।
- जंगलों को पारंपरिक विधि से उगने में लगभग 200 से 300 वर्षों का समय लगता है, जबकि मियावाकी पद्धति से उन्हें केवल 20 से 30 वर्षों में ही उगाया जा सकता है।

मियावाकी पद्धति

- सर्वप्रथम क्षेत्र विशेष के मूल पेड़ों की पहचान की जाती है और उन्हें चार भागों में विभाजित किया जाता है-
  - झाड़ी (Shurb)
  - छोटे पेड़ (Sub-Tree)
  - पेड़
  - कैनोपी (canopy)
- मिट्टी की गुणवत्ता का विश्लेषण करने के पश्चात् इसमें बायोमास (Biomass) मिलाया जाता है जो मिट्टी की जल धारण क्षमता तथा इसमें पोषक तत्वों को बढ़ाने में मदद करता है।
- हालाँकि कई पर्यावरणविदों ने इस पद्धति के तहत होने वाले वृद्धि और विकास पर सवाल उठाया है।
- पर्यावरणविदों के अनुसार, पौधों को तीव्र प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हेतु उत्तेजित करना उचित नहीं है।

वन्यजीवों में इम्यूनोकॉन्ट्रासेप्टिव का उपयोग

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Environment, Forest and Climate Change- MoEFCC) ने जंगली जानवरों की चार प्रजातियों की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिये इम्यूनोकॉन्ट्रासेप्टिव (Immunocontraceptives) उपाय अपनाने हेतु एक परियोजना शुरू की है।

प्रमुख बिंदु

- यह परियोजना पशुओं के संदर्भ में इम्यूनोकॉन्ट्रासेप्शन (Immunocontraception) की नियामावली को विकसित करने के लिये भारतीय वन्यजीव संस्थान (Wildlife Institute of India- WII) और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी (National Institute of Immunology- NII) का एक उन्नत प्रयास है।
- जानवरों की चार प्रजातियों में हाथी, जंगली सूअर, बंदर और नीलगाय को शामिल किया गया है।
- यह पायलट परियोजना उत्तराखंड में चलाई गई है जो बाद में देश के बाकी हिस्सों में लागू की जाएगी।

मानव-पशु संघर्ष

- वर्तमान में देश में वन्यजीवों के प्रबंधन में मानव-पशु संघर्ष एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया है और मानव-हाथी संघर्ष के कारण प्रत्येक वर्ष अधिक विसंगतियाँ देखी जा रही हैं।

- उदाहरण के तौर पर हाल ही में संसद में प्रस्तुत एक पत्र के अनुसार, सिर्फ पिछले वर्ष में ही हाथियों द्वारा हमले में लगभग 494 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। वर्ष 2014 से मार्च 2019 के बीच देश में हाथियों के हमले में 2,398 लोगों की मौत हुई, जिसमें सबसे अधिक मौतें पश्चिम बंगाल में हुई।

इम्यूनोकॉन्ट्रासेप्शन

- इम्यूनोकॉन्ट्रासेप्शन (Immunocontraception) एक ऐसी तकनीक है जो अंडे (Egg) के चारों ओर प्रोटीन बनाने में मादा पशु की प्रतिरक्षा प्रणाली का उपयोग करती है और इसे निषेचन से सुरक्षा प्रदान करती है।

चुनौतियाँ

- हालाँकि अफ्रीका में क्रुगर नेशनल पार्क (Kruger National Park) जैसे क्षेत्रों में गर्भ-निरोधक विधि का उपयोग किया जा रहा है लेकिन भारत में इस तरह की परियोजना को लागू करना अत्यंत कठिन होगा।
- हालाँकि हाथियों पर इम्यूनोकॉन्ट्रासेप्शन का उपयोग करने पर अदालत द्वारा रोक/निषेध है लेकिन मंत्रालय द्वारा इस आदेश को रद्द करने की कोशिश की जा रही है। स्पष्ट है कि इस नियंत्रण प्रक्रिया के अंतर्गत लंबे समय तक कुछ सरकारी/कानूनी प्रयासों को भी दरकिनार किया जाएगा।
- तय किये गए लक्ष्यों के आधार पर एक बड़ी संख्या में मादा पशुओं का पता लगाकर, उनका टीकाकरण किया जाना, एक कठिन कार्य होगा।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

- यह भारत की पर्यावरण एवं वानिकी संबंधी नीतियों एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के नियोजन, संवर्द्धन, समन्वय और निगरानी हेतु केंद्र सरकार के प्रशासनिक ढाँचे के अंतर्गत एक नोडल एजेंसी है।
- इस मंत्रालय का मुख्य दायित्व देश की झीलों और नदियों, जैव विविधता, वनों एवं वन्यजीवों सहित प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, पशु कल्याण,आदि से संबंधित नीतियों तथा कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना है।
- इन नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में मंत्रालय सतत् विकास एवं जन कल्याण को बढ़ावा देने के सिद्धांतों का पालन करता है।
- यह मंत्रालय देश में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP), दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम (SACEP), अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वत विकास केंद्र (ICIMOD) के लिये तथा पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCED) के पालन हेतु भी नोडल एजेंसी की तरह कार्य करता है।
- इस मंत्रालय को बहुपक्षीय निकायों और क्षेत्रीय निकायों के पर्यावरण से संबंधित मामले भी सौंपे गए हैं।

ज़िला-स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (DEIAA)

चर्चा में क्यों?

पर्यावरण आकलन (Environmental Assessment) के लिये नियुक्त राज्य-स्तरीय अधिकारियों ने ज़िला-स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (District-Level Environment Impact Assessment Authorities - DEIAA) के निर्माण हेतु तैयार किये गए कानून के कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताई है।

मुख्य बिंदु :

- पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2019 (Environment Impact Assessment Notification, 2019 - EIA 2019) जिलाधिकारी (District Magistrate - DM) को DEIAA (जो की एक विशेष प्राधिकरण है) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान करता है।
- EIA 2019 के तहत DEIAA को 'लघु-खनन' परियोजनाओं की पर्यावरणीय मंज़ूरी का अधिकार सौंपा गया है।

  लघु-खनन का तात्पर्य 25 हेक्टेयर या उससे छोटे भूखंडों पर होने वाले रेत और पत्थर के खनन से है।
- इससे पूर्व EIA 2006 के कई प्रावधानों को NGT के समक्ष चुनौती दी जा चुकी है और उसमे कई परिवर्तन भी हुए हैं।
- EIA 2019 इन सभी परिवर्तनों को समायोजित करने का प्रयास करता है।

क्या होता है EIA?

- EIA एक ऐसा दस्तावेज़ है जो किसी परियोजना हेतु पर्यावरणीय मंजूरी की प्रक्रिया का निर्धारण करता है।
- इस दस्तावेज़ के अनुसार, ऐसे सभी विकासकर्त्ताओं (Developers), जिनके परियोजनाओं में वनों, नदियों एवं उसके किनारों और अन्य पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों को प्रभावित एवं परिवर्तित करने की शक्ति है, को केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय (MoEF) या इसके द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों से अनुमति लेनी होगी।
- EIA 2019 अभी पूर्णतया तैयार नहीं हुआ है। अभी राज्यों को सिर्फ 'ज़ीरो ड्राफ्ट' ही भेजा गया है, जिसका अर्थ है कि राज्य के अधिकारियों से अभी इस संदर्भ में टिप्पणी माँगी जा रही है जिसके बाद इसे संशोधित किया जाएगा और फिर इसे सार्वजनिक टिप्पणी के लिये आमंत्रित किया जाएगा।
- राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा DM को DEIAA के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त न किये जाने के निम्न तर्क दिये जा रहे हैं :
  - DM पर्यावरण और पारिस्थितिकी के मामलों में तकनीकी विशेषज्ञता नहीं रखता है।
  - राज्य अपने मानव संसाधन (DM के रूप में) को अतिरिक्त कार्यभार देने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं।

वनीकरण के लिये उपलब्ध भूमि का अध्ययन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में शोधकर्त्ताओं ने वनीकरण के लिये विश्व भर में उपलब्ध भूमि की मात्रा का निर्धारण किया है जिससे वायुमंडल में कार्बन उत्सर्जन की बढ़ती मात्रा को रोकने में मदद मिलेगी।

प्रमुख बिंदु :

- IPCC की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2050 तक वैश्विक तापन को पूर्व-औद्योगिक युग के मुकाबले 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिये वन- भूमि में 1 बिलियन हेक्टेयर की वृद्धि की आवश्यकता होगी।
- वृक्ष, जो कार्बन-डाइऑक्साइड (CO_2) का अवशोषण करते हैं, वायुमंडल में उत्सर्जित होने वाली गैसों के लिये प्राकृतिक सिंक का कार्य करते हैं।
- अमेरिकी राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन के अनुसार, जीवाश्म ईंधन के दहन से वातावरण में उत्सर्जित होने वाले कार्बन-डाइऑक्साइड का 25% भाग वृक्षों द्वारा व अन्य 25% भाग महासागरों द्वारा अवशोषित किये जाते हैं जबकि वायुमंडल में शेष 50% भाग के कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है।
- शोधकर्त्ताओं ने 80,000 तस्वीरों के आधार पर विश्व भर में वनीकरण हेतु 0.90 बिलियन हेक्टेयर भूमि की पहचान की है। इस संपूर्ण भूमि पर वनीकरण से मानव निर्मित कुल कार्बन उत्सर्जन के दो-तिहाई हिस्से को अवशोषित करने में मदद मिलेगी।
- इन नए वनों के माध्यम से औद्योगिक काल के बाद से वातावरण में उत्सर्जित 300 बिलियन टन कार्बन में से 205 बिलियन टन कार्बन को अवशोषित करने में मदद मिलेगी।
- वर्तमान समय में पृथ्वी पर 2.8 बिलियन हेक्टेयर वन-क्षेत्र है जिसक वनीकरण के बाद 4.4 बिलियन हेक्टेयर तक पहुँचने का अनुमान है।
- अध्ययन के अनुसार, भारत में लगभग 9.93 मिलियन हेक्टेयर अतिरिक्त वन क्षेत्र की संभावना है।
- इसके अतिरिक्त छह देशों रूस (151मिलियन हेक्टेयर), संयुक्त राज्य अमेरिका (103 मिलियन हेक्टेयर), कनाडा (78.4 मिलियन हेक्टेयर), ऑस्ट्रेलिया (58 मिलियन हेक्टेयर), ब्राज़ील (49.7 मिलियन हेक्टेयर) और चीन (40.2 मिलियन हेक्टेयर) में वनीकरण क्षमता सर्वाधिक है।

बंदरगाह के समुद्री स्तर में वृद्धि

चर्चा में क्यों ?

भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (Ministry of Earth Sciences) द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किये गए आँकड़ों के अनुसार, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के मुहाने पर स्थित डायमंड हार्बर बंदरगाह (Diamond Harbour Port) के निकट समुद्री जल स्तर में अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई है।

प्रमुख बिंदु

- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार, चार बंदरगाहों क्रमश: डायमंड हार्बर, कांडला, हल्दिया, तथा पोर्ट ब्लेयर के तटों पर समुद्री जल स्तर में वैश्विक औसत की तुलना में उच्चतर वृद्धि दर्ज की गई है।
- यद्यपि हालिया अध्ययनों में पिछले 40-50 वर्षों के दौरान भारत के समुद्री स्तर में 1.3 मिमी/वर्ष की वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया गया है लेकिन डायमंड हार्बर के जल स्तर में प्रतिवर्ष 5.16 मिमी की वृद्धि हुई जो अनुमानित वृद्धि का लगभग पाँच गुना है।
- डायमंड हार्बर के समुद्री जल स्तर में औसत वृद्धि का आकलन वर्ष 1948 से 2005 की अवधि में दर्ज आँकड़ों के आधार पर किया गया है।
- डायमंड हार्बर के बाद क्रमश: गुजरात स्थित कांडला बंदरगाह के जल स्तर में वर्ष 1950 से 2005 के बीच प्रतिवर्ष 3.18 मिमी., पश्चिम बंगाल स्थित हल्दिया बंदरगाह पर वर्ष 1972 से 2005 के मध्य समुद्र स्तर में प्रतिवर्ष 2.89 मिमी. तथा पोर्ट ब्लेयर के तट पर वर्ष 1916-1964 के बीच प्रतिवर्ष 2.20 मिमी. की वृद्धि हुई।
- जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय समिति (International Panel on Climate Change) की पाँचवीं रिपोर्ट के अनुसार, समुद्री जल स्तर में वृद्धि का सीधा संबंध जलवायु परिवर्तन से है। वैश्विक स्तर पर पिछली एक शताब्दी में औसतन 1.8 मिमी. की दर से समुद्री जल स्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी।
- चेन्नई और मुंबई के तटों पर जल स्तर में क्रमश: 0.33 मिमी. प्रतिवर्ष (वर्ष 1916-2005) और 0.74 मिमी (वर्ष 1878-2005) की वृद्धि दर्ज की गई जो कि वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर औसत वृद्धि की तुलना में काफी कम था।
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार, समुद्र के बढ़ते जल स्तर से तटीय क्षेत्रों में तूफानी लहर, सुनामी, बाढ़, ऊँची लहरों और निचले तटीय इलाकों में तटीय क्षरण की घटनाएँ बढ़ सकती हैं।
- विशेषज्ञों के अनुसार, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि पश्चिम बंगाल में अधिक है। ताज़े पानी और खारे पानी के मिश्रण के कारण ही सुंदरबन डेल्टा में विशेष रूप से तलछट का जमाव होता है।
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के विशेषज्ञों के अनुसार, ग्लोबल वार्मिंग के कारण केवल बर्फ और ग्लेशियर ही नहीं पिघलते बल्कि इससे महासागरों के जल का भी आंतरिक विस्तार होता है और इस प्रकार समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है।
- पृथ्वी मंत्रालय के अनुसार, भारी बारिश और दिनोंदिन तापमान में तीव्र वृद्धि के साथ ही ग्रीष्म लहरें और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में विस्थापन आदि की घटनाएँ जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ी हो सकती हैं।

महासागर विकास विभाग (Department of Ocean Development- DOD)

- महासागर विकास विभाग की स्थापना जुलाई 1981 में प्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री के नियंत्रण मंज़ मंत्रिमंडल सचिवालय के भाग के रूप में की गई थी और मार्च 1982 में यह एक अलग विभाग के रूप में अस्तित्व में आया।
- पूर्व में महासागर विकास विभाग देश में महासागर से जुडी विकासात्मक गतिविधियों के समन्वय और उन्हें बढ़ावा देने वाले नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करता था।
- फरवरी 2006 में सरकार ने विभाग को महासागर विकास मंत्रालय के रूप में अधिसूचित किया।
- इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने महासागर विकास मंत्रालय का पुर्नगठन किया और 12, जुलाई, 2006 को राष्ट्रपति की अधिसूचना के माध्यम से एक नए मंत्रालय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (Ministry of Earth Sciences) की स्थापना की गई।
- इसके तहत भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department), भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (Indian Institute of Tropical Meteorology) और राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र National Centre for Medium Range Weather Forecasting) को प्रशासनिक नियंत्रण में लाया गया। सरकार ने अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा आयोग (Space Commission and Atomic Energy Commission) की तर्ज़ पर पृथ्वी आयोग (Earth Commission) की स्थापना को भी अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

पुरातात्विक स्थलों पर वार्मिंग का खतरा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में किये गए एक अध्ययन के अनुसार, ग्रीनलैंड में जलवायु परिवर्तन केवल पारिस्थितिकी तंत्र के लिये ही खतरा नहीं है, बल्कि इससे पुरातात्विक इमारतों एवं स्थलों को भी क्षति पहुँच रही है।

प्रमुख बिंदु

- अध्ययनकर्त्ताओं की एक टीम वर्ष 2016 से विशाल आर्कटिक क्षेत्र की राजधानी नूक (Nuuk) के समीप सात अलग-अलग स्थानों पर परीक्षण कार्य कर रही है।
- आर्कटिक में 1,80,000 से अधिक पुरातात्विक स्थल हैं, जो हज़ारों वर्ष पुराने हैं और ये प्रकृति में मिट्टी के होने के कारण अभी तक संरक्षित भी थे।
- नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, चूँकि क्षरण दर मिट्टी में उपस्थित नमी की मात्रा एवं तापमान से नियंत्रित होती है, इसलिये हवा के बढ़ते तापमान, ऐसा मौसम जिसमें ठंड कम हो, अथवा वर्षा के पैटर्न में बदलाव हो, के कारण पुरातात्विक अवशेषों (लकड़ी, हड्डी और प्राचीन डीएनए जैसे प्रमुख कार्बनिक तत्त्वों) को नुकसान पहुँचता है।
- अध्ययनकर्त्ताओं द्वारा विभिन्न जलवायु परिवर्तन से प्रभावित परिदृश्यों पर आधारित परिकल्पनाओं के आधार पर भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि औसतन तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जिससे मिट्टी के तापमान में वृद्धि हो सकती है। साथ ही तापमान में वृद्धि के कारण ग्लेशियरों के पिघलने से कार्बनिक परतों के भीतर पाए जाने वाले माइक्रोबियल की गतिविधि में भी इज़ाफा हो सकता है।
- अध्ययनकर्त्ताओं के अनुसार, जैविक कार्बन (Organic Carbon) के पुरातात्त्विक अंश का 30 से 70% हिस्सा अगले 80 वर्षों तक विघटित हो सकता है।

अध्ययनकर्त्ताओं के अनुसार, पिछले सर्वेक्षणों के साथ जब वर्तमान निष्कर्षों की तुलना की गई, तो यह पाया गया कि कुछ स्थानों पर हड्डियों अथवा लकड़ी के अवशेष नहीं मिले, इसका एक प्रमुख कारण यह है कि पिछले कुछ दशकों में इनके क्षरण की घटनाएँ सामने आई हैं। उदाहरण के तौर पर, अलास्का जैसे क्षेत्रों में, प्राचीन कलाकृतियाँ बढ़ते तापमान के कारण पर्माफ्रॉस्ट थॉ के रूप में उभर रही हैं।

अपशिष्ट प्रबंधन पर CPCB के निर्देश

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board-CPCB) ने अमेज़न, फ्लिपकार्ट और पतंजलि जैसी 52 कंपनियों को उनके द्वारा फैलाए गए अपशिष्टों के उचित प्रबंधन हेतु निर्देश दिये हैं।

प्रमुख बिंदु:

- केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (2018 में संशोधित) के अनुसार, पैकेजिंग और उत्पादन के दौरान प्लास्टिक अपशिष्ट के निपटान की ज़िम्मेदारी कंपनियों की होगी।
- निष्पादन योग्य अपशिष्ट के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी को विस्तारित निर्माता ज़िम्मेदारी (Extended Producers Responsibility-EPR) कहते हैं। EPR हेतु कंपनी किसी मध्यस्थ कंपनी का भी प्रयोग कर सकती है।
- अपशिष्ट प्रबंधन के लिये स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायतों और खुदरा विक्रेताओं को भी EPR के दायरे में रखा गया है।
- CPCB के अनुसार, जिन 52 कंपनियों को अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में निर्देश दिये गए हैं, उन्होंने अपशिष्ट के निपटान से संबंधित किसी भी योजना का विवरण मंत्रालय को नहीं दिया है।
- नए निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में इन कंपनियों पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है या उन्हें कारावास की सज़ा हो सकती है।

अपशिष्ट प्रबंधन की स्थिति

- विभिन्न कानूनों के बावजूद भी भारत में अपशिष्टों के निपटान को लेकर बहुत कम प्रगति देखी गई है।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा वर्ष 2015 में जारी अनुमानों के अनुसार, भारतीय शहरों में प्रतिदिन लगभग 15,000 टन प्लास्टिक अपशिष्ट का उत्पादन होता है और इनमें से लगभग 70 प्रतिशत प्लास्टिक अपशिष्ट के रूप में ही समाप्त हो जाता है।
- भारत में लगभग 40 प्रतिशत प्लास्टिक अपशिष्ट को न तो एकत्र किया जाता है और न ही उनका पुनर्चक्रण हो पाता है। यही अपशिष्ट अंततः भूमि और जल को प्रदूषित करता है।
- प्लास्टिक अपशिष्ट का सर्वाधिक उत्पादन पैकेजिंग के दौरान होता है।
- राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (National Green Tribunal-NGT) के अनुसार, 30 अप्रैल 2019 तक 25 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम (Plastic Waste Management Rules) 2016 के नियमों का पालन नहीं किया है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड-(CPCB)

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन एक सांविधिक संगठन के रूप में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत सितंबर 1974 को किया गया।
- इसके पश्चात् केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत शक्तियाँ व कार्य सौंपे गए।
- यह बोर्ड क्षेत्र निर्माण के रूप में कार्य करने के साथ-साथ पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएँ भी उपलब्ध कराता है।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रमुख कार्यों को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत वर्णित किया गया है।

ऑर्किड का व्यापक सर्वेक्षण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (Botanical Survey of India) द्वारा की गई ऑर्किड की पहली व्यापक जनगणना के अनुसार, भारत में ऑर्किड (Orchid) प्रजाति या वर्गिकी (Taxa) की कुल संख्या 1,256 पाई गई।

ऑर्किड (Orchid)

- ऑर्किड वनस्पति जगत का सुंदर पुष्प है जो अदभुत रंग-रूप, आकार एवं आकृति तथा लंबे समय तक ताज़ा बने रहने की गुण के कारण अंतर्राष्ट्रीय पुष्प बाज़ार में विशेष स्थान रखता है।
- अनूठे आकार और अलंकरण के साथ बेहद खूबसूरत फूलों वाले ऑर्किड में जटिल पुष्प संरचना होती है। यह जैव-परागण में सहायता प्रदान करती है तथा इसे अन्य पौधों के समूहों से क्रमिक रूप से श्रेष्ठ बनाती है।
- आर्किड परिवार को CITES के परिशिष्ट II (कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ़ वाइल्ड फॉना एंड फ्लोरा) के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है और इसलिये किसी भी जंगली ऑर्किड के विश्व स्तर पर व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
- डेंड्रोबियम (Dendrobium), फेलेनोप्सिस (Phalaenopsis), ऑन्किडियम (Oncidium) और सिंबिडियम (Cymbidium), जैसे ऑर्किड फूलों की खेती हेतु काफी लोकप्रिय हैं। देश के भीतर और बाहर दोनों स्थानों पर इनकी काफी मांग है।

प्रमुख बिंदु

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत में पाए जाने वाली ऑर्किड की सभी प्रजातियों का विवरण प्रकाशित किया गया था।
- इसके अनुसार, ऑर्किड की 1,256 प्रजातियाँ, 155 वंश से हैं जिसमें लगभग 388 प्रजातियाँ भारत के लिये स्थानिक हैं। विवरण में लगभग 775 प्रजातियों की तस्वीरें भी उपस्थित हैं।

- मोटे तौर पर ऑर्किड को उनके जीवन के प्रारूप के आधार पर तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है:
  - एपीफाइटिक (Epiphytic)
  - स्थलीय (Terrestrial)
  - माइकोहेट्रोट्रॉफिक (Mycoheterotrophic)
- भारत में पाई जाने वाली ऑर्किड की 60% प्रजातियों की संख्या लगभग 775 है जो कि एपिफाइटिक है, 447 स्थलीय हैं तथा 43 माइकोहेट्रोट्रॉफिक हैं।

एपीफाइटिक ऑर्किड (Epiphytic Orchid):

- ये चट्टानों पर उगने वाले पौधों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं।
- समुद्र तल से 1800 मीटर तक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं तथा इससे ज़्यादा ऊँचाई वाले क्षेत्रों में वृद्धि होने से इनकी संख्या घट जाती है।

स्थलीय ऑर्किड (Terrestria Orchid):

- ज़मीन पर पाए जाने वाले पौधों या लताओं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं।
- सीधे मिट्टी में उगते हैं तथा समशीतोष्ण एवं अल्पाइन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पाए जाते हैं।

माइकोहेट्रोट्रॉफिक ऑर्किड (Mycoheterotrophic Orchid):

- कवक या संवहनीय पौधों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं।
- ये ज़्यादातर एक्टोमाइकोराइज़ल कवक से जुड़े होते हैं। ये समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
- उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में परजीवियों के साथ बढ़ते हैं।

राज्य आधारित वितरण

- ऑर्किड प्रजातियों के राज्य आधारित वितरण के अनुसार हिमालय, देश के उत्तर-पूर्व भाग और पश्चिमी घाट इन पौधों की प्रजातियों के हॉट-स्पॉट हैं।
- ऑर्किड प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या अरुणाचल प्रदेश (612), सिक्किम (560), तथा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग हिमालय (479) में पाई गईं।
- ऑर्किड प्रजातियों की लगभग 388 प्रजातियाँ भारत की स्थानिक हैं, इनमें से लगभग एक तिहाई पश्चिमी घाट में पाई जाती हैं। इन स्थानिक प्रजातियों में से केरल में 111, जबकि तमिलनाडु में 92 प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
- भारत के 10 जैव-भौगोलिक क्षेत्रों में हिमालयी क्षेत्र आर्किड प्रजातियों के मामले में सबसे समृद्ध है। इसके बाद पूर्वोत्तर, पश्चिमी घाट, डेक्कन पठार और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह आते हैं।

भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (Botanical Survey of India- BSI)

- इसकी स्थापना वर्ष 1890 में की गई।
- इसका उद्देश्य देश के पौधों के संसाधनों की खोज एवं आर्थिक गुणों के साथ पौधों की प्रजातियों की पहचान करना था।
- वर्ष 1954 में सरकार ने इसका पुनर्गठन किया।

उद्देश्य:

- देश में पौधों की उत्पत्ति, वितरण, पारिस्थितिकी एवं आर्थिक उपयोगिता के बारे में गहन पुष्प सर्वेक्षण करना तथा इनकी सटीक व विस्तृत जानकारी एकत्र करना।
- शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थानों के लिये उपयोग की जाने वाली सामग्रियों का संग्रह, पहचान और वितरण करना।
- स्थानीय, ज़िला, राज्य एवं राष्ट्रीय वनस्पतियों के रूप में सुनियोजित जड़ी-बूटियों तथा पौधों के संसाधनों के दस्तावेज़ीकरण में प्रामाणिक संग्रह के संरक्षक के रूप में कार्य करना।

संकट में भूमध्यसागरीय शार्क

चर्चा में क्यों?

14 जुलाई शार्क जागरूकता दिवस (Shark Awareness Day) के अवसर पर विश्व वन्यजीव कोष ((World Wildlife Fund- WWF) ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें भूमध्यसागरीय क्षेत्र में शार्क के जोखिमों पर प्रकाश डाला गया है।

- शार्क जागरूकता दिवस 2019 की थीम 'The sharks in crisis: a call to action for the Mediterranean' है।
- पर्यावरण संरक्षणविदों ने शार्क के विलुप्त होने के लिये भूमध्यसागर में प्लास्टिक प्रदूषण की अधिकता तथा अधिक मात्रा में इनके शिकार को ज़िम्मेदार ठहराया है।
- विश्व वन्यजीव कोष (World Wildlife Fund- WWF) द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार, भूमध्यसागर में आधे से अधिक शार्क (Sharks) एवं 'रे' (Ray) प्रजातियाँ खतरे में हैं, जिनमें से लगभग एक-तिहाई विलुप्त होने की कगार पर पहुँच गई हैं।
- यह रिपोर्ट शार्क जागरूकता दिवस से पहले जारी की गई।
- लीबिया और ट्यूनीशिया में एक वर्ष में लगभग 4,200 टन शार्क का शिकार किया जाता है जो समस्त विश्व में सबसे अधिक है। इसके बाद इटली में भी भारी मात्रा में शार्क का शिकार किया जाता है।
- वर्तमान में शिकार के अलावा प्लास्टिक प्रदूषण के कारण शार्क की आबादी खतरे में पड़ गई है। WWF के अनुसार, भूमध्यसागर में मछली पकड़ने के जाल में उलझी हुई 60 से अधिक शार्क प्रजातियाँ पाई गईं।
- लुप्तप्राय प्रजातियों की IUCN रेड लिस्ट में 79 लुप्तप्राय शार्क और 120 लुप्तप्राय 'रे' (Ray) प्रजातियाँ शामिल हैं।

प्रकृति संरक्षण हेतु विश्वव्यापी कोष Worldwide Fund for Nature-WWF

- WWF का गठन वर्ष 1961 में हुआ तथा यह पर्यावरण के संरक्षण, अनुसंधान एवं रख-रखाव संबंधी विषयों पर कार्य करता है।
- इससे पूर्व, इसका नाम विश्व वन्यजीव कोष (World Wildlife Fund) था।
- इसका मुख्यालय ग्लैंड (स्विट्ज़रलैंड) में है।
- इसका उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक वातावरण के क्षरण को रोकना और एक ऐसे भविष्य का निर्माण करना है जिसमें मनुष्य प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकें।
- WWF द्वारा प्रत्येक दो वर्ष में प्रकाशित लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट (Living Planet Report) एक लिविंग प्लैनेट इंडेक्स (Living Planet Index) तथा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैलकुलेशन (Ecological Footprint Calculation) पर आधारित है।

12 समुद्री तट ब्लू फ्लैग प्रमाण-पत्र हेतु चयनित

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 'ब्लू फ्लैग' प्रमाणन (Blue Flag Certification) के लिये भारत में 12 समुद्र तटों का चयन किया है, इन तटों को स्वच्छता और पर्यावरण अनुकूलता के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु:

- भारत के निम्नलिखित तटों का चयन किया गया हैं- शिवराजपुर (गुजरात), भोगवे (महाराष्ट्र), घोगला (दीव), मीरामार (गोवा), कासरकोड और पदुबिद्री (कर्नाटक), कप्पड (केरल), इडेन (पुदुचेरी), महाबलीपुरम (तमिलनाडु), रुशीकोन्डा (आंध्र प्रदेश), गोल्डेन (ओडिशा), और राधानगर (अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह)।
- उपरोक्त तटों पर ब्लू फ्लैग प्रमाणन के तहत समुद्री तटीय प्रबंधन, बुनियादी ढाँचा विकास, स्वच्छता, सुरक्षा सेवाओं जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों का निर्माण किया जाएगा।
- ब्लू फ्लैग प्रमाण-पत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक गैर सरकारी संगठन फाउंडेशन फॉर इनवॉयरमेंटल एजूकेशन (Foundation for Environmental Education-FEE) द्वारा प्रदान किया जाता है।
- भारत सरकार ने चयनित 12 तटों में से शिवराजपुर और घोगला तट के ब्लू फ्लैग प्रमाण-पत्र हेतु FEE में आवेदन किया है। FEE से मिलने वाले प्रमाण-पत्र की वैद्यता 1 वर्ष की होती है।

फाउंडेशन फॉर इनवॉयरमेंटल एजूकेशन- FEE

- FEE की स्थापना वर्ष 1985 में फ्राँस में की गई थी और इसने वर्ष 1987 से यूरोप में अपना कार्य शुरू किया।
- दक्षिण-पूर्व और दक्षिण एशिया में ब्लू फ्लैग प्रमाण-पत्र केवल जापान एवं दक्षिण कोरिया को ही प्राप्त हुआ है।
- स्पेन, ग्रीस और फ्राँस क्रमश: 566, 515, 395 ब्लू फ्लैग स्थलों के साथ शीर्ष पर हैं।
- ब्लू फ्लैग प्रमाण-पत्र को प्राप्त करने के लिये पानी की गुणवत्ता, अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा, विकलांगों हेतु अनुकूलता, प्राथमिक चिकित्सा और मुख्य क्षेत्रों में पालतू जानवरों की न पहुँच, जैसे 33 मानकों को पूरा करना होता है। इन मानकों में से कुछ स्वैच्छिक और कुछ बाध्यकारी हैं।

पर्यावरण गतिविधियों पर नासा और UNEP के बीच समझौता

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नासा और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (United Nations Environmental Programme- UNEP) ने ग्लोब (GLOBE) कार्यक्रम और अन्य पर्यावरण गतिविधियों के संयुक्त क्रियान्वयन हेतु एक समझौता किया है।

प्रमुख बिंदु:

- इस समझौते के तहत GLOBE और UNEP पर्यावरण शिक्षा और प्रशिक्षण, नागरिक विज्ञान (Citizen Science) और पर्यावरण डेटा के संग्रहण और वितरण में एक दूसरे का सहयोग करेंगे।

GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment):

- GLOBE कार्यक्रम नासा द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन (National Science Foundation-NSF), राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन (National Oceanic and Atmospheric Administration-NOAA) के सहयोग से संचालित किया जाता है।
- इसकी रूपरेखा वर्ष 1994 में तैयार की गई थी और इसे व्यापक रूप से वर्ष 1995 में शुरू किया गया था।
- वर्तमान में इस कार्यक्रम में 121 देश शामिल हैं ।
- GLOBE एक अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और शिक्षा कार्यक्रम है जो छात्रों और नागरिकों को डेटा संग्रहण और वैज्ञानिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है।
- यह कार्यक्रम पृथ्वी और वैश्विक पर्यावरण को समझने में भी योगदान देता है।
- GLOBE और UNEP द्वारा वैश्विक संसाधन सूचना केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान समुदाय के सहयोग से GLOBE डेटा का प्रयोग करते हुए जागरूकता का प्रसार किया जा रहा है ताकि पर्यावरण से संबंधित शोधों को और आगे बढ़ाया जा सके।
- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण क्षेत्रीय कार्यालय, GLOBE देशों के साथ निकट सहयोग स्थापित करेगा और पर्यावरण शिक्षा तथा प्रशिक्षण गतिविधियों का भी साझा कार्यान्वयन करेंगे।
- नासा, GLOBE और UNEP अपने भू-स्थानिक डेटा को एक-दूसरे के साथ साझा करेंगे जिससे पर्यावरण के विश्लेषण हेतु समृद्ध जानकारी की उपलब्धता को बढ़ावा मिलेगा।
- UNEP की इस प्रकार की रणनीतियाँ विशेष रूप से युवाओं और हमारे साझे भविष्य पर सकारात्मक प्रभाव डालेंगी, साथ ही सतत् विकास लक्ष्यों, शांति और सुरक्षा के लिये भी ठोस मानवीय कदम साबित होगी।

UNEP (United Nation Environment Programme)

- यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। इसकी स्थापना वर्ष 1972 में मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान हुई थी।
- इस संगठन का उद्देश्य मानव पर्यावरण को प्रभावित करने वाले सभी मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना तथा पर्यावरण संबंधी जानकारी का संग्रहण, मूल्यांकन एवं पारस्परिक सहयोग सुनिश्चित करना है।

- UNEP पर्यावरण संबंधी समस्याओं के तकनीकी एवं सामान्य निदान हेतु एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। UNEP अन्य संयुक्त राष्ट्र निकायों के साथ सहयोग करते हुए सैकड़ों परियोजनाओं पर सफलतापूर्वक कार्य कर चुका है।
- इसका मुख्यालय नैरोबी (केन्या) में है।

तंजानिया में नई प्रजाति के पौधे की खोज

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में तंजानिया के उसाम्बरा (Usambara) पर्वतीय क्षेत्र में 20 मीटर तक बढ़ने वाले फूल के पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की गई है।

प्रमुख बिंदु

- मिशोगिन इडडी पौधे का नामकरण अमानी नेचर रिज़र्व के वनस्पति वैज्ञानिक इडडी रजाबू (Iddi Rajabu) के नाम पर किया गया है।

अमानी नेचर रिज़र्व उष्णकटिबंधीय पूर्वी अफ्रीका में तंजानिया के टांगा राज्य में संरक्षित क्षेत्र है। इसकी स्थापना वर्ष 1997 में उसाम्बरा पर्वत की वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण के लिये की गई थी।

- मिशोगिन इडडी (Mischogyne iddi) पौधों की लम्बाई 20 मीटर और पत्तियों का व्यास 13 से 45 सेंटीमीटर के बीच होता है। इस पौधे की पत्तियाँ इस वंश की अन्य प्रजातियों की तुलना में बड़ी होती हैं।
- मिशोगिन इडडी पौधा कस्टर्ड ऐप्पल या एनानेसिया परिवार से संबंधित है जिसकी अन्य ज्ञात प्रजातियाँ मिशोगिन इलियटियाना (M. elliotiana), मिशोगिन गैबोनेंसिस (M. gabonensis), मिशोगिन कॉन्सेंसिस (M. congensis) हैं।
- इस वंश की प्रजातियाँ अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में 1000-4000 मिमी. की वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों से लेकर अंगोला के सूखे तटीय क्षेत्रों तक पाई जाती हैं।
- IUCN ने इस पौधे को लुप्तप्राय (Endangered) श्रेणी में रखा गया है।
- कृषि के विस्तार से वन क्षेत्रों का ह्रास हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप कम संख्या वाले ये पौधे संकटग्रस्त की श्रेणी में शामिल होते जा रहे है। इनके उत्पादक क्षेत्र को और अधिक विस्तारित करने और जलवायु परिवर्तन के प्रति इन प्रजातियों की अनुकूलता सुनिश्चित करने के लिये छोटे-छोटे वन क्षेत्रों को आपस में जोड़ा जाना चाहिये।
- उसाम्बरा पर्वत, उष्णकटिबंधीय पूर्वी अफ्रीका में स्थित है, जिसकी पूर्वी सीमाएँ आर्क पर्वत को स्पर्श करती हैं। कम सघन वन क्षेत्रों के कारण उसाम्बरा पर्वतों को जलवायु परिवर्तन से खतरा है।
- आर्क पर्वत पूर्वी अफ्रीका में जैव-विविधता का एक महत्त्वपूर्ण स्थल है। कुछ समय पहले ही इन पहाड़ियों से गिरगिट और पॉलीसेराटोकार्पस आस्कमब्रीयन-इरिंगा (Polyceratocarpus Askhambryan-Iringae) नामक पौधे की नई प्रजातियों की खोज की गई थी।

प्रकृति संरक्षण के लिये अंतर्राष्ट्रीय संघ (International Union for Conservation of Nature- IUCN)

- इसकी स्थापना 5 अक्तूबर, 1948 को फ्राँस में हुई थी, उस समय इसका नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ़ नेचर (International Union for Protection of Nature- IUPN) था।
- वर्ष 1956 में इसका नाम बदल कर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंज़र्वेशन ऑफ़ नेचर (International Union for Conservation of Nature- IUCN) कर दिया गया।
- इसका मुख्यालय ग्लैंड (स्विट्ज़रलैंड) में अवस्थित है।
- विज़न- ऐसे संसार का निर्माण करना, जो प्रकृति की कीमत समझने के साथ ही इसका संरक्षण भी करें।
- मिशन- संसार भर के लोगों को प्रकृति की विविधता बनाए रखने के लिये प्रोत्साहन और सहयोग देना तथा प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रयोग सुनिश्चित करना।
- यह पौधों और जंतुओं की रेड डेटा बुक भी जारी करता है।
- प्रत्येक चार वर्ष में एक बार IUCN वर्ल्ड कंज़र्वेशन कॉन्ग्रेस का अयोजन किया जाता है।

- वैश्विक चुनौतियों से निपटने और प्रकृति संक्षरण के मुद्दों पर चर्चा करने के लिये सरकार, सिविल सोसाइटी, उद्यमी वर्ग आदि इसमें भाग लेते हैं।
- भारत में वर्ष 1969 में नई दिल्ली में वर्ल्ड कंज़र्वेशन कॉन्ग्रेस का आयोजन किया गया था।
- वर्ष 2016 में अमेरिका के हवाई में इसका आयोजन किया गया था।
- वर्ष 2020 में इसका आयोजन फ्राँस में किया जाएगा।

जलवायु और स्वच्छ वायु संघ

चर्चा में क्यों?

भारत औपचारिक रूप से जलवायु और स्वच्छ वायु संघ (Climate & Clean Air Coalition-CCAC) में शामिल हो गया है।

मुख्य बिंदु:

- भारत CCAC से जुड़ने वाला विश्व का 65वाँ देश बन गया है।
- भारत का यह कदम, वायु प्रदूषण से मुकाबला करने के लिये भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार इस संघ का हिस्सा बनने के बाद भारत स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिये पर्यावरण के अनुकूल परिवहन, कृषि, उद्योग और अपशिष्ट प्रबंधन को अपनाने के लिये अन्य देशों के साथ मिलकर काम करेगा।
- इसके साथ-साथ भारत अपने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (National Clean Air Programme-NCAP) के सफल कार्यान्वयन के लिये CCAC के साथ मिलकर काम करने की योजना बना रहा है।
- भारत लगातार पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी को अपनाने के प्रयास कर रहा है और इस संदर्भ में यह संघ काफी मददगार साबित हो सकता है।

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम : (National Clean Air Programme-NCAP)

- यह वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिये व्यापक और समयबद्ध रूप से बनाया गया पाँच वर्षीय कार्यक्रम है।
- इसमें संबंद्ध केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और अन्य हितधारकों के बीच प्रदूषण एवं समन्वय के सभी स्रोतों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- इसका प्रमुख लक्ष्य वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उन्मूलन के लिये कार्य करना है।
- देश के ज़्यादातर शहरों में गंभीर वायु प्रदूषण से निपटने के लिये पर्यावरण मंत्रालय की इस देशव्यापी योजना के तहत 102 प्रदूषित शहरों की वायु को स्वच्छ करने का लक्ष्य रखा गया है।
- इसके तहत वर्ष 2017 को आधार वर्ष मानते हुए वायु में मौजूद PM2.5 और PM10 पार्टिकल्स को 20 से 30 फीसदी तक कम करने का 'अनुमानित राष्ट्रीय लक्ष्य' निर्धारित किया गया है।
- इस योजना के तहत राज्यों को आर्थिक सहायता भी दी जाएगी, ताकि वायु प्रदूषण से निपटने के लिये जो कार्य किये जाने हैं, उनमें पैसे की कमी बाधा न बने।
- NCAP केवल एक योजना है, यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है तथा इसमें किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई करने या जुर्माना लगाने का प्रावधान शामिल नहीं है।

जलवायु और स्वच्छ वायु संघ (Climate & Clean Air Coalition-CCAC)

- CCAC विश्व के 65 देशों (भारत सहित), 17 अंतर सरकारी संगठनों, 55 व्यावसायिक संगठनों, वैज्ञानिक संस्थाओं और कई नागरिक समाज संगठनों की एक स्वैच्छिक साझेदारी है।
- इस संघ का प्राथमिक उद्देश्य मीथेन, ब्लैक कार्बन और हाइड्रो फ्लोरोकार्बन जैसे पर्यावरणीय प्रदूषकों को कम करना है।
- CCAC की 11 प्रमुख पहलें (Initiatives) हैं जो जागरूकता बढ़ाने, संसाधनों को एकत्रित करने और प्रमुख क्षेत्रों में परिवर्तनकारी कार्यों का नेतृत्व करने के लिये कार्य कर रही हैं।

एक अनुमान के मुताबिक, CCAC की ये पहलें हर साल वायु प्रदूषण के कारण होने वाली 2.5 मिलियन मौतों की रोकथाम में मददगार साबित हो सकती हैं।

ब्राज़ील का ग्रीन बॉण्ड

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में ब्राज़ील ने लंदन क्लाइमेट एक्शन वीक (Climate Action Week) में वैश्विक स्तर पर पहली बार सोयाबीन के सतत् उत्पादन के लिये ग्रीन बॉन्ड प्रस्तुत किया ।

प्रमुख बिंदु :

- ब्राज़ील ने ग्रीन बॉण्ड सोयाबीन और मक्का का उत्पादन करने वाले किसानो को रेसपोंसिबल कमोडिटी फैसिलिटी (Responsible Commodities Facility-RCF) प्रदान करने के लिये लंदन स्टॉक एक्सचेंज में जारी किया है।
- वैश्विक स्तर पर सोयाबीन की माँग के कारण किसान इसके उत्पादन को लेकर उत्साहित हैं। एक अनुमान के अनुसार, अगले दशक तक केवल सेराडो क्षेत्र में ही लगभग 18 मिलियन हेक्टेयर चरागाह भूमि को सोयाबीन उत्पादन के लिये इस्तेमाल किया जा सकता है, जो वर्तमान की तुलना में तीन गुना अधिक है। इतने बड़े क्षेत्र में खेती होने से जैवविविधता का क्षरण होगा। ब्राज़ील के सवाना घास प्रदेश को सेराडो क्षेत्र कहा जाता है।
- RCF निवेश के माध्यम से सीमित कृषि क्षेत्रों के आकार को न बढ़ाते हुए उत्पादन को बढ़ाया जाएगा जिससे चरगाहों,घास के मैदानों और वनों को संरक्षित किया जा सकेगा।
- ब्राज़ील की महत्त्वाकांक्षा 1.5 मिलियन हेक्टेयर के सवाना घास के प्राकृतिक क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करने की है, इन वनों के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 250 मिलियन टन की कमी आने का अनुमान लगाया गया है।

रेसपोंसिबल कमोडिटी फैसिलिटी (Responsible Commodities Facility-RCF) के लाभ:

- उत्पादन क्षेत्र में बढ़ोत्तरी किये बिना उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करके प्राकृतिक आवासों की हानि को कम किया जा सकता है और इससे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में भी कमी आने की संभावना व्यक्त की जा रही है।
- ब्राज़ील ने वर्ष 2030 तक अपने कार्बन उत्सर्जन में 43 प्रतिशत की कमी करने का वादा किया है। RCF जैसे तंत्रों के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। साथ ही इससे ब्राज़ील अपने पर्यावरण कानूनों (वन कोड) का अनुपालन आसानी से कर पाएगा।
- RCF के माध्यम से प्राकृतिक आवासों की हानि को कम किया जा सकता है। साथ ही इससे जैव-विविधता को भी सुनिश्चित किया जा सकता है। ब्राज़ील इस प्रकार के तंत्रों के माध्यम से अपनी जैव-विविधता और प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखकर सतत् विकास लक्ष्यों की ओर अग्रसर होगा।
- RCF के तहत वित्त की सुविधा उत्पादकों को सेराडो क्षेत्र के वनस्पति की रक्षा और राष्ट्रीय कानून के अनुपालन के लिये प्रतिबद्धताओं के आधार पर दी जाएगी। प्रतिबद्धताओं का पालन संबंधी सत्यापन बाहरी कंपनियों द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जाएगा और प्रतिबद्धताओं की देखरेख एक पर्यावरण समिति द्वारा की जाएगी जिसमें उत्पादक, खरीददार, गैर सरकारी संगठन एवं वित्तीय संगठन शामिल होंगे।
- रेस्पोंसेबल कमोडिटीज़ रजिस्ट्री (Responsible Commodities Registry) उत्पादन के आँकडों और स्रोतों का रिकॉर्ड रखेगी। साथ ही आपूर्ति शृंखला में इन वस्तुओं के स्वामित्व का पता भी लगाएगी।
- RCF को UK सरकार के वनों के लिये साझेदारी के कार्यक्रम (Partnerships for Forests -P4F) के समर्थन से स्थापित किया जा रहा है।
- RCF, UNEP के साथ भी प्रभावी सामाजिक और पर्यावरणीय शासन तथा निगरानी ढाँचे को विकसित करने के लिये भी सहयोग ले रहा है।
- सतत् निवेश प्रबंधन (Sustainable Investment Management-SIM), 50 सिविल सोसाइटी संगठनों और 150 उपभोक्ता वस्तु कंपनियों के साथ सोयाबीन उत्पादन क्षेत्र को स्थिर रखते हुए उत्पादन की मात्रा बढ़ाने वाले सेराडो मैनिफेस्टो का समर्थन करता है।

ब्राज़ील के कृषि उत्पादन को अतिरिक्त वनों की कटाई या प्राकृतिक आवासों के क्षरण के बिना ही बढ़ाना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है।

सतत् निवेश प्रबंधन (Sustainable Investment Management- SIM)

- SIM, बैंकिंग, वस्तु व्यापार (commodities trading) और पर्यावरण वित्त के पेशेवरों द्वारा बनाई गई एक पर्यावरण वित्तीय फर्म (Environment finance firm) है।
- SIM, RCF के प्रबंधन में भागीदार है।
- सोयाबीन के उत्पादन और व्यापार के लिये उपयुक्त परिस्थितियाँ निर्मित करने के लिये SIM वित्तीय सेवाओं एवं गतिविधियों के विभिन्न स्रोतों का एकीकृत प्रबंधन करेगा।

वनों के लिये भागीदारी (Partnerships for Forests -P4F)

- UK सरकार द्वारा समर्थित 5 साल का कार्यक्रम है।
- यह विश्व स्तर पर 4 महत्त्वपूर्ण वन क्षेत्रों पूर्वी अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया तथा पश्चिम और मध्य अफ्रीका में कार्य करता है।
- P4F भूमि-उपयोग के क्षेत्र में वित्त अनुदान, तकनीकी सहायता और विशेषज्ञों की एक टीम के माध्यम से सहायता प्रदान करता है।
- P4F सार्वजनिक क्षेत्र और समुदायों के साथ में निजी क्षेत्र की भागीदारी का समर्थन करता है। साथ ही ऐसी वस्तुओं को प्रोत्साहित करता है जो वनों संसाधनों पर कम दबाव पैदा करती हो।
- पैलेडियम (Palladium), मैकिन्से एंड कंपनी (McKinsey & Company) और सिस्टमआईक्यू (SYSTEMIQ) इस कार्यक्रम के लिये तकनीकी सहायता एवं अनुदान की सुविधा का प्रबंधन करने वाले प्रमुख भागीदार हैं।

UNEP (United Nation Environment Programme)

- यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। इसकी स्थापना वर्ष 1972 में मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान हुई थी।
- इस संगठन का उद्देश्य मानव पर्यावरण को प्रभावित करने वाले सभी मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना तथा पर्यावरण संबंधी जानकारी का संग्रहण, मूल्यांकन एवं पारस्परिक सहयोग सुनिश्चित करना है।
- UNEP पर्यावरण संबंधी समस्याओं के तकनीकी एवं सामान्य निदान हेतु एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। UNEP अन्य संयुक्त राष्ट्र निकायों के साथ सहयोग करते हुए सैकड़ों परियोजनाओं पर सफलतापूर्वक कार्य कर चुका है।
- इसका मुख्यालय नैरोबी (केन्या) में है।

जापान व UN पर्यावरण के बीच मरकरी समझौता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जापान और UNEP ने पारे (मरकरी) के प्रभाव को रोकने के लिये एक नई परियोजना की घोषणा की है।

प्रमुख बिंदु:

- इस परियोजना के तहत एशिया और प्रशांत क्षेत्र में एक क्षेत्रीय पारा निगरानी प्रयोगशाला नेटवर्क स्थापित किया जाएगा और इस क्षेत्र के आस-पास के देशों के लिये क्षमता निर्माण करने के साथ-साथ आवश्यक प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाएगा।
- पारे से होने वाली मिनामाता नामक गंभीर बीमारी का प्रभाव जापान में लंबे समय तक देखा गया। इसके बाद जापान ने मिनामाता की रोकथाम के लिये गुणात्मक काम किया। वैश्विक स्तर पर भी जापान ने इस बीमारी के प्रभाव को सीमित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- हाल ही में UNEP ने वैश्विक स्तर पर पारे के खतरे को कम करने के लिये एक कार्यक्रम शुरू किया है।
- जापान ने वैश्विक पारा प्रदूषण की निगरानी हेतु विज्ञान आधारित नीति-निर्माण के लिये नई परियोजना शुरू की है, जिसके बोर्ड में सभी हितधारकों को शामिल करने पर बल दिया जा रहा है।
- पारे का उपयोग विभिन्न प्रकार के प्रयोगों में किया जाता है। यह औद्योगिक उत्सर्जन और सोने के खनन जैसे माध्यमों से पर्यावरण में प्रवेश करता है।

- पर्यावरण में प्रवेश के बाद कुछ प्रजातियों द्वारा पारे को संचित किया जाता है। मनुष्यों द्वारा इन प्रजातियों का सेवन किये जाने से मनुष्यों में मिनामाता रोग हो जाता है।
- वैश्विक स्तर पर पारे की खपत और उत्सर्जन का लगभग आधा हिस्सा एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र से संबंधित होता है।
- वैश्विक निगरानी नेटवर्क और क्षमता निर्माण के लिये वैज्ञानिक डेटाबेस का निर्माण किया जा रहा है जिससे सरकार और संस्थान प्रभावी पारा प्रबंधन के लिये बेहतर रणनीतियाँ बना सकें।

मिनामाता के उन्मूलन हेतु जापान के प्रयास:

- जापान के पर्यावरण मंत्रालय ने वर्ष 2013 में मिनामाता अभिसमय को लागू करने में विकासशील देशों का समर्थन करने के लिये मोवाई (MOYAI) पहल की शुरुआत की।
- यह कार्यक्रम मिनामाता से संबंधित सुचना के प्रसार को भी बढ़ावा देता है।
- पहल के तहत पारा संबंधी सूचनाओं के नेटवर्क का निर्माण करना, विकासशील देशों में स्थिति के आकलन का समर्थन करना, जापान की उन्नत तकनीकों का उपयोग करके पारा प्रबंधन क्षमता को मज़बूत करना, जैसी गतिविधियों को शामिल किया गया है।

UNEP (United Nation Environment Programme)

- यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। इसकी स्थापना वर्ष 1972 में मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान हुई थी।
- इस संगठन का उद्देश्य मानव पर्यावरण को प्रभावित करने वाले सभी मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना तथा पर्यावरण संबंधी जानकारी का संग्रहण, मूल्यांकन एवं पारस्परिक सहयोग सुनिश्चित करना है।
- UNEP पर्यावरण संबंधी समस्याओं के तकनीकी एवं सामान्य निदान हेतु एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। UNEP अन्य संयुक्त राष्ट्र निकायों के साथ सहयोग करते हुए सैकड़ों परियोजनाओं पर सफलतापूर्वक कार्य कर चुका है।
- इसका मुख्यालय नैरोबी (केन्या) में है।

वॉयस ऑफ ओशियन अभियान

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में UNEP ने सचरमैन (Schurmann) परिवार के साथ समुद्री प्रदूषण के संबंध में जागरूकता के लिये वॉयस ऑफ ओशियन अभियान में साझेदारी हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।

प्रमुख बिंदु:

ब्राज़ील के सचरमैन परिवार और UNEP के बीच वॉयस ऑफ ओसियन के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। सचरमैन परिवार हमेशा से क्लीन सीज़ अभियान (Clean Seas campaign) का समर्थक रहा है।

वॉयस ऑफ ओशिसियन (Voice of the Oceans):

- यह परियोजना समुद्री प्रदूषण के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने का कार्य करती है। साथ ही समुद्र को लेकर परिवारों के अनुभव और निष्कर्षों के रिकॉर्ड को भी साझा करती है।
- इस अभियान की शुरुआत सर्फाइडर फाउंडेशन यूरोप (Surfrider Foundation Europe- SFE) द्वारा तटीय और महासागरीय प्रदूषण को कम करने हेतु बेल्ज़ियम, बुल्गारिया, फ्राँस, पुर्तगाल और स्पेन के लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिये की गई थी।
- वर्तमान में वॉयस ऑफ ओशियन अभियान में विश्व के 59 देश भाग ले रहे हैं।
- SFE, UNESCO के साथ 5 जून को आयोजित होने वाले वैश्विक सम्मेलन का भी हिस्सा होता है।

सचरमैन (Schurmann) परिवार:

- सचरमैन परिवार एक पालनौका (Sailboat) से विश्व भ्रमण करने वाला पहला लैटिन अमेरिकी परिवार है।

- यह परिवार समुद्री प्रदूषण को समाप्त करने के लिये जागरूकता अभियान चलाता है।
- यह परिवार ऑनलाइन स्कूल कार्यक्रमों, फिल्मों और टीवी कार्यक्रमों जैसे- रेडे ग्लोबो (Rede Globo), नेशनल जियोग्राफिक (National Geographic) के माध्यम से विश्व भर में जागरूकता अभियानों में सक्रिय है।
- सचरमैन परिवार 12 दिसंबर, 2019 को ब्राज़ील से 18 महीने के वॉयस ऑफ द ओशियन के विश्व भ्रमण पर पालनौका (Sailboat) से रवाना होगा। इस अभियान में सचरमैन परिवार UNEP की सहायता से समुद्री प्रदूषण की स्थिति को रिकॉर्ड करेगा।
- अनुमान के अनुसार, हर वर्ष 8 से 13 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा समुद्रों में पहुँचता है। इस कचरे से जल प्रदूषण के अलावा प्रतिवर्ष 100,000 समुद्री जानवरों और 1 मिलियन पक्षियों की मृत्यु हो जाती है।
- इस अभियान का मुख्य उद्देश्य समुद्री प्रदूषण के संभावित समाधानों की पहचान करना, सरकार, निजी क्षेत्रों और जनता को समुद्रों की सफाई हेतु प्रेरित करना एवं प्लास्टिक से समुद्र को मुक्त करने संबंधी नवाचारों को प्रेरित करना है।
- वॉयस ऑफ द ओशियन पृथ्वी के 40 रणनीतिक स्थानों को कवर करेगा, जिसमें ब्राज़ील के फर्नांडो डी नोरोन्हा (Fernando de Noronha), न्यूयॉर्क के मैनहट्टन (Manhattan), न्यूज़ीलैंड के ऑकलैंड (Auckland) और प्रशांत महासागर के ड्यूकी द्वीप (Ducie Island) जैसे स्थान शामिल हैं।
- यह अभियान गीयर (Gyres) का भी अध्ययन करेगा। गीयर (Gyres) वह क्षेत्र होता है, जहाँ पर समुद्री धाराएँ प्लास्टिक कचरे के मलबों का संग्रह कर क्लस्टर बनाती हैं।

क्लीन सीज़ अभियान (Clean Seas campaign):

- क्लीन सीज़ अभियान की शुरुआत UN पर्यावरण द्वारा इंडोनेशिया के बाली में इकोनॉमिस्ट वर्ल्ड ओशियन समिट के दौरान हुई।
- यह अभियान सरकारों से उत्पादन और पैकेजिंग में प्लास्टिक के उपयोग को कम करने संबंधी नीतियों हेतु प्रेरित करता है।
- यह अभियान लोगों से भी समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण को हतोत्साहित करने के लिये आग्रह करता है।

वैश्विक जलवायु आपातकाल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 6 महाद्वीपों के 7,000 से अधिक उच्च शिक्षा संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाले नेटवर्क ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है।

प्रमुख बिंदु:

- नेटवर्क ने संकट का समाधान करने के लिये 3-सूत्री योजना प्रस्तुत की है:
  1. वर्ष 2030 या वर्ष 2050 तक कार्बन न्यूट्रलिटी की प्रतिबद्धता।
  2. जलवायु परिवर्तन के अनुसंधान और कौशल निर्माण के लिये अधिक संसाधनों को जुटाना।
  3. शिक्षा, पाठ्यक्रम और परिसर में पर्यावरण स्थिरता कार्यक्रमों की पहुँच बढ़ाना।
- एलायंस फॉर सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप इन एजुकेशन (Alliance for Sustainability Leadership in Education), अमेरिका स्थित उच्चतर शिक्षा जलवायु कार्रवाई संगठन (Climate Action Organization), सेकण्ड नेचर (Second Nature), UNEP के युवा और शिक्षा गठबंधन (Youth and Education Alliance) आदि संस्थाओं ने पहली बार सामूहिक स्तर पर जलवायु आपातकाल के प्रति प्रतिबद्धता हेतु हाल ही में न्यूयार्क में बैठक की।
- जलवायु आपातकाल से निपटने के लिये स्ट्रैथमोर (Strathmore) विश्वविद्यालय केन्या, तोंगजी (Tongji) विश्वविद्यालय चीन, केज (KEDGE) बिजनेस स्कूल फ्राँस, ग्लासगो विश्वविद्यालय (UK), कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी USA, जायद विश्वविद्यालय UAE और ग्वाडलजारा (Guadalajara) विश्वविद्यालय मेक्सिको आदि के साथ ही ग्लोबल एलायंस (Global Alliance) और ग्लोबली रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप इनिशिएटिव (Globally Responsible Leadership Initiative) जैसे वैश्विक शिक्षा नेटवर्कों ने भी कार्बन न्यूट्रलिटी लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त की।
- जलवायु और पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने एवं पर्यावरणीय स्थिरता को प्राप्त करने हेतु युवाओं के महत्त्वपूर्ण योगदान की आवश्यकता को इंगित किया गया है।

- स्ट्रैथमोर विश्वविद्यालय में स्थापित 600 किलोवाट फोटोवोल्टिक ग्रिड सिस्टम के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा द्वारा इसका संचालन, तोंगजी विश्वविद्यालय द्वारा सतत् शिक्षा पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिये निवेश, जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से जलवायु आपातकाल से निपटने हेतु कई प्रयास पहले से किये जा रहे हैं।
- कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने वर्ष 2025 तक कार्बन न्यूट्रलिटी के लिये प्रतिबद्धता व्यक्त की है, जबकि अमेरिकन विश्वविद्यालय और कोलगेट विश्वविद्यालय पहले ही कार्बन न्यूट्रल हो चुके हैं।
- उच्च शिक्षण संस्थाओं द्वारा अभी तक जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये किये गए सीमित प्रयासों पर चिंता व्यक्त की गई।
- बैठक में वर्ष 2019 के अंत तक 10,000 से अधिक उच्च संस्थाओं द्वारा अपने नेतृत्व में सरकारों को जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु प्रोत्साहित करने की उम्मीद की गई है।

एलायंस फॉर सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप इन एजुकेशन (Alliance for Sustainability Leadership in Education)

- इसे EAUC के नाम से भी जाना जाता है।
- इसमें कुल 2 मिलियन छात्र-छात्राएँ और लगभग 400,000 कर्मचारी शामिल हैं तथा इसका बजट 25 बिलियन डॉलर से अधिक है।
- यह नेताओं, शिक्षाविदों और पेशेवरों को पर्यावरण के सतत् विकास में स्थिरता लाने में सहायता हेतु प्रेरित करता है।
- सेकंड नेचर (Second Nature)
- यह संस्थान उच्च शिक्षा के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटने वाली गतिविधियों में तेज़ी लाने का काम करता है।
- यह संस्थान त्वरित जलवायु प्रतिबद्धताओं पर कार्य करने, कैंपस में जलवायु परिवर्तन के प्रयास को मापने और नवीन जलवायु परिवर्तन के प्रयासों को तैयार करने में उच्च शिक्षण संस्थानों की सहायता करता है।
- यह संस्थान वैश्विक नेताओं के साथ तत्काल जलवायु परिवर्तन से निपटने की प्राथमिकताओं को रेखांकित करता है।

सोमालिया में पहला पर्यावरण पत्रकार नेटवर्क

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सोमालिया (Somalia) की मीडिया ने पर्यावरण पत्रकारों का पहला नेटवर्क शुरू किया है।

प्रमुख बिंदु :

- सोमालिया के पर्यावरण पत्रकार नेटवर्क (The Somali Environmental Journalists Network-SEJN) का उद्देश्य देश में पर्यावरण चुनौतियों पर मीडिया रिपोर्टिंग को बढ़ावा देने के लिये पत्रकारों को एक साथ लाना है।
- यह शुरुआत देश के सभी पत्रकारों को एक साथ आने और उन्हें पर्यावरण संबंधी विषयों पर बात करने के लिये प्रोत्साहित करेगी।
- पत्रकारों का यह नेटवर्क सोमालिया सरकार सहित निजी क्षेत्र और संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों के सहयोग से कार्य करेगा।
- पत्रकारों का यह नेटवर्क पर्यावरण और सतत् विकास के मुद्दों पर चर्चा करने वाले सोमालिया के सभी पत्रकारों के लिये खुला है।
- गौरतलब है कि वनों की कटाई और भूमि क्षरण सोमालिया में प्रमुख पर्यावरणीय चुनौतियाँ हैं।

सोमालिया:

- सोमालिया गणराज्य का गठन वर्ष 1960 में किया गया था।
- सोमालिया, अफ्रीका के सबसे पूरब में स्थित एक देश है, जिसकी राजधानी का नाम मोगादिशु है।
- सोमालिया का प्रमुख धर्म इस्लाम है।
- सोमालिया की अर्थव्यवस्था का मुख्य हिस्सा कृषि पर आधारित है, परंतु पशुपालन वहाँ की प्रमुख आर्थिक गतिविधि है।

संकटग्रस्त हंगुल प्रजाति

चर्चा में क्यों?

कश्मीर घाटी में हंगुल प्रजातियों के मृगों की नवीनतम जनगणना से पता चला है कि हंगुल (Cervus hanglu) की आबादी में तेज़ी से गिरावट आई है।

प्रमुख बिंदु

- नवीनतम हंगुल जनसंख्या निगरानी कार्यक्रम 22 मार्च से 30 मार्च, 2019 के बीच आयोजित किया गया था।
- यह कार्यक्रम जम्मू और कश्मीर के वन्यजीव संरक्षण विभाग (Department of Wildlife Protection-DWLP) द्वारा भारतीय वन्यजीव संस्थान (Wildlife Institute of India-WII) के सहयोग से आयोजित किया गया।
- गणना के आँकड़ों से पता चला है कि प्रति 100 मादाओं पर 7.5% शिशु मृग जबकि प्रति 100 मादाओं पर 15.5% पुरुष मृग हैं। यह अनुपात वर्ष 2017 की गणना के दौरान क्रमश: 19.1 और 15.8 प्रतिशत था।
- इस तरह के कार्यक्रमों को वैज्ञानिक तरीकों से वर्ष 2004 से दाचीगाम अभ्यारण्य में आयोजित किया गया है जिसमें शोधकर्त्ताओं, फील्ड स्टाफ, विश्वविद्यालय के छात्रों को शामिल किया जाता है।
- कश्मीर में मादा-शिशु मृगों और नर-मादा अनुपात में गिरावट के प्रमुख कारण में वनों की कटाई और अवैध शिकार ने हंगुलों की आबादी को बुरी तरह से प्रभावित किया है।

वर्ष	अनुमानित हंगुल आबादी	नर/100 मादा	शिशु: प्रति 100 मादा
2004	197	19	23
2006	153	21	09
2009	175	26.52	27.82
2011	218	29.52	25.80
2015	183	22.33	14.33
2017	214	15.8	19.1
2019	237	15.3	9.1

आगे की राह

- वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार, हंगुल की संख्या में समग्र गिरावट की प्रवृत्ति को समझने के लिये घटता मादा-शिशु मृग एवं नर-मादा मृगों का अनुपात जनसंख्या असंतुलन का प्रमुख कारण है। इसलिये मृगों के संरक्षण हेतु समय रहते उचित प्रबंधन किये जाने की आवश्यकता है।
- विशेषज्ञों ने कश्मीर वन्यजीव संरक्षण विभाग को हंगुल के संरक्षण हेतु एक विशेष परियोजना शुरू करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया है।
- जम्मू और कश्मीर की सरकार को अपने राजकीय पशु की रक्षा करने के लिये अपनी प्रतिबद्धता को दोहराना चाहिये और वास्तव में यदि हंगुल को बचाना है तो हंगुल के निवास स्थान को सुरक्षित एवं संरक्षित किया जाना चाहिये।

कश्मीरी हंगुल

- कश्मीरी बारहसिंगे को कश्मीर में स्थानीय रूप से हंगुल भी कहा जाता है जो भारत में यूरोपीय लाल हिरणों की एकमात्र उप-प्रजाति है। हंगुल जम्मू-कश्मीर का राजकीय पशु भी है।
- पहली बार 1844 में अल्फ्रेड वैगनर द्वारा चिह्नित इस प्रजाति के बारे में कहा जाता है कि इसने मध्य एशिया के बुखारा से कश्मीर तक यात्रा की है। पहले यह प्रजाति कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के चंबा ज़िले के कुछ हिस्सों, झेलम और चेनाब नदियों के उत्तर एवं पूर्व में 65 किलोमीटर के दायरे में पाई जाती थी।
- वर्तमान में हंगुल की आबादी श्रीनगर के पास दाचीगाम वन्यजीव अभयारण्य (Dachigam Wildlife Sanctuary) तक सीमित है, जो 141 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।

- अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature-IUCN) ने इसे गंभीर रूप से विलुप्तप्राय पशु घोषित किया है।
- श्रीनगर के पास दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान (Dachigam National Park) को हंगुल का आखिरी अविवादित आवास माना जाता है।
- हंगुल के सामने आने वाली चुनौतियों में अवैध शिकार, उग्रवाद से खतरा और भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा संघर्ष शामिल हैं।

एक्रा एक्शन एजेंडा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में यूरोपियन संघ और UNEP ने अफ्रीका LEDS (Low Emissions Development Strategies) प्रोजेक्ट के तहत अफ्रीकी एक्शन एजेंडे को संचालित करने के लिये एक्रा एक्शन एजेंडा (Accra Action Agenda) घोषित किया।

प्रमुख बिंदु

- अफ्रीका में ग्रीनहाउस गैसों का न्यूनतम उत्सर्जन होता है, फिर भी यह महाद्वीप जलवायु परिवर्तन से बहुत अधिक प्रभावित है। जलवायु परिवर्तन की वजह से इस महाद्वीप के लोगों की आजीविका और सामाजिक-आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

अफ्रीका के जलवायु परिवर्तन से अधिक प्रभावित होने के कारण

- अफ्रीका का ज़्यादातर हिस्सा उष्ण कटिबंध में है जिससे वर्ष भर यहाँ सूर्यातप की अत्यधिक मात्रा उपलब्ध होती है। इसके परिणामस्वरूप ग्रीष्म लहर की की घटनाओं की बारंबारता अधिक होती है। यूरोपीय कमीशन की एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रीष्म लहर से गिनी खाड़ी, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अंगोला अरब प्रायद्वीप और कांगो सबसे अधिक प्रभावित हैं।
- खनन और उद्योगों की स्थापना से वनों की अत्यधिक कटाई हो रही है, जिसके परिणामस्वरूप भूस्खलन आदि घटनाओं की आवृत्ति बढ़ रही है। अंततः इससे जैव-विविधता का ह्रास हो रहा है।
- संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization of the United Nations-FAO) की एक रिपोर्ट के अनुसार भूमि क्षरण और भू-निम्नीकरण की बढ़ती घटनाओं से सहारा मरुस्थल अपने वास्तविक स्वरुप से 10% अधिक विस्तारित हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप वनों का क्षेत्रफल कम हुआ है। साथ ही इस क्षेत्र की जीवन रेखा 'चाड झील' भी संकुचित हो गई है। इस प्रकार की घटनाओं ने जलवायु परिवर्तन की प्रभाविता में उत्प्रेरक का कार्य किया है।
- UN की एक रिपोर्ट के अनुसार अफ्रीका में खाना पकाने में 80% तक बायोमास ईंधन का प्रयोग होता है जिससे मानव स्वास्थ और जलवायु दोनों बुरी तरह प्रभावित होते है।
- कमज़ोर शासन, उग्रवाद, कम पूँजी, खराब बुनियादी ढाँचा, अपर्याप्त प्रौद्योगिकी एवं विदेशी बाज़ार तक पहुँच आदि परिस्थितियाँ अफ्रीका में जलवायु परिवर्तन की प्रभाविता को और बढ़ा देती हैं।

अफ्रीका में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

- UN की एक रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से अफ्रीका की GDP में 2 से 4% तक की हानि हुई है। अधिकांश अफ्रीकी देशों की प्रति व्यक्ति आय 30 वर्ष पहले के स्तर से कम हो गई है।
- FAO की रिपोर्ट के अनुसार उप सहारा में एक तिहाई लोग भूख और कुपोषण से पीड़ित हैं।
- जलवायु परिवर्तन से शिक्षा और स्वास्थ भी बुरी तरह प्रभावित हो रहा है, UNDP की एक रिपोर्ट के अनुसार अफ्रीका में 10 में से 4 लोग HIV/AIDS से पीड़ित हैं।
- अफ्रीका में जलवायु परिवर्तन से जहाँ एक ओर मरुस्थलीकरण का प्रभाव बढ़ रहा है, वही पश्चिमी और पूर्वी अफ्रीका के तट भी समुद्र में डूब रहे हैं। इस प्रकार की घटनाएँ घाना आदि देशों को बुरी तरह प्रभावित कर रही हैं।
- जलवायु परिवर्तन के समग्र कारणों की वजह से अफ्रीका का आर्थिक सामाजिक विकास भी काफी प्रभावित हुआ है।

अफ्रीका में जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु किये गए प्रयास

- यूरोपीय संघ-UNEP द्वारा संचालित अफ्रीका LEDS (Low Emissions Development Strategies- कम उत्सर्जन विकास रणनीतियाँ) परियोजना के कार्यान्वयन से अफ्रीका अपने राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contribution-NDC) की प्राथमिकताओं को पूरा कर सकेगा तथा साथ ही जलवायु परिवर्तन के मद्देनज़र अपना सामाजिक-आर्थिक विकास भी सुनिश्चित कर सकेगा।

अफ्रीका LEDS क्या है?

- यह कार्यक्रम यूरोपीय संघ और सात सहयोगी देशों द्वारा वित्तपोषित है।
- इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अफ्रीकी देशों के NDC की प्राथमिकताओं के लिये नीतिगत और संरचनात्मक सहयोग प्रदान करना है।
- इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बिना शर्त देशों की NDC हेतु जवाबदेही तंत्र स्थापित करना है और साथ ही युवाओं के लिये कौशल, प्रतिभा संबंधित अवसरों का निर्माण करना है।
- अफ्रीकी मंत्रिस्तरीय पर्यावरण सम्मेलन (African Ministerial Conference on the Environment-AMCEN) के तहत जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय नीतियों में समग्रता का प्रयास किया जा रहा है। AMCEN को सचिवालय नैरोबी स्थित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा प्रदान किया जाता है।
- अफ्रीका के विकास हेतु नई साझेदारी (New Partnership for Africa's Development-NEPAD) कार्यक्रम के माध्यम से भी नीति निर्माण और क्रियान्वयन पर समग्रता का प्रयास किया जा रहा है।
- UNFCCC, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत अनुकूलन कोष (Adaptation Fund), ग्लोबल पर्यावरण सुविधा (Global Environment Facility), विश्व बैंक जैसे तंत्रों के माध्यम से अफ्रीका को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

उपरोक्त प्रयासों के बावजूद भी अफ्रीका की आर्थिक- सामाजिक स्थिति और जलवायु परिवर्तन से निपटने की रणनीतियों में सुधार शेष है। इसीलिये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अफ्रीका को उच्च राजनीतिक मान्यता प्रदान की जानी चाहिये, जिससे वहाँ पर खाद्य और जलवायु सुरक्षा, संसाधनों का उचित आवंटन, जलवायु जोखिम का प्रबंधन एवं अनुकूलन हेतु आवश्यक कार्यवाहियाँ संपन्न कराई जा सके।

दक्षिण अफ्रीका का कार्बन टैक्स

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ने कार्बन टैक्स (Carbon Tax) की शुरुआत की है।

प्रमुख बिंदु :

- दक्षिण अफ्रीका द्वारा यह टैक्स 1 जून, 2019 को लागू किया गया था।
- इसे लागू करने के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं :
  - ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना, और
  - कम कार्बन वाले विकल्पों पर निवेश को बढ़ावा देना है।
- इसके उपयोग से कार्बन उत्सर्जन (Carbon Emission) में वर्ष 2020 तक 34 प्रतिशत और वर्ष 2025 तक 42 प्रतिशत की कमी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- दक्षिण अफ्रीका ने प्रदूषण के मामले में यूनाइटेड किंगडम और फ्राँस को भी पीछे छोड़ दिया है और वहाँ के लैंडफिल जल्द ही भरने वाले हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उसे इस प्रकार के सख्त और महत्त्वपूर्ण कदमों की कितनी ज़्यादा आवश्यकता है।

क्या है कार्बन टैक्स?

- कार्बन टैक्स प्रदूषण पर नियंत्रण करने का एक साधन है, जिसमें कार्बन के उत्सर्जन की मात्रा के आधार पर जीवाश्म ईंधनों के उत्पादन, वितरण एवं उपयोग पर शुल्क लगाया जाता है।

- सरकार कार्बन के उत्सर्जन पर प्रतिटन मूल्य निर्धारित करती है और फिर इसे बिजली, प्राकृतिक गैस या तेल पर टैक्स के रूप में परिवर्तित कर देती है। क्योंकि यह टैक्स अधिक कार्बन उत्सर्जक ईंधन के उपयोग को महँगा कर देता है। अत: यह ऐसे ईंधनों के प्रयोग को हतोत्साहित करता है एवं ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देता है।

दक्षिण अफ्रीका का कार्बन टैक्स मॉडल:

- वर्ष 2030 तक के लिये तैयार किया गया यह मॉडल दो चरणों में प्रभावी रूप से लागू होगा। इसका पहला चरण लागू होने की तिथि से 1 दिसंबर, 2022 तक चलेगा और दूसरा चरण वर्ष 2023 से वर्ष 2030 तक चलेगा।
- आरंभिक स्तर पर कर की दर 120 रेंड (दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा) अर्थात् 8.34 डॉलर प्रति टन कार्बन डाइऑक्साइड निर्धारित की गई है।
- अपने कर के बोझ को कम करने के लिये कंपनियाँ नवीकरणीय ऊर्जा, बायो गैस और अन्य विकल्पों पर निवेश कर सकती हैं।

कार्बन टैक्स का आधार

- कार्बन टैक्स, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ के आर्थिक सिद्धांत (The Economic Principle of Negative Externalities) पर आधारित है।
- एक्सटर्नलिटीज़ (Externalities) वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन से प्राप्त लागत या लाभ (Costs or Benefits) हैं, जबकि नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ वैसे लाभ हैं जिनके लिये भुगतान नहीं किया जाता है।
- जब जीवाश्म ईंधन के दहन से कोई व्यक्ति या समूह लाभ कमाता है तो होने वाले उत्सर्जन का नकारात्मक प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है।
- यही नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ है, अर्थात् उत्सर्जन के नकारात्मक प्रभाव के एवज़ में लाभ तो कमाया जा रहा है लेकिन इसके लिये कोई टैक्स नहीं दिया जा रहा है।
- नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ का आर्थिक सिद्धांत मांग करता है कि ऐसा नहीं होना चाहिये और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ के एवज़ में भी टैक्स वसूला जाना चाहिये।

आगे की राह:

- कार्बन टैक्स एक ऐसा विचार है जो अमीरों के लिये कम लेकिन गरीबों के लिये अधिक चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि इससे महँगाई बढ़ेगी। लेकिन इसका समाधान है 'कर एवं लाभांश' (Tax and Dividend) की नीति। पश्चिम में अर्थशास्त्रियों के मध्य
- प्रचलित इस नीति में कहा गया है कि इस प्रकार के टैक्स से प्राप्त राशि से सरकार का खज़ाना भरने के बजाय समाज के वंचित लोगों में वितरित कर दी जानी चाहिये।
- यदि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग सस्ता एवं वहनीय होगा तो लोग स्वयं इसके उपयोग हेतु प्रोत्साहित होंगे। चूँकि जलवायु परिवर्तन वैश्विक तौर पर जन-जीवन को प्रभावित करता है, इसलिये विभिन्न देशों को अपने नीतिगत अनुभवों एवं
- अनुसंधानों को साझा करना चाहिये, ताकि शमन नीति (Mitigation Policy) पर पर्याप्त चर्चा की जा सके।

ओज़ोन प्रदूषण में वृद्धि

चर्चा में क्यों?

विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र नामक गैर-सरकारी संस्था द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, देश की राजधानी दिल्ली के वातावरण में पिछले एक साल के दौरान ओज़ोन के प्रदूषक कणों की मात्रा में लगभग डेढ़ गुना वृद्धि हुई है।

ओज़ोन क्या है?

- ओज़ोन (Ozone-O3) ऑक्सीजन के तीन परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है जो वायुमंडल में बेहद कम मात्रा में पाई जाती हैं। पृथ्वी की सतह से 30-32 किमी. की ऊँचाई पर इसकी सांद्रता अधिक होती है। यह हल्के नीले रंग की तीव्र गंध वाली विषैली गैस है।
- वायुमंडल में ओज़ोन का कुल प्रतिशत अन्य गैसों की तुलना में बहुत ही कम है। प्रत्येक दस लाख वायु अणुओं में दस से भी कम ओज़ोन अणु होते हैं।

- जर्मन वैज्ञानिक क्रिश्चियन फ्रेडरिक श्योनबाइन ने 1839 में ओज़ोन गैस की खोज की थी।
- इसका रंग हल्का नीला होता है और इससे तीव्र गंध आती है। इस तीखी विशेष गंध के कारण इसका नाम ग्रीक शब्द 'ओजिन' से बना है, जिसका अर्थ है सूंघना।
- यह अत्यधिक अस्थायी और प्रतिक्रियाशील गैस है। वायुमंडल में ओज़ोन की मात्रा प्राकृतिक रूप से बदलती रहती है। यह मौसम वायु-प्रवाह तथा अन्य कारकों पर निर्भर है।

अच्छी और बुरी ओज़ोन

ओज़ोन गैस पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल और सतही स्तर दोनों पर पाई जाती है। ओजोन अच्छी या बुरी दोनों प्रकार की हो सकती है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह कहाँ पाई जाती है।

- ओज़ोन गैस समतापमंडल (Stratosphere) में अत्यंत पतली एवं पारदर्शी परत के रूप में पाई जाती है। यह वायुमंडल में मौजूद समस्त ओज़ोन का कुल 90 प्रतिशत है, इसे अच्छा ओज़ोन माना जाता है। यह एक सुरक्षा कवच के रूप में पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। इसलिये इसे अच्छी ओज़ोन भी कहते हैं।
- वायुमंडल के निम्नतम स्तर में पाई जाने वाली अर्थात् क्षोभमंडलीय ओज़ोन को 'बुरी ओज़ोन' (Bad Ozone) भी कहा जाता है।
- यह ओज़ोन मानव निर्मित कारकों जैसे आंतरिक दहन इंजनों, औद्योगिक उत्सर्जन और बिजली संयंत्रों के कारण होने वाले वायु प्रदूषण का परिणाम है। यह एक खतरनाक वायु-प्रदूषक के रूप में कार्य करती है, इसलिये इसे बुरी ओज़ोन कहते हैं।
- रासायनिक रूप से समान होने पर भी दोनों स्थानों पर ओज़ोन की भूमिका अलग-अलग है।
- समतापमंडल में यह पृथ्वी को हानिकारक पराबैंगनी विकिरण (Utra-violet Radiation) से बचाती है। वहीँ क्षोभमंडल में ओज़ोन हानिकारक संदूषक (Pollutants) के रूप में कार्य करती है और बहुत कम मात्रा में होने के बावजूद मानव के फेफड़ों, तंतुओं तथा पेड़-पौधों को नुकसान पहुँचा सकती है।

कैसे निर्मित होती है सतही ओज़ोन

- सतही ओज़ोन प्राथमिक प्रदूषक नहीं है बल्कि यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में NOx (नाइट्रोजन ऑक्साइड), CO (कार्बन मोनोऑक्साइड) की रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण उत्पन्न होती है। जब तापमान में वृद्धि होती है, तो ओज़ोन के उत्पादन की दर भी बढ़ जाती है।

ओज़ोन प्रदूषण का प्रभाव

मानव स्वास्थ्य पर

- ओज़ोन के अंत:श्वसन पर सीने में दर्द, खाँसी और गले में दर्द सहित कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
- यह ब्रोन्काइटिस (Bronchitis), वातस्फीति (Emphysema) और अस्थमा की स्थिति को और बद्दतर सकता है।
- इससे फेफड़ों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है और ओज़ोन के बार-बार संपर्क में आने से फेफड़ों के ऊतक स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो सकते है।

पर्यावरण पर:

- जब किसी संवेदनशील पौधे की पत्तियों में ओज़ोन अत्यधिक मात्र में प्रवेश करती है तो यह उस पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित कर सकती है तथा पौधे की वृद्धि को मंद कर सकती है।
- ओजोन वनों, उद्यानों, वन्यजीवन इत्यादि सहित वनस्पति और पारिस्थितिक तंत्र को भी नुकसान पहुँचाती है।

ओज़ोन प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु किये प्रयास

भारत के प्रयास:

1. राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक: इसके अंतर्गत ओज़ोन को आठ प्रमुख प्रदूषकों के रूप में चिह्नित किया गया है।
2. वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली (SAFAR): जून 2015 में दिल्ली और मुंबई के लिये इसकी शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत भी ओज़ोन की निगरानी एक प्रदूषक के रूप में की जाती है।
3. ग्रेडेड रेस्पांस एक्शन प्लान/ग्रेप (Graded Response Action Plan-GRAP) दिल्ली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (National Capital Region- NCR) के लिये की शुरुआत की गई है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास

- गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल (GothenBurg Protocol): इसका लक्ष्य अम्लीकरण (Acidification), सुपोषण (Eutrophication) और भू-स्तरीय ओज़ोन (Ground Level Ozone) को कम करना है और यह कन्वेंशन ऑन लॉन्ग-रेंज ट्रांस बाउंड्री एयर पॉल्यूशन का एक हिस्सा है।

निष्कर्ष:

- ओज़ोन मानव स्वास्थ्य के लिये कितनी ज़्यादा हानिकारक है। ओज़ोन प्रदूषण लगातार हमारे वायुमंडल में अपने पैर पसारता जा रहा है और हमारे पास अब तक ओज़ोन प्रदूषण और मृत्यु दर के बीच संबंध ज्ञात करने ली लिये कोई निश्चित पद्धति भी नहीं है। ओज़ोन प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिये इस विषय पर अधिक-से-अधिक अनुसंधान और महत्त्वपूर्ण सुरक्षा उपाय अपनाने की आवश्यकता है।

हिमाचल प्रदेश में बंदर हिंसक जानवर घोषित

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश में बंदरों को एक वर्ष के लिये हिंसक जानवर (Vermin) घोषित किया है।

प्रमुख बिंदु

- मंत्रालय की घोषणा के बाद शिमला के स्थानीय अधिकारियों को गैर-वनीय क्षेत्रों में बंदरों को मारने के लिये एक वर्ष का समय दिया गया है।
- इस फैसले का पशु अधिकारों के लिये कार्य करने वाले संगठनों द्वारा विरोध किया जा रहा है। इनका तर्क है कि फसलों को नुकसान पहुँचाने वाले वन्य जीवों को मारना समस्या का समाधान नहीं है।
- सरकार के इस निर्णय से वन्यजीवों के अवैध व्यापार में वृद्धि भी हो सकती है। अत: संबंधित मामले में विचार-विमर्श एवं विश्लेषण के बाद ही कोई कठोर कदम उठाया जाना चाहिये।

फैसले के पीछे कारण

- हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में रीसस मकाक प्रजाति के बंदरों की संख्या में वृद्धि होने तथा उनके द्वारा बड़े पैमाने पर फसलों, लोगों के जीवन और संपत्ति को नुकसान पहुँचाए जाने के संबंध में केंद्र सरकार को सूचित किया था, इस सूचना के आधार पर ही यह घोषणा की गई है।
- इससे पहले भी हिमाचल प्रदेश में (वर्ष 2007 में) सैकड़ों रीसस मकाक (Rhesus Macaque) को मार दिया गया, उसके बाद लगभग 96,000 मकाक का बंध्याकरण किया गया हालाँकि इसके बाद भी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है।

जानवरों को हिंसक घोषित करने के प्रावधान

- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 [Wildlife (Protection) Act]] के तहत इन प्रजातियों को I से V अनुसूचियों में वर्गीकृत किया जाता है।
  - अनुसूची I के अंतर्गत शामिल प्रजातियों को सबसे ज़्यादा संरक्षण प्रदान किया जाता है। इनका शिकार करने वालों को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत कड़ी सजा दिये जाने का प्रावधान है।
  - अनुसूची II और III के अंतर्गत जंगली सूअर, नीलगाय एवं रीसस मकाक बंदर को शामिल किया गया है जो संरक्षित तो हैं लेकिन विशिष्ट परिस्थितियों में इनका शिकार किया जा सकता है।
  - अनुसूची V के तहत रहने वाली प्रजातियों को हिंसक की श्रेणी में शामिल किया गया है जिसके तहत कौआ और फ्रूट बैट आते हैं।
- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा 11 (1) के अनुसार, किसी भी ऐसे जंगली जानवर जिसके द्वारा गंभीर समस्या उत्पन्न की जा रही हो तथा उस जानवर को शांत या स्थानांतरित नहीं किया जा सके, ऐसी स्थिति में अधिकृत अधिकारी उसके शिकार की अनुमति देने के लिये अधिकृत है।
- अनुसूची II, III एवं IV में शामिल जंगली जानवरों से होने वाले मानव एवं संपत्ति के नुकसान को देखते हुए अधिकृत अधिकारी निर्दिष्ट क्षेत्र में जंगली जानवर के शिकार की अनुमति दे सकता है।
- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा 62 के अंतर्गत प्रावधान है कि केंद्र सरकार अनुसूची I, II के अतिरिक्त अन्य जंगली जानवरों को निर्दिष्ट क्षेत्र एवं अवधि के लिये हिंसक जानवर घोषित कर सकता है।

मानव-वन्यजीव संघर्ष की परिभाषा

- वन्यजीवों और मनुष्यों में इस तरह की घटनाओं की बढ़ती संख्या को जैव-विविधता से जोड़ते हुए विशेषज्ञ निरंतर चेतावनी देते हैं कि मानव के इस अतिक्रामक व्यवहार से पृथ्वी पर जैव असंतुलन बढ़ रहा है। विज्ञान तथा तकनीकी के विकास से वन्य जीवों की हिंसा से उत्पन्न होने वाले भय तथा नुकसान से मनुष्य निश्चित रूप से लगभग मुक्त हो चुका है।
- वन्यजीव अपने प्राकृतिक पर्यावास की तरफ स्वयं रुख करते हैं, लेकिन एक जंगल से दूसरे जंगल तक पलायन के दौरान वन्यजीवों का आबादी क्षेत्रों में पहुँचना स्वाभाविक है। मानव एवं वन्यजीवों के बीच संघर्ष का यही मूल कारण है। मानव तथा वन्यजीवों के बीच होने वाले किसी भी तरह के संपर्क की वज़ह से मनुष्यों, वन्यजीवों, समाज, आर्थिक क्षेत्र, सांस्कृतिक जीवन, वन्यजीव संरक्षण या पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव मानव-वन्यजीव संघर्ष की श्रेणी में आता है।

मनुष्य-पशु संघर्ष के कारण

- पर्यावास का विनाश: विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये मानव ने बड़े पैमाने पर ऐसे वनों/जंगलों को नष्ट कर दिया है, जहाँ पर ये जानवर निवास तथा अपने भोजन के लिये शिकार करते थे। अत: भोजन एवं आवास की तलाश में ये जानवर खेतों एवं मानव आवासों तक पहुँच रहे हैं।
- बाघों एवं तेंदुओं जैसे परभक्षी जानवरों की जनसंख्या में गिरावट से नीलगाय, हिरन आदि शाकाहारी जीवों की संख्या में वृद्धि हो रही है।
- प्राकृतिक आपदाएँ जैसे- सूखा, बाढ़ आदि के कारण भी जंगली जानवर खेतों एवं मानवीय आवासों में प्रवेश कर जाते हैं।
- वर्तमान समय में पर्यटकों द्वारा जानवरों को खाना खिलाने का प्रचलन बढ़ रहा है, इसके कारण भी जानवर पर्यटकों का पीछा करते हुए मानव आबादी में प्रवेश कर जाते हैं।

उपाय

- जंगली जानवरों के आवासों को नष्ट होने से बचाया जाए ताकि वे अपने आवासों में ही रहें।
- वन्यजीवों से होने वाली क्षति से सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति प्रदान की जानी चाहिये।
- बाड़ जैसे प्राकृतिक रूपों से खेतों की घेराबंदी की जानी चाहिये।

2000 वर्षों में सबसे गर्म रहा 20वीं सदी का अंत

चर्चा में क्यों?

हाल ही में स्विट्जरलैंड स्थित बर्न विश्वविद्यालय के शोधकर्त्ताओं द्वारा किये गए एक शोध में पाया गया है कि पिछले 2000 वर्षों में 20 सदी के अंत का समय ऐसा समय था जब विश्व के तापमान में सबसे तेज़ वृद्धि होनी शुरू हुई।

प्रमुख बिंदु :

- इस शोध के निष्कर्ष तक पहुँचाने के लिये शोधकर्त्ताओं ने पिछले 2000 वर्षों के वैश्विक तापमान के विशाल डेटाबेस का अध्ययन किया।
- अध्ययन के अनुसार, आधुनिक युग में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव सार्वभौमिक है, जबकि इसके विपरीत इतिहास की जलवायु परिवर्तन घटनाएँ जैसे- हिमयुग और मध्यकालीन ग्रीष्म काल आदि वैश्विक अथवा सार्वभौमिक न होकर क्षेत्रीय थीं।
- उदाहरण के लिये प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में हिमयुग 15वीं शताब्दी में आया जबकि यूरोप में यह युग 17वीं शताब्दी में आया।
- दुनिया ने कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) के सुरक्षित स्तर को 33 वर्ष पहले ही पार कर लिया था और वर्तमान में यह 412 PPM है।
- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (International Energy Agency) के अनुसार, 2018 में वैश्विक ऊर्जा खपत में 2.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, जिसके कारण CO_2 उत्सर्जन में 1.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।
- यह आश्चर्य की बात नहीं है कि जून 2019 पृथ्वी पर अब तक का सबसे गर्म जून महीना रिकॉर्ड किया गया था और जुलाई 2019 भी इतिहास में सबसे गर्म महीना बनने की राह पर है।

निष्कर्ष:

हरित गृह गैसों का उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन वैश्विक विकास में सबसे बड़ी बाधा हैं, यदि इन गैसों का उत्सर्जन इसी तरह लगातार बढ़ता रहा तो दुनिया जलवायु परिवर्तन के नए रिकॉर्ड बनती रहेगी और इनका समाधान करना बेहद आवश्यक है।

सुपरबग्स के लिये ड्रग मॉलिक्यूल

चर्चा में क्यों?

भारतीय वैज्ञानिकों ने सुपरबग को नष्ट करने वाले एक नए एक ड्रग मॉलिक्यूल को विकसित करने की रणनीति बनाई है।

प्रमुख बिंदु:

- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) कानपुर और लखनऊ स्थित केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान (Central Drug Research Institute-CDRI) के वैज्ञानिकों ने तेज़ी से विकसित हो रहे एंटीबायोटिक दवाओं के प्रतिरोधी सुपरबग्स को नष्ट करने की रणनीति बनाई है।
- वैज्ञानिकों ने अध्ययन में नाक के ऊपरी हिस्से में पाए जाने वाले बैक्टीरिया स्टैफिलोकोकस ऑरियस (Staphylococcus Aureus) का प्रयोग किया। प्रयोगों के दौरान यह लगभग 30 प्रतिशत लोगों की त्वचा पर पाया गया। इनमें से कई लोग स्वस्थ हैं, लेकिन कम प्रतिरक्षा स्तर वाले लोगों में यह बैक्टीरिया कई संक्रमणों का कारण बनता है, जिनमें से कुछ संक्रमण घातक भी हो सकते हैं।
- अनुमान है कि ये मल्टीड्रग प्रतिरोधी सुपरबग वर्ष 2050 तक वैश्विक स्तर पर 10 मिलियन से अधिक लोगों की जान ले सकते हैं।
- मॉलिक्यूल ड्रग की संरचना इस प्रकार विकसित की जाएगी कि यह रोगाणुओं के प्रसार को रोकेगा।
- इस मॉलिक्यूल ड्रग की नवीनता इसका संरचनात्मक डिज़ाइन है, जिसका प्रयोग कम्प्यूटरीकृत जीव विज्ञान वाले विशेषज्ञता अणु को बनाने में किया जाएगा। इस प्रकार के मॉलिक्यूल ड्रग से बैक्टीरिया के ऊर्जा उत्पादन को 20 मिनट तक रोककर बैक्टीरिया के विभाजन और प्रसार को रोका जा सकेगा।
- बैक्टीरिया के अस्तित्व और प्रसार के लिए गाइरेस (Gyrase) नामक पदार्थ की आवश्यकता होती है। जीवों में गाइरेस दो प्रकार के होते हैं- गाइरेस A और गाइरेस B। वर्तमान में लगभग सभी जीवाणुरोधी दवाएँ गाइरेस को लक्षित करती हैं, क्योंकि गाइरेस एंटीबायोटिक दवाओं का सुपरबग विकसित करता है।
- विकसित किया जा रहा मॉलिक्यूल ड्रग, गाइरेस B को लक्षित करता है; जो जीवों में अधिक मात्रा में संरक्षित होता है, इसलिये इसे उत्परिवर्तित करना ज़्यादा मुश्किल है। जब मॉलिक्यूल ड्रग का संयोजन फ़्लोरोक्विनोलोन (Fluoroquinolone) दवाओं के साथ किया गया तो गाइरेस A और गाइरेस B दोनों की प्रभावशीलता में कमी देखने को मिली।
- प्रयोगशाला में अभी तक इस मॉलिक्यूल ड्रग का बैक्टीरिया एंटीबायोटिक प्रतिरोध विकसित नहीं हो पा रहा है।
- एंटी-माइक्रोबियल प्रतिरोध के उभरते खतरे का मुकाबला करने के लिये इस प्रकार के चिकित्सीय हस्तक्षेप और वैकल्पिक तंत्र एक संधारणीय उपाय हो सकते हैं।

सुपरबग (Superbugs)

- सुपरबग एक ऐसा सूक्ष्मजीव है, जिस पर एंटी-माइक्रोबियल ड्रग्स का प्रभाव नहीं पड़ता। एंटी-माइक्रोबियल प्रतिरोध विकसित करने वाले सूक्ष्मजीवों को 'सुपरबग' के नाम से जाना जाता है।
- एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग बहुतायत में किये जाने के कारण बैक्टीरिया में इन दवाओं के प्रति प्रतिरोधी क्षमता विकसित हो गई है जिससे उन पर दवाओं का असर न के बराबर हो रहा है।
- यही प्रभाव अन्य सूक्ष्मजीवियों (Micro-Organism) के संदर्भ में भी देखा जा रहा है, जैसे एंटीफंगल (Antifungal), एंटीवायरल (Antiviral) और एंटीमलेरियल (Antimalarial) दवाओं का असर भी कम होने लगा है।

केरल में हाथियों की संख्या में वृद्धि

चर्चा में क्यों?

लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में हाथियों की नवीनतम जनगणना में केरल में लगभग 2,700 हाथियों के गणना में शामिल न होने की की संभावना जताई गई है।

प्रमुख बिंदु

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2017 में देश में लगभग 23 राज्यों से लिये गए आँकड़ों के अनुसार औसतन 27,312 हाथी थे, जबकि वर्ष 2012 में औसतन 29,576 हाथियों की संख्या दर्ज़ की गई थी।
- उल्लेखनीय है कि प्रोजेक्ट एलीफैंट के तहत पाँच साल में एक बार हाथियों की जनगणना करवाई जाती है।
- वर्ष 2017 के आँकड़ों के अनुसार, केरल में केवल 3,054 हाथी थे जबकि हाल ही में दिये गए आँकड़ों में हाथियों की संख्या 5,706 है।
- अंडमान एवं निकोबार द्वीप एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जहाँ हाथियों की संख्या 2017 के अनुमान से कम रही। (25 से कम होकर 19)
- संख्या में इस तरह की विसंगति का कारण हाथियों की गिनती करने में प्रत्यक्ष गणना विधि का प्रयोग करना है।
- ध्यातव्य है कि जंगली जानवरों को देखना कठिन होता है इसलिये वर्षों से शोधकर्त्ताओं द्वारा इनकी आबादी का अनुमान लगाने के लिये कई तकनीकों के साथ-साथ सांख्यिकीय तकनीकों का भी उपयोग किया जाता है।
- 'अप्रत्यक्ष गणना' विधि के तहत हाथियों का गोबर देखे जाने के आधार पर किसी क्षेत्र में आबादी का अनुमान लगाया जाता है।

घास के मैदान जलाने से अकशेरुकी जीवों को हानि

चर्चा में क्यों?

शोधकर्त्ताओं द्वारा एराविकुलम नेशनल पार्क (Eravikulam National Park- ENP) में किये गए एक अध्ययन के अनुसार, स्तनपायी (Ungulates) जीवों (विशेष रूप से नीलगिरी ताहर) के संरक्षण के लिये बड़े घास के मैदानों के निर्धारित क्षेत्रों को जलाना अर्थात् उनके लिये स्थान का प्रबंध करना वहाँ मौजूद अकशेरुकी जीवों एवं टिड्डों के लिये बेहद हानिकारक है।

प्रमुख बिंदु

- घास के मैदान के प्रबंधन के लिये किये जाने वाले प्रयासों में टिड्डे सबसे ज़्यादा संवेदनशील एवं प्रभावित होते हैं।
- टिड्डे घास के मैदान की गुणवत्ता एवं वृद्धि के सूचक होते हैं।
- चूँकि टिड्डे घास के मैदानों में एक विशेष प्रकार के घटक से संबंध रखते हैं, ऐसे में घास के मैदान का इस प्रकार प्रबंधन करने से इन पर पड़ने वाले प्रभावों का आसानी से पता लगाया जा सकता है।
- स्थानिक और पंखहीन प्राणी/जीव पर्यावरण परिवर्तन के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं तथा साथ ही इनके विलुप्त होने का जोखिम सबसे ज़्यादा होता है। इसलिये इस प्रकार के प्रबंधन के प्रति उनकी प्रतिक्रिया अधिक होती है।

घास के मैदान का प्रबंधन

- परंपरागत रूप से घास के मैदानों का प्रबंधन स्थानीय आदिवासी समुदायों की सहायता से निश्चित समय में कोल्ड बर्निंग (Cold Burning) यानी ठंड के मौसम में इनमें आग लगाकर किया जाता है।
- उल्लेखनीय है कि नीलगिरि ताहर के आवास क्षेत्र में ऐसा प्रबंधन ब्रिटिश औपनिवेशिक समय से ही किया जा रहा है, हालाँकि अन्य बायोटा पर नीलगिरि ताहर वास के जलने के प्रभाव का कभी भी उल्लेख नहीं किया गया है।

  बायोटा: किसी स्थान विशेष में रहने वाले सभी जीवित प्राणी, जिनमें जीव-जंतु एवं पेड़-पौधे सभी शामिल होते हैं।
- इस प्रबंधन के तहत 90 वर्ग किमी. क्षेत्र में पार्क में 50 हेक्टेयर की ग्रिड बनाकर वहाँ वास करने वाले स्तनपायी जीवों के चारे की व्यवस्था की जाती है।
- ध्यातव्य है कि घास के मैदान जलाने की इस विधि को परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व (Parambikulam Tiger Reserve-PKMTR) में भी इस्तेमाल किया गया था, जो नीलगिरि ताहर का एक अन्य वास स्थल है। यहाँ पर छोटे पैमाने पर (10 मीटर × 10 मीटर) पर ऐसा किया गया था।

प्रभाव

- चूँकि इस प्रबंधन का लक्ष्य स्तनपायी प्रजातियों की स्थिति में सुधार हेतु चारे का प्रबंधन करना है, इसलिये अन्य समूहों, विशेष रूप से अकशेरुकी जीवों पर पड़ने वाले प्रभाव की उपेक्षा की जाती है।
- ध्यातव्य है कि केरल में टिड्डों की लगभग 130 प्रकार की प्रजातियाँ पाई गईं हैं, जिनमें से 54 परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व में तथा 18 प्रजातियाँ एराविकुलम नेशनल पार्क में पाई गईं।
- पिछले कई दशकों से पार्क में घास का प्रबंधन अर्थात् घास को जला देना टिड्डों की संख्या में गिरावट का एक प्रमुख कारण है।

परम्बिकुलम टाइगर रिज़र्व

- भारत में दक्षिणी-पश्चिमी घाटों के नेल्लम्पैथी-अनामलाई पहाड़ियों (Nelliampathy -Anamalai Hills) में एक संरक्षित पारिस्थितिक क्षेत्र है।
- यह केरल के पालक्काड ज़िले में स्थित है।
- यह जैव विविधता के गर्म स्थानों में से एक है, जिसमें विभिन्न प्रकार के वास स्थलों में रहने वाले जीव पाए जाते हैं।
- इसे वर्ष 2009 में 643.66 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्रफल के साथ टाइगर रिज़र्व घोषित किया गया था, जिसमें 390.89 वर्ग किमी. कोर क्षेत्र और 252.77 वर्ग किमी. बफर क्षेत्र शामिल है।
- अपनी जैविक समृद्धि के मद्देनज़र वन्यजीवों एवं लैंडस्केप सौंदर्य की प्रचुरता के चलते परम्बिकुलम टाइगर रिज़र्व पश्चिमी घाट के पूरे खंड में सबसे आकर्षक स्थानों में से एक है।

एराविकुलम नेशनल पार्क

- यह पार्क केरल राज्य के इडुक्की ज़िले के देविकुलम तालुक में दक्षिणी पश्चिमी घाट के हाई रेंज (कन्नन देवन हिल्स) में स्थित है।
- इसे वर्ष 1971 तक कन्नन देवन हिल प्रोड्यूस कंपनी (Kannan Devan Hill Produce Company) द्वारा एक गेम रिज़र्व के रूप में चलाया जाता था।
- केरल सरकार ने वर्ष 1975 में इस क्षेत्र को नीलगिरि ताहर और उसके वास की सुरक्षा के लिये 'एराविकुलम-राजमलाई' वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया।
- यह भारत के अग्रणी जैव विविधता वाले क्षेत्रों के रूप में जाना जाता है जो वन एवं वन्यजीव विभाग के प्रशासन के तहत आता है।

निष्कर्ष

- शोधकर्त्ताओं द्वारा दिये गए सुझाव के अनुसार, घास के मैदान के इस तरह के प्रबंधन में पाँच साल से अधिक का समयांतराल होना चाहिये। जलाने का निर्धारित क्षेत्र केवल 25 मीटर X 25 मीटर या 50 मीटर X 50 मीटर के छोटे भूखंडों में बनाया जाना चाहिये।

5G के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले संभावित दुष्प्रभाव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में देश के कई प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों ने 5G प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं के लिये स्पेक्ट्रम की नीलामी के पहले सरकार से इसके दुष्प्रभावों के जाँच की माँग रखी है।

5G अपील (5G Appeal):

- भारत में जिस प्रकार वैज्ञानिक समुदाय 5G का विरोध कर रहा है, इसी प्रकार यूरोप में भी 244 वैज्ञानिकों द्वारा 5G का 5G अपील नाम से ऑनलाइन विरोध किया जा रहा है।
- ये वैज्ञानिक 5G की शुरुआत को तब तक टालने की माँग कर रहे हैं, जब तक कि मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर इसके संभावित खतरों की जाँच स्वतंत्र वैज्ञानिकों द्वारा नहीं कर ली जाती।

5G तकनीक और इसका दुष्प्रभाव

- वायरलेस तकनीक सिग्नल भेजकर काम करती है, जो ऊर्जा तरंगों के रूप में प्रसारित होती है। तरंगों द्वारा प्रति सेकंड उत्पन्न उभार (ऊपर जाने-Crests) और गर्त (नीचे आने-Trough) को इसकी आवृत्ति (Frequency) कहते हैं, आवृत्ति को हट्र्ज़ (Hertz) के रूप में व्यक्त किया जाता है।
- वर्ष 1991 में 2G से लेकर वर्ष 2008 तक 4G तकनीकों द्वारा तरंगों की आवृत्तियों में 2.5 गीगाहट्र्ज़ की बढ़ोत्तरी देखी गई,
- इस 5G तकनीक में 90 गीगाहट्र्ज़ की आवृत्तियों का प्रयोग किया जाएगा। 5G में एक 3D मूवी को 3 मिनट में डाउनलोड किया जा सकेगा।
- 3G और 4G के क्रियान्वयन के समय भी वैज्ञानिक समुदाय द्वारा विरोध किया गया था, लेकिन इस बार विरोध के स्वर कुछ ज़्यादा ही तीक्ष्ण हैं।
- 5G तकनीक का प्रयोग करने वाले क्षेत्रों में अभी तक कई जानवरों और पक्षियों की मौत हो चुकी है। अभी तक इन मौतों की कोई वैज्ञानिक पुष्टि नही हुई है, लेकिन इस प्रकार की संभावनाओं से पूर्णत: इंकार भी नही किया जा सकता।
- विकिरण दो प्रकार के होते हैं- आयनीकृत और गैर-आयनीकृत। गामा किरणें और एक्स किरणें आयनीकृत हैं और हमारे शरीर में परमाणु विकिरण छोड़ती हैं और जो अंतत: कैंसर का कारण बनता है। इसके विपरीत TV सेट्स से निकलने वाली तरंगें तथा प्रकाश तरंगें गैर-आयनीकृत होती हैं, जिनका स्वास्थ्य पर कोई व्यापक दुष्प्रभाव नहीं देखा गया है।

निष्कर्षत:

वैज्ञानिकों की माँगों को नज़रअंदाज़ नही किया जाना चाहिए, अन्यथा 5G के दुष्परिणाम भविष्य में विनाशकारी भी हो सकते हैं। इसलिये एक सरकार को रोडमैप बनाकर ही स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू करनी चाहिये।

अखिल भारतीय बाघ अनुमान का चौथा चक्र- 2018

चर्चा में क्यों?

29 जुलाई, 2019 को विश्व बाघ दिवस के अवसर पर वर्ष 2018 में हुई बाघों की गणना के चौथे चक्र के आँकड़े जारी किये गए।

प्रमुख बिंदु

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय वन्यजीव संस्थान (Wildlife Institute of India) ने देश भर के टाइगर रिज़र्व, राष्ट्रीय उद्यान (National Park) तथा अभयारण्यों में बाघों की गिनती की।
- सर्वेक्षण के अनुसार, वर्ष 2018 में भारत में बाघों की संख्या बढ़कर 2,967 हो गई है। यह भारत के लिये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है क्योंकि देश ने बाघों की संख्या को दोगुना करने के लक्ष्य को चार साल पहले ही प्राप्त कर लिया है।
- वर्तमान में भारत लगभग 3,000 बाघों के साथ सबसे बड़ा एवं सुरक्षित प्राकृतिक वास बन गया है।

- दुनियाभर में 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है जिसका उद्देश्य बाघों के संरक्षण के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना है।
- 29 जुलाई, 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में एक टाइगर समिट के दौरान दुनिया भर के बाघों की घटती संख्या के संदर्भ में एक समझौता किया गया था।
- समझौते के अंतर्गत वर्ष 2022 तक विश्व में बाघों की आबादी दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया था।

चौथे चक्र की रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- इस रिपोर्ट के अनुसार, बाघों की संख्या में 33 प्रतिशत की वृद्धि विभिन्न चक्रों के बीच दर्ज अब तक की सर्वाधिक वृद्धि है।
- उल्लेखनीय है कि बाघों की संख्या में वर्ष 2006 से वर्ष 2010 तक 21 प्रतिशत तथा वर्ष 2010 से वर्ष 2014 तक 30 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी।
- बाघों की संख्या में वर्तमान वृद्धि वर्ष 2006 से बाघों की औसत वार्षिक वृद्धि दर के अनुरूप है।

- मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सबसे अधिक 526 पाई गई, इसके बाद कर्नाटक में 524 और उत्तराखंड में इनकी संख्या 442 थी।
- छत्तीसगढ़ और मिज़ोरम में बाघों की संख्या में गिरावट देखने को मिली, जबकि ओडिशा में इनकी संख्या अपरिवर्तनशील रही।
- अन्य सभी राज्यों में सकारात्मक प्रवृत्ति देखने को मिली। बाघों के सभी पाँच प्राकृतिक वासों में उनकी संख्या में वृद्धि देखने को मिली।
- गौरतलब है कि इस नई रिपोर्ट में तीन टाइगर रिज़र्व बक्सा (पश्चिम बंगाल), डंपा (मिज़ोरम) और पलामू (झारखंड) में बाघों के अनुपस्थिति दर्ज की गई है।

बाघों की गणना के लिये अपनाई गई प्रक्रिया

- भारत में बाघों की संख्या का आकलन करने के लिये MK-रीकैप्चर फ्रेमवर्क को शामिल कर दोहरे प्रतिचयन दृष्टिकोण का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में होने वाली उन्नति के साथ समय-समय पर सुधार हुआ है।
- चौथे चक्र के दौरान सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के साथ एक एन्ड्रॉयड आधारित एप्लीकेशन-मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेट्स (Monitoring system for Tigers' Intensive Protection and Ecological Status/M-STrIPES) का इस्तेमाल करते हुए आँकड़े एकत्र किये गए तथा एप्लीकेशन के डेस्कटॉप मॉडयूल पर इनका विश्लेषण किया गया।
- इस एप्लीकेशन ने करीब 15 महीने में बड़ी मात्रा में एकत्र किये गए आँकड़ों का विश्लेषण आसान बना दिया।
- इसके अलावा 26,760 स्थानों पर कैमरे लगाए गए, जिनसे वन्य जीवों की 35 मिलियन तस्वीरें प्राप्त की गईं, इनमें से 76,523 तस्वीरें बाघों की थीं।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने के कारण थोड़े ही समय में इन चित्रों को अलग करना संभव हुआ।
- जिस तीव्रता से यह कार्य किया गया, उसके परिणामस्वरूप बाघों की 83 प्रतिशत आबादी के आँकड़े एकत्र कर लिये गए। 2,461 बाघों के चित्र प्राप्त किये गए तथा बाघों की केवल 17 प्रतिशत आबादी के बारे में अनुमान लगाया गया।

बाघ अभयारण्य प्रबंध प्रणाली

- बाघ अभयारण्यों के प्रभावी मूल्यांकन प्रबंधन (Management Effectiveness Evaluation of Tiger Reserves-MEETR) के चौथे चक्र की रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश स्थित पेंच बाघ अभयारण्य में बाघों के संरक्षण लिये सबसे अच्छा प्रबंधन पाया गया, जबकि तमिलनाडु स्थित सत्यमंगलम बाघ अभयारण्य में पिछले चक्र के बाद से सबसे अच्छा प्रबंध देखने को मिला, जिसके लिये उसे पुरस्कृत किया गया।
- 42 प्रतिशत बाघ अभयारण्य प्रबंधन श्रेणी में बहुत अच्छी स्थिति में हैं जबकि 34 प्रतिशत अच्छी श्रेणी में तथा 24 प्रतिशत मध्यम श्रेणी में हैं।
- ध्यातव्य है कि चौथे चक्र की मूल्यांकन प्रबंधन रिपोर्ट के तहत किसी भी बाघ अभयारण्य को 'खराब' रेटिंग नहीं दी गई है।
- किसी भी बाघ की उपस्थिति दर्ज नहीं किये जाने के बावजूद भी डम्पा और पलामू को 'अच्छी' श्रेणी जबकि बक्सा को 'बहुत अच्छी' श्रेणी के अभयारण्य में रखा गया है।

भारतीय वन्यजीव संस्थान Wildlife Institute of India

- इसकी स्थापना वर्ष 1982 में की गई थी।
- यह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी संस्थान है।
- यह प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, अकादमिक कार्यक्रम के अलावा वन्यजीव अनुसंधान तथा प्रबंधन में सलाह प्रदान करता है।
- इसका परिसर समस्त भारतवर्ष में जैव-विविधता संबंधी मुद्दों पर उच्च स्तर के अनुसंधान के लिये श्रेष्ठतम ढाँचागत सुविधाओं से सुसज्जित है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय Ministry of Environment, Forest and Climate Change

- यह भारत की पर्यावरण एवं वानिकी संबंधी नीतियों एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के नियोजन, संवर्द्धन, समन्वय और निगरानी हेतु केंद्र सरकार के प्रशासनिक ढाँचे के अंतर्गत एक नोडल एजेंसी है।
- इसका मुख्य दायित्व देश की झीलों और नदियों, जैव विविधता, वनों एवं वन्यजीवों सहित प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, पशु कल्याण आदि से संबंधित नीतियों तथा कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना है।

- इन नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में मंत्रालय सतत् विकास एवं जन कल्याण को बढ़ावा देने के सिद्धांतों का पालन करता है।
- यह मंत्रालय देश में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP), दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम (SACEP), अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वत विकास केंद्र (ICIMOD) के लिये तथा पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCED) के पालन हेतु भी नोडल एजेंसी की तरह कार्य करता है।
- इस मंत्रालय को बहुपक्षीय निकायों और क्षेत्रीय निकायों के पर्यावरण से संबंधित मामले भी सौंपे गए हैं।

अर्थ ओवरशूट डे

चर्चा में क्यों?

ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क (Global Footprint Network) द्वारा किये गए एक अध्ययन के अनुसार, अर्थ ओवरशूट डे (Earth Overshoot Day) बीते 20 वर्षों में खिसककर 2 महीने पहले आ चुका है।

प्रमुख बिंदु:

- "इस वर्ष अर्थ ओवरशूट डे 29 जुलाई को ही आ गया था, जिसका अर्थ है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का 1.75 गुना अधिक तेज़ी से प्रयोग कर रहे हैं।
- वनों की कटाई सहित मृदा अपरदन, जैव विविधता की हानि और कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार बढ़ता स्तर आदि इसके प्रमुख कारण हैं।

अर्थ ओवरशूट डे:

अर्थ ओवरशूट डे का अभिप्राय एक ऐसे पैमाने से है जिसके आधार पर वर्तमान प्राकृतिक संसाधनों की खपत का पता लगाया जाता है।

- अर्थ ओवरशूट डे की गणना 1986 से की जा रही है और यह प्रत्येक वर्ष निकट आता जा रहा है। वर्ष 1993 में यह 21 अक्तूबर को आया था, वर्ष 2003 में यह 22 सितंबर को आया था और वर्ष 2017 में यह दिन 2 अगस्त को आया था।

क्या किया जा सकता है?

- **शाकाहारी भोजन का प्रयोग:**
  - यदि हम सभी मांस के प्रयोग को लगभग 50 प्रतिशत तक कम कर दें तो खाद्य ज़रूरतों के कारण पृथ्वी हरी-भरी रहेगी और अर्थ ओवरशूट डे लगभग 15 दिन आगे खिसक जाएगा।
- **कार्बन उत्सर्जन में कमी:**
  - कार्बन का अत्यधिक उत्सर्जन इस त्रासदी का सबसे प्रमुख कारण है और इसलिये यदि हमें इस समस्या से निपटना है तो कार्बन के न्यूनतम उत्सर्जन को सुनिश्चित करना होगा।
- **खाद्य पदार्थों की बर्बादी को रोकना:**
  - यदि हम खाद्य पदार्थों की बर्बादी को रोकने में सफल रहते हैं तो अर्थ ओवरशूट डे को 10 दिन और आगे खिसका सकते है।

निष्कर्ष:

हम 1.75 गुना तेज़ी से पृथ्वी के संसाधनों का लगातार इस्तेमाल नहीं कर सकते है। यदि यही स्थिति बनी रहती है तो जल्द ही ऐसा समय आएगा जब हम साल की शुरुआत में ही एक साल के संपूर्ण प्राकृतिक संसाधन खर्च कर देंगे। अर्थ ओवरशूट डे के संदर्भ में हमें गंभीरता से विचार करना चाहिये और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हुए विकास के कुछ नए विकल्पों को खोजने का प्रयास करना चाहिये।

लॉगरहेड कछुए

हाल ही में हुए एक अध्ययन के अनुसार, केप वर्डे (Cape Verde) के एक प्रमुख प्रजनन क्षेत्र में पैदा होने वाले लॉगरहेड कछुओं (Loggerhead turtles) की नई पीढ़ी जलवायु परिवर्तन के कारण संभवत: मादा ही होगी।

- केप वर्डे मध्य अटलांटिक महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है।

- कछुओं के लिंग का निर्धारण इन्क्यूबेशन (Incubation) के तापमान के आधार पर किया जाता है और गर्म तापमान मादा कछुओं के अनुकूल होता है। यदि उच्च कार्बन उत्सर्जन जारी रहता है तो 90% से अधिक नर कछुओं पर इसका घातक प्रभाव पड़ सकता है।
- वर्तमान उत्सर्जन परिदृश्य के तहत वर्ष 2100 तक लगभग 99.86% कछुओं के बच्चे मादा होंगे। वर्तमान में केप वर्डे में 84% बच्चे मादा हैं।
- केप वर्डे लॉगरहेड कछुओं का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र है।
- द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंज़र्वेशन ऑफ नेचर ने लॉगरहेड कछुओं को अतिसंवेदनशील श्रेणी में रखा है।
- लॉगरहेड समुद्री कछुओं को उनके बड़े सिर के कारण यह नाम दिया गया है।
- लॉगरहेड्स कछुए भूमध्यसागर में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, इनके घोंसले ग्रीस और तुर्की से लेकर इज़राइल एवं लीबिया के समुद्र तटों पर पाए जाते हैं।
- समुद्री कछुए न केवल सरीसृपों के एक समूह के प्रतिनिधि हैं, बल्कि समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों में एक मूल कड़ी के रूप में भी उपस्थित है।
- यह प्रवाल भित्तियों और समुद्री शैवाल को संरक्षित रखने में भी मदद करते हैं।

दृष्टि The Vision

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन

सुबनसिरी बांध

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (National Green Tribunal- NGT) द्वारा लोअर सुबनसिरी जलविद्युत परियोजना (Lower Subansiri Hydroelectric Project- LSHEP) में सुरक्षा मुद्दों को हल करने तक निर्माण कार्य शुरू नहीं करने के आदेश दिये जाने के बावजूद हाल ही में इस पर काम करने पर बड़े पैमाने पर सहमति व्यक्त की गई है।

प्रमुख बिंदु

- लोअर सुबनसिरी जलविद्युत परियोजना असम एवं अरुणाचल प्रदेश की सीमा के साथ सुबनसिरी नदी पर एक निर्माणाधीन ग्रेविटी बांध है।
  - सुबनसिरी नदी (स्वर्ण नदी) तिब्बत पठार से निकलती है तथा अरुणाचल प्रदेश में मिरी पहाड़ियों के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है।
  - सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है।
- बांध सुरक्षा और प्रशासनिक मुद्दों पर स्थानीय आंदोलन के कारण इस परियोजना को लंबित रखा गया था:
  - LSHEP ने ब्रह्मपुत्र बोर्ड के जल संसाधन विभाग के कार्यों को ब्रह्मपुत्र बोर्ड से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करके ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम 1980 (Brahmaputra Board Act 1980) को समाप्त कर दिया।
  - रुड़की के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा बांध निर्माण पर किये गए मूल्यांकन में भूकंपीय जोखिम स्तर में वृद्धि पाई गई।

ग्रेविटी बांध

- ग्रेविटी बांध का निर्माण कंक्रीट या सीमेंट से किया जाता है।
- क्योंकि इसमें पानी को एकत्रित किया जाता है इसलिये इसे बनाने में भारी सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है जो पानी के दबाव को सहन कर सके।
- ग्रेविटी बांध का डिज़ाइन पानी को बाँधने के लिये किया गया है। ताकि बांध का प्रत्येक खंड स्थिर तथा किसी अन्य बांध खंड से स्वतंत्र हो।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 2011 में असम-अरुणाचल प्रदेश सीमा पर स्थित लोअर सुबनसिरी जलविद्युत परियोजना का काम एक स्थानीय आंदोलन के कारण रोक दिया गया था।
- NGT ने दिसंबर 2015 में NHPC लिमिटेड को सुरक्षा मुद्दों के हल करने तक फिर से निर्माण कार्य शुरू करने पर रोक लगा दी थी।

अन्य विवादास्पद बांध

- **सरदार सरोवर बांध:** यह नवगाम (गुजरात) के पास नर्मदा नदी पर स्थित है।
  - इस बांध से गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान को जल एवं बिजली की आपूर्ति की जाती है।
  - इस बाँध के निर्माण के कारण लगभग 2.5 लाख ग्रामीणों के विस्थापित किये जाने का आरोप है।
- मुल्लापेरियार बांध: यह केरल के इडुक्की ज़िले में पेरियार नदी पर बना एक ग्रेविटी बांध है लेकिन इसका स्वामित्व एवं संचालन तमिलनाडु सरकार द्वारा किया जाता है।
  - बांध की अधिक ऊँचाई को लेकर केरल एवं तमिलनाडु सरकारों के बीच एक विवाद चल रहा है।
- **पोलावरम परियोजना:** यह आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर पश्चिम गोदावरी ज़िले और पूर्वी गोदावरी ज़िले में निर्माणाधीन एक बहुउद्देश्यीय राष्ट्रीय परियोजना है।
  - इस परियोजना से ओडिशा और छतीसगढ़ के गावों के जलमग्न होने की आशंका है।

- किशनगंगा पनबिजली संयंत्र एक 'रन ऑफ रिवर (Run of River-RoR) योजना'- यानी 'जल भंडारण के बगैर योजना' है, जिसे किशनगंगा नदी के पानी को झेलम नदी के बेसिन में स्थित बिजली संयंत्र की और प्रवाहित करने के लिये अभिकल्पित किया गया है
  - यह जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है।
  - विश्व बैंक की मध्यस्थता के बावजूद भारत एवं पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि के मुद्दे पर विवाद हल नहीं हो सका है।

मानसून की भविष्यवाणी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मानसून के गलत पूर्वानुमानों से इनके मापदंडों पर फिर से प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं।

प्रमुख बिंदु:

- दक्षिण-पश्चिम मानसून ने लगभग एक सप्ताह की देरी के साथ 7 जून को केरल तट पर दस्तक दी। जून में अपेक्षित वर्षा की केवल दो-तिहाई वर्षा ही प्राप्त हुई।
- जुलाई और अगस्त महीने मानसून के लिये सबसे महत्त्वपूर्ण होते हैं। जून से सितंबर तक होने वाली कुल वर्षा में से 89 सेमी. वर्षा के साथ 66% वर्षा इन दोनों महीनों में ही होती है।
- प्रशांत महासागर में बनने वाले एलनीनो के आधार पर भारत के मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मई में पूर्वानुमान लगाया था कि सामान्य वर्षा से जुलाई में 5% और अगस्त 1% वर्षा कम होगी। एल नीनो के वर्षों में भारत के मानसून के कमज़ोर होने की प्रवृत्ति पाई जाती है।
- अरब सागर में बना वायु चक्रवात इस वर्ष के मानसून में बड़ी बाधा था। साथ ही पश्चिमी विक्षोभ ने भी मानसून के उत्तरी भारत, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के वर्षण प्रतिरूप को प्रभावित किया।
- केरल तट और पश्चिमी घाट की मानसून शाखा की अपेक्षा बंगाल की खाड़ी में संवहनीय धाराओं की उपस्थिति के कारण पूर्वी भारत की मानसून शाखा द्वारा ज़्यादा वर्षा हुई।

2010 तक IMD मानसून का पूर्वानुमान का सांख्यिकीय मॉडल:

- इस मॉडल में उत्तरी अटलांटिक और उत्तरी प्रशांत के बीच समुद्र की सतह की तापमान प्रवणता, भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र में गर्म पानी की मात्रा, यूरेशियन बर्फ का आवरण जैसे मानसून के प्रदर्शन से जुड़े जलवायु मापदंडों को शामिल किया जाता था।
- उपरोक्त मापदंडों के फरवरी और मार्च के आँकड़ों की सौ वर्ष से अधिक के वास्तविक वर्षा के आँकड़ों से तुलना करने के बाद (सांख्यिकीय तकनीकों का उपयोग करते हुए) किसी एक विशेष वर्ष के मानसून का पूर्वानुमान लगाया जाता था।
- इस प्रकार व्यक्त पूर्वानुमान अक्सर (विशेष रूप से वर्ष 2002, 2004 और 2006) गलत साबित हुए हैं।

2015 के बाद का पूर्वानुमान मॉडल:

- 2015 के आसपास से ही मानसून पूर्वानुमान हेतु एक गतिशील प्रणाली का परीक्षण शुरू किया गया। इस प्रणाली में कुछ निश्चित स्थानों की भूमि और समुद्र के तापमान, नमी, विभिन्न ऊँचाई पर वायु की गति, जैसे मापदंडों के आधार पर मौसम का अनुमान लगाया जाता है।
- इस प्रणाली से प्राप्त आँकड़ों की गणना शक्तिशाली कंप्यूटरों के माध्यम से की जाती है। साथ ही मौसम के पूर्वानुमान में भौतिकी समीकरणों का भी प्रयोग किया जाता है।
- IMD और कई निजी मौसम एजेंसियाँ मानसून के पूर्वानुमान हेतु अधिक परिष्कृत और उच्च तकनीक वाले कंप्यूटर मॉडल का प्रयोग कर रही हैं। इस प्रकार की तकनीकों के माध्यम से 10 से 15 दिन पहले मौसम में बदलाव की सूचना दी जाती है। ये छोटे पूर्वानुमान कहीं अधिक विश्वसनीय होते हैं क्योंकि इससे किसानों को बुवाई के बारे में निर्णय लेने में सहायता मिलती है। साथ ही ग्रीष्म लहर और शीत-लहर की आशंकाओं का बेहतर अनुमान लगाया जा सकता है।

विशेषज्ञों के अनुसार भारत का जल संकट भूजल संसाधनों के अति-निष्कर्षण और वर्षा जल तथा सतही जल के पर्याप्त भंडारण के अभाव के कारण बना हुआ है। केंद्रीय जल आयोग ने मानसून के दौरान जलाशयों के पुनर्भरण और वर्षा के मौसम के बाद इनके प्रयोग से संबंधित अनुशंसाएँ जारी की हैं।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग

- भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department-IMD) भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत मौसम विज्ञान प्रेक्षण, मौसम पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान का कार्यभार संभालने वाली सर्वप्रमुख एजेंसी है।
- IMD विश्व मौसम संगठन के छह क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों में से एक है।
- इसके परिणामस्वरूप वर्ष 1875 में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना हुई।
- भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में है।
- IMD में उप महानिदेशकों द्वारा प्रबंधित कुल 6 क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र आते हैं।
- ये चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली और हैदराबाद में स्थित हैं।

भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक:

1. एल नीनो और ला नीना: ये प्रशांत महासागर के पेरू तट पर होने वाली परिघटना है । एल नीनो के वर्षों के दौरान समुद्री सतह के तापमान में बढ़ोत्तरी होती है और ला नीना के वर्षों में समुद्री सतह का तापमान कम हो जाता है। सामान्यत: एल नीनो वर्षों में भारत में मानसून कमज़ोर जबकि ला नीना वर्षों में मानसून मज़बूत होता है।
2. हिंद महासागर द्विध्रुव: हिंद महासागर द्विध्रुव के दौरान हिंद महासागर का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की अपेक्षा ज़्यादा गर्म या ठंडा होता रहता है। पश्चिमी हिंद महासागर के गर्म होने पर भारत के मानसून पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जबकि ठंडा होने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
3. मेडेन जुलियन ऑस्किलेशन (OSCILLATION): इसकी वजह से मानसून की प्रबलता और अवधि दोनों प्रभावित होती है। इसके प्रभावस्वरुप महासागरीय बेसिनों में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की संख्या और तीव्रता भी प्रभावित होती है, जिसके परिणामस्वरूप जेट स्ट्रीम में भी परिवर्तन आता है। यह भारतीय मानसून के सन्दर्भ में एल नीनो और ला नीना की तीव्रता और गति के विकास में भी योगदान देता है।
4. चक्रवात निर्माण: चक्रवातों के केंद्र में अति निम्न दाब की स्थिति पाई जाती है जिसकी वजह से इसके आसपास की पवनें तीव्र गति से इसके केंद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। जब इस तरह की परिस्थितियाँ सतह के नज़दीक विकसित होती हैं तो मानसून को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। अरब सागर में बनने वाले चक्रवात, बंगाल की खाड़ी के चक्रवातों से अधिक प्रभावी होते हैं क्योंकि भारतीय मानसून का प्रवेश प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में अरब सागर की ओर होता है।
5. जेट स्ट्रीम: जेट स्ट्रीम पृथ्वी के ऊपर तीव्र गति से चलने वाली हवाएँ हैं, ये भारतीय मानसून को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं।

जल संकट की स्थिति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही के वर्षों में भारत के साथ ही वैश्विक परिदृश्यों पर भी जल संकट की समस्याएँ सामने आ रही है।

जल संकट क्या है ?

- एक क्षेत्र के अंतर्गत जल उपयोग की मांगों को पूरा करने हेतु उपलब्ध जल संसाधनों की कमी को ही 'जल संकट' कहते हैं।
- विश्व के सभी महाद्वीप में रहने वाले लगभग 2.8 बिलियन लोग प्रत्येक वर्ष कम-से-कम एक महीने जल संकट से प्रभावित होते हैं। लगभग 1.2 बिलियन से अधिक लोगों के पास पीने हेतु स्वच्छ जल की सुविधा उपलब्धता नहीं होती है।

जल संकट का वैश्विक परिदृश्य

- जल संसाधनों की बढ़ती मांग, जलवायु परिवर्तन और जनसंख्या विस्फोट के कारण जल की उपलब्धता में कमी देखी जा रही है।
- एक अनुमान के अनुसार एशिया का मध्य-पूर्व (Middle-East) क्षेत्र , उत्तरी अफ्रीका के अधिकांश क्षेत्र, पाकिस्तान, तुर्की, अफगानिस्तान और स्पेन आदि देशों में वर्ष 2040 तक अत्यधिक जल तनाव (Water Stress) की स्थिति होने की संभावना है।
- इसके साथ ही भारत, चीन, दक्षिणी अफ्रीका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया सहित कई अन्य देशों को भी उच्च जल तनाव का सामना करना पड़ सकता है।

भारत में जल संकट की स्थिति:

- भारत में लगातार दो वर्षों के कमज़ोर मानसून के कारण 330 मिलियन लोग या देश की लगभग एक चौथाई जनसंख्या गंभीर सूखे से प्रभावित हैं। भारत के लगभग 50% क्षेत्र सूखे जैसी स्थिति से जूझ रहे हैं, विशेष रूप से पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों में जल संकट की गंभीर स्थिति बनी हुई है।
- नीति आयोग द्वारा 2018 में जारी समग्र जल प्रबंधन सूचकांक (Composite Water Management Index) रिपोर्ट के अनुसार, देश के 21 प्रमुख शहर (दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद) और इन शहरों में निवासरत लगभग 100 मिलियन लोग जल संकट की भीषण समस्या से जूझ रहे हैं। भारत की 12% जनसंख्या पहले से ही 'डे ज़ीरो' की परिस्थितियों में रह रही हैं।

डे ज़ीरो: केपटाउन शहर में पानी के उपभोग को सीमित और प्रबंधित करने हेतु सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिये डे ज़ीरो के विचार को पेश किया गया था ताकि जल के उपयोग को सीमित करने संबंधी प्रबंधन और जागरूकता को बढ़ाया जा सके।

भारत में जल संकट का कारण:

- भारत में जल संकट की समस्याओं को मुख्यता दक्षिणी और उत्तर-पश्चिमी भागों में इंगित किया गया है, इन क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर कम वर्षा होती है, चेन्नई तट पर दक्षिण-पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं हो पाती है। इसी प्रकार उत्तर-पश्चिम में मानसून पहुँचते-पहुँचते कमज़ोर हो जाता है, जिससे वर्षा की मात्रा भी घट जाती है।
- भारत में मानसून की अस्थिरता भी जल संकट का बड़ा कारण है। हाल ही के वर्षों में एल-नीनो के प्रभाव के कारण वर्षा कम हुई, जिसके कारण जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई।
- भारत की कृषि पारिस्थितिकी ऐसी फसलों के अनुकूल है, जिसके उत्पादन में अधिक जल की आवश्यकता होती है, जैसे- चावल, गेहूँ, गन्ना, जूट और कपास इत्यादि। इन फसलों वाले कृषि क्षेत्रों में जल संकट की समस्या विशेष रूप से विद्यमान है। हरियाणा और पंजाब में कृषि गहनता से ही जल संकट की स्थिति उत्पन्न हुई है।
- भारतीय शहरों में जल संसाधन के पुर्नप्रयोग के गंभीर प्रयास नहीं किये जाते हैं, यही कारण है कि शहरी क्षेत्रों में जल संकट की समस्या चिंताजनक स्थिति में पहुँच गई है। शहरों में ज़्यादातर जल के पुर्नप्रयोग के बजाय उन्हें सीधे किसी नदी में प्रवाहित करा दिया जाता है।
- लोगों के बीच जल संरक्षण को लेकर जागरूकता का अभाव है। जल का दुरुपयोग लगातार बढ़ता जा रहा हैं; लॉन, गाड़ी की धुलाई, पानी के उपयोग के समय टोंटी खुला छोड़ देना इत्यादि।

जल संरक्षण हेतु प्रयास:

सतत् विकास लक्ष्य 6 के तहत वर्ष 2030 तक सभी लोगों के लिये पानी की उपलब्धता और स्थायी प्रबंधन सुनिश्चित किया जाना है, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिये जल संरक्षण के निम्नलिखित प्रयास किये जा रहे हैं:

- वर्तमान समय में कृषि गहनता के कारण जल के अत्यधिक प्रयोग को कम करने हेतु कम पानी वाली फसलों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- द्वितीय हरित क्रांति में कम जल गहनता वाली फसलों पर ज़ोर दिया जा रहा है।
- बांधो के माध्यम से जल को संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार द्वारा बांध मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिये विश्व बैंक से भी सहयोग लिया जा रहा है।
- सरकार द्वारा शहरों में भवन निर्माण के दौरान ही जल संभरण कार्यक्रम के तहत पानी के टैंकों के निर्माण के लिये दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं।
- नीति आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जल के प्रभावी प्रयोग को प्रेरित करने के लिये समग्र जल प्रबंधन सूचकांक जारी किया है।

आगे की राह:

- ज़्यादा पानी वाली फसलों जैसे गेहूँ, चावल आदि को मोटे अनाजों से स्थानांतरित किया जाना चाहिये; क्योंकि इन फसलों के प्रयोग से लगभग एक तिहाई पानी को सुरक्षित किया जा सकेगा। साथ ही मोटे अनाजों का पोषण स्तर भी उच्च होता है।

- कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कम पानी वाली फसलों के उपयोग को बढ़ाया जाना चाहिये। हाल ही के वर्षों में तमिलनाडु सरकार द्वारा ऐसे प्रयास किये गए हैं।
- जल उपभोग दक्षता को बढ़ाया जाना चाहिये, क्योंकि अभी तक सर्वश्रेष्ठ मामलों में यह 30% से भी कम है।
- जल संरक्षण हेतु जन जागरूकता अतिआवश्यक है, क्योंकि भारत जैसे देशों की अपेक्षा कम जल उपलब्धता वाले अमेरिका के कुछ क्षेत्रों में अभी तक जल संकट की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई है।

असम में बाढ़ और इसका समाधान

चर्चा में क्यों?

पिछले कुछ दिनों से असम में बाढ़ की भीषण स्थिति बनी हुई है। इससे राज्य के 33 ज़िलों के 57 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। साथ ही बड़ी मात्रा में जान-माल की हानि भी हो रही है।

असम बाढ़:

असम में बाढ़ एक वार्षिक घटना जैसी हो गई है। राज्य में वर्ष 1988, 1998 और 2004 में आई बाढ़ को अभी तक की सबसे भयावह आपदा माना जाता था; लेकिन इस वर्ष आई बाढ़ अधिक विनाशक प्रतीत हो रही है। इस मानसून की यह पहली बाढ़ है, विशेषज्ञों के अनुसार इस प्रकार की स्थिति अभी दो बार और हो सकती है।

असम में बाढ़ के कारण:

- **भौगोलिक स्थिति:**
  - असम की भू-आकृति इसको अधिक बाढ़ प्रवण बनाती है। असम घाटी एक U आकर की घाटी है जिसकी औसतन चौड़ाई 80 से 90 किमी. है, वही इस घाटी के बीच से प्रवाहित होने वाली नदियों की चौड़ाई 8 से 10 किमी. है।
  - तिब्बत, भूटान, अरुणाचल और सिक्किम आदि क्षेत्रों से भूमि ढलान असम की ओर है, इसलिये इन सभी क्षेत्रों से पानी की निकासी का मार्ग केवल असम की ओर होता है, जो असम में आने वाली बाढ़ का एक बड़ा कारण है।
  - असम हिमालय, हिमालय का अपेक्षाकृत नवीन भाग है, इसलिये अभी इसकी भूमि कम कठोर है। जब तिब्बत, भूटान, अरुणाचल और सिक्किम जैसे उच्च क्षेत्रों से पानी तीव्रता से असम की ओर प्रवाहित होता है तो भूमि के कम कठोर होने के कारण भूमि क्षरण तेज़ी से होता है। साथ ही पानी के प्रवाह की तीव्रता बाढ़ की प्रभाविता को और गंभीर बना देती है।
- **अपवाह तंत्र:**
  - असम राज्य की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है, जिसका अपवाह क्षेत्र चीन, भारत, बांग्लादेश और भूटान में लगभग 580,000 वर्ग किमी. का है।
  - असम विश्व की शीर्ष पाँच अवसाद प्रवाहित करने वाली नदियों में से एक है। इन अवसादों के जमाव से पानी के प्रवाह में रूकावट आती है।
  - ब्रह्मपुत्र में अवसादों की बड़ी मात्रा तिब्बत से प्रवाहित होकर आती है, तिब्बत के क्षेत्र की शुष्क, चट्टानी और वृक्षरहित परिस्थितियाँ अवसादों की अत्यधिक मात्रा हेतु ज़िम्मेदार है।
- **भूकंप:**
  - नदियों का प्रवाह भूकंप प्रभावित क्षेत्रों से होने के कारण नदियों के मार्ग में परिवर्तन हो जाता है। साथ ही नदियों का स्वरूप भी प्रभावित होता है।
  - वर्ष 1950 में आए एक विनाशकारी भूकंप की वजह से डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी के जल स्तर में 2 मीटर की बढ़ोत्तरी देखी गई।
- **भू-क्षरण:**
  - नदियों के किनारे के वृक्षों और झाड़ियों की कटाई से भूमि क्षरण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। साथ ही ये झाड़ियाँ जल के प्रवाह को रोकने और रिहायशी इलाकों में प्रवेश को भी बाधित करती है।

- **शहरी नियोजन:**
  - नदियों के किनारे लगातार बढ़ती मानव बस्तियाँ बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। बढ़ती बस्तियों से आर्द्रभूमियों को बहुत अधिक नुकसान पहुँचा है। आर्द्रभूमि अतिरिक्त पानी की मात्रा को अवशोषित कर लेती थी, लेकिन इनकी कम होती संख्या ने बाढ़ की प्रभाविता को और बढ़ा दिया है।
- **बांध:**
  - स्वतंत्रता के बाद असम में बाढ़ की समस्या के समाधान के लिये अस्थायी बांध बनाए गए, जिनकी कमज़ोर संरचना के कारण स्थिति और अधिक दयनीय हो गई।
- **बाढ़ के प्रभाव:**
  - वर्तमान में असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का लगभग 95% हिस्सा बाढ़ से डूब चुका है। मालीगाँव स्थित पोबीतोरा राष्ट्रीय उद्यान भी 70% तक बाढ़ से प्रभावित है। इसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पाई जाने वाली जैव-विविधता पर पड़ता है, जोकि चिंता का विषय है।
  - जोरहट ज़िले में पड़ने वाला माजुली द्वीप पूरी तरह डूब गया है। बाढ़ से इस द्वीप की जैव-विविधता को भी नुकसान हुआ है।
  - बाढ़ से बड़ी मात्रा में भूमि कटाव हो रहा है, इससे भविष्य में कृषि क्षेत्रों का ह्रास होने की संभावना है।

आगे की राह:

- बाढ़ की विभीषिका को रोकने वाली जल संरक्षण, प्रबंधन जैसी परियोजनाओं में निवेश को बढ़ाया जाना चाहिये।
- भौगोलिक स्थलाकृतियों को ध्यान में रखते हुए बांधों का निर्माण किया जाना चाहिये।
- सरकार और संबंधित एजेंसियों को तटबंध बनाने की मौजूदा नीति की समीक्षा करने की ज़रूरत है। इस प्रकार की योजनाओं में स्थानीय लोगों को भी भागीदार बनाया जाना चाहिये।
- निष्कर्षत: असम की बाढ़ एक दीर्घकालिक और बहुत ही जटिल समस्या रही है। इस संबंध में सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयास पर्याप्त साबित नहीं हो पा रहे है। इसलिये विशेष रूप से असम में आने वाली बाढ़ के कारणों की समीक्षा कराई जानी चाहिये। साथ ही बाढ़ के लिये नई योजनाओं में लोगों की सहभागिता, पर्याप्त वित्तीयन और तकनीकों के कुशल प्रयोग पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये।

असम की बाढ़ पर उपग्रह डेटा साझा करेंगे चीन, रूस और फ्रांस

चर्चा में क्यों?

असम में बाढ़ के मानचित्रण हेतु चीन, रूस और फ्राँस ने इसरो के साथ उपग्रह डेटा साझा किया है।

प्रमुख बिंदु:

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अनुरोध के बाद फ्राँस के राष्ट्रीय अंतरिक्ष अध्ययन केंद्र (National Centre for Space Studies), चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन (National Space Administration) और रूस के ROSCOSMOS ने धुबरी, मारीगाँव, बारपेटा, लखीमपुर और धेमाजी जिलों में बाढ़ की स्थिति के उपग्रह चित्र इसरो के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर के साथ साझा किए हैं।
- यह एक सामान्य प्रक्रिया है तथा इसरो भी इस तरह का अनुरोध मिलने पर अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों को जानकारी प्रदान करता है।
- अगस्त 2014 में चीन के युन्नान प्रांत में आए भूकंप के समय चीन के अनुरोध पर इसरो ने कार्टोसैट के माध्यम से मानचित्रण डेटा साझा किया था ।
- अंतरिक्ष एवं प्रमुख आपदाओं पर अंतर्राष्ट्रीय चार्टर (The International Charter Space and Major Disaster) के लिये हस्ताक्षरकर्त्ता देश आपदा के समय एक-दूसरे से मानचित्रण और उपग्रह डेटा से संबंधित अनुरोध कर सकते हैं।

अंतरिक्ष एवं प्रमुख आपदाओं पर अंतर्राष्ट्रीय चार्टर: The International Charter Space and Major Disaster:

- यह चार्टर एक बहुपक्षीय व्यवस्था है जिसका उद्देश्य प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं से प्रभावित देशों के लिये उपग्रह आधारित डेटा साझा करना है।
- विभिन्न अंतरिक्ष एजेंसियाँ आपदा की स्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया के लिये संसाधनों और विशेषज्ञता को समन्वित करने की अनुमति देती है।
- इस समय इसमें 17 चार्टर हैं, जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपने द्वारा विकसित किये गए संसाधनों का प्रयोग करते हैं। इस समय यह विश्व के 125 देशों को अपनी सेवाएँ प्रदान कर रहा है।

दृष्टि The Vision

सामाजिक मुद्दे

ट्रांस फैट का जोखिम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में WHO की ट्रांस फैट उन्मूलन पर जारी पहली वार्षिक वैश्विक प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, यूरोपीय संघ सहित अन्य 24 देशों ने ट्रांस फैट नियमों को अपनाया है जिन्हें अगले दो वर्षों में लागू किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि विश्व के छह देशों ने ट्रांस फैट के औद्योगिक उत्पादन को वर्ष 2018 से प्रतिबंधित कर दिया है लेकिन अभी भी लगभग 110 से अधिक देशों में इस हानिकारक यौगिक के खिलाफ कोई नियम नहीं है।
- इस रिपोर्ट के अनुसार, प्रतिदिन खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट के सेवन से लगभग पाँच अरब लोग खतरे में हैं।
- ट्रांस फैट के कारण प्रत्येक वर्ष लगभग पाँच लाख लोगों की मौत हो रही है, ये आँकड़े तब पाए जा रहे हैं जब इस ट्रांस फैट को खाद्य आपूर्ति से हटा दिया गया है।
- इस रिपोर्ट में औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट के वैश्विक उन्मूलन के लिये वर्ष 2023 तक निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सभी देशों में उचित कार्रवाई की सिफारिश की गई है।
- WHO ने REPLACE एक्शन पैकेज का चरण-दर-चरण कार्यान्वयन मॉड्यूल जारी किया, जिसमें देशों को उनके खाद्य पदार्थों से औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को कम करने तथा लोगों के जीवन बचाने के बारे में उचित मार्गदर्शन है।
- औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट के वैश्विक उन्मूलन के लिये किये जाने वाले प्रयासों में तेज़ी आई है।
- वर्तमान में दुनिया के 28 देशों में से लगभग एक-तिहाई आबादी इसके हानिकारक प्रभाव से सुरक्षित है।
- इतने प्रयासों के बाद भी दुनिया की दो-तिहाई से अधिक आबादी में ट्रांस फैट से सुरक्षा का अभाव है।
- वार्षिक रिपोर्ट में शामिल कुछ मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:
  - जनवरी 2019 में इस वसा के उन्मूलन के लिये थाईलैंड ने सर्वोत्तम अभ्यास नियम लागू किये।
  - यूरोपीय संघ ने खाद्य पदार्थों में इस वसा का उपयोग नहीं करने के लिये वर्ष 2018 के सर्वोत्तम अभ्यास नियमों को अपनाया। वर्ष 2021 तक नियम लागू किये जाएंगे।
  - भारत ने भी इस वसा को 2% तक सीमित करने के लिये दिसंबर 2018 में मसौदा नियमों को जारी किया।
  - तुर्की ने इस वसा के खिलाफ जनवरी 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभ्यास नियमों का मसौदा जारी किया।
  - 40 से अधिक देशों ने ट्रांस फैट को सीमित करने के लिये प्रयास शुरू किये।
- ट्रांस फैट के खिलाफ अधिकांश नीतिगत कार्रवाई उच्च आय वाले देशों में हुई है। किसी निम्न आय वाले देश और महज़ तीन निम्न-मध्य-आय वाले देशों (भारत, किर्गिज़स्तान और उज़्बेकिस्तान) में ही इसके लिये नीतियाँ नहीं हैं।
- हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और पेय पदार्थ गठबंधन की खाद्य कंपनियों ने वर्ष 2023 तक अपने सभी उत्पादों से औद्योगिक ट्रांस फैट को खत्म करने की प्रतिबद्धता जाहिर की है।

ट्रांस फैट

- तरल वनस्पति तेलों को अधिक ठोस रूप में परिवर्तित करने तथा खाद्य भंडारण एवं उपयोग अवधि (Shelf Life) में वृद्धि करने के लिये इन तेलों का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है, इस प्रकार संतृप्त वसा या ट्रांस फैट का निर्माण होता है।

- ट्रांस फैट बड़े पैमाने पर वनस्पति, नकली या कृत्रिम मक्खन (Margarine), विभिन्न बेकरी उत्पादों में मौजूद होते हैं तथा ये तले हुए या पके हुए खाद्य पदार्थों में भी पाए जा सकते हैं।
- FSSAI वर्ष 2022 तक चरणबद्ध तरीके से औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट एसिड को 2% से कम करने के लिये प्रतिबद्ध है।

ट्रांस फैट के उन्मूलन की WHO की योजना

- मई 2018 में WHO ने वर्ष 2023 तक वैश्विक खाद्य आपूर्ति से औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को खत्म करने के लिये एक व्यापक योजना REPLACE की शुरुआत की थी।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तय पैमानों के अनुसार, Total Energy Intake में ट्रांस फैट्स की मात्रा 1 फीसदी से भी कम होनी चाहिये।
- REPLACE खाद्य आपूर्ति से औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट के त्वरित, पूर्ण और दीर्घकालीन उन्मूलन को सुनिश्चित करने के लिये छह रणनीतिक कार्रवाइयों का प्रावधान करता है:
  - RE- (Review): औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस वसा के आहार स्रोतों और आवश्यक नीति परिवर्तन हेतु परिदृश्य की समीक्षा।
  - P- (Promote): स्वस्थ वसा और तेलों के माध्यम से औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट के प्रतिस्थापन को बढ़ावा देना।
  - L- (Legislate): औद्योगिक तौर पर उत्पादित ट्रांस फैट को खत्म करने के लिये कानून या विनियामक कार्यवाही को लागू करना।
  - A- (Assess): खाद्य आपूर्ति में ट्रांस फैट सामग्री तथा लोगों द्वारा ट्रांस फैट के उपभोग का आकलन और निगरानी करना।
  - C- (Create): नीति निर्माताओं, उत्पादकों, आपूर्तिकर्त्ताओं और जनता के बीच ट्रांस फैट के नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभाव के बारे में जागरूकता पैदा करना।
  - E- (Enforce): नीतियों और विनियमों के अनुपालन को लागू करना।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य (Public Health) को बढ़ावा देना है।
- इसकी स्थापना 7 अप्रैल, 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा (स्विट्ज़रलैंड) में है।
- WHO संयुक्त राष्ट्र विकास समूह (United Nations Development Group) का सदस्य है। इसकी पूर्ववर्ती संस्था 'स्वास्थ्य संगठन' लीग ऑफ नेशंस की एजेंसी थी।
- यह दुनिया में स्वास्थ्य संबंधी मामलों में नेतृत्व प्रदान करने, स्वास्थ्य अनुसंधान एजेंडा को आकार देने, नियम और मानक तय करने, प्रमाण आधारित नीतिगत विकल्प पेश करने, देशों को तकनीकी समर्थन प्रदान करने तथा स्वास्थ्य संबंधी रुझानों की निगरानी एवं आकलन करने के लिये ज़िम्मेदार है।
- यह आमतौर पर सदस्य देशों के साथ उनके स्वास्थ्य मंत्रालयों के ज़रिये जुड़कर काम करता है।

एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' योजना

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution) ने 30 जून, 2020 तक पूरे देश में 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' (One nation-one ration card) योजना लागू करने की घोषणा की है।

प्रमुख बिंदु

- सभी राशन कार्डों को आधार कार्ड से जोड़ने और पॉइंट ऑफ सेल (Point of Sale, PoS) मशीन के माध्यम से खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था अपने अंतिम चरण में है।

- वर्तमान में आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा ऐसे 10 राज्य हैं, जहाँ खाद्यान्न वितरण का 100 प्रतिशत कार्य PoS मशीनों के ज़रिये हो रहा है।
- साथ ही इन राज्यों में सार्वजनिक वितरण की सभी दुकानों को इंटरनेट से जोड़ा जा चुका है। इन राज्यों में लाभार्थी सार्वजनिक वितरण की किसी भी दुकान से अनाज प्राप्त कर सकते हैं ।
- संभवत: 15 अगस्त, 2019 से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्यों के लाभार्थी दोनों राज्यों में स्थित किसी भी दुकान से अनाज प्राप्त कर सकेंगे।
- सभी सार्वजनिक वितरण प्रणालियों को डिपो ऑनलाइन प्रणाली (DOS) के साथ जोड़ा जा रहा है, ताकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभों को लोगों तक पहुँचाने में कोई अवरोध न हो।

पॉइंट ऑफ सेल

- पॉइंट ऑफ सेल/बिक्री का एक बिंदु (PoS) वह स्थान है, जहाँ ग्राहक द्वारा वस्तुओं या सेवाओं हेतु भुगतान किया जाता है। यहाँ पर बिक्री कर भी देय हो सकते हैं।
- यह कोई बाह्य स्टोर हो सकता है जहाँ पर भुगतान के लिये कार्ड पेमेंट या वर्चुअल सेल्स पॉइंट, जैसे- कंप्यूटर या मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग किया जाता है।

डिपो ऑनलाइन सिस्टम

- FCI के संचालन के प्रबंधन हेतु डिपो/गोदाम है जिसमें अनाजों का भंडारण किया जाता है।
- डिपो ऑनलाइन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य भारत में खाद्य वितरण आपूर्ति शृंखला को परिवर्तन के लिये 'डिजिटल इंडिया' की दृष्टि से संरेखित करना है।
- खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अंतर्गत (Food Corporation of India-FCI), केंद्रीय भंडारण निगम (Central Warehousing Corporation-CWC), राज्य भंडारण निगम (State Warehousing Corporations-SWC) एवं निजी गोदामों में भंडारित 612 लाख टन खाद्यान्न सालाना 81 करोड़ लाभार्थियों को वितरित किया जाता है। अधिकांश राज्यों में खरीद, भण्डारण एवं वितरण प्रणाली को किसी न किसी रूप में ऑनलाइन कर दिया गया है।

योजना का महत्त्व

- इस योजना के माध्यम से देश के सभी नागरिकों को एक कार्ड से पूरे देश में कहीं भी राशन उपलब्ध हो सकेगा तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत सभी लोगों को अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।
- इस योजना से गरीब, मज़दूर और ऐसे लोग लाभांवित होंगे जो जीविका, रोज़गार या किसी अन्य कारण से एक राज्य से दूसरे राज्य प्रवास करते हैं।

आगे की राह

- खाद्यानों की खरीद के समय से लेकर इसके वितरण तक सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर फोकस किया गया है जो इसकी पारदर्शिता को बनाए रखते हुए एवं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाकर पूरी प्रक्रिया की समग्र दक्षता को बढ़ाने में मदद करेगा।
- यह आवश्यक है कि FCI और राज्यों के बीच ऑनलाइन सूचना का निर्बाधित प्रवाह हो और इसलिये उन्हें समेकित किये जाने की आवश्यकता है जिससे कि पूरे देश में खरीद एवं वितरण पर सटीक सूचना उपलब्ध हो।
- ऐसी सभी गुणात्मक एवं मात्रात्मक सूचना के भण्डारण के लिये एक प्रणाली बनाई जानी चाहिये, जिसे 'अन्नवितरण' पोर्टल एवं विशेष रूप से डिज़ाइन किये गए डैश बोर्डों के ज़रिये एक्सेस किया जा सकें।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश एक ऐतिहासिक पहल है जिसके ज़रिये जनता को पोषण खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। खाद्य सुरक्षा विधेयक का खास ज़ोर गरीब-से-गरीब व्यक्ति, महिलाओं और बच्चों की ज़रूरतें पूरी करने पर है।

- इस विधेयक में शिकायत निवारण तंत्र की भी व्यवस्था है। अगर कोई जनसेवक या अधिकृत व्यक्ति इसका अनुपालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ शिकायत कर सुनवाई का प्रावधान किया गया है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत गरीबों को 2 रुपए प्रति किलो. गेहूँ और 3 रुपए प्रति किलो. चावल देने की व्यवस्था की गई है। इस कानून के तहत व्यवस्था है कि लाभार्थियों को उनके लिये निर्धारित खाद्यान्न हर हाल में मिले, इसके लिये खाद्यान्न की आपूर्ति न होने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा भत्ते के भुगतान के नियम को जनवरी 2015 में लागू किया गया।
- समाज के अति निर्धन वर्ग के हर परिवार को हर महीने अंत्योदय अन्न योजना में इस कानून के तहत सब्सिडी दरों पर यानी तीन रुपए, दो रुपए, एक रुपए प्रति किलो. क्रमशः चावल, गेहूँ और मोटा अनाज मिल रहा है।
- पूरे देश में इस कानून के लागू होने के बाद 81.34 करोड़ लोगों को 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूँ और 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चावल दिया जा रहा है।

केरल में आधिकारिक तौर पर 'ट्रांसजेंडर' शब्द के प्रयोग की घोषणा

चर्चा में क्यों?

केरल सरकार ने आधिकारिक तौर पर यह घोषणा की है कि सभी प्रकार के सरकारी संवादों में 'अदर जेंडर' (Other Gender) या 'थर्ड जेंडर' (Third Gender) के स्थान पर केवल ट्रांसजेंडर (Transgender) शब्द का प्रयोग किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- केरल सरकार द्वारा जारी ने एक आदेश में कहा गया है कि ट्रांसजेंडरों को 'तीसरे लिंग' या अन्य लिंग अथवा भिन्न लिंग अभिविन्यास वाले लोगों' [भिन्नलैंगिकम्] के रूप में संबोधित नहीं किया जाना चाहिये।
- इससे पहले सरकारी फॉर्मों और दस्तावेज़ो में दिये गए लैंगिक वरीयता क्रम में पुरुष, महिला और अन्य/तीसरे लिंग का जिक्र किया जाता था।
- सरकार के अनुसार, सभी आधिकारिक संचार/संवाद में ट्रांसजेंडर शब्द का उपयोग तब तक किया जाएगा जब तक कि इसके समतुल्य कोई अन्य शब्द न मिल जाए क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में लैंगिक आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता।
- उल्लेखनीय है कि ट्रांसजेंडर शब्द का इस्तेमाल करने की मांग लंबे समय से की जा रही थी क्योंकि 'अन्य' या 'थर्ड जेंडर' का प्रयोग ट्रांसजेंडरों को अपमान के समान लगता है।

ट्रांसजेंडर के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

- सर्वोच्च न्यायालय के राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (National Legal Services Authority-NALSA) ने अपने निर्णय में कहा है कि ट्रांसजेंडर शब्द व्यापक तौर पर प्रयोग किया जाता है और इसमें कई लोग शामिल हैं, जिसमें हिजड़ा एवं किन्नर' और मध्यलिंगी भिन्नताओं (Intersex Variations) जैसी सांस्कृतिक पहचान को भी शामिल किया गया हैं। अतः 'अन्य' जैसे विकल्प का उपयोग करने की आवश्यकता ही नहीं है।

पृष्ठभूमि

- ट्रांसजेंडर सेल ने केरल सरकार को उन शब्दों की एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिनका सरकारी संचार में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को संदर्भित करने के लिये उपयोग किया जा रहा था।
- ट्रांसजेंडर सेल के अनुसार, सरकारी दस्तावेज़ जैसे-बजट रिपोर्ट या प्लान बुक सभी में दूसरे या तीसरे लिंग शब्द का इस्तेमाल किया जाता है।

ट्रांसजेंडर सेल (Transgender Cell)

- ट्रांसजेंडर समुदाय को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने और उनके अधिकारों को संरक्षित करने के उद्देश्य से केरल सरकार के सामाजिक न्याय विभाग ने फरवरी 2018 में ट्रांसजेंडर सेल की स्थापना की।
- ट्रांसजेंडर सेल का मुख्य लक्ष्य राज्य ट्रांसजेंडर न्याय बोर्ड (State Transgender Justice Board) और ज़िला ट्रांसजेंडर न्याय समितियों (District Transgender Justice Committees) के कामकाज में सहायता प्रदान करना है।

निष्कर्ष

- ट्रांसजेंडर के संदर्भ में तृतीय या भिन्न का प्रयोग आपत्तिजनक है क्योंकि इससे ऐसा प्रतीत होता है कि बाकी दो लिंग सामान्य हैं, इसके कारण ट्रांसजेंडर स्वयं को हाशिये पर महसूस करते हैं। ऐसे में केरल सरकार का आदेश उनके प्रतिनिधित्त्व को बढ़ावा देता है। अत: आधिकारिक संचार में ट्रांसजेंडर शब्द का उपयोग करने पर कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिये। ट्रांसजेंडर एक लैंगिक पहचान है और इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिये।

भारत में आत्महत्याओं पर NCRB की रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Records Bureau - NCRB) द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2015 में महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा (लगभग 16,970) आत्महत्याएँ दर्ज़ की गईं।

मुख्य बिंदु :

- वर्ष 2015 के लिये जारी इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इस वर्ष (यानी 2015 में) देश में आत्महत्याओं की कुल संख्या 1,33,623 थी।
- रिपोर्ट के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि 'आत्महत्याओं की बड़ी संख्या घनी आबादी वाले राज्यों में ही है', परंतु भारत के दो बड़े राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार इस कथन के अपवाद हैं।
- उत्तर प्रदेश और बिहार में आत्महत्याओं की संख्या क्रमश: 3,902 और 516 दर्ज़ की गई जो कि कई छोटे-छोटे राज्यों के बराबर है।
- वहीं दूसरी ओर तमिलनाडु, जो कि इस सूची में दूसरे स्थान पर रहा, में आत्महत्याओं की कुल संख्या 15,777 थी,यह उत्तर प्रदेश के आंकड़ों से लगभग 4 गुना अधिक है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो :

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 1986 में इस उद्देश्य से की गई थी कि भारतीय पुलिस में कानून व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये पुलिस तंत्र को सूचना प्रौद्योगिकी समाधान और आपराधिक गुप्त सूचनाएँ प्रदान करके समर्थ बनाया जा सके।
- NCRB नीति संबंधी मामलों और अनुसंधान हेतु अपराध, दुर्घटना, आत्महत्या और जेल संबंधी डेटा के प्रामाणिक स्रोत के लिये नोडल एजेंसी है।
- NCRB 'भारत में अपराध', 'दुर्घटनाओं में होने वाली मौतें और आत्महत्या', 'जेल सांख्यिकी' तथा फ़िंगर प्रिंट पर 4 वार्षिक प्रकाशन जारी करता है।
- हाल ही में बाल यौन शोषण से संबंधित मामलों की अंडर- रिपोर्टिंग के चलते वर्ष 2017 से NCRB ने बाल यौन शोषण से संबंधित आँकड़ों को भी एकत्रित करना प्रारंभ किया है।
- ये प्रकाशन आपराधिक आँकड़ों के संदर्भ में न केवल पुलिस अधिकारियों बल्कि अपराध विज्ञानी, शोधकर्त्ताओं, मीडिया और नीति निर्माताओं के लिये भी सहायक होते है।
- NCRB को वर्ष 2016 में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 'डिजिटल इंडिया अवार्ड' से भी सम्मानित किया गया था।
- भारत में पुलिस बलों का कंप्यूटरीकरण वर्ष 1971 में प्रारंभ हुआ। NCRB ने CCIS (Crime and Criminals Information System) वर्ष 1995 में, CIPA (Common Integrated Police Application) 2004 में और अंतिम रूप में CCTNS वर्ष 2009 में प्रारंभ किया।

विकलांग बच्चों की स्कूलों में नामांकन स्थिति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में शैक्षणिक संस्थानों में विकलांग बच्चों के प्रवेश के संदर्भ में यूनेस्को (UNESCO) और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज़ (Tata Institute of Social Sciences) ने एक रिपोर्ट जारी की।

उद्देश्य

- इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों में विकलांग बच्चों के प्रवेश के आँकड़ों की स्थिति को दर्शाते हुए शिक्षा के अधिकार के तहत सभी बच्चों के लिये शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करने की सिफारिश की गई है।
- आरटीई अधिनियम, 2009 में संशोधन करके इसे विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के साथ संरेखित करना रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशों में से एक है।

प्रमुख बिंदु

- इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 5 से 19 वर्ष तक की आयु के विकलांग बच्चों में चार में से कम-से-कम एक ने कभी किसी शैक्षणिक संस्थान में भाग नहीं लिया, जबकि पाँच वर्षीय विकलांग बच्चों में से तीन-चौथाई स्कूल नहीं जा पाते।
- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में 5-19 वर्ष के 78 लाख से अधिक विकलांग बच्चे हैं। इनमें से सिर्फ 61% बच्चे शैक्षिक संस्थान में भाग ले रहे थे। लगभग 12% बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया था, जबकि 27% बच्चे कभी भी स्कूल नहीं गए थे।
- स्कूल में नामांकित विकलांग बच्चों की संख्या स्कूलिंग के प्रत्येक क्रमिक स्तर के साथ गिरती है। लड़कों की तुलना में स्कूल में विकलांग लड़कियों की संख्या कम है।
- विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं के बीच अंतर बना रहता है।
- 20% दृश्य और श्रवण दोष वाले बच्चे कभी स्कूल में नहीं थे।
- हालाँकि कई विकलांग या मानसिक बीमारी वाले बच्चों में यह आँकड़ा 50% से अधिक पाया गया।

गृह-आधारित शिक्षा

- विशेषज्ञों के अनुसार, विकलांग बच्चों को गृह-आधारित शिक्षा प्रदान किये जाने के मामले में दिये गए सरकारी आँकड़े सिर्फ कागज़ पर मौजूद होते हैं। वास्तविक रूप में विकलांग बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं।
- ग्रामीण भारत के बहुत से भागों में यदि कोई माता-पिता गृह-आधारित शिक्षा का चुनाव करते हैं, तो संभवत: बच्चों को शिक्षा नही मिल पाती है।
- सब तक शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिये सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया है लेकिन अभी भी सब तक शिक्षा नही पहुँच सकी है।
- शिक्षा से वंचित बच्चों की संख्या सरकारी आँकड़ों की तुलना में कहीं ज़्यादा है।

चुनौतियाँ

- विशेषज्ञों के अनुसार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम स्कूलों में सभी बच्चों के नामांकन को अनिवार्य बनाता है, लेकिन इसके अंतर्गत विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिये आवश्यक संसाधनों का प्रावधान नहीं है।
- नामांकन संख्या कम होने में सबसे बड़ी चुनौती बुनियादी एवं मूलभूत संसाधनों की कमी है।

सर्व शिक्षा अभियान

- इसका कार्यान्वयन वर्ष 2000-2001 से किया जा रहा है।
- यह एक निश्चित समयावधि के भीतर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु भारत सरकार का एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम है।
- इस अभियान को देश भर में राज्य सरकारों की सहभागिता से चलाया जा रहा है।
- 86वें संविधान संशोधन, 2002 द्वारा 6-14 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों के लिये प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में नि:शुल्क और अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना आवश्यक बना दिया गया है।
- सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य सार्वभौमिक सुलभता के साथ प्रारंभिक शिक्षा में बालक-बालिका एवं सामाजिक श्रेणी के अंतर को दूर करना तथा अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करना है।
- इसके अंतर्गत विविध प्रयास किये जा रहे हैं, जैसे- नए स्कूल खोलना तथा वैकल्पिक स्कूली सुविधाएँ प्रदान करना, स्कूलों एवं अतिरिक्त क्लासरूम का निर्माण किया जाना, प्रसाधन-कक्ष एवं पेयजल सुविधा प्रदान करना, नि:शुल्क पाठ्य-पुस्तकें एवं ड्रेस वितरित करना आदि।

देश की जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) 2018-19 के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर अनुमान की अपेक्षा और अधिक तेज़ी से घटेगी।

मुख्य बिंदु

- आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, आने वाले दो दशकों में भारत अपनी जनसंख्या वृद्धि में तेज़ी से गिरावट दर्ज़ करेगा और इसी के साथ-साथ भविष्य में भारत को जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend) भी प्राप्त होगा।
- लेकिन इसी समयावधि में भारत के समक्ष अपनी जनसंख्या की बढ़ती उम्र को प्रबंधित करना सबसे बड़ी चुनौती होगी।

मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यन ने 4 जुलाई, 2019 को, चालू वित्त वर्ष का बजट पेश करने से एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया था।

- भारत में 13 राज्य ऐसे हैं जहाँ कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rates- TFR) प्रतिस्थापन दर से भी नीचे है।
- बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे घनी आबादी वाले राज्यों में प्रजनन दर, प्रतिस्थापन दर से ऊपर है, लेकिन राहत की बात यह है कि प्रजनन दर पहले की तुलना में तेज़ी से घट रही है।
- सर्वेक्षण के पूर्वानुमान के अनुसार, अगले दो वर्षों में भारत की कुल प्रजनन दर, प्रतिस्थापन दर से कम हो जाएगी।
- भारत की कार्य करने योग्य जनसंख्या वर्ष 2021-31 के दौरान 9.7 मिलियन प्रतिवर्ष की दर से बढ़ेगी, जबकि वर्ष 2031-41 के मध्य यह संख्या मात्र 4.2 मिलियन ही रह जाएगी।
- वर्ष 2021 से वर्ष 2041 के बीच भारत में स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या में 18.4 प्रतिशत की कमी होगी।
- सर्वेक्षण के अनुसार, उपरोक्त कमी के बहुत महत्त्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक परिणाम होंगे।
- वर्ष 1971-81 के दौरान भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 2.5 प्रतिशत थी, जो वर्ष 2011-16 में 1.3 प्रतिशत हो गई। आँकड़े दर्शाते हैं कि वर्ष 1970-80 से अब तक भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में काफी गिरावट आई है।

जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend)

- भारत में युवाओं की एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो अकुशल और बेरोज़गार है तथा अर्थव्यवस्था में उनका योगदान न्यूनतम है। किसी भी देश के लिये उसकी युवा जनसंख्या जनसांख्यिकीय लाभांश होती है, यदि वह कुशल, रोज़गारयुक्त और अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाली हो।

प्रजनन दर

- प्रजनन दर का अभिप्राय बच्चे पैदा कर सकने की आयु (जो आमतौर पर 15 से 49 वर्ष की मानी जाती है) वाली प्रति 1000 स्त्रियों की इकाई पर जीवित जन्मे बच्चों की संख्या से होता है।

प्रतिस्थापन दर

- यह एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें जितने बूढ़े लोग मरते हैं उनका खाली स्थान भरने के लिये उतने ही बच्चे पैदा हो जाते हैं। कभी-कभी कुछ समाजों को ऋणात्मक प्रतिस्थापन दर का भी सामना करना पड़ता है; अर्थात् उनकी कुल प्रजनन दर उनकी कुल प्रतिस्थापन दर से कम हो जाती है। जापान, रूस, इटली एवं पूर्वी यूरोप सहित आज विश्व में ऐसे कई सारे देश हैं जहाँ यह स्थिति बनी हुई है।

कृषक परिवारों में आय की असमानता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नाबार्ड द्वारा किये गए सर्वेक्षण में भारतीय कृषक परिवारों के बीच लगातार बढ़ रही आय असमानता को रेखांकित किया गया है।

प्रमुख बिंदु :

- सर्वेक्षण से एकत्रित किये गए आँकड़ों के अनुसार, भारत के कृषक परिवारों में राज्यों के बीच आय असामनता 16,020 रुपए (पंजाब में सबसे अधिक) से लेकर 5,842 रुपए (आंध्र प्रदेश में सबसे कम) तक है।
- इसके अतिरिक्त सर्वेक्षण सर्वे में यह पाया गया है कि देश के 85 प्रतिशत किसान कुल कृषक आय का मात्र 9 प्रतिशत हिस्सा ही कमाते हैं जबकि शेष 15 प्रतिशत किसान 91 प्रतिशत हिस्सा कमाते हैं।
- यदि भारत की समग्र आय असमानता से इन आँकड़ों की तुलना की जाए तो ये बहुत अधिक अंतराल को दर्शाते हैं।
- भारत मे असमानता के इन आँकड़ों को देखते हुए यह तथ्य भी चौंकाने वाला नहीं है कि 43 प्रतिशत ऋणी भारतीय परिवार किसान ही हैं।
- आय की असमानता का यह पहलू किसानों की आय को दोगुना करने के सरकार के लक्ष्य के संदर्भ में भी महत्त्वपूर्ण है।
- आय के निर्धारण में उपलब्ध भूमि एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है :
  - जिस किसान के पास खेती के लिये कम भूमि उपलब्ध होती है तो उसकी आय भी कम होती है।
  - भारत के 85 प्रतिशत किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है।
  - इन्ही कारणों के परिणामस्वरूप छोटे किसानों को अपनी आय बढ़ाने में बड़े किसानों की अपेक्षा अधिक समय लगता है।

भारत में हाथ से मैला ढोने की कुप्रथा

चर्चा में क्यों ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice and Empowerment) के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में हाथ से मैला ढोने (मैनुअल स्केवेंजिंग) के कारण मरने वाले सफाई कर्मचारियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है और यह आँकड़ा 88 तक पहुँच चुका है।

मुख्य बिंदु:

- ज्ञातव्य है कि भारत में मैनुअल स्केवेंजिंग या हाथ से मैला ढोने की प्रथा को पूर्णत: प्रतिबंधित किया जा चुका है, परंतु अभी भी भारत के समक्ष यह एक गंभीर समस्या के रूप में विद्यमान है।
- मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 1993 से अब तक इस शर्मनाक प्रथा के कारण कुल 620 लोगों की मौत हो चुकी है।
- लोकसभा में पेश किये गए आँकड़ों के अनुसार, अब तक 445 मामलों में मुआवज़ा दिया चुका है, 58 मामलों में आंशिक समझौता किया गया है और 117 मामले अभी भी लंबित हैं।
- इस संदर्भ में 15 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने मंत्रालय के साथ जानकारी साझा की है, जिसके अनुसार अकेले तमिलनाडु में ही इस प्रकार के 144 मामले दर्ज़ किये गए हैं।
- कुछ राज्यों ने इस प्रकार के मामलों का कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखा है जिसके कारण अभी तक सही आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं, इस प्रथा के कारण होने वाली मौतों की संख्या और अधिक हो सकती है।
- 27 मार्च, 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में सरकार को वर्ष 1993 से मैनुअल स्केवेंजिंग के कारण मरे गए लोगों की संख्या की पहचान करने और उनके परिवारों को मुआवज़े के रूप में 10-10 लाख रूपए देने का निर्देश दिया था।

क्या है हाथ से मैला ढोना (मैनुअल स्केवेंजिंग)?

किसी व्यक्ति द्वारा शुष्क शौचालयों या सीवर से मानवीय अपशिष्ट (मल-मूत्र) को हाथ से साफ करने, सिर पर रखकर ले जाने, उसका निस्तारण करने या किसी भी प्रकार की शारीरिक सहायता से उसे संभालने को हाथ से मैला ढोना या मैनुअल स्केवेंजिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया में अक्सर बाल्टी, झाड़ू और टोकरी जैसे सबसे बुनियादी उपकरणों का उपयोग किया जाता है। इस कुप्रथा का संबंध भारत की जाति व्यवस्था से भी है।

'सौभाग्य' योजना

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार की महत्त्वाकांक्षी योजना 'सौभाग्य' (Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana 'Saubhagya') ने अपनी निर्धारित समय सीमा समाप्त कर ली है, परंतु बिजली मंत्रालय द्वारा के एक अनुमान के मुताबिक़ देश में अभी भी 1.5 लाख घर ऐसे हैं जहाँ बिजली कनेक्शन नहीं पहुँचा है।

प्रमुख बिंदु:

- केंद्र सरकार की इस योजना का उद्देश्य एक निश्चित समयावधि में देश के सभी घरों तक बिजली पहुँचाना था।
- इस योजना को सर्वप्रथम सितंबर 2017 में आरंभ किया गया था और इसे दिसंबर 2018 तक पूरा किया जाना था, लेकिन बाद में इसकी समयावधि को 31 मार्च 2019 तक बढ़ा दिया गया।
- पूर्व में राजस्थान सरकार ने यह सूचित किया था कि वहाँ के सभी इच्छुक लोगों को बिजली कनेक्शन दिया जा चुका है, लेकिन राजस्थान में अभी भी कुछ घर ऐसे हैं जो बिजली कनेक्शन चाहते हैं, लेकिन अब तक उनके पास बिजली की व्यवस्था नहीं है।
- इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ में भी 24000 घर ऐसे हैं जहाँ बिजली कनेक्शन अभी तक उपलब्ध नहीं है। छत्तीसगढ़ प्रशासन के अनुसार, उग्रवाद के कारण अब तक इन घरों में बिजली कनेक्शन नहीं दे पाया है।
- कनेक्शन से वंचित सभी घरों को अब इस योजना के तहत बिजली कनेक्शन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हाल ही में पेश हुए बजट में इस योजना के लिये कोई भी राशि आवंटित नहीं की गई है।
- बिजली कनेक्शन से वंचित घरों को अन्य योजनाओं जैसे- एकीकृत बिजली विकास योजना (Integrated Power Development Scheme-IPDS), दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana-DDUGJY) आदि के माध्यम से बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा।

सौभाग्य योजना:

- सौभाग्य योजना का शुभारंभ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण सुनिश्चित करने के लिये किया गया था।
- इस योजना के तहत केंद्र सरकार से 60% अनुदान राज्यों को दिया गया, जबकि राज्यों ने अपने कोष से 10% धन खर्च किया और शेष 30% राशि बैंकों ने बतौर ऋण के रूप में प्रदान की।
- विशेष राज्यों के लिये केंद्र सरकार द्वारा योजना का 85% अनुदान दिया गया, जबकि राज्यों को अपने पास से केवल 5% धन ही लगाना था और शेष 10% राशि बैंकों ने बतौर ऋण के रूप में प्रदान की।
- ऐसे सभी चार करोड़ निर्धन परिवारों को बिजली कनेक्शन प्रदान किया गया जिनके पास उस वक्त कनेक्शन नहीं था।
- इस योजना का लाभ गाँव के साथ-साथ शहर के लोगों को भी प्रदान किया गया।
- केंद्र सरकार द्वारा बैटरी सहित 200 से 300 वाट क्षमता का सोलर पावर पैक दिया गया, जिसमें हर घर के लिये 5 LED बल्ब, एक पंखा भी शामिल था।
- बिजली के इन उपकरणों की देख-रेख 5 सालों तक सरकार अपने खर्च पर करेगी।
- बिजली कनेक्शन के लिये 2011 की सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना को आधार माना गया था। जो लोग इस जनगणना में शामिल नहीं थे, उन्हें 500 रुपए में कनेक्शन दिया गया और इसे 10 किश्तों में वसूला जाएगा।
- सभी घरों को बिजली पहुँचाने के लिये प्री-पेड मॉडल अपनाया गया था।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन

चर्चा में क्यों?

हाल में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution) ने एक नई योजना 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन' (Integrated Management of Public Distribution System- IMPDS) लागू की है।

प्रमुख बिंदु

- IMPDS प्रणाली आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा में पहले से ही चल रही है, जिसमें लाभार्थी राज्य के किसी भी ज़िले में खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है।
- इस योजना का उद्देश्य देश के किसी भी भाग में उपस्थित सार्वजनिक वितरण प्रणाली/पोर्टलों का केंद्रीय प्रणाली/पोर्टलों से एकीकरण करना है।
- इसके माध्यम से राशन कार्डों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी का कार्यान्वयन करके 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' परियोजना को लागू करने में सहायता प्राप्त की जा सकेगी।
- साथ ही इस योजना के माध्यम से राशन कार्डधारकों/लाभार्थियों के दुहराव को भी रोका जा सकेगा।
- इस योजना से खाद्यान्नों के वितरण में अधिक पारदर्शिता एवं दक्षता आएगी।
- यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को अपना निर्धारित खाद्यान्न राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पसंद की उचित मूल्य की दुकानों से लेने का विकल्प भी प्रदान करती है।
- यह योजना उन प्रवासी मज़दूरों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में अधिक सहायक होगी जो बेहतर रोज़गार तलाशने के लिये दूसरे राज्यों में जाते हैं।

श्रीलंका को WHO ने खसरा मुक्त घोषित किया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization- WHO) ने श्रीलंका को खसरा (Measles) मुक्त घोषित किया है।

प्रमुख बिंदु:

- श्रीलंका, WHO द्वारा खसरा मुक्त घोषित होने वाला दक्षिण एशिया का 5वाँ देश बन गया है। श्रीलंका ने रूबेला नियंत्रण के एक वर्ष बाद ही खसरे पर भी नियंत्रण पा लिया है।
- इस क्षेत्र के खसरा मुक्त होने वाले अन्य देश मालदीव, भूटान, डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक (DPR) ऑफ़ कोरिया और पूर्वी तिमोर हैं।
- भूटान, मालदीव और तिमोर-लेस्ते के बाद श्रीलंका इस क्षेत्र का चौथा देश है, जिसने वर्ष 2020 तक इन बीमारियों को नियंत्रित करने के WHO के क्षेत्रीय लक्ष्य से पहले ही खसरे को समाप्त करने और रूबेला को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की है।
- खसरा मुक्त होने से तात्पर्य है कि अंतिम तीन वर्षों में खसरे का कोई नया मामला सामने नहीं आया है।
- इसके अलावा जब कोई देश वर्ष 2008 के मामलों की तुलना में रूबेला के मामलों में 95% तक कमी लाने में सफल रहता है तब उसे रूबेला नियंत्रित देश माना जाता है।
- खसरा एक गंभीर और अत्यधिक संक्रामक बीमारी है। जो इन्सेफलाइटिस, दस्त, निर्जलीकरण, निमोनिया, कान में संक्रमण और स्थायी दृष्टि हानि जैसी घातक बीमारियों का कारण बन सकती है।

भारत की स्थिति

- जहाँ श्रीलंका इस बीमारी को नियंत्रित करने में सफल रहा है, वहीं भारत अभी भी इस बीमारी को नियंत्रित करने के मामले में काफी पीछे है, वर्ष 2018 के दौरान भारत में खसरे के 56,399 और रूबेला के 1,066 मामलों की पुष्टि की गई।

राष्ट्रीय पोषण मिशन

चर्चा में क्यों?

भारत में मातृ एवं बाल स्वास्थ्य और पोषण से संबंधी 30 से अधिक सरकारी कार्यक्रम और योजनाएँ हैं, परंतु इसके बावजूद भी भारत कुपोषण के संकट से जूझ रहा है।

मुख्य बिंदु:

- राष्ट्रीय पोषण मिशन (National Nutrition Mission- NNM) का उद्देश्य छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोरियों में कुपोषण और एनीमिया को कम करना है।
- एक अनुमान के मुताबिक इस योजना से कुल 100 मिलियन लोग लाभान्वित होंगे।
- NNM नीति आयोग द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय पोषण रणनीति (National Nutrition Strategy) द्वारा समर्थित है। इस रणनीति का उद्देश्य वर्ष 2022 भारत को कुपोषण से मुक्त करना है।
- यह मिशन आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं (Anganwadi Workers- AWWs) को सुचन एवं प्रौद्योगिकी आधारित उपकरणों का प्रयोग करने, सोशल ऑडिट करने और पोषण संसाधन केंद्र स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित करेगा।
- इस मिशन का इरादा तो स्पष्ट है, परंतु इसके क्रियान्वन में कुछ चुनौतियाँ हैं, जो निम्नलिखित हैं:
  - कुपोषण एक जटिल और बहुआयामी मुद्दा है:
    - निर्धनता सहित अपर्याप्त भोजन की खपत, भोजन का असमान वितरण, मातृ, शिशु एवं बच्चे की अनुचित देखभाल, असमानता और लैंगिक असंतुलन, ख़राब साफ-सफाई और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं तक सीमित पहुँच आदि इसके प्रमुख कारण हैं।
    - स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न मंत्रालय और विभाग अक्सर अलग-अलग काम करते हैं और उनके बीच समन्वय में कमी पाई जाती है।
  - अन्य सरकारी योजनाओं की तरह यह योजना भी आवंटित राशि के आंशिक प्रयोग का सामना कर रही है। इस योजना के लिये वर्ष 2018-19 में आवंटित कुल संसाधनों का मात्र 16 प्रतिशत ही प्रयोग में लाया गया था।
  - रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग, स्थिरता और जवाबदेही की कमी के कारण यह मिशन काफी प्रभावित हो सकता है, इसलिये हमे निगरानी प्रणाली को और मज़बूत करने तथा स्थिरता एवं जवाबदेही को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

बच्चों से जुड़े यौन अपराधों के लिये सख्त दंडात्मक प्रावधान

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने के संदर्भ में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए बाल यौन अपराध संरक्षण कानून 2012 (पोक्सो) में संशोधन (Amendments in the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012) को मंज़ूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु:

- इस संशोधन में बच्चों से जुड़े यौन अपराधों के लिये मृत्युदंड सहित सख्त दंडात्मक प्रावधान किये गए हैं।
- कानून में संशोधन के ज़रिये कड़े दंडात्मक प्रावधानों के फलस्वरूप बच्चों से जुड़े यौन अपराधों में कमी आएगी।
- विपरीत परिस्थिति में फंसे बच्चों के हितों की रक्षा की जा सकेगी साथ ही उनकी सुरक्षा एवं सम्मान भी सुनिश्चित हो सकेगा।
- इस संशोधन का लक्ष्य बच्चों से जुड़े अपराधों के मामले में दंडात्मक व्यवस्थाओं को अधिक स्पष्ट करना है।

पृष्ठभूमि:

- POCSO, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम (Protection of Children from Sexual Offences Act– POCSO) का संक्षिप्त नाम है।
- संभवत: मानसिक आयु के आधार पर इस अधिनियम का वयस्क पीड़ितों तक विस्तार करने के लिये उनकी मानसिक क्षमता के निर्धारण की आवश्यकता होगी। इसके लिये सांविधिक प्रावधानों और नियमों की भी आवश्यकता होगी, जिन्हें विधायिका अकेले ही लागू करने में सक्षम है।
- POCSO अधिनियम, 2012 को बच्चों के हित और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए बच्चों को यौन अपराध, यौन उत्पीड़न तथा पोर्नोग्राफी से संरक्षण प्रदान करने के लिये लागू किया गया था।

- इस अधिनियम 'बालक' को 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है और बच्चे का शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित करने के लिये हर चरण को ज्यादा महत्त्व देते हुए बच्चे के श्रेष्ठ हितों और कल्याण का सम्मान करता है। इस अधिनियम में लैंगिक भेदभाव (Gender Discrimination) नहीं है।

"हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने सुझाव दिया है कि 16 वर्ष की आयु के बाद सहमति से यौनिक, शारीरिक संबंध या इस प्रकार के अन्य कृत्यों को POCSO अधिनियम के दायरे से बाहर कर देना चाहिये।"

मद्रास उच्च न्यायालय के सुझाव

- POCSO अधिनियम के खंड 2(d) के अंतर्गत चाइल्ड/बालक को 18 वर्ष से कम आयु के बजाय 16 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में पुन: परिभाषित किया जा सकता है।
- अधिनियम में कुछ उपयुक्त संशोधन किये जा सकते हैं ताकि 16 वर्ष से अधिक आयु की लड़की और 16 से 21 वर्ष की आयु के बीच के लड़के के बीच के संबंधों पर सख्त प्रावधान लागू न हों।
- यदि सहमति से बने यौन संबंधों के मामले में 16 वर्ष या उससे अधिक आयु की पीड़िता से अपराध करने वाले व्यक्ति की आयु पाँच वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। इस प्रकार अपरिपक्व आयु की लड़की का किसी परिपक्व व्यक्ति द्वारा लाभ उठाए जाने से रोका जा सकेगा।

विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत निर्धारित आयु वर्ग के तहत चाइल्ड/बालक की परिभाषा

- POCSO अधिनियम: 18 वर्ष से कम
- बाल मज़दूर (निषेध एवं विनियमन)अधिनियम 1986: 14 वर्ष से कम
- किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015: 14 वर्ष से कम
- कंपनी अधिनियम, 1948: 15 वर्ष से कम

आयु की सहमति प्रदान करने पर वैश्विक कानून

- बहुत से देशों में 16 साल या उससे कम आयु वर्ग को चाइल्ड/बालक की श्रेणी में रखा गया है।
- अमेरिका के बहुत से देश, यूरोप, जापान, कनाडा ऑस्ट्रेलिया चीन और रूस भी इस श्रेणी में शामिल है।

POCSO के अंतर्गत निर्धारित आयु में कमीं की माँग

- डिज़िटल तकनीकी के नवाचार के इस दौर में बच्चों को ज़्याद- से-ज़्यादा जानकारियाँ प्राप्त हैं। वे POCSO द्वारा निर्धारित आयु से बहुत पहले ही किसी भी रिश्ते के प्रति वयस्क और परिपक्व हो रहे हैं।
- 16-18 आयु वर्ग के बच्चों द्वारा पाए गए यौन शोषण के मामले जो लड़की के माता-पिता या अभिभावकों के अनुरोध पर दर्ज़ किये जाते हैं, सामान्यत: सहमति पर आधारित होते हैं। ऐसे बहुत से मामले न्यायालय में लंबित हैं जिनमें POCSO प्रावधान का लाभ उठाकर इसका दुरूपयोग किया जा रहा है।

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों की सुरक्षा) विधेयक 2019

चर्चा में क्यों?

"केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों की सुरक्षा) विधेयक 2019 [Transgender Persons (Protection of Rights) Bill, 2019] को प्रस्तुत करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है।"

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019 Transgender Persons (Protection of Rights) Bill 2019

- ट्रांसजेंडर व्यक्ति को परिभाषित करना।
- ट्रांसजेंडर व्यक्ति के विरुद्ध विभेद का प्रतिषेध करना।
- ऐसे व्यक्ति को उस रूप में मान्यता देने के लिये अधिकार प्रदत्त करने और स्वत: अनुभव की जाने वाली लिंग पहचान का अधिकार प्रदत्त करना।

- पहचान-पत्र जारी करना।
- यह उपबंध करना कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति को किसी भी स्थापन में नियोजन, भर्ती, प्रोन्नति और अन्य संबंधित मुद्दों के विषय में विभेद का सामना न करना पड़े।
- प्रत्येक स्थापन में शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना।
- विधेयक के उपबंधों का उल्लंघन करने के संबंध में दंड का प्रावधान सुनिश्चित करना।

प्रमुख बिंदु

- इस विधेयक में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तीकरण के लिये एक कार्य प्रणाली उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है ।
- इस विधेयक से हाशिये पर खड़े इस वर्ग के विरूद्ध लांछन, भेदभाव और दुर्व्यवहार कम होने तथा इन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने से अनेक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को लाभ पहुँचेगा।
- इससे समग्रता को बढ़ावा मिलेगा और ट्रांसजेंडर व्यक्ति समाज के उपयोगी सदस्य बन जाएंगे।
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सामाजिक बहिष्कार से लेकर भेदभाव, शिक्षा सुविधाओं की कमी, बेरोज़गारी, चिकित्सा सुविधाओं की कमी, जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
- ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों की सुरक्षा) विधेयक, 2019 एक प्रगतिशील विधेयक है क्योंकि यह ट्रांसजेंडर समुदाय को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से सशक्त बनाएगा।

ट्रांसजेंडर

- ट्रांसजेंडर वह व्यक्ति है, जो अपने जन्म से निर्धारित लिंग के विपरीत लिंगी की तरह जीवन बिताता है।
- जब किसी व्यक्ति के जननांगों और मस्तिष्क का विकास उसके जन्म से निर्धारित लिंग के अनुरूप नहीं होता है तब महिला यह महसूस करने लगती है कि वह पुरुष है और पुरुष यह महसूस करने लगता है कि वह महिला है।

भारत में ट्रांसजेंडर्स के समक्ष आने वाली परेशानियाँ

- ट्रांसजेंडर समुदाय की विभिन्न सामाजिक समस्याएँ जैसे- बहिष्कार, बेरोज़गारी, शैक्षिक तथा चिकित्सा सुविधाओं की कमी, शादी व बच्चा गोद लेने की समस्या,आदि।
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मताधिकार वर्ष 1994 में ही मिल गया था, परंतु इन्हें मतदाता पहचान-पत्र जारी करने का कार्य पुरुष और महिला के प्रश्न पर उलझ गया।
- इन्हें संपत्ति का अधिकार और बच्चा गोद लेने जैसे कुछ कानूनी अधिकार भी नहीं दिये जाते हैं।
- इन्हें समाज द्वारा अक्सर परित्यक्त कर दिया जाता है, जिससे ये मानव तस्करी का आसानी से शिकार बन जाते हैं।
- अस्पतालों और थानों में भी इनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता है।

सामाजिक तौर पर बहिष्कृत

- भारत में किन्नरों को सामाजिक तौर पर बहिष्कृत कर दिया जाता है। इसका मुख्य कारण इन्हें न तो पुरुषों की श्रेणी में रखा जा सकता है और न ही महिलाओं की, जो लैंगिक आधार पर विभाजन की पुरातन व्यवस्था का अंग है।
- इसका नतीज़ा यह होता है कि ये शिक्षा हासिल नहीं कर पाते हैं और बेरोज़गार ही रहते हैं। ये सामान्य लोगों के लिये उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं का लाभ तक नहीं उठा पाते हैं।
- इसके अलावा ये अनेक सुविधाओं से भी वंचित रह जाते हैं।

बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2019

चर्चा में क्यों ?

वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2019 (Multidimensional Poverty Index- MPI) के अनुसार, भारत ने वर्ष 2006 से वर्ष 2016 के बीच 271 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।

प्रमुख बिंदु:

- रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने 'संपत्ति, खाना पकाने के ईंधन, स्वच्छता और पोषण' जैसे मापदंडों में मज़बूत सुधार किया है।
- 101 देशों पर किये गए इस अध्ययन में पाया गया है कि :
  - 31 देश निम्न आय वाले देश हैं,
  - 68 देश मध्यम आय वाले देश हैं, और
  - 2 देश उच्च आय वाले देश हैं
- विश्व स्तर पर कुल 1.3 बिलियन लोग 'बहुआयामी गरीब' हैं और उनमे से एक तिहाई लोग (करीब 886 मिलियन) लोग माध्यम आय वाले देशों में रहते हैं। इसके अतिरिक्त शेष बचे लोग निम्न आय वाले देशों में रहते हैं।

'बहुआयामी गरीबी' के निर्धारण में आय ही एक मात्र संकेतक नहीं होता बल्कि अन्य सूचकों जैसे - खराब स्वास्थ्य, काम की खराब गुणवत्ता और हिंसा के ख़तरों पर भी ध्यान दिया जाता है।

- रिपोर्ट में गरीबी में कमी को दर्शाने के लिये ऐसे दस देशों की पहचान की गई है जिनकी आबादी करीब 2 बिलियन है और उन सभी 10 देशों ने सतत् विकास लक्ष्य 1 (गरीबी के सभी रूपों की पूरे विश्व से समाप्ति) की प्राप्ति में बेहतरीन प्रदर्शन किया है।
- भारत सहित उन दस देशों में बांग्लादेश, कंबोडिया, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, इथियोपिया, हैती, नाइजीरिया, पाकिस्तान, पेरू और वियतनाम भी शामिल थे।
- भारत के अतिरिक्त बांग्लादेश ने भी 2004 से 2014 के बीच लगभग 19 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकला है।
- जहाँ एक ओर वर्ष 2005-06 के भारत का MPI 0.283 था वहीं वर्ष 2015-16 के बीच यह घटकर 0.123 हो गया है।
- ग़ौरतलब है कि वर्ष 2005-06 में लगभग 640 मिलियन लोग 'बहुआयामी गरीबी' में रहते थे, जबकि वर्ष 2015-16 में यह आँकड़ा 369 मिलियन हो गया।
- रिपोर्ट के अनुसार, भारत का झारखंड राज्य 'बहुआयामी गरीबी' को सबसे तेज़ी से हटाने वाला राज्य है, झारखंड में 2005-06 में यह 74.9 प्रतिशत थी जबकि वर्ष 2015-16 में सिर्फ 46.5 ही रह गई।

मध्याह्न भोजन योजना

चर्चा में क्यों?

पिछले तीन वर्षों में भारत के सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के उपभोग के कारण भारत में लगभग 900 से अधिक बच्चे बीमार हुए।

प्रमुख बिंदु

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय (Human Resource Development Ministry) के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में भोजन की खराब गुणवत्ता के संबंध में लगभग 15 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से 35 शिकायतें मंत्रालय में दर्ज हुई।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार, "पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में देश में कुल 930 बच्चे बीमार हुए लेकिन उनमें से किसी की मृत्यु नहीं हुई। साथ ही यह भी कहा गया कि बच्चों को पका हुआ और पौष्टिक मध्याह्न भोजन देने की समग्र ज़िम्मेदारी राज्य सरकारों की है।
- मध्याह्न भोजन योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (Department of School Education and Literacy) के अंतर्गत आती है।

मध्याह्न भोजन योजना (Mid-Day Meal Scheme)

- मिड डे मील कार्यक्रम को एक केंद्रीय प्रवर्तित योजना के रूप में 15 अगस्त, 1995 को पूरे देश में लागू किया गया था।
- इसके पश्चात् सितंबर 2004 में कार्यक्रम में व्यापक परिवर्तन करते हुए मेनू आधारित पका हुआ गर्म भोजन देने की व्यवस्था प्रारंभ की गई थी।

- इस योजना के तहत न्यूनतम 200 दिनों हेतु निम्न प्राथमिक स्तर के लिये प्रतिदिन न्यूनतम 300 कैलोरी ऊर्जा एवं 8-12 ग्राम प्रोटीन तथा उच्च प्राथमिक स्तर के लिये न्यूनतम 700 कैलोरी ऊर्जा एवं 20 ग्राम प्रोटीन देने का प्रावधान है।
- मिड डे मील कार्यक्रम एक बहुद्देशीय कार्यक्रम है तथा यह राष्ट्र की भावी पीढी के पोषण एवं विकास से जुड़ा हुआ है। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं-
  - प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण को बढ़ावा देना।
  - विद्यालयों में छात्रों के नामांकन में वृद्धि तथा छात्रों को स्कूल में आने के लिये प्रोत्साहित करना।
  - स्कूल ड्राप-आउट को रोकना।
  - बच्चों की पोषण संबंधी स्थिति में वृद्धि तथा सीखने के स्तर को बढ़ावा देना।

विश्व में अल्पपोषण की समस्या

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र (United Nations- UN) द्वारा जारी 'द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड' (The State of Food Security and Nutrition in the World report) नामक एक रिपोर्ट के अनुसार, बीते 3 वर्षों में भूख से प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और लगभग 820 मिलियन लोग आज भी अल्पपोषण से प्रभावित हैं।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु:

- रिपोर्ट के अनुसार, अफ्रीका के लगभग सभी क्षेत्रों में अल्पपोषण की समस्या विकराल हो गई है और वहाँ की लगभग 20 प्रतिशत जनसंख्या इससे प्रभावित है।
- लेटिन अमेरिका के क्षेत्र भी इस समस्या से अछूते नहीं रहे हैं, हालाँकि उन क्षेत्रों में यह आँकड़ा मात्र 7 प्रतिशत ही है।
- पौष्टिक और पर्याप्त भोजन की कमी के कारण ये लोग कुपोषण और खराब स्वास्थ्य जैसी समस्याओं से ग्रस्त हैं।
- रिपोर्ट में इस बात की चेतावनी दी गई है कि यदि ऐसे ही चलता रहा तो विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं के लिये वर्ष 2030 तक सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना काफी मुश्किल हो जाएगा।
- रिपोर्ट में इस बात को भी स्वीकार किया गया है कि लगभग उन सभी देशों, जिनमे वर्ष 2011 से वर्ष 2017 के बीच अल्पपोषण में वृद्धि हुई है, ने अपनी अर्थव्यवस्था में मंदी का सामना किया है।

भारत के संदर्भ में:

- रिपोर्ट के अनुसार, भारत में वर्ष 2004-06 के बीच कुपोषितों की कुल संख्या 253.9 मिलियन थी जो वर्ष 2016-18 के बीच घटकर 194.4 मिलियन हो गई।
- यह कहा जा सकता है कि भारत में कुपोषितों की कुल संख्या में कमी तो आई है, परंतु अभी भी भारत के समक्ष यह एक प्रमुख समस्या के रूप में मौजूद है।
- पोषण के संदर्भ में सरकार द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार, भारत में उचित आहार प्राप्त करने करने वाले बच्चों की कुल संख्या 10 प्रतिशत से भी कम है।

कुपोषण क्या है ?

- कुपोषण (Malnutrition) वह अवस्था है जिसमें पौष्टिक पदार्थ और भोजन अव्यवस्थित रूप से लेने के कारण शरीर को पूरा पोषण नहीं मिल पाता है और यह एक गंभीर स्थिति है।
- कुपोषण तब भी होता है जब किसी व्यक्ति के आहार में पोषक तत्त्वों की सही मात्रा नहीं होती है।
- दरअसल, हम स्वस्थ रहने के लिये भोजन के ज़रिये ऊर्जा और पोषक तत्त्व प्राप्त करते हैं, लेकिन यदि भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिजों सहित पर्याप्त पोषक तत्त्व नहीं मिलते हैं तो हम कुपोषण के शिकार हो सकते हैं।

घटता लिंग अनुपात और प्रजनन दर

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के रजिस्ट्रार जनरल (Registrar General Of India) के नमूना पंजीकरण प्रणाली (Sample Registration System-SRS) द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार, देश में जन्म के समय लिंगानुपात (Sex Ratio at Birth-SRB) वर्ष 2017 के अंत तक तीन वर्ष की अवधि में घटकर 898 रह गया।

प्रमुख बिंदु

- SRS द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2016 में देश में कुल प्रजनन दर 2.3 थी वहीं 2017 में यह घटकर 2.2 ही रह गई है, जोकि देश की कुल प्रतिस्थापन दर 2.1 के काफी करीब है।
- यह प्रवृत्ति संयुक्त राष्ट्र द्वारा जनसंख्या अनुमानों के अनुरूप है, जिन्हें हाल के वर्षों में नीचे की ओर संशोधित किया गया है।
- जिस वर्ष भारत जनसंख्या के मामले में चीन से आगे निकल जाएगा, उसे वर्ष 2022 (2015 की रिपोर्ट के अनुसार) से बढ़ाकर वर्ष 2027 (2019 के अनुसार) कर दिया गया है।
- यह प्रवृत्ति इस ओर भी इशारा करती है कि भारतीय अब कम बच्चे चाहते हैं लेकिन उसमें भी उनकी आकाँक्षा पुत्र प्राप्ति की होती हैं। आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) 2017-18 में भी संतान के रूप में बेटे की प्राथमिकता को प्रमुखता से दर्शाया गया है।
- हाल के वर्षों में तेलंगाना, दिल्ली और केरल के साथ-साथ बिहार में भी जन्म के समय लिंगानुपात में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई।
- यद्यपि इस असमानता के लिये लिंग-निर्धारण तकनीकों के प्रयोग को सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है लेकिन बिहार जैसे राज्यों में खराब लिंगानुपात के पीछे एक कारण और है कि अमीर परिवार दोषपूर्ण सामाजिक और आर्थिक कारणों से बेटों को अधिक पसंद करते हैं।
- SRS द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों में यह भी प्रदर्शित किया गया है कि भारत में आर्थिक रूप से सक्रिय आबादी (15-59 वर्ष) के साथ-साथ बुज़ुर्गों की आबादी (60+ वर्ष) का अनुपात बढ़ रहा है। जहाँ एक ओर वर्ष 2017 में आर्थिक रूप से सक्रिय आबादी का प्रतिशत 65.4 था वहीं दूसरी ओर इसी अवधि में बुज़ुर्ग आबादी 8.2% थी।

नमूना पंजीकरण प्रणाली (The Sample Registration System-SRS)

- SRS एक दोहरी रिकॉर्ड प्रणाली पर आधारित है और इसकी शुरुआत गृह मंत्रालय के अधीन अंतर्गत आने वाले रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय द्वारा वर्ष 1964-65 में जन्म और मृत्यु के आँकड़ों को पंजीकृत करने के उद्देश्य से की गई थी।
- तब से SRS नियमित रूप से आँकड़े उपलब्ध करा रहा है।
- SRS के तहत एक अंशकालिक गणक (गणना करने के लिये नियुक्त व्यक्ति) द्वारा गाँवों/शहरों के जन्म और मृत्यु के नमूनों की निरंतर गणना की जाती है और एक पूर्णकालिक गणक द्वारा अर्द्धवार्षिक पूर्वव्यापी सर्वेक्षण किया जाता है।
- इन दोनों स्रोतों से प्राप्त आँकड़ों का मिलान किया जाता है। बेमेल और आंशिक रूप से सुमेलित आँकड़ों को फिर से सत्यापित किया जाता है ताकि सही एवं स्पष्ट गणना की जा सके और वैध आँकड़े प्राप्त हो सकें।
- हर दस साल में नवीनतम जनगणना के परिणामों के आधार पर SRS नमूना में संशोधन किया जाता है।

रोटावायरस वैक्सीन

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार सितंबर 2019 तक सभी राज्यों में रोटावायरस टीकाकरण अभियान लागू करने की योजना बना रही है।

प्रमुख बिंदु

- रोटावायरस के उन्मूलन हेतु इस टीकाकरण योजना का कार्यान्वयन सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (Universal Immunisation Programme-UIP) के तहत किया जाएगा।

- रोटावायरस वैक्सीन (rotavirus vaccine) को भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (Universal Immunisation Programme-UIP) में शामिल किया गया है।
- UIP में निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन (Inactivated Polio Vaccine-IPV), Haemophilus Influenzae type b (Hib), मीजल्स, रूबेला वैक्सीन (Measles, Rubella (MR) vaccine), वयस्क जापानी इंसेफेलाइटिस वैक्सीन (Adult Japanese Encephalitis (JE) vaccine), तपेदिक (Tuberculosis), डिप्थीरिया (Diphtheria), काली खाँसी (Pertussis), हेपेटाइटिस बी (Hepatitis B), न्यूमोनिया (Pneumonia) और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी (Haemophilus Influenzae type b-Hib) के कारण होने वाले मेनिनजाइटिस (Meningitis) रोग पहले से ही शामिल हैं।
- नि:शुल्क टीकाकरण के माध्यम से हर साल लगभग 2.6 करोड़ बच्चे (नवजात) लाभान्वित होंगे यह टीकाकरण उन्हें डायरिया से बचाएगा।
- यह टीकाकरण कार्यक्रम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित तीन 100-दिवसीय लक्ष्यों में से एक है।
- वर्तमान में यह टीकाकरण कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, असम, त्रिपुरा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में संचालित किया जा रहा है।
- सितंबर 2019 तक, सभी 25 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इस कार्यक्रम के तहत कवर किया जाएगा।
- मंत्रालय द्वारा निर्धारित अन्य दो 100-दिवसीय लक्ष्यों के अंतर्गत देश के प्रत्येक ज़िले में कम-से-कम एक मेडिकल कॉलेज या स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थान में (सार्वजनिक या निजी) यह कार्यक्रम लागू करना है। फिलहाल यह प्रस्ताव मंज़ूरी के लिये व्यय वित्त समिति (Expenditure Finance Committee) के पास है।

रोटावायरस क्या है?

- रोटावायरस एक संक्रामक रोग है जो छोटे बच्चों में आसानी से फैलता है।
- रोटावायरस मुख के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है एवं यह फैलता है:
  - जब कोई व्यक्ति किसी रोटावायरस से ग्रसित रोगी के मल के संपर्क में आता है और फिर अपने स्वयं के मुख को स्पर्श करता है। उदाहरण के लिये, रोटावायरस तब फैलता है जब रोटावायरस से ग्रसित बच्चा पेशाब/शौच के पश्चात् अपने हाथ ठीक से नहीं धोता है और फिर भोजन या अन्य वस्तुओं को स्पर्श करता है।
  - डायरिया रोग, रोटावायरस के कारण होता है, इस रोग में शरीर में जल की कमी (Dehydration) हो जाती है।

लक्षण

- गंभीर दस्त (Severe diarrhea)
- उल्टी (Throwing up)
- डिहाइड्रेशन (Dehydration)
- बुखार (Fever)
- पेट दर्द (Stomach pain)
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation-WHO) के अनुसार रोटावायरस वैक्सीन की पहली खुराक 6 सप्ताह की उम्र के बाद जितनी ज़ल्दी हो सके, DTP (डिप्थीरिया, टेटनस और पर्टुसिस) के टीके के साथ ही दी जानी चाहिये।
- WHO ने उन देशों के राष्ट्रीय अनुसूची में रोटावायरस वैक्सीन को शामिल करने की सिफारिश की है जहाँ पाँच वर्ष तक की उम्र के बच्चों की मौतों में से 10% से अधिक के लिये डायरिया ज़िम्मेदार है।
- वर्तमान में रोटावायरस से बचाव के लिये दो वैक्सीन उपलब्ध हैं-
  - रोटारिक्स (ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन) [Rotarix (GlaxoSmithKline)]: यह एकल संयोजक वैक्सीन (Monovalent Vaccine) है जो 6-12 सप्ताह में दो खुराकों में मौखिक रूप से दिया जाता है।
  - रोटा टेक (मर्क) [Rota Teq (Merck)]: यह एक पेंटावैलेंट वैक्सीन (Pentavalent Vaccine) 6-12 सप्ताह की उम्र में तीन खुराकों में मौखिक रूप से दी जाती है।

मोनोवैलेंट वैक्सीन और पेंटावैलेंट वैक्सीन (Monovalent vaccine and Pentavalent vaccine)

- मोनोवैलेंट वैक्सीन एक एकल प्रतिजन (Single Antigen) या एकल सूक्ष्मजीव (Single Microorganism) के विरुद्ध टीकाकरण करने हेतु बनाये जाते हैं।
- पेंटावैलेंट वैक्सीन (Pentavalent vaccine) बच्चों को पाँच जानलेवा बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है डिप्थीरिया, काली खाँसी, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी (Hib)।

महिलाओं में अंधापन/मोतियाबिंद का प्रभाव

चर्चा में क्यों ?

एक अध्ययन के अनुसार, भारतीय महिलाओं में लिंग विभेद तथा कुछ जैविक कारकों की वज़ह से पुरुषों की तुलना में अंधेपन (Blindness) की संभावना 35 प्रतिशत अधिक पाई जाती है।

प्रमुख बिंदु

- ब्रिटिश जर्नल ऑफ ऑपथैल्मोलॉजी (British Journal of Ophthalmology) में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, वैश्विक संदर्भ में महिलाओं में मोतियाबिंद (Cataract) बढ़ने की संभावना उनके समकक्ष पुरुषों की तुलना में 69 प्रतिशत अधिक हैं।
- इस अनुसंधान के लिये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टरों की एक टीम ने अंधेपन से संबंधित 22 अध्ययनों और मोतियाबिंद सर्जिकल कवरेज (Cataract Surgical Coverage-CSC) की पहुँच का विश्लेषण किया।
- अध्ययन के अनुसार, अंधापन (35 प्रतिशत) तथा मोतियाबिंद अंधापन (33 प्रतिशत) में लिंग विभेद की प्रमुख भूमिका होती है।
- आँखों के लेंस को पहनने तथा अधिक रोने से निकलने वाले आंसुओं के कारण मोतियाबिंद होता है। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाती है, मोतियाबिंद की संभावना भी बढ़ती जाती है।
- महिलाओं के बीच CSC की कम कवरेज के कारण पुरुषों की तुलना में केवल 27 प्रतिशत महिलाओं की सर्जरी हो पाती है।
- उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान और नाइज़ीरिया में भी इसी तरह की प्रवृत्ति देखी गई।

भारत में महिलाओं में अंधेपन तथा मोतियाबिंद के कारण

- वर्ष 1970 के दशक में भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम (National Blindness Control Programme-NBCP) शुरू किया था, लेकिन आज भी इसके कार्यान्वयन में बड़ा अंतराल बना हुआ है। इस कार्यक्रम का लाभ महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों को प्राप्त हुआ है।
- पारंपरिक रूप से स्वास्थ्य सेवाओं के कवरेज़ तक महिलाओं की पहुँच बहुत कम पाई गई, इसका कारण संभवत: यह है कि मोतियाबिंद सर्जरी के लिये गाँव के बाहर जाने की आवश्यकता होती है। ग्रामीण महिलाओं के लिये दैनिक और कृषिगत कार्यों को छोड़कर सर्जरी के लिये शहर के चक्कर लगाना संभव नहीं हो पाता है।
- इसका एक अन्य कारण यह भी है कि आँखों की सर्जरी को महिलाओं की तुलना में पुरुषों के लिये अधिक महत्त्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि वे परिवार में आजीविका कमाने वाले सदस्य होते हैं और भारतीय समाज की पितृसत्तात्मक व्यवस्था में उनके स्वास्थ्य को महिलाओं की अपेक्षा अधिक महत्त्व दिया जाता है।
- सामाजिक-आर्थिक कारकों के अलावा एस्ट्रोजन की कमी भी महिलाओं में मोतियाबिंद के अंधेपन का एक प्रमुख कारण है। रजोनिवृत्ति के बाद महिलाओं में एस्ट्रोजेन का स्तर कम हो जाता है। इसके कारण उनमें मोतियाबिंद की संभावना बढ़ जाती है।
- गाँवों में मोतियाबिंद से जुड़े मिथकों के साथ जागरूकता की कमी भी इस जोखिम में अहम् योगदान करती है। अक्सर लोगों के बीच ऐसे मिथक देखने को मिलते है कि मोतियाबिंद के परिपक्व होने तक सर्जरी नहीं करानी चाहिये। डॉक्टरों के मुताबिक, ऐसे मिथक पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ज़्यादा प्रभावित करते हैं।

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम

- इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1976 में हुई।
- यह एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है, इसमें पहले से जारी ट्रैकोमा नियंत्रण कार्यक्रम को भी शामिल किया गया था।
- ट्रैकोमा नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष 1963 में शुरू हुआ था।
- इस कार्यक्रम का लक्ष्य उस समय अंधेपन की व्यापकता को कम करना तथा भविष्य में होने वाले मामलों को रोकने के लिये प्रत्येक वर्ष आधारभूत ढाँचा एवं कार्यक्षमता स्थापित करना है।
- इसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
  - प्रत्येक 5 लाख की आबादी के लिये नेत्र देखभाल सुविधाएँ स्थापित करना।
  - प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, उप-ज़िले के सभी स्तरों पर नेत्र देखभाल सेवाओं के लिये मानव संसाधन को विकसित करना।
  - स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना।
  - नागरिक समाज और निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करना।

निष्कर्ष

अनुसंधानकर्त्ताओं के अनुसार, यदि नेत्र स्वास्थ्य देखभाल की पहुँच को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक विस्तारित किया जाता है, तो इससे महिलाओं की स्थिति और अधिक बेहतर हो सकती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में अधिक सामाग्रियों/उपकरणों की आवश्यकता भी नहीं होती है।

इसके साथ ही झूठे मिथकों के प्रति लोगों में सूचना, शिक्षा और संचार के माध्यम से जागरूकता लाकर महिलाओं में अंधेपन एवं मोतियाबिंद के स्तर में सुधार लाया जा सकता है।

विश्वभर में खाद्य असुरक्षा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में UN द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2018 में विश्व के लगभग 700 मिलियन लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे थे। रिपोर्ट में खाद्य असुरक्षा को विश्व के समक्ष मौजूद सबसे बड़ी समस्या के रूप में चिन्हित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- रिपोर्ट के अनुसार, खाद्य असुरक्षा, भूख और कुपोषण के अतिरिक्त मोटापे का भी एक प्रमुख कारण है। जब पौष्टिक आहार महँगा होता है तो लोग अपनी भोजन संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिये इसे सस्ते आहार के साथ प्रतिस्थापित करने का प्रयास करते हैं, जो सामान्यत: वसा युक्त होता है और लोगों के मोटापे में वृद्धि करता है।
- भोजन की उचित मात्रा के साथ-साथ भोजन की उचित गुणवत्ता भी काफी महत्त्वपूर्ण होती है। रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया भर के दो अरब से भी अधिक लोगों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिसके कारण उनमें भोजन से जनित बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं।
- रिपोर्ट में लिंग असमानता पर चर्चा करते हुए यह कहा गया है कि विश्व के लगभग सभी देशों में, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में खाद्य असुरक्षा का प्रचलन अधिक है।
- निम्न आय वाले देश मध्यम आय वाले देशों की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक खाद्य असुरक्षा की स्थिति का सामना करते हैं।

क्या होती है खाद्य असुरक्षा?

खाद्य असुरक्षा का अभिप्राय पौष्टिक और पर्याप्त भोजन तक अनियमित पहुँच से होता है। खाद्य सुरक्षा को मुख्यत: दो भागों में विभाजित किया जा सकता है:

1. **मध्यम स्तरित खाद्य असुरक्षा (Moderate Food Insecurity):**

   मध्यम स्तरित खाद्य असुरक्षा का अभिप्राय उस स्थिति से होता है जिसमें लोगों को कभी-कभी खाद्य की अनियमित उपलब्धता का सामना करना पड़ता हैं और उन्हें भोजन की मात्रा एवं गुणवत्ता के साथ भी समझौता करना पड़ता हैं।

2. **गंभीर खाद्य असुरक्षा (Severe Food Insecurity):**

गंभीर खाद्य असुरक्षा का अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें लोग कई दिनों तक भोजन से वंचित रहते हैं और उन्हें पौष्टिक एवं पर्याप्त आहार उपलब्ध नहीं हो पाता है। लंबे समय तक यथावत बने रहने पर यह स्थिति भूख की समस्या का रूप धारण कर लेती है।

कांगो में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization-WHO) ने कांगो में दो मिलियन लोगों के घातक इबोला वायरस से ग्रसित होने पर इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- दूसरे सबसे घातक इबोला वायरस प्रकोप के कारण अगस्त 2018 से अभी तक 1,600 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है।
- अत्यधिक घनी आबादी वाले क्षेत्रों में इस प्रकोप के प्रमुख कारक हैं-
  - संक्रमण का नियंत्रण और रोकथाम की कमज़ोर स्थिति
  - राजनीतिक परिस्थितियाँ
  - समुदायों में व्याप्त विमुखता (Reluctance)
  - अस्थिर सुरक्षा स्थितियाँ
- वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा में अक्सर वैश्विक स्तर पर सभी राष्ट्रों का ध्यान आकर्षित होता है एवं उनका सहयोग भी मिलता है।
- WHO की रिपोर्ट के अनुसार, इस तरह का आपातकाल पाँचवी बार लागू हुआ है। इससे पहले जो आपातकाल लागू किये गए उनमें पश्चिम अफ्रीका में इबोला वायरस, अमेरिका में ज़ीका वायरस के प्रकोप, स्वाइन फ्लू, पोलियो उन्मूलन शामिल थे।
- WHO वैश्विक आपातकाल को एक "असाधारण घटना" के रूप में परिभाषित करता है जो अन्य देशों के लिये एक जोखिम की स्थिति होती है और इससे निपटने हेतु एक समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है।
- जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी लॉ सेंटर (Georgetown University Law Center) के विशेषज्ञों के अनुसार, इबोला के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने की मांग बहुत पहले से की जा रही थी। इस घोषणा से प्रभावित क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर हर संभव सहायता मिलेगी।
- साथ ही विशेषज्ञों के अनुसार यदि कोई भी देश प्रभावित क्षेत्र की यात्रा एवं व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है तो इससे प्रभावित क्षेत्र में वस्तुओं एवं स्वास्थ्यकर्मियों का प्रवाह बाधित हो सकता है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव वहाँ की जनता और स्वास्थ्य सुविधाओं पर पड़ता है।
- इस तरह के प्रतिबंधों के डर से भविष्य में जिस भी क्षेत्र में इस तरह के आपातकाल की घोषणा की जाएगी उसे एक दंड के रूप में देखा जाएगा। इसके परिणामस्वरुप कोई भी देश किसी प्रकार की महामारी से पीड़ित की स्थिति में भी संबंधित जानकारी को उजागर नहीं करेगा, जो न केवल महामारी के प्रसार और जोखिम की स्थिति में वृद्धि करेगा बल्कि इससे जान-माल की क्षति का भारी क्षति एवं अन्य देशों में उसके प्रसार का खतरा भी बढ़ जाएगा।
- इबोला वायरस के लिये गठित आपातकालीन समिति ने अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (2005) (International Health Regulations-IHR) के अंतर्गत WHO के महानिदेशक को औपचारिक अस्थायी सिफारिशें जारी करने का सुझाव दिया जो निम्नलिखित हैं:

प्रभावित देशों के लिये सिफारिश

- निरंतर सामुदायिक जागरूकता, सहभागिता और भागीदारी को मज़बूत बनाते हुए ऐसे क्षेत्र जहाँ जोखिम की संभावना बहुत अधिक है एवं ऐसे सांस्कृतिक मानदंडों एवं विश्वासों की पहचान करना जो सामुदायिक भागीदारी को बाधित करते हैं।
- सीमा पार स्क्रीनिंग और मुख्य आंतरिक सड़कों पर भी लगातार स्क्रीनिंग जारी रखी जाए। साथ ही दोनों निगरानी टीमों के बीच सूचना के बेहतर आदान-प्रदान की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिये।

- संयुक्त राष्ट्र और उसके सहयोगियों के साथ समन्वय स्थापित कर सुरक्षा जोखिमों को कम करना, एक सक्षम वातावरण बनाना जिससे रोग-नियंत्रण के प्रयासों को तेज़ी से आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी।
- मज़बूत एवं प्रभावी निगरानी के माध्यम से सामुदायिक मौतों को कम करने और वायरस का पता लगाने एवं इस वायरस के आनुवांशिक अनुक्रमण (genetic sequencing) द्वारा बीमारी के फैलने की गतिशीलता को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिलेगी।
- WHO के रणनीतिक सलाहकार समूह द्वारा अनुशंसित इष्टतम वैक्सीन रणनीतियाँ जो इस वायरस के प्रकोप को कम करने में सहायक हैं को शीघ्रातिशीघ्र लागू करना।

पड़ोसी देशों के लिये

- जोखिम वाले देशों को अपने सहयोगियों के साथ मिलकर आयातित मामलों का पता लगाने और उनके प्रबंधन हेतु तैयारियों को बेहतर करने के लिये तात्कालिक रूप से काम करना चाहिये, जिसमें स्वास्थ्य सुविधाओं को उन्नत बनाना एवं बिना रिपोर्टिंग के सक्रिय निगरानी जैसे पक्ष शामिल है।
- विशेष रूप से प्रभावित क्षेत्र में प्रवेश के बिंदुओं पर जोखिम संबंधी संचार और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

सभी देशों के लिये

- राष्ट्रीय अधिकारियों को सभी एयरलाइनों और अन्य परिवहन एवं पर्यटन उद्योगों के साथ मिलकर काम करना चाहिये ताकि यह सुनिश्चित किया जा सकें कि अंतर्राष्ट्रीय यातायात पर WHO के दिशा-निर्देशों का सही से पालन हो।

इबोला वायरस रोग क्या है?

- इबोला वायरस एक फाइलोवायरस है, जिसकी पाँच भिन्न-भिन्न प्रजातियाँ हैं। मौजूदा प्रकोप में जिस विशेष वायरस को अलग किया गया है वह जायर इबोला वायरस है।
- इबोला वायरस रोग एक गंभीर और जानलेवा बीमारी है जिससे पीड़ित लोगों में 90% तक लोगों की मृत्यु हो जाती है।
- अफ्रीका में फ्रूट बैट चमगादड़ इबोला वायरस के वाहक हैं जिनसे पशु (चिम्पांजी, गोरिल्ला, बंदर, वन्य मृग) संक्रमित होते हैं। मनुष्यों को या तो संक्रमित पशुओं से या संक्रमित मनुष्यों से संक्रमण होता है, जब वे संक्रमित शारीरिक द्रव्यों या शारीरिक स्रावों के निकट संपर्क में आते हैं। इसमें वायु जनित संक्रमण नहीं होता है।
- मौज़ूदा प्रकोप के दौरान अधिकांश रोग मानव से मानव को होने वाले संक्रमण से फैला है। इबोला वायरस के संक्रमण होने तथा रोग के लक्षण प्रकट होने के बीच की अवधि 2-21 दिन होती है जिसके दौरान प्रभावित व्यक्तियों से संक्रमण होने का खतरा नहीं रहता है।

लक्षण

- बुखार (Fever)
- थकान (Fatigue)
- मांसपेशियों में दर्द (Muscle pain)
- सिरदर्द (Headache)
- गले में खराश (Sore throat)
- उल्टी दस्त (Vomiting Diarrhoea)
- आंतरिक और बाहरी रक्तस्राव (internal and external bleeding)
- वृक्क एवं यकृत का ठीक प्रकार कार्य न करना, आदि।

निदान:

इबोला को मलेरिया, टाइफाइड और मेनिन्जाइटिस जैसे अन्य संक्रामक रोगों से अलग करना मुश्किल होता है, लेकिन इबोला वायरस के संक्रमण की पहचान निम्नलिखित नैदानिक विधियों का उपयोग करके की जा सकती हैं:

- एलिसा (ELISA-Antibody-capture enzyme-linked immunosorbent assay)
- एंटीजन-कैप्चर डिटेक्शन टेस्ट (Antigen-capture detection tests)

- सीरम न्यूट्रीलाईजेसन टेस्ट (Serum neutralization test)
- रिवर्स ट्रांसक्रिपटेस पोलीमरेज़ चेन रिएक्शन (RT-PCR) एस्से (Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) Assay)
- इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी (Electron microscopy)
- वायरस आइसोलेशन बाई सेल कल्चर (Virus isolation by cell culture)

फिल्म व टेलीविज़न उद्योग में श्रम नियमों का उल्लंघन

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय श्रम और रोज़गार मंत्रालय ने फिल्म और टेलीविज़न उद्योग में हो रहे बाल श्रम नियमों के उल्लंघन पर चिंता ज़ाहिर की है।

मुख्य बिंदु:

- हाल ही में श्रम और रोज़गार मंत्रालय ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को एक पत्र लिखा, जिसमें बाल तथा किशोर श्रम (रोकथाम और नियमन) कानून, 1986 के उल्लंघन की बात कही गई।
- मंत्रालय द्वारा यह मांग की गई थी कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस उद्योग में बाल श्रम नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।
- श्रम मंत्रालय से जुड़े एक अधिकारी के अनुसार, जल्द ही सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस संदर्भ में सभी निर्माताओं एवं प्रसारकों को एक सूचना जारी करेगा।
- बाल एवं किशोर श्रम (रोकथाम और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2017 के अनुसार, बाल कलाकारों से एक दिन में 5 घंटे से अधिक कार्य नहीं कराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सभी बाल कलाकारों से बिना ब्रेक लिये लगातार 3 घंटे से अधिक कार्य नहीं करवाया जा सकता है।
- **इस संदर्भ में अन्य प्रावधान:**
  - नियम के अनुसार, किसी भी बाल कलाकार से कार्य कराने के लिये ज़िलाधिकारी (डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट) की अनुमति आवश्यक है।
  - बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये एक व्यक्ति (अधिकतम पाँच बच्चों पर) की तैनाती भी आवश्यक है।
  - कोई भी बाल कलाकार कार्य करने के लिये 27 दिनों से अधिक स्कूल से छुट्टी नहीं ले सकता है।
  - इसके अतिरिक्त नियमानुसार, सभी बच्चों की कुल आय का 20 प्रतिशत हिस्सा सावधि जमा के रूप में रखा जाना आवश्यक है।
- यदि कोई भी बच्चा फिल्म में शामिल होता है तो फिल्म निर्माताओं के लिये यह सूचना प्रसारित करना आवश्यक है कि 'फिल्म में यह सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास किया गया है कि बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार तथा शोषण न हो'।

निष्कर्ष:

फिल्म और टेलीविज़न उद्योग में हो रहा नियमों का उल्लंघन प्रशासन के समक्ष काफी चिंताजनक विषय है और इस पर ध्यान दिया जाना भी आवश्यक है। हमें न केवल इस संदर्भ में नए और सख्त नियमों का निर्माण करना होगा बल्कि यह भी सुनिश्चित करना होगा कि पूर्व में निर्मित नियमों का सख़्ती से पालन हो।

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राज्यसभा ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019 (Amendments in the Protection of Children from Sexual Offences-POCSO) को मंज़ूरी प्रदान की है।

प्रमुख बिंदु

- यह विधेयक यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 में संशोधन करता है। यह अधिनियम यौन शोषण, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से बच्चों के संरक्षण का प्रयास करता है।
- इस विधेयक का उद्देश्य बाल यौन शोषण के बढ़ते मामलों की जाँच कर उचित एवं कड़ी सज़ा की व्यवस्था करना है।

POCSO अधिनियम, 2012

- POCSO, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम (Protection of Children from Sexual Offences Act– POCSO) का संक्षिप्त नाम है।
- POCSO अधिनियम, 2012 को बच्चों के हित और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए बच्चों को यौन अपराध, यौन उत्पीड़न तथा पोर्नोग्राफी से संरक्षण प्रदान करने के लिये लागू किया गया था।
- इस अधिनियम में 'बालक' को 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है और बच्चे का शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक एवं सामाजिक विकास सुनिश्चित करने के लिये हर चरण को ज़्यादा महत्त्व देते हुए बच्चे के श्रेष्ठ हितों तथा कल्याण का सम्मान करता है।
- इस अधिनियम की एक विशेषता यह है कि इसमें लैंगिक भेदभाव (Gender Discrimination) नहीं किया गया है।

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019

- **पेनेट्रेटिव यौन हमला (Penetrative sexual assault):**
  - ऐसे अपराधों के लिये सात वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। विधेयक में सात से दस वर्ष तक की न्यूनतम सज़ा की व्यवस्था की गई है।
  - यदि कोई व्यक्ति 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे पर पेनेट्रेटिव यौन हमला करता है तो उसे 20 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सज़ा और जुर्माना भरना पड़ सकता है।
- **गंभीर पेनेट्रेटिव यौन हमला (Aggravated penetrative sexual assault):**
  - इसमें ऐसे मामले शामिल हैं जब पुलिस अधिकारी, सशस्त्र सेनाओं के सदस्य, या पब्लिक सर्वेंट बच्चे पर पेनेट्रेटिव यौन हमला करें।
  - विधेयक गंभीर पेनेट्रेटिव यौन हमले की परिभाषा में दो आधार और जोड़ता है। इनमें (i) हमले के कारण बच्चे की मौत, और (ii) प्राकृतिक आपदा के दौरान किया गया हमला शामिल है।
  - वर्तमान में गंभीर पेनेट्रेटिव यौन हमले में 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सज़ा है और जुर्माने का प्रावधान है। विधेयक न्यूनतम सज़ा को दस वर्ष से 20 वर्ष और अधिकतम सज़ा को मृत्यु दंड करने का प्रावधान करता है।
- **गंभीर यौन हमला (Aggravated sexual assault):**
  - विधेयक में गंभीर यौन हमले में दो स्थितियों को और शामिल किया गया है। इनमें (i) प्राकृतिक आपदा के दौरान किया गया हमला, और (ii) जल्दी यौन परिपक्वता लाने के लिये बच्चे को हारमोन या कोई दूसरा रासायनिक पदार्थ देना या दिलवाना शामिल है।
- **पोर्नोग्राफिक सामग्री का स्टोरेज (Storage of pornographic material):**
  - विधेयक के अनुसार इस अपराध के लिये तीन से पाँच वर्ष तक की सज़ा या जुर्माना भरना पड़ सकता है या दोनों भुगतने पड़ सकते हैं।
  - इसके अतिरिक्त विधेयक में बच्चों से संबंधित पोर्नोग्राफिक सामग्री के स्टोरेज से जुड़े दो और अपराधों को जोड़ा गया है। इनमें (i) बच्चों से संबंधित पोर्नोग्राफिक सामग्री को नष्ट, डिलीट या रिपोर्ट करने में असफलता, और (ii) ऐसी किसी सामग्री को ट्रांसमिट, प्रचारित या प्रबंधित करना (ऐसा सिर्फ अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करने के उद्देश्य से किया जा सकता है) शामिल है।

मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019

चर्चा में क्यों?

लोक सभा ने एक बार फिर मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019 (Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2019) पारित कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

1. इस विधेयक में तीन तलाक को गैर-ज़मानती अपराध घोषित करते हुए पुरुषों के लिये तीन साल की जेल का प्रावधान किया गया है।
2. यह कानून महिला सशक्तीकरण से संबंधित है।
3. उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान और मलेशिया सहित दुनिया के 20 मुस्लिम देशों ने तीन तलाक पर प्रतिबंध लगा दिया है।

- मजिस्ट्रेट को पीड़िता का पक्ष सुनने के बाद सुलह कराने और ज़मानत देने का अधिकार होगा।
- मुकदमे से पहले पीड़िता का पक्ष सुनकर मजिस्ट्रेट आरोपी को ज़मानत दे सकता है।
- पीड़िता, उसके रक्त संबंधी और विवाह के बाद बने उसके संबंधी ही पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करा सकते हैं।
- पति-पत्नी के बीच यदि किसी प्रकार का आपसी समझौता होता है तो पीड़िता अपने पति के खिलाफ दायर किया गया मामला वापस ले सकती है।
- मजिस्ट्रेट को पति-पत्नी के बीच समझौता कराकर विवाह बरकरार रखने का अधिकार होगा।
- तीन तलाक की पीड़ित महिला मजिस्ट्रेट द्वारा तय किये गए मुआवज़े की भी हकदार होगी।
- इस विधेयक की धारा 3 के अनुसार, लिखित या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विधि से एक साथ तीन तलाक कहना अवैध तथा गैर-कानूनी होगा।

पृष्ठभूमि

- भारत के मुस्लिम समाज में प्रचलित तीन तलाक की प्रथा पति को एक बार में एक साथ तीन बार तलाक बोलकर पत्नी से निकाह खत्म करने का अधिकार देती है।
- तीन तलाक पीड़ित पाँच महिलाओं ने 2016 में सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी।
- तीन तलाक की सुनवाई के लिये 5 सदस्यीय विशेष बेंच का गठन किया गया।
- सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार ने लैंगिक समानता और धर्मनिरपेक्षता के आधार पर तीन तलाक का विरोध किया।
- सर्वोच्च न्यायालय ने अगस्त 2017 में फैसला सुनाते हुए तीन तलाक को असंवैधानिक और कुरान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ बताया। 5 जजों की पीठ ने 2 के मुकाबले 3 मतों से यह फैसला दिया।
- सर्वोच्च न्यायालय ने इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन बताया, जो सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है।
- शीर्ष अदालत ने सरकार से इस संबंध में कानून बनाने के लिये कहा। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद केंद्र सरकार मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक लाई थी।
- यह विधेयक दिसंबर 2017 में लोकसभा में पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में अटक गया।
- इसके बाद सितंबर 2018 में सरकार ने तीन तलाक को प्रतिबंधित करने के लिये अध्यादेश जारी किया।
- इस अध्यादेश में तीन तलाक को अपराध घोषित करते हुए पति को तीन साल तक की जेल और जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया।

पॉक्सो मामलों के लिये विशेष अदालतें बनाई जाएं

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने 100 से अधिक लंबित POCSO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम-Protection of Children from Sexual Offences Act – POCSO) मामलों वाले ज़िलों में विशेष अदालतें स्थापित करने का आदेश दिया है।

प्रमुख बिंदु:

- भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने 60 दिनों के भीतर अदालतों को स्थापित करने का निर्देश दिया।
- अदालतें केंद्रीय योजना के तहत स्थापित होंगी और पूरी तरह से केंद्र द्वारा वित्त पोषित होंगी।
- सर्वोच्च न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को चार सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश बाल शोषण के मामलों में वृद्धि और अदालतों में लंबित मामलों को लेकर दायर जनहित याचिका पर दिया है।
- न्यायलय ने इंगित किया कि POCSO मामलों की जाँच और अभियोजन हेतु पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम (Protection of Children from Sexual Offences Act- POCSO), 2012

- POCSO यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम (Protection of Children from Sexual Offences Act) का संक्षिप्त नाम है।
- POCSO अधिनियम, 2012 को बच्चों के हित और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए बच्चों को यौन अपराध, यौन उत्पीड़न तथा पोर्नोग्राफी से संरक्षण प्रदान करने के लिये लागू किया गया था।
- यह अधिनियम 'बच्चे' को 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है तथा बच्चे का शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक एवं सामाजिक विकास सुनिश्चित करने के लिये हर चरण को ज़्यादा महत्त्व देते हुए बच्चे के श्रेष्ठ हितों तथा कल्याण की बात करता है।
- इस अधिनियम की एक विशेषता यह है कि इसमें लैंगिक भेदभाव (Gender Discrimination) नहीं किया गया है।

एड्स की वर्तमान वैश्विक स्थिति

चर्चा में क्यों?

UNAIDS में नए कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति की संभावना है, मई 2019 में मिशेल सिडिबे (Michel Sidibe) के जाने के बाद से इस पद पर अभी नियुक्ति नही हुई है।

संयुक्त राष्ट्र का एड्स पर कार्यक्रम United Nations Programme on HIV and AIDS-UNAIDS:

- संयुक्त राष्ट्र का एड्स पर कार्यक्रम UNAIDS वैश्विक स्तर पर कठिन चुनौतियों का सामना कर रहा है।
- UNAIDS वर्ष 1994 में अपनी स्थापना के बाद से एड्स के विरुद्ध विश्व जनमत को सफलतापूर्वक जुटाने में सक्षम रहा है। एड्स का प्रभावी उपचार न होने से अभी तक 20 मिलियन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है।
- एड्स उन्मूलन के प्रयासों में वर्ष 2001 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र का राजनीतिक प्रस्ताव बेहद महत्त्वपूर्ण था।
- एड्स, तपेदिक और मलेरिया से लड़ने के लिये वैश्विक कोष (Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria- GFATM) की स्थापना और सस्ती भारतीय औषधियों ने कई देशों में उपचार को आसान बना दिया।

एड्स की वर्तमान स्थिति:

- वर्तमान में जब वैश्विक स्तर पर UNAIDS को एड्स के उन्मूलन के लिये प्रतिबद्धता दिखाने की ज़रूरत है तो इसी समय इसकी सक्रियता में कमी आई है।
- पूर्वी यूरोप, मध्य एशिया और पश्चिम एशिया जैसे क्षेत्र इस समय एड्स की समाप्ति से संबंधित लक्ष्यों से काफी दूर हैं, वही रूस में ड्रग्स का इस्तेमाल होने से स्थिति ठीक नहीं है।
- अभी तक एड्स का इलाज एंटी रेट्रोवायरल (Anti Retroviral-ARV) थेरेपी के माध्यम से ही किया जा रहा है, लेकिन एड्स से ज़्यादातर निर्धन लोग ही प्रभावित होते हैं, जिनके लिये इस प्रकार के इलाज आसानी से सुलभ नही हो पाते हैं।

एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी (Antiretroviral Therapy):

- यह दैनिक रूप से ली जाने वाली दवाओं का एक संयोजन है जो वायरस के प्रसार को रोकते हैं।
- इस थेरेपी से CD-4 कोशिकाओं की रक्षा करने में मदद मिलती है जिससे रोग से लड़ने की प्रतिरक्षा क्षमता मज़बूत होती है।
- यह एचआईवी के संचरण के जोखिम को कम करने के अलावा, एड्स संक्रमण (एचआईवी के कारण संक्रमण की स्थिति) को बढ़ने से रोकने में भी मदद करता है।
- HIV का प्रसार मुख्यत: असुरक्षित यौन संबंधों और नशीली दवाओं का इस्तेमाल करने से होता है। राष्ट्रीय कार्यक्रमों में कंडोम का इस्तेमाल, यौन शिक्षा और नशीली दवाओं की रोकथाम संबंधी कार्यक्रमों का अभाव है।
- एड्स की रोकथाम के लिये काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों और समुदाय-आधारित संगठनों के पास धन की कमी है।

- राष्ट्रीय स्तर पर UNAIDS की कमान ऐसे लोगों के हाथों में है, जो पर्याप्त दक्ष नहीं हैं, जिसके कारण एड्स उन्मूलन के लिये रचनात्मक कदम उठाने में कठिनाई हो रही है।
- एड्स को लेकर सक्रियता के स्तर पर अफ्रीका के कई देशों ने बेहतर प्रदर्शन किया है।

नए कार्यकारी निदेशक के पास संगठन की विश्वसनीयता और प्रासंगिकता को बनाए रखने की ज़िम्मेदारी होगी। प्रत्येक वर्ष होने वाले 1.7 मिलियन नए संक्रमण और एक मिलियन मौतों के साथ वर्ष 2030 तक एड्स को समाप्त करने के महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये प्रतिबद्ध एवं दक्ष नेतृत्व की आवश्यकता होगी।

थायराइड के बढ़ते मामले

चर्चा में क्यों?

भारत में थायराइड के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक सार्वभौमिक थायरॉयड स्क्रीनिंग कार्यक्रम (Universal Thyroid Screening Programme) शुरू करने की बात की जा रही है।

प्रमुख बिंदु:

- इंडियन थायरॉइड सोसाइटी के अनुसार, भारत की कुल जनसंख्या में से 8% लोगों को मधुमेह और 10% लोगों को थायराइड की समस्या है।

थायराइड:

- थायराइड ग्रंथि, गर्दन के सामने वाले हिस्से में पाई जाती है।
- प्रत्येक 10वाँ वयस्क हाइपोथायरायडिज्म (Typothyroidism) रोग से ग्रसित है, इस रोग में थायराइड ग्रंथि पर्याप्त थायराइड हारमोंस का उत्पादन नहीं कर पाती है।
- थायराइड की वजह से महिलाओं में पॉलीसिस्टिक अंडाशय सिंड्रोम (Poly Cystic Ovary Syndrome) और बांझपन का अधिक खतरा रहता है।

पॉलीसिस्टिक अंडाशय सिंड्रोम (Poly Cystic Ovary Syndrome- PCOS):

- पॉलीसिस्टिक अंडाशय सिंड्रोम प्रजनन आयु की महिलाओं में एक हार्मोनल विकार है।
- PCOS के कारण महिलाओं में मासिक धर्म की निरंतरता प्रभावित होती है, साथ ही एंड्रोजन हार्मोन का स्तर भी कम या ज़्यादा हो सकता है।
- PCOS में नियमित रूप से अंडाणु भी नही विकसित हो पाते हैं।
- इंडियन थायरॉइड सोसाइटी और भारत के प्रसूति और स्त्री रोग संबंधी संघ (Federation of Obstetric and Gynaecological Societies of India-FOGSI) चिकित्सा समुदाय एवं लोगों में थायराइड संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिये एक उत्तरदायी संस्थान हैं।
- हाल ही में दोनों संस्थान, बहुराष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा प्रदाता कंपनी एबट (Abbott) के साथ मिलकर मेकिंग इंडिया थायराइड (Making India Thyroid) की शुरुआत कर रहे हैं। इस अभियान का उद्देश्य एबट (Abbott) द्वारा थायराइड के लिये बनाई गई दवा थायरोनोर्म (Thyronorm) को बढ़ावा देना है।
- भारत में व्यक्तिगत, पेशेवर और घरेलू तनावों के कारण थायराइड के मामलों में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। थायराइड पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को अधिक प्रभावित करता है; इसी लिये जागरूकता अभियान में महिलाओं को विशेष रूप से जागरूक करने का प्रयास किया गया है।

थायराइड और मधुमेह:

- किसी व्यक्ति को थायरॉयड और मधुमेह दोनों रोग हो सकता है।
- मेटाबॉलिक सिंड्रोम (Metabolic Syndrome), इंसुलिन प्रतिरोध (Insulin Resistance), टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज आदि, थायराइड के जोखिम को दोगुना कर देते हैं। साथ ही थायरॉइड भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम और टाइप 2 डायबिटीज की प्रभावित को बढ़ाती है।
- अधिक वज़न या मोटापे से ग्रस्त लोगों में इस प्रकार के रोगों के पाए जाने की संभावना सामान्य लोगों की अपेक्षा ज़्यादा होती है।

प्रोजेक्ट सहारा

चर्चा में क्यों?

अहमदाबाद ज़िला प्रशासन द्वारा शुरू की गई पहल 'प्रोजेक्ट सहारा' (Project sahara) से प्रसवोत्तर रक्तस्राव (Postpartum Haemorrhage-PPH) के कारण मातृ मृत्यु को कम करने में मदद मिली है।

प्रमुख बिंदु

- इस परियोजना के तहत ज़िले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को नॉन-न्यूमेटिक एंटी-शॉक गारमेंट (Non-Pneumatic Anti-Shock garment: NASG) उपलब्ध कराए गए हैं।
- NASG प्रसवोत्तर रक्तस्राव (PPH) के कारण होने वाली रक्त की कमी को नियंत्रित करता है। इस प्रकार NASG के माध्यम से मातृ मृत्यु को कम करने में मदद मिली है।

- प्रसवोत्तर रक्तस्राव (Postpartum Haemorrhage-PPH) का तात्पर्य निरंतर और अत्यधिक रक्तस्राव से है। PPH की वजह से अत्यधिक रक्तस्राव होने से शरीर का रक्तचाप कम हो जाता है और यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है।"
- प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर होने वाली मातृ मृत्यु की संख्या को मातृ मृत्यु दर कहते हैं। यह दुनिया के सभी देशों में प्रसव के पूर्व या उसके दौरान या बाद में माताओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार के प्रयासों के लिये एक प्रमुख प्रदर्शन संकेतक है।"
- NASG शरीर के निचले हिस्से और पेट पर दबाव बनाता है, जिससे शरीर के अन्य आवश्यक अंगों से पेडू या श्रोणि क्षेत्र में रक्त जमा हो जाता है। इस प्रकार, NASG रोगी की स्थिति को कुछ समय के लिये स्थिर कर देता है और डॉक्टरों को इलाज के लिये पर्याप्त समय मिल जाता है।

पृष्ठभूमि

- NASG गुजरात के अहमदाबाद ज़िले के ज़िला विकास अधिकारी (अरुण महेश बाबू) द्वारा शुरू की गई 'सहारा' नामक एक स्थानीय पहल का हिस्सा है। इस पहल की शुरुआत नवंबर 2018 में की गई थी।
- इस पहल की शुरुआत से पहले जनवरी और नवंबर 2018 के बीच PPH की वज़ह से ज़िले में 8 मातृ मृत्यु हुई थीं, परंतु इस पहल के शुरू होने के बाद से PPH के कारण एक भी मृत्यु की घटना सामने नहीं आई।
  - यहाँ एक पहलू यह भी है कि सही पोषण न मिलने की वज़ह से अहमदाबाद ज़िले में बहुत-सी माताएँ एनीमिया की शिकार थीं।
  - इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसव की पर्याप्त सुविधा न होने और अस्पतालों के दूर अवस्थित होने के कारण महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसका प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है। आँकड़ों से पता चला कि राज्य में लगभग 30% मातृ मृत्यु PPH की वजह से हुईं और ये मुख्य रूप से प्रसव के बाद प्रथम 4 से 24 घंटों के भीतर हुईं।

वर्तमान स्थिति

- आज अहमदाबाद में 40 PHCs (प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर) में प्रत्येक में एक NASG सूट मौजूद है, प्रत्येक सूट को 140 बार उपयोग किया जा सकता है और सरकार ने भी जननी शिशु सुरक्षा कार्यकम (JSSK) के तहत प्रति सूट 14,500 रुपए खर्च किये हैं।
- वर्ष 2016-17 के नमूना पंजीकरण प्रणाली (Sample Registration System) परिणामों के अनुसार, गुजरात का IMR (प्रति 1,000 जीवित जन्म) 30 था और MMR (प्रति 100,000 जीवित जन्म) 91 था जो कि राष्ट्रीय औसत से बेहतर था, हालाँकि यह एक अधिक समृद्ध राज्य के लिये अपेक्षाकृत काफी अधिक था।

"संयुक्त राष्ट्र का सतत् विकास लक्ष्य (SDG 3.1) वर्ष 2030 तक MMR को प्रति 100,000 जीवित जन्म पर 70 से कम करने की बात करता है।"

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम- (JSSK)

- नवजात शिशुओं को स्वास्थ्य की सुविधाएँ न मिलने के कारण मृत्यु की समस्या का निवारण करने के लिये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने (जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम) 1 जून, 2011 को गर्भवती महिलाओं तथा रूग्ण नवजात शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करने के लिये शुरू किया था।

- सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने योजना का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है।
- इस योजना के अंतर्गत मुफ्त सेवा प्रदान करने पर बल दिया गया है। इसमें गर्भवती महिलाओं तथा रूग्ण नवजात शिशुओं को खर्चों से मुक्त रखा गया है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (The National Commission of Minorities-NCM) ने उन राज्यों में हिंदुओं को 'अल्पसंख्यक समुदाय' घोषित करने की याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया है, जहाँ उनकी संख्या बहुत कम है।

प्रमुख बिंदु:

- NCM का यह निर्णय एक वकील द्वारा दायर याचिका के संदर्भ में आया है। दायर याचिका में यह कहा गया था कि या तो राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान करने के लिये कुछ दिशा-निर्देश निश्चित किये जाएँ या फिर उन राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए जहाँ उनकी संख्या काफी कम हैं।
- NCM द्वारा इस संदर्भ में तीन सदस्यों (जॉर्ज कुरियन, मनजीत सिंह राय और आतिफ रशीद) की एक उप-समिति का गठन किया गया था।
- NCM द्वारा गठित उप-समिति के अनुसार, अल्पसंख्यक आयोग का कार्य नए अल्पसंख्यक समुदायों का निर्धारण करना नहीं है, बल्कि इसका कार्य अल्पसंख्यकों के विकास को सुनिश्चित करना और उनके धार्मिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करना है।
- उप-समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि नए अल्पसंख्यक समुदायों के निर्धारण का अधिकार अल्पसंख्यक आयोग के पास नहीं है और इसलिये NCM इसका प्रयोग नहीं कर सकती है। ज्ञातव्य है कि केवल केंद्र सरकार के पास ही किसी भी समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय घोषित करने का अधिकार है।
- इसके अतिरिक्त वर्ष 1992 के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम की धारा 2(c) में भी यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी समुदाय को 'अल्पसंख्यक' घोषित करने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है।
- उप-समिति की रिपोर्ट में वर्ष 1999 के बाल पाटिल बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का भी हवाला दिया गया है, जिसमें NCM के कार्यों की विस्तृत व्याख्या की गई थी।

क्या था सर्वोच्च न्यायालय का फैसला?

- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गए फैसले के अनुसार, अल्पसंख्यक आयोग का संवैधानिक लक्ष्य "ऐसी सामाजिक परिस्थितियों का निर्माण करना है जिसमें अल्पसंख्यकों के हितों एवं अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता नहीं होती।"
- न्यायालय के अनुसार, यदि अल्पसंख्यक का दर्जा धार्मिक विचारों और कम संख्यात्मक शक्ति के आधार पर दिया जाएगा तो देश के सभी छोटे बड़े समूहों के मध्य सामूहिक संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा और सभी एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लग जाएँगे।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (The National Commission of Minorities-NCM)

- अल्पसंख्यक आयोग एक सांविधिक निकाय है।
- इसकी स्थापना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत की गई थी।
- अधिनियम के अनुसार, किसी भी मामले की जाँच करते समय आयोग के पास दीवानी अदालत के अधिकार होंगे।
- आयोग में केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत एक अध्यक्ष के साथ-साथ पाँच अन्य सदस्य शामिल होते हैं। अध्यक्ष तथा सदस्यों के संदर्भ में यह आवश्यक है कि वे सभी अल्पसंख्यक समुदाय से हों।
- **प्रमुख कार्य:**
  - अल्पसंख्यकों की प्रगति का मूल्यांकन करना।
  - अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिये केंद्र व राज्य सरकार को प्रभावी उपायों की सिफारिश करना।

विश्व के बच्चों में कैंसर की स्थिति

चर्चा में क्यों?

एक हालिया अध्ययन में यह सामने आया है कि वैश्विक स्तर पर बच्चों में होने वाले कैंसर के 82 प्रतिशत मामले गरीब देशों में सामने आते हैं।

प्रमुख बिंदु:

- लांसेट/लैंसेट जर्नल के हाल के एक अध्ययन के अनुसार, वैश्विक स्तर पर प्रत्येक दिन तकरीबन 700 बच्चों के कैंसर से पीड़ित होने की जानकारी मिलती है।
- हालाँकि वर्ष 2017 में बच्चों और किशोरों (0-19 वर्ष) में वैश्विक स्तर पर कैंसर के लगभग 4,16,500 नए मामले ही सामने आए। लेकिन खराब स्वास्थ्य, विकलांगता और घातक कैंसर से संबंधित इलाज के चलते वैश्विक स्तर पर अनुमानत: प्रत्येक वर्ष 11.5 मिलियन बच्चों की मृत्यु हो जाती है।
- संपन्न देशों की अपेक्षा गरीब देशों के बच्चों में कैंसर से मृत्यु की संभावना 4 गुना अधिक होती है।
- कारणों की व्याख्या करते हुए अध्ययन में कहा गया है कि निदान/डायग्नोसिस तथा स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच में कमी कई गरीब देशों में कम उम्र में होने वाले कैंसर के प्रमुख कारण हैं।

भारत के संदर्भ में

- अध्ययन के अनुसार, भारत में 5 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की मृत्यु के लिये कैंसर 9वाँ सबसे बड़ा कारण है। भारत में कैंसर के कुल पीड़ितों में से तकरीबन 5 प्रतिशत बच्चे हैं।
- हालाँकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मुंबई का टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल और दिल्ली का एम्स (AIIMS) आदि भारत के कुछ ऐसे स्वास्थ्य संस्थान हैं जहाँ कैंसर से प्रभावित लोगों के जीवित रहने की दर लगभग पश्चिम देशों के बराबर हैं।
- इसके अतिरिक्त भारतीय बच्चों में होने वाले कैंसर की दर भी पश्चिमी देशों की तुलना में कम है। जहाँ एक ओर भारत में प्रति 1,00,000 बच्चों में से मात्र 80-90 बच्चे ही कैंसर से पीड़ित हैं वहीं दूसरी ओर अमेरिका और यूरोप में यह आँकड़ा 160 के आस-पास है।
- टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के विशेषज्ञों के अनुसार, बच्चों में कैंसर के मामले में भारत विश्व में 5वें स्थान पर है और दुनिया भर के कैंसर से प्रभावित कुल बच्चों में से 20 प्रतिशत भारत में हैं।

कैंसर (CANCER) क्या है?

- कैंसर से अभिप्राय शरीर के भीतर कुछ कोशिकाओं का अनियंत्रित होकर बढ़ना है।
- अनुपचारित कैंसर आसपास के सामान्य ऊतकों या शरीर के अन्य हिस्सों में फैल सकता है तथा इसके कारण बहुत से गंभीर रोग, विकलांगता यहाँ तक की मृत्यु भी हो सकती है।
- मूलत: कैंसर को प्राथमिक ट्यूमर कहा जाता है।
- शरीर के दूसरे हिस्से में फैले कैंसर को मेटास्टैटिक या माध्यमिक कैंसर कहा जाता है।
- मेटास्टैटिक कैंसर में प्राथमिक कैंसर के समान ही कैंसर कोशिकाएँ पाई जाती हैं।
- आमतौर पर मेटास्टैटिक कैंसर शब्द का प्रयोग ठोस ट्यूमर का वर्णन करने के लिये किया जाता है जो शरीर के दूसरे हिस्सों में फैलता है।

सुगम्य चुनाव

चर्चा में क्यों?

लोकसभा चुनावों को सभी के लिये समावेशी एवं प्रतिभागी बनाने के उद्देश्य से विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India- ECI) ने एक नई पहल 'सुगम्य चुनाव' को लोकसभा चुनाव 2019 से शुरू किया है।

प्रमुख बिंदु

- वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिव्यांगजनों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया गया था। 910 मिलियन मतदाताओं में से लगभग 62,63,701 पंजीकृत दिव्यांगजन मतदाता थे।
- चुनाव के दौरान दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं का सभी मतदान केंद्रों पर अवलोकन किया गया ताकि चुनाव के लिये उन्हें लक्षित एवं आवश्यकता आधारित सहायता उपलब्ध कराई जा सके।
- चुनाव के दौरान सभी मतदान केंद्रों पर व्हील चेयरों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की गई, साथ ही यह भी निश्चित किया गया कि सभी मतदान केंद्रों में दिव्यांगजन मतदाताओं के लिये मज़बूत रैम्प की व्यवस्था हो।
- लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान सभी मतदान केंद्रों में एक संकेत भाषा विशेषज्ञ, पहचानसूचक एवं परिवहन सुविधा की व्यवस्था भी की गई थी।

दिव्यांगजनों की पंजीकरण प्रक्रिया

- नामांकन प्रक्रिया के दौरान दिव्यांगजनों की सुविधा के लिये हर दरवाज़े पर पंजीकरण मुहिम चलाई गई।
- सुगम पंजीकरण के लिये आयोग द्वारा एक विशेष मोबाइल एप्लीकेशन का भी निर्माण किया गया। चुनाव के दिन दिव्यांगजन मतदाताओं को लाने-ले जाने के लिये व्हील चेयरों एवं इस एप के ज़रिये विशेष स्वयंसेवकों की भी व्यवस्था की गई।
- चुनाव से जुड़े कर्मचारियों को दिव्यांगजनों की विशिष्ट ज़रूरतों के बारे में संवेदनशील बनाने पर विशेष ज़ोर दिया गया।
- सुगम सरल एवं सुविधाजनक मतदान अनुभव के लिये बुज़ुर्गों एवं दिव्यांगजन मतदाताओं को मतदान केंद्र में प्राथमिकता के आधार पर सुविधा प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त उन्हें विशेष कार्यकर्त्ताओं की भी सुविधा प्रदान की गई, जिन्होंने उनकी मतदान केंद्रों में सहायता की एवं मार्ग निर्देशन किया।

ब्रेल संकेतक

- सभी को सुविधा प्रदान करने के क्षेत्र में इस चुनाव के दौरान कई चीजें पहली बार की गई:
  - दृष्टिबाधित मतदाताओं की सहायता के लिये चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एवं मतदाता फोटो पहचान पत्र पर ब्रेल संकेतक का उपयोग किया गया।
  - मतदाताओं के स्लिप, मतदाता निर्देशिका जैसे अन्य दस्तावेज़ों पर भी ब्रेल संकेतक थे।
  - सुगम्यता पर्यवेक्षकों की व्यवस्था की गई जिन्होंने यह सुनिश्चित किया कि सभी मतदान केंद्र दिव्यांगजनों के लिये सुगम हों।

अन्य सुविधाएँ

- मतदाताओं की सुविधा एवं सुगमता के लिये मतदान केंद्रों पर पीने के स्वच्छ पानी, कतार में खड़े मतदाताओं के लिये पर्याप्त फर्नीचर, शेड, एवं शौचालयों की व्यवस्था की गई।
- मूलभूत आपूर्तियों के साथ चिकित्सा सहायता जैसी सुविधाएँ भी मतदान के दिन उपलब्ध कराई गईं। मतदाताओं के साथ आने वाले बच्चों के लिये एक प्रशिक्षित सहायिका के साथ क्रेच की भी समुचित व्यवस्था थी।

राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEO) की विशेष पहल

- राष्ट्रव्यापी पहलों के अतिरिक्त राज्यों ने भी अभिनव प्रयोग किये एवं सुगम्यता की भावना को बढ़ाया। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में दिव्यांग सारथी एवं दिव्यांग डोली की पहल शुरू की गई जिससे कि दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों को सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।
- दिल्ली में अधिकारियों ने निम्न दृष्टि वाले मतदाताओं की सुविधा के लिये प्रत्येक मतदान केंद्र पर मैगनीफाइन शीट उपलब्ध कराने की पहल की।
- दिल्ली CEO कार्यालय ने शतायू मतदाताओं का सम्मान किया और लोकतंत्र में मतदाताओं के योगदान का सम्मान करते हुए मतदान के दिन उन्हें विशिष्ट सेवाएँ उपलब्ध कराई गई।

लक्ष्य कार्यक्रम

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के 'लक्ष्य कार्यक्रम' (Labour room Quality Improvement Initiative-LaQshya) का उद्देश्य प्रसूति गृह और प्रसूति शल्य चिकित्सा कक्ष देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करना है।

लक्ष्य: इस कार्यक्रम से मातृ एवं नवजात अस्वस्थता तथा मृत्यु दर में कमी आएगी, प्रसूति के दौरान एवं उसके बाद की देखभाल की गुणवत्ता में सुधार होगा और सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में सभी गर्भवती महिलाओं को सम्मानपूर्ण मातृत्व देखभाल की सुविधा प्राप्त होगी।

उद्देश्य:

- मातृ और नवजात मृत्यु दर और अस्वस्थता को कम करना।
- प्रसूति तथा इसके तुरंत बाद की अवधि में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार, जटिलताओं को संभालना और समय पर रेफरल सुनिश्चित करना तथा एक प्रभावी दो-तरफ़ा अनुवर्ती प्रणाली को सक्षम बनाना।
- सभी गर्भवती महिलाओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में सम्माननीय मातृत्व देखभाल की सुविधा प्रदान करना।

रणनीतियाँ

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी 'प्रसूति कक्ष मानक दिशा-निर्देश' तथा 'मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य टूलकिट' के अनुसार प्रसूति गृह और प्रसूति शल्य चिकित्सा कक्ष विन्यास और कार्यप्रवाह को पुनर्गठित/संरेखित किया गया है।
- यह सुनिश्चित करना, कि जीवन संरक्षण में महत्त्वपूर्ण देखभाल की आवश्यकता वाले जटिल गर्भधारण प्रबंधन के लिये राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार कम-से-कम सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों और अधिक मामलों के भार वाले ज़िला अस्पतालों में समर्पित प्रसूति एचडीयू (उच्च निर्भरता इकाइयाँ) संचालित की गई हैं।
- बड़े केंद्रों को भेजने से पहले प्रबंधन और जटिलताओं को सँभालते हुए नैदानिक प्रोटोकॉल का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित करना।

इंटरनेट साथी

गूगल इंडिया (Google India) और टाटा ट्रस्ट (Tata Trusts) ने पंजाब और ओडिशा के गाँवों में इंटरनेट साथी (Internet Saathi) पहल का विस्तार किया है।

- इंटरनेट साथी कार्यक्रम वर्ष 2015 में शुरू किया गया था।
- इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत में महिलाओं के बीच डिज़िटल साक्षरता की सुविधा प्रदान करना है।
- कार्यान्वयन: गाँवों की महिलाओं को इंटरनेट का उपयोग करने के लिये प्रशिक्षित किया जाता है और उन्हें डेटा-सक्षम उपकरणों से सुसज्जित किया जाता है।
- इन महिलाओं को इंटरनेट साथीज़ के रूप में जाना जाता है ये ट्रेनर के रूप में काम करती हैं, ताकि उनके गाँव की अन्य महिलाओं को इंटरनेट इस्तेमाल करने में मदद मिल सके और वे इससे लाभान्वित हो सकें।
- कवरेज क्षेत्र: राजस्थान में पायलट के रूप में शुरू किये गए कार्यक्रम का विस्तार गुजरात, झारखंड, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटक उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्यों तक किया गया है।
  - पंजाब और ओडिशा जल्द ही इस सूची में जुड़ जाएंगे।
- कार्यक्रम की प्रगति: इसने अब तक लगभग 70,000 इंटरनेट साथियों को प्रशिक्षित किया है, जिससे देश की लगभग 2.6 करोड़ महिलाएँ प्रभावित हुई हैं।
- प्रभाव: इस कार्यक्रम ने ग्रामीण भारत में लैंगिक आधार पर डिज़िटल साक्षरता के
- अंतराल को कम करने में योगदान दिया है।
  - उल्लेखनीय है कि डिजिटल साक्षरता के मामले में महिला-पुरुष अनुपात वर्ष 2015 में 1:10 था जो वर्ष 2018 में बढ़कर 4:10 हो गया।
- इस कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित महिलाओं में से कुछ ने अपना स्वयं का सूक्ष्म व्यवसाय भी शुरू किया है जैसे कि सिलाई, मधुमक्खी पालन/शहद उत्पादन और ब्यूटी पार्लर आदि।

नेशनल डेटा क्वालिटी फोरम

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय चिकित्सा सांख्यिकी संस्थान ने जनसंख्या परिषद के साथ मिलकर नेशनल डेटा क्वालिटी फोरम (National Data Quality Forum-NDQF) लॉन्च किया है।

- NDQF का उद्देश्य समय-समय पर कार्यशालाओं और सम्मेलनों के माध्यम से वैज्ञानिक एवं साक्ष्य-आधारित पहल तथा मार्गदर्शन कार्यों आदि के माध्यम से लोगों को एकत्रित करना है।
- इस प्रक्रियाओं में संग्रहीत आँकड़े सटीक होंगे जिनका उपयोग स्वास्थ्य एवं जनसांख्यिकीय आँकड़ों में किया जा सकता है।
- भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (Indian Council of Medical Research's- ICMR)
  - जैव चिकित्सा अनुसंधान के निर्माण, समन्वय एवं संवर्द्धन के लिये भारत का यह शीर्ष निकाय दुनिया के सबसे पुराने चिकित्सा अनुसंधान निकायों में से एक है।
  - यह नई दिल्ली में स्थित है।
  - इसे भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Department of Health Research, Ministry of Health & Family Welfare) के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है।
- राष्ट्रीय चिकित्सा सांख्यिकी संस्थान (National Institute for Medical Statistics- NIMS)
  - यह भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (Indian Council of Medical ResearchICMR) नई दिल्ली का एक स्थाई संस्थान है।
  - इसकी स्थापना वर्ष 1977 में हुई थी।
  - इस संस्थान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य शोध पद्धति, कार्यक्रम मूल्यांकन, गणितीय मॉडलिंग, डेटा विश्लेषण आदि पर तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करना है।
  - स्थापना के समय यह इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन मेडिकल स्टैटिस्टिक्स (Institute for Research in Medical Statistics- IRMS) के नाम से जाना जाता था।
  - 9 नवंबर, 2005 से इसका नाम राष्ट्रीय चिकित्सा सांख्यिकी संस्थान (National Institute for Medical Statistics-NIMS) कर दिया गया।

ट्रांस फैट फ्री' लोगो

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के अधिसूचित मानदंडों के अंतर्गत पैकेज्ड फूड कंपनियों को अब उनके आउटलेट तथा उत्पादों पर 'ट्रांस फैट फ्री' लोगो का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी।

- उल्लेखनीय है कि FSSAI ने बेकरी, मिठाई की दुकानों, रेस्तरां को पहले से ही 'ट्रांस फैट फ्री' लोगो जारी करने की अनुमति दी हुई है।
- FSSAI ने बेकरी, मिठाई की दुकानों और अन्य खाद्य पदार्थों की दुकानों/प्रतिष्ठानों को खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट सामग्री को कम करने हेतु स्वस्थ वसा या तेल का उपयोग करने के लिये प्रोत्साहित किया है।
- FSSAI के नए मानदंडों के अनुसार, 'ट्रांस फैट फ्री' लोगो लगाने की अनुमति केवल उन्हीं को दी जा सकती है, जिनके उत्पादों में प्रति 100 ग्राम या भोजन के 100 मिलीलीटर में ट्रांस फैट की मात्रा 0.2 ग्राम से कम है।

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

- इसकी स्थापना खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत की गई है जो उन विभिन्न अधिनियमों एवं आदेशों को समेकित करता है जिसने अब तक विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों में खाद्य संबंधी विषयों का निपटान किया है।
- FSSAI की स्थापना खाद्य वस्तुओं के लिये विज्ञान आधारित मानकों का निर्धारण करने और मानव उपभोग के लिये सुरक्षित और पौष्टिक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री तथा आयात को विनियमित करने के लिये की गई है।
- FSSAI के कार्यान्वयन के लिये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय प्रशासनिक मंत्रालय है।

ट्रांस फैट

- तरल वनस्पति तेलों को अधिक ठोस रूप में परिवर्तित करने तथा खाद्य के भंडारण एवं उपयोग अवधि (Shelf Life) में वृद्धि करने के लिये इन तेलों का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है, इस प्रकार संतृप्त वसा या ट्रांस फैट का निर्माण होता है।
- ट्रांस फैट बड़े पैमाने पर वनस्पति, नकली या कृत्रिम मक्खन (Margarine), विभिन्न बेकरी उत्पादों में मौजूद होते हैं तथा ये तले हुए या पके हुए खाद्य पदार्थों में भी पाए जा सकते हैं।
- FSSAI 2022 तक चरणबद्ध तरीके से औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैटी एसिड को 2% से कम करने के लिये प्रतिबद्ध है।
- वैश्विक स्तर पर ट्रांस फैट के सेवन से हर साल 500,000 से अधिक लोगों की मौत हृदय संबंधी बीमारियों (Cardiovascular Disease) के कारण होती है।

अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान सरकार ने अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (Ambedkar Hastshilp Vikas Yojana-AHVY) के तहत निर्माता कंपनी के कार्यक्षेत्र के बारे में कारीगरों को सामूहिक रूप से शिक्षित करने के लिये एक अभियान की पहल की है।

- कपड़ा मंत्रालय (Ministry of Textiles) द्वारा शुरू की गई अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना के अंतर्गत कारीगरों को सामूहिक रूप से शिक्षित करने का उद्देश्य दीर्घकालिक व्यापार विकास को बढ़ावा देना तथा देशभर के विभिन्न समूह क्षेत्रों में उत्पादक कंपनियों के निर्माण के लिये भावी कारीगरों/ स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को प्रेरित करना है।
- इस योजना के तहत सरकार ने देशभर में 90 समूहों की पहचान कर उन्हें सामूहिक रूप से शिक्षित करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत आकांक्षी ज़िलों, महिला समूहों, कमज़ोर वर्गों तथा संभावित निर्यातक समूहों को भी कवर किया जाएगा।
- इस योजना का लक्ष्य स्वयं-सहायता समूहों/कारीगरों की आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करके 3 साल की समयावधि में इन समूहों में परिवर्तन लाना है ताकि दीर्घकालिक व्यापार विकास में ऐसे समूहों का योगदान सुनिश्चित किया जा सके।
- इस योजना के तहत सरकार ने आधार लिंक पहचान कार्ड, विपणन सुविधा, मुद्रा ऋण, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा आम आदमी बीमा योजना आदि सुविधाओं के लिये देशभर में 300 से अधिक स्थानों पर हस्तकला सहयोग शिविरों का आयोजन किया है।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 2001-2002 में कपड़ा मंत्रालय ने अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना की शुरुआत की थी।
- इस योजना के अंतर्गत कारीगरों/हस्तशिल्पियों को स्वयं सहायता समूह के निर्माण एवं ऋण देने के उद्देश्य से स्वयं सहायता समूहों के गठन तथा सामुदायिक व्यवसाय उद्यमों को चलाने के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया गया।
- इस योजना की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:
  - अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (आधारभूत सर्वे एवं कारीगरों को एकत्र करना)
  - डिज़ाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन
  - मानव संसाधन विकास
  - कारीगरों को सीधा लाभ
  - अवसंरचना एवं तकनीकी सहयोग
  - अनुसंधान एवं विकास
  - विपणन सहायता और सेवाएँ

कला एवं संस्कृति

कैलाश मानसरोवर यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री ने 'सेक्रेड माउंटेन लैंडस्केप एंड हेरिटेज रूट' (कैलाश मानसरोवर का भारतीय भाग) को भारत के विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किये जाने की घोषणा की है।

मुख्य बिंदु :

- इसे अप्रैल 2019 में मिश्रित स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया था।
- यूनेस्को द्वारा दिये गए निर्देशों के अनुसार, अंतिम नामांकन करने से पूर्व किसी भी स्थल को कम-से-कम एक वर्ष के लिये यूनेस्को की अस्थायी सूची में रहना पड़ता है।
- एक बार नामांकन होने के पश्चात् उस स्थल को विश्व धरोहर केंद्र (World Heritage Centre - WHC) में भेज दिया जाता है।
- जिसके पश्चात् विश्व धरोहर समिति द्वारा किसी भी स्थल को विश्व धरोहर सूची में स्थायी रूप से शामिल करने के लिये जाता है।

क्या होता है विश्व धरोहर स्थल?

- सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्त्व के स्थलों को हम विश्व धरोहर या विरासत कहते हैं।
- ये स्थल ऐतिहासिक और पर्यावरण के लिहाज़ से भी महत्त्वपूर्ण होते हैं।
- इनका अंतरराष्ट्रीय महत्त्व होता है तथा इनके संरक्षण हेतु विशेष प्रयास किये जाते हैं।
- ऐसे स्थलों को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को, विश्व धरोहर की मान्यता प्रदान करती है।
- कोई भी स्थल जो मानवता के लिये ज़रूरी है, जिसका कि सांस्कृतिक और भौतिक महत्त्व है, उसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के तौर पर मान्यता दी जाती है।

भारत के विश्व धरोहर स्थल

भारत में कुल 37 मूर्त विरासत धरोहर स्थल (29 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित) हैं और 13 अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें हैं।

भारत में विश्व धरोहर स्थल			
मूर्त विरासतें			अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें
सांस्कृतिक	प्राकृतिक	मिश्रित	
• ताजमहल, आगरा • खजुराहो, मध्य प्रदेश • हम्पी, कर्नाटक • अजंता की गुफाएं, महाराष्ट्र • एलोरा की गुफाएं, महाराष्ट्र • बोधगया, बिहार • सूर्य मंदिर, कोणार्क, ओडिशा • लाल किला परिसर, दिल्ली	• ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, हिमाचल प्रदेश • काजीरंगा वन्य जीवन अभयारण्य, असम • केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर, राजस्थान • मानस वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी, असम	• खंगचेंडज़ोंगा नेशनल पार्क, सिक्किम	• वैदिक जप की परंपरा • रामलीला, रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन • कुटियाट्टम, संस्कृत थिएटर • राममन, गढ़वाल हिमालय के धार्मिक त्योहार और धार्मिक अनुष्ठान, भारत

नोट :

• सांची, मध्य प्रदेश • चोल मंदिर, तमिलनाडु • महाबलिपुरम, तमिलनाडु में स्मारकों का समूह • हुमायूँ का मकबरा, नई दिल्ली • जंतर मंतर, जयपुर, राजस्थान • आगरा किला, उत्तर प्रदेश • फतेहपुर सीकरी, उत्तर प्रदेश • रानी की वाव, पाटन, गुजरात • कर्नाटक के पट्टडकल मंट स्मारकों का समूह • एलीफेंटा गुफाएँ, महाराष्ट्र • नालंदा महाविहार (नालंदा विश्वविद्यालय), बिहार • छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस), महाराष्ट्र • भारत का पर्वतीय रेलवे • क़ुतुब मीनार और उसके स्मारक, नई दिल्ली • चंपानेर-पावागढ़ पुरातत्व पार्क, गुजरात • राजस्थान के पहाड़ी किले • गोवा के चर्च और रूपांतरण • भीमबेटका के रॉक शेल्टर, मध्य प्रदेश • कैपिटल कॉम्प्लेक्स, चंडीगढ़ • अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर • मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको एनसेंबल	• नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड • पश्चिमी घाट • सुंदरबन नेशनल पार्क, पश्चिम बंगाल		• मुदियेट्टू, अनुष्ठान थियेटर और केरल का नृत्य नाटक • कालबेलिया लोक गीत और राजस्थान के नृत्य • छऊ नृत्य • लद्दाख का बौद्ध जप: हिमालय के लद्दाख क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, भारत में पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ। • मणिपुर का संकीर्तन, पारंपरिक गायन, नगाडे और नृत्य • पंजाब के ठठेरों द्वारा बनाए जाने वाले पीतल और तांबे के बर्तन • योग • नवरोज़, नोवरूज़, नोवरोज़, नाउरोज़, नौरोज़, नौरेज़, नूरुज़, नोवरूज़, नवरूज़, नेवरूज़, नोवरूज़, नवरूज़ • कुंभ मेला

मार्कंडेश्वर मंदिर के जीर्णोद्धार का प्रयास

चर्चा में क्यों?

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (Archaeological Survey of India-ASI) द्वारा महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में मौजूद मार्कंडेश्वर मंदिर (Markandeshwar Temple) समूह के जीर्णोद्धार का प्रयास किया जा रहा है।

मुख्य बिंदु :

- ASI से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, दो बार (सर्वप्रथम 1960 और फिर 1980 में) आकाशीय बिजली गिरने के कारण इस परिसर को काफी नुकसान पहुँच चुका है, हालाँकि स्थानीय स्तर पर इसे सुधारने के प्रयास किये गए थे, परंतु वे प्रयास जल रिसाव को रोकने में समर्थ नहीं हुए।

- इसके अतिरिक्त 19वीं सदी में ASI के पूर्व निदेशक सर एलेक्जेंडर कनिंघम ने अपने दस्तावेज़ीकरण (Documentation) में यह बताया था कि लगभग 200 साल पहले भी मंदिर का मुख्य भाग और महामंडप का शिखर, आकाशीय बिजली गिरने से खंडित हो गया था, जिसकी मरम्मत उस वक्त के स्थानीय गोंड शासक ने करवाई थी, परंतु वह पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हो सका था।

ASI के समक्ष जीर्णोद्धार से संबंधित चुनौतियाँ:

- कई बार आकाशीय बिजली के हमलों से प्रभावित मंदिर परिसर कई टुकड़ों में बँट गया था, जिन्हें एक साथ लाकर जोड़ना काफी चुनौती पूर्ण कार्य था।
- ASI के समक्ष एक बड़ी चुनौती यह थी कि जिस शैली और पत्थरों का प्रयोग कर मंदिरों का निर्माण किया गया था, वह अब स्थानीय स्तर पर विलुप्त हो गई है। ASI के अनुसार, इस समस्या से निपटने के लिये उन्होंने राजस्थान और मध्य प्रदेश के कारीगरों से संपर्क किया।
- इसके अतिरिक्त गढ़चिरौली में माओवाद की मौजूदगी भी इस जीर्णोद्धार की परियोजना में सबसे बड़ी बाधा रही।
- मार्कंडेश्वर मंदिर परिसर:
- 9वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में मौजूद मार्कंडेश्वर मंदिर परिसर में 24 अलग-अलग प्रकार के मंदिर हुआ करते थे। वर्तमान में इन 24 मंदिरों में से 18 खंडहर हो चुके हैं।
- यह वेनगंगा नदी के किनारे मरकंडा गाँव में स्थित है।
- इस मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य वर्ष 2017 से चल रहा है।
- इन्हीं मंदिरों की वजह से गढ़चिरौली को 'मिनी खजुराहो' या 'विदर्भ का खजुराहो' भी कहा जाता है।

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India- ASI)

- भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासतों के पुरातत्त्वीय अनुसंधान तथा संरक्षण के लिये एक प्रमुख संगठन है।
- भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्त्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्त्वीय स्थलों और अवशेषों का रखरखाव करना है ।
- इसके अतिरिक्त प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्त्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के अनुसार, यह देश में सभी पुरातत्त्वीय गतिविधियों को विनियमित करता है।
- यह पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 को भी विनियमित करता है।
- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

विश्व विरासत समिति की चिंताएँ

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विश्व विरासत समिति (World Heritage Committee-WHC) ने हंपी के विरासत स्थल और दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे (Darjeeling Himalayan Railway-DHR) के संरक्षण से संबंधित कुछ चिंताओं को चिह्नित किया है।

प्रमुख बिंदु

- WHC ने हंपी के विश्व विरासत स्थल की विकासात्मक परियोजनाओं के बारे में स्थानीय अधिकारियों की लापरवाही जैसी चिंताओं पर खेद व्यक्त किया है।
- भारतीय रेलवे के कई बार अनुरोध के पश्चात्, निगरानी और सामान्य रखरखाव की कमी, एवं पटरियों के किनारे अतिक्रमण तथा कचरे को गिराये जाने (कचरे की डंपिंग) के बारे में वर्ष 2017 से 2019 के बीच कोई जानकारी नहीं दी गई, इसे वैश्विक विरासत संरक्षण मानदंडों का उल्लंघन माना जाता है।

हंपी:

- हंपी में मुख्य रूप से अंतिम हिंदू साम्राज्य की राजधानी विजयनगर साम्राज्य (14वीं-16वीं शताब्दी) के अवशेष पाए जाते हैं।
- हंपी के चौंदहवीं शताब्दी के भग्नावशेष यहाँ लगभग 26 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं।

- हंपी में मौजूद विठ्ठल मंदिर विजय नगर साम्राज्य की कलात्मक शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
- विजय नगर शहर के स्मारक विद्या नारायण संत के सम्मान में विद्या सागर के नाम से भी जाने जाते हैं।

दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे:

- भारत के पर्वतीय रेलवे के तीन रेलवे विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल हैं:
  - पश्चिम बंगाल (पूर्वोत्तर भारत) में हिमालय की तलहटी में स्थित दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे।
  - तमिलनाडु (दक्षिण भारत) के नीलगिरि पहाड़ियों में स्थित नीलगिरि पर्वत रेलवे।
  - हिमाचल प्रदेश (उत्तर-पश्चिम भारत) के हिमालय की तलहटी में स्थित कालका शिमला रेलवे।
- दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, पहाड़ी यात्री रेलवे का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है।
- इसे वर्ष 1881 में शुरू किया गया। यह एक अत्यंत खुबसूरत पहाड़ी क्षेत्र में एक प्रभावी रेल लिंक स्थापित करने की समस्या का निराकरण करने का एक साहसिक इंजीनियरिंग प्रयास है।

क्या हैं विश्व विरासत स्थल?

मानवता के लिये अत्यंत महत्त्व के स्थान, जिन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिये बचाकर रखना आवश्यक समझा जाता है, उन्हें विश्व विरासत के रूप में जाना जाता है। ऐसे महत्त्वपूर्ण स्थलों के संरक्षण की पहल यूनेस्को द्वारा की जाती है। विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर संरक्षण को लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि 1972 में लागू की गई।

विश्व विरासत समिति इस संधि के तहत निम्न तीन श्रेणियों में आने वाली संपत्तियों को शामिल करती है:

1. प्राकृतिक विरासत स्थल: ऐसी विरासत जो भौतिक या भौगोलिक प्राकृतिक निर्माण का परिणाम या भौतिक और भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत सुंदर या वैज्ञानिक महत्त्व की जगह या भौतिक और भौगोलिक महत्त्व वाली जगह या किसी विलुप्ति के कगार पर खड़े जीव या वनस्पति का प्राकृतिक आवास हो सकती है।
2. सांस्कृतिक विरासत स्थल: इस श्रेणी की विरासतों में स्मारक, स्थापत्य की इमारतें, मूर्तिकारी, चित्रकारी, स्थापत्य की झलक वाले शिलालेख, गुफा आवास और वैश्विक महत्त्व वाले स्थान, इमारतों का समूह, अकेली इमारतें या आपस में संबद्ध इमारतों का समूह, स्थापत्य में किया मानव का काम या प्रकृति और मानव के संयुक्त प्रयास का प्रतिफल, जो कि ऐतिहासिक, सौंदर्य, जातीय, मानवविज्ञान या वैश्विक दृष्टि से महत्त्व की हो, शामिल की जाती हैं।
3. मिश्रित विरासत स्थल: इस श्रेणी के अंतर्गत वह विरासत स्थल आते हैं, जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों ही रूपों में महत्त्वपूर्ण होते हैं।

यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल

- संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) दुनिया भर में उन सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासतों की पहचान और संरक्षण को प्रोत्साहित करता है जो मानवता के लिये उत्कृष्ट मूल्य के रूप में माने जाते हैं।
- "विश्व के प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहरों पर सम्मेलन" जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, इसे 1972 में यूनेस्को की सामान्य सभा में स्वीकृति दी गई।
- विश्व विरासत कोष अंतर्राष्ट्रीय सहायता की आवश्यकता वाले स्मारकों को संरक्षित करने से संबंधित गतिविधियों के समर्थन के लिये सालाना 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करता है।
- विश्व विरासत समिति अनुरोधों की ज़रूरत के अनुसार धन आवंटित करती है, सबसे अधिक संकटग्रस्त स्थलों को प्राथमिकता दी जाती है।

लुप्तप्राय भाषाओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिये योजना

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री द्वारा राज्य सभा में दी गई जानकारी के अनुसार, भारत सरकार लुप्तप्राय भाषाओं के संरक्षण के लिये 'लुप्तप्राय भाषाओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिये योजना' (Scheme for Protection and Preservation of Endangered Languages-SPPEL) का संचालन कर रही है।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 1961 की जनगणना के अनुसार, भारत में लगभग 1652 भाषाएँ थीं। लेकिन वर्ष 1971 तक इनमें से केवल 808 भाषाएँ ही बची थीं।
- भारतीय लोकभाषा सर्वेक्षण/पीपुल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया (People's Linguistic Survey of India) 2013 के अनुसार, पिछले 50 वर्षों में लगभग 220 भाषाएँ लुप्त हो चुकी हैं जबकि 197 भाषाओं को लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- वर्तमान में भारत सरकार केवल उन भाषाओं को मान्यता देती है जिसकी अपनी एक लिपि हो तथा व्यापक स्तर पर बोली जाती हो। इस प्रकार भारत सरकार द्वारा 122 भाषाओं को मान्यता दी गई है जो भारतीय लोकभाषा सर्वेक्षण द्वारा आकलित 780 भाषाओं की तुलना में बहुत कम है।
  - इस विसंगति का एक प्रमुख कारण यह भी है कि भारत सरकार ऐसी किसी भाषा को मान्यता नहीं देती जिसे बोलने वालों की संख्या 10,000 से कम है।
- यूनेस्को द्वारा अपनाए गए मानदंडों के अनुसार, कोई भाषा तब विलुप्त हो जाती है जब कोई भी व्यक्ति उस भाषा को नहीं बोलता है या याद रखता है। यूनेस्को ने लुप्तप्राय के आधार पर भाषाओं को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया है:-
  - सुभेद्य (Vulnerable)
  - निश्चित रूप से लुप्तप्राय (Definitely Endangered)
  - गंभीर रूप से लुप्तप्राय (Severely Endangered)
  - गंभीर संकटग्रस्त (Critically Endangered)
- यूनेस्को ने 42 भारतीय भाषाओं को गंभीर रूप से संकटग्रस्त माना है।

पतन के कारण:

- भारत सरकार द्वारा 10,000 से कम लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषाओं को मान्यता नहीं दी जाती है।
- समुदायों की प्रवासन एवं आप्रवासन की प्रवृत्ति के कारण पारंपरिक बसावट में कमी आती जा रही है, जिसके कारण क्षेत्रीय भाषाओं को नुकसान पहुँचता है।
- रोज़गार के प्रारूप में परिवर्तन बहुसंख्यक भाषाओं का पक्षधर है।
- सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों में परिवर्तन।
- 'व्यक्तिवाद' की प्रवृत्ति में वृद्धि होना, समुदाय के हित से ऊपर स्वयं के हित को प्रथिमकता दिये जाने से भाषाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- पारंपरिक समुदायों में भौतिकवाद का अतिक्रमण जिसके चलते आध्यात्मिक और नैतिक मूल्य उपभोक्तावाद से प्रभावित होते है।
- क्या किये जाने की आवश्यकता है?
- भाषा के अस्तित्त्व को सुरक्षित रखने का सबसे बेहतर तरीका ऐसे विद्यालयों का विकास करना है जो अल्पसंख्यकों की भाषा (जनजातीय भाषाएँ) में शिक्षा प्रदान करते हैं। यह भाषा का संरक्षण करने और उसे समृद्ध बनाने में वक्ताओं को सक्षम बनाता है।
- भारत की संकटग्रस्त भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिये प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर एक विशाल डिजिटल परियोजना शुरू की जानी चाहिये।
- ऐसी भाषाओं के महत्त्वपूर्ण पहलुओं जैसे- कथा निरूपण, लोकसाहित्य तथा इतिहास आदि का श्रव्य दृश्य/ऑडियो विज़ुअल प्रलेखन (Documentation) किया जाना चाहिये।
- इस तरह के प्रलेखन प्रयासों कोण बढ़ाने के लिये ग्लोबल लैंग्वेज हॉटस्पॉट्स (Global Language Hotspots) जैसी अभूतपूर्व पहल के मौजूदा लेखन कार्यों का इस्तेमाल किया जा सकता है।

लुप्तप्राय भाषाओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिये योजना (SPPEL) Scheme for Protection and Preservation of Endangered Languages (SPPEL)

- इसकी स्थापना वर्ष 2013 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा की गई थी।

- इस योजना का एकमात्र उद्देश्य देश की ऐसी भाषाओं का दस्तावेज़ीकरण करना और उन्हें संग्रहित करना है जिनके निकट भविष्य में लुप्तप्राय या संकटग्रस्त होने की संभावना है।
- इस योजना की निगरानी कर्नाटक के मैसूर में स्थित केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (Central Institute of Indian Languages-CIIL) द्वारा की जाती है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission-UGC) अनुसंधान परियोजनाओं को शुरू करने के लिये केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों में लुप्तप्राय भाषाओं के लिये केंद्र स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- इस योजना के अधीन केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान देश में 10,000 से कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली सभी मातृभाषाओं और भाषाओं की सुरक्षा, संरक्षण एवं प्रलेखन का कार्य करता है।

केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान Central Institute of Indian Languages- CIIL

- मैसूर में स्थित केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1969 में की गई थी।
- यह भारत सरकार की भाषा नीति को तैयार करने, इसके कार्यान्वयन में सहायता करने, भाषा विश्लेषण, भाषा शिक्षा शास्त्र, भाषा प्रौद्योगिकी तथा समाज में भाषा प्रयोग के क्षेत्रों में अनुसंधान द्वारा भारतीय भाषाओं के विकास में समन्वय करने हेतु स्थापित की गई है।
- इसके अंतर्गत इनके उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिये यह बहुत से कार्यक्रमों का आयोजन करता है, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:
  - भारतीय भाषाओं का विकास
  - क्षेत्रीय भाषा केंद्र
  - सहायता अनुदान योजना
  - राष्ट्रीय परीक्षण सेवा

प्रतिष्ठित पर्यटक स्थल

चर्चा में क्यों?

सरकार देश में 17 'प्रतिष्ठित पर्यटक स्थल' विकसित करेगी, जो विश्व स्तर के पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित होंगे, ये स्थल अन्य पर्यटन स्थलों के लिये एक मॉडल के रूप में कार्य करेंगे।

- पर्यटन मंत्रालय 'प्रतिष्ठित पर्यटक स्थल' (Iconic Tourist Sites) पहल के कार्यान्वयन के लिये नोडल मंत्रालय है।

मंत्रालय द्वारा चिह्नित 17 स्थल हैं:

- ताजमहल और फतेहपुर सीकरी (उत्तर प्रदेश)
- अजंता और एलोरा (महाराष्ट्र)
- हुमायूँ का मकबरा, लाल किला और कुतुब मीनार (दिल्ली)
- कोलवा (गोवा)
- आमेर किला (राजस्थान)
- सोमनाथ और धोलावीरा (गुजरात)
- खजुराहो (मध्य प्रदेश)
- हम्पी (कर्नाटक)
- महाबलिपुरम (तमिलनाडु)
- काजीरंगा (असम)
- कुमारकोम (केरल)
- महाबोधि मंदिर (बिहार)

इस पहल का उद्देश्य भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाना है।

विज़न:

- पर्यटन मंत्रालय स्थलों को गंतव्य से समग्रता से जोड़ने, स्थल पर पर्यटकों के लिये बेहतर सुविधाओं/अनुभव सुनिश्चित करने, कौशल विकास, स्थानीय समुदाय की भागीदारी, प्रचार और ब्रांडिंग तथा निजी निवेश के माध्यम से इन स्थलों को विकसित करने की दिशा में कार्य करेगा।

निष्पादन:

- इस पहल के तहत विकास के लिये निर्धारित सभी स्मारक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India-ASI) और राज्य पुरातत्व विभागों (State Archaeology Departments) के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
- मंत्रालय ASI और राज्य सरकार के सहयोग से इन स्मारकों के लिये कार्य करेगा और सभी विकास योजनाओं में सार्वभौमिक पहुँच, स्मारकों की सफाई, ग्रीन टेक्नोलॉजी के उपयोग और पर्यटकों के लिये सुरक्षा बढ़ाने संबंधी पक्षों पर भी विशेष महत्त्व देगा।

पहल की आवश्यकता क्यों है?

- नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, वर्ष 2018 में भारत के पर्यटन क्षेत्र में तीव्र मंदी देखी गई।
- विदेशी पर्यटक आगमन (Foreign Tourist Arrival-FTA) की वृद्धि दर वर्ष 2017-18 के 14.2% से घटकर वर्ष 2018-19 में 2.1% हो गई।
- सर्वेक्षण में यह भी स्पष्ट किया गया कि होटल और पर्यटन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) वर्ष 2017-18 के 1,132 मिलियन डॉलर से घटकर वर्ष 2018-19 में 1,076 मिलियन डॉलर हो गया।
- 'धरोहर गोद लें: अपनी धरोहर, अपनी पहचान' (Adopt A Heritage: Apni Dharohar, Apni Pehchaan) परियोजना के तहत कम गति: पर्यटन मंत्रालय की 'धरोहर गोद लें' योजना के तहत वर्ष 2017 के अंत तक कई स्मारकों को गोद लेने के लिये उपलब्ध कराया गया। परंतु इस परियोजना की गति में भी धीमापन देखने को मिला है क्योंकि इस संबंध में अभी तक केवल 11 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये गए हैं।
- लाल किले को डालमिया समूह द्वारा गोद लिया गया था, जबकि कुतुब मीनार और अजंता की गुफाओं को यात्रा ऑनलाइन (YatraOnline) द्वारा गोद लिया गया था।

वित्तीय मुद्दा:

- पर्यटन संबंधी बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये पर्यटन मंत्रालय को वर्ष 2019-20 के लिये 1,378 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं। यह आवंटन वर्ष 2017-18 और वर्ष 2018-19 में किये गए आवंटन (क्रमश: 1,151 करोड़ रुपए तथा 1,330 करोड़ रुपए) से थोड़ा अधिक है।

आगे की राह

- देश में पर्यटन को बढ़ावा देने संबंधी मुद्दों का समाधान करने के लिये विभिन्न मंत्रालयों और हितधारकों के बीच समन्वय तंत्र को मज़बूत बनाने की आवश्यकता है।
- देश में पर्यटन को रोज़गार और गरीबी उन्मूलन का एक प्रमुख चालक बनाने हेतु जागरूकता बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।
- निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि ये प्रतिष्ठित पर्यटन स्थल पर्यटकों को बेहतर अनुभव प्रदान करेंगे, जिससे इन स्थलों पर देशी और विदेशी दोनों पर्यटक बड़ी संख्या में आएंगे।

कांगड़ा शैली

मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात् मुग़ल शैली के कई चित्रकार हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बस गए, जहाँ उन्हें राजा गोवर्धन सिंह से संरक्षण प्राप्त हुआ।

- इसके परिणामस्वरूप चित्रकला की कांगड़ा शैली का जन्म हुआ।
- इस शैली का सर्वाधिक विकास राजा संसार चंद के संरक्षण में हुआ।
- चित्रकला की अन्य शैलियों के इतर कांगड़ा की यह विशेषता है कि इसमें संवेदनशील और बुद्धिमत्ता की बहुलता पाई जाती है।
- भागवत पुराण सहित गीत-गोविंद, बिहारीलाल की सतसई और नल-दमयंती इस प्रकार की चित्रकारी के प्रमुख विषय रहे हैं।
- संवेदनशीलता से भरपूर यह शैली 19वीं सदी तक काफी लोकप्रिय रही।

दलाई लामा का उत्तराधिकारी

हाल ही में चीन ने भारत से तिब्बती गुरु दलाई लामा के उत्तराधिकारी को मान्यता नहीं देने का आग्रह किया।

- चीन के वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों के अनुसार, दलाई लामा के उत्तराधिकारी को चीन की सरकार की मान्यता मिलनी चाहिये और दलाई लामा का चयन देश के भीतर 200 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक प्रक्रिया के तहत ही होना चाहिये।
- उत्तराधिकार के मुद्दे पर भारत के किसी भी प्रकार के दखल का प्रत्यक्ष प्रभाव दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ सकता है।
- दलाई लामा के उत्तराधिकारी का चुनाव एक ऐतिहासिक,धार्मिक एवं राजनीतिक मुद्दा है।
- अत: इनके उत्तराधिकार पर निर्णय उनकी निजी इच्छा अथवा दूसरे देशों में रहने वाले लोगों के गुट द्वारा नहीं लिया जाता है।

दलाई लामा

- दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म के सबसे नए विद्यालयों में से एक गेलुग या 'येलो हैट' तिब्बती बौद्ध धर्म स्कूल के अग्रणी आध्यात्मिक नेता को तिब्बती लोगों द्वारा दी गई एक उपाधि है।
- 14वें तथा वर्तमान दलाई लामा तेनजिन ग्यात्सो (Tenzin Gyatso) हैं।
- दलाई लामाओं को अवलोकितेश्वरा या चेनरेज़िग, कम्पासियन के बोधिसत्व और तिब्बत के संरक्षक संत की अभिव्यक्ति माना जाता है।
- बोधिसत्व सभी संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिये बुद्धत्व प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित हैं, जिन्होंने मानवता की मदद के लिये दुनिया में पुनर्जन्म लेने की कसम खाई है।

महेश रथ यात्रा

4 जुलाई 2019 पश्चिम बंगाल के हुगली ज़िले में 'महेश रथ यात्रा' के 623वें संस्करण का आयोजन किया गया।

- यह पश्चिम बंगाल की सबसे पुरानी रथ यात्रा है, जिसे वर्ष 1396 से पुरी रथ यात्रा के रूप में मनाया जाता है।
- यह हुगली ज़िले के श्रीरामपुर में आयोजित होने वाली महेश रथ यात्रा है, जिसे दुनिया का दूसरा सबसे पुराना रथ उत्सव कहा जाता है।
- किंवदंतियों के अनुसार, एक बार बंगाली साधु द्रुबानंद ब्रह्मचारी (Drubananda Brahmachari) को भगवान जगन्नाथ को भोग चढ़ाने से रोक दिया गया जिससे आहत होकर उन्होंने उपवास शुरू कर दिया, उपवास के तीसरे दिन स्वयं भगवान् जगन्नाथ ने उनके स्वप्न में आकर डारू-ब्रह्मा (नीम के तने) से बलराम, जगन्नाथ एवं सुभद्रा की मूर्तियाँ बनाने का निर्देश दिया। भगवान के निर्देश का पालन करते हुए द्रुबानंद ब्रह्मचारी ने महेश में नीम के तने से मूर्तियाँ बनाईं।
- फलस्वरूप महेश के द्रुबानंद मंदिर की स्थापना हुई। चैतन्य महाप्रभु ने भी महेश को नब नीलाचल (नई पुरी) के रूप में संबोधित किया था।

ओडिशा के रसगुल्ले को मिला GI टैग

वर्षों के विवाद के बाद हाल ही में ओडिशा की एक लोकप्रिय मिठाई रसगुल्ला को भौगोलिक संकेत टैग (Geographical Indication Tag) प्राप्त हुआ।

- इस रसगुल्ला को सामान के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 की धारा 16 (I) या अधिकृत धारा 17 (3) (c) के तहत भौगोलिक संकेतक (GI) टैग दिया गया है।
- ध्यातव्य है कि ओडिशा और पश्चिम बंगाल दोनों ही रसगुल्ला को अपने क्षेत्र की उत्पत्ति बताते हैं। लेकिन ऐतिहासिक अभिलेखों द्वारा ज्ञात होता है कि ओडिशा का रसगुल्ला विश्व प्रसिद्ध पुरी जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा है।
- 15वीं शताब्दी के अंत में बलराम दास द्वारा लिखित ओडिया रामायण से भी रसगुल्ले के बारे में जानकारी मिलती है।
- बलराम दास के रामायण को दांडी रामायण या जगमोहन रामायण के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसे जगमोहन या पुरी मंदिर में ही तैयार किया गया और गाया गया था।
- एक अन्य धार्मिक लिपि 'अजोध्या कांड' (Ajodhya Kanda) में रसगुल्ला सहित छेना और छेना आधारित उत्पादों का विस्तृत वर्णन मिलता है।
- बंगाल के रसगुल्ले को वर्ष 2017 में भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया था।

भौगोलिक संकेतक टैग Geographical Indication Tag-GI Tag

- भौगोलिक संकेतक (Geographical Indication) का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिये किया जाता है, जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है।
- इन उत्पादों की विशिष्ट विशेषता एवं प्रतिष्ठा भी इसी मूल क्षेत्र के कारण होती है।
- इस तरह का संबोधन उत्पाद की गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है।
- GI टैग को औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिये पेरिस कन्वेंशन (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) के तहत बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) के एक घटक के रूप में शामिल किया गया है।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर GI का विनियमन विश्व व्यापार संगठन (WTO) के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights-TRIPS) पर समझौते के तहत किया जाता है।
- वहीं, राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्य 'वस्तुओं का भौगोलिक सूचक' (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 (Geographical Indications of goods 'Registration and Protection' act, 1999) के तहत किया जाता है, जो सितंबर 2003 से लागू हुआ।
- वर्ष 2004 में 'दार्जिलिंग टी' GI टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद है। भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण 10 वर्ष के लिये मान्य होता है।
- महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी, जयपुर की ब्लू पॉटरी, बनारसी साड़ी और तिरुपति के लड्डू तथा मध्य प्रदेश के झाबुआ के कड़कनाथ मुर्गा सहित कई उत्पादों को GI टैग मिल चुका है।
- GI टैग किसी उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी अलग पहचान का सबूत है। कांगड़ा की पेंटिंग, नागपुर का संतरा और कश्मीर का पश्मीना भी GI पहचान वाले उत्पाद हैं।

मकराना के संगमरमर

विश्व भर में प्रसिद्ध राजस्थान में पाए जाने वाले मकराना के संगमरमर को विश्व विरासत (Global Heritage) सूची में शामिल किया गया है।

- भू-वैज्ञानिक विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय संघ (International Union of Geological Sciences-IUGS) की एग्ज़ीक्यूटिव कमेटी ने ग्लोबल हेरिटेज स्टोन रिसोर्सेज के भारतीय शोध दल के प्रस्ताव पर मकराना को विश्व विरासत माना तथा इसे ग्लोबल हेरिटेज के रूप में मान्यता दी।
- IUGS के अनुसार, मकराना का संगमरमर भूगर्भीय दृष्टि से कैंब्रियन काल के पहले की कायांतरित चट्टानों से बना है। कायांतरित चट्टाने मूल रूप से चूना पत्थर के कायांतरण से बनती हैं।
- यह संगमरमर विश्व की सबसे उत्कृष्ट श्रेणियों की चट्टानों में से एक है।
- विश्व की कई इमारतें मकराना के संगमरमर से बनी हैं। इसकी सफेदी हमेशा बनी रहती है। इसी सफेद संगमरमर से विश्व प्रसिद्ध आगरा का ताजमहल निर्मित है।
- जयपुर राजपरिवार का सिटी पैलेस और बिड़ला मंदिर भी मकराना संगमरमर से बना हुआ है। वर्तमान में मकराना के खानों से संगमरमर का अत्यधिक दोहन होने के कारण अब बहुत कम संगमरमर ही बचे हैं।

भू-वैज्ञानिक विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय संघ International Union of Geological Sciences- IUGS

- यह एक वैश्विक संघ है जिसका गठन वर्ष 1961 में किया गया था।
- इस संघ का उद्देश्य प्रासंगिक व्यापक वैज्ञानिक अध्ययनों के माध्यम से पृथ्वी विज्ञान के विकास को बढ़ावा देना है।
- इसके प्रमुख कार्य हैं:
  - पृथ्वी के प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिये अध्ययनों के परिणामों को लागू करने के लिये सभी प्राकृतिक संसाधनों का बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग करना।

- देशों की समृद्धि एवं मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना।
- भू-विज्ञान के संबंध में सार्वजनिक जागरूकता में वृद्धि करना तथा व्यापक अर्थों में भू-वैज्ञानिक शिक्षा को आगे बढ़ाना।

- वर्तमान में इस संघ में 121 देश शामिल हैं।

बेंट' पिरामिड

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मिस्र के पुरातन मंत्रालय (Egyptian Ministry of Antiquities) ने पहली बार 'बेंट' पिरामिड (Bent Pyramid) को दर्शकों/पर्यटकों के लिये खोले जाने की अनुमति दी है।

प्रमुख बिंदु

- अब पर्यटक 79 मीटर लंबाई वाली एक संकीर्ण सुरंग के माध्यम से पिरामिड में प्रवेश कर सकेंगे।
- यह पिरामिड मेम्फिस पिरामिड फील्ड्स (Memphis Pyramid Fields) का हिस्सा है।
- 'मेम्फिस पिरामिड फील्ड्स' यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है जो दाहशूर शाही नेक्रोपोलिस/कब्रिस्तान (Dahshur Royal Necropolis) में काहिरा के दक्षिण में 40 किमी. की दूरी पर स्थित है।
- लगभग 100 मीटर लंबा बेंट पिरामिड 4600 साल पहले प्राचीन मिस्र में चौथे राजवंश के संस्थापक फैरो स्नेहफ्रू (Sneferu) के लिये बनाया गया था।
- इस संरचना को पिरामिड निर्माण में एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है।
- यह 18 मीटर ऊँचा पिरामिड है जिसकी खुदाई वर्ष 1956 में की गई थी। इस पिरामिड को विकास एवं नवीकरण कार्यों के पूरा होने के बाद पर्यटकों के लिये खोला गया है।

मेम्फिस Memphis

- यह नील नदी के पश्चिमी हिस्से के बाढ़ क्षेत्र में स्थित है। प्राचीन मिस्र की प्रथम राजधानी होने के कारण यह प्रसिद्ध है।
- इसकी भौगोलिक अवस्थिति इसे सबसे ज़्यादा महत्त्वपूर्ण बनाती है क्योंकि यहीं पर महत्त्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग स्थित हैं।
- ऊपरी और निचले मिस्र के क्षेत्रों पर शासन करने तथा बेहतर नियंत्रण के लिये यह जगह बहुत उपयुक्त थी, इसका कोई अन्य विकल्प नहीं था।

बेंट पिरामिड

- यह पिरामिड 25 वीं शताब्दी ईसा पूर्व मिस्र में चौथे राजवंश के संस्थापक फैरो स्नेहफ्रू (Pharaoh Sneferu) के लिये बनाए गए तीन पिरामिडों में से एक है।
- इस पिरामिड के निर्माण में कुछ खामियाँ होने तथा उनमें सुधार के कारण इसे 'बेंट' आकार दिया गया।
- इसका आकार कोणीय है जो मेम्फिस नेक्रोपोलिस में इसे अन्य पिरामिडों से अलग बनाता है।

अन्य खोजें

- पुरातत्त्वविदों ने दाहशूर पिरामिडों के पास खुदाई करते समय मध्य साम्राज्य की 60 मीटर ऊँची प्राचीन दीवार के अवशेष प्राप्त हुए थे।
- ममीज़, मास्क, उपकरण एवं प्राचीन काल (664–332 BCE) के ताबूत भी उत्खनन के दौरान प्राप्त हुए हैं।

मिस्र में पर्यटन विरासत

- विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद (World Travel & Tourism Council- WTTC) की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2018 के दौरान मिस्र की GDP में पर्यटन क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 12% थी।
- प्राचीन पिरामिड स्थल गीज़ा (Giza) और सककारा (Saqqara) विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र हैं।
- हालाँकि वर्ष 2011 के दौरान होने वाले राजनीतिक कारणों से मिस्र में पर्यटन क्षेत्र गंभीर रूप से प्रभावित हुआ था। दाहशूर जैसे नए पुरातात्विक स्थलों के प्रचार से मिस्र में पर्यटन क्षेत्र आधारित बाज़ारों के फिर से बहाल होने की संभावना है।

मिस्र के पिरामिड

- भारत की तरह मिस्र की सभ्यता भी अत्यंत प्राचीन एवं समृद्ध है जिसकी गौरव गाथा वहाँ प्राप्त अवशेषों से ज़ाहिर होती है।
- मिस्र के पिरामिड वहाँ के तत्कालीन सम्राट (फैरो) गणों के लिये बनाए गए स्मारक स्थल हैं, जिनमें राजाओं के शवों को दफना कर सुरक्षित रखा गया है। इन शवों को 'ममी' (Mummy) कहा जाता है।
- उनके शवों के साथ खाद्य अन्न, पेय पदार्थ, वस्त्र, गहनें, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार, जानवर एवं कभी-कभी तो सेवक-सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था।
- मिस्र में लगभग 138 पिरामिड हैं, लेकिन काहिरा के उपनगर गीज़ा में स्थित 'ग्रेट पिरामिड' विश्व के सात आश्चर्यों की सूची में शामिल है।
- दुनिया के सात प्राचीन आश्चर्यों में से यही एकमात्र ऐसा स्मारक है जिसका समय के साथ क्षय नहीं हो सका है। इसकी संरचना अत्यंत जटिल है।

यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल

- संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) दुनिया भर में उन सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासतों की पहचान एवं संरक्षण को प्रोत्साहित करता है जो मानवता के लिये उत्कृष्ट मूल्य के रूप में माने जाते हैं।
- 'विश्व के प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहरों पर सम्मेलन' जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, इसे वर्ष 1972 में यूनेस्को की सामान्य सभा में स्वीकृति दी गई।
- विश्व विरासत कोष अंतर्राष्ट्रीय सहायता की आवश्यकता वाले स्मारकों को संरक्षित करने से संबंधित गतिविधियों हेतु सालाना 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि उपलब्ध कराता है।
- विश्व विरासत समिति अनुरोधों तथा ज़रुरत के अनुसार धन आवंटित करती है, सबसे अधिक प्राथमिकता संकटग्रस्त स्थलों को दी जाती है।

आंतरिक सुरक्षा

गृह मंत्रालय: 'सोशल इंजीनियरिंग' साइबर अटैक से रहे सतर्क

चर्चा में क्यों?

गृह मंत्रालय ने सभी सरकारी अधिकारियों को सोशल इंजीनियरिंग साइबर अटैक के संबंध में आगाह किया है।

प्रमुख बिंदु:

- गृह मंत्रालय ने अधिकारियों को ऐसे असामाजिक तत्त्वों से बचने की हिदायत दी है जो टेलीफोन या ई-मेल के माध्यम से संवेदनशील जानकारी को चुराने का प्रयास कर सकते हैं।
- अधिकारियों को सतर्क किया गया है कि वे व्यक्तिगत या सरकारी जानकरी मांगने वाले व्यक्ति की सही पहचान को जाने बिना उनसे कॉल, ई-मेल या व्यक्तिगत मुलाकात से बचें।
- गृह मंत्रालय ने इस संदर्भ में एक बुकलेट जारी की है जिसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से लोगों को बिना बताए उनकी संवेदनशील जानकारी को प्राप्त किया जा रहा है और उनकी सूचनाओं के साथ छेड़छाड़ की जा रही है।
- इसके अतिरिक्त जारी की गई बुकलेट में बतया गया है कि विदेशों से लॉटरी के नाम पर आने वाली ई-मेल और संदेश पूर्णत: स्कैम होते हैं और अधिकारियों को इनका जवाब देने से बचना चाहिये।

सोशल इंजीनियरिंग:

सोशल इंजीनियरिंग लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित करने की एक कला है ताकि वे अपनी गोपनीय और महत्त्वपूर्ण जानकारियों को साझा कर सकें। यह मुख्यत: निम्न प्रकार से किया जा सकता है:

- **फिशिंग (Phishing):** इस प्रकार के साइबर अटैक में हैकर, लोगों को मोबाइल संदेश या ई-मेल इस उद्देश्य से भेजता है ताकि उनकी गोपनीय जानकारियों को चुराया जा सके। उदाहरण के लिये, हैकर आपको ऐसा ई-मेल भेज सकता है जो किसी विश्वसनीय स्रोत जैसे- बैंक अथवा सरकार आदि द्वारा प्रसारित प्रतीत होता हो, परंतु असल में वह संदेश ऐसे ही किसी अन्य संदेश की कॉपी होता है और आप जैसे ही अपनी गोपनीय जानकारियाँ उसमें भरते हैं, वैसे ही वे जानकारियाँ हैकर के पास पहुँच जाती हैं।
- **विशिंग (Vishing):** यह अटैक फिशिंग जैसा ही होता है, परंतु इसमें संदेश या ई-मेल के साथ पर फोन कॉल का प्रयोग किया जाता है। यह अक्सर देखा जाता है कि अटैकर बैंक के नाम पर फर्जी कॉल करते हैं और संबंधी जानकारी साझा करने के लिये कहते हैं।
- **कुइड प्रो कुओ (Quid Pro Quo):** यह एक लेटिन शब्द है जिसका अर्थ है 'कुछ के लिये कुछ'। इस प्रकार के अटैक में पीड़ित और हैकर के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, जिसमें पीड़ित को लगता है कि यह एक उचित सौदा है, परंतु असल में इसका उद्देश्य हैकर को लाभ पहुँचाना होता है।

भाभा कवच

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत की सबसे हल्की और सबसे सस्ती बुलेट प्रूफ जैकेट जिसे 'भाभा कवच' नाम दिया गया है, को नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पुलिस प्रदर्शनी-2019 में प्रदर्शित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- इस प्रदर्शनी का आयोजन नेक्सजेन एक्ज़िबिशन (Nexgen Exhibitions) (एशिया के अग्रणी और व्यापार मेले, प्रदर्शनी एवं सम्मेलन के आयोजक) द्वारा किया गया।

- इस बुलेट प्रूफ जैकेट का वज़न 9.2 किलोग्राम है और यह पारंपरिक जैकेट (जिसका वज़न लगभग 17 किलोग्राम होता है) की तुलना में काफी हल्की है।

निर्माण और विकास

- 'भाभा कवच' को आयुध निर्माणी बोर्ड (Ordnance Factory Board) और मिश्र धातु लिमिटेड (Mishra Dhatu Nigam Limited-MIDHANI), जैसे- रक्षा संगठनों को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (Bhabha Atomic Research Centre-BARC) से कार्बन-नैनोमैटेरियल प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के बाद स्वदेशी रूप से विकसित किया गया।
- MIDHANI, भारत का एक (सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम) विशिष्ट धातु और मिश्र धातु निर्माता संगठन है, जो हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित है।
- आयुध निर्माणी बोर्ड (Ordnance Factory Board-OCB) एक औद्योगिक संगठन है, जो रक्षा उत्पादन विभाग (Department of Defence Production), रक्षा मंत्रालय (कोलकाता में मुख्यालय) के अंतर्गत कार्य करता है।

विनिर्माण

- भाभा कवच उच्च-घनत्व, अधिक मज़बूत पॉलीथीन की परतों को उच्च तापमान पर पिघलाकर एक मोटी, कठोर प्लेट बनाई जाती है, जिस पर BARC के कार्बन नैनो-मैटेरियल छिड़का जाता है।
- जैकेट में प्रयुक्त सामग्री में कठोर बोरॉन कार्बाइड सिरेमिक (Boron Carbide Ceramics), कार्बन नैनो-ट्यूब (Carbon Nano-Tubes) और मिश्रित बहुलक (composite polymer) (दो या अन्य प्रकार के बहुलक से बने होते हैं) होते हैं।

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र

- BARC महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित भारत की प्रमुख परमाणु अनुसंधान केंद्र है।
- यह एक बहु-अनुशासनात्मक अनुसंधान केंद्र है जिसमें उन्नत अनुसंधान और विकास के लिये व्यापक बुनियादी ढाँचा उपलब्ध है।
- इसका उद्देश्य मुख्य रूप से परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण अनुप्रयोगों के तहत विद्युत् उत्पादन करना है।

आवश्यकता

- भारत में हुए कई आतंकवादी हमलों (जैसे-उरी, पुलवामा) को ध्यान में रखते हुए , भारतीय सुरक्षा बलों की सुरक्षा हेतु एक उन्नत, कुशल और लागत प्रभावी सुरक्षा प्रणाली विकसित करने की सख्त आवश्यकता है जो 21वीं सदी के संभावित खतरों से तेज़ी से निपट सके।
- केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जैसे- केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, और सशस्त्र सीमा बल; जो हमारे सीमाई क्षेत्रों को सुरक्षित करते हैं इसलिये भाभा कवच को निम्नलिखित हथियारों से भारतीय सुरक्षा बलों की रक्षा हेतु डिज़ाइन किया गया है:

1. AK-47 राइफल: 7.62mm हार्ड स्टील कोर या गोलियों से बचाव।
2. INSAS बुलेट: इंडियन स्माल आर्म्स सिस्टम की 5.56MM की गोली से सुरक्षा।
3. SLR: 7.56 MM की सेल्फ लोडिंग राइफल से रक्षा।

अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली (CCTNS)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली (Crime & Criminals Tracking Network and Systems-CCTNS) की सुविधा को देश के सभी थानों में लागू किया है। इस प्रकार के तंत्र के तहत सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस थानें; अपराध और अपराधियों से संबंधित सूचनाओं के एकत्रीकरण, सूचना साझाकरण एवं रिपोर्ट दर्ज करने हेतु एक राष्ट्रीय स्तर के पोर्टल का प्रयोग करेंगे।

CCTNS क्या है ?

- अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली (Crime & Criminals Tracking Network and Systems-CCTNS) वर्ष 2009 मे राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्लान के तहत स्थापित एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है।
- CCTNS प्रोजेक्ट के तहत नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिये वर्ष 2011 में NCRB और BSNL के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे।
- यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।

CCTNS का उद्देश्य:

- CCTNS का उद्देश्य ई-गवर्नेंस के सिद्धांतों को अपनाते हुए एक व्यापक और एकीकृत प्रणाली का निर्माण करना है। इसके माध्यम से पुलिस सेवाओं की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिये अपराधियों एवं अपराधों की एक राष्ट्रव्यापी आधारभूत नेटवर्क संरचना तैयार की जाएगी।

CCTNS द्वारा निम्नलिखित सेवाएँ प्रदान की जाएंगी:

- पुलिस स्टेशनों और अन्य पुलिस कार्यालयों की कार्यवाहियों को नागरिक अनुकूल, पारदर्शी, जवाबदेह, कुशल और प्रभावी बनाया जाएगा।
- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिक केंद्रित सेवाओं के वितरण में सुधार किया जाएगा।
- अपराध और अपराधियों की सटीक एवं तीव्र जाँच के लिये जाँच अधिकारियों को अद्यतित उपकरण, तकनीक और जानकारियाँ प्रदान की जाएगी।
- कानून और व्यवस्था, यातायात प्रबंधन एवं संसाधन प्रबंधन जैसे अन्य क्षेत्रों में पुलिस कार्यप्रणाली में सुधार किया जाएगा।
- विभिन्न पुलिस थानों, ज़िला तथा राज्य मुख्यालयों और अन्य एजेंसियों को राष्ट्रीय स्तर पर सूचना के संग्रहण, भंडारण, पुनर्प्राप्ति, विश्लेषण, हस्तांतरण एवं साझाकरण की सुविधा प्रदान की जाएगी। इससे अपराधियों से संबंधित सूचनाओं के एकत्रीकरण और उनको ट्रैक करने में आसानी होगी।
- वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को पुलिस बलों के बेहतर प्रयोग और प्रबंधन में सहायता मिलेगी।
- न्यायालयों में अपराधों की जाँच और अभियोजन मामलों की प्रगति को भी ट्रैक किया जा सकेगा।
- इससे कागज़ी कार्यवाहियों में कमी आएगी और डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

CCTNS काम कैसे करेगा ?

- राज्य के किसी थानें में यदि कोई भी मामला दर्ज किया जाएगा तो उससे संबंधित सूचनाएँ राष्ट्रीय स्तर के तंत्र पर भी अपडेट हो जायेंगी। राष्ट्रीय स्तर पर सूचना के अपडेट होने से यह सूचनाएँ संबंधित राज्य के अन्य थानों के साथ दूसरे राज्यों में भी अपडेट होंगी; इससे उस मामले के समाधान में आसानी होगी।
- उदाहरणस्वरुप, यदि दिल्ली का कोई 10 वर्ष का बच्चा भटककर राजस्थान पहुँच जाता है, तो उस बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दिल्ली के किसी थानें में दर्ज कराई जाएगी। यदि यह बच्चा राजस्थान पुलिस को मिलता है तो पुलिस उस बच्चे के नाम को CCTNS पोर्टल पर सर्च कर उसके विषय में जानकारी प्राप्त कर सकती है (इसके लिये ज़रुरी है कि दिल्ली पुलिस द्वारा संबंधित जानकारी को पोर्टल पर अपडेट किया गया हो)।

CCTNS और नागरिक केंद्रित सेवाएँ:

- CCTNS के तहत डिजिटल पुलिस पोर्टल की सुविधा प्रदान की जा रही है।
- इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक अपराध से संबंधित शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। साथ ही घरेलू कर्मचारियों (ड्राइवर, माली, गार्ड) और किरायेदारों का पुलिस सत्यापन भी करा सकेंगे।
- नागरिक अपने पूर्वजों के प्रमाणीकरण से संबंधित पहले से दर्ज किसी डेटा की भी मांग भी कर सकेंगे।
- इसके तहत एक मोटर वाहन समन्वय प्रणाली स्थापित की जाएगी जिसमें वाहनों की खरीद, पुन: पंजीकरण आदि की सूचनाएँ निहित होंगी। यह प्रणाली सार्वजनिक इकाइयों, आरटीओ, बीमा एजेंसियों और आम लोगों के लिये मददगार साबित होगी।
- कुछ क्षेत्रों में इस प्रणाली के तहत आवासीय सोसाएटी की सुरक्षा भी CCTV कैमरों के माध्यम से की जा रही है।

नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (नेटग्रिड) (National Intelligence Grid-NATGRID)

- NATGRID आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिये एक कार्यक्रम है।
- भारत में 26/11 के आतंकवादी हमले के दौरान सूचनाओं के संग्रहण के अभाव की बात सामने आई। इस हमले का मास्टरमाइंड डेविड हेडली वर्ष 2006 से 2009 के बीच हमले की योजनाओं को मूर्तरूप प्रदान करने हेतु कई बार भारत आया लेकिन उसके आवागमन की किसी भी सूचना का विश्लेषण नहीं किया जा सका और परिणामस्वरूप 26/11 जैसा वीभत्स आतंकवादी हमला हुआ।
- 26/11 के बाद इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर NATGRID की स्थापना की गई।
- यह संदिग्ध आतंकवादियों को ट्रैक करने और आतंकवादी हमलों को रोकने में विभिन्न खुफिया एवं प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता करता है।
- NATGRID बिग डेटा और एनालिटिक्स जैसी तकनीकों का उपयोग करते हुए डेटा की बड़ी मात्रा का अध्ययन एवं विश्लेषण करता है।
- यह विभिन्न चरणों में डेटा प्रदान करने वाले संगठनों और उपयोगकर्त्ताओं के समन्वय के साथ ही एक कानूनी संरचना विकसित करता है, इन सूचनाओं के माध्यम से कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ संदिग्ध गतिविधियों की जाँच करती हैं।

गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2019

चर्चा में क्यों?

लोकसभा ने गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2019 [Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill, 2019] पारित किया है।

प्रमुख बिंदु

- विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य आतंकी अपराधों की त्वरित जाँच और अभियोजन की सुविधा प्रदान करना तथा आतंकी गतिविधियों में शामिल व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने का प्रावधान करना है।
- इस विधेयक का किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दुरुपयोग नहीं किया जाएगा, लेकिन शहरी माओवादियों सहित भारत की सुरक्षा एवं संप्रभुता के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
- यह संशोधन उचित प्रक्रिया तथा पर्याप्त सबूत के आधार पर ही किसी को आतंकवादी ठहराने की अनुमति देता है। गिरफ्तारी या ज़मानत प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
- यह संशोधन राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) के महानिदेशक को ऐसी संपत्ति को ज़ब्त करने का अधिकार देता है जो उसके द्वारा की जा रही जाँच में आतंकवाद से होने वाली आय से बनी हो।
- इस संशोधन में परमाणु आतंकवाद के कृत्यों के दमन हेतु अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन (2005) को सेकेंड शिड्यूल में शामिल किया गया है।

संशोधन की आवश्यकता

- वर्तमान में किसी भी कानून में किसी को व्यक्तिगत आतंकवादी कहने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिये जब किसी आतंकवादी संगठन पर प्रतिबंध लगाया जाता है, तो उसके सदस्य एक नया संगठन बना लेते हैं।
- जब कोई व्यक्ति आतंकी कार्य करता है या आतंकी गतिविधियों में भाग लेता है तो वह आतंकवाद को पोषित करता है। वह आतंकवाद को बल देने के लिये धन मुहैया कराता है अथवा आतंकवाद के सिद्धांत को युवाओं के मन में स्थापित करने का काम करता है। ऐसे दोषी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करना आवश्यक है।

संशोधन के क्रियान्वयन में बाधाएँ

- वर्तमान में UAPA की धारा 43 के अध्याय IV और अध्याय VI के अनुसार DSP या समकक्ष पद से नीचे के अधिकारी इस कानून के तहत अपराधों की जाँच नहीं कर सकते हैं। NIA में पर्याप्त DSP की तैनाती नहीं है और इसके पास आने वाले मामलों की संख्या बराबर बढ़ती जा रही है।
- वर्तमान में NIA में 57 स्वीकृत पदों के मुकाबले 29 DSP और 106 स्वीकृत पदों के मुकाबले 90 निरीक्षक हैं।
- NIA के निरीक्षक आतंकी अपराधों की जाँच करने में पर्याप्त दक्ष हो चुके हैं और उपरोक्त संशोधन UAPA के अध्याय IV और अध्याय VI के तहत दंडनीय अपराधों की जाँच के लिये उन्हें और सक्षम बनाने के लिये किये जा रहे हैं।

एकीकृत युद्ध समूह (IBG)

चर्चा में क्यों ?

भारतीय सेना ने युद्ध में बेहतर प्रदर्शन और दुश्मन पर त्वरित आक्रमण करने की अपनी क्षमता में वृद्धि करने के लिये पहले एकीकृत युद्ध समूह (Integrated Battle Groups-IBG) का गठन करने का फैसला किया है।

प्रमुख बिंदु:

- IBG की संकल्पना का प्रयोग भारतीय सेना द्वारा स्वयं में सुधार के लिये किया जा रहा है जिसका कार्यान्वयन अगले माह यानी अगस्त 2019 के अंत तक होने की संभावना है।
- IBG, ब्रिगेड के आकार की एक दक्ष और आत्मनिर्भर युद्ध व्यवस्था है जो युद्ध की स्थिति में शत्रु के विरुद्ध त्वरित आक्रमण करने में सक्षम है।
- IBG का परीक्षण पहले ही किया जा चुका है हालाँकि इनकी संख्या का निर्धारण अभी तक नहीं किया गया है।
- प्रत्येक IBG का गठन संभावित खतरों, भू-भाग और कार्यों के निर्धारण के आधार पर किया जाएगा और इन्हीं तीन आधारों पर IBG को संसाधनों का आवंटन भी किया जाएगा।
- IBG कार्यवाही करने हेतु अपनी अवस्थिति के आधार पर 12 से 48 घंटों के भीतर संगठित होने में सक्षम होंगे।
- कमांड एक परिभाषित भौगोलिक क्षेत्र में फैली सेना की सबसे बड़ी स्थैतिक इकाई (Static Formation) होती है जबकि वाहिनी (Corps) सबसे बड़ी गतिशील इकाई (Mobile Formation) होती है। सामान्यत: प्रत्येक वाहिनी (Corps) में तीन डिवीज़न होते हैं और प्रत्येक डिवीज़न में तीन ब्रिगेड होते हैं।
- प्रत्येक वाहिनी (Corps) को 1 से 3 IBG में पुर्नगठित किया जाएगा साथ ही IBG का आकर ब्रिगेड के समान ही होगा परंतु IBG में तोपखाना (Infantry), बख्तरबंद (Armoured), आर्टिलरी और वायु-प्रतिरक्षा (Air Defence) आदि भी संभावित खतरों (Threat), भू-भाग (Terrain) और कार्यों के निर्धारण के आधार पर सन्निहित अथवा इसका भाग होंगे।
- IBG आक्रामक और रक्षात्मक दोनों प्रकार की होंगे। जहाँ एक ओर आक्रामक IBG तीव्रता से कार्यवाही करते हुये दुश्मन के क्षेत्र में हमला करने में सक्षम होंगे, वहीं दूसरी ओर रक्षात्मक IBG दुश्मन के संभावित हमले के प्रति सुभेद्य क्षेत्रों की सुरक्षा करेंगे।
- IBG का गठन सेना की 'कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन' (Cold Start Doctrine) का एक भाग है।

भारतीय सेना की 'कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन' (Cold Start Doctrine)

- यह डॉक्ट्रिन भारतीय सेना को दुश्मन (विशेष रूप से पाकिस्तान के विरुद्ध) के क्षेत्र में प्रवेश कर तीव्रता से कार्यवाही करने का लक्ष्य प्रदान करती है।
- इस डॉक्ट्रिन का विचार सर्वप्रथम वर्ष 2001 में संसद पर हुए आतंकी हमले के बाद 'ऑपरेशन पराक्रम' से आया।
- 'ऑपरेशन पराक्रम' के दौरान भारत की आक्रामक रणनीतियों की अनेक कमियाँ उजागर हुई जिनमें सीमा पर सेना की तैनाती में ही एक माह का समय लगने, जैसे कई मुद्दे शामिल थे।
- वर्ष 2017 में तत्कालीन थल सेना अध्यक्ष द्वारा इस डॉक्ट्रिन के अस्तित्व को स्वीकार किया गया।

चर्चा में

व्यक्ति

अमीश त्रिपाठी

लेखक अमीश त्रिपाठी को लंदन स्थित नेहरू सेंटर का निदेशक नियुक्त किया गया है। यह केंद्र भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) के तहत आता है। 'सीक्रेट ऑफ द नागा' और 'सीता- वॉरियर ऑफ मिथिला' जैसी पुस्तकों के लेखक अमीश त्रिपाठी, श्रीनिवास गोत्रु की जगह लेंगे, जिनका चार साल का कार्यकाल इस वर्ष की शुरुआत में समाप्त हो गया था। अमीश त्रिपाठी ने इस पद के लिये आवेदन किया था तथा एक चयन समिति ने उनका साक्षात्कार लिया और उसके बाद उन्हें नियुक्त किया गया। लंदन में नेहरू सेंटर की स्थापना वर्ष 1992 में की गई थी।

शेफाली जुनेजा

भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) की परिषद में भारत के प्रतिनिधि के रूप में शेफाली जुनेजा को तीन साल की अवधि के लिए नियुक्त किया है। वह वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। वह आलोक शेखर का स्थान लेंगी, जिन्हें अक्तूबर 2015 में इस पद के लिये नामित किया गया था। ICAO में 36 देशों का प्रतिनिधित्व है और इसका गठन 1944 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन पर शिकागो कन्वेंशन के तहत किया गया था। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा में है।

स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि

भारत माता मंदिर, हरिद्वार के संस्थापक और निवर्तमान शंकराचार्य महामंडलेश्वर स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि का 25 जून को 87 वर्ष की आयु में राघव कुटीर, हरिद्वार में निधन हो गया। उन्हें आश्रम परिसर में ही भू-समाधि दी गई। स्वामी सत्यमित्रानंद को 29 अप्रैल, 1960 को मात्र 26 वर्ष की आयु में भानपुरा पीठ का शंकराचार्य बना दिया गया था, लेकिन करीब 9 साल तक धर्म और मानव सेवा करने के बाद उन्होंने वर्ष 1969 में स्वयं शंकराचार्य का पद त्याग दिया था। उन्होंने हरिद्वार में भारत माता मंदिर की स्थापना की थी तथा उन्हें वर्ष 2015 में पद्मभूषण से भी सम्मानित किया गया था।

झरना धरा चौधरी

प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्त्ता और बांग्लादेश के नोआखाली में गांधी आश्रम ट्रस्ट की सचिव झरना धरा चौधरी का 27 जून को ढाका में निधन हो गया। उनकी गिनती प्रख्यात गांधीवादियों में होती है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन शांति, सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिये समर्पित कर दिया। वह अहिंसा और सांप्रदायिक सद्भाव के गांधीवादी सिद्धांतों से बेहद प्रभावित थीं। उनके काम की पहचान को मान्यता देते हुए वर्ष 2013 में उन्हें पद्मश्री, वर्ष 2010 में गांधी सेवा पुरस्कार तथा वर्ष 1998 में जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें गांधी सेवा पुरस्कार और सामाजिक कार्यों के लिये एकुशे (Ekushey) पदक जैसे कई अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार भी मिले। आपको बता दें कि नोआखाली में गांधी आश्रम ट्रस्ट महिलाओं की आय बढ़ाने के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करता है और गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करता है।

बसंत कुमार बिड़ला

प्रख्यात औद्योगिक समूह बिड़ला परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य बसंत कुमार बिड़ला का 3 जून को 98 वर्ष की उम्र में मुंबई में निधन हो गया। वह वर्तमान दौर के प्रसिद्ध उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला के दादा थे। वह महात्मा गांधी के नज़दीकी उद्योगपति घनश्यामदास बिड़ला के

सबसे छोटे पुत्र और आदित्य विक्रम बिड़ला के पिता थे। 80 वर्ष पूर्व बसंत कुमार बिड़ला ने व्यापार की कमान संभाल ली थी और सबसे पहले केसोराम इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन बने थे। इसके बाद उन्होंने कॉटन, विस्कॉस, पॉलियेस्टर, नायलॉन, रिफ्रेक्ट्री पेपर, शिपिंग, टायर कॉर्ड, ट्रांसपेरेंट पेपर, सीमेंट, चाय, कॉफी, इलायची, केमिकल्स, प्लाइवुड आदि में अपने समूह को शीर्ष पर पहुँचाया। इसके अलावा वह कई चेरिटेबल ट्रस्ट और शिक्षा संस्थानों से जुड़े हुए थे।

अपर्णा कुमार

उत्तर प्रदेश कैडर की IPS ऑफिसर और इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस (ITBP) की DIG अपर्णा कुमार उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊँची चोटी माउंट डेनाली पर तिरंगा फहराने वाली पहली महिला IPS बन गई हैं। माउंट डेनाली की समुद्र स्तर से ऊँचाई 20,301 फीट है। इसके साथ ही अपर्णा कुमार ने विश्व की सात पर्वतमालाओं की सबसे ऊँची चोटियों पर आरोहण करने में सफलता पाई है। इनमें माउंट एवरेस्ट, माउंट किलिमंजारो, माउंट एल्ब्रुस, कार्सटेंस पिरामिड, विन्सन मैसिफ व माउंट एकांकागुआ शामिल हैं।

अंबाती रायडू

टीम इंडिया के बैट्समैन अंबाती रायडू ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। गौरतलब है कि अंबाती रायडू ने 55 एकदिवसीय मैचों में 47.05 की औसत से 1694 रन बनाए तथा 6 अंतर्राष्ट्रीय टी-20 मैचों में 10.50 की औसत से 42 रन बनाए। उन्हें टेस्ट क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिला। अंबाती रायडू को BCCI की तरफ से विश्व कप के लिये रिज़र्व खिलाड़ियों में रखा गया था। इसके बावजूद विश्व कप के बीच सलामी बल्लेबाज़ शिखर धवन और नंबर चार पर खेलने वाले विजय शंकर के चोटिल होने पर भी उन्हें टीम में नहीं शामिल किया गया।

पिंगाली वैंकेया

4 जुलाई को पिंगाली वैंकेया की जयंती मनाई गई। आज देश में बहुत कम लोग यह जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज पिंगाली वैंकेया का ही डिज़ाइन किया हुआ है। 2 अगस्त, 1876 को जन्मे पिंगाली वैंकेया 19 वर्ष की उम्र में ब्रिटिश आर्मी से जुड़े और अफ्रीका में एंग्लो-बोएर (Anglo-Boer) युद्ध में हिस्सा लिया तथा यहाँ वह महात्मा गांधी से मिले। वर्ष 1921 में उन्होंने केसरिया और हरा झंडा सामने रखा था, जिसमें लाला हंसराज ने चरखा जोड़ा और महात्मा गांधी ने सफेद पट्टी जोड़ने का सुझाव दिया था। ज्ञातव्य है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को इसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई, 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था, जो 15 अगस्त, 1947 को भारत की स्वतंत्रता के कुछ ही दिन पूर्व आयोजित हुई थी। बाद में इसमें से चरखे को हटाकर सम्राट अशोक के धर्मचक्र को शामिल किया गया। पिंगाली वैंकेया का निधन 4 जुलाई 1963 को हुआ था तथा वर्ष 2009 में उन पर डाक टिकट जारी किया गया।

डेविड सासोली

यूरोपीय संघ ने इटली के सोशल डेमोक्रैट डेविड सासोली अपना नया अध्यक्ष चुना। गौरतलब है कि इससे एक दिन पहले प्रमुख पदों पर दो महिलाओं को पहली बार नामित किये जाने के बाद इस शीर्ष पद को भरा गया। डेविड सासोली का मुकाबला जर्मनी की ग्रीन पार्टी की स्का केलर, स्पेन के सीरा रेगो और चेक गणराज्य के ज़ेन से था। फ्राँस के स्ट्रासबर्ग में स्थित 751 सीटों वाली यूरोपीय संसद में गुप्त मतदान के ज़रिये एंतोनिया तज़ानी के उत्तराधिकारी के तौर पर डेविड सासोली को चुना गया। उनका कार्यकाल ढाई साल का रहेगा। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की जनसंख्या के हिसाब से हर देश को सीटें आवंटित होती हैं। इसके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल पाँच साल का होता है। यूरोपीय संघ संधि के तहत यूरोपीय परिषद में शामिल सभी 28 सदस्य देशों के नेता यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का मनोनयन करते हैं, इसके बाद 751 सदस्यीय नई संसद इसे अपनी स्वीकृति देती है।

हिमा दास

भारत की फर्राटा धाविका हिमा दास ने पोलैंड में पोजनान एथलेटिक्स ग्रां प्री में महिलाओं की 200 मीटर दौड़ का स्वर्ण पदक जीता। विश्व जूनियर चैंपियन और 400 मीटर में राष्ट्रीय रिकॉर्डधारक हिमा ने 200 मीटर में 23.65 सेकेंड का समय निकालकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस दौड़ में एक अन्य भारतीय वी.के. विसमाया ने 23.75 सेकेंड के व्यक्तिगत समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। गौरतलब है कि हिमा दास की 200 मीटर में इस साल यह पहली प्रतिस्पर्द्धी दौड़ थी। उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 23.10 सेकेंड है जो उन्होंने पिछले साल हासिल किया था।

किरियाकोस मित्सोताकिस

कंज़र्वेटिव पार्टी के नेता किरियाकोस मित्सोताकिस ने चुनावों में जीत हासिल करने के बाद ग्रीस के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने वामपंथी नेता एलेक्सिस सिप्रास को हराया था। उन्होंने आर्थिक संकट को खत्म करने की प्रतिबद्धता जताई है। उनकी न्यू डेमोक्रेसी पार्टी ने 40 प्रतिशत वोट हासिल कर 300-सदस्यीय संसद में 158 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि एलेक्सिस सिप्रास की वामपंथी सीरीजा पार्टी को 31.5 प्रतिशत मत मिले। ग्रीस का आर्थिक संकट दुनियाभर में जाना जाता है, जबकि अब काफी हद तक वह इससे उबर चुका है। ग्रीस को आर्थिक संकट से उबारने के लिये यूरोज़ोन बेलआउट पैकेज दिया गया था, जो 8 साल तक चला। इसके बाद ही ग्रीस आर्थिक संकट का सामना कर पाने में सक्षम हो सका।

राहुल द्रविड़

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ को बेंगलुरू स्थित राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अपनी इस नई भूमिका में वह कोचिंग और प्रशिक्षण के अलावा पुरुष एवं महिला सीनियर टीमों के कोच के साथ मिलकर काम करेंगे। वर्तमान में अंडर 19 टीम-ए के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ बेंगलुरु स्थिति राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के हेड ऑफ क्रिकेट ऑपरेशंस बनाए गए हैं। ज्ञातव्य है कि टीम इंडिया के लिये 500 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैच 164 टेस्ट और 344 एकदिवसीय मैच खेल चुके राहुल द्रविड़ ने 24 हज़ार से अधिक रन बनाए हैं। उन्होंने 25 टेस्ट मैचों में टीम इंडिया की कप्तानी भी की।

अब्दुल सत्तार ईधी

पाकिस्तान की प्रसिद्ध समाजसेवी संस्था ईधी फाउंडेशन के संस्थापक अब्दुल सत्तार ईधी का 5 जुलाई को कराची में निधन हो गया। उन्होंने वर्ष 1957 में कराची शहर से एंबुलेंस सेवा और डिस्पेंसरी सेवा शुरू की थी। आज यह फाउंडेशन अपनी हज़ारों एंबुलेंसों के ज़रिये पाकिस्तान के चारों प्रांतों में लोगों की सहायता कर रहा है। उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय पुरकार मिल चुके हैं, जिनमें लेनिन शांति पुरस्कार, रमन मैग्सेसे पुरस्कार, पॉल हैरिस फेलो, रोटरी इंटरनेशनल फाउंडेशन सम्मान शामिल हैं। उन्हें कई बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिये भी नामित किया गया था।

दुती चंद

भारत की फर्राटा धाविका दुती चंद इटली के नेपोली में 30वें विश्व यूनिवर्सिटी खेलों (Summer Universiade) में 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला ट्रैक और फील्ड खिलाड़ी बन गई हैं। दुती चंद ने 11.32 सेकंड का समय निकालकर यह रेस जीती, जबकि स्विट्जरलैंड की डेल पोंटे 11.33 सेकंड का समय निकालकर दूसरे स्थान पर रही और जर्मनी की लीज़ा क्वायी ने तीसरा स्थान हासिल किया। इस प्रकार ओडिशा की दुती चंद विश्व यूनिवर्सिटी खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई। उनसे पहले इंदरजीत सिंह ने 2015 में पुरुषों के शॉटपुट में स्वर्ण पदक जीता था। विदित हो कि दुती चंद ने वर्ष 2018 में हुए एशियाई खेलों में 100 और 200 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता था।

नोट :

अंशुला कांत

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की प्रबंध निदेशक अंशुला कांत को विश्व बैंक का प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्त अधिकारी नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मल्पास के अनुसार, अंशुला विश्व बैंक समूह में वित्तीय जोखिम प्रबंधन का दायित्व संभालेंगी और अध्यक्ष को रिपोर्ट करेंगी। अंशुला को वित्त, बैंकिंग का 35 वर्ष का अनुभव है तथा अन्य प्रमुख प्रबंधन कामों में वह वित्तीय रिपोर्टिंग, रिस्क मैनेजमेंट और अन्य वित्तीय संसाधनों को एकत्र करने पर विश्व बैंक के CEO के साथ मिलकर काम करेंगी। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को ही विश्व बैंक कहा जाता है। इसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में है। विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एक अहम संस्था है और यह कई संस्थाओं का समूह है, इसीलिये इसे विश्व बैंक समूह (World Bank Group) भी कहा जाता है। वर्तमान में विश्व बैंक में 189 देश सदस्य हैं।

ए.के. सीकरी

सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व जस्टिस ए.के. सीकरी सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय (SICC) में अंतर्राष्ट्रीय जज नियुक्त किये गए हैं। उनका कार्यकाल 4 जनवरी 2021 तक होगा। आपको बता दें कि SICC सिंगापुर हाईकोर्ट की एक डिवीजन और देश के सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा है। इसका कार्य अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक विवादों का निपटारा करना है। वर्तमान में 16 अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश इसमें शामिल हैं। जस्टिस सीकरी इसी वर्ष 6 मार्च को सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हुए थे और इससे पहले वह पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। कुछ समय पूर्व उन्हें न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (NBA) ने न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (NBSA) का चेयरपर्सन बनाया था।

अनुसुइया उइके

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अनुसुइया उइके को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल नियुक्त किया है। कुछ समय से मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार था। इसके साथ विश्वभूषण हरिचंदन को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। उन्होंने ई.एस.एल. नरसिम्हन का स्थान लिया है जो 10 वर्ष से प्रदेश के राज्यपाल थे। इससे पहले राष्ट्रपति ने कलराज मिश्र को हिमाचल प्रदेश का नया राज्यपाल नियुक्त किया, जबकि वहाँ के राज्यपाल आचार्य देबब्रत को गुजरात का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। विदित हो कि कलराज मिश्र को वर्ष 2014 से 2019 के पहले कार्यकाल में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया था। हालाँकि, उन्होंने 75 वर्ष की उम्र पार करने पर वर्ष 2017 में ही मंत्री पद छोड़ दिया था। विदित हो कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र सरकार की सलाह से की जाती है, लेकिन राज्य में राज्यपाल केंद्र के अधीनस्थ नहीं है, यह एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है।

उर्सुला वॉन डेर लेयेन

जर्मनी की निवर्तमान रक्षा मंत्री उर्सुला वॉन डेर लेयेन को यूरोपीय यूनियन की कार्यकारी इकाई यूरोपीय कमीशन का अध्यक्ष चुना गया है। वह इस पद को संभालने वाली पहली महिला हैं। क्रिश्चियन डेमोक्रेट यूनियन की सदस्य उर्सुला, ज्याँ-क्लाउड जुनकर की जगह लेंगी। उन्हें जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल का विश्वस्त सहयोगी माना जाता है और बीते 50 साल में यह पहला अवसर है जब जर्मनी के किसी व्यक्ति को यूरोपीय कमीशन का अध्यक्ष चुना गया है। आपको बता दें कि यूरोपीय संघ का एक महत्त्वपूर्ण अंग है यूरोपीय कमीशन। इसके अलावा यूरोपीय संसद, यूरोपीय संघ परिषद तथा यूरोपीय सेंट्रल बैंक भी इसके महत्त्वपूर्ण अंग हैं। यूरोपीय संघ मुख्यत: यूरोप में स्थित 28 देशों का एक आर्थिक और राजनीतिक मंच है, जिनकी प्रशासकीय साझेदारी है तथा साझी मुद्रा (यूरो) के अलावा साझी विदेश, सुरक्षा, न्याय नीति भी है।

केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चार राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की है तथा दो राज्यपालों का तबादला कर दिया। नगा वार्ता के पूर्व वार्ताकार आर.एन. रवि को नगालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है तथा प्रख्यात वकील पूर्व सांसद जगदीप धनखड़ को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया है। रमेश बैस को त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है तथा फागू चौहान बिहार के राज्यपाल के तौर पर लालजी टंडन का स्थान लेंगे। मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है, उनकी जगह बिहार के राज्यपाल लालजी टंडन लेंगे।

फर्नांडो कॉर्बेटो

अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक फर्नांडो कॉर्बेटो (Fernando Corbato) का 93 वर्ष की उम्र में न्यूयॉर्क में निधन हो गया। कॉर्बेटो ने कंप्यूटर पासवर्ड का आविष्कार किया था। उन्होंने 1960 के दशक में कंप्यूटर टाइम शेयरिंग सिस्टम (CTSS) को लेकर एक प्रोजेक्ट पर काम किया, जिसमें विभिन्न स्थानों पर कई उपयोगकर्त्ताओं को एक ही कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों के माध्यम से एक साथ एक्सेस करने की सुविधा दी गई। उनकी इसी खोज की वज़ह से आज पर्सनल कंप्यूटर पासवर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। वह मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) में प्रोफेसर थे। CTSS ने कई लोगों के लिये एक समय में एक कंप्यूटर का उपयोग करना और जटिल गणितीय कार्य करना संभव बना दिया। कॉर्बेटो की इस खोज से यह संभव हो पाया कि एक कंप्यूटर सिस्टम को कई लोग अलग-अलग अकाउंट से खोल सकते हैं। इस दौरान किसी अन्य यूज़र के फाइल या डाटा को नहीं खोला जा सकता। इससे किसी का निजी डेटा लीक होने की संभावना कम हो गई।

सचिन तेंदुलकर

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने भारत के सचिन तेंदुलकर को उनकी महान उपलब्धियों के लिये सम्मानित करते हुए हॉल ऑफ फेम में शामिल किया इस सम्मान को पाने वाले सचिन तेंदुलकर छठे भारतीय क्रिकेटर हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सचिन के नाम कई रिकॉर्ड हैं जिनमें कुल 34357 रन और 100 शतक शामिल हैं। साथ ही उनके नाम 330 टेस्ट विकेट और 272 वनडे विकेट भी दर्ज हैं। उनसे पहले भारत की तरफ से यह सम्मान बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले और राहुल द्रविड़ को मिल चुका है। इस वर्ष सचिन के अलावा ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की पूर्व गेंदबाज़ कैथरीन फिट्जपैट्रिक और साउथ अफ्रीका के पूर्व तेज़ गेंदबाज़ एलन डोनाल्ड को भी यह सम्मान दिया गया। ICC हॉल ऑफ फेम में उन्हीं खिलाड़ियों को शामिल करता है जिन्हें क्रिकेट को अलविदा किये कम-से-कम पाँच वर्ष हो चुके हैं। सचिन ने भारत के लिये अपना आखिरी टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ नवंबर 2013 में खेला था।

पृथु गुप्ता

भारत के पृथु गुप्ता देश के 64वें ग्रैंडमास्टर बन गए हैं। उन्होंने पुर्तगाल लीग-2019 के पाँचवें दौर में लेव यानकेलेविक को मात देकर 2500 अंकों को पार किया और यह कामयाबी हासिल की। पृथु गुप्ता ने यह कीर्तिमान 15 साल, 4 महीने और 10 दिन की उम्र में हासिल किया। ज्ञातव्य है कि डी. गुकेश भारत के सबसे युवा ग्रैंडमास्टर हैं, वह 12 साल, सात महीने और 17 दिन की उम्र में ग्रैंडमास्टर बने थे। विश्वनाथन आनंद भारत के पहले ग्रैंडमास्टर थे, जो 31 साल पहले वर्ष 1988 में इस मुकाम तक पहुँचे थे। लेकिन अगले 11 साल में केवल दो भारतीय- दिब्येंदु बरुआ और प्रवीण थिप्से ही ग्रैंडमास्टर का दर्जा हासिल कर पाए। इसके बाद यह संख्या तेज़ी से बढ़ी और नई सदी के पहले 19 वर्षों में 59 भारतीयों ने ग्रैंडमास्टर का दर्जा हासिल किया। वर्ष 2019 में अब तक 6 भारतीय ग्रैंडमास्टर बन चुके हैं। किसी खिलाड़ी को ग्रैंडमास्टर का खिताब शतरंज की सर्वोच्च संस्था विश्व शतरंज महासंघ द्वारा दिया जाता है। किसी शतरंज खिलाड़ी को ग्रैंडमास्टर बनने के लिये न्यूनतम 2500 अंक प्राप्त करने आवश्यक होते हैं।

बोरिस जॉनसन

ब्रेक्ज़िट की पृष्ठभूमि में बोरिस जॉनसन को ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री चुना गया है। वह प्रधानमंत्री थेरेसा मे का स्थान लेंगे। लंदन के मेयर रह चुके बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री पद की दौड़ में जेरमी हंट को पीछे छोड़ा। गौरतलब है कि ब्रिटेन की यूरोपियन यूनियन के साथ बेक्ज़िट डील कराने में विफल रहने के बाद 7 जून को थेरेसा मे ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उनकी कंज़र्वेटिव पार्टी ने बोरिस जॉनसन और जेरेमी हंट में से किसी एक को प्रधानमंत्री चुनने के लिये पार्टी कार्यकर्त्ताओं का मत जानना चाहा था। इसमें पार्टी के 1.60 लाख कार्यकर्ताओं से बैलेट वोटिंग कराई गई। बोरिस जॉनसन के सामने सबसे बड़ी चुनौती ब्रेक्ज़िट विवाद को हल करने की होगी। ब्रिटेन को इस साल 31 अक्तूबर तक यूरोपीय संघ से अलग होने की प्रक्रिया पूरी करनी है। थेरेसा मे ने बतौर प्रधानमंत्री 23 जुलाई को अपनी आखिरी कैबिनेट मीटिंग में हिस्सा लिया तथा अपना इस्तीफा महारानी एलिजाबेथ को सौंप दिया। इसके बाद ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री के नाम का ऐलान किया गया।

युकिया अमानो

अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के महानिदेशक युकिया अमानो का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। लंबे समय तक फ्राँस, अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड आदि देशों में जापान के राजनयिक रहे युकिया अमानो दिसंबर 2009 में IAEA के महानिदेशक बने थे। तब उन्होंने मिस्र के मोहम्मद अल बरदई का स्थान लिया था तथा IAEA के प्रमुख के तौर पर उनका तीसरा कार्यकाल नवंबर 2021 में समाप्त होना था। विदित हो कि उनकी ही देखरेख में ईरान और छह विश्व शक्तियों- ब्रिटेन, चीन, फ्राँस, जर्मनी, रूस और अमेरिका के बीच वर्ष 2015 में परमाणु समझौता हुआ था। इस करार के तहत ईरान प्रतिबंध हटाने के बदले अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने के लिये राज़ी हो गया था, लेकिन अमेरिका ने मई 2018 में इस समझौते से खुद को अलग कर लिया था जिसके बाद से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय तनाव चरम पर है। IAEA एक स्वायत्त वैश्विक संस्था है, जिसका उद्देश्य विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है। यह परमाणु ऊर्जा के सैन्य उपयोग को किसी भी प्रकार रोकने में प्रयासरत रहती है। IAEA का गठन 29 जुलाई, 1957 को हुआ था।

थेरेसा मे के इस्तीफे के बाद ब्रिटेन में बने नए मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने तीन भारतवंशियों को भी शामिल किया है। गुजराती मूल की प्रीति पटेल को गृह मंत्री बनाया गया है, वे ब्रेक्ज़िट के मुद्दे को लेकर थेरेसा मे की नीतियों की मुखर आलोचक थीं। नवंबर 2017 में थेरेसा मे ने प्रीति पटेल को अंतर्राष्ट्रीय विकास मामलों के मंत्री पद से हटा दिया था। प्रीति पटेल वर्ष 2010 में पहली बार एसेक्स के विथेम से कंज़रवेटिव सांसद बनी थीं। इससे पहले ब्रिटेन के गृह मंत्री पाकिस्तानी मूल के साजिद जाविद थे, जिन्हें अब वित्त मंत्री बनाया गया है। इन्फोसिस के सह-संस्थापक एन.आर. नारायण मूर्ति के दामाद ऋषि सुनाक को ट्रेज़री मिनिस्टर और आलोक शर्मा को अंतर्राष्ट्रीय विकास मामलों का विदेश मंत्री बनाया गया है। बोरिस जॉनसन ने उन सभी लोगों को पदोन्नत किया है, जिन्होंने ब्रेक्ज़िट मुद्दे पर उनका साथ दिया था। बोरिस जॉनसन को कट्टर ब्रेक्ज़िट समर्थक माना जाता है।

वी.के. जौहरी

IPS अधिकारी वी.के. जौहरी देश के सबसे बड़े सीमा सुरक्षा बल (BSF) के महानिदेशक नियुक्त किये गए हैं। नियुक्ति से संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति ने यह आदेश जारी किया। इस समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और गृहमंत्री अमित शाह उसके सदस्य हैं। मध्य प्रदेश कैडर के वर्ष 1984 बैच के IPS अधिकारी वी.के. जौहरी फिलहाल कैबिनेट सचिवालय में रॉ के विशेष सचिव हैं। वह BSF में रजनीकांत मिश्रा की जगह लेंगे जो 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। लगभग ढाई लाख कर्मियों वाला BSF देश का सबसे बड़ा सीमा प्रहरी बल है और उस पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगती भारत की दो महत्त्वपूर्ण सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मा है। जीवन पर्यन्त कर्त्तव्य उद्देश्य वाक्य के साथ BSF का गठन 1 दिसंबर, 1965 को हुआ था। देश में दो अन्य सीमा प्रहरी बल ITBP (चीन के साथ लगी सीमा की सुरक्षा) और SSB (नेपाल एवं भूटान के साथ सीमा की सुरक्षा) हैं।

अंशुला कांत

भारत की अंशुला कांत को विश्व बैंक की प्रबंध निदेशक (MD) और मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) नियुक्त किया गया है।

- अंशुला कांत विश्व बैंक की पहली महिला मुख्य वित्तीय अधिकारी होंगी।
- प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में वह निम्नलिखित ज़िम्मेदारियों का निर्वहन करेंगी:
- विश्व बैंक समूह का वित्तीय और जोखिम प्रबंधन।
- वित्तीय रिपोर्टिंग की स्थिति।
- वित्तीय संसाधनों के एकत्रीकरण पर विश्व बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ मिलकर काम करना।

इंगर एंडरसन

डेनिश अर्थशास्त्री एवं पर्यावरणविद् सुश्री इंगर एंडरसन (IngerAndersen) को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (United Nations Environment Program-UNEP) की नई कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

- सुश्री एंडरसन को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा पद के लिये नामांकित किया गया था तथा फरवरी 2019 में महासभा द्वारा अनुमोदित किया गया था।
- जनवरी 2015 और मई 2019 के बीच सुश्री एंडरसन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) की महानिदेशक थी।
- IUCN में शामिल होने से पहले सुश्री एंडरसन ने विश्व बैंक में महत्त्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रहीं।
- इन्होनें मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका के उपराष्ट्रपति, सतत् विकास के उपाध्यक्ष तथा अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र (CGIAR) कोष परिषद के प्रमुख के रूप में कार्य किया।
- सुश्री एंडरसन ने 12 वर्षों के लिये संयुक्त राष्ट्र में भी काम किया है।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम

- यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1972 में मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान हुई थी।
- इस संगठन का उद्देश्य मानव पर्यावरण को प्रभावित करने वाले सभी मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना तथा पर्यावरण संबंधी जानकारी का संग्रहण, मूल्यांकन एवं पारस्परिक सहयोग सुनिश्चित करना है।
- UNEP पर्यावरण संबंधी समस्याओं के तकनीकी एवं सामान्य निदान हेतु एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। UNEP अन्य संयुक्त राष्ट्र निकायों के साथ सहयोग करते हुए सैकड़ों परियोजनाओं पर सफलतापूर्वक कार्य कर चुका है।
- इसका मुख्यालय नैरोबी (केन्या) में है।

डॉ. मुथुलक्ष्मी रेड्डी

देश की पहली महिला विधायक डॉ. मुथुलक्ष्मी रेड्डी की 133वीं जयंती पर गूगल (Google) ने अपना खास डूडल (Doodle) बनाया है।

- डॉ. मुथुलक्ष्मी रेड्डी एक सर्जन, शिक्षक, कानूनविद् और समाज सुधारक थीं जिन्होंने अपना जीवन सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये समर्पित किया तथा आजीवन लैंगिक असमानता के खिलाफ संघर्षरत रहीं।
- तमिलनाडु सरकार ने राज्य के सरकारी अस्पतालों को प्रत्येक वर्ष इनकी जयंती के अवसर पर 'अस्पताल दिवस' (Hospital Day) मनाने की घोषणा की है।
- वर्ष 1886 में तमिलनाडु के पुदुक्कोट्टई में जन्मी डॉ. रेड्डी मद्रास मेडिकल कॉलेज में सर्जरी विभाग में पहली भारतीय छात्रा थी।
- वर्ष 1918 में उन्होंने महिला इंडियन एसोसिएशन की सह-स्थापना की तथा मद्रास विधान परिषद की पहली महिला सदस्य (और उपाध्यक्ष) के रूप में भारत की पहली महिला विधायक बनी।
- इन्होंने लड़कियों के विवाह के लिये न्यूनतम आयु सीमा बढ़ाने में मदद की तथा काउंसिल को अनैतिक यातायात नियंत्रण अधिनियम (Immoral Traffic Control Act) एवं देवदासी प्रणाली विधेयक (Devadasi system abolishment Bill) को पारित करने के लिये प्रेरित किया।

राजीव कुमार: नए वित्त सचिव

मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने राजीव कुमार को नया वित्त सचिव मनोनीत करने को मंज़ूरी दे दी है।

- वित्त सचिव भारत के वित्त मंत्रालय का वरिष्ठतम IAS अधिकारी होता है जो मंत्रालय के विभिन्न विभागों के काम-काज में समन्वय रखता है।
- भारत सरकार के सचिव के रूप में वित्त सचिव भारतीय संविधान के वरीयता अनुक्रम में 23वें स्थान पर हैं।
- राजीव कुमार सुभाष चंद्र गर्ग का स्थान लेंगे जिन्हें स्थानांतरित कर विद्युत् विभाग का सचिव बनाया गया है।
- राजीव कुमार भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 1984 बैच के झारखंड कैडर अधिकारी हैं।

स्थान

जयपुर शहर

यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की बैठक 30 जून से 10 जुलाई तक अज़रबैजान की राजधानी बाकू में आयोजित हुई। विश्व धरोहर समिति के 43वें सत्र के बाद वास्तुकला की बेहतरीन विरासत और जीवंत संस्कृति के लिये राजस्थान की राजधानी जयपुर शहर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के तौर पर चिह्नित किया गया। आईसीओएमओएस स्मारक और स्थल पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद ने वर्ष 2018 में जयपुर शहर का निरीक्षण किया था। इससे पहले वर्ष 2018 में मुंबई के विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको इनसेंबल को विश्व धरोहर स्थल के तौर पर चुना गया था। जयपुर के शामिल होने के साथ यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत के विरासत स्थलों की संख्या बढ़कर 38 हो गई है। इसमें 30 सांस्कृतिक संपत्ति, सात प्राकृतिक संपत्ति और एक मिश्रित स्थल है। वर्ष 2017 की ऑपरेशनल गाइडलाइंस के तहत एक राज्य से हर साल सिर्फ एक स्थान को ही विश्व विरासत बनाने के लिये प्रस्तावित किया जा सकता है। यह दर्जा प्राप्त होने से घरेलू अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिलता है तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को मज़बूती मिलती है और लोगों को रोज़गार भी मिलता

बेबीलोन

जयपुर के अलावा यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने तीन दशक की जद्दोजेहद के बाद इराक के विशाल क्षेत्र में फैले प्राचीन मेसोपोटामियाई शहर बेबीलोन को विश्व धरोहरों की सूची में शामिल कर लिया है। ज्ञातव्य है कि इराक 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस विस्तृत परिसर को यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल करने के लिये वर्ष 1983 से ही कोशिश कर रहा था। इस प्राचीन शहर की अब तक केवल 18 प्रतिशत ही खुदाई हुई है। इराक की राजधानी बगदाद के दक्षिण में करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर फरात नदी के तट पर स्थित यह शहर 4000 साल से भी अधिक प्राचीन बेबीलोनियन साम्राज्य का केंद्र था। इराक की आपत्ति के बाद बेबीलोन को संकट में घिरी विश्व धरोहर घोषित नहीं किया गया।

मेघालय

मेघालय देश में जल नीति पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है। इस नीति का उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी के साथ-साथ सतत विकास और जल संसाधनों का इस्तेमाल करना है। इस नीति से स्वास्थ्य और आजीविका में सुधार होगा और लोगों के बीच भेदभाव नहीं होगा। यह एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन और पर्यावरणीय स्थिरता के ज़रिये वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिये सुशासन भी सुनिश्चित करेगा। इस नीति में जलग्रहण क्षेत्रों के संरक्षण और नदी प्रदूषण जैसे मुद्दों को भी रेखांकित किया गया है। जीवनयापन हेतु पानी के इस्तेमाल एवं जल निकायों का कैसे संरक्षण किया जाए जैसे मुद्दों को इस नीति में जगह दी गई है। इसमें गाँव के स्तर पर जल स्वच्छता ग्राम परिषद का गठन कर इस नीति को लागू करने में सामुदायिक भागीदारी को भी शामिल किया गया है। ज्ञातव्य है कि पहाड़ी राज्य होने के कारण मेघालय में पर्याप्त वर्षा होती है, लेकिन यह पानी ठहरता नहीं है और बिना रुके बांग्लादेश पहुँच जाता है।

काकीनाडा होप आइलैंड

- हाल में काकीनाडा होप आइलैंड का विकास, कोनसीमा (आंध्र प्रदेश) नामक परियोजना को वर्ल्ड क्लास कोस्टल एंड इको टूरिज्म सर्किट (World Class Coastal & Eco Tourism Circuit) नाम दिया गया है। इसे स्वदेश दर्शन योजना (Swadesh Darshan Scheme) के तहत स्वीकृत किया गया था।

होप आइलैंड

- यह आंध्र प्रदेश के पूर्व गोदावरी ज़िले में रेत से निर्मित लगभग 200 साल पहले बना टैडपोल के आकार का एक द्वीप है।
- यह कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य (Coringa Wildlife Sanctuary) और श्री कुक्कुटेश्वर स्वामी मंदिर (Sri Kukkuteswara Swamy Temple) से लगभग 10 किमी. की दूरी पर स्थित है।

माउंट एटना

हाल ही में इटली के सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना (Mount Etna) से लावा और धुआँ निकलने के कारण वहाँ का जन-जीवन प्रभावित हुआ।

- ज्वालामुखी के उद्गार से करीब 15 किलोमीटर तक लावा फैल गया।
- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जियोफिजिक्स एंड वलकैनोलॉजी के अनुसार, जून के प्रारंभ में भी यह सक्रिय हुआ था।
- इससे पहले दिसंबर 2012 में भी इस ज्वालामुखी से लावा निकलने की जानकारी प्राप्त हुई थी।
- माउंट एटना (Mount Etna) यूरोप का सबसे ऊँचा और सक्रिय ज्वालामुखी है।
- यह इटली में सिसली के पूर्वी तट पर स्थित है और इटली का सबसे ऊँचा पर्वत है।
- संयुक्त राष्ट्र ने माउंट एटना को डिकेड वोल्केनो का खिताब दिया है।
- संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल की सूची में भी शामिल किया है।
- यह ज्वालामुखी लगभग 3326 मीटर ऊँचा है।
- यह अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की सीमा पर स्थित है।

क्यूबा की क्रांति

- हाल ही में क्यूबाई क्रांति (जिसे फिदेल कास्त्रो और अर्नेस्टो चे' ग्वेरा ने अंजाम दिया था) के 60 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नई दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि क्यूबा के महान क्रांतिकारी चे ग्वेरा की बेटी अलाइदा ग्वेरा (Aleida Guevara) थी।
- 1950 के दशक में क्यूबा का नेतृत्व फुलगेनसियो बतिस्ता (Fulgencio Batista) की भ्रष्ट और दमनकारी सैन्य सरकार के हाथों में था। चूँकि वह क्यूबा में अमेरिकी हितों का समर्थन करता था इसलिये अमेरिका ने भी क्यूबा में शासन करने में उसका साथ दिया। बतिस्ता शासन के प्रति लोगों के बीच असंतोष का माहौल था। बतिस्ता शासन क्यूबा के लोगों के बीच बेहद अलोकप्रिय था।
- वर्ष 1956 में फिदेल कास्त्रो और चे ग्वेरा ने छापामार लड़ाकों का एक समूह बनाया और सरकारी बलों के खिलाफ एक क्रांतिकारी युद्ध की शुरुआत की। वर्ष 1958 तक यह क्रांति पूरे क्यूबा में फैल गई थी तथा इसकी समाप्ति वर्ष 1959 की शुरुआत में क्यूबा की राजधानी हवाना के पतन के साथ हुई। बतिस्ता वर्ष 1959 में देश छोड़कर भाग गया और कास्त्रो ने क्यूबा को अमेरिकी प्रभाव से मुक्त कर एक उदार राष्ट्रवादी सरकार का गठन किया।

पुरस्कार

आइसा-कर्नाटका विश्वेश्वरैया सोलर अवार्ड

दुनियाभर में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिये कर्नाटक सरकार ने प्रख्यात इंजीनियर भारत रत्न एम. विश्वेश्वरैया के नाम पर आइसा-कर्नाटका विश्वेश्वरैया सोलर अवार्ड देने का निर्णय लिया है। यह अवार्ड हर साल दुनिया के एक देश को फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने पर दिया जाएगा। विदित हो कि हरियाणा सरकार द्वारा अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर आइसा-हरियाणा कल्पना चावला सोलर अवार्ड शुरू करने के निर्णय के बाद कर्नाटक देश का दूसरा राज्य है जिसने ऐसा अवार्ड शुरू करने का फैसला किया है। इस अवार्ड के लिये नियमानुसार कर्नाटक सरकार इंटरनेशनल सोलर एलायंस (ISA) के खाते में दस करोड़ रुपये जमा कराएगी। इसका जो ब्याज आएगा उसमें से 75 प्रतिशत राशि अवार्ड के रूप में दी जाएगी। फिलहाल फ्लोटिंग सोलर के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले दुनिया के एक देश को हर साल अवार्ड देने का विचार है। आपको बता दें कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वर्ष 2015 के दौरान इंटरनेशनल सोलर एलायंस अस्तित्व में आया। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है।

उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कारों

संगीत नाटक अकादमी ने वर्ष 2018 के लिये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। नृत्य, संगीत, पारंपरिक/लोक/जनजातीय संगीत/नृत्य/थियेटर और कठपुतली क्षेत्र में 8-8 कलाकारों को पुरस्कृत किया जाना है, जबकि थियेटर के क्षेत्र में 7 पुरस्कार दिये जाने हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार कला प्रदर्शन के विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट युवा प्रतिभाओं की पहचान करने, उन्हें प्रोत्साहन देने और शीघ्र राष्ट्रीय मान्यता देने के उद्देश्य से 40 वर्ष से कम आयु के कलाकारों को प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में 25 हज़ार रुपए की नकद राशि दी जाती है। आपको बता दें कि संगीत नाटक अकादमी, संगीत, नृत्य और नाटक की राष्ट्रीय अकादमी है तथा यह देश में कला प्रदर्शन का शीर्ष निकाय भी है। इसके साथ ही संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों की भी घोषणा की गई है। वर्ष 2018 के लिये संगीत नाटक अकादमी की आम परिषद ने कुल 44 कलाकारों का चयन किया है। इनमें संगीत के क्षेत्र में 11, नृत्य के क्षेत्र में 9, रंगमंच के क्षेत्र में 9 तथा पारंपरिक/लोक/ जनजातीय संगीत/नृत्य/रंगमंच और कठपुतली कला के क्षेत्र में 10 कलाकारों को चुना गया है। अकादमी पुरस्कार 1952 से दिया जा रहा है। यह सम्मान न केवल उत्कृष्टता और उपलब्धियों के सर्वोच्च मानक का प्रतीक है, बल्कि निरंतर व्यक्तिगत कार्य और योगदान को मान्यता प्रदान करता है। अकादमी फैलो को 3 लाख रुपए और अकादमी पुरस्कार के रूप में ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम के अलावा एक लाख रुपए दिये जाते हैं।

सार्क फिल्म समारोह

हाल ही में श्रीलंका के कोलंबो में संपन्न हुए नौवें सार्क फिल्म समारोह में बांग्ला फिल्म निर्माता कौशिक बसु की फिल्म नगरकीर्तन को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार से नवाज़ा गया। इसके अलावा इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक तथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी मिला। भारतीय फिल्मों को कुल 6 पुरस्कार मिले। सार्क या दक्षेस का पूरा नाम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (South Asian Association for Regional Cooperation -SAARC) है और यह आठ दक्षिण एशियाई देशों का एक आर्थिक-भू-राजनीतिक संगठन है। इसके सदस्य देशों में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर, 1985 को हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशिया के देशों के बीच सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, एक-दूसरे की समस्याओं को सुलझाने के लिये आपसी विश्वास और समझ विकसित करना है। सार्क का सचिवालय काठमांडू, नेपाल में है।

पीपल्स चॉइस अवार्ड

प्रख्यात भारतीय रेत कलाकार (Sand Artist) सुदर्शन पटनायक को अमेरिका में सैंड स्कल्पटिंग फेस्टिवल में पीपल्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सुदर्शन पटनायक ने महासागरों में प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने संबंधी संदेश देते हुए रेत पर स्टॉप प्लास्टिक पॉल्यूशन, सेव आवर ओशन कलाकृति बनाई थी, जिसके लिये उन्हें पुरस्कृत किया गया है। मैसाचुसेट्स के बोस्टन में 'रिवीर बीच' पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय 'सैंड स्कल्पटिंग फेस्टिवल' 2019 में हिस्सा लेने के लिये विश्वभर से चुने गए 15 शीर्ष रेत कलाकारों में पटनायक भी शामिल थे। उन्हें उनकी कलाकृति के लिये 'पीपल्स चॉइस अवार्ड' से सम्मानित किया गया। पद्म श्री से सम्मानित सुदर्शन पटनायक देश के लिये कई पुरस्कार जीत चुके हैं तथा उनका नाम गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है

सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार

ट्रेन हादसों में हाथियों की मौत को रोकने तथा उन्हें रेलवे पटरियों से दूर रखने के लिये पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा अपनाई गई अनोखी रणनीति प्लान बी (Plan Bee) को भारतीय रेलवे ने सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार (Best Innovation Award) प्रदान किया है।

- इस रणनीति के अंतर्गत क्रॉसिंग पर ऐसे ध्वनि यंत्र लगाए जाते हैं जिनसे मधुमक्खियों की भिनभिनाहट जैसी आवाज़ निकलती है, इस आवाज़ के कारण हाथी रेल की पटरियों से दूर रहते हैं और ट्रेन हादसों का शिकार होने से बच जाते हैं।
- पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के उत्तर-पूर्व के क्षेत्रों, पश्चिम बंगाल और बिहार में कुल 29 हाथी गलियारे चिन्हित किये गए हैं जहाँ पर ट्रेनों की गति को धीमा करना और निर्दिष्ट गति का पालन करना आवश्यक है।
- सबसे पहले यह यंत्र गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के पास स्थापित किया गया।
- वर्तमान में 46 उपकरण ऐसे सुभेद्य बिंदुओं पर स्थापित हैं।
- इस ध्वनि यंत्र की आवाज़ को 600-700 मीटर की दूरी पर स्थित हाथियों द्वारा सुना जा सकता है और इस तरह यह उन्हें पटरियों से दूर रखने में मदद करता है।
- वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार, भारत में वैश्विक स्तर पर हाथियों की रेल दुर्घटनायें सबसे अधिक हैं।
- पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ज़ोन अधिकारियों के अनुसार, प्लान बी और अन्य उपायों द्वारा वर्ष 2014 से जून 2019 तक 1,014 हाथियों को बचाया गया है।

उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार, 2018

26 जून, 2019 को गुवाहाटी (असम) में आयोजित सामान्य परिषद की बैठक में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार, 2018 के लिये एक संयुक्त पुरस्कार सहित 32 कलाकारों का चयन किया गया।

- चयनित कलाकारों ने कला प्रदर्शन के अपने-अपने क्षेत्रों में युवा प्रतिभाओं के रूप पहचान बनाई है।
- उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार कला प्रदर्शन के विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट युवा प्रतिभाओं की पहचान करने, उन्हें प्रोत्साहन देने और उन्हें जीवन में शीघ्र राष्ट्रीय मान्यता देने के उद्देश्य से 40 वर्ष से कम आयु के कलाकारों को प्रदान किया जाता है।
- उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार के तहत 25,000 रुपए की नकद राशि प्रदान की जाती है।
- चयनित कलाकारों को यह पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष द्वारा एक विशेष समारोह के दौरान प्रदान किया जाएगा।
- संगीत नाटक अकादमी, संगीत, नृत्य और नाटक की राष्ट्रीय अकादमी है। यह देश में कला प्रदर्शन का शीर्ष निकाय है।
- पुरस्कारों के लिये चुने गए कलाकारों के नाम इस प्रकार हैं –
- संगीत के क्षेत्र में 8 कलाकरों:
  - समीहान काशेलकर और रुचिरा केदार: हिंदुस्तानी वोकल संगीत के लिये
  - ध्रुव बेदी: हिंदुस्तानी वाद्य संगीत (सितार) के लिये
  - शुभ महाराज: हिंदुस्तानी वाद्य संगीत (तबला) के लिये

- संदीप नारायण: कर्नाटक वोकल संगीत के लिये
- जे.बी. श्रुति सागर: कर्नाटक वाद्य संगीत (बांसुरी) के लिये
- आर. श्रीधर: कर्नाटक वाद्य संगीत (वायलिन) के लिये
- एम.डी. पल्लवी: संगीत की अन्य प्रमुख परंपराओं- भाव संगीत के लिये

- नृत्य के क्षेत्र में 8 कलाकारों को दिये जा रहे पुरस्कार -
  - विजना रानी वासुदेवन एवं राजित बाबू: संयुक्त पुरस्कार भरतनाट्यम के लिये
  - दुर्गेश गंगानी: कथक के लिये
  - कलामंडलम वैसाखव: कथकली के लिये
  - मंजू इलांगबम: मणिपुरी के लिये
  - मधुलिता महापात्रा: ओडिसी के लिये
  - अंजलि बोरबोरा बोरठाकुर: सतरिया के लिये
  - राकेश साई बाबू: छऊ के लिये
  - विक्रम मोहन: समकालीन नृत्य के लिये
- थियेटर के क्षेत्र में 7 पुरस्कार दिये जा रहे हैं-
  - चवन प्रमोद आर: निर्देशन के लिये
  - नम्रता शर्मा: अभिनय के लिये
  - सुनील पलवल: अभिनय के लिये
  - प्रीति झा तिवारी: अभिनय के लिये
  - कुलदीप पाटगिरी: माइम के लिये
  - सुभदीप गुहा: सम्बद्ध थिएटर कलाओं के लिये
  - साजिथ विजयन: थिएटर संगीत के लिये
- कुटियाट्टम: थिएटर की अन्य प्रमुख परंपराओं के लिये
- पारंपरिक/लोक/जनजातीय संगीत/नृत्य/थियेटर और कटपुतली क्षेत्र में पुरस्कार:-
  - चंदन तिवारी: लोक संगीत-बिहार के लिये
  - दिनेश कुमार जांगड़े: पंथी नृत्य- छत्तीसगढ़ के लिये;
  - मनोज कुमार दास: पारंपरिक संगीत खोल- असम के लिये,
  - चंदानी मानसिंग ज़ाला: कठपुतली-गुजरात के लिये;
  - ए. एनेशोरी देवी: पारंपरिक और लोक संगीत-मणिपुर के लिये,
  - पी. राजकुमार: पारंपरिक और लोक संगीत- मणिपुर के लिये,
  - मधुश्री हेतल: लोकनृत्य- तमिलनाडु के लिये,
  - अशोक कुमार: लोक संगीत (झूमर)- पश्चिम बंगाल के लिये,
  - लोक संगीत-उत्तर प्रदेश के लिये एक पुरस्कार।

संगीत नाटक अकादमी फैलोशिप एवं अकादमी पुरस्कार

हाल ही में नई दिल्ली में संगीत नाटक अकादमी फैलोशिप (अकादमी रत्न) एवं संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की गई।

- अकादमी पुरस्कार वर्ष 1952 से प्रदान किया जा रहा है।

- उल्लेखनीय है कि संगीत नाटक अकादमी की आम परिषद, राष्ट्रीय संगीत, नृत्य एवं ड्रामा अकादमी ने 26 जून, 2019 को गुवाहाटी (असम) में हुई अपनी बैठक में 4 जानी-मानी हस्तियों जाकिर हुसैन, सोनल मानसिंह, जतिन गोस्वामी और के.कल्याणसुंदरम पिल्लै को सर्वसम्मति से संगीत नाटक अकादमी फैलोशिप (अकादमी रत्न) के लिये चुना है।
- यह सम्मान उत्कृष्टता और उपलब्धियों के सर्वोच्च मानक का प्रतीक के तौर पर दिया जाता है साथ ही निरंतर व्यक्तिगत कार्य एवं योगदान को भी मान्यता प्रदान करता है।
- अकादमी फैलोशिप में 3,00,000 रुपए तथा अकादमी पुरस्कार के रूप में ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम के अलावा 1,00,000 रुपए दिये जाते हैं।
- यह प्रतिष्ठित फैलोशिप किसी भी समय 40 सदस्यों तक सीमित रहती है।
- आम परिषद ने वर्ष 2018 के लिये संगीत, नृत्य, थियेटर, परंपरागत/लोक/जनजातीय संगीत/ नृत्य/ थियेटर, कठपुतली नचाने और अदाकारी के क्षेत्र में संपूर्ण योगदान/छात्रवृत्ति के लिये 44 कलाकारों का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों (अकादमी पुरस्कार) के लिये चयन किया है।
- इन 44 कलाकारों में तीन को संयुक्त पुरस्कार दिया जाना भी शामिल हैं।
- संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष समारोह में दिये जाएंगे।
- संगीत के क्षेत्र में, ग्यारह प्रख्यात कलाकारों को चुना गया है जो इस प्रकार हैं-
  1. मणि प्रसाद (हिंदुस्तानी संगीत)
  2. मधुप मुद्गल (हिंदुस्तानी संगीत)
  3. तरुण भट्टाचार्य (हिंदुस्तानी वाद्य- संतूर)
  4. तेजेन्द्र नारायण मजूमदार (हिंदुस्तानी वाद्य- सरोद)
  5. अलामेलू मणि (कर्नाटक संगीत)
  6. मल्लादी सूरीबाबू (कर्नाटक संगीत)
  7. एस. कासिम और एस. बाबू, संयुक्त पुरस्कार (कर्नाटक वाद्य यंत्र- नादस्वरम)
  8. गणेश और कुमारेश, संयुक्त पुरस्कार (कर्नाटक वाद्य यंत्र- वायलिन)
  9. सुरेश वाडकर (संगीत की अन्य प्रमुख परंपराएँ- सुगम संगीत)
  10. शांति हीरानंद (संगीत की अन्य प्रमुख परंपराएँ- सुगम संगीत)
  11. एच. अशंगबी देवी (संगीत की अन्य प्रमुख परंपराएँ- नट संकीर्तन)
- नृत्य के क्षेत्र में, नौ प्रतिष्ठित कलाकारों को अकादमी पुरस्कार 2018 के लिये चुना गया है। इनमें शामिल हैं-
  1. राधा श्रीधर (भरतनाट्यम)
  2. इशिरा और मौलिक शाह (संयुक्त पुरस्कार कथक के लिये)
  3. अखम लक्ष्मी देवी (मणिपुरी)
  4. पसुमूर्ति रामलिंग शास्त्री (कुचीपुड़ी)
  5. सुरूप सेन (ओडिसी)
  6. टंकेश्वर हजारिका बोरबयान (सत्रिया)
  7. गोपिका वर्मा (मोहिनीअट्टम)
  8. तपन कुमार पटनायक (छऊ)
  9. दीपक मजूमदार (समकालीन नृत्य)
- रंगमंच के क्षेत्र में, अकादमी पुरस्कार 2018 के लिये नौ प्रतिष्ठित कलाकारों का चयन किया गया है। इनमें शामिल हैं-
  - राजीव नाइक और लल्टुलांग्लियाना खियांगटे (नाट्य लेखन)
  - संजय उपाध्याय और एस.रघुनंदन (निर्देशन)
  - सुहास जोशी और टीकम जोशी (अभिनय)
  - स्वप्न नंदी (मूक अभिनय)
  - भगवत ए.एस. नन्जप्पा- (रंगमंच की अन्य प्रमुख परंपरा यक्षगान के लिये)

नोट :

- ए.एम. परमेश्वरन कुट्टन चक्कीयार (रंगमंच की अन्य प्रमुख परंपरा कुटियाट्टम के लिये)
- पारंपरिक/लोक/जनजातीय संगीत/नृत्य/रंगमंच और कठपुतली नचाने के क्षेत्र में, दस कलाकारों को अकादमी पुरस्कार 2018 के लिये चुना गया है।

1. लोक संगीत, उत्तर प्रदेश- मालिनी अवस्थी
2. लोक संगीत- खरताल
3. राजस्थान- गाजी खान बरना
4. लोक गीत, उत्तराखंड- नरेंद्र सिंह नेगी
5. लोक रंगमंच (भांड पाथेर) जम्मू-कश्मीर- मो. सादिक भगत
6. हरिकथा, आंध्र प्रदेश- कोटा सचिदानंद शास्त्री
7. लोक नृत्य, मध्य प्रदेश- अर्जुन सिंह ध्रुवे
8. लोक संगीत, हिमाचल प्रदेश - सोमनाथ बट्टू
9. कठपुतली (स्ट्रिंग), कर्नाटक- अनुपमा होसकरे
10. मुखौटे बनाना, असम- हेम चंद्र गोस्वामी

- अभिनय कला में संपूर्ण योगदान/छात्रवृत्ति के क्षेत्र में अकादमी पुरस्कार 2018 के लिये दीवान सिंह बजेली और पुरू दधीच का चयन किया गया है।

पाटा स्वर्ण पुरस्कार 2019

पाटा (पैसेफिक-एशिया ट्रैवल एसोसिएशन) स्वर्ण पुरस्कार 2019 [PATA (Pacific Asia Travel Association) Gold Award 2019] का विजेता भारत के अतुल्य भारत 'फाइंड द इन्क्रेडेबल यू' (Incredible India 'Find the Incredible You') अभियान को घोषित किया गया है।

- एशिया-पैसेफिक क्षेत्र में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट योगदान देने के लिये पाटा स्वर्ण पुरस्कार दिया जाता है।
- उल्लेखनीय है कि भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2018-19 के दौरान अतुल्य भारत 'फाइंड द इन्क्रेडेबल यू' अभियान विश्व स्तर पर जारी किया था।
- पर्यटन मंत्रालय 'अतुल्य भारत ब्रांड' के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक वर्ष मीडिया अभियान चलाता है। इस अभियान को टेलीवीज़न, प्रिंट, डिज़िटल और सोशल मीडिया में प्रसारित किया जाता है।
- इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिये अतुल्य भारत 2.0 अभियान को सितंबर 2017 में लॉन्च किया गया था।
- इस अभियान की मुख्य विशेषता संभावित बाज़ार को ध्यान में रखते हुए कंटेंट का निर्माण करना था।
- अभियान 2.0 के तहत मंत्रालय द्वारा पाँच नए टेलीविज़न कॉमर्शियल भी बनाए गए, जिन्हें टेलीविज़न, डिज़िटल और सोशल मीडिया पर विश्व भर में प्रसारित किया गया।
  - योग: 'रेसट्रैक का योगी'
  - आरोग्य: 'मिस्टर एंड मिसेज जोन्स का पुनर्जन्म'
  - विलासिता: 'मैनहटन की महारानी'
  - खान-पान: 'मसाला मास्टर शेफ'
  - वन्यजीवन: 'पेरिस में वन्य संरक्षण क्षेत्र'
- अभियान की रणनीति के तहत गंतव्य स्थलों के अनुभव के स्थान पर यात्रियों के अनुभव को विशेष महत्त्व दिया गया। यात्रियों के अनुभव को यात्रियों की आत्मकथा के रूप में सामने रखा गया। इसकी टैग लाइन थी- 'फाइंड द इन्क्रेडेबल यू'।

पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2019

जाने-माने भारतीय सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक को अमेरिका के प्रतिष्ठित 'सैंड स्कल्पटिंग फेस्टिवल' 2019 (Sand Sculpting Festival 2019) में 'पीपुल्स चॉइस अवार्ड' 2019 (People's Choice Awards 2019) से सम्मानित किया गया।

- रेत पर उकेरी गई आकृति में इन्होंने समुद्रों में होने वाले प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने का एक संदेश दिया था।
- इस तस्वीर में प्लास्टिक में उलझे कछुए और मछली के पेट के अंदर प्लास्टिक की बोतल आदि को रेखांकित किया गया, जो कि प्लॉस्टिक प्रदूषण की एक बानगी है।
- मैसाचुसेट्स के बोस्टन में 'रिवर बीच' पर आयोजित इस प्रतियोगिता में पटनायक के अलावा विश्व के 15 टॉप सैंड आर्टिस्टों ने भाग लिया था।

दृष्टि The Vision

दिवस

डॉक्टर्स डे

1 जुलाई को देशभर में डॉक्टर्स डे का आयोजन किया जाता है। विख्यात चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉ. बिधान चंद्र रॉय की याद में यह दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को डॉ. बिधान चंद्र रॉय का जन्मदिवस होता है। उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर्स की उपलब्धियों और चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम हासिल करने वाले डॉक्टर्स के सम्मान के लिये हर साल डॉक्टर्स डे का आयोजन किया जाता है। अन्य देशों में डॉक्टर्स डे अलग-अलग दिन आयोजित किया जाता है। डॉक्टर्स डे की शुरुआत दुनिया में सबसे पहले अमेरिका के जॉर्जिया से हुई थी। 30 मार्च, 1933 को फिजिशियन यानी डॉक्टर्स के सम्मान के लिये यह दिन तय करने का विचार यूडोरा ब्राउन एलमंड ने दिया था। इसके बाद 30 मार्च, 1958 को अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स ने यूडोरा ब्राउन एलमंड के विचार को स्वीकार कर लिया।

GST दिवस

1 जुलाई को देशभर में GST दिवस का आयोजन किया जाता है। गौरतलब है कि 30 जून, 2017 की मध्य रात्रि में संसद के केंद्रीय कक्ष में इस नई टैक्स व्यवस्था का ऐलान किया गया था। इसे भारतीय टैक्स सिस्टम में अभूतपूर्व सुधार माना जाता है। GST का भारतीय अर्थव्यवस्था पर अभूतपूर्व प्रभाव पड़ा है और यह एक गेम चेंजर साबित हुआ है, क्योंकि इससे कई स्तरों पर लगने वाले अप्रत्यक्ष करों की जटिल व्यवस्था बदल गई है और उसकी जगह एक सरल, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी से प्रेरित कर व्यवस्था लागू हो गई है। इसके अलावा अंतर्राज्यीय कारोबार की बाधाएँ दूर होने से भारत में एकल बाज़ार व्यवस्था कायम हो रही है। GST के तहत विभिन्न स्तरों पर लगने वाले कर समाप्त हो गए हैं तथा लेन-देन लागत भी कम हुई है।

सांख्यिकी दिवस

29 जून को अर्थशास्त्र व सांख्यिकी के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रो. पी.सी. महालनोबिस के जन्मदिन पर 13वाँ सांख्यिकी दिवस मनाया गया। पी.सी. महालनोबिस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद् थे। सामाजिक-आर्थिक नियोजन व सरकारी क्षेत्र में सांख्यिकी के महत्त्व को लेकर उनके योगदान की याद में उनका जन्मदिन सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य रोजाना के जीवन और योजना एवं विकास की प्रक्रिया में सांख्यिकी के महत्त्व के प्रति लोगों को जागरूक करना है। यह राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली की स्थापना में उनके अमूल्य योगदान का भी परिचायक है। इस वर्ष इस दिवस की थीम सतत विकास लक्ष्य (SDG) रखी गई है।

अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस

30 जून को दुनियाभर में International Day of Parliamentarism का आयोजन किया जाता है। 30 जून को यह दिवस इसलिये मनाया जाता है क्योंकि वर्ष 1889 में इसी दिन संसदों के वैश्विक संगठन Inter-Parliamentary Union यानी अंतर-संसदीय संघ की स्थापना हुई थी। IPU का उद्देश्य विश्वव्यापी संसदीय संवाद कायम करना और शांति एवं सहयोग बनाए रखते हुए लोकतंत्र को मज़बूत बनाना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये यह सभी देशों की संसद तथा सांसदों के बीच समन्वय और अनुभवों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करता है और अंतर्राष्ट्रीय हितों तथा सरोकारों के प्रश्नों पर विचार-विमर्श करता है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है और इसके 164 सदस्य तथा 10 संबद्ध सदस्य हैं।

नोट :

चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस

1 जुलाई को देशभर में चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस यानी CA डे का आयोजन किया जाता है। वर्ष 1949 में आज के दिन ही इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) की स्थापना की गई थी। ICAI को संसद द्वारा पारित अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। ICAI देश की राष्ट्रीय प्रोफेशनल अकाउंटिंग संस्था है, जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक अकाउंटेंट्स के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अकाउंटिग संस्था है। ICAI का आधिकारिक प्रतीक चिह्न गरुड़ है तथा देश में CA का कोर्स कराने की ज़िम्मेदारी इसी के पास है। ICAI चार्टर्ड एकाउंटेंट बनने की योग्यता को निर्धारित करता है, परीक्षा लेता है तथा लेखांकन की प्रैक्टिस करने का लाइसेंस देता है। इसके अलावा यह RBI, SEBI, MCA, CAG, IRDA आदि जैसी सरकारी संस्थाओं को नीति निर्माण में सहयोग करता है।

अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस

30 जून को दुनियाभर में अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह (Asteroid) दिवस का आयोजन किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने क्षुद्रग्रह के खतरे को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिये 30 जून, 2017 से अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस मनाने की घोषणा की थी। दरअसल 30 जून, 1908 को रूस की तुंगुस्का नदी के पास भयंकर विस्फोट हुआ था जिसके लिये क्षुद्रग्रह को ज़िम्मेदार बताया गया था। यह हाल के इतिहास में पृथ्वी पर सबसे हानिकारक ज्ञात क्षुद्रग्रह-संबंधी घटना है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्षुद्रग्रहों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और आने वाली पीढ़ियों को उनसे होने वाली किसी संभावित भयावह घटना से बचने के लिये सचेत करना है। ज्ञातव्य है कि ब्रह्माण्ड में गति करने वाले क्षुद्रग्रह एक प्रकार का खगोलीय पिंड होते हैं, जो आकार में ग्रहों से छोटे तथा उल्कापिंडों से बड़े होते हैं।

विश्व जनसंख्या दिवस

11 जुलाई को दुनियाभर में विश्व जनसंख्या दिवस का आयोजन किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास कार्यक्रम के तहत वर्ष 1989 से विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की शुरुआत हुई। बढ़ती जनसंख्या के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिये यह दिवस मनाया जाता है। वैश्विक जनसंख्या मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों के तहत इसमें परिवार नियोजन, लिंग समानता, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य और मानव अधिकारों के महत्त्व की जानकारी लोगों को दी जाती है। संयुक्त राष्ट्र परिषद हर साल विश्व जनसंख्या दिवस की थीम निर्धारित करती है, लेकिन वर्ष 2019 में किसी विशिष्ट विषय का चयन नहीं किया गया। इसके बजाय जनसंख्या और विकास पर वर्ष 1994 के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अधूरे एजेंडे को पूरा करने पर विश्व का ध्यान आकृष्ट किया गया।

फ्राँस राष्ट्रीय दिवस

14 जुलाई को फ्राँस ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया, जिसे बेस्टाइल डे कहा जाता है। यह 'बेस्टाइल' कारागार में जनता द्वारा 14 जुलाई 1789 को धावा बोलने की वषर्गांठ के रूप में मनाया जाता है। जुलाई 1789 में इसी दिन से फ्रेंच क्रांति की शुरुआत हुई थी। बेस्टाइल कारागार 16वें लुई की निरंकुश सत्ता का प्रतीक था, जिस पर कब्ज़ा कर लोगों ने यह जाहिर किया कि राजा की सत्ता अब निरंकुश नहीं है। राष्ट्रीय दिवस पर फ्राँस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने ऐलान किया कि देश की वायुसेना में स्पेस कमांड बनाया जाएगा। चूँकि साइबर स्पेस और वायुमंडल से बाहर के क्षेत्र में टकराव के नए क्षेत्र बन गए हैं, इसलिये नया अंतरिक्ष सैन्य सिद्धांत बनाने की ज़रूरत है। इससे फ्राँस अंतरिक्ष में अपने हितों की रक्षा कर सकेगा। 1 सितंबर से यह कमांड बनाने का काम शुरू होगा तथा 2019-25 के दौरान अंतरिक्ष सुरक्षा पर फ्राँस चार अरब डॉलर खर्च करेगा।

नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस

शांति के लिये नोबेल पुरस्कार विजेता और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति स्व. नेल्सन मंडेला के जन्मदिन 18 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र द्वारा नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। वर्ष 2010 में 18 जुलाई को जब मंडेला 92 वर्ष के हुए तब से प्रतिवर्ष यह दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी शासन के दौरान नेल्सन मंडेला ने अपने जीवन के 27 साल वहाँ की जेलों में बिताए। संयुक्त राष्ट्र ने नेल्सन मंडेला को यह सम्मान उनके जीवित रहते शांति स्थापना, रंगभेद उन्मूलन, मानवाधिकारों की रक्षा और

लैंगिक समानता की स्थापना के लिये किये गए उनके सतत प्रयासों के लिये दिया। नेल्सन मंडेला को साहस, करुणा और स्वतंत्रता, शांति एवं सामाजिक न्याय के लिये प्रतिबद्धता का वैश्विक प्रतीक माना जाता है। वह 10 मई, 1994 से 14 जून, 1999 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे तथा वह अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे।

राष्ट्रीय प्रसारण दिवस

23 जुलाई को देशभर में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस का आयोजन किया जाता है। इसी दिन वर्ष 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने मुंबई स्टेशन से रेडियो का प्रसारण शुरू किया था। इसे ऑल इंडिया रेडियो (AIR) के नाम से भी जाना जाता है और यह भारत की सरकारी रेडियो सेवा है। भारतीय प्रसारण सेवा को वर्ष 1935 तक इसी नाम से जाना जाता था, लेकिन वर्ष 1936 में इसका नाम परिवर्तित कर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। वर्ष 1957 में ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी के नाम से पुकारा जाने लगा। आकाशवाणी के देशभर में करीब 414 स्टेशन हैं और देश के 99.19% हिस्से में इसकी पहुँच है। ऑल इंडिया रेडियो में 23 भाषाओं और 146 बोलियों में प्रसारण होता है।

अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस

29 जुलाई को दुनियाभर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस का आयोजन किया गया। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है तथा इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में देशभर के टाइगर रिज़र्व में बाघों की संख्या पर रिपोर्ट जारी की। ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेशन 2018 नामक इस रिपोर्ट से पता चलता है कि 2014 के मुकाबले बाघों की संख्या 741 बढ़ी है। देश में अब बाघों की संख्या 2967 हो गई है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुए बाघ सम्मेलन में 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। इस सम्मेलन में 13 देशों ने भाग लिया था और उन्होंने वर्ष 2022 तक बाघों की संख्या में दोगुनी बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा था। इससे पहले वर्ष 2006, वर्ष 2010 और वर्ष 2014 में रिपोर्ट जारी हो चुकी है, जिसमें क्रमश: 1411, 1706 और 2226 बाघ होने की पुष्टि की गई थी। वर्ष 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनने के बाद जिम कॉर्बेट पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 7 अप्रैल 1973 को हुई थी।

विश्व हेपेटाइटिस दिवस

28 जुलाई को दुनियाभर में विश्व हेपेटाइटिस दिवस का आयोजन किया जाता है। हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता पैदा करने और वर्ष 2030 तक (वर्ष 2015 आधाररेखा की तुलना में नए संक्रमणों को 90 प्रतिशत और मृत्यु दर को 65 प्रतिशत तक कम करना) वैश्विक उन्मूलन के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु व्यक्तियों, हितधारकों और जनता द्वारा किये जाने वाले प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिये यह दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से इस वर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस की थीम हेपेटाइटिस उन्मूलन के लिये निवेश करें (Invest in Eliminating Hepatitis) रखी गई है। इसमें सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज़ के संदर्भ में वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर स्वीकृत हेपेटाइटिस उन्मूलन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये आवश्यक निवेश के नए अनुमान शामिल हैं। लीवर (यकृत) में शोथ को हेपेटाइटिस कहते हैं। हेपेटाइटिस का वायरस पाँच प्रकार का पाया जाता है- हेपेटाइटिस-A, B, C, D और E। इनमें से हेपेटाइटिस E विश्व में हेपेटाइटिस का सबसे सामान्य प्रकार है। हेपेटाइटिस B और C दीर्घकालिक संक्रमण हैं, जिनमें लंबे समय तक कभी-कभी वर्षों या दशकों तक लक्षण प्रकट नहीं होते और यह लीवर कैंसर का मूल कारण है। वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2017 के अनुसार वायरल हेपेटाइटिस B और C प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है, जो कि वैश्विक स्तर पर 325 मिलियन लोगों को प्रभावित करती है तथा इससे प्रतिवर्ष 1.34 मिलियन लोगों की मृत्यु हो जाती है।

केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल स्थापना दिवस

केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CRPF) ने 27 जुलाई को अपना 81वाँ स्थापना दिवस मनाया। 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रजेंटेटिव पुलिस के नाम से इस बल की स्थापना की गई थी। 28 दिसंबर, 1949 को CRPF अधिनियम के लागू होने पर यह केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल बन गया। यह विश्व का सबसे बड़ा अर्द्धसैनिक बल है। जम्मू-कश्मीर तथा पूर्वोत्तर के साथ देश के वाम उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में CRPF महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। CRPF का मिशन सरकार को कानून, सार्वजनिक व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा को प्रभावी और कुशलता से बनाए रखने में सक्षम बनाना है। यह बल 246 बटालियन के साथ एक विशाल संगठन के तौर पर विकसित हो चुका है। जिसमें 208 कार्यकारी बटालियन, छह महिला बटालियन, 15 रैपिड एक्शन फोर्स (दंगा विरोधी) बटालियन, 10 कोबरा (विशेष नक्सल विरोधी) बटालियन शामिल हैं। एक बटालियन में लगभग 1000 जवान होते हैं।

कारगिल विजय दिवस

वर्ष 2019 ऑपरेशन विजय की सफल परिणति की 20वीं वर्षगाँठ है, जिसमें भारतीय सेना के बहादुर जवानों ने कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त की थी।

- कारगिल विजय दिवस की 20वीं वर्षगाँठ की थीम 'रिमेंबर, रिजॉइस एंड रिन्यू' ('Remember, Rejoice and Renew') को जीवंत करती है।
- इस युद्ध को जीतने के लिये सेना ने दुर्गम बाधाओं, दुश्मन के इलाकों, विपरीत मौसम एवं अन्य कठिनाइयों को पार करते हुए दुश्मन के नापाक इरादों को नाकाम कर दिया था।
- राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, नई दिल्ली से कारगिल युद्ध स्मारक, द्रास तक एक विजय मशाल की यात्रा (रिले) निकाली जाएगी।
- विजय मशाल कारगिल युद्ध के शहीदों के बलिदान का प्रतीक है।
- यह मशाल यात्रा भारतीय सेना के उत्कृष्ट खिलाड़ियों और युद्ध नायकों के संचालन में उत्तर भारत के नौ प्रमुख कस्बों एवं शहरों से होते हुए अंत में 26 जुलाई, 2019 को द्रास स्थित कारगिल युद्ध स्मारक पर समाप्त होगी।

विजय मशाल

- विजय मशाल का डिज़ाइन भारतीय सेना में मातृभूमि के लिये सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर सैनिकों के धैर्य, हिम्मत और गौरव से प्रेरित है।
- मशाल तांबे, पीतल और लकड़ी से बनी है जो हमारे बहादुर नायकों के तप एवं दृढ़ संकल्प का प्रतीक है।
- मशाल के ऊपरी हिस्से में धातु की अमर जवान नक्काशी है, जो शहीद सैनिकों का प्रतीक है।
- मशाल के लकड़ी वाले निचले हिस्से में अमर जवान के 20 स्वर्ण शिलालेख हैं जो कारगिल विजय के 20 गौरवशाली वर्षों को दर्शाते हैं।

विश्व युवा कौशल दिवस

15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस (World Youth Skills Day) के अवसर पर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (Ministry of Skill Development & Entrepreneurs) ने स्किल इंडिया अभियान की चौथी वर्षगाँठ पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया।

- इस अवसर पर युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिये कई घोषणाएँ तथा समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये गए।
- उल्लेखनीय है कि प्रतिवर्ष एक करोड़ से ज़्यादा युवा कौशल विकास कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं।

मंत्रालय द्वारा की गई महत्त्वपूर्ण घोषणाएँ

- अप्रेन्टिसशिप में डिग्री, इलेक्ट्रिक वाहनों पर ITI में नए पाठ्यक्रम तथा उन्नत कृषि पर नए पाठ्यक्रमों की घोषणा।
- प्रतिभागियों के संदर्भ में मुद्दों और उनसे जुड़े संभावित समाधानों पर चर्चा के लिये कौशल युवा संवाद नाम से युवाओं के लिये राष्ट्रीय स्तर पर संवाद का आयोजन।
- वित्तीय क्षेत्र में अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग के लिये भारतीय स्टेट बैंक और HDFC बैंक के साथ सहयोग की घोषणा।
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 170,000 ग्रामीण डाक सेवकों को प्रमाण-पत्र देने के लिये भारतीय डाक भुगतान बैंक के साथ करार की घोषणा।
- महिला सशक्तीकरण के लिये अर्बन क्लैप, नेस वाडिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स तथा मेकडोनाल्ड, श्री शंकरलाल सुंदरबाई शासून जैन कॉलेज फॉर वूमेन, बॉट VFX लिमिटेड तथा विक्रम ग्रुप जैसी निजी क्षेत्र की कंपनियों और संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।
- ITI नागपुर में एयरोस्ट्रक्चर फिटर और वेल्डर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा।

नेशनल मून डे

20 जुलाई, 2019 को देश भर में नेशनल मून डे (National Moon Day) मनाया गया।

- यह दिवस वर्ष 1969 में चंद्रमा पर पहली बार चहलकदमी करने वाले व्यक्ति एवं उनकी उपलब्धियों के सम्मान में मनाया जाता है।
- वर्ष 1971 में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने इस दिवस को पहली बार मनाया था।
- अपोलो 11 मिशन 16 जुलाई, 1969 को लॉन्च किया गया था। इसकी चंद्रमा पर लैंडिंग 20 जुलाई को ही हुई थी।
- अपोलो 11 मिशन के तहत दो अमेरिकी व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग और बज़ एल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरे।
- नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा और अंतरिक्ष यान के बाहर लगभग ढाई घंटे बिताए। एल्ड्रिन ने आर्मस्ट्रांग की तुलना में चंद्रमा पर कम समय बिताया, हालाँकि उन्होंने चंद्रमा की सतह से लगभग 47.5 पाउंड चंद्र सामग्री एकत्र की (पृथ्वी पर अध्ययन हेतु लाने के लिये)।

आयकर दिवस

24 जुलाई, 2019 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes- CBDT) तथा इसके सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में 159वाँ आयकर दिवस (Aaykar Diwas) मनाया गया।

- भारत में पहली बार 24 जुलाई, 1860 को आयकर लागू किया गया था।
- 24 जुलाई 1860 को ब्रिटिश शासन द्वारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश शासन को हुए नुकसान की भरपाई के लिये सर जेम्स विल्सन द्वारा भारत में पहली बार आयकर पेश किया गया था।
- CBDT द्वारा करदाताओं एवं अन्य हितधारकों को उनका रिटर्न ई-फाइल करने तथा अन्य कर संबंधी दायित्वों का निर्वहन करने में सक्षम बनाने और उनकी सहायता करने के लिये एक 'करदाता ई-सहयोग अभियान' (Kardaata e-Sahyog Abhiyaan) भी शुरू किया जाएगा।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

- वर्ष 1963 में 'केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963' (Central Board of Revenue Act, 1963) के माध्यम से केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन दो संस्थाओं का गठन किया गया था, जो निम्नलिखित हैं-
  1. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxation)
  2. केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (Central Board of Excise and Customs)
- ये दोनों ही संस्थाएँ 'सांविधिक निकाय' (Statutory Body) हैं।
- इनमें से CBDT. प्रत्यक्ष करों से संबंधित नीतियों एवं योजनाओं के संबंध में महत्त्वपूर्ण इनपुट प्रदान करने के साथ-साथ आयकर विभाग की सहायता से प्रत्यक्ष करों से संबंधित कानूनों का प्रशासन करता है। वहीं CBEC भारत में सीमा शुल्क (custom duty), केंद्रीय उत्पाद शुल्क (Central Excise Duty), सेवा कर (Service Tax) तथा नारकोटिक्स (Narcotics) के प्रशासन के लिये उत्तरदायी नोडल एजेंसी है।

विश्व जनसंख्या दिवस

दुनिया भर में बढ़ती जनसंख्या के प्रति लोगों को जागररूक करने के लिये प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है।

- इस दिन लोगों को परिवार नियोजन, लैंगिक समानता, मानवाधिकार और मातृत्व स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी जाती है।
- पहली बार 11 जुलाई, 1989 को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया था, उस समय विश्व की जनसंख्या लगभग 500 करोड़ थी। तब से प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है।
- इस दिन बढ़ती जनसंख्या के दुष्परिणामों पर प्रकाश डाला जाता है और साथ ही लोगों को जनसंख्या पर नियंत्रण रखने के लिये जागरूक किया जाता है।

- विश्व जनसंख्या दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जिनमें जनसंख्या वृद्धि की वज़ह से होने वाले खतरों के प्रति लोगों को आगाह किया जाता है।
- वर्तमान में चीन और भारत दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश हैं।
- वर्तमान में सबसे तेज़ गति से जनसंख्या वृद्धि करने वाला देश नाइजीरिया है जिसके वर्ष 2050 तक अमेरिका को पीछे छोड़ कर तीसरे स्थान पर पहुँचने की संभावना है।
- दुनिया भर में बुजुर्गों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है।
- वर्ष 1950 में बुजुर्गों से कहीं ज़्यादा संख्या में युवा थे।

दृष्टि The Vision

नोट :

खेल

फीफा महिला विश्व कप

फ्राँस के लियोन में अमेरिका ने मौजूदा यूरोपियन चैंपियन नीदरलैंड्स को 2-0 से पराजित कर लगातार दूसरी बार फीफा महिला विश्व कप जीत लिया। यह कुल मिलाकर अमेरिकी महिला टीम का चौथा विश्व कप खिताब है। इससे पहले अमेरिका ने वर्ष 1991, 1999 और 2015 में विश्व कप जीता था। मेगन रेपिनो को गोल्डन बूट दिया गया, उन्होंने टूर्नामेंट में कुल 6 गोल किये। Fédération Internationale de Football Association (फेडरेशन इंटरनेशनेल डी फुटबॉल एसोसिएशन) को ही फीफा के नाम से जाना जाता है और यह फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण निकाय है। इसका मुख्यालय ज्यूरिख, स्विट्ज़रलैंड में है। फीफा महिला विश्व कप की शुरुआत वर्ष 1991 में हुई थी तथा वर्ष 1930 में पुरुषों का पहला फीफा विश्व कप आयोजित हुआ था।

ICC विश्व कप क्रिकेट

इंग्लैंड के मैनचेस्टर में 9-10 जुलाई को खेले गए ICC विश्व कप क्रिकेट के वर्षा बाधित सेमीफाइनल मैच में न्यूज़ीलैंड ने भारत को 18 रन से पराजित कर दिया। भारत के सामने जीत के लिये 240 रनों का लक्ष्य था, लेकिन उसकी पारी 49.3 ओवर में 221 रनों पर सिमट गई। न्यूज़ीलैंड के मैट हेनरी ने 37 रन देकर तीन विकेट लिये और उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इस प्रकार न्यूज़ीलैंड लगातार दूसरी बार फाइनल में जगह बनाने में सफल रहा। न्यूज़ीलैंड वर्ष 2015 में भी फाइनल में पहुँचा था, जहाँ उसे ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। ज्ञातव्य है कि पाँचवीं बार इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित ICC विश्व कप क्रिकेट का यह 12वाँ संस्करण था। इस बार का विश्व कप राउंड रोबिन पद्धति पर खेला गया जिसमें सभी टीमें आपस में एक-दूसरे के साथ मैच खेलती हैं। पहला विश्व कप (प्रूडेंशियल कप) वर्ष 1975 में इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित किया गया था, जिसमें वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स के मैदान में खेले गए फाइनल में 17 रनों से हराया था।

कोपा अमेरिका कप 2019

14 जून से 7 जुलाई तक कोपा अमेरिका कप 2019 के 46वें संस्करण का आयोजन ब्राज़ील के छह अलग-अलग स्थानों पर हुआ। कुल 12 टीमों के बीच खेली गई इस चैंपियनशिप में ब्राज़ील ने रियो के माराकाना स्टेडियम में पेरू को 3-1 से हराकर नौवीं बार खिताब पर कब्ज़ा जमाया। अर्जेंटीना को तीसरा तथा चिली को चौथा स्थान मिला। अपनी मेज़बानी में ब्राज़ील अब तक पाँच बार- 1919, 1922, 1949, 1989 और 2019 में कोपा अमेरिका कप की मेज़बानी कर चुका है और हर बार चैंपियन बना है। वर्ष 1993 के बाद से ब्राज़ील ने टूर्नामेंट के नए फॉर्मेट में अब तक 6 बार फाइनल खेला है और इसमें 5 बार उसे जीत मिली। उसे एकमात्र हार उरुग्वे के खिलाफ वर्ष 1995 में मिली थी। पेरू की टीम ने वर्ष 1939 में अपनी मेजबानी में पहली बार चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया था। इसके बाद उसने वर्ष 1975 में आखिरी बार यह खिताब जीता था। CONMEBOL कोपा अमेरिका नाम वाली इस चैंपियनशिप को वर्ष 1975 तक साउथ अमेरिकन फुटबॉल चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता था।

कुंटो एथलेटिक्स

भारत की फर्राटा धाविका हिमा दास ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सप्ताह के भीतर अपना दूसरा स्वर्ण पदक जीत लिया। उन्होंने पोलैंड में 7 जुलाई को को कुंटो एथलेटिक्स मीट में 200 मीटर स्पर्द्धा में 23.97 सेकेंड का समय निकालकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले हिमा दास ने 4 जुलाई को पोलैंड में ही पोजनान एथलेटिक्स ग्रां प्री में 23.65 सेकेंड का समय निकालकर स्वर्ण पदक जीता था। विश्व जूनियर चैंपियन हिमा दास का श्रेष्ठ व्यक्तिगत समय 23.10 सेकेंड है, जो उन्होंने पिछले साल निकाला था। उन्हें वर्ष 2018 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ज्ञातव्य है कि असम के छोटे से गाँव ढिंग से ताल्लुक रखने की वज़ह से हिमा दास को ढिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है।

विंबलडन प्रतियोगिता

लॉन टेनिस की सर्वाधिक प्रतिष्ठित मानी जाने वाली विंबलडन प्रतियोगिता के 133वें संस्करण का आयोजन लंदन में हुआ। प्रतियोगिता में महिला वर्ग के फाइनल में रोमानिया की सिमोना हालेप ने 8 बार की विंबलडन विजेता अमेरिका की सेरेना विलियम्स को हराकर पहली बार महिला वर्ग का खिताब जीता। पुरुष वर्ग के रोमांचक फाइनल में पिछले विजेता सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने स्विट्ज़रलैंड के रोज़र फेडरर को पराजित किया। 4 घंटे 57 मिनट तक चला मैच यह विंबलडन के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चला फाइनल मैच था। ज्ञातव्य है कि विंबलडन दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है और प्रतियोगियों के लिये अनिवार्य ड्रेस कोड इसकी परंपराओं का एक हिस्सा है।

टोक्यो ओलंपिक

वर्ष 2020 में जापान की राजधानी टोक्यो में होने वाले 32वें ओलंपिक खेलों के लिये बनाए गए पदकों का अनावरण हाल ही में किया गया। टोक्यो ओलंपिक के लिये बने ये मेडल्स अपने आप में अलग और खास हैं, क्योंकि इन्हें पूरी तरह पुनर्चक्रित (Recycled) उपभोक्ता उपकरणों से बनाया गया है। साथ ही इनका डिज़ाइन भी एक प्रतियोगिता के ज़रिये चुना गया है, जिनमें जापान के 400 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया था। अंत में ओसाका डिज़ाइन सोसाइटी के निदेशक जुनिची कावानिशी (Junichi Kawanishi) का डिज़ाइन चुना गया। आयोजकों के अनुसार पहली बार इको-फ्रेंडली मेडल्स बनाए गए हैं और इन्हें बनाने में बड़ी संख्या में मोबाइल फोनों का इस्तेमाल किया गया है। जापान के लोगों ने दो सालों में करीब 6.2 करोड़ मोबाइल फोन दान किये, जिनमें से 32 किलोग्राम सोना निकला गया गया। इसके अलावा पाँच हज़ार ओलंपिक और पैरालंपिक मैडल बनाने के लिये 3.5 टन चाँदी और 2.2 टन कांसा भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों (मोबाइल फोन, डिजिटल कैमरा, हैंडहेल्ड गेम्स और लैपटॉप) से निकाला गया। इन मेडल्स को बनाने के लिये टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति ने Tokyo 2020 मेडल प्रोजेक्ट के नाम से एक मुहिम शुरू की थी जिसमें जापान के लोगों से छोटे इलेक्ट्रिक उपकरण इकट्ठे किये गए थे। इसके अलावा पोडियम, मशाल रिले के लिये वर्दी जैसी अन्य चीज़ों को इको-फ्रेंडली वस्तुओं से तैयार किया गया है।

- वर्ष 2020 में टोक्यो और वर्ष 2024 में पेरिस में होने वाले ओलंपिक खेलों पर नज़र रखने तथा सभी प्रकार का सहयोग देने के लिये केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठित की गई है, जिसमें खेल संस्थाओं से जुड़े कई अधिकारी और पूर्व खिलाड़ी शामिल हैं। इस समिति में दो ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों- टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस और शूटर गगन नारंग के अलावा खेल सचिव, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक, आई.ओ.ए. के सचिव राजीव मेहता, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष और टॉप स्कीम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश राजगोपालन को शामिल किया गया है। राजगोपालन इस समिति के समन्वयक होंगे। यह समिति वर्ष 2020 ओलंपिक के लिये हर तरीके से खिलाड़ियों की मदद करेगी, जबकि पेरिस में वर्ष 2024 में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिये यह समिति तैयारी का रोडमैप बनाएगी, तैयारी की समीक्षा तथा उससे संबंधित सलाह देगी और यह सुनिश्चित करेगी कि सभी हितधारकों में सामंजस्य बना रहे । ज्ञातव्य है कि लिएंडर पेस ने वर्ष 1996 के अटलांटा ओलंपिक में पुरुष एकल वर्ग में कांस्य पदक जीता था, जबकि गगन नारंग ने वर्ष 2012 के लंदन ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्द्धा में कांस्य पदक जीता था।

डेविस कप

55 साल बाद डेविस कप में भाग लेने के लिये भारतीय टेनिस खिलाड़ी अगले महीने पाकिस्तान जाएंगे। भारतीय टीम प्रतियोगिता के एशिया-ओसियानिया ग्रुप-आई के मुकाबले में पाकिस्तान का सामना करेगी। दोनों टीमों के बीच मुकाबले 14 और 15 सितंबर को इस्लामाबाद के पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स में ग्रास कोर्ट पर खेले जाएंगे। इस मुकाबले का जो भी विजेता होगा वह अगले वर्ष होने वाले वर्ल्ड ग्रुप प्ले ऑफ्स में जगह बनाएगा। पाकिस्तान ने वर्ष 2017 में इसी स्थान पर उज्बेकिस्तान, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड का सामना किया था। गौरतलब है कि भारतीय टीम ने आखिरी बार मार्च 1964 में पाकिस्तान का दौरा किया और लाहौर में मेजबान टीम को 4-0 से पराजित किया था। इसके बाद पाकिस्तान और भारत के बीच अप्रैल 2006 में मुंबई में मुकाबले हुए थे। गौरतलब है कि डेविस कप एक विश्वस्तरीय प्रतियोगिता है जिसके लिये ओलंपिक चार्टर का पालन करना ज़रूरी है। डेविस कप दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिताओं में से एक है, जिसमें केवल पुरुष खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं।

सुरक्षा

नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट

अमेरिकी सीनेट ने भारत को नाटो देशों जैसा दर्जा देने वाले विधेयक को मंज़ूरी दे दी है। अब रक्षा संबंधों के मामले में अमेरिका भारत के साथ नाटो के अपने सहयोगी देशों, इज़राइल और दक्षिण कोरिया के समान डील करेगा। वित्त वर्ष 2020 के लिए नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट में संशोधन को अमेरिकी सीनेट ने मंज़ूरी दे दी है। इस विधेयक में कहा गया है कि हिंद महासागर में भारत के साथ मानवीय सहयोग, आतंक के खिलाफ संघर्ष, काउंटर-पाइरेसी और समुद्री सुरक्षा पर काम करने की ज़रूरत है। इस दर्जे का अर्थ है कि भारत अब अमेरिका से अधिक उन्नत और महत्त्वपूर्ण तकनीक वाले हथियारों की खरीद कर सकता है। ज्ञातव्य है कि नाटो (North Atlantic Treaty Organization-NATO) एक सैन्य गठबंधन है और इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रसेल्स में स्थित है। अमेरिका की अगुवाई में नाटो की स्थापना शीतकालीन युद्ध के दौर में 4 अप्रैल, 1949 को हुई थी। इस संगठन में शामिल देशों के बीच एक-दूसरे की सामूहिक सुरक्षा का ज़िम्मा होता है।

स्पाइस 2000 स्टैंड ऑफ वेपन सिस्टम

तमाम अमेरिकी विरोधों को दरकिनार कर भारत ने रूस के साथ 200 करोड़ रुपए का एंटी-टैंक मिसाइल समझौता किया है। आपातकालीन नियमों के तहत रूस से यह रक्षा सौदा हुआ है तथा इन मिसाइलों को MI-35 हेलीकॉप्टरों में लगाया जाएगा। इस समझौते के तहत तीन महीने के भीतर ही मिसाइलों की आपूर्ति कर दी जाएगी। तुरंत युद्ध की स्थिति के मद्देनज़र आपातकालीन प्रावधान के तहत वायुसेना ने कई देशों के साथ स्पाइस 2000 स्टैंड ऑफ वेपन सिस्टम और हवा-से-हवा में मार करने वाली मिसाइल की डील की है। रूस से मिलने वाली एंटी-टैंक मिसाइल को युद्धक MI-35 में लगाए जाने से दुश्मनों के टैंक और अन्य हथियारों से निपटने की क्षमता हासिल हो जाएगी। ज्ञातव्य है कि MI-35 भारतीय वायुसेना का अटैकिंग हेलीकॉप्टर है और इसे अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर के स्थान पर लाया गया है।

एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग

7 जुलाई को भारत ने स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का तीन बार सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण पोखरण की टेस्ट फायरिंग रेंज में किया गया तथा परीक्षण के दौरान मिसाइल का दिन और रात दोनों समय टेस्ट फायर किया गया। नाग मिसाइल दिन और रात में बराबर क्षमता के साथ दुश्मन के टैंकों पर आक्रमण कर सकती है और युद्ध में दुश्मनों के टैंक को चार किलोमीटर दूर से ही ध्वस्त करने की क्षमता रखती है। यह मिसाइल थर्मल टारगेट सिस्टम तकनीक पर काम करती है। इस तकनीक से ऑपरेशनल टैंक की थर्मल इमेज क्रिएट हो जाती है, जिसके बाद टारगेट को लॉक करके मिसाइल दाग दी जाती है। मिसाइल लॉन्च होने के बाद इमेजिन इंफ्रा-रेड रडार से मिसाइल लॉक्ड टारगेट को फॉलो करते हुए हिट करती है। लॉन्चिंग के बाद इसे किसी भी तरह की एक्सटर्नल कमांड की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसकी रेंज 500 मीटर से 4 किलोमीटर तक है।

सुदर्शन कोड

सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने पंजाब और जम्मू में पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठ रोधी उपायों को और पुख्ता बनाने ले लिये एक बड़ा अभियान शुरू किया है। हाल ही में शुरू हुए इस अभियान को सुदर्शन कोड नाम दिया गया है और यह 1000 किलोमीटर लंबी भारत-पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा को कवर करेगा। ज्ञातव्य है कि जम्मू में पाकिस्तान के साथ संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 485 किलोमीटर और पंजाब में 553 किलोमीटर है। इसके बाद यह पश्चिमी हिस्से में राजस्थान और गुजरात की ओर है। 'सुदर्शन' अभियान के तहत भारी मशीनरी, बातचीत को इंटरसेप्ट करने वाले उपकरण और मोबाइल बुलेटप्रूफ बंकर को शामिल किया गया है तथा हज़ारों BSF सैनिक इससे जुड़े हैं। 1 से 15 जुलाई तक चलाए जाने वाले इस अभियान का उद्देश्य आतंकवादियों की घुसपैठ, नशीले पदार्थों की खेप भेजने के खिलाफ और पाकिस्तान की ओर से

बिना किसी उकसावे की गोलीबारी का मुँहतोड़ जवाब देने के लिये सीमा को सील करके भारतीय रक्षा स्थिति एवं ठिकाने को मज़बूत करना है। आपको बता दें कि BSF एक अर्द्धसैनिक बल है, जिसकी स्थापना 1 दिसंबर, 1965 को शांतिकाल के दौरान भारत की सीमाओं की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय अपराध को रोकने के लिये की गई थी।

गरुड़-4

फ्राँस के मोंट-डे-मारसन में 1 से 12 जुलाई तक भारत और फ्राँस के बीच द्विपक्षीय युद्धाभ्यास गरुड़-4 आयोजित किया गया। इस युद्धाभ्यास में भारत की ओर से चार SU-30 MKI, फ्यूल रिफिलर IL-78, C-17 ग्लोबमास्टर एयरक्राफ्ट के साथ कुल 120 वायु सैनिकों ने हिस्सा लिया, जिसमें गरुड़ कमांडो का दस्ता भी शामिल था। यह गरुड़ युद्धाभ्यास का छठा संस्करण था, पाँचवां संस्करण जून 2014 में जोधपुर वायुसेना स्टेशन में आयोजित किया गया था। फ्राँस की वायुसेना की तरफ से अन्य विमानों के अलावा राफेल विमान ने भी युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया। विदित हो कि भारत ने फ्राँस से वर्ष 2016 में 36 राफेल युद्धक विमानों का सौदा किया था, जिसकी पहली खेप इसी वर्ष सितंबर में मिलने की आशा है।

हैंड-इन-हैंड सैन्याभ्यास

भारत और चीन के बीच वार्षिक रूप से आयोजित होने वाला हैंड-इन-हैंड सैन्याभ्यास इस वर्ष दिसंबर के दूसरे सप्ताह में मेघालय में शिलांग के निकट उमरोई में 14 दिन तक चलेगा। एक-दूसरे की रणनीति को साझा करने के लिये दोनों देशों के लगभग 240 सैनिक इस अभ्यास में हिस्सा लेंगे। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2017 में डोकलाम विवाद के चलते इस अभ्यास को रद्द किया गया था, लेकिन उसके बाद वर्ष 2018 में यह अभ्यास 11 से 23 दिसंबर तक चीन के सिचुआन प्रांत के चेंगदू में हुआ था। इस सैन्याभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच मजबूत संबंध बनाना और उन्हें बढ़ावा देना है। संयुक्त अभ्यास कमांडर की क्षमता में बढ़ोतरी करना भी इस अभ्यास का लक्ष्य है ताकि दोनों देशों की सैन्य टुकड़ियाँ कमान के अंतर्गत काम कर सकें। इस अभ्यास के दौरान संयुक्त राष्ट्र के आदेश के तहत किसी देश में विघटनकारी/ आतंकवादी गतिविधियों के मुकाबले के लिये कार्रवाइयों का प्रशिक्षण भी शामिल होता है। विदित हो कि कि वर्ष 2008 में पहली बार दोनों देशों की सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बनाने के उद्देश्य से हैंड-इन-हैंड अभ्यास की शुरुआत हुई थी। हर साल यह सैन्याभ्यास बारी-बारी से चीन और भारत में आयोजित किया जाता है।

INS शिवालिक' और 'सिंधुशक्ति'

हाल ही में रक्षा मंत्री ने भारतीय नौसेना द्वारा निर्मित स्वदेशी युद्धपोत 'INS शिवालिक' और स्वदेशी पनडुब्बी 'सिंधुशक्ति' का दौरा किया है।

INS शिवालिक

- INS शिवालिक राडार से बच निकलने वाला भारत का पहला युद्धपोत है जिसे प्रोजेक्ट 17 के तहत बनाया गया है।
- इस युद्धपोत के निर्माण में लगभग 80 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री का प्रयोग किया गया है।
- INS शिवालिक मिसाइलों, हेलीकॉप्टरों, बंदूकों और युद्ध प्रबंधन प्रणाली से लैस है। INS शिवालिक किसी भी प्रकार के खतरे से निपटने में सक्षम है।
  - युद्ध प्रबंधन प्रणाली जहाज़ पर सभी हथियारों और सेंसर को प्रभावी ढंग से समन्वयित करने का कार्य करता है।
- INS शिवालिक के निर्माण में प्रयोग किये गए विशेष वायुगतिकी (Special Aerodynamics), उपकरण और सामग्री इसे राडार से बच निकलने में सहायता करते हैं।
- भारत के अतिरिक्त अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्राँस, स्वीडन, जापान, इटली और चीन के पास भी इस प्रकार के युद्धपोत के निर्माण की क्षमता है।

प्रोजेक्ट 17- शिवालिक श्रेणी के युद्धपोत

- प्रोजेक्ट 17 भारतीय नौसेना में शिवालिक युद्धपोतों की एक पूरी श्रेणी से संबंधित परियोजना है।
- प्रोजेक्ट 17 के तहत निर्मित INS शिवालिक, INS सह्याद्री और INS सतपुड़ा पूरी तरह से भारत में निर्मित युद्धपोत हैं।

पनडुब्बी सिंधुशक्ति

- नौसेना में सबसे पुरानी पनडुब्बियों में से एक 'सिधुशक्ति' एक डीज़ल-इलेक्ट्रिक क्लास पनडुब्बी (Diesel-Electric Class Submarine) है जो टॉरपीडो, मिसाइल और यहाँ तक कि बारूद के बमों को भी लॉन्च कर सकता है।
- आधुनिक सेंसर से युक्त हथियारों और प्रणालियों के साथ पुनर्निर्मित पनडुब्बी सिंधुशक्ति को वर्ष 1990 में नौसेना के बेड़े में शामिल की गई थी।

विमान-वाहक पोत 'विराट'

दो साल पूर्व सेवा से मुक्त हुए विमान-वाहक पोत 'विराट' (Aircraft Carrier Viraat) को कबाड़ (Scrapped) में परिवर्तित किया जाएगा।

- वर्ष 2018 में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक- निजी भागीदारी (Public-Private Partnership - PPP) के माध्यम से इस विमान- वाहक पोत को संग्रहालय में परिवर्तित करने का प्रस्ताव मंज़ूर किया था।
- परंतु इसे संग्रहालय का रूप देने के लिये अब तक अनेक प्रयास असफल रहे हैं और इसीलिये इसे कबाड़ में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है।
- भारतीय नौसेना पहले ही यह स्पष्ट कर चुकी है कि वह और अधिक समय के लिये इसे नहीं रख सकती है, क्योंकि यह बहुत अधिक भीड़ वाले मुंबई डॉकयार्ड में बहुत जगह घेर रहा है।

विमान-वाहक पोत 'विराट' के विषय में

- विराट एक सेंतौर श्रेणी (Centaur class) का विमान वाहक पोत है जिसे नवंबर 1959 में ब्रिटिश नौसेना में तैनात किया गया था।
- ब्रिटिश नौसेना में इसका नाम एच.एम.एस. हर्मस (HMS Hermes) था।
- यह लगभग 25 सालों तक ब्रिटिश नौसेना में कार्यरत रहा और फिर अप्रैल 1984 में इसे सेवा से मुक्त कर दिया गया, जिसके पश्चात् मई 1987 में इसका आधुनिकीकरण किया गया और इसे भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया।
- इस विमान-वाहक पोत का कुल वज़न 27,800 टन है।
- वर्ष 2017 में नौसेना ने भी इसे सेवानिवृत्त कर दिया था।
- इस पोत की खासियतों की बात करें तो इसमें एक साथ 26 विमान खड़े हो सकते थे और एक साथ 750 कर्मचारी भी रह सकते थे।

राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम

अमेरिकी सीनेट ने वित्तीय वर्ष 2020 के लिये राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम (National Defense Authorisation Act-NDAA) पारित किया है, जिसने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देते हुए भारत को अमेरिका के नाटो सहयोगियों, इज़रायल और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के समान दर्ज़ा प्रदान किया है।

- इस अधिनियम में मानवीय सहायता, आतंकवाद, समुद्री डकैती और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्रों में हिंद महासागर में अमेरिकी-भारत रक्षा सहयोग बढ़ावा देने जैसे मुद्दे शामिल हैं।
- यह विधेयक अमेरिकी कॉन्ग्रेस के दोनों सदनों, अर्थात् प्रतिनिधि सभा (House of Representatives) और सीनेट (Senate) द्वारा पारित हो जाने के बाद कानून में परिवर्तित हो जाएगा।
- नाटो सहयोगी का दर्जा मिलने से भारत एवं अमेरिका के बीच अत्याधुनिक अमेरिकी सैन्य तकनीक का आदान-प्रदान भी आसन हो जाएगा।
- अमेरिका पहले ही भारत को सामरिक व्यापार प्राधिकरण-1 (Strategic Trade Authorization, STA Tier-1) का दर्जा दे चुका है, STA एक ऐसा कदम है जो उच्च प्रौद्योगिकियों के आदान-प्रदान को सुलभ बनाता है तथा दोनों देशों के बीच संबंधो को मज़बूत बनाता है।
- अमेरिका वर्ष 2016 में भारत को "प्रमुख रक्षा साझेदार" के रूप में भी नामित कर चुका है।

नौसैनिक युद्ध-अभ्यास का छठा संस्करण

भारतीय वायु सेना (Indian Air Force -IAF) ने फ्राँस द्वारा आयोजित द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास गरुड़ के छठे संस्करण में भाग लिया।

- इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य हवाई रक्षा और ज़मीनी हमले संबंधी अभियानों में फ्रांसीसी और भारतीय चालक दल के मध्य अंतर-सक्रियता को बढ़ावा देना है।
- यह युद्धाभ्यास दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग का हिस्सा है। गरुड़ अभ्यास वैकल्पिक रूप से फ्राँस और भारत में आयोजित किया जाता है।
- भारतीय वायुसेना की इस युद्धाभ्यास में भागीदारी से फ्रांसीसी वायुसेना के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत करने के अलावा पेशेवर बातचीत, अनुभवों के विनिमय और परिचालन संबंधी ज्ञान को बढ़ावा मिलेगा।

नई मिसाइल परीक्षण सुविधा

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय Ministry of Environment, Forest and Climate Change-MoEFCC) ने आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के तट पर मिसाइल परीक्षण प्रक्षेपण एवं तकनीकी सुविधा स्थापित करने के लिये पर्यावरण और तटीय नियामक क्षेत्र को मंज़ूरी दी।

- इससे पहले DRDO ने आंध्र प्रदेश के कृष्णा ज़िले में कृष्णा वन्यजीव अभयारण्य में इस परियोजना को स्थापित करने का प्रस्ताव दिया था।
- मिसाइल परीक्षण एवं प्रक्षेपण की यह परियोजना रणनीतिक आवश्यकता के साथ-साथ राष्ट्रीय महत्त्व की भी है, इसे कहीं और स्थापित नहीं किया जा सकता है।
- अत: इसे पर्यावरण प्रभाव आकलन (Environmental impact assessment) अधिसूचना 2016 के अनुसार सार्वजनिक सुनवाई से छूट दी गई है।

मिशन 'रक्षा ज्ञान शक्ति'

इस मिशन को बढ़ावा देने के लिये बौद्धिक संपदा सुविधा सेल (Intellectual Property Facilitation Cell- IPFC), रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence- MoD) और राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (National Research Development Corporation- NRDC) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए।

- भारतीय रक्षा उद्योग में नवाचार और बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) की संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक बड़ी उपलब्धि प्रदान की है।
- इस मिशन की शुरुआत 27 नवंबर, 2018 को दिल्ली में की गई थी।
- इसका उद्देश्य स्वदेशी रक्षा उद्योग में बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual Property Right- IPR) की संस्कृति को बढ़ावा देना है।
- इस कार्यक्रम के समन्वय और कार्यान्वयन की ज़िम्मेदारी गुणता आश्वासन महानिदेशालय (Directorate General of Quality Assurance- DGQA) को दी गई थी।

बौद्धिक संपदा अधिकार

- बौद्धिक संपदा अधिकार, निजी अधिकार हैं जो किसी देश की सीमा के भीतर मान्य होते हैं तथा औद्योगिक, वैज्ञानिक, साहित्य और कला के क्षेत्र में व्यक्ति (व्यक्तियों) अथवा कंपनियों की रचनात्मकता अथवा नवप्रयोग के संरक्षण के लिये उन्हें दिये जाते हैं।

सागर मैत्री 2

हाल ही में 'सागर मैत्री 2' (SAGAR MAITRI 2) मिशन के लिये वैज्ञानिक अनुसंधान से जुड़े भारतीय नौसेना के पोत 'INS सागरध्वनि (INS Sagardhwani) को कोच्चि से रवाना किया गया।

- INS सागरध्वनि को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (Defence Research and Development Organisation-DRDO) की एक प्रमुख प्रयोगशाला, नौसेना भौतिक एवं समुद्र विज्ञान प्रयोगशाला (Naval Physical and Oceanographic Laboratory- NPOL), कोच्चि द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया है।
- यह भारतीय जल में महासागर अनुसंधान प्रयोगों का संचालन करता है और NOPL की समुद्र-संबंधी आँकड़े एकत्रित करके देता है। इसका संचालन भारतीय नौसेना करती है।
- सागर मैत्री (SAGAR MAITRI) भारतीय अनुसंधान एवं विकास संगठन की एक अनूठी पहल है।
- इसका उद्देश्य 'समुद्री एवं संबंधित अंतरविषयी प्रशिक्षण व अनुसंधान पहल (Marine And Related Intervention Training and Research Initiatives) के तहत अंडमान सागर में एक फोकस के साथ संपूर्ण उत्तरी हिंद महासागर में आँकड़ों का संग्रह करना तथा समुद्र अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में हिंद महासागर क्षेत्र के सभी देशों के साथ दीर्घावधि सहयोग स्थापित करना है। इसीलिये इस मिशन का नाम सागर मैत्री रखा गया है।
- भारतीय नौसेना तथा भौतिक एवं समुद्री प्रयोगशाला (NPOL) का यह मिशन दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के साथ संबंधों को मज़बूत करेगा और अनुसंधान को बेहतर बनाएगा।
- भारतीय नौसना और NPOL की सोनार (SONAR) प्रणाली, पानी के अंदर निगरानी प्रौद्योगिकी तथा समुद्री पर्यावरण व समुद्री सामग्री पर संयुक्त रूप से अनुसंधान एवं विकास का कार्य कर रहे हैं।

नाग मिसाइल

हाल ही में तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल (Anti Tank Guided Missile) नाग का सफल परीक्षण किया गया।

- यह परीक्षण पोखरण की टेस्ट फायरिंग रेंज में किया गया तथा परीक्षण के दौरान मिसाइल का दिन और रात दोनों समय टेस्ट फायर किया गया।
- नाग मिसाइल को भारतीय रक्षा मंत्रालय के एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (Integrated Guided Missile Development Programme-IGMDP) के तहत स्वदेशी रूप से विकसित की गई पाँच मिसाइलों में से एक है।
  - इसके अंतर्गत 4 अन्य मिसाइल है: अग्नि, आकाश, त्रिशूल और पृथ्वी।

नाग मिसाइल

- स्वदेशी रूप से निर्मित नाग तीसरी पीढ़ी की टैंक भेदी मिसाइल है।
- नाग मिसाइल को दागे जाने के बाद रोका नहीं जा सकता है अर्थात् यह 'दागो और भूल जाओ' (fire and forget) के सिद्धांत पर आधारित है।
- यह परीक्षण पोखरण की टेस्ट फायरिंग रेंज में किया गया तथा परीक्षण के दौरान मिसाइल का दिन और रात दोनों समय टेस्ट फायर किया गया।
- नाग मिसाइल दिन और रात में बराबर क्षमता के साथ दुश्मन के टैंकों पर आक्रमण कर सकती है और युद्ध में दुश्मनों के टैंक को चार किलोमीटर दूर से ही ध्वस्त करने की क्षमता रखती है।
- नाग को मुख्यत: आधुनिक युद्धक टैंकों और बख्तरबंद लक्ष्यों को भेदने के लिये तैयार किया गया है।
- नाग के हेलीकाप्टर संस्करण को हेलीना (HELINA) नाम दिया गया है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित HALरूद्र और ध्रुव हेलीकाप्टर से प्रक्षेपित किया जा सकता है।
- इसकी रेंज 500 मीटर से 4 किलोमीटर तक है।

सिक्यूरिटीपीडिया और CISF Tube

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (Central Industrial Security Force- CISF) ने सिक्यूरिटीपीडिया (Securitypedia) नामक एक ऑनलाइन विश्वकोश (Encyclopedia) की शुरुआत की है।

- CISF ने अपने कर्मचारियों के लिए CISFTube नामक अनुकूलित वीडियो इंटरफ़ेस भी लॉन्च किया है।
- इसका उद्देश्य सिंगल बटन क्लिक करके CISF के कर्मचारियों को तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना एवं उन्हें सशक्त बनाना है।

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल Central Industrial Security Force- CISF

- CISF (Central Industrial Security Force) एक केंद्रीय सशस्त्र बल है जिसे 'केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968' के तहत गठित किया गया था।
- यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है।
- CISF पूरे भारत में स्थित औद्योगिक इकाइयों, सरकारी अवसंरचना परियोजनाओं और सुविधाओं तथा प्रतिष्ठानों को सुरक्षा कवच प्रदान करता है।
- परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, खदानों, तेल क्षेत्रों और रिफाइनरियों, मेट्रो रेल, प्रमुख बंदरगाहों आदि जैसे औद्योगिक क्षेत्रों की सुरक्षा का ज़िम्मा CISF ही उठाता है।

भारत में अन्य केंद्रीय सशस्त्र बलों में केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (Central Reserve Police Force-CRPF), सीमा सुरक्षा बल (Border Security Force-BSF), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (Indo-Tibetan Border Police-ITBP), सशस्त्र सीमा बल (Sashastra Seema Bal-SSB) शामिल हैं।

LCU L-56' युद्धपोत

हाल ही में भारतीय नौसेना ने गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (Garden Reach Shipbuilders and Engineers-GRSE) द्वारा निर्मित युद्धपोत 'LCU L-56' को अधिकृत किया है।

- यह आठ स्वदेश निर्मित लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी (Landing Craft Utility- LCU) MK IV श्रेणी में से 6वाँ जहाज़ है। यह कलकत्ता स्थित मिनी रत्न श्रेणी-1 तथा देश का अग्रणी पोत कारखाना गार्डेन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का 100वाँ युद्ध पोत है।
- LCU Mk-IV का प्रमुख कार्य जहाज़ से तट तक तथा प्रमुख लड़ाकू टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों, टुकड़ियों और उपकरणों को ले जाना है।
- ये युद्ध पोत अंडमान एवं निकोबार कमांड में है। इसकी तैनाती किनारे के संचालन, बचाव राहत कार्य, आपदा राहत कार्य, आपूर्ति तथा भरपाई और दूर के द्वीपों से निकासी में की जाती है।
- LCU Mk-IV युद्ध पोत में आत्मनिर्भरता तथा स्वदेशीकरण के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में भारत सरकार के 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के अनुरूप 90 प्रतिशत कलपुर्जे स्वदेशी हैं।
- यह लैंडिंग कार्य के दौरान तोप दागने में सहायक दो स्वदेशी CRN 91 तोपों से लैस है। इसमें अत्याधुनिक उपकरण लगे हैं और एकीकृत ब्रीज प्रणाली (Integrated Bridge System-IBS) तथा एकीकृत प्लेटफॉर्म प्रबंधन प्रणाली (Integrated Platform Management System-IPMS) जैसी अग्रिम प्रणालियाँ लगाई गई है।
- 'LCU L-56' के सेना में लिये जाने से अंडमान निकोबार कमांड की समुद्री तथा मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (Humanitarian Assistance and Disaster Relief- HADR) क्षमता में वृद्धि होगी।

विविध

नैनोपिथेकस ब्राउनी

केन्या के राष्ट्रीय संग्रहालय और अमेरिका में अरकंसास विश्वविद्यालय के शोधकर्त्ताओं ने बंदर प्रजाति के सबसे छोटे जीवाश्म की खोज की है, जो खरगोश के आकार जैसा है। ऐसे बंदर केन्या में लगभग 4.2 मिलियन वर्ष पहले रहते थे। इस बंदर का नाम नैनोपिथेकस ब्राउनी है जो विश्व में बंदर की सबसे छोटी प्रजाति है। इसका वज़न मात्र 2-3 पाउंड होता है। अफ्रीका में 'ओल्ड वर्ल्ड' के नाम से मशहूर टेलापोइन बंदरों के एक बड़े समूह का हिस्सा रहता है, जिन्हें 'ग्वेन' के नाम से भी जाना जाता है। बंदर का यह जीवाश्म केन्या के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा गया है।

टिकटॉक

लघु वीडियो साझा करने वाले प्रसिद्ध प्लेटफॉर्म 'टिकटॉक' ने विश्व युवा कौशल दिवस 2019 के मौके पर राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ साझेदारी की है। इसके लिये टिकटॉक ने अपने एप पर skills4all अभियान शुरू किया है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने इस प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने के लिये भारत में टिकटॉक के लगभग 20 करोड़ यूज़र्स को शिक्षित करने के लिये एक आधिकारिक स्किल इंडिया ऑफिशियल टिकटॉक अकाउंट बनाया है। इसका उद्देश्य भारत में पहली बार इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों को शिक्षित करना तथा उन्हें सरकार के कौशल कार्यक्रमों और देश में प्रोफेशनल ट्रेनिंग के अवसरों के बारे में जानकारी देना है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2015 से 15 जुलाई का दिन दुनियाभर में विश्व युवा कौशल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम Learning to Learn for Life & Work रखी गई है।

एंटीबायोटिक प्रतिरोध

हाल में किये गए एक अध्ययन के अनुसार, मानव शरीर में उपस्थित बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक प्रतिरोध (Antibiotic Resistance) के गुण पाए गए हैं।

- कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज (Kasturba Medical College- KMC) तथा मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन (Manipal Academy of Higher Education- MAHE) के तहत तृतीयक देखभाल अस्पताल द्वारा कैंसर उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया 'हेलिकोबैक्टर पाइलोरी' (Helicobacter pylori) पर अध्ययन किया गया।
- यह बैक्टीरिया मानव शरीर में कैंसर का कारक है।
- वैज्ञानिकों द्वारा किये गए अध्ययन के अनुसार, कैंसर की तीन दवाओं मेट्रोनिडाज़ोल, लेवोफ़्लॉक्सासिन तथा क्लेरिथ्रोमाइसिन का इस बैक्टीरिया पर प्रभाव कम हो गया है
- इस बैक्टीरिया (हेलिकोबैक्टर पाइलोरी) ने इन दवाओं के प्रति प्रतिरोधी गुण विकसित कर लिया है।

अब ये दवाएँ अल्सर, गैस्ट्रिक एवं आमाशय के कैंसर के इलाज में अधिक राहत देने में सक्षम नहीं हैं।

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर

असम की तर्ज़ पर अब नगालैंड ने भी अपना स्थानीय NRC बनाने की तैयारी कर ली है। इसी 10 जुलाई से इस पर काम शुरू होने जा रहा है तथा इसके लिये 60 दिनों की समय-सीमा तय की गई है। इस National Register of Citizens (NRC) को तैयार करने का प्रमुख उद्देश्य राज्य में स्थानीय और बाहरी लोगों की पहचान करना है। गौरतलब है कि राज्य में अक्सर बाहरी लोगों पर स्थानीय निवासी का प्रमाणपत्र हासिल करने के आरोप लगते रहे हैं। राज्य सरकार ने इस पूरी कवायद के लिये 60 दिनों की समय-सीमा तय की है। Register of Indigenous Inhabitants of Nagaland (RIIN) नामक यह अभियान पूरी तरह NRC के तौर पर ही काम करेगा। बाद

में लोग इसमें अपने दावे और आपत्तियाँ भी दाखिल कर सकेंगे। हर पाँच साल बाद इस रजिस्टर का डेटा अपडेट किया जाएगा। इसके लिये कई टीमों का गठन किया जाएगा जो गाँव-गाँव जाकर आँकड़े जुटाएंगी जिसमें संबंधित व्यक्ति के वोटर कार्ड, पैन कार्ड और आधार कार्ड से संबंधित आँकड़े भी शामिल होंगे। इसके पूरा होने के बाद सिर्फ राज्य के मूल निवासियों की होने वाली संतानों को ही जन्म प्रमाणपत्र के साथ मूल निवासी का प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। रजिस्टर तैयार होने के बाद पहले के तमाम प्रमाणपत्रों को रद्द कर सभी मूल निवासियों को बार कोड वाले नए प्रमाणपत्र जारी किये जाएंगे जिनमें संबंधित व्यक्ति का पूरा ब्योरा दर्ज होगा।

राजस्थान में बीकानेर ज़िले के कालू पुलिस थाने को केंद्रीय गृह मंत्रालय की रैंकिंग में पहला स्थान मिला है। दूसरे स्थान पर अंडमान निकोबार द्वीपसमूह के निकोबार ज़िले में स्थित कैम्पबेल पुलिस थाना तथा तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद ज़िले का फरक्का पुलिस थाना है। देश के सभी पुलिस थानों को लेकर वर्ष 2018 की इस रैंकिंग में 15,666 पुलिस स्टेशनों को विभिन्न मापदंडों पर परखा गया था। इनमें अपराध नियंत्रण सहित मामलों की जाँच और उनके निपटान, अपराध का पता लगाने, सामुदायिक पुलिसिंग और कानून व्यवस्था बनाए रखने जैसे मापदंड शामिल थे। इसके अलावा थाना कार्यालयों में रिकॉर्ड का रखरखाव, साफ-सफाई, ऑनलाइन FIR, ऑनलाइन GRS, शिकायतों का निस्तारण, जन शिकायतों का निस्तारण तथा पुलिसकर्मियों का जनता के प्रति व्यवहार सहित अन्य बिंदुओं पर भी विचार किया गया।

स्वदेश दर्शन योजना

केंद्र सरकार ने स्वदेश दर्शन योजना में रामायण सर्किट के तहत 9 राज्यों के 15 नए स्थानों को चिह्नित किया है। इनमें उत्तर प्रदेश के अयोध्या, नंदीग्राम, श्रृंगवेरपुर और चित्रकूट; बिहार सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा; मध्य प्रदेश के चित्रकूट; ओडिशा के महेंद्रगिरी; छत्तीसगढ़ के जगदलपुर; महाराष्ट्र के नासिक और नागपुर; तेलंगाना के भद्राचलम; कर्नाटक के हम्पी और तमिलनाडु के रामेश्वरम को शामिल किया गया है। ज्ञातव्य है कि भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने जनवरी 2015 में स्वदेश दर्शन योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत थीम आधारित 13 सर्किट्स की पहचान की गई थी जिनमें पूर्वोत्तर भारत सर्किट, बौद्ध, हिमालय, तटीय, कृष्ण, मरुस्थल, जनजातीय, वन्यजीव, ग्रामीण, आध्यात्मिक, रामायण, धरोहर एवं ईको सर्किट शामिल हैं। स्वदेश दर्शन योजना का उद्देश्य पर्यटन को आर्थिक विकास एवं रोज़गार सृजन के वाहक के रूप में स्थापित कर भारत को एक वैश्विक ब्रांड तथा एक विश्वस्तरीय पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करना है।

एक राष्ट्र-एक कार्ड

केंद्र सरकार राशन कार्डधारकों की सुविधा के लिये 'एक राष्ट्र-एक कार्ड' शुरू करने की योजना बना रही है। इस योजना के लागू होने के बाद राशन कार्डधारक देश के किसी भी हिस्से से अपने कार्ड के ज़रिये राशन उठा सकेगा। इससे सबसे अधिक लाभ नौकरी की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्यों में पलायन करने वालों को मिलेगा। इस योजना से जुड़ी औपचारिकताओं को एक साल में पूरा करने का लक्ष्य है। इस योजना को लागू करने के लिये सभी जन वितरण योजना वाली दुकानों (PDS) पर POS मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। फिलहाल आंध्र प्रदेश, हरियाणा और कुछ अन्य प्रदेशों में सभी PDS पर POS सुविधा है, लेकिन देशभर में इस योजना का लाभ लेने के लिये 100 प्रतिशत उपलब्धता होना जरूरी है। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ PDS के तहत उपभोक्ता किसी भी राज्य से अपना राशन ले सकेंगे। वर्तमान में यह योजना आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा में लागू है। PDS 81 करोड़ उपभोक्ताओं की जीवन रेखा है, जिनके माध्यम से हर साल 612 लाख टन अनाज FCI, CWC और SWCs तथा प्राइवेट गोदामों से हर साल वितरित होता है।

गुथी (न्यास) विधेयक

नेपाल सरकार ने एक सप्ताह तक चले आंदोलन के बाद नेशनल असेंबली में प्रस्तुत विवादास्पद गुथी (न्यास) विधेयक को औपचारिक रूप से वापस ले लिया। गुथी अधिनियम में संशोधन के लिये रखे गए इस विधेयक के तहत सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार की गुथियों का राष्ट्रीयकरण किया जाना तथा एक शक्तिशाली आयोग के माध्यम से सभी धार्मिक स्थलों को विनियमित किया जाना प्रस्तावित था। पुरातन नेवार समुदाय का मानना था कि इस विधेयक के पारित होने के बाद सनातन हिंदू परंपरा खतरे में आ जाएगी तथा प्रस्तावित विधेयक से सार्वजनिक न्यासों में नेताओं, सरकारी अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों का प्रवेश संभव हो जाएगा और वे इसकी हज़ारों हेक्टेयर जमीन का गबन कर लेंगे।

जल शक्ति अभियान

केंद्र सरकार ने जल संकट से निपटने और देश में पानी की कमी से जूझ रहे 255 ज़िलों में 1 जुलाई से जल शक्ति अभियान की शुरूआत की है। इसमें वर्षा के पानी के संचय और संरक्षण के प्रयास किए जाएंगे। इस अभियान में 800 IAS अधिकारियों की भी मदद ली जाएगी, जिनमें संयुक्त सचिव से लेकर अतिरिक्त सचिव रैंक तक के अधिकारी शामिल होंगे। इस अभियान में अंतरिक्ष, पेट्रोलियम और रक्षा क्षेत्र से भी अधिकारियों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न मंत्रालयों के 550 उपसचिव भी अपने-अपने हिस्से में आए ज़िले व ब्लॉक का दौरा करेंगे। यह अभियान 1 जुलाई से 30 सितंबर तक दक्षिण-पश्चिम मानसून के वापस जाने तक विभिन्न राज्यों मां चलेगा। इसमें वर्षा के जल संचयन पर फोकस किया जाएगा। 1 अक्तूबर से 30 नवंबर तक उत्तर-पूर्व मानसून वाले राज्य इसमें शामिल होंगे। जल शक्ति और ग्रामीण विकास मंत्रालय मिलकर यह अभियान संचालित कर रहे हैं, जिसकी मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिये रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी।

स्टेम सेल रजिस्ट्री

पहली स्टेम सेल रजिस्ट्री खोलने की योजना पर काम कर रहा है। इस रजिस्ट्री के बन जाने से मरीज़ और डोनर के स्टेम सेल की मैचिंग में लगने वाले समय और इलाज की कुल लागत में कमी आने की संभावना है। ज्ञातव्य है कि आनुवंशिक रक्त विकार थैलेसीमिया, अप्लास्टिक एनीमिया और कुछ कैंसर के मामलों में स्टेम सेल ट्रांसप्लांट एक कारगर इलाज है, जबकि मरीज़ से मिलते-जुलते स्टेम सेल की खोज में समय लग जाता है। इस रजिस्ट्री के बन जाने के बाद मरीज़ की जाँच के कुछ ही मिनटों में डोनर लाया जा सकेगा। इससे डोनर को खोजने में लगने वाले समय में कमी आएगी और डोनर को कोई भुगतान भी नहीं करना होगा। एक अनुमान के अनुसार, देश में सालाना लगभग दो हज़ार स्टेम सेल ट्रांसप्लांट ही होते हैं, जबकि ज़रूरत 80 हज़ार से एक लाख स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की है। स्टेम सेल या मूल कोशिका ऐसी कोशिकाएँ होती हैं, जिनमें शरीर के किसी भी अंग को कोशिका के रूप में विकसित करने की क्षमता होती है। इसके साथ ही ये अन्य किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में बदल सकती हैं। इन कोशिकाओं को शरीर की किसी भी क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक करने के लिये प्रयोग किया जा सकता है।

अनुसूचित जाति

उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल कर लिया है। इन जातियों में कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिन्द, भर, राजभर, धीमर, बाथम, तुरहा, गोड़िया, माझी और मछुआ शामिल हैं। प्रदेश सरकार ने यह फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा एक जनहित याचिका पर दिये गए आदेश के बाद लिया है। यह प्रक्रिया हाईकोर्ट के आदेश के अंतिम फैसले के अधीन होगी। प्रदेश की ये 17 पिछड़ी जातियाँ लंबे समय से उन्हें अनुसूचित जाति की सूची में लाने की मांग कर रही थीं। प्रदेश सरकार के इस फैसले के बाद राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 की धारा-13 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिनियम की अनुसूची-1 में जरूरी संशोधन कर दिया है। इस संशोधन के ज़रिये अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में से उपरोक्त 17 जातियों को निकाल दिया गया है। अब ये 17 पिछड़ी जातियाँ अनुसूचित जाति में गिनी जाएंगी।

भौगोलिक संकेतक

अब खुदरा दुकानदार या ई-कॉमर्स कंपनियां भौगोलिक संकेतक (GI) वाले विशेष उत्पादों को बाज़ार में रखने और बेचने के लिये उनके प्रतीक चिन्ह (Logo) और Tagline के इस्तेमाल के लिये उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT) से मंज़ूरी ले सकते हैं। ज्ञातव्य है कि भौगोलिक संकेतक मुख्य रूप से विशिष्ट प्रकार के कृषि, प्राकृतिक या विनिर्मित उत्पादों (हस्तशिल्प और औद्योगिक वस्तुओं) को प्रदान किया जाता है, जिनकी उत्पत्ति किसी सुनिश्चित भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी होती है। भौगोलिक संकेतक के रूप में पंजीकृत भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देने तथा विपणन को प्रोत्साहित करने के इरादे से DPIIT ने साझा GI प्रतीक चिह्न और टैगलाइन अगस्त 2018 में जारी किया था। इससे GI उत्पादकों के साथ ही उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ेगी और उन उत्पादों का विपणन और बिक्री बढ़ेगी। भारत में GI प्रतीक चिह्न और टैगलाइन का स्वामित्व DPIIT के पास है। विदेशी GI उत्पादों को प्रतीक चिह्न और टैगलाइन के इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी, भले ही वे भारत में पंजीकृत हों।

महिला सशक्तीकरण मसौदा नीति

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने विभिन्न हितधारकों से सुझाव प्राप्त करने के बाद महिला सशक्तीकरण को लेकर मसौदा नीति तैयार की है। इसमें खाद्य सुरक्षा, पोषण, शिक्षा, अर्थव्यवस्था (कृषि उद्योग, श्रम, रोज़गार, NRI महिलाओं, सेवा क्षेत्र, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहित), महिलाओं के खिलाफ हिंसा, शासन और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है। इस नीति का उद्देश्य आवास, आश्रय और बुनियादी ढाँचे, पेयजल एवं स्वच्छता, मीडिया व संस्कृति, खेल और सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से महिलाओं के लिये सकारात्मक वातावरण बनाना है। इसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाकर ऐसे समाज का निर्माण करना है, जिसमें महिलाएँ अपनी पूरी क्षमता प्राप्त कर उसका इस्तेमाल कर सकें तथा जीवन के सभी क्षेत्रों में समान भागीदारी के साथ हिस्सा ले सकें। इस नीति में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिये पर्यावरण के अनुकूल, नवीकरणीय, गैर-पारंपरिक ऊर्जा, हरित ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के प्रावधान भी किये गए हैं।

कार्बन कैप्चर परियोजना

UK में टाटा समूह की रसायन बनाने वाली इकाई औद्योगिक स्तर पर देश की पहली कार्बन कैप्चर परियोजना बनाने पर काम कर रही है। नॉर्थविच, इंग्लैंड में 16.7 मिलियन पाउंड (21 मिलियन डॉलर) लागत वाली यह परियोजना वर्ष 2021 में काम करना शुरू कर सकती है। यह जीवाश्म ईंधन के दहन से बनने वाली CO_2 को वातावरण से सोखकर इसे सोडियम बाइकार्बोनेट में बदल देगी, जो खाद्य और फार्मास्यूटिकल्स उद्योगों में इस्तेमाल होने वाला एक घटक है। इस प्रौद्योगिकी की लागत अधिक आने की वज़ह से अब तक कार्बन कैप्चरिंग और इसकी स्टोरेज को लेकर कोई विशेष प्रयास नहीं हुए क्योंकि इसके लिये कोई स्पष्ट बिज़नेस मॉडल नहीं है। यह परियोजना इस मायने में अलग होगी क्योंकि इसमें CO_2 को भूमिगत स्टोर करने के बजाय अन्य घटक में परिवर्तित कर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। यह संयंत्र प्राकृतिक गैस से संचालित उस संयुक्त ताप और बिजली संयंत्र से निकलने वाली गैसों से CO_2 को लेगा, जो टाटा समूह की रसायन बनाने वाली इकाई तथा क्षेत्र के अन्य व्यवसायों को भाप और बिजली की आपूर्ति करती है। यह कार्बन कैप्चर और उपयोग संयंत्र प्रतिवर्ष 40 हज़ार टन CO_2 कैप्चर करेगा, जिससे टाटा समूह की रासायनिक इकाई का उत्सर्जन 11% तक कम हो जाएगा। ज्ञातव्य है कि UK सरकार ने वर्ष 2050 तक अपने शुद्ध उत्सर्जन को शून्य तक कम करने का लक्ष्य रखा है।

एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इन्क्लूजन प्रोग्राम (EQUIP)

हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने 50 से अधिक पहलों की मदद से उच्च शिक्षा में बदलाव लाने के लिये शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन और समावेशन कार्यक्रम या एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इन्क्लूजन प्रोग्राम (EQUIP) नामक पाँच वर्षीय विज़न प्लान जारी किया। इसे 10 क्षेत्रों को कवर करने वाले विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें उच्च शिक्षा क्षेत्र को बदलने के लिये विभिन्न पहलों का सुझाव दिया गया है। इस विज़न में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को दोगुना करने और भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों में भौगोलिक और सामाजिक रूप से मुश्किल पहुँच को आसान बनाने, शिक्षा की गुणवत्ता को वैश्विक मानकों के अनुरूप लाकर टॉप 1000 वैश्विक विश्वविद्यालयों में 50 भारतीय संस्थानों को स्थान दिलाने जैसे विभिन्न लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि सुधारों के लिये एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है, जिसका संयोजक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस को बनाया गया है। समिति में कर्नाटक, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के अलावा केंद्रीय कृषि, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सदस्य होंगे। यह समिति राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में सुधारों को अपनाने एवं समयबद्ध तरीके से क्रियान्वयन के उपायों के बारे में सुझाव देगी। इन सुधारों में कृषि उपज और पशुधन विपणन (संवर्द्धन एवं सहायता) कानून, 2017, कृषि उपज और पशुधन ठेका खेती और सेवाएँ (संवर्द्धन एवं सहायता) कानून, 2018 शामिल हैं। इसके अलावा, समिति आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के विभिन्न प्रावधानों की भी समीक्षा करेगी और कृषि विपणन तथा बुनियादी ढाँचा क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित करने के लिये कानून में बदलाव के सुझाव देगी। साथ ही समिति कृषि निर्यात को बढ़ाने, खाद्य प्रसंस्करण में वृद्धि करने, आधुनिक बाज़ार बुनियादी सुविधा, मूल्य श्रृंखला और लॉजिस्टिक में निवेश आकर्षित करने के बारे में भी सुझाव देगी।

भगवान जगन्नाथ रथयात्रा

सर्वोच्च न्यायालय ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अपने फैसलों की कॉपी हिंदी सहित 6 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने की बात कही है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले अब तक केवल अंग्रेज़ी भाषा में ही अपलोड किये जाते रहे हैं। अब उन्हें हिंदी में भी अनुवाद कर वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा तथा इसके साथ ही कन्नड़, असमिया, ओड़िया और तेलुगू जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में भी फैसला आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड होगा। आपको बता दें कि लंबे समय से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के फैसलों की कॉपी क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध करने की मांग होती रही है। हिंदी और क्षेत्रीय भाषा में फैसले उपलब्ध होने से अंग्रेज़ी नहीं समझने वाले लोगों को फायदा होगा। शुरुआत में सिविल मैटर जिनमें दो लोगों के बीच विवाद हो, क्रिमिनल मैटर, मकान मालिक और किरायेदार का मामला तथा वैवाहिक विवाद से संबंधित मामले के फैसलों को क्षेत्रीय भाषाओं में अपलोड किया जाएगा। 500 पेज और बहुत विस्तृत फैसलों का संक्षिप्त सार ही अपलोड किया जाएगा।

न्यूनतम समर्थन मूल्य

केंद्र सरकार ने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि की है। वर्ष 2019-20 के लिये मुख्य खरीफ फसल धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3.7 प्रतिशत बढ़ाकर 1815 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। धान के MSP में 65 रुपए प्रति क्विंटल, ज्वार में 120 रुपए प्रति क्विंटल तथा रागी के MSP में 253 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई। इसके अलावा तुअर, मूंग और उड़द दालों का MSP भी क्रमश: 215 रुपए, 75 रुपए और 100 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। मूंगफली में 200 रुपए क्विंटल तथा सोयाबीन में 311 रुपए क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। मध्यम कपास का MSP 105 रुपए क्विंटल तथा लंबे कपास का MSP 100 रुपए क्विंटल बढ़ाया गया है। ज्ञातव्य है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य वह कीमत है, जिस पर केंद्र सरकार किसानों को उनकी उपज का भुगतान करने की गारंटी देती है।

स्वच्छ भारत मिशन

सरकार ने लोकसभा में जानकारी देते हुए बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत अब तक ग्रामीण भारत में 9.8 करोड़ से भी ज्यादा शौचालयों का निर्माण किया गया है। राष्ट्रीय स्वच्छता कवरेज़ आज 99 प्रतिशत से अधिक हो गया है, जबकि 2014 में यह 39 प्रतिशत था। इस प्रकार स्वच्छ भारत मिशन अक्तूबर, 2019 तक खुले में शौच से मुक्त (ODF) भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की राह पर है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 5.57 लाख से अधिक गाँव और 616 जिले खुले में शौच से मुक्त घोषित किये गए हैं। अब तक 30 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने स्वयं को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया है। ज्ञातव्य है कि 2 अक्तूबर, 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन के पास स्वयं झाड़ू लगाकर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) स्वच्छ भारत अभियान की तारीफ करते हुए कह चुका है कि इसकी वज़ह से अक्तूबर 2014 और अक्तूबर 2019 के बीच तीन लाख से अधिक लोगों को मौत के मुँह में जाने से बचा लिया जाएगा।

मर्कोसुर

20 साल तक चली बातचीत के बाद यूरोपीय संघ और दक्षिणी अमेरिकी इकोनॉमिक ब्लॉक ने मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति जताई है। इस ब्लाक को मर्कोसुर (Mercosur) के नाम से जाना जाता है तथा अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पराग्वे और उरुग्वे जैसे देश इसके सदस्य हैं। वेनेज़ुएला भी इसका सदस्य था, लेकिन समूह के आधारभूत मानकों को पूरा न कर पाने के कारण उसे वर्ष 2016 में इससे हटा दिया गया। इस समझौते का उद्देश्य ट्रेड टैरिफ हटाना, उपभोक्ताओं के लिये आयातित उत्पाद सस्ते करना और दोनों पक्षों के देशों में कंपनियों के लिये आयात बढ़ाना है। मर्कोसुर सदस्यों देशों का यूरोपीय संघ के साथ हुआ यह समझौता वस्तुओं और सेवाओं के लिये एक बाज़ार बनाएगा जिसमें करीब 80 करोड़ लोगों तक पहुँच बन सकेगी।

संयुक्त राष्ट्र संस्था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट

संयुक्त राष्ट्र संस्था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने गर्म धरती पर कार्य करना-गर्मी से उत्पन्न दबाव का श्रम उत्पादकता एवं साफ सुथरे कार्य पर प्रभाव (Working on a Warmer Planet-The Impact of Heat Stress on Labour Productivity & Decent Work) शीर्षक से अपनी रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार, वायुमंडल का तापमान बढ़ने से वर्ष 2030 में भारत में

5.8% काम के घंटों का नुकसान हो सकता है। उत्पादकता की इस क्षति का कुल नुकसान 3.4 करोड़ पूर्णकालिक नौकरियों के बराबर होगा तथा इससे कृषि एवं निर्माण क्षेत्र खासतौर पर प्रभावित होंगे। भीषण गर्मी के कारण वर्ष 2030 तक दुनियाभर में कुल कामकाजी घंटों में 2.2% की कमी आ सकती है तथा इससे आठ करोड़ पूर्णकालिक नौकरियों की उत्पादकता का ह्रास होगा। इस रिपोर्ट में ऊष्मागत तनाव के कारण वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर कुल 2400 अरब डॉलर का वित्तीय नुकसान होने की संभावना जताई गई है।

विदेश मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान नेपाल, मालदीव, मॉरीशस और अफ्रीकी देशों के लिये सहायता राशि के आवंटन में वृद्धि की है। इन देशों की कुल सहायता राशि में करीब 2037.79 करोड़ रुपए का इज़ाफा किया गया है और इस वर्ष यह राशि करीब 7,582.79 करोड़ रुपए हो गई है। नेपाल के लिये सहायता राशि वर्ष 2018-19 के 650 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1050 करोड़ रुपए की गई है। भूटान को कुल 2801.79 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है, जो पिछले वित्त वर्ष में 2650 करोड़ रुपए थी। अफगानिस्तान के लिये अलग से 400 करोड़ रुपए, बांग्लादेश के लिये 175 करोड़ रुपए, श्रीलंका के लिये 250 करोड़ रुपए और मंगोलिया के लिये पांच करोड़ रुपए की सहायता राशि आवंटित की गई है। म्यांमार के लिये सहायता राशि पिछले साल के 280 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 400 करोड़ रुपए की गई है। अफ्रीकी देशों के लिये सहायता राशि में पिछले साल के तुलना में दोगुना इज़ाफा किया गया है। इन्हें वित्त वर्ष 2019-20 के बजट में करीब 450 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं। लेकिन सामरिक रूप से महत्त्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह के लिये सहायता राशि वर्ष 2018-19 के 150 करोड़ रुपए से घटकर इस बार 45 करोड़ रुपए रह गई है।

मॉडल गाँव

श्रीलंका ने भारत की मदद से युद्ध प्रभावित लोगों के लिये एक आवास योजना के तहत अपने यहां बनाए गए पहले मॉडल गाँव का उद्घाटन किया। यह गाँव गामपाहा के रानीदुगामा में बनाया गया है, जिसमें लाभार्थियों को पूर्ण रूप से निर्मित मकान सौंपे गए। ज्ञातव्य है कि भारत ने 120 करोड़ रुपए के अनुदान से श्रीलंका में कुल 2400 मकान बनाने के लिये आवास एवं निर्माण तथा संस्कृति मंत्रालय के साथ भागीदारी की है। इस संयुक्त परियोजना से श्रीलंका के 2400 परिवार लाभान्वित होंगे।

राष्ट्रीय सुशासन केंद्र

भारत वर्ष 2019-2025 की अवधि के दौरान बांग्लादेश के 1800 लोकसेवकों को प्रशासन एवं लोक नीति में नैतिक मूल्यों को लेकर प्रशिक्षण देगा। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत (DRPG) विभाग के तहत आने वाले मसूरी स्थित संस्थान राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (NCGG) और बांग्लादेश के लोक प्रशासन मंत्रालय के बीच इसके लिये एक समझौता इसी वर्ष हुआ था।। यह दूसरी बार हो रहा है जब बांग्लादेश के लोकसेवकों को प्रशिक्षण देने के लिये राष्ट्रीय सुशासन केंद्र ने समझौता किया है। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र में पाँच साल पहले भी 1500 बांग्लादेशी लोकसेवकों को प्रशिक्षित किया गया था। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में तथा पंजीकृत कार्यालय मसूरी में है। यह केंद्र अध्ययन, प्रशिक्षण, ज्ञान साझा करने और अच्छे विचारों को बढ़ावा देकर शासन में सुधार लाने में सहायता प्रदान करने के लिये स्थापित किया गया है।

इंडियन हज इनफॉर्मेशन सिस्टम

हज यात्रा के लिये काउंसिल जनरल आफ इंडिया, जेद्दाह ने हज यात्रियों की सुविधा के लिये एक मोबाइल एप शुरू किया है। इंडियन हज इनफॉर्मेशन सिस्टम नामक इस एप का उद्देश्य हज यात्रा को सुविधाजनक बनाना है। इसमें हज यात्री का पासपोर्ट नम्बर, मक्का, मदीना, मिना में रिहाइश का विवरण, उड़ान विवरण के साथ इमरजेंसी कॉन्टेक्ट टोल फ्री नंबर भी है, जिस पर यात्री इंडियन हज ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही इस एप में खादिमुल हुज्जाज (हज यात्रा में सहायता करने वाले) की तैनाती, अस्पताल एवं रेस्टोरेंट आदि की सूचनाएँ उपलब्ध रहेंगी। सऊदी अरब में हज के दौरान यात्रियों को हर समय अपने साथ पहचान-पत्र, ई-ब्रेसलेट, पासपोर्ट व वीज़ा की कॉपी रखनी होगी। उड़ान की रवानगी से पहले यात्रियों को सऊदी अरब का सिम कार्ड दिया जाएगा, जिसको जेद्दाह एयरपोर्ट पहुँचकर फिंगर प्रिंट लेने के बाद एक्टीवेट किया जा सकेगा

भारत-रूस रणनीतिक-आर्थिक वार्ता (IRSED)

भारत और रूस के बीच दूसरे दौर की रणनीतिक-आर्थिक वार्ता (IRSED) 10 जुलाई को नई दिल्ली में हुई। इस वार्ता में परिवहन सुविधा एवं प्रौद्योगिकियों का विकास; कृषि एवं कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र का विकास; लघु एवं मध्यम कारोबार सहायता; डिजिटल सुधार एवं अग्रणी प्रौद्योगिकियाँ; व्यापार, बैंकिंग, वित्त एवं उद्योग के क्षेत्र में सहयोग तथा पर्यटन एवं संपर्कता जैसे क्षेत्रों में सहयोग के 6 प्रमुख क्षेत्रों पर जोर दिया गया। ज्ञातव्य है कि 5 अक्तूबर, 2018 को नीति आयोग और रूसी संघ के आर्थिक विकास मंत्रालय के बीच 19वें वार्षिक भारत-रूस द्विपक्षीय सम्मेलन के दौरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद IRSED की स्थापना की गई थी। भारत और रूस के बीच पहले दौर की रणनीतिक-आर्थिक वार्ता 25-26 नवंबर, 2018 को सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित की गई थी।

भारत-आसियान त्रिगुट (Trokia)

9 जुलाई को नई दिल्ली में भारत-आसियान त्रिगुट (Trokia) व्यापार मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य वर्तमान में जारी क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP) पर अनौपचारिक सलाह-मशविरा करना था। भारत RCEP को अपनी 'एक्ट ईस्ट' नीति का एक तार्किक विस्तार मानता है, जिसमें आर्थिक विकास एवं स्थायित्व के लिये व्यापक संभावनाएँ हैं। हाल ही में मेलबर्न में विशेषज्ञ स्तर पर RCEP वार्ताओं का 26वाँ दौर आयोजित हुआ था, जिसमें सदस्य देशों ने कुछ हद तक लचीलापन एवं सामंजस्यपूर्ण रुख दर्शाया। भारत ने भी ऐसा करते हुए कुछ महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में समुचित सामंजस्य बैठाने में मदद की। लेकिन भारतीय वस्तुओं के मामले में, विशेषकर चीन के साथ बाज़ार पहुँच से जुड़े मुद्दे काफी जटिल हैं। भारत यह भी मानता है कि पिछले मुक्त व्यापार समझौतों के प्रभाव को लेकर भारत में अनेक आशंकाएं हैं क्योंकि भारत ने वस्तुओं के मामले में जितनी रियायतें दी हैं उनके मुकाबले उसे अपेक्षाकृत कम छूट प्राप्त हुई है।

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 10 जुलाई को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई बड़े फैसले लिये गए:

1. आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने बड़ा फ़ैसला लेते हुए प्रधानमंत्री सड़क योजना के तीसरे चरण के विस्तार को मंज़ूरी दी, जिसके तहत 1,25,000 किलोमीटर की सड़क 80,250 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी।
2. यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण यानी पॉक्सो अधिनियम 2012 में संशोधन को भी मंज़ूरी दी गई, जिसके तहत बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के लिये मौत की सज़ा का प्रावधान है। संशोधन के तहत सज़ा के प्रावधान को और सख़्त बनाया गया है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर रोक लगाने के लिये आर्थिक दंड और कारावास का भी प्रावधान किया गया है।
3. 13 केंद्रीय श्रम कानूनों को एक कोड के दायरे में लाया जाना है। इसके तहत व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तों विधेयक, 2019 पर संहिता को मंजूरी दी गई।
4. कई राज्यों से होकर बहने वाली नदियों के लिये छोटे-छोटे ट्रिब्यूनल को समाप्त कर एक ट्रिब्यूनल बनाने का फैसला किया गया जिसके तहत अब 9 ट्रिब्यूनलों की जगह पर 1 ट्रिब्यूनल होगा। इससे नदी जल को लेकर राज्यों के बीच होने वाले विवाद के निपटारे में मदद मिलेगी।
5. अनियमित चिट फंड के लिये विधेयक में संशोधन करते हुए अनियमित जमा पर रोक लगा दी गई है। इसे 21 फरवरी, 2019 को लागू किये गए अध्यादेश के स्थान पर लाया गया है। इससे गैरकानूनी जमा पर रोक लग सकेगी।
6. ग्रुप 'ए' सर्विसेज़ का लाभ अब RPF को भी दिए जाने का फैसला लिया गया है। इससे RPF के योग्य अफसरों को उनके करियर में प्रोत्साहन मिलेगा।
7. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019 को भी मंज़ूरी दी गई। इससे इस समुदाय के लोगों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक सशक्तीकरण को बढ़ावा मिलेगा।
8. PPP मॉडल के तहत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के 3 हवाई अड्डों- अहमदाबाद, लखनऊ और मंगलुरू को लीज़ पर देने के प्रस्ताव को भी मंज़ूरी मिली है। अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने बोली दस्तावेज़ों के नियमों और शर्तों के अनुसार इन हवाई अड्डों के संचालन, प्रबंधन और विकास के लिये 50 साल की लीज़ अवधि हेतु सबसे अधिक बोली लगाई है।

राष्ट्रमंडल देश

राष्ट्रमंडल देशों के विदेश मंत्रियों की 19वीं बैठक लंदन में आयोजित की गई। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने किया। बैठक में इस समूह की भविष्य की रणनीति पर चर्चा हुई, जिसमें राष्ट्रमंडल के अन्य 52 सदस्य देशों के विदेश मंत्री भी शामिल हुए। इसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेरेमी हंट ने की। लंदन के मार्लबोरो हाउस में आयोजित इस बैठक में भारत ने मालदीव को राष्ट्रमंडल में फिर से शामिल करने की प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिये कहा। मालदीव ने 53 सदस्यीय संगठन से अपने संबंध वर्ष 2016 में तोड़ लिये थे और पिछले वर्ष देश के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के नेतृत्व में फिर से इसमें शामिल होने के लिये आवेदन किया था। विदित हो कि राष्ट्रमंडल का मौजूदा अध्यक्ष होने के नाते इसकी अध्यक्षता की बारी इस बार ब्रिटेन की है। विदेश मंत्रियों की इस बैठक में राष्ट्रमंडल की भविष्य की रणनीति और दिशा पर भी चर्चा हुई। इस साल की बैठक की मुख्य थीम मीडिया की स्वतंत्रता रखी गई थी। इसके अलावा इस वर्ष राष्ट्रमंडल समूह की 70वीं वर्षगाँठ भी मनाई जा रही है।

गवाह संरक्षण योजना 2018

ओडिशा सरकार ने केंद्र की गवाह संरक्षण योजना 2018 को लागू कर दिया है और इस योजना को लागू करने वाला वह देश का पहला राज्य बन गया है। गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले वर्ष दिसंबर में केंद्र सरकार की गवाह सुरक्षा योजना को मंज़ूरी दी थी और और संसद द्वारा कानून बनाए जाने तक सभी राज्यों को इसका पालन करने का निर्देश दिया था। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPRD) से परामर्श के बाद गवाह संरक्षण योजना के मसौदे को अंतिम रूप दिया गया और गवाहों को खतरे के आकलन के आधार पर तीन श्रेणियों में रखा गया है:

1. श्रेणी A: जहाँ जाँच, परीक्षण या उसके बाद गवाह या परिवार के सदस्यों के जीवन पर खतरा हो।
2. श्रेणी B: जहाँ जाँच या परीक्षण के दौरान गवाह या परिवार के सदस्यों की सुरक्षा, प्रतिष्ठा या संपत्ति पर खतरा हो।
3. श्रेणी C: जाँच, परीक्षण या उसके बाद गवाह या परिवार के सदस्यों, प्रतिष्ठा या संपत्ति के उत्पीड़न का खतरा।

भारत की शिक्षा स्थिति 2019- दिव्यांग बच्चे रिपोर्ट

यूनेस्को के एक प्रतिनिधिमंडल ने उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू को भारत की शिक्षा स्थिति 2019- दिव्यांग बच्चे रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में 10 अनुशंसाएँ की गई हैं, जिसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम को दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम के साथ जोड़ा जाना शामिल है। रिपोर्ट में दिये गए सुझावों पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी, क्योंकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विचार-विमर्श चल रहा है। देश में समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है और सरकार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है। यूनेस्को ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेंज़ के साथ मिलकर यह रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें दिव्यांग बच्चों की शिक्षा की वर्तमान स्थिति तथा इसे और बेहतर बनाकर दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को आगे बढ़ाए जाने के उपाय सुझाए गए हैं।

सिख फॉर जस्टिस

भारत सरकार ने देश के कई सिख संगठनों से विचार-विमर्श के बाद न्यूयार्क से संचालित होने वाले खालिस्तान समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस को गैर-कानूनी घोषित करते हुए उसे पाँच साल के लिये प्रतिबंधित कर दिया है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अनुसार, यह संगठन खालिस्तान के नाम पर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था, जिससे खासतौर पर पंजाब के हालात बिगड़ रहे थे। अलगाववादी एजेंडे के चलते इस संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI द्वारा इस संगठन के ज़रिये पंजाब में माहौल बिगाड़ने की घटनाएँ सामने आ चुकी हैं। भारतीय रक्षा एजेंसियों ने इस संगठन पर 11 अलग- अलग मामले दर्ज किये हैं। यह संगठन 20-20 रिफरेंडम के लिये ऑनलाइन समर्थकों को जुटा रहा था। ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी और आस्ट्रेलिया जैसे देशों के सिख बहुल इलाकों में खालिस्तान के समर्थन में यह संगठन काफी सक्रिय है।

Multidimensional Poverty Index (MPI)

संयुक्त राष्ट्र की एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2006 से 2016 तक 10 साल की अवधि में 27.1 करोड़ लोग गरीबी के दायरे से बाहर निकले। गरीबी के वैश्विक सूचकांक Multidimensional Poverty Index (MPI) में भारत ने इस मामले में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है। 11 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनीशिएटिव द्वारा तैयार इस सूचकांक में 101 देशों के 1.3 अरब लोगों का अध्ययन किया गया। इसमें 31 न्यूनतम आय, 68 मध्यम आय और 2 उच्च आय वाले देश शामिल थे। रिपोर्ट के अनुसार, दुनियाभर में 1.30 अरब लोग बहुआयामी रूप से गरीब हैं। बहुआयामी गरीबी के पैमानों में कम आय के साथ ही खराब स्वास्थ्य, काम की गुणवत्ता में कमी और हिंसा का खतरा भी शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में पोषण, स्वच्छता, बच्चों की स्कूली शिक्षा, बिजली, स्कूल में उपस्थिति, आवास, खाना पकाने का ईंधन और संपत्ति जैसे क्षेत्रों में काफी सुधार हुआ है। ये क्षेत्र गरीबी सूचकांक को मापने के 10 पैमानों में शामिल हैं। आँकड़ों के आधार पर इन सभी ने सतत विकास लक्ष्य 1 प्राप्त करने के लिये उल्लेखनीय प्रगति की। सतत विकास लक्ष्य 1 में सभी रूपों में हर जगह गरीबी को समाप्त करने की बात कही गई है।

गगनयान'

भारत और रूस ने भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान मिशन 'गगनयान' में सहायता देने सहित अंतरिक्ष के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को अगले स्तर तक बढ़ाने के लिये उच्चस्तरीय वार्ता की। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस के महानिदेशक दिमित्री रोगोज़िन ने दोनों पक्षों का नेतृत्व किया। बैठक में रूस ने भारत के मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिये हर प्रकार की सहायता प्रदान करने का वादा किया और गगनयान मिशन के लिए सहयोग से संबंधित जानकारियों पर चर्चा की। साथ ही रूस ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) में भाग लियेने को लियेकर भारत को समर्थन देने की पेशकश की। गौरतलब है कि कुछ समय पहले ही इसरो ने वर्ष 2022 में गगनयान मिशन के लिये भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने हेतु Glavcosmos के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत Glavcosmos उम्मीदवारों की मेडिकल जाँच करेगा और उन्हें अंतरिक्ष यात्रा के लिये प्रशिक्षित भी करेगा।

इको टैक्स

दुनियाभर में प्रदूषण की बड़ी वजहों में से एक विमानन उद्योग पर फ्राँस ने अपने यहाँ से उड़ान भरने वाली सभी विदेशी उड़ानों पर 18 यूरो (लगभग 1385 रुपए) का टैक्स लगाने का ऐलान किया है। इसे इको टैक्स नाम दिया गया है। इसमें फ्राँस या यूरोप के भीतर इकोनॉमी क्लॉस के टिकट पर 1.5 यूरो (115 रुपए), बिजनेस क्लास पर 900 रुपये का शुल्क लगेगा। जबकि विदेशी उड़ानों के बिज़नेस क्लॉस के टिकट पर सबसे अधिक 18 यूरो का शुल्क लगेगा। यह टैक्स जनवरी 2020 से लागू हो जाएगा और इससे एकत्र धन से कम प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की मदद की जाएगी। इससे फ्राँस को हर साल 1400 करोड़ रुपए की आय होगी, जो इलेक्ट्रिक और स्वच्छ ऊर्जा के नए उद्योगों का बुनियादी ढाँचा तैयार करने में खर्च की जाएगी। फ्राँस आने वाली उड़ानों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ज्ञातव्य है कि इसी तरह के ग्रीन टैक्स की शुरुआत स्वीडन ने अप्रैल 2018 में की थी। स्वीडन सरकार हर हवाई टिकट पर लगभग 40 यूरो टैक्स वसूलती है। यह धन हवाई यात्रा से जलवायु परिवर्तन पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने में खर्च किया जाता है।

ऑपरेशन मिलाप

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अपना घर छोड़कर दिल्ली के रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और कई सार्वजनिक जगहों पर लावारिस घूम रहे 333 बच्चों को उनके परिवारों से मिलाने के लिये ऑपरेशन मिलाप चलाया। क्राइम ब्रांच की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट दिल्ली पुलिस के सभी ज़िलों में चल रही यूनिट की नोडल एजेंसी है। इसका उद्देश्य परिवार से बिछड़े हुए बच्चों को उनके माता-पिता और परिवार से मिलाना है। इसके लिये हर पखवाड़े राजधानी के रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और अन्य जगहों में चेकिंग ड्राइव चलाई जाती है। इस दौरान लावारिस और आवारा घूम रहे बच्चों को तलाशा जाता है। इस काम के लिये NGOs की मदद भी ली जाती है। यहाँ से रेस्क्यू किये बच्चों की काउंसलिंग की जाती है और ज़रूरत पड़ने पर मेडिकल हेल्प भी उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा यूनिट की टीम राजधानी के चिल्ड्रेंस होम में घूमकर वहाँ रह रहे बच्चों के बारे में जानकारी हासिल करती है और उनके परिजनों को खोजने में मदद करती है। क्राइम ब्रांच ने इसके लिये एक डेटाबेस भी बनाया है।

बेहदीनखलम महोत्सव

11 से 14 जुलाई तक मेघालय की राजधानी शिलांग से 64 किमी. दूर जोवाई में बेहदीनखलम (Behdeinkhlam) महोत्सव का आयोजन किया गया। वार्षिक तौर पर होने वाला यह उत्सव मेघालय की जयंतिया जनजाति का सबसे लोकप्रिय त्योहार है। इस उत्सव में बाँस और कागज़ से लंबी संरचनाएँ बनाई जाती हैं, जिन्हें रॉट (Rot) कहते हैं। बेहदीनखलम का शाब्दिक अर्थ 'लकड़ी की छड़ियों से शैतान (प्लेग या कॉलरा) को भगाना' है। विदित हो कि मेघालय का गठन असम के अंतर्गत 2 अप्रैल, 1970 को एक स्वायत्तशासी राज्य के रूप में किया गया था। एक पूर्ण राज्य के रूप में मेघालय 21 जनवरी, 1972 को अस्तित्व में आया। इसकी उत्तरी और पूर्वी सीमाएँ असम से और दक्षिणी तथा पश्चिमी सीमाएँ बांग्लादेश से मिलती हैं।

उत्तर प्रदेश कॉम्बेटिंग ऑफ मॉब लिंचिंग एक्ट

उत्तर प्रदेश के विधि आयोग ने मॉब लिंचिंग की बढ़ रही घटनाओं के मद्देनज़र ऐसे मामलों में शामिल आरोपियों को उम्रकैद की सज़ा देने की सिफारिश की है। राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 128 पृष्ठों की एक रिपोर्ट भेजी है। काफी अध्ययन के बाद राज्य विधि आयोग द्वारा तैयार इस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि किस तरह से इन घटनाओं पर रोक लगाई जा सकती है और आरोपियों को किस आधार पर उम्रकैद की सज़ा देनी चाहिये। वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर तैयार इस रिपोर्ट में मॉब लिंचिंग की कई घटनाओं और कोर्ट के फैसलों के बारे में भी बताया गया है। इस रिपोर्ट के आधार पर जो कानून बनेगा उसे उत्तर प्रदेश कॉम्बेटिंग ऑफ मॉब लिंचिंग एक्ट के नाम से जाना जाएगा। कमीशन ने रिपोर्ट में यह भी कहा है कि आरोपियों को सज़ा दिलाने की ज़िम्मेदारी पुलिस अधिकारियों और ज़िला मजिस्ट्रेट की रहेगी। यदि वे इस काम में असफल रहते हैं, तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिये। कानून के तहत पीड़ित के परिजन को जान-माल के नुकसान के आधार पर मुआवज़ा भी दिया जाएगा। गौरतलब है कि वर्ष 2018 में मणिपुर ने मॉब लिंचिंग रोकने के लिये प्रोटेक्शन फ्रॉम मॉब वायलेंस एक्ट, 2018 बनाया था, इसके तहत यदि भीड़ द्वारा किसी की जान ली जाती है तो दोषियों को आजीवन कारावास और पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी। यह देश में अपनी तरह का यह पहला कानून है।

वित्त आयोग

केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल एक महीना और बढ़ाकर 30 नवंबर तक करने का फैसला किया है। इसके साथ ही वित्त आयोग की सिफारिशों का दायरा बढ़ाकर इसमें रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिये कोष को भी शामिल किया गया है। आयोग को इस साल 30 अक्तूबर तक अपनी रिपोर्ट देनी थी। इसे अन्य मुद्दों के अलावा 1 अप्रैल, 2020 से पाँच साल के लिये केंद्र द्वारा राज्यों को कोष के बँटवारे का फॉर्मूला सुझाना है। सरकार ने 27 नवंबर, 2017 को एन.के. सिंह की अध्यक्षता वाले 15वें वित्त आयोग को अधिसूचित किया था। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है और प्रथम वित्त आयोग का गठन के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में 1951 में किया गया था। राज्य वित्त आयोगों का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(1) के तहत किया जाता है।

स्टेट बैंक ने डिजिटल भुगतान पर शुल्क हटाये

डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिये देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ने इन पर लगने वाले सभी शुल्कों को हटाने का फैसला किया है। अब इंटरनेट या मोबाइल पर NEFT और RTGS से लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। बैंक ने यह कदम भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन शुल्कों को खत्म करने के बाद उठाया है। इसके अलावा बैंक ने तत्काल भुगतान सेवा IMPS (Immediate Payment Service) से लेनदेन करने पर भी शुल्क हटाने का निर्णय किया है। ज्ञातव्य है कि बड़ी राशि के लेनदेन के लिये RTGS (Real Time Gross Settlement) और दो लाख रुपए तक के लेनदेन के लिये NEFT (National Electric Funds Transfer) प्रणाली का उपयोग किया जाता है। अभी तक बैंक NEFT पर एक से पाँच रुपए और RTGS पर पाँच से 50 रुपए तक का शुल्क लेता रहा है। बैंक ने शाखा पर जाकर NEFT और RTGS का उपयोग करने वाले ग्राहकों से लिये जाने वाले शुल्क में 20 प्रतिशत की कटौती की है। गौरतलब है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बीते दिनों डिजिटल लेन-देन को मज़बूत बनाने के इरादे से धन अंतरण (लेनदेन) के लिये बैंकों पर लगने वाले शुल्क समाप्त करने की घोषणा की थी और बैंकों को इसका लाभ ग्राहकों को देने को कहा था।

भारत और इटली की फास्ट ट्रैक प्रणाली

भारत और इटली ने एक-दूसरे के यहाँ अपनी कंपनियों और निवेशकों को आगे बढ़ाने के लिये फास्ट ट्रैक प्रणाली बनाने का फैसला किया है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT) इन्वेस्ट इंडिया के साथ सहयोग करके भारत में इस प्रणाली के भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व करेगा। DPIIT अन्य महत्त्वपूर्ण मंत्रालयों और प्राधिकारों की भागीदारी बढ़ाएगा तथा इन्वेस्ट इंडिया अलग-अलग मामलों को जारी रखने और उनकी निगरानी के लिये ज़िम्मेदार एजेंसी होगी। DPIIT द्वारा इसकी लगातार समीक्षा की जाएगी। फास्ट ट्रैक प्रणाली का मुख्य उद्देश्य भारत में इतालवी कंपनियों और निवेशकों के सामने उनके कार्य में आने वाली समस्याओं की पहचान कर उनके समाधान का मार्ग प्रशस्त करना है। यह प्रणाली भारत में कारोबार में सुगमता के संबंध में इतालवी कंपनियों और निवेशकों के नज़रिये से मिलने वाले सामान्य सुझावों पर विचार-विमर्श के लिये एक मंच के रूप में काम करेगी। भारत में इटली का दूतावास इतालवी व्यापार एजेंसी और इटली में महत्त्वपूर्ण मंत्रालयों के सहयोग से भारत में इस प्रणाली के भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व करेगा। दोनों पक्षों द्वारा इस फास्ट ट्रैक प्रणाली की वर्ष में दो बार समीक्षा की जाएगी।

ननकाना साहिब

पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के ननकाना साहिब में सिख धर्म के संस्थापक बाबा गुरु नानक देव के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। इसे बनाने के लिये लगभग एक दशक पहले प्रस्ताव आया था और हाल ही में इसका शिलान्यास किया गया। यह विश्वविद्यालय 10 एकड़ क्षेत्र में बनेगा और इस पर लगभग 258 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, लेकिन इसका निर्माण पूरा होने के लिये कोई अनुमानित समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। गौरतलब है कि गुरु नानक देव जी का जन्म ननकाना साहिब में हुआ था और पहली बार उन्होंने यहीं पर उपदेश देना शुरू किया था। लाहौर से लगभग 80 किमी. दूर स्थित ननकाना साहिब सिखों के लिये उच्च ऐतिहासिक और धार्मिक महत्त्व का शहर है।

भारत-ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक व्यापार समिति (जेटको)

हाल ही में भारत के केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा रेल मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में भारत-ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक व्यापार समिति (जेटको) की बैठक में हिस्सा लिया। दोनों देश अनुसंधान और सेवा क्षेत्र में भारत-ब्रिटेन साझेदारी की नीति का आधार 'ब्रिटेन में डिजाइनिंग–भारत में निर्मित' को मानते हैं। इससे व्यापार, वाणिज्य और सेवा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। जेटको प्लेटफॉर्म का उद्देश्य दोनों देशों को आपसी सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करने में सहायता करना तथा आपसी व्यापार से संबंधित मुद्दों का सरल समाधान तलाशना है। इसके अलावा भारत और ब्रिटेन ने खाद्य तथा पेय पदार्थों, स्वास्थ्य सेवा और डेटा सेवाओं के व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिये तीन नए द्विपक्षीय कार्य समूह गठित करने पर सहमति जताई। विदित हो कि भारत-ब्रिटेन के व्यापार और आर्थिक संबंधों की समीक्षा जेटको द्वारा प्रतिवर्ष वाणिज्य और उद्योग मंत्रियों के स्तर पर की जाती है। जेटको की अब तक 12 बैठकें हो चुकी हैं और अंतिम बैठक लंदन में 11 जून, 2018 को आयोजित की गई थी। द्विपक्षीय आर्थिक व्यापार और निवेश बढ़ाने की रणनीति के तहत भारत-ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक व्यापार समिति का गठन 13 जनवरी, 2005 को किया गया था।

गोडावण (Great Indian Bustard) और खरमोर (Lesser Florican)

दो भारतीय पक्षियों गोडावण (Great Indian Bustard) और खरमोर (Lesser Florican) के विलुप्तप्राय: होने पर गंभीर चिंता जताते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इन प्रजातियों के संरक्षण के लिये आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना बनाने तथा उसे लागू करने के लिये उच्च अधिकार प्राप्त तीन सदस्यीय समिति गठित की है। इस समिति में 'बाम्बे नैचुरल हिस्ट्री सोसायटी' के निदेशक, इस सोसायटी के पूर्व निदेशक डॉक्टर असद आर. रहमानी और उत्तराखंड के मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर धनंजय मोहन शामिल हैं। न्यायालय ने केंद्र और उन राज्यों की सरकारों से जवाब मांगा, जहाँ इन दो प्रजातियों के पक्षी सामान्य रूप से पाए जाते हैं। इन प्रजातियों के संरक्षण के लिये यह आदेश वन्यजीव कार्यकर्त्ताओं की याचिका पर दिया गया जिसमें कहा गया था कि मानसून सत्र में इन प्रजातियों के पक्षियों के तत्काल संरक्षण के लिये आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना तैयार करने हेतु निर्देश जारी करने की आवश्यकता है। बड़े आकार का गोंडावण पक्षी राजस्थान का राजकीय पक्षी है तथा IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट में इसे 'गंभीर रूप से संकटग्रस्त' श्रेणी में तथा भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 में

रखा गया है। दूसरी तरफ खरमोर पक्षी मुख्यत: उत्तर-पश्चिमी महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश में पाया जाता है और कभी-कभी राजस्थान और गुजरात में भी देखने को मिल जाता है। दुनिया की संकटग्रस्त प्रजातियों में शामिल खरमोर को केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय ने भी 'संकटापन्न' घोषित किया है।

कृत्रिम त्वचा

एम्स दिल्ली तथा IIT दिल्ली ने मिलकर कृत्रिम त्वचा का विकास किया है। यह देश की महत्त्वपूर्ण चिकित्सकीय शोध परियोजनाओं में शामिल है। कई प्रकार के केमिकल्स व फाइबर का इस्तेमाल कर इसे तैयार किया गया है। इसके लिये एम्स में 'त्वचा बैंक' बनाया जाएगा, जहाँ कृत्रिम त्वचा बहुत ही कम कीमत पर उपलब्ध होगी, जो प्रत्यारोपण के बाद असली त्वचा की तरह काम करेगी। फिलहाल उत्तर भारत में केवल दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में ही 'त्वचा बैंक' है, लेकिन वहाँ भी इसकी उपलब्धता बहुत कम रहती है। प्लास्टिक सर्जरी, जलने, कैंसर व दुर्घटनाओं के मामलों में त्वचा की आवश्यकता पड़ती है। फिलहाल यह परीक्षण के दौर में है तथा जानवरों पर इसका ट्रायल चल रहा है। इसके बाद क्लीनिकल परीक्षण के लिये ड्रग कंट्रोलर से स्वीकृति ली जाएगी

सर्वोच्च न्यायालय अतिरिक्त प्रशासनिक इमारत

देश के सर्वोच्च न्यायालय की अतिरिक्त प्रशासनिक इमारत का उद्घाटन 17 जुलाई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। इस इमारत की विशेषता यह ही कि इसमें ईंटों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि इनके स्थान पर टूटे हुए मलबे से बने 20 लाख ब्लॉक्स इस्तेमाल किये गए, जिससे 35 हजार मीट्रिक टन मिट्टी की बचत हुई। इस इमारत की नींव 27 सितंबर, 2012 को रखी गई थी और इसमें पाँच ब्लॉक हैं। इसमें जजों और वकीलों के लिये देश की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाई गई है तथा मुकदमों की फाइलिंग, कोर्ट के आदेशों की कॉपियाँ लेने आदि सभी काम इस नई बिल्डिंग में होंगे। पूर्णत: हरित इस इमारत में बड़े-बड़े सोलर पैनल लगे हैं, जिनसे 1400 किलोवॉट सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा। इस इमारत में 825 CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं तथा अत्याधुनिक LED लाइटों का प्रयोग किया गया है, जो सेंसर प्रणाली पर काम करती हैं। अंधेरा होने पर ये अपने आप चालू हो जाएंगी और किसी के न रहने पर बंद भी हो जाएंगी।

अनावश्यक कानून संबंधी विधेयक

केंद्र सरकार ने 58 और अनावश्यक कानूनों को समाप्त करने के लिये विधेयक लाने की मंज़ूरी दे दी है। इसका उद्देश्य अपनी महत्ता खो चुके पुराने कानूनों को समाप्त करना है। NDA सरकार ने अपने दो कार्यकाल के दौरान अब तक 1824 ऐसे कानूनों को खत्म किया है। इनमें अधिकांश ऐसे कानून हैं, जिन्हें प्रमुख या मुख्य कानूनों में संशोधन करने के लिये लागू किया गया था और अब ये अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं। स्वतंत्र कानून के रूप में कानूनी पुस्तकों में इनका होना व्यवस्था में बाधक बनता है। वर्ष 2014 में पहली बार NDA सरकार के सत्ता में आने के बाद पुराने कानूनों को निरस्त करने के लिये दो सदस्यीय पैनल की स्थापना की गई थी। इस पैनल ने केंद्र और राज्य सरकारों से इन कानूनों को निरस्त करने की सिफारिश करने से पहले सभी संबधित पक्षों के साथ परामर्श भी किया था। वर्ष 2014 में NDA सरकार बन जाने के बाद विधि आयोग ने अपनी 248, 249, 250 और 251वीं अंतरिम रिपोर्टों में क्रमश: 72, 113, 74 और 30 अनावश्यक और अप्रासंगिक हो चुके कानूनों (जिनमें कुछ राज्यों के कानून भी शामिल थे) की पहचान करके उन्हें जल्द-से-जल्द निरस्त करने की सिफारिश की थी। वैसे विधि आयोग हर बार ऐसे कानूनों को समाप्त करने के लिये अपनी रिपोर्ट में उल्लेख करता रहता है।

मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019

संसद ने मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित कर दिया। इस संशोधन से भारत के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त किसी ऐसे व्यक्ति को भी आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा, जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। आयोग के सदस्यों की संख्या दो से बढ़ाकर तीन की जाएगी, जिनमें एक महिला होगी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और दिव्यांगजनों संबंधी मुख्य आयुक्त को आयोग के सदस्यों के रूप में शामिल किया जा सकेगा। आयोग और राज्य आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों की पदावधि को पाँच वर्ष से कम करके तीन वर्ष किया जाएगा और वे पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र होंगे। मानव अधिकार आयोग के

अध्यक्ष की चयन समिति में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति एवं दोनों सदनों के विपक्ष के नेता शामिल किये गए हैं। भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन 12 अक्तूबर, 1993 को हुआ था। इस आयोग का गठन पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप है जिन्हें अक्तूबर, 1991 में पेरिस में मानव अधिकार संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिये राष्ट्रीय संस्थानों पर आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में अंगीकृत किया गया था तथा 20 दिसंबर, 1993 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे मंज़ूरी दी गई थी।

'बैनिंग क्रिप्टोकरेंसी एंड रेग्युलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, 2019'

आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष गर्ग की अध्यक्षता वाली एक अंतर-मंत्रालयी समिति ने देश में निजी क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने की सिफारिश की है। समिति का कहना है कि निजी क्रिप्टोकरेंसी में कोई अंतर्निहित आंतरिक मूल्य नहीं है, इसलिये सरकार द्वारा जारी क्रिप्टोकरेंसी के अलावा इस तरह की सभी मुद्राओं पर प्रतिबंध लगना चाहिये। समिति ने क्रिप्टोकरेंसी के किसी भी तरह के इस्तेमाल पर एक से दस साल तक की सज़ा का प्रस्ताव किया है तथा इसके अलावा 50 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। हालांकि सरकार अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए आधिकारिक तौर पर डिजिटल रुपया जारी कर सकती है जो लेन-देन के लिए पूरी तरह वैध होगा। यदि सरकार डिजिटल मुद्रा लाती है तो इसका नियमन रिज़र्व बैंक करेगा। समिति ने क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने के लिये 'बैनिंग क्रिप्टोकरेंसी एंड रेग्युलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, 2019' शीर्षक से विधेयक का एक मसौदा भी तैयार किया है। ज्ञातव्य है कि सरकार ने 2 नवंबर, 2017 को आर्थिक मामलों के सचिव की अगुवाई में यह अंतर-मंत्रालयी समिति गठित की थी। इस समिति को डिजिटल करेंसी से संबंधित मुद्दों पर अध्ययन करने और इसके लिये कार्रवाई पर सुझाव देने का काम दिया गया था।

पीएम-कुसुम योजना

नवीन और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय ने 34,422 करोड़ रुपए की पीएम-कुसुम योजना को शुरू करने के लिये दिशा-निर्देश जारी किये हैं, जो किसानों को अपने खेतों में सौर ऊर्जा पैदा करने और डीज़ल पंपों के स्थान पर स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करने के लिये प्रोत्साहित करेंगे। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना के तहत वर्ष 2022 तक 25,750 मेगावाट की सौर क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य है, जिसमें कुल केंद्रीय वित्तीय सहायता 34,422 करोड़ रुपए की होगी। इस योजना के तीन कंपोनेंट हैं- कंपोनेंट-ए में विकेंद्रीकृत ज़मीन/स्टिल्ट-माउंटेड ग्रिड-कनेक्टेड सौर या अन्य नवीकरणीय ऊर्जा-आधारित 10,000 मेगावाट क्षमता के बिजली संयंत्रों की स्थापना की जानी है। कंपोनेंट-बी में 17.50 लाख एकल सौर कृषि पंपों की स्थापना का प्रावधान है, जबकि कंपोनेंट-सी में 10 लाख ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से संचालित किये जाने की परिकल्पना की गई है। ये दिशा-निर्देश इस योजना को व्यापक कार्यान्वयन संरचना प्रदान करने के लिये तैयार किये गए हैं।

यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन एचआईवी/एड्स

दुनियाभर में एड्स से होने वाली मौतों की संख्या में कमी आ रही है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि वर्ष 2010 की तुलना में अब एड्स से होने वाली मौतों की संख्या 33 प्रतिशत कम हुई है। यूएनएड्स की इस रिपोर्ट के अनुसार, दुनियाभर में एड्स के मामलों में 16 प्रतिशत की कमी आई है। यह रिपोर्ट दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका पर आधारित है, जहाँ इस कमी की वज़ह वहाँ हुई प्रगति को माना गया है। एड्स से जुड़ी मौतों में कमी की एक बड़ी वज़ह उपचार में हो रहे सुधार को माना गया है। यूएनएड्स का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन एचआईवी/एड्स है और भारत में वर्ष 1999 से इसकी मौजूदगी है। यूएनएड्स एक ऐसी भागीदारी है, जो एचआईवी से बचाव, उपचार, सेवा और समर्थन को सर्वसुलभ कराने में दुनिया को नेतृत्व और प्रेरणा देती है।

दंड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2018

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दंड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2018 को मंज़ूरी दे दी है। इस विधेयक द्वारा उत्तर प्रदेश के लिये दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 438 में संशोधन किया गया है। इसके लागू होने से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी अग्रिम ज़मानत का प्रावधान हो गया है। संशोधन के बाद अग्रिम ज़मानत पर सुनवाई के दौरान आरोपी का मौजूद रहना ज़रूरी नहीं होगा। साथ ही इसमें अग्रिम

ज़मानत देने पर विचार करने से पहले अदालत द्वारा कुछ अनिवार्य शर्तें लगाए जाने का भी प्रावधान है। जैसे कि आरोपी को जब कभी पुलिस पूछताछ के लिये बुलाएगी, तो उसे पेश होना होगा। आरोपी मामले में शामिल किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से डरा-धमका नहीं सकता और अदालत की इज़ाजत के बिना देश नहीं छोड़ सकता। इसके अलावा गंभीर अपराधों के मामले में अग्रिम ज़मानत नहीं दी जाएगी। उन मामलों में भी अग्रिम ज़मानत नहीं मिलेगी जिनमें सज़ा फाँसी की हो। गैंगस्टर कानून के तहत आने वाले मामलों में भी अग्रिम ज़मानत नहीं दी जाएगी। अदालत को 30 दिनों के भीतर अग्रिम ज़मानत के लिये दिये गए आवेदन पर फैसला देना होगा। विदित हो कि राज्य सूचना आयोग ने भी वर्ष 2009 में इस संशोधित विधेयक को लाने की अनुशंसा की थी। वर्ष 2010 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने इस संबंध में एक विधेयक को मंज़ूरी दी थी और स्वीकृति के लिये उसे केंद्र सरकार के पास भेज दिया था। केंद्र ने इसे यह कहकर वापस भेज दिया था कि इसमें अभी कुछ बदलावों की ज़रूरत है। अब इस नए विधेयक को मंज़ूरी दिये जाने से पहले वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व की खामियों एवं अन्य राज्यों में प्रावधान के प्रयोग पर अध्ययन करने के लिये एक समिति गठित की थी। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर देश के अन्य सभी राज्यों में अग्रिम ज़मानत का प्रावधान है। वर्ष 1975 में आपातकाल के दैरान उत्तर प्रदेश में अग्रिम ज़मानत देने वाले इस कानून को हटा दिया गया था।

प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजना

केंद्र सरकार ने छोटे व्यापारियों-दुकानदारों की पेंशन योजना (प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजना) के लिये नियम-शर्तों को अधिसूचित कर दिया है। इसके मुताबिक डेढ़ करोड़ रुपए तक सालाना कारोबार वाले इस योजना के तहत पेंशन के पात्र होंगे। 18 से 40 वर्ष का कोई भी कारोबारी इस योजना का लाभ उठा सकेगा और उसे हर माह के मामूली योगदान के बदले 60 वर्ष की उम्र से करीब तीन हजार रुपए पेंशन मिलेगी। लगभग तीन करोड़ खुदरा व्यापारी, कारोबारी या अपने किसी उद्यम में लगे लोग इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। गौरतलब है नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में इस योजना को मंज़ूरी दी गई थी और बजट में भी इसके लिये 750 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। लघु व्यापारी के दायरे में दुकानदारों, खुदरा कारोबारियों, मिल के मालिक और कर्मचारी, कमीशन एजेंट, रियल एस्टेट ब्रोकर, छोटे होटल-रेस्तरां के मालिक और कर्मचारी शामिल हैं। इस योजना के संचालन के लिये सरकार एक पेंशन फंड बनाएगी और जीवन बीमा निगम (LIC) को इसके लिये पेंशन फंड मैनेजर चुना गया है। पेंशन संबंधी सभी रिकॉर्ड रखने के साथ इसके भुगतान की जिम्मेदारी भी LIC की होगी। इस योजना के तहत जितना अंशदान व्यापारियों का होगा, उतना ही सरकार अपनी ओर से देगी। इस योजना को 22 जुलाई 2019 से प्रभावी माना गया है।

चांदीपुरा वायरस

हाल ही में गुजरात में चांदीपुरा वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। चांदीपुरा वायरस एक ऐसा खतरनाक वायरस है, जो 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को ही अपनी चपेट में लेता है। इस वायरस का नाम महाराष्ट्र के एक छोटे से गाँव के नाम पर रखा गया है, जहाँ पहली बार वर्ष 1965 में यह सैंडफ्लाई के कारण फैला। सैंडफ्लाई मक्खियों की एक ऐसी प्रजाति है जो कि रेत और कीचड़ में पाई जाती है और बारिश में इसका प्रकोप बढ़ जाता है। यह वायरस रोगी के न्यूरॉन्स यानी तंत्रिकाओं पर हमला करता है और उन्हें नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण दिमाग में सूजन आ जाती है। अभी तक इस वायरस से बचाव का कोई विशेष उपचार सामने नहीं आया है, लेकिन इसके लक्षण इंसेफ्लाइटिस यानी दिमागी बुखार से मिलते-जुलते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने वर्ष 2019 और 2020 के लिये भारत के विकास दर अनुमान में 0.3 फीसदी की कमी कर दी है। IMF के नवीनतम अनुमान के अनुसार, वर्ष 2019 में भारत की वृद्धि दर 7 प्रतिशत और वर्ष 2020 में 7.2 प्रतिशत रहेगी। घरेलू मांग में उम्मीद से अधिक कमी की वज़ह से ऐसा किया गया है। इसके बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा और चीन से काफी आगे होगा। IMF के अनुमान में बताया गया है कि चीन में शुल्क वृद्धि के नकारात्मक प्रभाव और कमज़ोर बाहरी मांग के कारण पहले से संरचनात्मक मंदी झेल रही अर्थव्यवस्था पर दबाव और बढ़ेगा। कर्ज़ पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने के लिये चीन को नियामकीय मज़बूती की ज़रूरत होगी। नीतिगत समर्थन की वज़ह से चीन की वृद्धि दर वर्ष 2019 में 6.2 प्रतिशत और वर्ष 2020 में 6 प्रतिशत रहने का अनुमान है। IMF ने वर्ष 2019 के लिये वैश्विक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 3.2 प्रतिशत तथा वर्ष 2020 के लिये 3.5 प्रतिशत कर दिया है अर्थात् दोनों वर्षों के लिये 0.1 प्रतिशत की कटौती की गई है।

प्रशांत क्षेत्र के लिये अलग सैन्य इकाई

ऑस्ट्रेलिया ने प्रशांत क्षेत्र के लिये एक अलग सैन्य इकाई बनाने का फैसला किया है। उसने यह फैसला प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिये किया है। यह सर्वविदित है कि अपनी विस्तारवादी नीति के तहत चीन प्रशांत क्षेत्र के छोटे-छोटे देशों को कर्ज़ देकर अपना प्रभुत्व जमाने में लगा है, जबकि ऑस्ट्रेलिया इस क्षेत्र में अपना दबदबा कायम रखना चाहता है। ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री लिंडा रेनॉल्ड्स के अनुसार, इस नई सैन्य इकाई के गठन का उद्देश्य प्रशांत क्षेत्र में सहयोगी देशों को सैन्य प्रशिक्षण देना और मदद करना है। इससे सहयोगी देशों से संबंधों में और मज़बूती आएगी। संभावना है कि सेना की यह इकाई इसी साल काम करना शुरू कर देगी। इस क्षेत्र में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया क्वाड (Quad) समूह बनाकर सहयोग कर रहे हैं और इसका उद्देश्य भी प्रशांत क्षेत्र में चीन के दबदबे को कम करना है।

क्वांटम कंप्यूटर

ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों की एक टीम ने क्वांटम कंप्यूटर का एक सुपरफास्ट वर्ज़न तैयार किया है। यह कंप्यूटर सामान्य कंप्यूटर के मुकाबले 200 गुना तेज़ी से जटिल समस्याओं को हल करने की क्षमता रखता है। क्वांटम कंप्यूटर का उपयोग ऐसी गणना करने के लिये किया जाता है, जिसे सैद्धांतिक या भौतिक रूप से लागू किया जा सके। मौजूदा कंप्यूटरों के विपरीत क्वांटम कंप्यूटर अधिक जटिल गणनाओं को आसानी से हल कर सकते हैं। क्वांटम तकनीक के आने से रसायन विज्ञान, खगोल, भौतिकी, चिकित्सा, सुरक्षा और संचार सहित लगभग हर वैज्ञानिक क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाए जा सकते हैं। वैज्ञानिकों ने सिलिकॉन में एटम क्यूबिट के बीच में पहला टू-क्यूबिट गेट तैयार किया है। यह एक ऐसी तकनीक है जो किसी काम को 200 गुना तेज़ी से करने में सक्षम है। अभी कंप्यूटर द्वारा किसी काम को करने की स्पीड 0.8 नैनो सेकेंड की है। एक क्यूबिट ही क्वांटम बिट होता है, जो सूचना की सबसे छोटी इकाई है। क्यूबिट 0 या 1 में से एक या दोनों हो सकते हैं। चूंकि 0 और 1 के संयोजनों की संख्या क्यूबिट में अधिक होती है, इसलिये यह 'बिट' की तुलना में बहुत तेज़ी से समस्याओं को हल कर सकते हैं।

वाइन स्नेक

भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु के सरीसृप शोधकर्त्ताओं (Herpetologist) ने पश्चिमी घाट में सांपों का अध्ययन और वर्गीकरण करने के दौरान 26 मिलियन वर्ष पुरानी वाइन स्नेक की एक प्रजाति का पता लगाया है। इसे उन्होंने Proahaetulla Antiqua नाम दिया है। पेड़ों, बेलों और लताओं पर पाए जाने वाले पतले हरे रंग के साँप को वाइन स्नेक कहा जाता है। यह साँप पश्चिमी घाट के दक्षिणी हिस्से में स्थित तमिलनाडु के कलक्काड मुंडनथुराई टाइगर रिज़र्व (Kalakkad Mundanthurai Tiger Reserve) तथा केरल के शेंदुरनी वन्यजीव अभयारण्य (Shendurney Wildlife Sanctuary) के संरक्षित क्षेत्रों में पाया गया है और सुरक्षा की दृष्टि से इसे फिलहाल कोई खतरा नहीं है। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में भी वाइन स्नेक जैसी प्रजातियाँ पाई जाती हैं तथा एशियाई वाइन स्नेक पूरे एशिया में पाए जाते हैं।

सातवीं आर्थिक गणना

29 जुलाई से सातवीं आर्थिक गणना के क्षेत्र कार्य (Area Work) की शुरुआत त्रिपुरा से हुई तथा इसके बाद यह कार्य पुद्दुचेरी में किया जाएगा। अन्य राज्यों/संघशासित प्रदेशों में क्षेत्र कार्य अगस्त/सितंबर, 2019 में शुरू होगा। आँकड़े एकत्र करने संबंधी कानून यानी सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक परिवार के घर जाकर और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से आँकड़े एकत्र किये जाएंगे। परिवारों और प्रतिष्ठानों से एकत्र किये गए आँकड़ों को गोपनीय रखा जाएगा और उनका इस्तेमाल केवल राज्य/संघशासित प्रदेशों की सरकारों और केंद्र सरकार द्वारा विकास संबंधी योजनाओं के लिये किया जाएगा। आँकड़ों के संग्रहण और प्रोसेसिंग का काम पूरा हो जाने के बाद 7वीं आर्थिक गणना के परिणाम जारी किये जाएंगे। गौरतलब है कि सातवीं आर्थिक गणना सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा कराई जा रही है। इसमें आँकड़े जुटाने, उनके प्रमाणीकरण, रिपोर्ट तैयार करने और इनके प्रसार के लिये IT आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। इस आर्थिक गणना में परिवारों के उद्यमों, गैर-जोत कृषि और गैर-कृषि क्षेत्र में वस्तुओं/सेवाओं (स्वयं के उपभोग के अलावा) के उत्पादन एवं वितरण की गणना की जाएगी।

मटका थिम्बक पद्धति

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में संसद परिसर में मटका थिम्बक पद्धति से पौधारोपण कर हरित अभियान की शुरुआत की। इस पद्धति से पौधों की जड़ों तक पानी पहुँचाया जाता है और पौधे सूखकर खराब नहीं होते। गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान नरेंद्र मोदी ने इस पद्धति को बढ़ावा देने की पहल की थी। इस पद्धति से पौधों को पानी देने में पानी और समय के साथ मेहनत भी कम लगती है। पौधारोपण के समय से ही इसका इस्तेमाल करने से पौधे के बड़े होने तक लगातार इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके लिये आवश्यक सामग्री जैसे पुराना मटका और जूट की रस्सी गाँवों-देहात में आसानी से मिल जाती है। दरअसल, पौधा रोपते समय जो गड्ढा खोदा जाता है, उसी गड्ढे में कुछ दूरी पर कोई पुराना मटका रख देते हैं और मटके की तली में छिद्र किया जाता है। इस छिद्र से होकर जूट की रस्सी पौधे की जड़ों तक पहुँचाई जाती है। पौधा रोपने के बाद मटके के निचले हिस्से को भी पौधे की जड़ों की तरह खोदी गई मिट्टी से ढँक दिया जाता है। गड्ढा भरने के लिये मिट्टी, बालू (रेत) आदि का इस्तेमाल होने की वज़ह से इसमें लगातार और यथोचित रूप से जड़ों को पर्याप्त पानी मिलता रहता है, जिससे पौधों का समुचित विकास होता है।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA)

सर्वोच्च न्यायालय ने नियमों में संशोधन करके अब पाँच लाख रुपए वार्षिक आय वालों को नि:शुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करने का निर्देश दिया है। अब तक सर्वोच्च न्यायालय में अपने मामले में मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिये आय की सीमा 1.25 लाख रुपए थी। सर्वोच्च न्यायालय ने यह संशोधन मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद किये हैं तथा केंद्र सरकार ने इन्हें अधिसूचित भी कर दिया है। इसमें कई कारकों जैसे महंगाई सूचकांक, न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी और लंबा समय गुज़रने को ध्यान में रखा गया है। इनमें कोर्ट फीस का भुगतान, केस पेपर तैयार करना तथा पंजीकरण और वकील द्वारा मुफ्त बहस करना शामिल है। यह संशोधन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम,1987 के नियम 7 में किया गया है, जिसमें मुफ्त कानूनी सेवा के लिये योग्यता बढ़ाई गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39ए में सभी के लिये न्याय सुनिश्चित किया गया है और गरीबों तथा समाज के कमजोर वर्गों के लिये निशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 14 और 22(1) के तहत राज्य का यह उत्तरदायित्व है कि वह सबके लिये समान अवसर सुनिश्चित करे। समानता के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को बेहतर कानूनी सेवाएं प्रदान करने हेतु एक तंत्र की स्थापना करने के लिये वर्ष 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम पास किया गया। इसी के तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) का गठन किया गया, जिसका काम कानूनी सहायता कार्यक्रम लागू करना और उसका मूल्यांकन एवं निगरानी करना है। साथ ही, इस अधिनियम के अंतर्गत कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराना भी NALSA की ज़िम्मेदारी है।

केयरफॉर यू एप

IIT खड़गपुर के छात्रों ने बुजुर्गों की देखभाल के लिये एक ऐसास ऐप बनाया है जो किसी बुजुर्ग के गिर जाने की स्थिति में उनकी देखभाल करने वालों को तत्काल इसकी सूचना देगा। CARE4U नामक यह एप बुजुर्गों तथा उनकी देख-भाल करने वालों को आपस में जोड़ने का काम करेगा। बुजुर्ग व्यक्तियों के फोन में इंस्टॉल हुआ यह एप किसी बुजुर्ग के गिर जाने की हालत में देख-रेख करने वाले को और आपात सेवाओं को अपने आप कॉल कर देगा। साथ ही उस स्थान की सटीक जानकारी देगा जहाँ बुजुर्ग गिरा है। साथ ही यह एप बुजुर्ग व्यक्ति की मनोदशा का भी पता लगाएगा। जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति इस एप को चलाएगा तो फोन उनकी तस्वीर खींचेगा और मूड इंडेक्स की गणना करेगा। इस ऐप से संबंधियों को पता चलेगा कि बुजुर्ग का पूरे दिन मूड कैसा रहा। इसके अलावा इस एप में बुजुर्ग व्यक्ति की मेडिकल हिस्ट्री भी रखी जा सकती है।

बायो माइनिंग तकनीक

देश की राजधानी दिल्ली के तीन किनारों पर कूड़े-कचरे के विशाल पहाड़ों को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय सहित अन्य अदालतें चिंता जता चुकी हैं। अब राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने दिल्ली सरकार और नगर निगमों को देश के सबसे साफ शहर इंदौर की तर्ज़ पर बायो माइनिंग तकनीक से लैंडफिल साइट्स से कचरा हटाने को कहा है। पीठ ने अक्तूबर से इस कम को शुरू करके एक वर्ष में पूरा करने को कहा है। बायो माइनिंग तकनीक में सूक्ष्मजीवों (Microorganism) का इस्तेमाल करके अयस्कों तथा अन्य ठोस पदार्थों से धातुओं को निकाला जाता है। सामान्यत: इस तकनीक का इस्तेमाल सोने और लौह धातु के खनन के लिये किया जाता है। लेकिन प्रदूषित हो चुकी मिट्टी को साफ करने के

लिये भी यह कारगर है। बायो माइनिंग में ट्रोमेल्स (मैकेनिकल स्क्रीनिंग मशीन) के ज़रिये कूड़े-कचरे से धातु, प्लास्टिक, शीशे व सभी पदार्थों को अलग किया जाता है। इसके अलावा निस्तारित हो सकने वाले और न हो सकने वाले कूड़े को अलग किया जाता है। निस्तारित न हो सकने वाले कूड़े को सुखाकर ज्वलनशील बनाया जाता है। देश में इंदौर, गुजरात के कुछ शहरों तथा तमिलनाडु के कुम्भकोणम और मुंबई में यह तकनीक इस्तेमाल हो रही है। विदेशों में अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जर्मनी में इस तकनीक का सफलतापूर्वक इस्तेमाल हो रहा है

मसूरी संकल्प

28 जुलाई को उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मसूरी में 11 हिमालयी राज्यों का सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में हिमालयी राज्यों ने 'मसूरी संकल्प' पारित किया, जिसके तहत पर्वतीय राज्यों ने हिमालय की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और देश की समृद्धि में योगदान की बात कही। इसके अलावा प्रकृति, जैव विविधता, ग्लेशियर, नदियों, झीलों के संरक्षण का भी संकल्प लिया गया। भावी पीढ़ी के लिए लोककला, हस्तकला, संस्कृति के संरक्षण की बात कही गई, साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों के सतत विकास की रणनीति पर काम करने को लेकर प्रतिबद्धता जताई। इस सम्मेलन में नीति आयोग, 15वें वित्त आयोग और केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने हिमालयी राज्यों के लिये बजट में अलग से प्रावधान किये जाने का आश्वासन दिया। सम्मेलन में हिमालयी राज्यों को ग्रीन बोनस देने पर भी चर्चा हुई। गौरतलब है कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश , असम, नगालैंड, सिक्किम व जम्मू-कश्मीर को हिमालयी राज्यों में शामिल किया जाता है।

अरक हैवी वाटर रिएक्टर

अमेरिका तथा अन्य विश्व शक्तियों के साथ हुए परमाणु समझौते से अमेरिका के बाहर निकलने तथा ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने के बाद ईरान ने अपने अरक हैवी वाटर रिएक्टर को प्लूटोनियम बनाने के लिये फिर से शुरू कर दिया है। वर्ष 2015 में हुए उपरोक्त परमाणु समझौते के बाद ईरान ने अरक के इस रिएक्टर को बंद कर दिया था। इससे पहले ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने ईरान द्वारा यूरेनियम शोधन को बढ़ाने की घोषणा की थी। ज्ञातव्य है कि अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाने के बाद ईरान अपनी परमाणु गतिविधियाँ बढ़ाने की घोषणा पहले ही कर चुका है। प्लूटोनियम वह पदार्थ है जो परमाणु हथियार में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। ईरान के इस रवैये से चिंतित समझौते में शामिल अन्य देश समझौते को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। 28 जुलाई को जिनेवा में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और चीन के प्रतिनिधियों ने बैठक कर समझौते को बनाए रखने के तरीकों पर विचार-विमर्श किया।

पुदुचेरी वाटर रिच मॉडल

पुदुचेरी वाटर रिच मॉडल शहरी नालों और ग्रामीण नहरों के लिये एक महत्त्वपूर्ण मॉडल है जिसके तहत जल धारण क्षमता में सुधार करने हेतु गाद निकाला जाएगा।

- इस मॉडल को पुदुचेरी प्रशासन और आम जनता के आपसी सहयोग से किया जाएगा।
- इस मॉडल के अंतर्गत प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सभी जल निकायों एवं नालियों की निगरानी करने के साथ ही मानचित्रण भी सुनिश्चित किया जाएगा।

लाभ

- श्रमदान के लिये स्थानीय समुदाय को जोड़ते हुए जल निकायों की निगरानी
- स्थानीय समुदायों की यह भागीदारी
- निकटतम उद्योग या संस्थानों का सहयोग

- इस मॉडल के तहत किसानों को गाद निकालने की अनुमति (नि:शुल्क) देता है। उल्लेखनीय है कि यह गाद खेतों से बहकर आई मिट्टी होती है जो पोषक तत्वों से भरपूर होती है।
- हाल ही में इस मॉडल के अंतर्गत सभी योगदानकर्ताओं को प्रशासन द्वारा स्वच्छता ही सेवा (Swachta Hi Sewa) पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

संपदा शुल्क

सरकार अपने व्यय और राजस्व को संतुलित करने के लिये वर्ष 1985 में खत्म किये गए संपदा शुल्क को दोबारा अस्तित्व में ला सकती है।

- भारत में संपदा शुल्क (Estate duty) को वर्ष 1953 में लागू किया गया था।
- जब किसी संपत्ति के मालिक की मृत्यु हो जाती थी और वह संपत्ति उसके किसी उत्तराधिकारी को हस्तांतरित हो जाती थी, तब संपदा शुल्क लगाया जाता था।
- इसमें कर की मात्रा का निर्धारण, हस्तांतरित की गई संपत्ति के आधार पर किया जाता था।
- संपदा शुल्क के अंतर्गत कर की अधिकतम दर 40 प्रतिशत थी, जोकि केवल उन्ही संपत्तियों पर लगाई जा सकती थी जिनका मूल्य 50 लाख से अधिक था।
- इस शुल्क को हटाने का मुख्य कारण यह था कि इससे प्राप्त होने वाला राजस्व, इसके प्रशासन पर किये जाने वाले खर्च से बहुत कम होता था जिसके कारण सरकार को इससे कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता था।
- इस शुल्क में सभी प्रकार की संपत्तियों जैसे - चल संपत्ति, अचल संपत्ति, रिहायशी मकान, आदि को शामिल किया जाता है।

राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन

राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन देश की सिनेमाई विरासत को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिये सूचना और प्रसारण मंत्रालय की एक महत्त्वपूर्ण पहल है।

- सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन को वर्ष 2017 में लॉन्च किया था।
- नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया (National Film Archive of India- NFAI) इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिये नोडल संस्था है।
- इस मिशन का मुख्य उद्देश्य आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से फिल्मों की करीब डेढ़ लाख रीलों का संरक्षण तथा लगभग 3500 फिल्मों का डिजिटलीकरण करना है।
- इसके तहत लगभग दो हजार फिल्मों के चित्रों और ध्वनियों को ठीक करना, संरक्षण सुविधाएँ विकसित करना और इन सब कार्यों के लिये पर्याप्त मात्रा में मानव संसाधन बल को प्रशिक्षित किया जाना सुनिश्चित किया गया है।
- फिल्मों पर अनुसंधान करने वालों के लिये एक नई डिजिटल लाइब्रेरी तथा व्यक्तिगत रूप से फिल्में देख पाने के लिये अलग सुविधा भी होगी।

राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन

राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन के तहत प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में एक केंद्रीय पुस्तकालय और ज़िला पुस्तकालय के बुनियादी ढाँचे के उत्थान के लिये वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

- संस्कृति मंत्रालय (Ministry of Culture) के प्रशासनिक नियंत्रण में निम्नलिखित छह सार्वजनिक पुस्तकालय हैं -
  - राष्ट्रीय पुस्तकालय- कोलकाता (National Library, Kolkata)
  - केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कोलकाता (Central Reference Library- Kolkata)
  - केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय- नई दिल्ली (Central Secretariat Library- New Delhi)
  - दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय- दिल्ली (Delhi Public Library- Delhi)
  - खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी- पटना (Khuda Bakhsh Oriental Public Library- Patna)
  - रामपुर रज़ा लाइब्रेरी- रामपुर (Rampur Raza Library- Rampur)
- पुस्तकालय राज्य सूची का विषय है, इसलिये देश के सार्वजनिक पुस्तकालयों का प्रबंधन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के बजाय राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

- राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन की स्थापना वर्ष 2012 में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिश पर संस्कृति मंत्रालय द्वारा की गई थी।
- राष्ट्रीय ज्ञान आयोग
- राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना 13 जून, 2005 को हुई थी। यह प्रधानमंत्री को शिक्षा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, कृषि, उद्योग और ई-प्रशासन जैसे महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर सलाह देता है।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेला

कृषि निर्यात को दोगुना करने तथा भारतीय किसानों और कृषि उत्पादों को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से जोड़ने के लक्ष्य वाली कृषि निर्यात नीति, 2018 के अनुरूप प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेला (India International Cooperatives Trade Fair-IICTF) का आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 11 से 13 अक्तूबर, 2019 तक किया जाएगा।

- NCDC द्वारा संचालित यह मेला कृषि सहकारी समितियों के विकास के एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन (Network for the Development of Agricultural Cooperatives- NEDAC), तीन मंत्रालयों, चार राज्य सरकारों और शीर्ष स्तर के भारतीय सहकारी संगठनों की सहायता से आयोजित किया जा रहा है।
- इस तीन दिवसीय मेले में बड़ी संख्या में भारतीय सहकारी समितियों और अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संगठनों के भाग लेने की संभावना है।
- इस व्यापार मेले का उद्देश्य ग्रामीण और कृषि समृद्धि में वृद्धि के लिये भारत और विदेशों में कोऑपरेटिव-टू-कोऑपरेटिव व्यापार (Cooperative to Cooperative Trade) को बढ़ावा देना है।
- इस मेले के दौरान सम्मेलनों, प्रदर्शनियों, बी टू बी बैठकों (B2B Meetings), सी टू सी बैठकों (C2C Meetings), बिक्री संवर्द्धन, विपणन और उत्पादों के प्रदर्शन के साथ व्यापार, नेटवर्किंग, नीति प्रचार आदि का आयोजन किया जाएगा।
- यह व्यापार मेला भारत और विदेश के उद्योगों तथा व्यापारिक घरानों का गठबंधन करने, बिज़नेस नेटवर्किंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग और सबसे बढ़कर उत्पादों और सेवा प्रदाताओं की विस्तृत श्रृंखला के प्राथमिक उत्पादकों के साथ बातचीत करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करता है।
- IICTF सहकारी समितियों द्वारा देश के सभी सदस्यों को प्रत्यक्ष लाभ पहुँचाने के साथ ही निर्यात को बढ़ावा देने हेतु प्रमुख मंच होगा जिसमें मुख्य रूप से किसान, कारीगर, महिलाएँ, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति लोग आदि शामिल होंगे।

तमिल योमन

तमिलनाडु ने योमन (Yeamon) तितली को राजकीय तितली (State Butterfly) घोषित किया है।

- यह पश्चिमी घाट की स्थानिक प्रजाति है जिसका वैज्ञानिक नाम Cirrochroa thais है।
- गहरे नारंगी तथा भूरे रंग वाली योमन तितली पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले 32 तितली प्रजातियों में से एक है।
- कुछ स्थानों विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली यह तितली बड़ी संख्या में समूहों में देखी जाती है।
- इसे तमिल मारवन (Tamil Maravan) के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है योद्धा।
- ये तितलियाँ पर्यावरण के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि ये परागण और खाद्य श्रृंखला में मुख्य भूमिका निभाती हैं।
- साथ ही ये तितलियाँ कई अन्य वर्गों जैसे- पक्षियों एवं सरीसृपों का शिकार भी बनती हैं।
- तमिलनाडु राज्य तितली की घोषणा करने वाला देश का पाँचवां राज्य है, जबकि महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है जिसने राजकीय तितली (ब्लू मोरमोन) की घोषणा की।
- उत्तराखंड में कॉमन पीकॉक (Common Peacock), कर्नाटक में दक्षिणी बर्डविंग (Southern Bird Wings) तथा केरल में मालाबार बैंडेड पीकॉक (Malabar Banded Peacock) को राजकीय तितली का दर्ज़ा प्राप्त है।

एल-नीनो और भारतीय मानसून

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) ने जून में वर्षा की मात्रा में 33% की कमी का अनुमान व्यक्त किया था।

- 2019 की शुरुआत से ही एल-नीनो की आशंका है, इसलिये इस वर्ष मानसून के कम रहने की संभावना है।
  जून में वर्षा की मात्रा में कमी होने से किसानों को भारी नुकसान होता है क्योंकि यही समय फसल रोपाई का होता है।
- कम वर्षा की यह प्रकृति स्थानिक न होकर विस्तृत स्तर पर होती है।
- अभी तक एल-नीनो और कम वर्षा के बीच कोई स्पष्ट संबंध स्थापित नही किया जा सका है लेकिन वर्ष 2000 के बाद एल-नीनो वाले वर्षों में वर्षा की प्रकृति में कमी पाई गई है।
- छह एल-नीनो वर्षों (2002, 2004, 2006, 2009, 2014 तथा 2015) में से पाँच में वर्षा की मात्रा में सामान्य से 12% से 23% तक की कमी पाई गई।

जगन्नाथ रथ यात्रा

पुरी में भगवान जगन्नाथ के सम्मान में आयोजित होने वाले रथ यात्रा त्योहार को 'रथों के त्योहार' के रूप में मनाया जाता है।

- यह त्योहार प्रत्येक वर्ष आषाढ़ में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है और इस दौरान हर साल बारिश होती है।
- जगन्नाथ रथ यात्रा ओडिशा के सबसे प्रतीक्षित त्योहारों में से एक है।
- इस बार इसका आयोजन 14 जुलाई, 2019 को किया जाना है।
- यह त्योहार भगवान जगन्नाथ (Jagannath), उनकी बहन देवी सुभद्रा (Subhadra) और बड़े भाई बलभद्र (Balabhadra) को समर्पित है।
- मंदिर के तीनों देवता (जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र) इस त्योहार के दौरान तीन अलग-अलग रथों में यात्रा करते हैं। यही कारण है कि इसे रथों का त्योहार भी कहा जाता है।
- जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र के रथों को क्रमशः नंदीघोष (Nandighosha), तलध्वज (Taladhwaja) और देवदलना (Devadalana) कहा जाता है।
- तीनों देवताओं के लिये प्रत्येक वर्ष नए रथों का निर्माण किया जाता है।
- प्रत्येक रथ में लकड़ी के चार घोड़े जुड़े होते हैं।

सबसे लंबी विद्युतीकृत रेलवे सुरंग

दक्षिण मध्य रेलवे (South Central Railway- SCR) ने आंध्र प्रदेश राज्य में चेरलोपल्ली (Cherlopalli) और रापुरु (Rapuru) स्टेशनों के बीच 6.6 किमी की सबसे लंबी विद्युतीकृत सुरंग का निर्माण किया था।

- यह सुरंग हाल ही में पूर्ण हुई ओबुलावरिपल्ली-वेंकटचलम नई रेलवे लाइन (Obulavaripalli-Venkatachalam New Railway Line) का हिस्सा है।
- नई लाइन प्रत्यक्ष और व्यवहार्य रूप में दक्षिण तट (South Coast) और पश्चिम तट (West Coast) को आपस में जोड़ती है।
- यह कृष्णापटनम बंदरगाह (Krishnapatnam Port) और मालगाड़ी सेवाओं को आंतरिक भागों में रेल संपर्क को व्यस्थित करती है।

बांग्लादेश में नदियों को कानूनी व्यक्ति का दर्जा

बांग्लादेश के उच्च न्यायालय ने नदियों को जीवित इकाई के समान अधिकार दिये जाने संबंधी प्रस्ताव को मंज़ूरी प्रदान की।

- यह निर्णय वर्ष 2016 में एक अधिकार समूह द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के संबंध में सामने आया।
- इसके अंतर्गत सैकड़ों नदियों को कानूनी अधिकार प्रदान किया जाएगा ।
- बांग्लादेश नदियों को इस प्रकार के अधिकार प्रदान करने वाला कोलम्बिया, भारत और न्यूजीलैंड के बाद चौथा ऐसा देश बन गया है।

ओरियन कैप्सूल

हाल में नासा ने अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर ले जाने के लिये डिज़ाइन किये गए ओरियन कैप्सूल (Orion Capsule) के लॉन्च-एबॉर्ट सिस्टम (Launch-abort System) का सफल परीक्षण किया।

- इस परीक्षण की कुल अवधि 3 मिनट थी और इसे फ्लोरिडा के केप केनवेरल (Cape Canaveral) में किया गया।
- इस परीक्षण का उद्देश्य किसी रॉकेट की असफलता या विस्फोट के कारण उत्पन्न आपातकाल की स्थिति में रॉकेट में उपस्थित लोगों को आसानी से वापस लाना है।
- नासा द्वारा किया गया यह परीक्षण उसके आर्टेमिस मिशन (Artemis Missions) के लिये एक बड़ी उपलब्धि है।
- इस परीक्षण के दौरान एक मिनी-रॉकेट द्वारा मानवरहित ओरियन कैप्सूल लॉन्च किया गया।

विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव

हाल ही में एक भारतीय सांसद ने एक टीवी चैनल और उसके एंकर के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पारित किया है।

- यह प्रस्ताव संसद में दिये गए भाषण को गलत तरीके से पेश करने के कारण लाया गया है।
- जब कोई व्यक्ति या प्राधिकारी व्यक्तिगत रूप में संसद के सदस्यों अथवा सामूहिक रूप से सभा के किसी विशेषधिकार, अधिकार और उन्मुक्ति की अवहेलना करता है या उन्हें चोट पहुँचाता है, तो इसे विशेषाधिकार का उल्लंघन कहा जाता है।
- यह कृत्य सदन द्वारा दंडनीय होता है।
- इसके अतिरिक्त सदन के आदेशों की अवज्ञा करना अथवा सदन, इसकी समितियों, सदस्यों और पदाधिकारियों के विरुद्ध अपमानित लेख लिखना भी विशेषाधिकारों का उल्लंघन माना जाता है।
- संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 में क्रमश: संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदनों, सदस्यों तथा समितियों को प्राप्त विशेषाधिकार उन्मुक्तियों का उल्लेख किया गया है।
- संविधान के उपबंधों के तहत संसद की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों और स्थाई आदेशों के अधीन रहते हुए संसद में बोलने की स्वतंत्रता होगी।
- संसद में या उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिये गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्रवाई नही की जाएगी।

स्टार्ट-अप के लिये डीडी चैनल

आम बजट 2019-20 पेश करते हुए वित्त मंत्री ने स्टार्ट-अप के लिये विशेष रूप से एक डीडी चैनल शुरू करने का प्रस्ताव रखा है।

- इसका उद्देश्य विभिन्न प्रकार के करों में छूट प्रदान करके रोज़गार को बढ़ावा देना है।
- यह विशेष डीडी चैनल स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करने में मदद करेगा और उन्हें एक विशेष मंच प्रदान करेगा।
- इस चैनल को स्टार्ट-अप खुद तैयार करेंगे और चलाएंगे।
- सरकार ने अपने कुछ नियमों में छूट देने का भी प्रस्ताव दिया है जिसमें तथाकथित 'एंजेल टैक्स' का मुद्दा भी शामिल है।
- स्टार्ट-अप में निवेश करने के लिये आवासीय मकान की बिक्री से प्राप्त होने वाले पूंजी लाभों की छूट अवधि 31 मार्च, 2021 तक बढ़ाए जाने का भी प्रस्ताव है।
- स्टार्ट-अप और उनके द्वारा जुटाई गई निधियों के संबंध में आयकर विभाग की ओर से किसी भी प्रकार की जाँच नहीं की जाएगी।

सी प्रिंस

हाल ही में दक्षिणी थाई समुद्र तट पर फँसे डुगोंग के एक अनाथ बच्चे (Baby Dugong) को 'जमील' नाम दिया गया।

- यह नाम राजकुमारी सिरिवनवरी (Princess Sirivannavari) द्वारा दिया गया।
- जमील यवी भाषा (Yawi Language) से लिया गया है जिसका अर्थ है 'समुद्र का सुंदर राजकुमार' (Handsome Sea Prince)।

- डुगोंग को समुद्री गाय के नाम से भी जाना जाता है।
- दक्षिणी थाईलैंड का जल लगभग 250 स्तनधारियों के लिये असुरक्षित (Vulnerable) है।
- पिछले महीने एक अन्य बेबी डुगोंग 'मरियम' इसी बीच/तट पर पाया गया था।
- जमील को अब फुकेत समुद्री जैविक केंद्र (Phuket Marine Biological Centre) में एक पूल में रखा गया है।
- थाईलैंड की राजकुमारी ने थाइलैंड के समुद्र, कोरल एवं समुद्री जानवरों के संरक्षण के लिये काम करने वाली टीमों की स्थापना की है।

गौ अभयारण्य का निजीकरण

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित भारत के पहले गौ अभयारण्य (Cow Sanctuary) का निजीकरण किया जाएगा।

- आगर मालवा ज़िले (मध्य प्रदेश) में स्थित इस कामधेनु गौ अभ्यारण्य (Kamdhenu Gau Abhyaranya) की स्थापना वर्ष 2017 में 32 करोड़ रुपए की लागत से की गई थी
- यह अभयारण्य 472 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है जिसमें वर्तमान में लगभग 4,000 गायें रह रही हैं।
- इसमें मुख्य रूप से ऐसी गायें हैं जो बूढ़ी और बीमार हैं या जिन्होंने दूध देना बंद कर दिया है।
- पिछले एक साल में मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण 600 से अधिक गायों की मौत हो गई। सरकार को इस समस्या से निपटना मुश्किल हो रहा है।
- निजीकरण का यह निर्णय वित्तीय संकट के कारण भी लिया गया है।
- सरकार अभयारण्य के प्रबंधन और गायों की सेवा के लिये एक सामाजिक या धार्मिक संगठन की तलाश कर रही है।

यूगव सर्वेक्षण

हाल ही में इंग्लैंड की एक फर्म यूगोव (YouGov) ने वेब उपयोकर्त्ताओं की भाषायी पसंद को लेकर सर्वेक्षण किया।

- 1000 लोगों पर किये गए सर्वेक्षण के अनुसार, लगभग 72% लोग उसी भाषा के प्रकरण को देखना पसंद करते हैं जिसे वे बोलते या समझते हैं।
- हिंदी भले ही व्यापक स्तर पर बोली जाने वाली भाषा है लेकिन केवल 26% हिंदी भाषी लोग ही हिंदी भाषा की वेब सामग्री पसंद करते है।
- यूट्यूब पर तीन-चौथाई लोग अंतर्राष्ट्रीय सामग्री देखते हैं, वहीं नेटफ्लिक्स और अमेज़न अंतर्राष्ट्रीय सामग्री देखने के दूसरे सबसे पड़े प्लेटफॉर्म हैं।
- टेलीविज़न पर 73% और यूट्यूब पर 72% स्थानीय सामग्री देखी जाती है।
- दक्षिण भारत में 82% लोग उपशीर्षक (Subtitled or Dubbed) सामग्री देखते हैं।
- अंग्रेज़ी सामग्री का सबसे अधिक प्रयोग कन्नड़ और तेलुगू बोलने वाले लोग करते हैं।

हाथी पुनर्वास केंद्र

भारत का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र एक इकोटूरिज़्म गाँव कोट्टूर, केरल में स्थापित किया जा रहा है।

- श्रीलंका में उपस्थित पिनावाला हाथी अनाथालय (Pinnawala Elephant Orphanage) की तर्ज़ पर यह योजना बनाई जा रही है।
- इस पुनर्वास केंद्र का मुख्य उद्देश्य परित्यक्त, अनाथ, घायल और बूढ़े हाथियों को सुरक्षा प्रदान करना है।
- इससे लोगों को हाथियों के बारे में अधिक जानने का अवसर प्राप्त होगा।
- यह वन्यजीव शोधकर्त्ताओं और पशुचिकित्सा संबंधी छात्रों के लिये भी अत्यंत सहायक होगा।
- संभवत: इस पुनर्वास केंद्र में एक हाथी संग्रहालय, महावत प्रशिक्षण केंद्र, सुपर-स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, जानवरों के लिये एक सेवानिवृत्ति घर और श्मशान गृह बनाया जाएगा।
- हाल ही में भारत ने यूपी के मथुरा के एक वन्यजीव SOS हाथी अस्पताल में गठिया, जोड़ों के दर्द और पैर की बीमारियों से पीड़ित हाथियों के लिये अपना पहला वाटर क्लिनिक (Water Clinic) खोला है।

जयपुर विश्व धरोहर स्थल में शामिल

हाल ही में जयपुर, जो अपनी प्रतिष्ठित स्थापत्य विरासत और जीवंत संस्कृति के लिये जाना जाता है, को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया।

- 30 जून से 10 जुलाई तक बाकू (अज़रबैजान) में चल रहे यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 43वें सत्र में इसकी घोषणा की गई।
- जयपुर के अलावा यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने ईराक के विशाल क्षेत्र में फैले प्राचीन मेसोपोटामियाई शहर बेबीलोन को भी विश्व धरोहरों की सूची में शामिल किया है।
- स्मारक एवं स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद (The International Council on Monuments and Sites-ICOMOS) ने वर्ष 2018 में जयपुर शहर का निरीक्षण किया था।
- अहमदाबाद के बाद जयपुर शहर देश का दूसरा शहर बन गया है जिसे सांस्कृतिक स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है।
- जयपुर को एक सांस्कृतिक स्थल के रूप में शामिल करने के साथ ही अब यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों में भारत के विरासत स्थलों की कुल संख्या 38 हो गई है। इसमें 30 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक तथा 1 मिश्रित स्थल हैं।
- जयपुर को वर्ष 1727 में सवाई जय सिंह द्वितीय के संरक्षण में स्थापित किया गया था। वर्तमान में यह राजस्थान राज्य की राजधानी है।

तराष्ट्रीय स्थानीय फिल्म महोत्सव

अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय फिल्म महोत्सव मलेशिया के कुचिंग (Kuching) में आयोजित किया गया।

- इस महोत्सव में भारत के स्थानीय समुदायों पर आधारित चार फिल्में- दिबि दुर्गा, नियमगिरि- द माउन्टेन ऑफ़ लॉ द्वारा सूर्यशंकर दास (ओडिया), शॉट अवेक एवं स्ट्रेंग्थ इन डाइवर्सिटी प्रदर्शित की गईं।
- इस महोत्सव में स्थानीय समुदायों के सहयोग से स्थानीय फिल्म निर्माताओं द्वारा बनाई गई फिल्मों को दिखाया गया है, जिसमें एक बड़ी तथा विभिन्न प्रकार की स्थानीय जनजातियों एवं उनकी संस्कृतियों, मुद्दों, समस्याओं आदि को रेखांकित किया गया है।
- इस महोत्सव का उद्देश्य दुनिया भर से स्वदेशी/स्थानीय समुदायों के लिये एक मंच, एक संवाद, सहयोग तथा शोषणकारी ताकतों के खिलाफ एकजुटता, प्रतिरोध और सक्रियता के रूप में सिनेमा का उपयोग करना है।
- भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी फिल्म महोत्सव 2019 ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था।

उत्कर्ष 2022

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने विभिन्न कार्यों के मध्य विनियमन और पर्यवेक्षण को बढ़ाने के उद्देश्य से 'उत्कर्ष 2022' नामक तीन वर्षीय रोडमैप तैयार किया है।

- विनियमन और पर्यवेक्षण तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से बनाई यह नीति, एक मध्यम अवधि की नीति है।
  - इसमें विशेष रूप से भविष्य में किसी भी अन्य IL&FS ऋण संकट से बचाने के लिये केंद्रीय बैंक की सक्रिय भूमिका शामिल है।
  - इससे पहले, RBI ने पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य की अध्यक्षता में एक आंतरिक समिति का गठन किया था, जिसका कार्य उन विषयों का चयन करना था जिन पर अगले तीन वर्षों में ध्यान दिया जाना आवश्यक है।
  - RBI बोर्ड ने जुलाई 2019 से जून 2020 की अवधि के लिये RBI के बजट को भी मंज़ूरी दी है।

रोमिप्लोस्टिम

ड्रग निर्माता कंपनी इंटास फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया (Immune Thrombocytopenia - ITP) के रोगियों के इलाज़ के लिये रोमिप्लोस्टिम (Romiplostim) नामक दवा लॉन्च की है।

- रोमिप्लोस्टिम दवा वर्तमान दवाओं से काफी सस्ती है।
- इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया (Immune Thrombocytopenia - ITP) एक ऑटोइम्यून ब्लड डिसऑर्डर (Autoimmune Blood Disorder) है जिसमें रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है।

- इस नई दवा की कीमत मौजूदा दवाओं की तुलना में पाँच गुना कम है
- वर्तमान में इस चिकित्सा पर लगभग 60,000 रुपए प्रतिमाह खर्च होता है, जबकि इस दवा के इस्तेमाल से यह व्यय घटकर 12,000 रुपए हो जाएगा।

ऑपरेशन थर्स्ट

रेलवे परिसर में अनाधिकृत ब्राण्ड वाली पानी की बोतलें बेचे जाने के मामलों पर रोक लगाने के लिये RPF (Railway Protection Force) द्वारा 'ऑपरेशन थर्स्ट' (Operation Thirst) नाम से एक देश-व्यापी अभियान शुरू किया गया है।

- इस अभियान के तहत प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्तों को इन अनाधिकृत गतिविधियों पर लगाम लगाने का आदेश दिया गया।
- इस अभियान के दौरान भारतीय रेलवे के लगभग सभी प्रमुख स्टेशनों को कवर किया गया ।
- इस अभियान के दौरान अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतलें बेचने के मामले में 1,371 लोगों को रेलवे अधिनियम की धारा 144 एवं 153 के तहत गिरफ्तार किया गया।
- अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी की कुल 69,294 बोतलें जब्त की गईं।
- प्लेटफार्मों पर लगे स्टॉल में भी ऐसे ब्राण्ड की पेयजल बोतलें बेंची जाती पाई गईं जो रेलवे द्वारा अनधिकृत हैं।
- इन गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल पाए गए लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

भारत के प्रधानमंत्रियों पर संग्रहालय

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (Central Public Works Department- CPWD) ने तीन मूर्ति भवन परिसर में 'भारत के प्रधानमंत्रियों पर संग्रहालय' (Museum on Prime Ministers of India) को पूरा करने की समय-सीमा 1 मार्च, 2020 निर्धारित की है।

- इस संग्रहालय पर लगभग 66 करोड़ रुपए व्यय किये जाएंगे।
- संग्रहालय के बनने पर इसे संस्कृति मंत्रालय को सौंप दिया जाएगा।
- तीन मूर्ति मेमोरियल का निर्माण वर्ष 1922 में जोधपुर, हैदराबाद और मैसूर की रियासतों ने भारतीय सैनिकों की याद में किया था।
- प्रतिष्ठित तीन मूर्ति भवन पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का आधिकारिक निवास था और बाद में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान के रूप में उनकी स्मृति में इसे नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी (Nehru Memorial Museum and Library- NMML) के रूप में स्थापित कर दिया गया।

Spektr-RG

- हाल ही में रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉसमॉस (Roscosmos) ने जर्मनी के साथ एक संयुक्त परियोजना के तहत कज़ाखस्तान के बैकोनूर में कॉस्मोड्रोम से अंतरिक्ष दूरबीन (Space Telescope) लॉन्च की।
- Spektr-R जिसे 'रूसी हबल' के रूप में जाना जाता है, को प्रतिस्थापित करने के लिये जर्मनी के सहयोग से Spektr-RG को विकसित किया गया है। उल्लेखनीय है कि कुछ समय पूर्व ही Spektr-R ने नियंत्रण खो दिया था।
- ब्लैक होल, न्यूट्रॉन सितारों और चुंबकीय क्षेत्रों का निरीक्षण करने के लिये वर्ष 2011 में Spektr-R को लॉन्च किया गया था।
- वर्ष 2011 के बाद से रूस एकमात्र ऐसा देश रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (International Space Station-ISS) में टीमों को भेजने में सक्षम है।

बिना बिजली के विलवणीकरण की प्रक्रिया

हाल ही में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (Tata Institute of Fundamental Research-TIFR) के शोधकर्त्ताओं ने बिजली का उपयोग किये बिना समुद्र के पानी को पीने योग्य बनाने के लिये उसका विलवणीकरण (Desalinate) किया है।

- अन्य पारंपरिक तरीकों के इतर शोधकर्त्ताओं ने इसके लिये सोने के नैनोकणों का प्रयोग किया, जिन्हें समुद्री जल को पीने योग्य पानी में परिवर्तित करने के लिये किसी बाहरी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है।
- इसके अतिरिक्त सोने के नैनोकणों का प्रयोग कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन में बदलने के लिये भी किया जा सकता है।
- हालाँकि यह केवल प्रारंभिक अध्ययन ही है। शोधकर्त्ताओं के समक्ष अगली सबसे बड़ी चुनौती सोने को किसी सस्ती धातु के साथ प्रतिस्थापित करना है ताकि इस प्रक्रिया को मितव्ययी बनाया जा सके।

कॉमन लाइनब्लू एवं डार्क सेरुलियन

वर्ष 2018 में दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्त्ताओं द्वारा तितली की दो दुर्लभ प्रजातियों कॉमन लाइनब्लू (Common Lineblue) एवं डार्क सेरुलियन (Dark Cerulean) को लगभग आधी शताब्दी के अंतराल के बाद देखा गया।

- कॉमन लाइनब्लू को वर्ष 1962 में दिल्ली में अंतिम बार देखा गया था, जबकि डार्क सेरुलियन को 90 के दशक के अंत में देखा गया था।
- दोनों तितलियाँ आमतौर पर हिमालय की तलहटी में पाई जाती हैं।
- लेपिडोपेट्रोलॉजिस्ट (Lepidopterologist) के अनुसार, दिल्ली में तितलियों की दो दुर्लभ प्रजातियों का पुन: देखा जाना इस क्षेत्र की पर्यावरणीय विविधता का संकेतक है।
- लेपिडोपेट्रोलॉजी (Lepidopterology) कीट-विज्ञान की एक शाखा है, जो पतंगों (Moths) के वैज्ञानिक अध्ययन तथा तितलियों की तीन सुपरफैमिली से संबंधित है। इस क्षेत्र में अध्ययन करने वाले को लेपिडोपेट्रोलॉजिस्ट कहा जाता है।

राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य योजना रिपोर्ट

- केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने विभिन्न हितधारकों से जानकारी लेने के लिये सार्वजनिक क्षेत्र में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य योजना (National Digital Health Blueprint-NDHB) रिपोर्ट जारी की।
- इस योजना को डिज़िटल इंडिया कार्यक्रम की तर्ज़ पर तैयार किया गया है।
- इसका उद्देश्य एक राष्ट्रीय डिज़िटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी प्रणाली तैयार करना है, जो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को प्रभावी, सुलभ, समग्र, किफायती, समय पर तथा सुरक्षित तरीके से प्रोत्साहित कर सके।
- डिज़िटल स्वास्थ्य क्षेत्र में तेज़ी से बदलाव होने के कारण इस योजना में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज़ को सहयोग देने की अपार संभावना है।
- स्वास्थ्य मंत्री ने सभी साझेदारों से अपनी राय देने को कहा है, ताकि स्वास्थ्य सेवा में इस डिज़िटल क्रांति को अधिक समग्र और सहायक बनाया जा सके तथा सरकार की एक सामूहिक प्रयास के रूप में सशक्त राष्ट्र के निर्माण में मदद की जा सके।

अपोलो 11

16 जुलाई, 2019 को अपोलो 11 (चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानवयुक्त मिशन) के 50 वर्ष पूरे हुए।

- इस मिशन की शुरुआत 16 जुलाई, 1969 को हुई थी।
- अपोलो मिशन को चंद्रमा पर मनुष्यों को उतारने और उन्हें सुरक्षित पृथ्वी पर लाने के लिये डिज़ाइन किया गया था।
- इस मिशन के फलस्वरूप 20 जुलाई, 1969 को अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और एडविन बज़ एल्ड्रिन ने पहली बार चंद्रमा पर उतरने में सफलता पाई थी।
- अपोलो मिशन की घोषणा उस समय की गई थी जब अमेरिका अंतरिक्ष विकास की होड़ में सोवियत संघ को पीछे छोड़ रहा था।
  - इस मिशन के कारण ही अंतरिक्ष तक पहुँचने की दौड़ में अमेरिका को सफलता मिली थी।
  - इस मिशन से पूर्व अंतरिक्ष में रूस का वर्चस्व कायम था और चंद्रमा पर भेजा गया पहला जानवर भी रूस ने ही भेजा था।

केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक

- हाल ही में आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय और जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये राज्यसभा ने केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया।
- इस विधेयक में आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिये 450 करोड़ रुपए तथा जनजातीय विश्वविद्यालय के लिये 420 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
- उल्लेखनीय है कि लोकसभा ने इस विधेयक को पहले ही मंज़ूरी दे दी है।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार, इस विश्वविद्यालय को अगले चार वर्षों में स्थापित कर लिया जायेगा।
- मंत्रालय के अनुसार, जनजातीय विश्वविद्यालय में आदिवासी समुदाय को कला, संस्कृति और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- आंध्र प्रदेश राज्य में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय और एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना से उच्चतर शिक्षा तक पहुँच तथा उसकी गुणवत्ता में वृद्धि होगी। इससे वहाँ के लोगों में उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान सुविधाओं का मार्ग प्रशस्त होगा।
- जनजातीय विश्वविद्यालयों में भारत की जनजातीय कला, संस्कृति के साथ शिक्षा एवं अनुसंधान सुविधाओं तथा प्रौद्योगिकी के माध्यम से उन्नत ज्ञान का संवर्द्धन किया जा सकेगा ।
- वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य में कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है जबकि गोवा के सिवाय सभी राज्यों में एक या एक से अधिक केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं।

लीचेट ट्रीटमेंट प्लांट

हाल में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (South Delhi Municipal Corporation- SDMC) ने मानसून के दौरान सीपेज (Seepage) की समस्या को दूर करने के लिये ओखला लैंडफिल में एक लीचेट ट्रीटमेंट प्लांट (Leachate Treatment Plant) लगाया है।

- लीचेट काले रंग का, दुर्गंध युक्त, विषैला तरल पदार्थ है जो लैंडफिल (कूड़े का ढेर) में कचरे के सड़ने से निकलता है,
  - इसमें कवक और बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक रसायन भी मौज़ूद होते हैं।
  - यह लैंडफिल के तल पर जमा हो जाता है तथा भूजल को दूषित करने वाली मिट्टी के माध्यम से नीचे की ओर रिसकर चला जाता है।
  - यह सतह के पानी को भी दूषित करता है।
- भूजल संसाधनों के इस तरह के प्रदूषण से संसाधन के स्थानीय उपयोगकर्त्ताओं और प्राकृतिक पर्यावरण को काफी खतरा है।
- अपशिष्ट की रीसाइक्लिंग, ऑन-साइट कूड़ों को नष्ट करना, नगर निगम के सीवेज़ ट्रीटमेंट प्लांट को डिस्चार्ज करना आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से लीचेट के बनने को रोका जा सकता है।

वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर

केंद्र सरकार की योजना के तहत वन स्टॉप क्राइसेस सेंटर तैयार की गई है। इसके अंतर्गत ज़िला स्तर पर वन स्टॉप सेंटर (One Stop Centre- OSC) खोले गए हैं।

- वन स्टॉप सेंटर में एक ही छत के नीचे पीड़ित महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक वैधानिक एवं विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं।
- वन स्टॉप सेंटर में हिंसा से प्रभावित महिलाओं से प्राप्त शिकायतों का रिकॉर्ड रहता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय समय-समय पर इसके कामकाज की समीक्षा करता है।
- इसमें दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक वन स्टॉप सेंटर में 5 बेड होने चाहिये साथ ही पीड़ितों के 5 दिनों तक अस्थायी रूप से रहने की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिये।

- योजना के तहत, OSC के लिये एक केंद्र व्यवस्थापक, केस वर्कर, मेडिकल कर्मियों, पुलिस सुविधा अधिकारी, साइको-सोशल काउंसलर, कानूनी परामर्शदाता, सुरक्षा गार्ड, IT स्टाफ और बहुउद्देश्यीय कर्मचारियों की आवश्यकता होती है।
- OSC कार्यकारियों का क्षमता निर्माण राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं राज्य प्रशिक्षण तथा कार्यशालाओं के माध्यम से किया जाता है ताकि OSC कर्मचारियों की ज़वाबदेही में सुधार हो सके।
- ज़िला स्तर पर OSC के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये मीडिया द्वारा प्रचार अभियान भी चलाए जाते हैं।

हैंड मेड इन इंडिया

भारत के उद्यमिता विकास संस्थान (Entrepreneurship Development Institute of India- EDII) ने हाथ से बनाई गई कला को बढ़ावा देने के लिये 'हैंड मेड इन इंडिया' (Hand Made in India- HMI) परियोजना प्रस्तुत की है।

- इस परियोजना का उद्देश्य बुनकरों में उद्यमशीलता की क्षमता विकसित करना है।
- इस योजना के अंतर्गत उद्यमशीलता की क्षमता विकसित करने के लिये लगभग 5,000 बुनकरों, कारीगरों और व्यापारियों को शामिल किया गया है।
- यह परियोजना तीन वर्षों में कार्यान्वित की जाएगी। पहले चरण में इसे 6 केंद्रों तक विस्तारित किया गया है।
- इन हथकरघा समूहों में गुजरात में भुज एवं सुरेंद्रनगर, ओडिशा में बरगढ़, असम में कामरूप, मध्य प्रदेश में महेश्वर और तमिलनाडु में सलेम शामिल हैं।
- इस योजना का उद्देश्य बुनकरों के कौशल को उन्नत बनाना, नए युग की विपणन रणनीतियाँ प्रस्तुत करना, ऋण उपलब्धता में वृद्धि सुनिश्चित करना, बुनाई की परंपरा में युवा पीढ़ी को शामिल करना है।
- बुनाई एवं संबद्ध गतिविधियों में महिला सशक्तीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

अर्बन हाट

- केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय (Union Ministry of Textile) को बिहार के मधुबनी में हस्तशिल्प और शिल्पकार के लिये शहरी हाट स्थापित करने का प्रस्ताव मिला है। यह प्रस्ताव मधुबनी ज़िले के ज़िला ग्रामीण विकास प्राधिकरण (DRDA) ने पेश किया है।
- इसका उद्देश्य हथकरघा बुनकरों और कारीगरों के लिये मध्यम एजेंसियों को खत्म करके बड़े शहरों तथा महानगरीय शहरों में एक स्थायी विपणन का बुनियादी ढाँचा स्थापित करना है।
- शिल्पकारों एवं बुनकरों को सीधे विपणन की सुविधा प्रदान करने के लिये बड़े शहरों/महानगरों में अर्बन हाट स्थापित किये जाएंगे।
- इस परियोजना का कार्यान्वयन राज्य हस्तशिल्प (State Handicrafts), हथकरघा विकास निगम (Handlooms Development Corporations) तथा पर्याप्त वित्तीय संसाधनों एवं संगठनात्मक क्षमता वाले पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जाएगा।
- राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर की हथकरघा एजेंसियाँ/निगम/सहकारी समितियाँ/प्राथमिक सहकारी समितियाँ/बुनकर/कारीगर अर्बन हाट पहल के लिये पात्र होंगे।
- प्रत्येक इकाई के लिये अधिकतम वित्तीय सीमा 300 लाख रुपए है।

महेश रथ यात्रा

4 जुलाई 2019 पश्चिम बंगाल के हुगली ज़िले में 'महेश रथ यात्रा' के 623वें संस्करण का आयोजन किया गया।

- यह पश्चिम बंगाल की सबसे पुरानी रथ यात्रा है, जिसे वर्ष 1396 से पुरी रथ यात्रा के रूप में मनाया जाता है।
- यह हुगली ज़िले के श्रीरामपुर में आयोजित होने वाली महेश रथ यात्रा है, जिसे दुनिया का दूसरा सबसे पुराना रथ उत्सव कहा जाता है।

- किंवदंतियों के अनुसार, एक बार बंगाली साधु द्रुबानंद ब्रह्मचारी (Drubananda Brahmachari) को भगवान जगन्नाथ को भोग चढ़ाने से रोक दिया गया जिससे आहत होकर उन्होंने उपवास शुरू कर दिया, उपवास के तीसरे दिन स्वयं भगवान् जगन्नाथ ने उनके स्वप्न में आकर डारू-ब्रह्मा (नीम के तने) से बलराम, जगन्नाथ एवं सुभद्रा की मूर्तियाँ बनाने का निर्देश दिया। भगवान के निर्देश का पालन करते हुए द्रुबानंद ब्रह्मचारी ने महेश में नीम के तने से मूर्तियाँ बनाईं।
- फलस्वरूप महेश के द्रुबानंद मंदिर की स्थापना हुई। चैतन्य महाप्रभु ने भी महेश को नब नीलाचल (नई पुरी) के रूप में संबोधित किया था।

कोलिस्टिन एंटीबायोटिक

हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare) ने कोलिस्टिन (Colistin) के निर्माण, बिक्री एवं वितरण को पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया है।

- यह प्रतिबंध ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 (Drugs and Cosmetics Act) के प्रावधानों के तहत लगाया गया है।
- दवा तकनीकी सलाहकार बोर्ड (Drug Technical Advisory Board- DTAB) जो कि देश में दवाओं से संबंधित तकनीकी मामलों पर सरकार का शीर्ष सलाहकार निकाय है, ने इसे प्रतिबंधित करने की सिफारिश की थी।
- कोलिस्टिन पशु चिकित्सा में चिकित्सीय उद्देश्य के लिये प्रयुक्त होने वाली एक एंटीबायोटिक दवा है, पोल्ट्री उद्योग में इस दवा का अत्यधिक दुरुपयोग किया जाता है।
- कोलिस्टिन एक महत्त्वपूर्ण जीवन रक्षक एंटीबायोटिक है लेकिन हाल के वर्षों में ऐसे रोगी भी पाए गए जिनमें इस दवा का प्रतिरोध देखा गया।
- लगभग 95% कोलिस्टिन का आयात चीन से किया जाता है।
- उल्लेखनीय है कि चीन जो कोलिस्टिन के सबसे बड़े निर्माताओं में से एक है, ने अपने देश में उपभोग के लिये पाले गए किसी भी उत्पादक जानवर या मछली पर इसके उपयोग को प्रतिबंधित लगा दिया है।

- ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 एंड रूल्स 1945 (The Drugs & Cosmetics Act,1940 and rules 1945) के तहत CDSCO दवाओं के अनुमोदन, क्लिनिकल परीक्षणों के संचालन, दवाओं के मानक तैयार करने, देश में आयातित दवाओं की गुणवत्ता पर नियंत्रण और राज्य दवा नियंत्रण संगठनों को विशेषज्ञ सलाह प्रदान करके ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के प्रवर्तन में एकरूपता लाने के लिये उत्तरदायी है।

रातापानी वन्यजीव अभयारण्य

मध्य प्रदेश सरकार ने रातापानी वन्यजीव अभयारण्य (Ratapani Wildlife Sanctuary) को बाघ के लिये आरक्षित घोषित करने का निर्णय लिया है।

- उल्लेखनीय है कि इसी अभयारण्य के लिये राज्य को 11 साल पहले राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (National Tiger Conservation Authority- NTCA) हेतु अनुमोदन प्राप्त हुआ था।
- यह अभयारण्य मध्य प्रदेश के भोपाल-रायसेन वन प्रभाग में 890 वर्ग किमी. के क्षेत्रफल में फैला है।
- अभयारण्य में बाघों की संख्या लगभग लगभग 40 है साथ ही भोपाल के वन क्षेत्र में 12 बाघों की आवाजाही भी देखी गई है। अत: बाघ अभयारण्य घोषित करने के लिये पूरे क्षेत्र को संयुक्त रूप में जोड़ा जाएगा।
- रायसेन, सीहोर तथा भोपाल ज़िलों का लगभग 3,500 वर्ग किमी का क्षेत्र बाघों के लिये आरक्षित किया गया है।
- 1,500 वर्ग किमी. क्षेत्र को कोर क्षेत्र के रूप में जबकि 2,000 वर्ग किमी को बफर ज़ोन के रूप में नामित किया जाएगा।
- इस क्षेत्र को बाघ अभयारण्य के रूप में घोषित किये जाने से अवैध खनन और अवैध शिकार की समस्या का सामना कर रहे बाघों को बेहतर संरक्षण प्राप्त होगा।

स्वदेश दर्शन योजना

पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2014-15 में पर्यटन स्थलों के थीम आधारित एकीकृत विकास के लिये 'स्वदेश दर्शन योजना' की शुरूआत की।

- यह योजना पर्यटन मंत्रालय की महत्त्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य देश में योजनाबद्ध और प्राथमिकता के तौर पर खास विशेषता वाले सर्किटों का विकास करना है।
- इस योजना के तहत सरकार जहाँ एक ओर पर्यटकों को बेहतर अनुभव और सुविधाएँ देने के उद्देश्य से गुणवत्तापूर्ण ढाँचागत विकास पर ज़ोर दे रही है, वहीं दूसरी ओर आर्थिक वृद्धि को भी प्रोत्साहित कर रही है।
- उल्लेखनीय है कि तीर्थस्थल संरक्षण एवं आध्यात्मिक विकास के लिये 'प्रसाद' (Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual, Heritage Augmentation Drive-PRASHAD) परियोजना की शुरुआत की है।

सारस क्रेन

उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद ज़िले में सारस क्रेन (Grus Antigone) की आबादी में पिछले पाँच वर्षों में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

- प्रभागीय वन विभाग द्वारा आयोजित वार्षिक जनगणना के अनुसार, गाज़ियाबाद ज़िले के मुरादनगर में केवल एक जोड़ी सारस क्रेन पाए गए जिसे लगातार पाँच वर्षों से देखा जा रहा है।
- सारस दुनिया का सबसे लंबा उड़ने वाला पक्षी है। वर्ष 2014 में इसे उत्तर प्रदेश का आधिकारिक राज्य पक्षी घोषित किया गया था।
- सारस क्रेन आमतौर पर आर्द्रभूमि जैसे दलदली स्थानों में निवास करते हैं।
- एक कृषि क्षेत्र में सिर्फ एक जोड़ी सारस देखे जाते हैं जो अनुसंधान का एक महत्त्वपूर्ण विषय है।
- यह वाइल्डलाइफ (संरक्षण) अधिनियम, 1972 [Wildlife (Protection) Act, 1972] की अनुसूची IV के तहत तथा IUCN रेड लिस्ट में भेद्य (Vulnerable) के रूप में भी सूचीबद्ध है।
- हाल की एक जनगणना के दौरान उत्तर प्रदेश के हापुड़ ज़िले में 30 वयस्क सारस क्रेन तथा इनके 16 चूज़ों की उपस्थिति की सूचना मिली। गौतम बुद्ध नगर में जून में एक जनगणना में पाँच वन रेंज और आर्द्रभूमि पर कुल 140 सारस क्रेन की संख्या दर्ज की गई थी।
- हालाँकि गाज़ियाबाद से सटे अन्य क्षेत्रों में बहुत से सारस देखे गए, लेकिन गाज़ियाबाद में लगातार पाँच वर्षों से सिर्फ एक जोड़ी सारस का देखा जाना चिंता का विषय है।

स्टबल कटिंग मशीन

पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में फसल अवशेषों के स्व-स्थाने (In-situ) प्रबंधन हेतु कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने दो वर्षों के लिये एक नई केंद्रीय क्षेत्र की योजना को मंज़ूरी दी है।

- इस योजना के तहत किसानों को फसल के अवशेषों के स्व-स्थाने प्रबंधन के लिये आवश्यक मशीनरी में सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- योजना का उद्देश्य
- वायु प्रदूषण को कम करना तथा फसल अवशेषों को जलाने से होने वाले पोषक तत्त्वों एवं मृदा के सूक्ष्मजीवों की हानि को रोकना।
- उचित मशीनीकरण के माध्यम से फसल अवशेषों के स्व-स्थाने प्रबंधन को बढ़ावा देना।
- फसल अवशेष प्रबंधन विधियों का प्रदर्शन, क्षमता निर्माण गतिविधियाँ तथा फसल अवशेषों के प्रभावी उपयोग एवं प्रबंधन हेतु शिक्षा-संचार रणनीतियों के माध्यम से हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करना।

आर्टेमिस कार्यक्रम

20 जुलाई 2019 के ऐतिहासिक दिवस पर नासा ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम 'आर्टेमिस' (Artemis) की जानकारी दी।

- आर्टेमिस कार्यक्रम के माध्यम से NASA पहली बार एक महिला को चंद्रमा पर भेजने की योजना बना रहा है। इसके अलावा इस कार्यक्रम में एक अन्य व्यक्ति को भी चंद्रमा पर भेजने की योजना बनाई जा रही है।
- आर्टेमिस नाम अपोलो (Apollo) की जुड़वां बहन के नाम पर रखा गया है।

- ग्रीक पौराणिक कथाओं के कथाओं के अनुसार,अपोलो प्रकाश, कविता, नृत्य, संगीत, चिकित्सा, भविष्यवाणी और खेल के देवता थे। इनके नाम पर ही NASA ने अपने चंद्र मिशन का नाम Apollo रखा था।
- अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार, अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर जाने का कार्यक्रम वर्ष 2024 तक शुरू किये जाने की योजना है।
- नासा के इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा के उन क्षेत्रों के बारे में जानकारी एकत्र करना है जिनके बारे में अभी तक कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है इससे अन्य ग्रहों जैसे मंगल पर जाने के नए रास्ते भी प्राप्त हो सकते हैं।

ड्रैकैना कैम्बोडियाना

भारतीय वनस्पति शोधकर्त्ताओं ने असम में एक रक्त स्रावित वृक्ष की प्रजाति ड्रैकैना कैम्बोडियाना (Dracaena cambodiana) की खोज की है।

- यह ऐस्परैगेसी (Asparagaceae) परिवार से संबंधित है।
- इस पौधे से चमकदार लाल रंग का लेटेक्स स्रावित होता है जिसका उपयोग प्राचीन काल से दवा, वार्निश और कपड़ों की रंगाई आदि कार्यों में किया जाता है। चीन में एक पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में इसका उपयोग किया जाता है।
- ध्यातव्य है कि पहली बार भारत से किसी ड्रैगन ट्री प्रजाति की जानकारी प्राप्त हुई है।
- यह वृक्ष असम के पश्चिम कार्बी आंगलोंग के डोंगा सर्पो क्षेत्र में पाया गया है।
- इस पौधे को ड्रैगन ट्री प्रजाति के रूप में वर्गीकृत करने में लगभग चार साल का समय लगा।
- भारत में हिमालय क्षेत्र, उत्तर-पूर्व और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में ऐस्परैगेसी (Asparagaceae) परिवार से संबंधित ड्रेकेना वंश की लगभग 9 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ड्रैकैना कैम्बोडियाना ड्रैगन ट्री की एकमात्र शुद्ध प्रजाति है।

देशज फसलों के संरक्षण हेतु बीज बैंकर

हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (Ministry of Agriculture & Farmers Welfare) द्वारा राज्यसभा में दी गई जानकारी के अनुसार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो अपने राष्ट्रीय जीन बैंक (National Gene Bank-NGB) में बीजों के दीर्घकालिक संरक्षण के लिये उनके जर्मप्लाज़्म का संरक्षण कर रहा है।

- इस तकनीकी के तहत बीजों को संरक्षित करने के लिये उन्हें लगभग -20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्टोर किया जाता है।
- राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो और राष्ट्रीय सक्रिय जर्मप्लाज़्म साइट्स, जो विभिन्न राज्यों में जीन बैंकों के रूप में प्रचालित हैं, का उद्देश्य कृषि अनुसंधान उद्देश्य हेतु सब्जियों, अनाजों की देशी किस्मों सहित विभिन्न फसलों की वन्य प्रजातियों की परंपरागत किस्मों और भूमि किस्मों, वन्य किस्मों के साथ-साथ उनके जर्मप्लाज़्म को एकत्र करना, उनकी विशिष्टता बताना, मूल्यांकन तथा संरक्षण करना और उसे उपलब्ध कराना है। ये जीन बैंक स्थानीय किस्मों को भी संरक्षित करते हैं।
- इन बैंकों में रखे जाने वाले बीज फसलों की लघु और मध्यमावधि किस्म के होते हैं जो क्षेत्र के अनुकूल होते हैं और आकस्मिक स्थिति में आवश्यकता को पूरा करते हैं।
- इन बीज बैंकों का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं और अन्य अप्रत्याशित स्थितियों, जैसे- सूखा, बाढ़ की स्थिति की चलते बीज की आवश्यकता को पूरा करना है।
- स्थान विशिष्ट किस्मों के प्रमाणिक और आधारित बीजों, जिसमें स्थानीय किस्मों को बीज बैंक में रखा जाता है, जो इस प्रकार की स्थितियों हेतु अनुकूल होते हैं।

आर्थिक गणना 2019

29 जुलाई, 2019 को त्रिपुरा से 7वीं आर्थिक गणना के क्षेत्र कार्य की शुरुआत की जाएगी इसके बाद यह कार्य पुद्दुचेरी में किया जाएगा।

- अन्य राज्यों/संघशासित प्रदेशों में क्षेत्र कार्य अगस्त/सितंबर, 2019 में शुरू होगा।

- इस कार्य के लिये आँकड़े एकत्रित करने उनके प्रमाणीकरण, रिपोर्ट तैयार करने तथा इनके प्रसार हेतु विकसित मोबाइल एप्लीकेशन पर आँकड़े एकत्र करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) द्वारा इस कार्य में लगाए जाने वाले गणनाकारों एवं पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है।
- यह गणना सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2019 में कराई जा रही है।
- आँकड़े जुटाने, उनके प्रमाणीकरण, रिपोर्ट तैयार करने तथा इनके प्रसार के लिए IT आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा।
- इसमें परिवारों के उद्यमों, गैर-जोत कृषि और गैर-कृषि क्षेत्र में वस्तुओं/सेवाओं (स्वयं के उपभोग के अलावा) के उत्पादन एवं वितरण की गणना की जाएगी।

UP इन्वेस्टर्स समिट

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में यूपी इन्वेस्टर्स समिट (UP Investors Summit) के दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (Ground Breaking Ceremony) का उद्घाटन किया।

- इस योजना के दौरान 65 हज़ार करोड़ रुपये से अधिक की 250 परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई।
- इस समिट का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा सुशासन का एक मॉडल स्थापित करके ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की सुविधा के लिये सक्रिय प्रयास करना है।
- यूपी इन्वेस्टर्स समिट के दूसरे ग्राउंड के तहत देश के प्रत्येक नागरिक को शामिल करते हुए दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में देश को शामिल करने हेतु 'ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया' के दृष्टिकोण के लिये प्रयास किये गए हैं।
- उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष ही यूपी इन्वेस्टर्स के पहले समिट का आयोजन किया गया था।
- पहले UP इन्वेस्टर्स समिट के दौरान विभिन्न सुधार कानूनों जैसे GST- वन नेशन, वन टैक्स का सरलीकरण, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस रैंकिंग पर राज्यों के बीच प्रतिस्पर्द्धा आदि ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में योगदान दिया तथा FDI में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
- उत्तर प्रदेश में पिछले दो वर्षों के भीतर कानून और व्यवस्था की स्थिति में अभूतपूर्व सुधार हुआ है जो कि निवेश को आकर्षित करने और राज्य में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- जिस तरह से UP में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुधार के विभिन्न पहलुओं पर काम हो रहा है, उसे देखते हुए आने वाले पाँच वर्षों में UP भारत में राज्यों के बीच व्यापार रैंकिंग तथा सामाजिक-आर्थिक विकास के क्षेत्र में आसानी से शीर्ष स्थान प्राप्त कर लेगा।

क्राइसोमालोन स्क्वैमिफेरम

हिंद महासागर में केवल तीन स्थानों पर पाया जाने वाला एक दुर्लभ घोंघा (Snail) क्राइसोमालोन स्क्वैमिफेरम (Chrysomallon Squamiferum) गहन समुद्री खनन के कारण संकट में हैं।

- यह स्नेल मैडागास्कर के पूर्व में हिंद महासागर में तीन हाइड्रोथर्मल वेंट्स (Hydrothermal Vents) में पाया जाता है।
- इसे IUCN द्वारा 18 जुलाई, 2019 को लुप्तप्राय प्रजाति की अद्यतन रेड लिस्ट में शामिल किया गया था, जो गहरे समुद्र में खनन के कारण आधिकारिक रूप से संकटग्रस्त घोषित होने वाली पहली प्रजाति बन गया है।
- हालाँकि वर्तमान में सभी वैश्विक महासागरों में गहन खनन गतिविधियों पर रोक है, फिर भी संयुक्त राष्ट्र की संस्था इंटरनेशनल सी-बेड अथॉरिटी वर्तमान में समुद्र-तल खनन का संचालन करने के लिये दिशा-निर्देश तैयार कर रही है, जिसे वर्ष 2020 तक पूरा किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि हाइड्रोथर्मल वेंट्स के कारण लगभग 14 प्रजातियों को रेड लिस्ट में शामिल किये जाने की संभावना है।

विश्व के सबसे छोटे बंदर का जीवाश्म

हाल ही में अमेरिका की ड्यूक यूनिवर्सिटी (Duke University) तथा पेरू की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ पिउरा (National University of Piura) के शोधकर्त्ताओं की एक टीम को लगभग 18 मिलियन वर्ष (1.8 करोड़ वर्ष) पुराने एक नई प्रजाति के छोटे बंदर के दांत के जीवाश्म मिले हैं।

- ह्यूमन इवोल्यूशन (Human Evolution) नामक पत्रिका में प्रकाशित हुए इस अध्ययन के अनुसार, यह जीवाश्म अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
- इसकी मदद से बंदरों के जीवाश्म रिकॉर्ड में 15 मिलियन (1.5 करोड़) वर्ष के अंतर को समाप्त किया जा सकता है क्योंकि अभी तक शोधकर्त्ताओं को बंदरों के इतने प्राचीन जीवाश्म नहीं मिल पाए थे।
- यह जीवाश्म दक्षिण-पूर्वी पेरू में रियो ऑल्टो मादरे डी डिओस (Rio Alto Madre de Dios) नदी के तट पर बलुआ पत्थर से प्राप्त हुआ है।
- इस दौरान शोधकर्त्ताओं को चूहे, चमगादड़ और अन्य कई जानवरों के जीवाश्म भी प्राप्त हुए।
- ऐसा माना जाता है कि लगभग 40 मिलियन वर्ष पूर्व बंदर दक्षिण अफ्रीका से दक्षिण अमेरिका की ओर प्रवास कर गए थे। वर्तमान में बंदरों की अधिकांश प्रजातियाँ अमेज़न के वर्षावन में निवास करती हैं।

प्रॉक्सी एडवाइज़रों के लिये आचार संहिता

हाल ही में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India- SEBI) ने प्रॉक्सी एडवाइज़री फर्मों के लिये एक आचार संहिता प्रस्तावित की है।

- आचार संहिता में एक 'अनुपालन या व्याख्या' का दृष्टिकोण शामिल किया जाएगा जिसके तहत सूचीबद्ध कंपनियाँ प्रॉक्सी एडवाइज़रों की वजह से होने वाली समस्या के निवारण के लिये SEBI से संपर्क कर सकती हैं।
  - अनुपालन या व्याख्या एक नियामक दृष्टिकोण है जिसमें सूचीबद्ध कंपनियाँ या तो अनुपालन कर सकती हैं या यदि वे ऐसा नहीं करती हैं, तो उन्हें सार्वजनिक रूप से यह स्पष्ट करना होगा की कि वे ऐसा क्यों नहीं करती हैं।
  - प्रॉक्सी एडवाइज़री एक व्यक्ति/फर्म है जो कंपनी के संस्थागत निवेशकों या शेयरधारक को सलाह देता है कि वे कंपनी में अपने अधिकारों का उपयोग करने के लिये सार्वजनिक प्रस्ताव पर सिफारिश या वोटिंग हेतु सलाह दें।
- SEBI के अनुसार, प्रॉक्सी एडवाइज़र को सहायक व्यावसायिक गतिविधियों से होने वाले विवाद के संदर्भ में उचित कदम उठाने चाहिये।
- इसके अलावा, प्रॉक्सी एडवाइज़रों का बोर्ड अपने शेयरधारकों से स्वतंत्र होना चाहिये, क्योंकि इस तरह की स्थिति से हितों का टकराव बढ़ सकता है।
- इसके अलावा SEBI ने यह भी सुझाव दिया है कि संस्थागत निवेशक जैसे विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक, पोर्टफोलियो मैनेजर, वैकल्पिक निवेश फंड और बुनियादी ढाँचा निवेश ट्रस्ट आदि, को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उनके द्वारा नियोजित प्रॉक्सी एडवाइज़र फर्मों के पास प्रॉक्सी एडवाइज़री जारी करने की उचित क्षमता और सामर्थ्य है या नहीं।

ई-गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन

8-9 अगस्त, 2019 को मेघालय की राजधानी शिलांग में (उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में पहली बार) ई-गवर्नेंस पर 22वें राष्ट्रीय सम्मेलन (22nd National Conference on e-Governance) का आयोजन किया जाएगा।

- इस सम्मेलन का आयोजन प्रशासनिक सुधार, लोक शिकायत विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा मेघालय सरकार द्वारा मिलकर किया जा रहा है।
- शिलांग में आयोजित 22वाँ राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन इस क्षेत्र में ई-गवर्नेंस पहलों को महत्त्वपूर्ण गति प्रदान करेगा।
- यह सम्मेलन सभी तरह की डिजिटल सेवाएँ उपलब्ध कराने, समस्याओं के समाधान में अनुभवों का आदान-प्रदान करने, जोखिम कम करने, मुद्दों को सुलझाने आदि के लिये स्थायी ई-गवर्नेंस पहलों को तैयार करने एवं उन्हें लागू करने के प्रभावी तरीकों के बारे में जानकारी साझा करने के लिये एक मंच उपलब्ध कराता है।
- इस सम्मेलन का विषय "डिजिटल इंडिया: सफलता से उत्कृष्टता" है।
- सम्मेलन के दौरान पूर्ण सत्र में विभिन्न उप-विषयों पर विचार-विमर्श किया जाएगा:
  - इंडिया इंटरप्राइज़ आर्किटेक्चर (India Enterprise Architecture-INDEA)
  - डिजिटल बुनियादी ढाँचा

- वन नेशन- वन प्लेटफॉर्म
- पेशेवरों के लिये उभरती प्रौद्योगिकी
- सचिवालय सुधार
- राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा आपूर्ति आकलन (National e-Governance Service Delivery Assessment-NeSDA)
- समावेश और क्षमता निर्माण
- नवाचारियों और उद्योगों के साथ तालमेल

कान सिकुल, कान हुआन

मिज़ोरम के लॉंग्टलाई (Lawngtlai) ज़िला प्रशासन की परियोजना 'कान सिकुल, कान हुआन (माय स्कूल, माय होम)' को राज्य के सभी स्कूलों एवं कॉलेजों के लिये मॉडल के रूप में स्थापित किया गया है।

- यह परियोजना मिज़ोरम के लॉंग्टलाई ज़िला प्रशासन द्वारा स्कूलों को पोषण उद्यान में परिवर्तित करने के लिये शुरु की गई है।
- इसका उद्देश्य स्कूलों में शिक्षकों, अभिभावकों तथा समुदाय के सदस्यों की मदद से बच्चों में कुपोषण की समस्या का समाधान करना है।
- इस परियोजना के अंतर्गत प्रत्येक स्कूल में पोषण उद्यान स्थापित करके फल एवं सब्जियाँ उगाई जाती हैं ताकि पोषण की कमी की समस्या को दूर किया जा सके।
- इस परियोजना के माध्यम से स्थानीय स्कूलों में शिक्षकों, अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों की मदद से विभिन्न प्रकार के फलों एवं सब्जियों का उत्पादन करके लोगों को स्वावलंबी बनाने और बच्चों के बीच कुपोषण से लड़ने के लिये (मार्च 2020 तक) प्रत्येक स्कूल, आंगनवाड़ी, चाइल्ड केयर संस्थानों और हॉस्टल में अपने स्वयं के फलों एवं सब्जियों को उगाने की अनुमति दी गई है।
- यह परियोजना केंद्रीय सरकार के पोषण अभियान के उद्देश्यों के अनुरूप है।
- लॉंग्टलाई, मिज़ोरम का सबसे पिछड़ा होने के साथ-साथ 35.3% आपदाग्रस्त भी है, यहाँ तकरीबन 21.3% बच्चे कम वज़न तथा 5.9% बच्चे गंभीर रूप से कम वज़न से ग्रसित हैं।